

॥ श्री ॥

विद्याभवन प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला

५९

कल्पदण्ड

श्रीमदुदयनाचार्यकृतः

आत्मतत्त्वविवेकः

(सटिष्ठणराष्ट्रभापानुवादोपेतः सपरिशिष्टथ्र)

अनुवादक सम्पादकअ
आचार्य-केदारनाथत्रिपाठी 'दर्शनरत्नम्'
स्वाय वेदात-साहित्योगाचार्य
काशीहिन्दूविद्यविद्यालये
भू० पू० बर्णनविभागाध्यक्ष



चौखम्बा विद्याभवन
बाराणसी

प्रकाशक

चौहम्बा विद्याभवन

(भारतीय संस्कृत एवं तात्त्विक वेद प्रवाचन तथा विद्यालय)

चौह (बनारस हाई बोर्ड संबन्ध के वीचे)

पो० बा० नं० १०६९, वाराणसी २२१००९

दूरभाष : ३२०४०४

सर्वाधिकार मुद्रित

द्वितीय संस्करण १९९२

मूल्य १५०-००

मन्य प्राचीनिकान

चौहम्बा सुरभारती प्रकाशन

पे० ३७/११७, गोपालगढ़िया लेन

पो० बा० नं० ११२९, वाराणसी २२१००९

दूरभाष : ३३३४३१



*

चौहम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

३८ थू. ए., बंगलो रोड, जवाहरनगर

पो० बा० नं० २११३

दिल्ली ११०००७

दूरभाष : २३६३९९

मुद्रक

धोजी मुद्रणालय

वाराणसी

THE
VIDYABHAWAN PRACHYAVIDYA GRATHAMALA
59
~~THE
VIDYABHAWAN PRACHYAVIDYA GRATHAMALA~~

ĀTMATATTVAVIVEKA
OF
UDAYANĀCĀRYA

Edited with Critical Hindi Translation

By

Acharya Kedarnath Tripathi
Ex Head of the Deptt. of Darshan, B. H. U. &
Ex-Senior Scholar, 'Shastra-Chudamani'
Ministry of Education, Govt. of India.



CHOWKHAMBĀ VIDYABHAWAN
VARANASI

© CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN
(Oriental Publishers & Distributors)
CHOWK (Behind The Benares State Bank Head Office)

Post Box No. 1069
VARANASI 221001
, Telephone : 323404

Second Edition

1992

Also can be had at
CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN
K. 37/117, Gopal Mandir Lane
Post Box No. 1129
VARANASI 221001
Telephone : 333431

CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN
38 U. A., Bungalow Road, Jawaharnagar
Post Box No. 2113
DELHI 110007
Telephone : 236391

समर्पणम्

स्युतिमात्रावशेषपस्वरूपायाः परमसौमान्यशालिन्याः
दिवद्वातधर्मपत्न्याः श्रीमत्याः गङ्गादेव्याः
पुण्यस्मृतौ समर्पितोऽयं कृति-
पुण्योपहारः

कर्तृपरिचयः

सारण्य (सारन) भण्डले पुण्ये प्रामे रिष्णुपुराभिधे ।
 जनिद्विपाठिनो लक्ष्मा रामादेवो विहारिण ॥
 न्यायवैशेषिके शुक्लात् सूर्यनारायणाद् गुरो ।
 वेदान्तान् श्रीहरिहरात् छृपालोक्य द्विवेदिन ॥
 श्रुत्वा, वादविद्मणी स विदितः केदारनाथ शृंगी,
 शून्याक्ष्यभ्रटगङ्गिते (२०४०) शुभतमे सबत्सर वैक्ने ।
 मार्गाख्ये शुभमासि वै सिवदने पूर्णत्वमाप्ते विधी,
 अन्थ हेतमचीकशत् सुखमनूदाचार्गवयोदयम् ॥

कर्तृरन्याः कृतयः

- | | | |
|---|---|----------------|
| १ | तर्कसप्रहन्यायबोधिन्या सस्कृत कला' व्याख्या | (प्रकाशिता) |
| २ | „ पदकृत्यस्य हिन्दी 'कला' व्याख्या | „ |
| ३ | „ दीपिकाया हिन्दी 'कला' व्याख्या | „ |
| ४ | साख्ययोगकोश (सस्कृते मौलिको ग्रन्थ) | (प्रकाशित) |
| ५ | न्रज्ञसूत्रविज्ञानामृतभाष्यम् (सटिष्पण सम्पादनम्) | (प्रकाशितम्) |
| ६ | जन्मान्तरवाद् (सस्कृते) | (अप्रकाशित) |

शुभाशीर्वादाः

परमहंसपरिव्राजकाचार्याभिनवशङ्कराचार्यणां ब्रह्मलीनानन्त-
थीकरपात्रस्वामिचरणानाम्—

अनन्तश्रीविभूषित १००८ श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज,
निगमबोधघाट, दिल्ली-६

षर्तमान सञ्चारस्थान, भागलपुर

दिनांक ५-४-१९६५

आत्मतत्त्वविवेक, परमभगवद्भक्त महापण्डित श्रीमदुदयनाचार्यका
सुप्रसिद्ध प्रथम है। वह सत्कृतभाष्यमें है तथा उसकी टीका भी सत्कृत-
भाष्यमें है। अतः सत्कृतभाष्या न जाननेवाले मनीषियोंके लिये इस
प्रथमें लाभ नहीं हो सकता था, यह घात खटकनेवाली थी। इस
कमीको दूर करनेके लिये राजकीय सत्कृत महाविद्यालय, भागलपुरके
दर्शनविभागके प्राध्यापक ७० वेदारनाथविपाठीने हिन्दीमें इस प्रथकी
टीका लिखकर बहुत उपयुक्त कार्य किया है। टीका सरल और सुव्योध
होनेके साथ साथ रिष्ट्र भी है। इससे जिहासुओंको बहुत लाभ होगा।
इति शिवम्।

करपात्र स्वामी

प्राक्तिक्थनम्

सम्पूर्णीनन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य न्यायवैशेषिक-विभागा-
ध्यक्षपदं पुनस्तत्रैव कुलेपतिपदं चालडृक्तवतां नैयायिक-
शिरोमणीनां पण्डितगाज श्रीवद्रोनाथगुक्ल-
महाभागानाम्—

भारतवर्ष दार्शनिकज्ञानके प्रादुर्भावको प्रथम भूमि है। भारतीय ज्ञान मानव-जीवनके उन्नयन और संस्कार-परिवर्तनका एकमात्र अनिवार्य साधन है। दार्शनिकज्ञान ही वह परम औपद इह, जिससे मनुष्यके सब प्रकारके तापोंको निवृत्ति हो सकती है। यह वह प्रकाश है, जिससे मनुष्यके पोर आन्तर तमका निरास होकर उसके बास्तव दृग्भूतकी अभिव्यक्ति होती है। जिसके फलस्वरूप मनुष्य अनादिकालसे सञ्चित संकीर्णताओंसे मुक्ति पाता है। और अपने आपके सम्बन्धमें उसकी चिरप्रहृद वहुविध भान्तियोंका उन्मूलन होता है।

भारतका दार्शनिकज्ञान अनुसन्धाना विद्वानोंद्वारा कई राख्याओंमें विभाजित हुआ है। इस विभाजनको आस्तिक और नास्तिक दो श्रेणियोंमें प्रधानरूपसे समझा जाता है। आस्तिक, दार्शनिकज्ञानकी यह शाखा है, जिसमें आत्माके अभ्यन्तरकी पूरी प्रतिष्ठा की गयी है। इस शाखामें आत्माको नितान्त नित्य बताकर उसको सभी प्रकारकी भीतियोंसे मुक्त किया गया है। जैसे, न्याय और वैशेषिक दर्शनमें आत्मा नितान्त नित्य माना गया है। इसे कठीं और भोक्ता मानलेपर भी उसके नित्यत्वकी रक्षा इस मान्यताके आधारपर की गयी है कि कार्य और कारण, धर्म और धर्ममें अत्यन्त भेद है। इसीलिये आत्मा सुख-दुःख आदिका कारण और आधार होनेपर भी सुख-दुःख आदिके अनित्य होनेसे अनित्य नहीं हो पाता है।

सांख्य और योगदर्शनमें कार्य-कारणमें तथा धर्म-धर्मोंमें अभेद माना गया है। अतः उस मान्यताके अनुसार आत्मामें कार्य और अनित्य-धर्मके सम्बन्धसे अनित्यत्वकी आपत्तिग्राम भय था। किन्तु १ परिदारके लिए उस दर्शनोंने प्रकृतिको ही सभी कार्योंका कारण

और आग्नेयक धर्मोंका आधार मानकर आत्माको अकारण और अनाथ्य स्वीकार किया है। मीमांसादर्शनमें भी आत्माके नित्यत्वको सुरक्षाके लिए पूरी ढावस्था है। शाहूरवेदान्वदर्शनमें आत्माको कृष्टस्थ ब्रह्मसे अभिज्ञ मानकर उसकी नित्यतापर किसी प्रकारकी आँच न आने देनेका पूरा प्रबन्ध किया गया है। वेदान्तकी अन्य शाखाओंमें भी आत्माको पूर्ण नित्य बनाये रखनेकी पूरी सावधानी बरती गयी है। इस प्रकार आत्माको अभय घोषित करने और उस घोषणाकी पूरी रक्षा करनेके कारण ही दार्शनिकज्ञानकी ये सभी शाखायें “न्यायवेशेपिक, सांख्ययोग, मीमांसा-वेदान्त” आस्तिकदर्शनके रूपमें परिणित होती हैं।

वेदोंने आत्माको समझूपसे नित्य बताकर उसके अभयत्वका प्रतिपादन किया है। वेदकी इस मान्यताका परिपोषक होनेके कारण ही सभी आस्तिकदर्शनोंको वैदिक-दर्शनके रूपमें व्यवहृत किया जाता है। और इन दर्शनोंकी श्रेष्ठता तथा सर्वमान्यता के बल इसी कारण है कि ये आत्माको अभय बता इसे सभी प्रकारके कठिनसे कठिन कार्योंमें अप्रसर होनेकी प्रेरणा देकर मनुष्यको सर्वतोमुख विकासका अवसर प्रदान करते हैं।

यह विशेषता अर्थात् आत्माके अभयत्वकी सुरक्षा दार्शनिकज्ञानकी जिन शाखाओंमें नहीं हो पाती, उन्हें नास्तिक या अवैदिक-दर्शनशब्दसे अभिहित किया जाता है। जैसे, जैनर्शनमें आत्माको द्रव्य-पर्याय उभयात्मक माना गया है। द्रव्यदृष्टिसे उसमें शाश्वतता समव होनेपर भी अनित्य पर्यायोंकी अभिन्नताके कारण पर्यायरूपसे वह विनाशका प्रतियोगी होनेसे मुक्त न होनेके नाते सर्वात्मना अभय नहीं हो पाता है। बीदूदर्शनमें स्थैर्यको ही कोई मान्यता नहीं है, फिर उसमें आत्माकी नित्यता और निर्भयताकी समावना ही कैसे हो सकती है? इसके ‘सर्व’ क्षणिकम्’ इस दुन्दुभिनादके समक्ष आत्माकी नित्यता और अभयताकी ध्वनि मन्द पड़ जाती है।

जब बीदूदर्शनके चतुरस्र प्रसरी आत्मविरोधी मङ्गमावातसे आत्मा-के नित्य और निर्भय होनेकी शरणा डगमगाने लगी और मनुष्य शालिष्ठ अपनी नश्वरताकी आरोपित भावनासे भीत होकर चर्तव्यपक्षसे विमुख होने लगा, तब यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि मनुष्यको प्रथम दैवी-

संगत अभयसे कैसे सम्पन्न बनाया जाय। इस आवश्यकताकी पूर्तिके लिये ही भारतवर्षके महान् नैयायिक उदयनाचार्यने अनेक महनीय ग्रन्थोंकी रचना की। जिनमें आत्मतत्त्वविवेकरा प्रमुख स्थान है। इस ग्रन्थमें न्याय वैशेषिकदर्शनद्वारा अनुमोदित वैदिक आत्मसिद्धान्त-के ऊपर वीद्वदार्थनिकोंके मुख्य आक्षेपोंका निष्पक्षरूपसे उपचादन करते हुए उनका युक्तिपूर्ण निराकरण किया गया है।

किन्तु यह ग्रन्थ आचार्यकी संक्षिप्त और गूढ़ तथा पुरातन शैली एवं भाषामें निभद्ध होनेके कारण दुरुह है। जिस तत्त्वका ज्ञान मानवमात्र-के लिये उपयोगी हो, उसका सर्वज्ञनसवेच्य भाषाके माध्यमसे प्रतिपादन होना आवश्यक है। इसी हास्तिसे काशीहिन्दूविश्वविद्यालयके भू० प०, दर्शनविभागके अध्यक्ष, पण्डितप्रबार श्रीकेदारनाथत्रिपाठीजीने इस कठिन ग्रन्थको हिन्दीभाषाके माध्यमसे सुलभ बनानेका संकल्प लिया और इस कार्यको बड़ी कुरालतासे सम्पन्न किया।

आत्माकी जित्यता, वाद्यवस्तुके रूपमें मान्यता, ज्ञानादिगुणोंकी आश्रयता तथा प्रत्यक्षगन्यताके वाधकरूपमें वीद्वदार्थनिकोंने जिन वक्तों-को वहे आदम्यरसे प्रस्तुत किया था, उन सचोंके, श्रीत्रिपाठीजीने, मूल-प्रन्थोक्त उत्तरोंको अत्यन्त विशदरूपसे निरूपित किया है। त्रिपाठीजी की व्याख्यामें पूरे मूलग्रन्थका वर्कितः स्पष्टीकरण हुआ है, और व्याख्या में ऐसी सरणी एवं भाषाका उपयोग किया गया है, जिससे त्रिपाठीजी की यह छुटि एक नूतन रचनाका स्पष्ट आभास देती है। मैंने व्याख्याके अनेक भागोंको पूरी सावधानीसे देखा है, और त्रिपाठीजीको सर्वत्र सफल एवं मूलप्रन्थका मर्मज्ञ पाया है। इस व्याख्याकी रचनाके लिये श्रीत्रिपाठीजीजो मेरा हार्दिक धन्यवाद है और उनसे निवेदन भी है कि वे अभी और ऐसी रचनाओंद्वारा दरानके अध्येताओंको उपकृत करनेके प्रयासमें अनवरत लगे रहें।

बद्रीनाथ शुक्ल
१८, विदेशानन्दनगर,
शाराणस्थी

श्रीगणेशाय नमः

प्रस्तावना

दिव्यदूषलेन्दुमालं गरलगलमलङ्घातिगाङ्गामुमालम् ,
च्यालालिरिनष्टवदःस्थलममलवपुर्लग्नमस्माप्लेम् ।
गौरीवामार्धरूपं त्रिनयनमपरैरन्तराराध्यमानम् ,
तूर्णमीष्टप्रदं तं दुरितभरहरं शङ्कर सस्मरामः ॥

न्यायशास्त्रकी प्रशस्ति एवं इसकी परम्परा

श्रुतिसे लेकर स्मृति-पुराणपर्यन्तने न्यायविद्याकी अन्यतम विद्याके रूपमें प्रशस्ता थी है । मुण्डकोपनिषद् के प्रथम मुण्डकमें आया है— “द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चेवापरा च । तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेद शिक्षा कल्पो छ्याकरण निरुक्त धन्दो व्योतिप्रिति । इतिहासपुराण न्यायो मीमांसा धर्मशास्त्राणीत्यपरा” इति । अर्थात् शिक्षा कल्प आदि अहसहित उपनिषद् गर्भ धारो वेद परविद्या हैं । तथा न्यायादि-उपाङ्गसहित वेदोपबृहणसमूप इतिहास-पुराण अपरविद्या हैं । उक्त श्रुतिमें न्यायशब्दका उपादान न्यायशास्त्रके लिये है । मीमांसा और धर्मशास्त्रके भी न्यायशब्दवाच्य होनेपर भी उन दोनोंका साक्षात् उल्लेख होनेसे उक्त श्रुतिमें न्यायशब्दवाच्य न्यायशास्त्र ही है ।

पद्मपुराणके उत्तरत्र्यण्डमें उल्लिखित है—

“कणादेन तु सम्प्रोक्त शास्त्र वैशेषिकं महत् ।

गोवमेन तथा न्याय सार्थं तु कपिलेन वै ॥”

(प० पु० ड० र० अ० २६३)

मनुने कहा है—

“अङ्गानि वैदाश्वत्यारो मीमांसा न्यायविस्तर ।

पुराण धर्मशास्त्रं च विद्या होताश्वर्दश ॥”

याज्ञवल्क्यका भी वचन है—

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिता ।

वेदा स्थानानि विद्यार्ना धर्मस्य च चतुर्दश ॥

(या० स्म० अ० १ श्लोक ३)

बिष्णुपुराणमे भी उल्लिखित है—

अज्ञानि अत्युरो वेदा मीमांसा न्यायविस्तरः ।

पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ष्टोताशतुर्दश ॥

(वि० पु० अ० ३ अ० ६)

यहाँ ‘न्यायविस्तर’ शब्दसे न्यायको प्रधान घनाकर वैशेषिक, सांख्य और योगशास्त्रका महण किया गया है ।

आपं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना ।

यस्तकेणानुसन्धते स धर्मं वेद नेतरः ॥

(म० स्म० अ० १२ श्लो० १०६)

इस 'मनुवचनमें तर्कशब्दको तर्कनिरूपक न्यायशास्त्रका महण है । मनुने आन्वीक्षिकीको आत्मविद्यशब्दसे भी कहा है, जैसे—

त्रैविद्येभ्यष्ठयीं विद्या दण्डनीति च शाश्वतीय् ।

आन्वीक्षिकीं चात्मविद्या चार्वारम्भाश्च लोकत् ॥

(म० स्म० अ० ७ श्लो० ४३)

तर्कका ही दूसरा नाम आन्वीक्षिकी है । आमरकोशमें कहा है—

“आन्वीक्षिकी दण्डनीतिर्तर्कविद्याऽर्थशास्त्रयो” ।

एव “आन्वीक्षिकी त्रयी यार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती”

इस वचनद्वारा प्रतिगादित चतुर्विध विद्याओंमें भी आन्वीक्षिकी न्यायविद्या ही है, ऐसा जयन्तभट्टने न्यायमञ्जरीमें कहा है । “प्रत्यक्षागमागमग्निशिहस्रान्वीक्षणमन्वीक्षण चतुर्मानमित्यर्थः, तदव्युत्पादकशास्त्रमान्वीक्षिच्य न्यायशास्त्रमित्यर्थः ।

(न्यायमञ्जरी पथमसूत्रावतरणिका)

इस प्रकार विद्याओंके बारे भेद हों, या चतुर्दश भेद हों, या अष्टादश भेद हों, सर्वथा न्यायशास्त्रनिवेश होनेसे इसकी महत्ता प्रकट होती है । इसीलिये एकेशोपाध्यायने भी उत्त्वचिन्तामणिपन्थके

प्रारम्भमें “अथ जगदेव दुःखपक्षनिमग्नमुद्धीपुरष्टादशविद्यास्थाने-
चभ्यहिंतमामान्वीक्षिकी परमकारणिको मुनि: भणिनाय” ऐसा कह
कर न्यायविद्याकी महत्त्वा बताई है। इसमें स्पष्ट है कि आदिकालसे
यह आन्वीक्षिकीविद्या चेहरे की तरह अभ्यहिंत होती आ रही है।

यद्यपि न्यायसूत्रकारने इस शास्त्रका प्रयोजन आत्यन्तिक दुःखो-
परमरूप नि थेयस धराया है—जैसे, “प्रमाण प्रमेय सशाय प्रयोजन दृष्टान्त-
सिद्धान्तावयव तकं निर्णय धाद् जर्ज्ज वितण्डा हेत्याभ्युसच्छल जाति-
निप्रहृस्थानानां तत्त्वज्ञानान्तिथ्रेयसाधिगमः” (न्या० द० १११) ।
किन्तु भाष्यकार यात्यायनने तो यहाँ तक कह दिया है कि बुद्धिमानोंका ऐसा कोई भी प्रयोजन नहीं है, जिसे प्राप्त करानेमें आन्वीक्षिकीविद्या उपयोगी न हो। उन्होंने स्पष्ट कहा है—“सेयमान्वीक्षिकी विद्या—

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपाय. सर्वकर्मणाम् ।

आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योदेशे प्रकीर्तिंता ॥

अर्थात् यह न्यायविद्या सभी विद्याओंका प्रदीप है। जैसे प्रदीप-
द्वारा प्रकाशित वस्तुसे हम अपना व्यवहार सम्बादित करते हैं, वैसे ही
न्यायविद्याद्वारा प्रतिपादित प्रमाणकी सहायतासे ही इतर विद्यायें
अपने अर्थतत्त्वोंके निरूपणमें प्रवृत्त होती हैं। इस प्रकार न्यायविद्या-
का यह महत्वपूर्ण योगदान है कि मीमांसा-वेदान्तादि विद्याओंके लिए
यह विद्या प्रमाणरूप साधन प्रस्तुत करती है। इसीलिये इसे प्रमाण-
शास्त्र भी कहा जाता है।

एवं समस्त विद्याओंद्वारा प्रतिपादय अग्निहोत्रसे लेकर कृषि-
पर्यन्त सभी कर्मोंमें आन्वीक्षिकी उपायभूत है। क्योंकि विद्याओंमें
आये पदोंसे जिसरूपमें अर्थकी अवगति होती है, उत्तेमात्रसे
बुद्धिमानोंको परिवेष नहीं होता है। कारण, “आदित्यो ये यूपः”
इस श्रुतिवाक्यमें कही गयी यूपकी आदित्यरूपताको बुद्धमान् व्यक्ति
स्वीकार नहीं कर सकता। इसीलिये सशाय परीक्षा और प्रमाणोंके
विनिवेशद्वारा वास्तविक अर्थको समझ कर ही अनुमान या परिहारेतु
उसमें श्रुतिका विनायाग होता है। इसी तरह दण्डनीति और वाकी-
शास्त्रमें भी प्रमाणोंके विनियोगद्वारा आन्वीक्षिकीकी उपयोगिता समझनी
चाहिये। अतः “व्यायः सर्वकर्मणाम्” यह कथन भी यथार्थ है।

महाभारतके मोक्षधर्मप्रकरणमें कहा गया है—

तत्रोपनिषद् वात । परिशेष तु पार्थिव ।

मध्नामि मनसा तात । दृष्ट्वा आन्वीक्षिकीं पराम् ॥

अर्थात् उपनिषदों का रहस्यार्थग्रोध भी उल्लङ्घ आन्वीक्षिकीके आधारपर ही सम्भव है ।

आचार्य कामन्दकने भी लोकसस्थितिके हेतुभूत चार विद्याओंमें आन्वीक्षिकीको प्रथम स्थान दिया है । जैसे—

आन्वीक्षिकी त्रयी धारा दण्डनीतिश्च शाश्वती ।

विद्याव्यतम् एवेता लोकसस्थितिहेतव ॥

अर्थात् आन्वीक्षिकीविद्या लोकसस्थितिका मुख्य हेतु है ।

इसी आन्वीक्षिकीको अध्यात्मविद्याके रूपमें दत्तात्रेयने अल्क एव प्रह्लाद आदिको बताया था ।

(द्रष्टव्य—श्रीमद्भाषुपुराण १ अ० ३ श्लो० १०, ११)

एव, सभी धर्मोंका आश्रयभूत भी आन्वीक्षिकी है । क्योंकि विहित कर्ममें प्रवर्तना वथा निपिद्ध कर्मोंसे निवर्तना विद्याओंका धर्म है । यज्ञ आदि कर्ममें साध्य साधन और इतिकर्तव्यता इन तीनोंका विधान होता है । इनमें किस अशमे प्रदून्ति करनी चाहिये, इसके परिज्ञानमें आन्वीक्षिकी - न्यायविद्या या तर्कविद्या सहकारी होकर उपकार करती है । जैसे, 'श्येनेनाभिचरन् यज्ञेत' यहापर साध्याश हिसामें श्रुतिका तात्पर्य है ? या साधन या इतिकर्तव्यताशमें ? एसा सशय होनेपर निर्णय किया जाता है कि साध्याश (हिसा) में श्रुतिका तात्पर्य नहीं हो सकता है । क्योंकि वैसा होनेपर "मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि" इस श्रुतिके साथ विरोध हो जायगा । अत साधनेतिकर्तव्यताशमें ही उक्त श्रुतिका तात्पर्य है, यह निर्णय आन्वीक्षिकीके द्वारा ही होता है । इससे स्पष्ट है कि न्यायविद्या सभी धर्म-कर्मोंका आश्रय भी है ।

इसी बातको जयन्दभट्टने भी न्यायमञ्चारीमें प्रकारान्तरसे उपपादित किया है । जैसे—

दुर्विक्षितहुतकांशलेशाचालिवानना ।

शक्या किमन्यथा जेतु वितण्डाटोपपणिङ्गता ॥

तदेवमुपदेष्टव्या पदार्था सशयादय ।

तन्मूलन्यायनिर्णयवेदप्रामाण्यसंविदे ॥
 तेनागमप्रमाणत्वद्वाराऽखिलफलप्रदा ।
 इयमान्वीक्षिकी विद्या विद्यास्थानेषु गण्यते ॥

अर्थात् वेदोंमा प्रमाणत्वसाधन आन्वीक्षिकीसे ही सम्भव है। एवं आगममें प्रामाण्यका घोष होनेपर ही इतर विद्यायें वेदोक्त विषयोंमें प्रवृत्ति करा सकती हैं। अतः विद्याओंमें आन्वीक्षिकी (न्यायविद्या) का विशिष्ट महत्त्व है, यह निविदाद है। “काणाद पाणिनीयश्च सर्वशास्त्रोपकारकम्” यह उक्ति भी एतन्मूलक ही है। यहाँ काणादपद न्यायवेशेपिक उभयपरक है।

न्यायशास्त्रकी परम्परा और उदयनाचार्य

पञ्चाश्यायी न्यायसूत्रोंके प्रणेता महर्षि अक्षयाद गोतम या गोतम थे। इनका नाम गोतम या गोतम दोनोंही मिलता है। महाकवि श्रीहर्षने ‘गोतम’ नामका ही उल्लेख अपने नैवधीयचरितमें किया है—

मुक्तये या शिलात्माय शास्त्रमूचे सचेतसाम् ।
 गोतमं तमवेत्यैव यथा वित्थ तथैव सः ॥

(नै० स० १७ श्लो० ७५)

एवं, नैयायिकशब्द विश्वनाथन्यायपञ्चाननद्वारा न्यायसूत्रवृत्तिके अन्तमें उल्लिखित—

“एषा मुनिप्रगतगोतमसूत्रवृत्तिः श्रीविश्वनाथकृतिना सुगमाऽल्पयर्णा ।”
 यह पद, तथा अपर वाचस्पतिके—

“श्रीवाचस्पतिमिश्रेण मिथिलेश्वरसूरिणा ।
 लिङ्गयते मुनिमूर्धन्यश्रीगोतममतं महत् ॥”

यह श्लोक भी न्यायसूत्रसारका ‘गोतम’ नाम होनेमें प्रमाण है। इनके आधारपर ‘गोतम’ नाम ही प्रतीत हीता है। जहाँ कहीं ‘गोतमसूत्र’ इत्यादि लिखा मिलता है, वहाँ “गोतमस्येवं गोतमम्” ऐसा हो सकता है। जैसे कगादके दर्शनको काणाददर्शन यहाँ जाता है। न्यायभाष्यके अन्तमें तथा न्यायवार्तिकके प्रारम्भमें अक्षयाद नामका भी उल्लेख हुआ है।

न्यायदर्शनकी प्रवृत्ति मुख्यतया प्रत्यक्ष-अनुमान-डिपमान एव शब्द-

प्रमाणोंके विवेचनद्वारा आत्मा आदि प्रमेयोंका वर्तवशान करा कर नि प्रेयसकी प्राप्ति करानेके लिये हुई है ।

महापि गोतमका समय अतिप्राचीन है । इसमें अृति रमृति आदि प्रमाण हैं । मुण्डक उपनिषद् के प्रथममुण्डकमें द्विविध विद्याओंके प्रसङ्गमें “न्यायो मीमांसा पर्मशास्त्राणि” इस वचनद्वारा न्यायशास्त्रसा उल्लेख होनेसे उसके कर्ता गोतमका भी अतिचिरकालान्होना निविवाद है । यद्यपि मीमांसा और पर्मशास्त्र भी न्यायशब्दवाच्य होता है, तथापि उन दोनोंका पृथक् उल्लेख होनेसे यहाँ न्यायशब्द गातमकृत न्यायशास्त्रका ही वाचक है ।

पद्मपुराणमें लिया है—

वजादेन तु सम्प्रोक्त शास्त्र वैशेषिक महत् ।

तोत्तेन तथा न्याय साज्य तु करितन थे ॥

(पद्मपु० ३० रा० २६३ अ०)

स्कन्दपुराणके कालिघास्त्रणमें आया है—

गोतम स्वेन तर्केण रण्डयन् तत्र तत्र हि ।

(स्क० पु० का० रा० अ० १७)

उपर्युक्त प्रमाणोंसे निविवाद सिद्ध है कि महापि गोतमका समय अतिप्राचीन है ।

न्यायदर्शनके भाष्यकार वात्स्यायनका कालनिर्णय भी इदमित्य रूपमें करना कठिन है । न्यायवातिकारने उन्हें अक्षपादके तुल्य बताया है—

यदक्षपादप्रतिमो भाष्य वात्स्यायनो जगौ ।

अकारि महतस्तस्य भारद्वाजेन धार्तिकम् ॥

न्यायवातिकात्पर्यटीकाके प्रारम्भमें वाचस्पतिमिश्रने उहै “भावता पक्षिलस्वामिना” एसा सप्तमान उल्लिखित किया है । जिससे वात्स्यायनका दूसरा नाम पक्षिलस्वामी भी था, यह प्रमाणित होता है । वात्स्यायन मुनिकी चर्चा पद्मपुराणके रामाञ्चमेध प्रकरणमें हुई है, जैसे—

तत पर धराधार पृष्ठवान् भुजगेश्वरम् ।

वात्स्यायनो मुनिवर कथामेना सुनिर्मलाम् ॥

(प० पु० रा० अ० १)

इस प्रकार पुराणोंमें वात्स्यायनकी ओर होनेसे इनकी भी अतिप्राचीनता सिद्ध है ।

एवं, उनके न्यायभाष्यमें भी कोई ऐसा चिह्न नहीं दिखाई पड़ता है, जिससे उनके अर्बाचीन होनेकी सम्भावना की जाय । यदि भाष्यमें आत्मवादी, अनात्मवादी, आस्तिक, नास्तिक, सांख्ययोग, धृणिकवादी, भूतचैतनिकवादी तथा दशावयववादियोंके मतोंका उपन्यास होनेसे वात्स्यायनका अर्बाचीन कहा जाय तो उपनिषदादिकोंमें भी इन मतोंका उल्लेख होनेसे उपनिषद् भी अर्बाचीन हो जायेगी ।

भाष्यमें आये “दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सञ्चक्षते” इस वचनसे इनका अर्बाचीनत्व नहीं सिद्ध हो सकता है । क्योंकि आन्वीक्षिकीविद्याके एक होनेपर भी नैयायिक अनेक हैं । जैसा कि महाभारतमें लिखा है—

नैयायिकानां सुख्येन वरुणस्यात्मजेन च ।

पराजितो यत्र वादी विवादेन पराजितः ॥

किसीका कहना है कि दशावयववादीके रूपमें बौद्ध ही भाष्यकारके विवक्षित हैं । किन्तु यदि बौद्ध विवक्षित होता तो भाष्यकार उन्हें नैयायिकनामसे न कहते, बल्कि बौद्धनामसे ही कहते ।

कुछ आधुनिक विद्वान् “महाभूतसंक्षोभकः शब्दोऽनाश्रित इत्यस्तिधर्मको निरोधधर्मक इत्यन्ये” इस भाष्यवचन में आये ‘अ-ये’ पदसे बौद्धकी कल्पना करते हैं और कहते हैं कि ईसासे ४८७ वर्ष पूर्व चर्तमान बुद्धदेवके बाद ही वात्स्यायनभाष्यकी रचना हुई थी । किन्तु यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि वेद-धर्मशास्त्र पुराणोंमें जैसे अनेक आस्तिक-नास्तिकमतोंका उल्लेख होनेपर वे बुद्धके बाद नहीं माने जाते हैं, वैसे ही उक्त भाष्यवचनमें ‘अन्ये’ पदसे किसीका मत कहा गया होगा । क्योंकि बौद्धनामका वहाँ उल्लेख नहीं है । यह वात्स्यायार्तिकी भूमिकामें स्पष्ट है ।

कुछ आधुनिक तात्काल देमचन्द्राचार्यकृत अभिधानचिन्तामणिकोश-में लिखे—

वात्स्यायने महृगाः कौटिल्यश्चणकात्मजः ।

द्रामिडः पक्षिलस्यामी विष्णुगुप्तोऽद्गुलश्च सः ॥

इस श्लोकको देख कर कहने हैं कि न्यायभाष्यकर्ता वात्स्यायन चाणक्य

ही थे और उनका समय ईसासे ३२१ वर्ष पूर्व था । किंतु पुरुषोचम देवकृत प्रिकाण्डशेषकोशमें चाणक्यके पांच नाम विष्णुगुप्त कौण्डिन्य चाणक्य द्वामिल एवं अशुल बताये गये हैं । तथा बात्स्यायनके तीन नाम बात्स्यायन महिनाग और पञ्चिलस्वामी बताये गये हैं । जैसे—

विष्णुगुप्तस्तु कौण्डिन्यरचाणक्यो द्वामिलोऽशुल ।

बात्स्यायन। महिनागपञ्चिलस्वामिनावपि ॥ (प्र० को० भद्रावर्ग)
यह बात इसकी वुधमनोहरा टीकामें स्पष्ट की गयी है ।

एवं यायप्रन्थोंमें नैयायिकके रूपमें बात्स्यायनको छोड़कर चाणक्य या कौटिल्य आदि कोई अन्य नाम नहीं कहा गया है । अत प्रिकाण्ड-शेषकोशके टीकाकारका कथन ही प्रामाणिक प्रतीत होता है । ऐसी स्थितिमें हेमच द्वाचार्यने उक्त आठों नामोंको बात्स्यायनका नाम कैसे लिख दिया ? इसका कोई मूल नहीं प्रतीत होता है । विशेषरूपसे म० म० विन्द्येश्वरीप्रसादद्विवेदीकी न्यायवार्तिकभूमिकामें स्पष्ट है ।

यदि हेमचन्द्रके अनुसार चाणक्यका भी 'बात्स्यायन' नाम हो तो यह बात्स्यायन कोई और ही है, जिहोंने राजमन्त्री होनेके कारण एवं ही रीतिसे कामशास्त्र और अर्थशास्त्रका निर्माण किया और उसमें लौकिक विषयोंका सकलन कर दिया । साथ ही चाणक्य नैयायिक नहीं थे, यह सुनिश्चित है । अत न्यायमाध्यकर्ता बात्स्यायन चाणक्यसे भिन्न थे ।

किंतु बात्स्यायनने नागार्जुनके आचेषोंका निराकरण किया, इस प्रसिद्धिके अनुसार नागार्जुनके बाद बात्स्यायन सिद्ध होते हैं । बात्स्यायनके तर्कोंका प्रतिबाद वसुब्रह्म एवं दिल्लागने किया, निसके खण्डनमें आचार्य उद्योतकरने न्यायवार्तिकका प्रणयन किया । उद्योत करके तर्कोंका निराकरण उ वी सदीमें विद्यमान घर्मकीर्तिप्रस्तुति वीद्ध पण्डितोंने किया निनका उत्तर न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका लिख कर बाचस्पतिमिथने दिया । तदन तर ज्ञानश्री और रत्नकीर्तिने जो न्यायमतका खण्डन प्रस्तुत किया, उसका निराकरण श्रीउद्यनाचायने अत्यन्त प्रीढ़ताके साथ किया । इनके बाद नव्यन्यायकी धारा तर्ब चित्तामणिके कर्ता गङ्गशोगाध्यायसे प्रारम्भ होती है ।

इनमें यद्यपि बा स्यायनका भी ठीक ठीक समय निर्धारित कर पाना समव नहीं है, तथापि इनकी निवासभूमि मिथिला माल्दम पड़ती है ।

स्योंकि वारुद्धलका ददाहरण देते हुए इन्होंने “नवकम्बलोऽयं माणवको नेपालादागतः” लिखा है। (न्याय भा० अ०१ आ०२ सू०१२)। एव अपार्थकके चिचारमे “दश दाढिमानि पठपूषाः कुण्डमजाजिन पलल-पिण्डः” इत्यादि लिखा है। (न्या० भा० अ० ५ आ० २ सू० १०)। इसके अतिरिक्त २११३७ सू० के माध्यमे “नदी पूर्णा गृह्णेत” यथन किया है, तथा २११३८ सू० के भाष्यमे “पूर्वोदकावशिष्ट रलु वर्षोदक शीघ्रतरत्व स्रोतसो वहुतरफेनफलपर्णाप्रादिवहनम्” इत्यादि लिखा है। इन कथनोंके आधारपर इनकी निवासभूमि मिथिलाका समर्थन होता है।

वात्स्यायनके बाद उद्योतकराचार्य आते हैं। ये किस देशमें या किस कालमें हुए थे, इस विचारके अन्तर्गत कोई इन्हें काश्मीरनिवासी मानते हैं। क्योंकि किसी वातिकप्रन्थकी पुष्पिकामें “पाशुपताचार्यो- द्योतकरविरचितं त्यायसूत्रयातिद्धम्” ऐसा उल्लेख है। कोई तो न्याय- वातिककी पृष्ठसख्या ११० में उल्लिखित “गोपालकेन मार्गेऽपदिष्टे एष पन्थाः सुधन गच्छति” इस उदाहरणसे ये मालवप्रदेशान्तर्गत पद्मावतीमें जन्म लिये थे और थानेश्वर निवासी थे, ऐसा मानते हैं। क्योंकि पद्मावतीमें न्यायविद्याका वहुत प्रचार था। किन्तु भद्रामहोपाध्याय विन्ध्येश्वरीप्रसादद्विवेदीने इसका रण्डन कर सिद्ध किया है कि वार्तिकदार भी मिथिलाके ही निवासी थे। उनका कथन है कि न्यायसूत्रके रचयिता गौतममुनि, भाष्यकार वात्स्यायन, वाचस्पतिमिश्र, उदयनाचार्य, प्रकाशकार वर्धमानोपाध्याय ब्रभृति जब मिथिलानिवासी थे, तो उद्योतकराचार्य भी वहीके थे, काश्मार या मालवके नहीं हो सकते।

इनका काल वाचस्पतिमध्यसे बहुत पूर्वका है। क्योंकि वाचस्पतिमध्यने न्यायवातिकतात्पर्यटीकाके प्रारम्भमें—

“दृच्छामि किमपि पुण्य दुस्तरकुन्निपन्धपक्षमगतानाम् ।
उद्योतद्वरगवीनामतिजरतीना समुद्रणात् ।

ऐसा लिखा है। बासवदत्तार्थयाचिकामे भी “न्यायस्थितिमिवोद्योतकर-
स्वरूपाम्” ऐसा आया है। इन प्रमाणोंसे इसकी छठी सदी (४९०
से ५६० ई० के मध्य) इनका समय हो सकता है। ऐसा द्विवेदीजी

का निर्णय है । कारीस्थ गर्वनमेन्टसेक्सनलोजर्से न्यायशास्त्रके प्रधानाध्यापक सर्वत्रप्रस्त्रतत्र मेरे गुरुदेव श्रीसूर्यनारायणशुक्लनीने भी उद्योतकराचार्यका यही समय अपनी न्यायमन्त्रीभूमिकामें निर्धारित किया है ।

वाचस्पतिमिश्र—

सम्झूनवाहमयमें अनेक वाचस्पति हुए हैं । उनमें दो दार्शनिक वाचस्पति थे । उनमें एकसो आचायत्तमिश्र वाचस्पतिनामसे वथा दूसरेको पट्टदर्शनटीकाकृन् आचायत्तवाचस्पतिमिश्रनामसे प्रसिद्धि प्राप्त है । इनमें द्वितीय पट्टदर्शनारण्यनोपद्धानन आचार्य वाचस्पतिमिश्र हाँ न्यायविद्याकी महत्वपूण परम्पराम ऋषिकलर चतुर्थ महापुरुष थे । इहोन न्यायवार्तिकृतात्प्रयटीकाके अतिरिक्त न्यायसूचानिवन्ध न्यायकलिका या न्यायकणिका तत्त्वविद्यादु-ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा तत्त्ववेशारदी और ब्रह्मसूत्रशास्त्रभाष्यपर भामतीटीकाकी रचना थी थी । इसीलिये 'पट्टदर्शनटीकाकृन्' इस सम्मानोपाधिसे ये विभूषित हैं ।

आचार्य वाचस्पतिमिश्रके मिथिलादेशम उत्तर द्वानके सम्बन्धम विवाद नहीं है । यथा उहोन न्यायसूचीनिवन्धनामक प्राथमें—

न्यायसूचीनिवन्धाऽसावकारि सुधिया मुदे ।

श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्त्रकृवसु (८९८) वत्सर ॥

एसा लिख कर नवम शताब्दीके अन्तिम भागमें अपनो स्थिति प्रति पादित की है । ऐसे ही ब्रह्मसूत्र शास्त्रभाष्यकी भामतीटीकाके अन्तमे उन्होंने—

नरेश्वरा यच्चरितात्मुक्तारभिच्छद्वन्द्व कतु न च पारयति ।

तस्मिन् महाप भहनीयकीर्तीं श्रीमत्पृगेऽकारि मया निवन्ध ॥

एसा उल्लेख किया है । इससे उनका नृगराजाका समकालिक होना नि सदिग्ध है ।

तथापि न्यायसूचीनिवन्धकी रचनाका उक्त समय ८९८ वत्सर शक वर्ष है या विक्रमवर्ष है, यह सन्दिग्ध है । साथ ही नृग राजा कौन थे और उनका काल क्या था, यह भी विचारणीय ही है ।

महामहोपाध्याय विन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदी प्रभृति कुङ्ग विद्वान उक्त श्लोकमें वत्सरपदसे शकवर्ष लेते हैं । इसके अनुसार ८९८+

७८ = ९७६ ई० वर्षे न्यायसूचीनिवन्धका रचनाकाल होता है। अर्थात् इसाकी दशम शताब्दीके अन्तमें वाचस्पतिमिश्र थे। एवं ११०० शकवर्षमें वर्तमान हमीरराजाके समाप्तिण्डत श्रीदामोदरके पुत्र श्रीशाहंघरने नृगनुपतिठा निर्देश शार्दूलसहितमें किया है। इससे ११०० शकवर्षसे २०० वर्ष पूर्व ८५८ शकवर्षसे नृगराजाका और वाचस्पतिमिश्रका समय सिद्ध होता है। इसके अनुसार ७८ वर्ष जोड़नेपर ५७६ ई० वर्ष तथा १३५ वर्ष जोड़नेपर १०३३ विं संवत् वाचस्पतिमिश्रका समय आता है।

किन्तु उपर्युक्त द्विदेवी प्रभृतिके मतका विरोध करते हुए हा० गङ्गानाथमा प्रभृति अन्य यिद्वान् न्यायसूचीनिवन्धके उपसहारमें लिखे उक्त श्लोकमें उत्सर्पदसे विक्रमवत्सर मानकर वाचस्पतिमिश्रका समय (८५८—५७६ =) ८४९ ई० वर्ष निश्चित करते हैं। हा० कीथ एवं हा० बुद्धश महाशय भी हा० का के मतका ही समर्थन करते हैं। उभयपक्षका सम्यक् विचारकर श्रीउदयबीरशास्त्री भी ज्ञामतका ही समर्थन करते हैं। तथा श्रीद्विवेदी एवं महामहोपाध्याय हरप्रसादशास्त्रीके मतका खण्डन करते हैं।

मेरे विचारसे भी हा० ज्ञामा ही मतठीक प्रतीत होता है। क्योंकि उक्त निवन्धमें वर्षका नामोल्लेख न होनेसे सामान्यत प्रसिद्ध विं संवत् ही मानना उचित है। आज भी इसाका नाम लिये बिना केवल वर्षसंख्या १८५७, १९४२, १९४७ आदि लिख दिया जाता है, किन्तु प्रविद्विवशान् ई० वर्ष समझा जाता है। वैसे ही वहाँ प्रसिद्धिवश विक्रमसंवत् ही मानना चाहिये।

यह इसलिये भी उचित है कि यदि ८५८ शकवर्ष होता तो ६०६ शकवर्षमें वर्तमान उदयनाचार्य वाचस्पतिमिश्रके अत्यन्त समानकालिक हो जानेसे उनकी न्यायवार्तिकतालघर्यटीकापर तात्पर्यपरिशुद्धि कैसे लिपते ? याचस्पतिमिश्रलिखित ८५८ को विक्रमवर्ष माननेपर उदयनाचार्यका समय (१०६ शकवर्ष + १३५ =) १०४१ विक्रमसंवत् होनेसे वाचस्पतिमिश्रसे लगभग ढेढ सी वर्ष बाद उदयनाचार्यद्वारा तात्पर्यपरिशुद्धिका लिखना सर्वथा संगत होगा। मेरे गुरुदेव श्रीसूर्यमारायणशुक्लजीने भी न्यायमञ्चीकी भूमिहामें ९४१ ई० वर्ष ही वाचस्पतिमिश्रका समय निर्धारित किया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ 'आत्मतत्त्वविवेक' के रचयिता सुगृहीतनामधेय आस्तिरशिरोमणि श्रीमान् उदयनाचार्य दार्शनिकागगनमण्डलमें अत्यन्त तेजस्वी सूर्यके समान विराजमान थे । जिन्होंने न्याय लोक एवं आगमोंके ऊपर छाये प्रतिपक्षियोंके व्याघातरूप घोर अन्धकारको दूर कर मुक्तिके मार्गको प्रशस्त किया । ग्रन्थके अन्तमें उनकी यह उचित है— 'तदिदमुदयनेन न्यायलोकागमानां व्यतिहतिवधूय व्यक्तित धर्म मुक्ते' ।

उनकी प्रसिद्धि अनेक नामोंसे थी । उदयन, उदयनाचार्य न्यायाचार्यदियन, उदयकर या उदयाकार, उदयंकर एवं उदयनाचार्य भादुड़ी आदि । अपने 'उदयन' नामका उल्लेख उदयनाचार्यने स्वयं अपने वैशेषिकसूत्र प्रशस्तभाष्यकी क्रिणालीनामक व्याख्यामन्त्रमें किया है । "व्यातेने क्रिणावलीमुदयनः" । प्रस्तुत ग्रन्थके उपसंहार-श्लोकमें भी "तदिदमुदयनेन न्यायलोकागमानाम्" ऐसा उल्लेख किया है । कलकत्तामुद्रित "आत्मतत्त्वविवेक" के उपसंहार-वाक्यमें "इदमुदयकरेण न्यायलोकागमानाम्" ऐसा पाठ है । इसका उल्लेख महामहोपाध्याय विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदीने न्यायवार्तिककी भूमिकामें किया है । इस प्रगार उदयकर भी इनका नाम था । उदयनाचार्य या न्यायाचार्यदियन ऐसा विद्वानोद्वारा व्यवहृत नाम भी इन्हीं का है । किन्तु ईश्वरप्रत्यभिज्ञासूत्रमन्त्रमें देखा गया 'उदयाका रसुनुना' यह वाक्य किसी औरको उदयाकरनामसे अभिहित करता है, उदयनाचार्यको नहीं । "शब्देन्दुशोखरे ज्योत्स्नां प्रकरोत्युदयंकरः" श्लोकमें आया उदयंकर-नाम तो किसी अत्यन्त अर्धाचीनका है, यह सुतरा स्पष्ट है । उदयनाचार्य भादुड़ी भी प्रस्तुत उदयनाचार्यसे भिन्न थे । क्योंकि भादुड़ी बानुज्जी गाढ़गुली भादुड़ी आदि उपाधियों बहालसेनकी दी हुई हैं, जिनका समय "अद्युतसागर आदि ग्रन्थोंके आधारपर १०८५ शकाब्द था । जबकि उदयनाचार्यने लक्ष्मणावलीमें इसके निर्माणका काल ९०६ शकाब्द लिखा है । इस प्रकार उदयन उदयकर-उदयनाचार्य, एवं न्यायाचार्य-दयन यही नाम इनके वस्तुतः थे । (द्रष्टव्य—म० म० विन्ध्येश्वरीप्रसाद द्विवेदीकृत न्यायवार्तिकभूमिका पृष्ठ १५१-५२)

आत्मतत्त्वविवेकके रचयिता श्रीमान् उदयनाचार्य बङ्गदेशीय या 'दाक्षिणात्य नहीं थे किन्तु मैथिल थे, इसका स्पष्ट उल्लेख भविष्यपुराण-के परिशिष्टमें हुआ है । जैसे—

अथ वह्ये तृतीयस्य हरेंशस्य धीमतः ।
 उदयनाचार्यनाम्नस्तु माहात्म्य लोमहर्षिम् ॥१॥
 भूत्वा स मिथिलायान्तु शास्त्राण्यध्येष्ट सर्वशः ।
 विद्येषतो न्यायशास्त्रे साक्षाद् वै गोतमो मुनिः ॥२॥
 वीद्यसिद्धान्तमुग्धान्तं सुखाय हितकारिणोम् ।
 वितेने विदुपां प्रीत्ये विमलां किरणायलीम् ॥३॥
 मिथिलामाजगामाशु निजमन्दिरमुत्तमम् ।
 तत्र शिष्योपशिष्येष्ट सेवित परमादरात् ॥४॥
 अध्यापयामास मुहुः सर्वशास्त्राणि यत्नतः ।
 अधीत्य तस्मादाचार्याद् येदशास्त्राणि सर्वशः ॥५॥
 धर्मं संस्थापयामासुदेशेऽतिपिण्डिताः ।
 अथापि मिथिलायान्तु तदन्वयभवा द्विजाः ॥६॥
 एवं सोदयनाचार्यो वभूव पृथिवीतते ॥८॥ इत्यादि ।

(भविं पु० परि० भगवद्भक्तमाहात्म्य अध्याय ३०)

इस प्रकार स्थूलरीतिसे उदयनाचार्यके देश-काल एवं स्थितिका निर्णय होता है । सूहमरीतिसे तो उनके कालका निर्णय उनकी लक्षण-यलीके अन्तिम श्लोकसे होता है । वहाँ उदयनाचार्यने स्वयं उल्लेख किया है— तर्काभ्वराङ्गुप्रभितेष्वतीतेषु शकान्ततः ।
 वर्षेषु उदयनके सुबोधां लक्षणावलीम् ॥

इस श्लोकके अनुसार ९०६ शकवर्षमें उदयनाचार्यकी स्थिति थी, यह निश्चित होता है । यह समय ई० वर्षके रूपमें १८४ वा वर्ष होता है । अर्थात् ईसाकी दसवीं शताब्दीके अन्तिम भागमें उदयनाचार्यकी स्थिति थी ।

एवं, नेपधीयचरितकी एक टीका १७२ शकवर्षमें लिखी गयी थी, यह बात भी—

“युग्माश्वाद्कैर्निरुक्ते शकनृपतिसमे कान्यकुञ्जेश्वरस्य ,
 आदेश प्राप्य यत्नान्नालचरितमहाकाव्यटीकां व्यधस्त ।
 सूरिर्भूदेवसंहो दिनमणितनयः कूर्मपूर्वागजन्मा ,
 तुष्यात् तेनान्वरात्मा त्रिभुवनजनकोमापतिश्रीमहेशः ॥”

से प्रमाणित है ।

इस टीकाके निर्माणकालको ध्यानमें रखते हुए यह निश्चित होता

है कि नैपथ्यकाच्चयके प्रणेता थीहर्ष ९७२ शकवर्षसे पूर्णमें थे। और इन्होंने रण्डनखण्डखाद्यमें उदयनाचार्यकी “शक्तु चेदनुभासत्येव” इस कारिकाके उद्धरणके साथ न्यायमतका रण्डन किया है। इससे भी पूर्ण है कि उदयनाचार्यका ९०६ शकवर्ष काल माननेमें कोई भी अनुपत्ति नहीं है।

उदयनाचार्यने न्यायविदितत्परिशुद्धिमें लिखा है “प्रपञ्च-होऽय न्यायकुसुमावजलाविति” (न्या० द० अ० २ आ० २)। एव, वहीं अ० ३ आ० १ में “विद्यासन्ध्योदयोद्वेषात्” इत्यादि श्लोक लिखा है, जो किरणावलीके प्रारम्भमें भी है। एव “अपसिद्धान्तस्तु यथा विरोधादुभिद्यते तथा तत्रैव वद्यते, शेष परिशिष्टे” यह लिपकर “न्याय-परिशिष्ट” प्रन्थका उल्लेख किया है। किरणावलीमें “वित्तरस्तु न्याय-कुसुमावजलावात्मतत्त्वविवेके चानुसन्धेय” ऐसा लिखा है। सात्पर्य-परिशुद्धि और किरणावलीमें लिखा ‘विद्यासन्ध्योदयोद्वेषात्’ इत्यादि श्लोक लक्षणावलीमें भी है।

उपर्युक्त लेखोंसे यह निर्विगद सिद्ध है कि न्यायकुसुमावजलि आत्मतत्त्वविवेक किरणावली न्यायविदितत्परिशुद्धि—न्यायपरिशिष्ट और लक्षणावली ये छहों पन्थ उदयनाचार्यके ही लिखे हैं। न्याय परिशिष्टनामक न्यायसूत्रवृत्तिका ही अन्य नाम प्रबोधसिद्धि वोघशुद्धि है, यह बात श्रीवरदराजाचार्यने ताकिंकरक्षामें निरूपित की है।

उपर्युक्त प्रन्थोंमें सबसे पहले आत्मतत्त्वविवेक लिखा ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि उसके ईश्वरसिद्धिप्रसङ्गमें न्यायकुसुमावजलिके प्रसङ्गोंका कुछ भी सवेत नहीं है। उसके बाद कमशा न्यायकुसुमावजलि, परिशिष्ट, तात्पर्यपरिशुद्धि, किरणावली, अनन्तर लक्षणावली लिखी गयी, ऐसा प्रतीत होता है।

त्रिदण्डवेदान्तियोंका कहना है कि उदयनाचार्यने आत्मतत्त्वविवेकके अन्तमें “अत एव त्रिदण्डवेदान्तमतोपसद्वार” ऐसा लिखा है। तथा रामानुजाचार्यके बाद ही त्रिदण्डवेदान्तियोंका मत प्रचलित होनेसे रामानुजाचार्यके बाद ही उदयनाचार्यकी स्थिति सिद्ध होती है। ‘प्रपञ्चगृह’ प्रन्थके आधारपर रामानुजाचार्यका स्थितिकाल १०१२ शकवर्ष था। अत लक्षणावलीप्रन्थमें प्रतिपादित ९०६ शकाब्दमें उदयनाचार्य की स्थिति सम्भव नहीं है।

एवं, किन्तु उक्त कथन ठीक नहीं है। क्योंकि रामानुजाचार्यसे भी वहुत पहले टङ्क-द्रमिण-गुहदेव-भारुचि आदि विशिष्टाद्वैतवादी आचार्य थे। जिनके सम्बन्धमें 'एकदण्डी विदण्डी वा' ऐसा मनुने स्मरण किया है। इसलिए त्रिदण्डवेदान्तमत भी अत्यन्त प्राचीन था और उसीका उल्लेख उदयनाचार्यने किया है।

सुरेश्वराचार्यने वृहदारण्यकातिस्के ब्राह्मण ५ अध्याय ६ में "सत्त्रिदण्डवत्" ऐसा उल्लेख किया है। इससे निश्चित होता है कि राङ्कराचार्यके परवर्ती वाचस्पतिगिश्रके और उनके भी परवर्ती उदयनाचार्यके द्वारा त्रिदण्डमतका उपन्यास होनेमें कोई अनुपपत्ति नहीं है।

यदि विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायको पूर्वोपेक्षया अधिकाधिक लोकविध्वृत करनेवाले अद्वितीय आचार्य श्रीरामानुजाचार्यको ही आधार मानकर उदयनाचार्यने आत्मतर्तवविवेकमे "त्रिदण्डमतोपसहारः" लिखा है, ऐसा त्रिदण्डवेदान्तियोंका आप्रह हो तो भी उदयनाचार्यकी ९०६ शास्त्रवर्षमें स्थितिका सामन्वजस्य किया जा सकता है। जैसे—१०१२ शास्त्रवर्षपर्यन्त १२० वर्षोंकी परमायुक्ते प्राप्त रामानुजाचार्यका जन्मकाल (१०१२—१२०=) ८९२ शास्त्रवर्ष सिद्ध होता है। लक्षणावलीके अनुसार सर्वमान्य ९०६ शास्त्रवर्षके बाद भी उदयनाचार्यकी स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थितिमें ९०६ शास्त्रवर्षमें और उसके बादमें भी चर्तमान उदयनाचार्य "त्रिदण्डमतोपसहारः" ऐसा उल्लेख कर सकते हैं। अतः उदयनाचार्यकी ९०६ शास्त्रवर्षमें स्थिति होनी सर्वथा प्रामाणिक है।

किसीके अनुसार उदयनाचार्य १०२९ शास्त्रवर्षमें अवस्थित लद्मण-सेनकी समायें थे। क्योंकि गोवर्धनाचार्यने शृङ्गारसमशतीके अन्तमें लिखा है—

उदयनत्रलभद्राभ्या सत्प्रशती शिष्यसोदराभ्या मे ।

द्युरिव रविचन्द्राभ्यां प्रकशिता निर्मलीकृत्य ॥

यहाँपर आनन्दपण्डितने इसकी व्याख्यामें उदयनका अर्थ उदयनाचार्य किया है। तथा गोवर्धनाचार्य राजा लद्मणसेनके पञ्चरत्नोंमें थे। जैसा कि "पञ्चरत्न" प्रथमें कहा है—

रुयातो गोवर्धनाचार्यं उमापतिघरस्तथा ।

शरणो जयदेवश्च धोयी कविनृपं क्रमात् ॥

यहाँ लक्ष्मणसेनकी सभामें गोवर्धनाचार्यके रहनेसे उनके शिष्यका उस कालमें रहना सुतरा सिद्ध है। किन्तु १०२९ शकवर्षके निकटमें अथवा उसके बादमें १०६ शकवर्षमें वर्तमान उद्यनाचार्यका रहना असम्भव होनेसे लक्ष्मणसेनकी सभामें वर्तमान गोवर्धनाचार्यके शिष्य उद्यनाचार्य कोई अन्य ही उद्यनाचार्य थे। ऐसा मानना चाहिये।

एवं, १३०० शकाब्दमें वर्तमान जयदेवरचित गीतगोविन्दके टीकाकार उद्यनाचार्य भी कोई अन्य ही थे। क्योंकि १०६ शकवर्षके साथ उक्त शकाब्दका विरोध स्पष्ट है। इसलिए १०६ शकवर्ष उद्यनाचार्यका स्थितिकाल सर्वथा असंदिग्ध है।

श्रीउद्यनाचार्य परममगवद्गुरुं एव आस्तिकशिरोमणि थे। इसके सम्बन्धमें भविष्यपुराणके परिशिष्टमें निम्नलिखित वर्णन हुआ है—

एक समय कोई बौद्धाचार्य अपने शिष्यों सहित बौद्ध सिद्धान्तोंको प्रकट करनेके उद्देश्यसे तिरहुत (भिधिला) के राजदरबारमें पहुँचा और अहङ्कारके साथ अपने एक शिष्यको दूतके रूपमें राजाके पास इस सन्देशके साथ भेजा कि जाओ और मेरे शब्दोंमें भिधिलेशको कहो कि हे राजन्। आप वेदशास्त्रोंसे व्यर्थ ही भ्रममें पड़े हो। मेरे शास्त्रको देखो और मेरे भागका अनुगामी बनो। यदि इस प्रदेशमें कोई व्यक्ति वेदमतकी स्थापना कर सकनेवाला हो तो उसे बुलवाओ कि वह मेरे साथ विचार करे। राजाने बौद्धाचार्यके दूतकी उस बातको सुनकर कहा कि जाओ, अपने गुरुसे कहो कि मैं भ्रममें हूँ या वह भ्रममें हैं, यह निश्चय करना बहुत बड़ी बात है। कल प्रात् सभामें आओ, उसमें व्यक्त हो जायगा। यह सुनकर वह दूस राजाके कथनको अपने गुरुसे निवेदित किया।

राजाने तत्काल प्रदेशके बहुत पण्डितों को, जिनमें उद्यनाचार्य प्रमुख थे, बुलाकर कहा। अहो, अत्यन्त विद्वान् नास्तिकका इस राज में आगमन हुआ है, इनके साथ आप लोग शास्त्रार्थ करें। यदि वह जीत जाते हैं तो मैं और आप सभी उनके मरतके अनुयायी हो जायेंगे। यदि आप सबकी विजय होती है, तो मैं आप सबकी सेवा करूँगा, इसमें सशय नहीं है। यह सुन सभी विद्वान् मौन रहे किन्तु उद्यना-

चार्यने राजासे कहा—ठीक कहते हो, विन्तु मेरी बात सुनो । मनुष्य की जय या पराजय तो हरिकी इच्छाके अधीन है । यथाशक्ति हम विवाद करेंगे, आप चिन्ता छोड़कर हमारे पराक्रमको देखो । दूसरे दिन राजदरबारमें उपस्थित होकर राजाने सभी विद्वानोंको और उस वौद्धाचार्यको भी दुलाकर कहा कि आप दोनों (उद्यनाचार्य एवं वौद्धाचार्य) का मेरे समक्ष विचार हो । राजाके निर्देशानुसार बहुत दिनों तक उन दोनोंका भारी विवाद चला रहा । तब वौद्ध विद्वान् ने उद्यनाचार्यसे अपनी पराजयको समझते हुए आरचर्य करानेवालों अपनी माया फैलायी और राजासे बोला—

शालग्रामकी शिलामें इनके मतमें भगवान् वस्तुत स्थित हैं । उसे मगावें, मैं अपने मदसे उसे परिणित कर देता हूँ । यदि यह शिला जलवत् होकर अहश्य हो जाती है, तो मेरा कथन सत्य होगा । यदि उद्यनाचार्य उसे जलवत् करके पुन शिला ऊँ व्यक्तकर देंगे तो इनका भी मत मैं सत्य मान लूँगा । इसमें सराय नहीं है ।

राजाने उद्यनाचार्यकी तरफ देखा और बोले कि यह वौद्धाचार्य क्या कह रहे हैं । इसपर उद्यनाचार्य अत्यन्त हृषित हुए और बोले कि यद्यपि यह इनकी माया है, तथापि मैं इसे स्वीकार करता हूँ । मैं माया भी जानता हूँ, किन्तु एक बात मैं भी कहता हूँ कि शिलाके बेसा हो जाने पर सभासद् लोग भ्रमसे यही कहेंगे कि दोनोंका मत सत्य है । इसलिये कौन सत्य है और कौन मिथ्या है, इसके निर्णयके लिये मैं एक शर्त प्रहता हूँ । यदि उसे यह स्वीकार करेंगे तो मैं भी अपनी प्रतिज्ञाको पूरी करूँगा । तब राजाने वौद्धाचार्यकी ओर देखा । वौद्धाचार्यने कहा कि मैं इनकी शर्त मानूँगा ।

दोनोंकी बात सुनकर एक सुदृढ़ शालग्रामकी शिलाको मँगाया और उसे एक पवित्र सोनेकी थालीमें रखवाया । तब उक्त वौद्धने अपने मतको प्रतिपादित किया । तबन-तर क्षणमरमें यह शिला जल बन गयी और अग्रिम क्षणमें ही यह तिरोहित हो गयी । सबके समक्ष यह अद्भुत कार्य हुआ । उसके बाद उद्यनाचार्यने वौद्धमतका रणज्ञन करते हुए अपना मत कहा । तत्काल यह जल प्रकट होकर अग्रिम क्षण में ही यह जल पुनः शिला बन गया ।

तदनन्तर राजा आदि सभीने साधु साधु कहते हुए उद्यनाचार्यकी प्रशसा की । किन्तु आचार्य ने कहा—इनका भी मत जब स्थित ही है तो यह मेरी प्रशसा किसी ? इसलिये अब जो मैं कहता हूँ, उसे बौद्धाचार्य करें ।

ऐसा कह कर बौद्धाचार्यको कहा कि—मैंने आपके कथनानुसार कर दिया । किन्तु किसका मत सत्य है और किसका मिथ्या है ? इसके निश्चयके लिये जो मैं कहता हूँ, राजा के समझ करें ।

यह अतिविशाल तालका वृक्ष दरवाजेपर स्थित है । उसपर चढ़कर हम दोनों ऊपरसे गिरें । “वेदाः प्रमाणम्” यह कह कर मैं और “वेदा. अप्रमाणम्” यह कह कर आप ऊपरसे गिरना । हम दोनों साथ-साथ तालवृक्षसे गिरेंगे । दोनोंमें जो जीवित रहेगा, उसका मत सत्य होगा और उसे सभी लोग स्वीकृत करेंगे । उद्यनाचार्यके इस वचन-को बौद्धाचार्यने भी स्वीकार कर लिया ।

तब राजाने उन दोनोंसे कहा कि प्राणान्त करनेवाली यह परीक्षा ठीक नहीं है । इसलिये आप दोनों इस विचारको छोड़ दें । राजाके इस वचनको सुनकर उद्यनाचार्यने उहा कि इसमें कोई दोष नहीं है । हम शास्त्रके प्रति भक्तिसे अपनी रुचिसे ऐसा करेंगे और तुम मेरे या इनके किसी एकके मर जानेपर उसके मतको छोड़कर जीवित रहे हुए के मतको स्वीकार कर लेना ।

ऐसा सुन कर राजाने बौद्धाचार्यकी ओर देखा । उन्होंने भी ऐसा ही कहा । राजाने भी प्रतिज्ञा की । तब उद्यनाचार्य एवं बौद्धाचार्य दोनों उस महावृक्षपर चढ़कर अपने-अपने मतको बोलकर पृथिवीपर गिरे । उद्यनाचार्य “वेदा प्रमाणम्” कह कर और बौद्धाचार्य “वेदा: अप्रमाणम्” कह कर गिरे । उद्यनाचार्य वेदोंसे सुरक्षित होकर वेद और हरिका स्मरण करते हुए पृथिवीपर खड़े हो गये । किन्तु बौद्धाचार्यका ऊपरसे गिरते ही प्राणान्त हो गया । यह महान् आश्र्य देख कर राजा आदि सभीने आचार्यको बार-बार नमस्कार कर उनकी प्रशसा की । उसके अनन्तर राजाने वेदशास्त्रको सत्य मानकर उसे अपने राज्यमें स्थापित किया और धैदिक आचारमें निरत हो गये तथा राज्यके सभी बौद्ध उपासक आस्तिक हो गये ।

पुन एकवार उद्यनाचाय भगवान् जगन्नाथका दर्शन करनेकी इच्छासे पुरी गये । वहाँपर मार्कण्डेय हृषि आदि सीर्थजलसे स्नानकर मन्दिरके द्वारपर आ गये । भगवान्‌के दर्शनहेतु जब मन्दिरके भीतर प्रवेश करना चाहे तो अपने आप कपाट बन्द हो गया । यह देखकर उद्यनाचार्य दूसरे द्वारपर गये, वहाँ भी बैसा ही हुआ । सीसरे द्वारपर जानेपर भी बैसा ही हुआ । तब आचार्य चतुर्थ द्वारपर जाकर मन्दिर में जानेको तत्पर हुए । किन्तु उस कपाटको भी बन्द देखे ।

इस कीर्तुको देखकर वे सभी जन खड़े रहे । किन्तु उद्यनाचार्य जी मुखुराते हुए बोले—

जगन्नाथ ! सुरक्षेष्ठ !

ऐश्वर्यमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वर्त्तसे ।

उपस्थितेषु बौद्धघेषु मदधीना तव स्थिति ॥ ६८-६९ ॥

(भविं पु० परिशिष्ट अ० ३०)

इतना कहते ही तुरन्त सभी बन्द कपाट खुल गये । जगन्नाथके सभी पुजारी चकित हो गये तथा आदरपूर्वक उद्यनाचार्यको ले जाकर मन्दिरमें भगवान् जगन्नाथका दर्शन कराये । उद्यनाचार्यने भगवानका दर्शन, पूजन और स्तुति करते हुए वहाँ कई रात निवास किया । तथा भगवानने स्वप्रमे पूजारियोंसे कहा कि मेरा उत्कृष्ट पीताम्बर उद्यनाचार्य को दो, वह मेरा अत्यन्त प्रिय है और मेरा ही अश है, इसमे सन्देह नहीं है । बोद्धसिद्धान्तवादियोंद्वारा तिरस्कृत होनेपर इसने ही मुझे कायम रखा है । तब प्रात उठ कर पुजारीजन जगन्नाथकी आज्ञासे उनका पीताम्बर लाफर आचार्यको दे दिये । आचार्यने उस प्रसादको शिरोधार्य बर लिया । और प्रसाद प्राप्त कर मिथिलामे आ गये । और वहाँ सर्वशास्त्रोंको पढाने लगे । बहुत समयके बाद वृद्ध हो काशी आफर कुछ दिन रहकर उन्होंने मणिकणिकामे ब्रह्मनालमें लीला-पूर्वक प्राणत्याग कर दिया । इस प्रकार उद्यनाचार्य धर्मकी स्थापना तथा नास्तिक्यकी निवृत्तिके लिये पृथिवीपर अवतरित हुए थे ।

(भविं पु० परिशिष्ट अ॒४०)

प्रस्तुत पुस्तक आत्मतत्त्वविदेका अनुयाद करने एव इसके प्रकाशनकी प्रवृत्ति मेरे अन्दर तभी हुई थी, जब मैं मार्याइके सिरोहा

विपयपरिचय

प्रस्तुत प्राय आत्मतत्त्वविवेकमे आत्मतत्त्वका विशद विवेचन किया गया है। क्योंकि आस्तिन नास्तिक सभी अध्यात्मवादियोंको इस बातमे समान मान्यता है कि सर्वानुभवसिद्ध दु रक्षके नाशका एक मात्र उपाय तत्त्वहान ही है। और वह ज्ञाय तत्त्व आत्मा ही है। भले ही वह ज्ञेय आत्मा निरात्मवादियोंके लिये निषेध्यरूपमे ज्ञेय हो या आत्मवादियोंके लिये विधिरूप ज्ञाय हो। अर्थात् वह आत्मा क्या है? जिसका नैरात्म्यगाढ़ी निषेध करते हैं और आत्मवादी अस्तित्व प्रतिपादित करते हैं। इस प्रकार उभयटट्टिसे उस आत्मतत्त्वका विवेचन करना थाथश्यक होनेसे इस प्रायमें उसका विवेचन किया गया है। इसीलिये इसका नाम आत्मतत्त्वविवेक रखा गया है। इसका अन्य नाम बौद्धाधिकार या बौद्धधिकार भी है। यथाप उद्दयनाचार्यरे सभी प्रन्थ बौद्धोंको आलोचना करते हैं, किन्तु उन सबोंमे आत्मतत्त्वविवेक बौद्धमत खड़नमें अकेला तत्त्वर है।

यह प्रन्थ चार अधिकरणोंमें पूर्ण होता है—क्षणभङ्गवाद, चाहार्थ भङ्गवाद, गुणगुणभेदभङ्गवाद एवं अनुपलभग्वादके रूपमे। उक्त चारों वाद बौद्धोंके हैं, जिनका श्रामद्यनाचार्यन प्रतल प्रतिपाद प्रस्तुत किया है। सिद्धातकी दृष्टिसे इन चारों अधिकरणों को क्षण भङ्गभङ्ग चाहार्थभङ्गभङ्ग गुणगुणभेदभङ्गभङ्ग और अनुपलभग्वाद प्रकरण नामसे भी कहा जाता है।

क्षणभङ्गवाद—

इस प्रकरणमें क्षणिकव्याद का खण्डन किया गया है, जिसस नित्य आत्मा स्वत सिद्ध हो जाता है। बौद्धमतके अनुसार जब सभी पदार्थ क्षणिक हैं, तो आस्तिनोंका नित्य आत्मा कैसे सिद्ध हो सकता है। उनका यह अनुमान है कि—“यत् सत् तत् क्षणिक यथा जलघर, सातत्र भावा असी। इत्यादि। अर्थात् जो सत् है, वह क्षणिक है, जैसे मेघ और घटादि। विवादका विपय शब्दादि भी सत् हैं, इस लिये वे सभी क्षणिक हैं। इस अनुमानप्रमाण से जब सभी पदार्थ क्षणिक सिद्ध हैं तब नित्य आत्माके अस्तित्वका प्रश्न ही कहाँ है। यह बौद्धका पूर्वपक्ष है।

वहाँ सिद्धान्तीका कहना है कि “जो सत् है वह क्षणिक है” यह च्यापि ही असिद्ध है। यदि कहा जाय कि चेत्रस्थ बीज अङ्गुर जननमें

रेट्रोमे एक जैनमुनिको न्याय पढ़ानेके लिए उनके आपहपर कुछ समयके लिये बहाँ गया था । बहाँ अतेक न्यायग्रन्थोंके अध्यापनके साथ साथ आत्मतत्त्वविदेकफे भी अध्यापनका सुअवसर प्राप्त हुआ । अनुवादकार्यको पूर्णता मिने गर्वन्मेष्ट सस्कृत कालेज, भागलपुर (गिराह) में अपने कार्यकालमें कर ली थी । किन्तु प्रकाशनकी चेष्टा काशी-हिन्दू विश्वविद्यालयमें आनेके बाद ही की ।

अनुवादकी पाण्डुलिपि मिने वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालयमें अनुसन्धान विभागके वल्कालीन वाइरेक्टर श्रीकृत्रेशच-ड चहोपाध्याय को दिखलाई । इस कार्यसे बहुत प्रसन्न हो उन्हाने सुझाव दिया कि आत्मतत्त्वविदेकमें आये पूर्वपक्षोंके मूलवचनोंका समन्वय उल्लेख दिल्पणीमें या स्वतन्त्ररूपमें कर देना भद्रत्यपूर्ण होगा । उनके निर्देशा नुसार मिने उसे भी यथाप्र मौद्रपत्रोंका आलोड़न कर परिशिष्टके रूप-में सन्निविष्ट कर दिया । बादमें इस पाण्डुलिपिको मिने सम्पूर्णनन्द सस्कृत विश्वविद्यालयके प्रकाशनविभागको प्रकाशनकी स्थीकृतिदेतु दे दिया । पाण्डुलिपि लगभग दो वर्ष रखी रह गई और प्रकाशनके लिए पहलेसे स्थीकृत पुस्तकोंको लम्बो परम्परामें इसके शीघ्र प्रकाशनकी आशा न देखकर मिने अपनी पाण्डुलिपि बहाँसे आपस ले ली । अन्हत उत्तर-प्रदेश सस्कृत अकादमी, लखनऊकी अधिक सहायता पाकर मिने इस प्रकाशनका निर्णय कर लिया । प्रकाशनके पूर्व विद्वानोंके प्राप्त सुझावके अनुसार इसकी भाषाको भी यथासम्भव पारमाजित किया । फलत, बहुत कालके अन्तरालमें भी इसका प्रकाशनकार्य सम्पन्न हो सका यह भागवान् विश्वनाथकी कृपा ही थी ।

विषयकी हष्टिसे गम्भीर एवं भाषाकी हष्टिसे दुरुद्द इस महत्त्वपूर्ण प्रथका अनुवादकार्य मिने अध्यापनके साथ साथ लगभग दो वर्षोंमें पूर्ण किया था । उस समय मेरे पास महामहोपाध्याय लक्ष्मणशास्त्री द्वाविद द्वारा सम्पादित एसियाटिक सोसाइटी, बड़ालसे प्रकाशित हुई शङ्कर-भित्र, रघुनाथशरोमणि एवं भरीरथठक्कुरकी टोकाओंसहित आत्मतत्त्व विवेक पुस्तक प्राप्त थी । उसमें शङ्करमिथकी कल्पलता, भरीरथठक्कुरकी प्रकाशिका एवं रघुनाथशरोमणिकी दीधिति टीकायें सन्निविष्ट थीं । मथुरानाथ तर्हवारीशक्ति भी 'रहस्य' नामक टीका प्रारम्भकी कुछ पक्षियों तक ही होकर रह गयी मिली, यह ज्ञात्यर्थ है । प्रकाशिका एवं

दीधिति टीकावें प्रन्थके अन्तरक हैं, किन्तु दीच-दीचमें कही नहीं भी हैं। किन्तु शाक्खरमिश्रकी कल्पलता टीका साद्यन्त अविकल है। अनुवाद करते समय मैंने उक्त सभी टीकाओंका सहारा लिया है। किन्तु जहाँपर व्याख्याओंमें भेद प्रतीत हुआ है, वहाँ मूलके अत्यन्त निरुट और अकिलष्ट व्याख्याका ही अनुगमन किया है। प्रन्थके अस्कुट विषयको स्कुट करनेकी मेरी यथाराचित चेष्टा रही है। इसमें भी मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ, इसे विद्वज्ञही बता सकते हैं। मेरा प्रयास विषयके विवेकके साथ पक्ष्यर्थ का विवेक करनेका भी रहा है। ताकि ऐसा न हो कि विषयका ज्ञान हो जानेपर भी किसी पंक्तिका अर्थ अझात रह जाय या एक भी पद् का अर्थ छूट जाय। इसी मानीमें यह अनुवाद विवेचनात्मक है तथा मूल और अनुवादमें निम्बप्रतिविम्ब-भाव जैसा है।

इस सस्करणमें दी गयी टिप्पणियाँ, जैसे “१ पु० पा०, २ पु० पा०, ३ पु० पा०” एसियाटिकसोसाइटी कलरचाहारा प्रकाशित आत्मतत्त्व-विवेकके अनुसार ही मैंने भी दी हैं। कलरचाहाला सस्करण महा-महोपाध्याय उद्दमणशाखी द्राविड़ एवं विन्ध्येश्वरीप्रसादद्विवेदीहारा सम्पादित होनेसे प्रामाणिक है।

वहाँ टिप्पणीमें अद्वित १ पु० से जयनारायणतक्पञ्चानन एवं मदनमोहन शर्मनहारा सम्पादित (कलरचा १८५७) आत्मतत्त्व-विवेक लिया गया है। तथा २ पु० जीवानन्द विद्यासागर, कलरचा सम्पादित (१८७२) आत्मतत्त्वविवेक लिया गया है। तथा टिप्पणीमें अद्वित ३ पु० पा० से यदुनाथसार्वभीमकी पुस्तकका पाठ लिया गया है। यह पात रायल एसियाटिक-सोसाइटी, बड़ालके तत्त्वालीन जेनरल सेकेटरी जोहन-यान-मेननहारा लिखित भूमिकासे विदित है। इन तीन संकेतोंके अतिरिक्त सभी टिप्पणियों स्वयं मेरी दी हुई हैं।

प्रसुत पुस्तकके शुद्ध सम्पादनका भी प्रयास मैंने किया है। मूल-प्रन्थके अनुच्छेदोंका निर्धारण प्रायः मैंने अपने ढङ्गसे किया है, ताकि पाठकोंको विषयपोधमें सुविधा हो। अत्यन्त सावधानीसे इस सस्करण को शुद्ध बनानेहा प्रयास करनेपर भी मानसुलभ मेरी अनवधानतासे या मुद्रणके दोपसे नदि त्रुटियाँ रह गई हाँ तो सहृदय विद्वज्ञ कुराया स्वयं शुद्ध कर लेंगे, यह मेरी विनम्र प्रार्थना है।

दीधिति टीकायें ग्रन्थके अन्ततक हैं, किन्तु वीच वीचमें वहाँ नहीं भी हैं। किन्तु शङ्करमिथकी कल्पलता टीका साधन्त अविकल है। अनुषाद करते समय मैंने उक्त सभी टीकाओंका सहारा लिया है। किन्तु जहाँपर व्याख्याओंमें ऐद प्रतीत हुआ है, वहाँ मूलके अत्यन्त निकट और अक्षिलष्ट व्याख्याका ही अनुगमन किया है। ग्रन्थके अस्फुट विषयको स्फुट बरनेकी ऐरी व्यथाशक्ति चेष्टा रही है। इसमें भी मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ, इसे बिहूजनही बता सकते हैं। मेरा प्रयास विषयके विवेकके साथ पञ्चवर्थ का विवेक करनेमा भी रहा है। ताकि ऐसा न हो कि विषयका ज्ञान हो जानेपर भी किसी पक्किका अर्थ अज्ञात रह जाय या एक भी पद का अर्थ छूट जाय। इसी मानीमें यह अनुषाद विवेचनात्मक है तथा मूल और अनुषादमें विम्बप्रतिविम्ब भाव जैसा है।

इस सस्करणमें दो गयी टिप्पणियाँ, जैसे “१ पु० पा०, २ पु० पा०, ३ पु० पा०” एसियाटिकसोसाइटी कलकत्ताद्वारा प्रकाशित आत्मतत्त्व विवेकके अनुसार ही मैंने भी दी हैं। कलकत्तावाला सस्करण महा महोपाध्याय लद्दमण्णाखी द्राविड एवं विष्ण्येश्वरीप्रसादद्विवेदीद्वारा सम्पादित होनेसे प्रामाणिक है।

वहाँ टिप्पणीमें अद्वित १ पु० से जयनारायणतर्कपञ्चानन एवं मदनमोहन रामनद्वारा सम्पादित (कलकत्ता १८४७) आत्मतत्त्व-विवेक लिया गया है। तथा २ पु० जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता सम्पादित (१८७३) आत्मतत्त्वविवेक लिया गया है। तथा टिप्पणीमें अद्वित ३ पु० पा० से यदुनाथसर्वभौमकी पुस्तकका पाठ लिया गया है। यह बात रायन एसियाटिक सासाइटी, बड़ालके तत्कालीन जेनरल सेक्रेटरी नाहन बान मेननद्वारा लिखित भूमिकासे विदित है। इन तीन सर्वेक्षणोंके अतिरिक्त सभी टिप्पणियाँ स्वयं मेरी दी हुई हैं।

प्रस्तुत पुस्तकके शुद्ध सम्पादनका भी प्रयास मैंने किया है। मूल-ग्रन्थके अनुच्छेदारों निर्धारण प्राय मैंने अपने ढङ्गसे किया है, ताकि पाठकाओंको विषयनाप्रमुखिया हो। अत्यन्त साप्रधानीसे इस सस्करण को शुद्ध बनानेका प्रयास करनेपर भी मानवसुलभ मेरो अनप्रधानतासे या मुद्रणके दोषसे यदि त्रुटियाँ रह गई हा तो सहृदय बिहूजन कृपया स्वयं शुद्ध कर लेंगे, यह मेरी विनश्च प्रार्थना है।

कहनेका क्या अभिप्राय है ? क्या विजाश प्रतियोगीरूप है ? या अलीक है ? या प्रतियोगीका कार्य है ? अथवा प्रतियोगीका व्यापक है ? अर्थात् विजाशके ध्रुवभावी होनेके उपर्युक्त कारण हो सकते हैं । किन्तु उनमें कोई भी यहाँ नहीं हो सकता है । प्रथम इसलिये नहीं हो सकता कि निषेध एवं उसका निषेध दोनोंका एकत्व अनुपपन्न है । क्योंकि—

विविरात्माऽस्य भावस्य निषेधस्तु तत् परः ।

सोऽपि चात्मेति का ग्रेषुः शृण्वन्नपि न लज्जते ॥

निषेध अलीक रूप है, यह द्वितीय विकल्प भी ठीक नहीं है । क्योंकि विजाश यदि तुच्छ है तो उसके अहेतुकत्वमें क्या आया ? ऐसी स्थितिमें घटका विजाश व्याचित्क या कादाचित्क न होकर सर्वत्र एवं सदा होने लगेगा ।

प्रतियोगीका कार्य भी विजाश नहीं हो सकता है । क्योंकि वैसा माननेपर विरोधमें असिद्धिधोष हो जायगा । विजाश प्रतियोगीका व्यापक है, इसलिये वह ध्रुवभावी है, यह चतुर्ध पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि प्रतियोगी और उसके विजाशका भिन्न भिन्न समय होनेसे व्यापकत्व असम्भव है ।

यदि पूछो कि भाव यदि क्षणिक नहीं है तो स्थिर भी कैसे है ? तो यही उत्तर होगा कि 'स एवायम्' ऐसी प्रत्यभिज्ञा होनेसे भावस्तु स्थिर है ।

इसके अतिरिक्त क्षणिकत्व अनुपपन्न भी है । क्योंकि सभी भावोंको क्षणिक माननेपर अनेक दैरा कालमें अनुगत गत्वादि व्यवहार नहीं बन सकेगा । यदि कहा जाय कि—अनुगत व्यवहारका कारण भावरूप गोत्वादि नहीं है किन्तु अभावरूप अगोपोह (अगोद्यावृत्ति) आदि ही है । अतः सभी भाव वस्तु क्षणिक हैं, इसमें कोई वाधा नहीं है—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्याकि अपोद्याद अनुभवविरुद्ध होनेसे अप्रामाणिक है ।

बाह्यार्थभक्षणाद—

इस प्रकरणमें विज्ञानवादका रणनीति कर बाह्यार्थी सिद्धि की गयी है, जिससे विज्ञानातिरिक्त आत्मासी सिद्धि हो जाती है । बीदूध के मतमें आन्वर क्षणिकविज्ञान वास्तविक है, उससे अतिरिक्त सभी

बाह्यपदार्थ असत् हैं । उसीके अन्तर्गत नैयायिकोंका नित्य आत्मा भी है और वह असत् है ।

यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या प्राहृतत्त्व बाह्यार्थ एवं प्राहृतत्त्व आन्तरविज्ञान ये दोनों ही परामर्थतः सन् हैं और इनका अभेद विचक्षित है ? अथवा ये दोनोंमें भेद होनेपर भी दोनों एक जातिके हैं ? अर्थात् बाह्यार्थ भी ज्ञानजातिका ही है ? अथवा ज्ञान परमार्थसत् है और बाह्यार्थ अलीक है अर्थात् असत् है ?

इनमें प्रथम अभेदपक्षमें सहोपलभ्म, प्राहृत्य या प्रकाशमानत्व जो भी हेतु दिया जायगा, वह सभी हेतु आभास होगा । क्योंकि परामर्श-हेतु-पक्ष-साध्य और अनुमिति सभी परस्पर अभिन्न हैं तो इनमें हेतु-हेतुमद्भाव कैसे होगा ? साथ ही नील-पीत आदि परस्पर-विरुद्ध धर्मोंका एक विज्ञानके साथ अभेद कैसे होगा ? प्राहृत्य या प्रकाश-मानत्व भी भेदमें ही बन सकेगा, अभेद में नहीं ।

यदि कहा जाय कि बाह्यार्थका विज्ञानके साथ न भेद है और न अभेद है, किन्तु उभयसे रहित चित्ररूप है, तो यह भी नहीं हो सकता है । क्योंकि परस्पर-विरुद्ध भेद और अभेद जैसे एक जगह नहीं रहता है, वैसे दोनोंका नियेध भी एक जगह नहीं रह सकता है ।

एवं बाह्यार्थको ज्ञानसज्जातीय भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ज्ञानसज्जातीय होनेपर उसमें प्राहृत्य नहीं रह सकता है । साथ ही घटपटादि सभीके ज्ञानसज्जातीय होनेसे घटज्ञानमें पटविद्ययक्त्यका प्रसङ्ग हो जायगा ।

यदि कहा जाय कि बाह्यार्थ न ज्ञानसे अभिन्न है और न ज्ञान-सज्जातीय है, किन्तु सर्वथा अलीक है । क्योंकि उसमें प्राहृत्यलक्षणका सर्वथा अभाव है । जैसे शशशृङ्ख सर्वथा प्राहृत्यलक्षणसे रहित होनेके कारण अलीक होता है, वैसे सभी बाह्यार्थोंमें समझना चाहिये । किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है । क्योंकि किसी वस्तुके लक्षणका ज्ञान न होनेसे उस वस्तुकी सत्ता नहीं समाप्त हो सकती है । कारण, लक्षण का अपरिज्ञान वस्तुकी दुरुहत्याके कारण भी हो सकता है ।

यदि माध्यमिकमतका अबलम्बन कर बाह्यार्थके समान विज्ञान भी नहीं है, और सर्वशून्यता ही परमतत्त्व है, ऐसा कहा जाय तो यह भी

समव नहीं है। क्योंकि शून्यतामे यदि कोई प्रमाण है, तो सर्वशून्यता कहों हुई? यदि शून्यतामे प्रमाण नहीं है तो सर्वसत्ता ही सिद्ध हो गयी।

एवं, लोकव्यग्रहारमें बाह्यार्थी सत्ता व्यवस्थित होनेपर भी विश्वमें अलीकृत शून्यता या विचारासहृदयका सिद्ध करनेका उपकम किया जाय तो बौद्धकी अपनी प्रतिज्ञा भी अवश्यस्थित हो जायगी। अर्थात् बौद्धका विज्ञान, उसका दर्शन और उसका सिद्धान्त भी अवश्यस्थित हो जायगा। इसलिये यह विश्व तथ्य है।

गुणगुणभेदभङ्गवाद—

बौद्धमतानुसार गुण और गुणीमे भेद नहीं होता है। ज्ञानगुण है। अत ज्ञानगुण और गुणी आत्मामे भेद नहीं है। अर्थात् ज्ञान से भिन्न गुणी आत्मा नहीं है। यही उतका नेरात्म्यपक्ष है।

किंतु यह पक्ष ठीक नहीं है। क्योंकि गुणसे गुणी मिन होता है। कारण, "यमहमद्राक्षं तमह स्तुशामि अपदा यमस्याक्षं त पश्यामि" इस प्रतीतिमें दर्शन और स्पर्शनके द्वारा एक ही विषयका ग्रहण होता है। यहाँ गुण दो हैं—दशन और स्पर्शन। और ये दोनों ही परस्परमे भिन्न हैं। जैसे चैत्रके द्वारा गृहीत विषयका प्रतिसंधान मैत्र नहीं वर पाता और मैत्रद्वारा हप्त विषयका प्रति स धान चैत्रको नहीं होता है वैसे ही नेत्र द्वारा देखो गया वस्तुका प्रतिसंधान त्वरितिन्द्रिय नहीं कर सकती है और त्वरितिन्द्रियद्वारा छूए गये पदार्थका प्रतिसंधान आखका नहीं हो सकता है। इन्हु उक प्रतीतिमे प्रतिसंधान होता है कि जिसे मैने दखा था, उसे ही छू रहा हूँ या जिसका स्पर्श किया था उसे ही देख रहा हूँ। यहाँ दो प्रकारके भिन्न भिन्न ज्ञानोंमें एक ही विषय है। ऐसा आकलन कर लेता है। यदि दर्शन और स्पर्शन गुणोंसे भिन्न एक गुणी आत्मा नहीं होता तो उक प्रकारका एकार्थका प्रतिसंधान नहीं होता।

यहाँ ज्ञानका विषय क्या है, यह विचारणीय है। क्या दोनोंका केवल रूप या केवल स्पर्श विषय है? या दो भिन्न विषयोंका

एक समुदाय या समुदायविदिक कोई विषय शुद्धीत होता है ? अथवा पस्तुविदीन इनका ही आकारविशेष उल्लिखित होता है ? या पस्तुविदीन अलीक ही भासित होता है ? जैसे रघुसर्पभासित होता है । इनमें प्रथम पक्ष नहीं हो सकता है । क्योंकि जो ही रूप है, पक्ष स्पर्श नहीं है ।

द्वितीय पक्ष भी नहीं हो सकता है । क्योंकि उक्त समुदाय एकरेशप्रयुक्त या एकालप्रयुक्त या एकार्यप्रयुक्त अथवा एकारणप्रयुक्त होगा ? प्रथम कोटिमें अन्योन्याध्ययदोष हो जायगा । क्योंकि एक आपारकाका प्रतिसंधान होनेपर समुदायका अनुसन्धान द्वागा और समुदायका प्रतिसंधान होनेपर एकदेशवाका प्रतिसंधान हो सकता । एककालतारूप द्वितीयकोटि एवं हाती यदि रूप और स्पर्श एक ही उन्नियसे माहा होता । एककार्यतारूप एतोय पाटि भाँ संभव नहीं है । क्योंकि रूप और स्पर्शका एक कार्य नहीं है । एककारणतारूप चतुर्व्विकोटि भी नहीं हो सकती है, क्योंकि रूप-स्पर्शादिका एक कारण द्वानेमें प्रमाण नहीं है ।

चतुर्थ आकारपक्षमें या पक्षग अलोकवश्चमें रूप स्पर्शादिका विलोप-प्रसङ्ग हो जायगा । इसलिये शृणीयवद् हो सकता है । अर्थात् उक्त प्रतिसंधानका विषय रूपस्पर्शादिसे अतिरिक्त एक अपमयी है । पेरसी स्थितिमें उस एक अपमयी परतुका प्रदृश फरनेयाला अतिरिक्त आत्मा तिर्यक हो जाता है ।

गुण और गुणोंका सद्वोपलभ्य होनेसे दोनों अभेद है, यह नहीं यह सकते । क्योंकि 'पीतः शट्टः' इस इथलमें इपेत्यगुणका अनुपलभ्य होनेपर भी शट्टः चपलभ्य होता है ।

अनुपलभ्याद—

इस प्रकरणमें "आत्मा नहीं है, क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं होती है" इस घीरपक्षादा राण्डन किया गया है । जैसे, सभीको आत्माकी उपलब्धि नहीं होती है, इसमें सम्बेद है । यदि कठोर कि एक इयक्तिको उपलब्धि नहीं होती है, तो यह इयमिचारदोषसे मस्त है । क्योंकि किसी एक इयक्तिको उपलब्धि न होनेपर उस परतुका अमाय नहीं हो जाता है ।

इसके विपरीत अनुमानद्वारा आत्माकी उपलब्धि होती है। यह अनुमान प्रतिसन्धान है। जैसे, “स एवाय देवदत्त, यमहू पाटलि-पुत्रेऽद्राक्षम्” इत्यादि। यहाँ पूर्वमें पाटलिपुत्रमें देवदत्तको देखनेवाला और यहाँ काशीमें उसका प्रतिसन्धान करनेवाला एक ही स्थिर आत्मा है। अर्थात् यहाँ स्मरण और प्रत्यक्षका कर्ता एक ही स्थिर आत्मा है।

उक्त प्रतिसन्धानका कर्ता वह है यह नहीं कह सकते, क्योंकि वेहके प्रतिदिन परिवर्तित होनेसे वह दूसरेके द्वारा दृष्टका प्रतिसन्धान नहीं कर सकता है। “नाभ्यदृष्ट स्मरत्यन्य यह नियम है।

न्यायाभिमत आत्माके सम्बन्धमें तर्क भी है। जैसे, आत्मा यदि सादि हो तो इष्टसाधनताज्ञानके अभावमें प्रथम प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थितिमें सर्वथा अप्रवृत्तिका प्रसङ्ग हो जायगा। अतः आत्मा अनादि है। आत्मा यदि सान्त हो तो अनादि सान्त होनेसे वह अभाव (प्रागसाध) बन जायगा। अत आत्मा अनन्त भी है। यदि वह द्रव्य न हो तो निर्गुण हो जायगा। अत आत्मा द्रव्य भी है। यदि वह व्यापक न हो तो अग्नि पवनादिमें क्रिया नहीं हो सकेगी। अत आत्मा व्यापक है। यदि वह मूर्त हो तो मूर्त नित्य परमाणुकी तरह असमदादिको प्रत्यक्ष होनेवाले सुख दुःखादिका वह आधार नहीं हो सकेगा। असः आत्मा अमूर्त है। यदि वह सक्रिय हो तो मूर्त होने लगेगा। अतः आत्मा निष्क्रिय है।

यहाँ यह शङ्खा करना कि—आत्मा यदि कथश्चित् सिद्ध भी हो तो वह हैय ही है। क्योंकि आत्मदर्शी व्यक्ति उसके उपकारीके प्रति राग करेगा और उसके अपकारीके प्रति द्वेष करेगा। राग द्वेष ससारका मूल है। अत मुमुक्षुजन को भी नैरात्म्यकी ही भावना करनी चाहिये—ठीक नहीं है। क्योंकि अनात्मदर्शीका मुमुक्षु होना ही अनुपपत्त है। कारण, आत्माको चिना स्वीकार किये बोई न तो दुर को छाडना चाहेगा और न सुखको प्राप्त करना चाहेगा। साथ ही यह नैरात्म्य दृष्टि नास्तिक्यका बढावा देगी। एवं प्रबल विषयतृष्णाको जगाता हुई अनन्त अनर्थको पैदा करेगी। इसीलिये तो “यावज्जीवेत् सुख दीवेत्” त्यादि निश्च ग्रलाप होते हैं। यह जो कहा कि आत्म-दर्शी व्यक्ति उपकारीमें राग और अपकारीमें द्वेष करेगा—तो यह

ठीक ही हैं। क्योंकि जो मोक्षके उपकार मानता है, वह उसके हेतुके प्रति रागवान् हो और उसके बाधकके प्रति द्वेषवान् हो तो यह समुचित ही है ।

ऐसे (शरीरादिसे भिन्न) आत्मामें न्याय (अनुमान) और आम्नाय दोनों ही प्रमाण हैं। न्याय प्रतिपादित ही हो चुका है। आम्नाय-प्रमाणका सार तो “अशरीर वाय सन्तप्त” इत्यादि है, जो शरीरसे भिन्न आत्माको प्रतिपादित करता है। आपोक्त होनेसे उक्त आम्नाय प्रमाण है। क्योंकि विश्वरा कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर अनुमानसे सिद्ध है और उसीके द्वारा आम्नाय उक्त है। अत उसमें अप्रामाण्य नहीं है। उपर्युक्त प्रमाणोंसे अवधारित ऐसे आत्माकी आत्मनिति की दुःखनिवृत्ति ही मोक्ष है। यह न्यायशास्त्र का सारभूत अर्थ है ।

कुत्तव्यताज्ञापन—

सर्वप्रथम मैं अपने शिवसायुज्यप्राप्त प्रात स्मरणीय गुरुओं सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र पण्डितप्रबर श्रीसूर्यनारायणशुल्क एव विद्यानिधि महामहो पाद्याय पण्डितपञ्चानन श्रीहरिहरकपालुद्विवेदीका प्रणीती हैं, जिन्होंने क्रमशः मुझे न्याययैशेषिक एव चेदान्तका निरतिशयस्मेहपूर्वक अध्यापन कर मेरी आखें खोल दीं। उनके लिये इतना ही कहना पर्याप्त होगा “चक्षुरुम्भीलित याम्याम्” । वस्तुत जो कुछ मैं ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ, उनकी अपारकृपा एवं स्नेहका सुफल है ।

उत्तरप्रदेश सस्कृत अकादमीके वर्तमान अध्यक्ष एव संपूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयके भू० पू० कुलपति पण्डित श्रीकरुणापतिजी त्रिपाठी का उपकार भूल नहीं सकता, जिन्होंने अपने कुलपतित्वकालमें ही इस ग्रन्थके सानुवाद प्रकाशनको आवश्यक समझा था और इसके लिये ७० ग्र० सस्कृत अकादमीके माध्यमसे पाँच हजार रुपयोंका सरकारी साहाय्य-अनुदान दीकृत कर इसके प्रकाशनार्थ हमें प्रोत्साहित किया और इसका प्रकाशन समय हो सका ।

मैं उन मनीषियोंका अत्यन्त ही अनुगृहीत हूँ, जिन्होंने मीरिह या लेयगढ़ अपनी अमूल्य सम्मतियाँ देकर मुझे प्रोत्साहित एव मेरी इस कृतिको गोरखान्वित किया है। इनमें अनन्तश्रीविभूषित स्थामोकरपात्री-जी महाराज, सम्पूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालयके वर्तमान कुलपति

पण्डितरत्न श्रीगोरीनाथजी शास्त्री एव सम्पूर्णानन्द सस्तुत विश्वविद्या-
लयके भू० पू० कुलपति नैयायिकघुरन्धर पण्डितराज श्रीबद्रीनाथजी
शुक्ल, महानुभाव प्रसुख हैं। श्रीशुक्लजीने प्राककथन लिख कर सुझे
अत्यन्त ही अनुगृहीत किया है।

इस प्रन्थके प्रकाशनमें दूसरी उल्लेखनीय सहायता हमारे भूतपूर्व
शोधच्छाच एव बर्तमानमें महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीशिवचेतन्यपुरीजी
शङ्करआश्रम, वृन्दावनकी प्राप्त हुई, जिन्होंने एक हजार एक सौ एक
रुपये एतदर्थं प्रदान कर अपनी सहज उदारता एव प्रेमको मानो मूर्तैरूप
दिया। उनका मैं अत्यन्त आभारी हूँ। अन्तमें सहदय विद्वज्ज्ञानसे
पुनः निवेदन है कि मानव सुलभ त्रुटिको क्षमा करते हुए अपने अमूल्य
सुझावोंसे हमें अनुगृहीत करेंगे।

इस प्रन्थके मुद्रण-कार्यको शीघ्र एव सुन्दर बनानेमें सतत सलग्न
श्रीविद्याप्रेसको भी मैं हृदिक आशीर्वाद एव धन्यवाद देवा हूँ जिसके
सहयोगसे इसका प्रकाशन कार्य समयपर सम्पन्न हो सका है।
इति शिवम्।

केदारनाथत्रिपाठी

२०।१२।८३

—*—

विषयानुक्रमणिका

विषयः—

	पृष्ठसंख्या
भगवाचरणम्	१
आत्मतत्त्वज्ञानस्यैव दुखहानोपायत्वनिरूपणम्	२
आत्मतत्त्वविवेचने निमित्तोपपादनम्	३
आत्मनि बाधकचतुष्प्रयानिदेश	३
क्षणभद्रवादः	४—१७७
सन्माप्त्य क्षणिकत्वे पूर्वपक्षिणोऽनुमानम्	४
तत्र व्याप्त्यसिद्धिकथनम्	४
सामर्थ्यासामर्थ्यलक्षणविरुद्धधर्मसंसर्गेण क्षणिकत्वसाधनम्	
तत्र हेत्वसिद्धिकथनश्च	४
प्रसङ्गविषयाभ्या विरुद्धधर्मसंसर्गसाधन तत्र सामर्थ्यकारि- त्वयोरविशिष्टत्वप्रसङ्गकथनश्च	५
सामर्थ्यकारित्वयो आक्षेपप्रतिक्षेपाभ्यामाशिकविरोधकथन तत्रिरासश्च	६
सामर्थ्यकारित्वयोर्भेदे उपाधिनिराकरणम्	८
“ “ “ विकल्पभेदनिराकरणम्	९
“ “ “ निनिमित्तत्त्वखण्डनम्	९
अड्डकुरसामर्थ्यस्याद्कुरयोग्यतास्वरूपत्वपक्षे	
विकल्पोपभ्यासस्तद्दूषणश्च	१०
प्रातिस्थिकयोग्यतापक्षस्य विकल्पत्रयोपन्यासेन दूषणम्	१०
कुर्वद्वृपत्वेऽनुमानखण्डनम्	१२
वीजस्याग्निलम्बग्निरिस्त्रभावत्वे कार्यजाभनो हेतुत्वखण्डनम्	१३
प्रातिस्थिकयोग्यतापक्षे तृतोयविकल्पे दूषणोपन्यासः	१४
समर्थन्यथाहारविषयत्वरूपसामर्थ्यनिरास	१५
भाववस्तुन क्षेपाक्षेपस्वभावत्वविकल्पे सिद्धान्तोपपादनम्	१६
कुर्वद्वृपत्वजाती प्रमाणाभावोपपादनम्	२४
अकुर प्रति वीजजातीग्यस्य प्रयोजकत्वसाधनम्	२५
अन्तर्नियव्यतिरेकप्रदर्शनम्	२६

विषय —	पृष्ठ संख्या
धीनानुभवादिकमेवासाधारण कार्य धीजजातीयस्येति पक्षखण्डनम्	३८
कुशलस्थगोनस्याटकुरामरणे प्रयोगकस्य व्यतिरेकानुमानम्	३६
कारणाकरणलक्षणविशुद्धधर्मसंसर्गात् पूर्वापरवीजयोभेद	
इति पक्षखण्डनम्	३८
अस्तुनि कालभेदन परिमाणभेदप्रसङ्गनिवारणम्	४०
सामर्थ्यासामर्थ्याविरोधो वाधकप्रलादिति पक्षनिराकरणम्	४२
भिन्नदेशस्थार्थक्रियाभेदात् कारणभेदे दोषोपपादनम्	४७
एकदा कर्तुर्यावत्सत्त्वं करणनिराकरणम्	५०
दण्डित्वकुण्डलित्वयत् करणाकरणयोविरोध इति पक्षनिराकरणम्	५१
तस्यैव धीजस्य तेनैव सहकारिणा सम्बन्धासम्बन्धयोविरोध	
निराकरण क्षणिकरपरमाणात्पि विरोधस्य दुर्वारत्वकभन च	५२
अवस्तुनि प्रमाणाप्रवृत्तिकथन तथात्वेऽपि स्वच्छनविरोध	
परिहारनिरुपणम्	५६
असत्त्वयातिनिराकरणम्	६६
असत्त्वयातिष्ठेऽपि अवस्तुनि कमयोगपद्यव्यतिरेकाधिद्वि	
प्रतिपादनम्	७३
भूतले घटाभावासिद्विप्रसङ्गस्य निराकरणम्	७४
कालपनिकरूपसम्पत्ते रनुमानाङ्गत्वनिरसनम्	७६
क्षणभङ्गसिद्धौ प्रकारा वरखण्डनम्	७९
ध्रुवभावित्वेन विनाशस्यादेतुक्त्वात् क्षणिकत्वसिद्विरितिपत्ते	
विनाशस्य प्रतियोगितादात्यखण्डनम्	८०
विनाशस्य निरुपारयत्वखण्डनम्	८३
“ , प्रतियोगिकार्यत्वखण्डनम्	८४
“ , प्रतियोगिकव्यापकत्वखण्डनम्	८५
विनाशस्यभावरूपत्वात् अदेतुक्त्वमिति पक्षस्य खण्डनम्	९६
स्थैर्यसिद्धौ प्रत्यभिज्ञाप्रमाणोपन्यास	९९
प्रत्यभिज्ञास्थले सतो विशुद्धधर्मसंसर्गस्य दुर्लक्ष्यमिति पूर्वपक्ष	
निराकरणम्	१०१
प्रत्यभिज्ञास्थले कालभेदेऽपि वस्त्वभेद इत्यत्रानुमानोपयास	१०३
स्थिरत्वे वाधकस्य वाहार्यालोकत्वस्य निराकरणम्	१०५

चिपयः

पृ० सं०

ज्ञानश्रीसमतापोहवादस्य खण्डनम्	१०९
धर्मोरुरमताशङ्का क्षत्समाधानम्	११५
अन्यापोहसिद्धौ न्यायाभावोपपादनम्	११८
अपोहसिद्धौ विकल्पपक्षगानुमाननिराकरणम्	१२३
इन्द्रियासमानविषयत्वेन लिङ्गशब्दी अपोहविषयको इति पूर्वपश्चित्कंनिराकरणम्	१२९
समानविषययत्त्वेऽपि प्रत्यक्षशाब्दलैङ्गज्ञानानां सुनुत्त्वास्फुटत्वो- पपादनम्	१३२
परोक्षापरोक्षरूपतया प्रत्यक्षलैङ्गशाब्दप्रतिभासेषु भेद इति पूर्वपश्चस्थण्डनम्	१३६
परोक्षत्वापरोक्षत्वे जातिचिशेषावित्यत्र प्रमाणोपन्यासः	१३७
अपोहकल्पनाया: प्रयुत्त्यादिनियोहकत्वनिराकरणम्	१३९
सौत्रान्तिकवाहाकार्यादखण्डनम्	१४३
वैभाषिकस्य बाह्यस्वलक्षणवादरखण्डनम्	१४५
धर्मकीर्तेः पिण्डेक्षयादरखण्डनम्	१४७
भिन्नस्वलक्षणमतखण्डनम्	१४८
गोत्यादिनानासामान्येवेकसामान्यत्यज्यवद्वारस्य ध्रानत्यनिरूपणम्	१४९
जात्यादौ वाधकसत्त्वादपोहसिद्धिरिति पक्षखण्डनम्	१५१
स्वरूपतोऽनुपलिङ्घजीतिवाधिकेति पक्षखण्डनम्	१५२
निर्धिरुपकस्यापि जातिचिपयकत्वसाधनम्	१५४
विरुद्धधर्माध्यासस्य जातिवाधकत्रखण्डनम्	१५६
जातिजातिमतोभेदेऽपि सामानाधिकरण्योपपादनम्	१६९
ज्ञानतोऽपि जातिवाधनिरसनम्	१७०
सामान्यज्ञानस्य प्रामाण्ये वाधकनिरासः	१७१
सामान्यज्ञानस्येन्द्रियज्ञत्वसाधनम्	१७१
जातिवाधकापोहस्वीकारे प्रयोजनानुरोधनिरसनम्	१७३
शब्दवाच्यत्यस्मवन्ये ज्ञानश्रीप्रत्युक्तीनां सदोपत्वनिरूपणम्	१७६
वास्तवार्थभङ्गवादः—	१७८-३१६
ग्राह्यप्राहकभागयोरभेदसाधने सहोपलभाविदेतूनां काला- त्ययापदिष्टत्वप्रदर्शनम्	१७८

मासमाननीलादिभेदस्यासत्यत्वे सद्गोपलभ्यादितूनाम—	
नेकान्तिरुत्प्रदर्शनम्	१८८
नीलादिभेदाप्रथने हेतूनामसिद्धत्वनिरूपणम्	१८८
भेदस्य विरुल्लाहृष्टत्वे पूर्वोक्तदोपानुवृत्तिकथनम्	१८९
असतो भेदस्याध्यवसायस्वीकारे दोपोद्याटनम्	१९०
अद्वयदर्शिविज्ञानस्य सद्गोपदिविषयकत्वे दोपप्रदर्शनम्	१९१
भिन्नयोर्बेद्यवेदकभावेऽनुपपत्तिनिराकरणम्	१९४
प्रकाशमानत्वहेतुना भेदनिपेधस्थण्डनम्	१९७
प्राणप्राहकयोर्भेदाभेदविषुरचित्राकारत्वस्थण्डनम्	१९७
प्राणप्राहकयोरभिन्नजातीयत्वस्थण्डनम्	२०१
प्राणाशास्यालीकत्वनिराकरणम्	२०३
विश्वस्य विचारासहृत्वस्थण्डनम्	२०६
शून्यतैव परम निर्वाणमिति माध्यमिकपक्षस्थण्डनम्	२१०
विषयविषयिप्रावकार्यकारणभावसमर्थनेन वाहार्थसद्गोपनिरूपणम्	२१४
विचारस्य नीलादिवत् विचारासहृत्वे जगत् सत्यत्वसिद्धिः	
विचारसहृत्वे च पक्षसाध्यादीनामेव सत्यत्वसिद्धिरिति	
निरूपणम्	२२१
युक्त्युपस्थापकबीद्धेतूना स्वव्याघातकयुक्त्युपस्थापकत्वप्रदर्शनम्	२२१
बीद्धोक्तटष्टानामध्याभासत्वप्रसङ्गनिरूपणम्	२३३
अवयविनिपेधस्थण्डनम्	२३४
पूर्वपक्षनिराकरणपूर्वक भेदस्वरूपनिरूपणम्	२३८
अवयविवाधकविरुद्धघर्माध्यासानामसिद्धत्वोपपादनम्	२४७
परमाणुनिपेधस्थण्डनम्	२६५
“षट्केन युगपद्योगात्” इत्यादिपरमानुवाधक्युचीना निरसनम्	२७०
परमाणुवत् बुद्धावपि षट्केन युगपद्योगात् इत्यादिप्रसङ्गोपपादनम्	२७४
“अस्तु तर्हि बुद्धेष्विष्णोपादनम्	२७५
सर्वशून्यत्ववादिभरनिराकरणम्	२७८
अवयविनि अनुपलभ्यनिराकरणम्	२७९
परमाणुनामेव तेषा समूहस्यैव वा स्थूलत्वमिति पूर्वपक्षस्थण्डनम्	२८०
ज्ञानस्यैव धर्म एकत्व स्थूलत्व चेति भरनस्थण्डनम्	२८४
सम्मानविषय निरवयवत्वमिति पक्षस्थण्डनम्	२८९

अध्यविनि अनुमानोपन्न्यास	२९४
वाह्यार्थविषये सन्देहवादनिराकरणम्	२९५
ज्ञानप्राप्ताण्यस्य स्यतत्वनिराकरणम्	३००
घर्मिभूतज्ञानस्यानुव्यवसायतज्जातीयज्ञानयोश्च नियतप्राप्ताण्ये	३१२
तर्कप्रदर्शनम्	३१७—३३४
गुणगुणिभेदभक्त्यादः	
गुणगुणिनोरभेदान्नेरात्म्यमिति पक्षस्य पञ्चविषयविकल्पोप-	३१७
न्यासैनिराकरणम्	
द्वितीये विकल्पचतुष्टयोपन्न्यासः	३१९
तृतीय स्वीकृत्य चतुर्थे विकल्पद्वयोपन्न्यासः	३२२
चातुर्पत्पार्श्वनप्रत्यक्ष्योरलीकविषयकत्वनिरासकथनम्	३२४
गुणगुणिभेदेऽभेदसाधनस्य वाधकत्वनिरासनम्	३२४
गुणगुणिनोर्विरोधिभर्मोपिपादनम्	३२९
धर्मघर्मिणोभेदे युक्त्युपन्न्यासः	३२९
अनुपलम्भवादः	३३५—४७३
नास्त्यात्मा अनुपलब्धेरिति पक्षनिराकरणम्	३३५
आत्मसद्भावे प्रत्यक्षप्रमाणोपपादनम्	३३७
आत्मसद्भावसिद्धावनुमानप्रमाणोपपादनम्	३४२
सहकारिविशेषात् प्रतिसन्धाननियम इति पक्षखण्डनम्	३५३
आलयविज्ञानेषु भेदाप्रहात् प्रतिसन्धानमिति पक्षखण्डनम्	३५७
आलयवेज्ञानिकविषयवृद्ध्यापि भेदाप्रहप्रतिसन्धानयोहप-	
पादनासंभव इति निरूपणम्	३६१
स्थिरात्मसाधने प्रकारान्तरोपदर्शनम्	३६३
इन्द्रियात्मवादरण्डनम्	३७४
मनआत्मवादरण्डन परलोक्यात्मसाधनश्च	३७४
आत्मनोऽनादित्वानन्तत्वद्रव्यत्वविभूत्वामूर्त्त्वनिष्कर्त्त्वसाधने	
हेतुतक्त्वापन्न्यासः	३७५
आत्मनो मूर्त्त्वागुत्त्वयोर्दोषप्रदर्शनम्	३७७
आत्मन सिद्धावपि तस्य हेत्वमेवेति पूर्वपक्षे समाधानोपन्न्यासो	
नैरात्म्येऽनर्थप्रदर्शनश्च	३७८

विषयः

पृ० स०

आत्मनो देहातिरिक्तत्वे न्यायाभ्नायप्रमाणोऽन्यासपूर्वक न्यायार्थसाराभ्नायसारसंक्षेपप्रदर्शनम्	३८३
आभ्नायेऽप्रामाण्यदण्डनपुर सर प्रामाण्यस्थापनम्	३८४
प्रसङ्गाद् वेदवक्तरि विश्वरूपरीभरेऽनुमानप्रदर्शनम्	३८५
अथ ताक्षिकगर्ववाहोक्षिनिवारणम्	३९१
प्रसङ्गादेव व्याप्तिस्वरूपनिरूपणम्	४१४
प्रतिवद्युपन्यापितायाः प्रतिवद् दूषा. निषारणम्	४१५
नित्यह्नानासभवाचेपनिवारणम्	४१८
ईश्वरविषये कतिपयद्युदाराष्ट्राना निरापरणम्	४२०
ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वम्	४२३
ईश्वरस्याशारीरत्वोपपादनम्	४२५
ईश्वरस्य वेदवक्तृत्वोपपादनम्	४२८
सौगताद्यागमेषु महाजनपरिगृहीतत्वस्य साशयिकत्वप्रतिपादनम्	४३४
महाजनपरिगृहीतत्वेन वेदाना सर्वज्ञपूर्वकत्वोपपादनम्	४३७
वेदाना नित्यानुमेयत्वनिवारणम्	४४१
मन्वादीना वेदपरिमहे वपवच्चिप्रदर्शनम्	४४५
न्यायदर्शनरीत्या वेदाना प्रवाहनित्यत्वोपपादनम्	४४८
सुगताद्यागमेषु वेदिकानामादराभावे निमित्तप्रदर्शनम्	४४९
सुगताद्यागमाना भूलविवेचनम्	४५२
माक्षस्वरूपनिरूपणम्	४५६
नित्यसुखस्याद्यास्तविकत्वनिरूपणम्	४६१
आत्मन स्वप्रकाशसुखस्वभावत्वजिज्ञासायामाचार्यान्तरम्	४६५

इति विषयानुक्रमणिका

आत्मतत्त्वविवेकः

अज्ञानतिमिरान्यस्य ज्ञानाभ्यनशलाक्या ।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

●

श्रीगणेशाय नम

आत्मतत्त्वविवेकः

श्रीमद्गुरुदयनाचार्यपिरचितः

[मानुषादः]

स्वाम्यं यम्य निजं जगत्सु जनितेषादौ, ततः पालनं,
व्युत्पत्तेः करणं, हिताहितनिधिव्यासेधमम्भावनम् ।
भूतोक्तिः, महजा कृपा, निरपधिर्यत्नस्तदर्थात्मक-
स्तस्मै पूर्णगुरुत्तमाय जगतामीशाय पित्रे नमः ॥

प्रथम, जनित इस विश्वमात्र पर सद्गुर स्वाम्य जिसका छाया,
ततः पालना, धोध, हिताहित विधिनिषेध जगने पाया ।
सद्गुर सद्गुरुकि, अद्वद्वम कृपा, वो उसी हेतु जिसकी माया,
गुरुश्रेष्ठ उस जगत्पिंडा को नमोवाक्य पहुँचे गाया ॥

सुष्टिके आदिकालसे ही अपने द्वारा रचित इस सम्पूर्ण जगत्के
उपर जिसका स्वाभाविक स्वाभित्ति विराजमान है, अथवा (यहीं
'निजम्' पदके सामधारण होनेके कारण) एकमात्र जो जगत्का
अधिपति है, ऐसा नहीं कि उस जगदीश्वरके अतिरिक्त किसी अन्यका
भी सहाधिपत्य या आशिक आधिपत्य हो, तथा स्थोत्रादित जगत्की
रक्षा भी पिताके समान जो स्वयं करता है, एवं जिस प्रकार पिता
अनेक प्रकारकी शिक्षा देकर बालको व्युत्पन्न करता है, वैसे ही जो
परमात्मा प्रयोज्य प्रयोजक देहका आश्रय वर पद पदार्थकी तथा घट-
पटादिनिर्माणकी व्युत्पत्ति भी पुरस्थानीय ससारको स्वयं कराता है,
जो वैदिक विधिवाक्यों द्वारा हित कार्योंमें प्रचुरत्तिका तथा निषेधवाक्यों
द्वारा अहित कार्योंसे निषुच्चिका करानेवाला भी स्वयं है, पुरतुल्य
ससारके लिये अतिवियोंके रूपमें जिसकी स्वभावतः यथार्थ उकिया है,

इह खलु निर्मग्नप्रतिगूलस्वभावं नर्वजनसंवेदनसिद्धं दुःखं
जिहासवः सर्वं एव तद्वानोपायमविद्वांमोऽनुमरन्तश्च मर्वाध्यात्मवि-
देकवाक्यतया तत्त्वज्ञानमेव तदुपायमाकर्णयन्ति, न ततोऽन्यम् ।
प्रतियोग्यनुयोगितया च आत्मैव तत्त्वतो ज्ञेयः । तथाहि—यदि
नैरात्म्यं, यदि वात्मास्ति वस्तु भूतः, उभयथापि नैसर्गिकमात्म-
ज्ञानमतत्त्वज्ञानमेव इत्यत्राप्येकवाक्यर्थते वादिनामत आत्मतत्त्वं
विविद्यते ।

जगत्पर जिसकी अकारण ऐवं निर्व्याज अनुकूल्या है तथा उसीके
लिये जिसके सारे प्रयत्न हैं; मनु-कपिल प्रभृति पूर्वगुरुओंसे भी श्रेष्ठ
बस जगत्‌पिता परमेश्वरको (मेरा) नमस्कार है ।

ससारमे दुर वह वस्तु है, जो स्वभावत् प्रतिकूल लगनेवाली
और सबोंके अनुभवमे भासित होनेवाली है । अर्थात् वह ऐसी वस्तु
नहीं, जो किसीके अनुभवमें न आती हो या अनुकूल लगती हो ।
इसी कारण सब उसे छोड़ना या उससे हुटकारा पाना चाहते हैं ।
पर उससे हुटकारा पानेका उपाय स्वयं नहीं जानते, अतः उस उपायके
अनुसंधानमें लगे हुए वे शास्त्रोंसे तत्त्वज्ञानको ही सम्पूर्ण दुःखोंसे
हुटकाराना उपाय निश्चित करते हैं, किसी अन्यको नहीं । क्योंकि
तत्त्वज्ञानसे ही दुखोंका आत्यन्तिक नाश होता है—इस सिद्धान्तमें
सब अध्यात्मवादियोंका एकमत्य है ।

ऐवं, जो आत्माका अभाव^१ मानते हैं, उन्हें प्रतियोगीरूपसे
(यस्याभावः स प्रतियोगी), जो देहसे भिन्न आत्माका अस्तित्व मानते
हैं, उन्हें अनुयोगीरूपसे (यस्मिन् अभावः सोऽनुयोगी) आत्माका
वास्तविक स्वरूप जानना ही होगा । क्योंकि, जैसे, तत्त्वज्ञान ही
दुःखोच्छेदरूप मोक्षका एकमात्र साधन है—इस बातमे सभी वादियोंका
एकमत्य है, वैसे ही यदि आत्माका अभाव है या आत्माकी वास्तविक
सत्ता है, इन दोनों ही पक्षोंमें “अह गौर, अहं स्थूलः इत्यादि स्वाभाविक

१. नेरा स्यद्धिं मोक्षस्य हेतुं केचन भवते ।

आत्मतत्त्वधिमस्तवन्ये न्यायतत्त्वानुसारिणः ॥

तत्र वाधकं भगदात्मनि^१ क्षणभङ्गो^२ वा वात्यार्थभङ्गो वा
गुणगुणिभेदभङ्गो^३ वा अनुपलभ्मो वेति ।

आत्मज्ञान (नैरात्म्यपक्षमे देहाभिज्ञहृपमे असत् आत्माका भान होनेसे और आत्मास्तितत्त्वपक्षमे आत्माका देहादिसे अभिन्न रूपमे भान होनेसे) अतत्त्वज्ञान ही है—इस बातमें भी सभी वादियोंका ऐकमत्य ही है । यद्यपि स्वाभाविक आत्मज्ञानके अन्दर “अहं सुखी” यह ज्ञान भी है और यह तत्त्वज्ञान ही है, क्योंकि न्यायमनसे सुखादिक आत्माके ही धर्म हैं । अत सभी स्वाभाविक आत्मज्ञानको अतत्त्वज्ञान कहना ठीक नहीं है । तथापि इसे अतत्त्वज्ञानकी कोटिमे भाननेके दो कारण हैं । एक यह कि आत्माका सुखी आदि होनेका ज्ञान कादाचित्क होनेसे “स्थूल गौर, इत्यादि मिथ्याज्ञानोंसे सदा तिरस्तु रहता है । दूसरा यह कि “आत्मा वाऽरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्य” इत्यादि श्रुतिवचनके अनुसार भनन द्वारा हुआ असन्दिग्धज्ञान ही निर्वाध रूपसे तत्त्वज्ञान है । क्योंकि मननजन्य ही आत्मज्ञान मिथ्याज्ञानको निवृत्त करनेमें समर्थ है । इसलिये आत्माके वास्तविक स्वरूपका यहाँ विवेचन किया जाता है ।

जिस आत्माका नास्तिक नियेध करते हैं, तथा आस्तिक अस्तित्व स्वीकार करते हैं, उस आत्मामें चार प्रकारके वाधक हो सकते हैं । १—सब पदार्थ क्षणिक है; २—ज्ञानसे भिन्न वात्यवस्तु नहीं है, ३—गुण और गुणीमें भेद नहीं है तथा ४—शरीरसे भिन्न आत्माकी उपलब्धि नहीं होती है । इनमे क्षणिकवाद नित्य आत्माके होनेमें वाधक है । दूसरा, ज्ञानसे भिन्न किन्तु ज्ञान-सुख आदिका आश्रय-भूत आत्माके होनेमें वाधक है, तीसरा भी, ज्ञानरूप गुणसे भिन्न

१. तत्रात्मनि वाधक भवत् १ पु० १०

२. क्षणभङ्गादिपदत्रय तत्त्वावक्षणप्रमाणपरम्, अनुारम्भे तु स्वरूपस्यैवासिद्धिरिति शाङ्करी ।

३. भाव स्वोत्पत्त्यवहितोत्तरक्षणविद्वसप्रतिमोगो नवेति क्षणभङ्गे विप्रतिपत्ति । एकदेशिमतेनात्ये विदिकोटिप्रसिद्धि, नियेधकोटिप्रसिद्धिस्तु अलीके सीगताना मरते ।

तत्र न प्रथमः प्रमाणाभावात् । यत् सत् तत् क्षणिकः
यथा घट्, सशं पिरादाध्यामितः शुद्धादिरिति^१ चेत् न, प्रति-
चन्धामिद्दो^२ ।

सामर्थ्यासामर्थ्यलक्षणविरुद्धधर्मसमग्रेण भेदसिद्धौ तत्सिद्धि-
रिति चेत् न, पिरुद्धधर्मसमग्रामिद्दोः ।

आत्मारूप मुण्डीके होनेमें वाधक है। और चौथा शरीरसे भिन्न
आत्माके अस्तित्वमें वाधक है। अर्थात् इन वाधकोंके कारण
आरितिकोंका नित्य ज्ञान सुखादिका आधयभूत तथा देहेन्द्रियादिसे भिन्न
आत्मा नहीं सिद्ध हो पाता है।

पूर्वोक्त चारों वाधकोंमें प्रथमसे (क्षणिकवादसे) हमारे अभिमत
आत्माका वाप नहीं हो सकता है। क्योंकि क्षणिकवादमें कोई प्रमाण
नहीं है। यदि “जो सत् है वह क्षणिक है, जैसे बनकर तुरत
ध्वस्त हुआ घडा विवादके विषय शब्द आत्मा आदि सब वस्तु भी
सत् हैं इसलिये क्षणिक हैं” इस अनुमानको क्षणिकत्वमें प्रमाण
कहें, तो वह ठीक नहीं क्योंकि ‘जो सत् है वह क्षणिक है’ यह व्याप्ति
ही असिद्ध है।

“सामर्थ्य और असामर्थ्य” रूप विरुद्धधर्मोंके सम्बन्धसे सभी
सत् पदार्थोंमें भेदकी सिद्धि होगी और उसके बाद क्षणिकत्वकी सिद्धि
हो जायगी। जैसे खखारमें स्थित बीज अकुरके लिये असमर्थ है
और खेतमें ढाला गया वह अकुर करनेमें समर्थ है। इसलिये समझा

१ यत् सत् तत् क्षणिकं यथा उलधर् सत्-तत् भावा एमे

सत्ता शक्तिरिहायकमणि मिते सिद्धपु सिद्धा न चा ।

नाप्येकेव विधाऽ यदापि परह नव किया वा भवेत्

द्वयापि क्षणभङ्गसञ्ज्ञतिरत् साध्ये च विश्राम्यति ॥

ज्ञान नी—क्षणभङ्गाध्याये प्रथमपादे पृ० १

२ अनुमितिकारलीभूत्याहिपक्षधर्मताज्ञानज्ञनको उदाहरणोपनया मही
द्वावेवावद्यवौ इति बोद्धो म वते ।

३ प्रतिबन्धो व्याप्ति, तदसिद्धिर यथ ।

प्रसङ्गविपर्ययाभ्यां^१ तत्सिद्धिरिति चेत् न, सामर्थ्यं हि करणत्वं^२ वा योग्यता वा । नाद्यः, माध्याद्विशिष्टत्वप्रमङ्गात् ।

जाता है कि बखारमे रहनेकी अवस्थामे वह वीज भिन्न था और खेतमे ढाला गया वह भिन्न हो गया । इस तरह भेदकी और क्षणिकत्वकी कमशा सिद्धि हो गयी—ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि एक ही वीजमे सामर्थ्य और असामर्थ्य-रूप विरुद्ध धर्मका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता है ।

“बखार का वीज यदि अङ्कुर-समर्थ होता तो अङ्कुर उत्पन्न कर देता, नहीं करता है, इसलिये वह अङ्कुर समर्थ नहीं है । इस प्रकारके प्रसङ्ग और विपर्ययसे वीजमे बखारमे रहनेकी दशामे असामर्थ्य और खेतमे रहनेकी दशामें सामर्थ्यरूप विरुद्ध धर्मोंका सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है इस तरह कुशलस्थ और क्षेत्रस्थ वीजका सुतरा भेद सिद्ध हो जाता है ।” यह कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि यहा सामर्थ्यका कौन सा अर्थ अभीष्ट है ? फल पैदा कर देना अथवा उसकी योग्यता रखना ? प्रथम अर्थ समव नहीं । क्योंकि पूर्वोक्त प्रसङ्ग और विपर्ययमे आपादक भी आपाद्यरूप ही हो जायगा । क्योंकि तब आपके प्रसङ्गका यह स्वरूप होगा—बखारका वीज यदि अङ्कुर करे तो अङ्कुर करे । एव उत्तरस्थ वीज यदि अङ्कुर न करता तो अङ्कुर न करता—इस प्रकार दोनों प्रसङ्गोंमे जो ही साध्य है, वही साधन भी हो जाता है । इसी तरह दोनों ही विपर्ययोंमे भी साध्य साधन एक ही हो जाते हैं । उक्त प्रसङ्गोंके विपरीत विपर्ययोंका स्वरूप यह होगा—कुशलस्थ वीज अङ्कुर नहीं करता है, इसलिये अङ्कुरासमर्थ है अर्थात् अङ्कुर नहीं करता है । एव क्षेत्रस्थ वीज अङ्कुर करता है इसलिये अङ्कुर समर्थ है अर्थात् अङ्कुर करता है । यहा भी साध्य और साधन अभिन्न हो गये । किसी साध्यकी सिद्धिके लिये साधनको उससे भिन्न होना चाहिये ।

१. प्रसङ्गनदविपर्ययाभ्याम्—१ पु० पा०

२. वरण वा—१ पु० पा०

३. साध्य आपकम् आपाद्यानुमेयसाधारणम् । तथा चापाद्यानुमेयाभ्यामा पादकानुमापकम् दक्षिणप्रसङ्गादित्यर्थः ।

व्याधृति^१मेदादयमदोप इति चेत्, न, तदनुपपत्तेः । ज्ञावर्त्तभेदेन पिरोधो हि तन्मूलम्^२ । स च न तामनिष्ठोव्यावर्यशीक्षेपाद् गोत्वाश्वत्मपत्, तथा सति पिरोधादन्पतरापाये^३ वाधासिदृध्योरन्यतरप्रमहाद् ।

यदि ऐसा कहो कि—“सामर्थ्ये हेतु असमर्थव्याधृतिरूप है और कारित्व साध्य अकारित्याधृतिरूप है । दोनों व्याधृतियोंके मिल होनेसे सामर्थ्यरूप साधन और कारित्व (करना) साध्यम भी भेद होकर साध्य-साधनमें एक्यापत्तिदोप नहीं था सकता ता यह भी असङ्गत है । क्योंकि इन दोनों व्याधृतियोंके परस्पर भिन्न होनेका मूल है—मर्मर्थ और कारोरूप व्यावर्त्याम भेद होनेसे उक्त व्याधृत्योंका परस्पर विरोधी होना । किन्तु इन व्याधृतियोंमें आत्यन्तिक या आशिक किसी प्रकारका विरोध सिद्ध नहीं हो सकता है । बारण, जैसे गोच (अगोच्याधृति) और अश्वत्व—(अनश्वव्याधृति) रूप व्याधृतियोंमें आत्यन्तिक विरोध है, क्योंकि गोत्व धर्म सभी अध्योंका परित्यागकर गोमात्रमें ही रहता है, एव अश्वत्व धर्म भी सभी गौओंका परित्यागकर अश्वमात्रमें ही रहता है, वैसे ही सामर्थ्य और कारित्वरूप व्याधृतियोंमें भी यदि आत्यन्तिक विरोध माना जाय तो सामर्थ्य हेतुसे कुशलस्थ (वस्त्रारत्थित) बीजमें कारित्व साध्यका आपादन अर्थात् पूर्वोक्त प्रसङ्ग ही नहीं वन सकता है । क्योंकि उक्त विरोधके कारण बीजरूप पक्षमें सामर्थ्यरूप हेतु और कारित्वरूप साध्य एक साथ रह नहीं सकते, इसलिये पक्षमें किसी एक का अमाव अवश्य रहेगा । एसी दशामें पक्षभूत बीजमें यदि सामर्थ्य हेतु रहा तो कारित्व साध्य नहीं रह सकता इस प्रकार

१ सामर्थ्यपदम् असमर्थव्याधृतिरूप, करण दपदच अकरणव्य वृत्तिरमतो व्याधृतिभेदात् साध्याविचिट्यप्रसङ्ग इति मात्र ।

२ व्यावर्त्यमिह व्याधृत्तरात्रयो विशेष्य व्याधृत्युपग्राह्य मति यावत् तामूर्म् व्याधृतिभेदमूर्मित्यथ ।

नापि तदाक्षेपप्रतिस्तोपाभ्यां वृक्षत्व-शिशपात्ववत्, परापर-
भावानभ्युपगमात् ।

अभ्युपगमे चा समर्थस्याप्यकरणमप्समर्थस्यापि चा करणं
प्रपञ्चेत ।

बाधदोप^१ तथा कारित्व साध्य रहा तो सामर्थ्य-हेतु नहीं रह सकता, इस प्रकार असिद्धि दोष आ जाता है। एवं कारित्व हेतुसे सामर्थ्य सिद्ध करनेमें भी बाध और असिद्धि दोष हो जायगा। क्योंकि विरोधके कारण हेतुके रहनेपर साध्य नहीं रहेगा और साध्यके रहनेपर हेतु ही नहीं रह सकेगा। ऐसे ही अकारित्व हेतुपे असामर्थ्यरूप साध्यका अनुमान करनेमें भी बाध और असिद्धि दोष हो जाते हैं। क्योंकि अकारित्व रहने पर सामर्थ्यके न होनेसे बाध होगा तथा असामर्थ्य रहने पर कारित्वका न रहना ध्रुव होनेमें अकारित्व हेतुमें स्वरूपासिद्धि दोष हो जायगा। इस तरह कुशल- (धन्यार) स्थ और क्षेत्रस्थ बीजमें पूर्वोक्त प्रकारसे दिशाया गया प्रसङ्ग और विपर्ययरूप अनुमान ही दृष्टिपूर्ण हो जाता है थीर क्षणिकत्वसिद्धिके योग्य नहीं रह जाता है।

“सामर्थ्य और कारित्वरूप व्यावृत्तिओंका वृक्षत्व और शिशपात्व-के समान कुत्रका महण और कुद्रका परित्याग कर आंशिक विरोध भी मानना ठीक नहीं है। अर्थात् जैसे शिशपात्व-धर्म वृक्षत्वके साथ सीसमके वृक्षमें रहता भी है और वृक्षत्व-धर्म वाले आमादि वृक्षों-का परित्याग भी करता है, वैसे ही सामर्थ्य और कारित्व-धर्ममें भी परस्पर आंशिक विरोध रहेगा और उन्नेसे ही दोनों व्यावृत्तियोंमें भेदकी सिद्धि हो जायगी” यह भी नहीं कह सकते हो। क्योंकि वृक्षत्व और शिशपात्वके समान सामर्थ्य और कारित्वमें व्याप्यव्यापकभाव नहीं मानते हो। अर्थात् आपसमें जहाँ व्याप्यव्यापकभाव रहता है, वही आंशिक विरोध भी रह सकता है।

यदि इसके लिये व्याप्यव्यापकभाव मानो तो जैसे वृक्ष होता हुआ

१. यदि कारित्व सामर्थ्येन प्रतिधिष्ठेत तदाऽपादावाध. स्यात्, यदि कारि-
त्वेन सामर्थ्यं प्रतिधिष्ठेत तदाऽपादावकाचिद्विरित्यर्थ इति पाद्मारभित्र ।

नाप्युपाधिभेदात् कार्यत्वानित्यत्ववत्, तदभावात् ।

न च शब्दमात्रमुपाधिः, पर्यायशब्दोच्छेदप्रसङ्गात् ।

नापि विकल्पभेदः, स्वरूपकृतस्य तस्य व्यावृत्तिभेदकत्वे ॥

भी आम सोसम नहीं रहता, वैसे ही समर्थ भी अकारी (नहीं करनेवाला) हो जाय और असमर्थ भी करनेवाला हो जाय । मारांश यह है कि जो व्यापक होता है वह व्याप्त्यके विना भी रह जाता है । इसलिये यदि सामर्थ्यको व्यापक और कारित्यको व्याप्त्य मानो तो समर्थको भी नहीं करनेवाला मानना पड़ेगा । अथवा यदि कारित्यको व्यापक और सामर्थ्यको व्याप्त्य मानोगे तो असमर्थको भी करनेवाला मानना पड़ेगा, जो सर्वथा अयुक्त है ।

यदि कहो कि कार्यत्व और अनित्यत्वके समान सामर्थ्य और कारित्यरूप व्यावृत्तियोंमें भी उपाधिकृत^१ भेद है, तो वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि यहां कोई उपाधि ही नहीं है । अर्थात् कार्यत्व और अनित्यत्व-धर्ममें गोत्र अश्वत्वके समान आत्यन्तिक या पृक्षत्वशिंशपात्व-के समान आंशिक किसी प्रकारका विरोध नहीं है । यहा तरु कि ये दोनों धर्म कहीं भी साथ ही रहते हैं, फिर भी प्रागभाव और ध्वस-रूप उपाधियोंके भेदसे ये भी भिन्न माने जाते हैं । परन्तु यहों परस्पर समव्याप्त सामर्थ्य और कारित्य धर्मको भिन्न करनेवाले उपाधि भी नहीं हैं ।

“सामर्थ्य और कारित्य अर्थोंके बोधक समर्थशब्द और कारीशब्द ही उन्हें भिन्न करनेवाले उपाधि हैं” यह भी नहीं हो सकेगा । क्योंकि शब्दमात्रके भेदसे यदि बोध्य अर्थ भिन्न हो जाय तो पर्याय शब्दोंका ही उच्छेद हो जायगा । क्योंकि वे ही शब्द पर्याय माने जाते हैं जो आपसमें तो भिन्न होते हैं पर उनका बोध्य अर्थ अभिन्न रहता है ।

“सामर्थ्यका ज्ञान कारित्यके ज्ञानसे भिन्न बस्तु है, इसलिये भिन्न-भिन्न ज्ञान ही इन दोनोंके भेदक उपाधि हैं” । यह भी अयुक्त है ।

१. प्रागभावच्छम सर्व कार्यत्वम्, ध्वसाव०=द्वस० स०यमनित्यत्वमिति भेदः ।

समर्थव्यावृत्तेरपि भेदप्रसङ्गात् । विपर्यकृतस्य तु तस्य भेद-
व्यते^१न्योन्याश्रयप्रसङ्गात् ।

न च निनिमित्त एवायं व्यावृत्तिभेदव्यपहारोऽतिप्रसङ्गात् ।

नापि द्वितीयः । सा च सहकारिमाकर्त्यं वा प्रातिस्तिकी
वा ?

क्योंकि सामर्थ्य और कारित्व रूप व्यावृत्तियोंको भिन्न करनेवाला जो
ज्ञानरूप उपाधियोंमें भेद है, उसे स्वरूपकृत मानते हो या विपर्यकृत ?
यदि प्रथम पक्ष कहो तो असमर्थव्यावृत्ति (सामर्थ्य) भी अपने ही से
भिन्न होने लगेगी । क्योंकि असमर्थव्यावृत्तिके ही अनेक बार करके
हुए ज्ञान विपर्यके एक होनेपर भी स्वरूपत अर्थात् अपने अपने
व्यक्तित्वके विचारसे भिन्न भिन्न हैं । यदि द्वितीय पक्ष कहो तो अन्यों
न्याश्रय दोष आ जायगा । क्योंकि सामर्थ्य और कारित्व रूप विषयमें
भेद ज्ञानभेदके अधीन होगा और उनके ज्ञानोंमें भेद उन्हीं विषयोंके
भेदके अधीन होगा । इस प्रकार अन्यों-गाभ्य दोष हो जाता है ।

यदि सामर्थ्य और कारित्व रूप व्यावृत्तियोंमें भेदव्यवहारको
विना कारण मानो तो अतिप्रसङ्गदोष हो जायगा । अर्थात् तब सामर्थ्य
ही मामर्थ्यसे और कारित्व ही कारित्व से भिन्न होने लगेगा । इस तरह
अभेदभावका लोप हो जायगा ।

बुशूलस्थ वीज यदि अकुर समर्थ हो तो अकुर उत्पन्न करे इत्यादि
पूर्वोक्त प्रसङ्ग और विपर्ययमें सामर्थ्यपदका अकुर पैदा बरनेकी
योग्यतारूप द्वितीय अर्थ मानो तो उक्त प्रसङ्गका यह अर्थ होगा—
बुशूलस्थ ग्रीज अकुरकी योग्यता रखता हो तो अकुर पैदा करे, नहीं
पैदा करता है, इसलिए अकुरके योग्य नहीं है । ऐसी दशामें साधन
और साध्यमें ऐक्यापत्तिरूप दोष वो नहीं होगा, क्योंकि योग्यता
दूसरी वस्तु है और अकुर उत्पन्न कर देना दूसरी । तथापि यह
पक्ष भी निर्दोष नहीं है । क्योंकि यहाँ वीजमें अकुरकी योग्यता
अकुरके लिये भट्टी, पानी आदि वीजके जितने भी सहकारी हैं उन-

न तत्त्वदायः पचः, सिद्धसाधनात् परा^१नम्युपगमेन हेत्य-
मिद्येथ । यत् सहकारिसमवधानरत् ताद्व करोत्येति तो नाम
नाभ्युपैति^२ यमुद्दिश्य माध्यते । न चामरणकाले सहकारि-
समवधानवत्त्र^३ भस्माभिरभ्युपेयते, यतः प्रसङ्गः प्रतर्तेत ।

प्रातिस्थिरी तु योग्यता अन्वयव्यतिरेक^४ द्विपरीभृत वीजत्वं
वा स्यात्, तदवान्तरजातिभेदो^५ वा सहकारिवैश्वल्यप्रयुक्तवर्णा-
भाववत्त्वं वा ?

सत्रोंके समवधानके राण मानते हो अथवा प्रातिस्थिकी योग्यता मानते
हो ! अर्थात् स्वभावसे ही प्रत्येक वीजमे यह् योग्यता है ?

यहों प्रथम पक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि तप आपके प्रसङ्ग और
विषयव्ययका स्वरूप यह होगा 'कुशुलस्थ वीज यदि अपने सहकारियोंसे
युक्त होता तो अकुर करता, नहीं करता है, इसलिये सहकारियोंसे
युक्त नहीं है । इस स्थितिमें यहा सिद्धसाधनदोष आ जाता है । एव
स्थिरवादियोंको कुशुलस्थ वीजमें सहकारियोंका समवधान-अस्वीकृत
होनेके कारण प्रसङ्गमे दिया हुआ हेतु भी असिद्ध है । क्योंकि जो
सहकारियोंके सहित है, वह करता ही है" इसे कौन नहीं मानता है ?
जिसके प्रति यह साधन कर रहे हो । एव अकुर नहीं करनेमाले
कुशुलस्थ वीजमे इस सहकारियोंका योग तो मानते नहीं कि आपका
दिया कारित्वका प्रसङ्ग लागू हो ।

आपका द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि वीजमें स्वाभाविक
अकुर योग्यता तो तीन प्रकारकी हो सकता है । प्रथम वीजके रहते
अकुर होता है और उसके अभावमें नहीं होता, इसलिये अन्वय-
व्यतिरेकज्ञानका विषयभूत वीजज्ञातिका होना ही अकुर योग्यता है ।

१. पर स्थिरवादी । २. नाम्युपगच्छति—१ पु० पा०

३. समवधानवत्तास्माभि—१ प० पा०

४. अवयव्यतिरेकेतिपूर्म् अवयव्यतिरेकप्रहृपरम् ।

५. बोद्धाभिमत कुशुलस्थम् ।

न तावदायः, अर्कुर्वतोऽपि वीजजातीयस्य प्रत्यवमिद्वचात् ।
तवापि तत्राविप्रतिपत्तेः ।

न द्वितीयः^१, तस्य^२ कुर्वतोऽपि मयानभ्युपगमेन दृष्टान्तस्य
माधवनविकलत्वात् । को हि नाम सुस्थात्मा ग्रामाणशून्यमभ्युप-
गच्छेत् । स हि न तावत् प्रत्यक्षेणा^३नुभूयते, तथानवै^४मायात् ।

दूसरा, वीजकी किसी अवान्तरजाति—(कुर्वद्रूपत्व) का होना । और
तीसरा, वेदल सहकारिहीनताके ही कारण अकुर न कर सकना । अर्थात्
पत्थरके दुरुङ्गोंके समान नहीं कि जो सहकारियोंके विचासान रहनेपर
भी अंकुर नहीं करते ।

इनमें प्रथम प्रकार (वीजजातिका होना) ठीक नहीं है । क्योंकि
तब आपके प्रसङ्ग और विपर्ययका यह स्वरूप होगा “कुशुलस्थ पदार्थ
यदि वीजजातिका होता तो अकुर करता, नहीं करता है, इसलिए वह
वीजजातिका नहीं है” । किन्तु अंकुर नहीं करते हुए भी धार्मादिक
वीजजातिके है, यह प्रत्यक्षसिद्ध है । उनके वीजजातिके होनेमें तुम्हें
भी विवाद नहीं है ।

वीजका कुर्वद्रूपत्व जातिका होनारूप द्वितीय प्रकारकी योग्यता-
का मानना भी ठीक नहीं है । क्योंकि तब आपके प्रसङ्गका यह
स्वरूप होगा “कुशुलस्थ वीज यदि कुर्वद्रूपत्व-जातिवाला होता तो क्षेत्र-
पतित वीजके समान अकुर करता” । पर यहाँ में अकुर करनेवाले
क्षेत्रस्थ-वीजमें भी कुर्वद्रूपत्वगामकी जाति नहीं मानता, इसलिये
आपका दृष्टान्त हेतुशून्य है । दृष्टान्त यही होता है, जिसे वादी प्रति-
वादी दोनों एक सा मानते हैं । पर कौन स्वस्थ दिमाग वाला हपकि
होगा, जो इस तरहकी ग्रामाणशून्य वस्तुको माने । क्योंकि वह

१. नापि द्वितीयः—३ पु० पा०

२. तस्य = जातिविशेषस्य ।

३. प्रत्यक्षम् = निविकल्पकम् । निविकल्पकस्यैव त्वमते प्रामाण्यस्वी-
कारादित्यर्थ ।

४. अनवयामात् = अनुवयवसायामावादित्यर्थ ।

नाप्यनुमानेन, लिङ्गाभावात् । यदि न कश्चिद्दिशेषः, कथं तहि करणाकरणे इति चेत्, क एवमाह नेति । परं किं जाति-भेदरूपः^१ सहकारिलाभालाभरूपो वेति नियामकं प्रमाणमनु-मरन्तो न पश्यामः ।

तथापि योऽयं सहकारिमध्यमध्यासीनोऽस्तेषुकरणस्वभावो^२ भावः, स यदि प्रागप्यामीत् तदा प्रसद्य कार्यं कुर्वण्णो गीर्वाण-शापशतेनापि अपहस्तयितुं न शब्दयते इति चेत्, युक्तमेतत् यद्यज्ञेषुकरणस्वभावत्वम्^३ भावस्य प्रमाणगोचरः स्यात्, तदेव कुतः सिद्धमिति नाधिगच्छामः ।

(कुर्वद्वूपत्व जाति) प्रत्यक्ष से नहीं मालूम पड़ती है । कारण, क्षेत्रस्थ बीजको देखकर—यह कुर्वद्वूपत्व-जातिवाला है—ऐसा किसीको अनुभव नहीं होता है ।

अनुधानसे भी कुर्वद्वूपत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई लिङ्ग (साधन) नहीं है । यहाँ जो तुम यह पूछो कि “यदि चखार और खेनके बीजमें कोई विशेषता नहीं है, तो क्यों एक अकुर करता है और एक नहीं करता ?” तो विशेषता नहीं है—ऐसा कहता कौन है ? परन्तु वह विशेषता क्या कुर्वद्वूपत्व-जातिका होना और न होना है ? अथवा सहकारियोंका लाभ और अलाभरूप है ? इसका निर्णय करनेवाले प्रमाणका अन्वेषण करते हुए हम उसे (प्रमाणको) नहीं पाते हैं ।

‘तो भी, जो यह सहकारियोंके मध्यमे रह अविलम्ब अङ्कुरोत्पादक-स्वभाववाला भाव पदार्थ है, वही यदि पहले (चखारमे) भी था, तो उस समय भी अङ्कुरोत्पत्ति करता हुआ वह आपकी देवताके सौ शारोंसे भी नहीं रोका जा सकता है’ किन्तु ऐसा यहना भी तुम्हारा तब

१. जातिभेदः = कुर्वद्वूपत्वम् ।

२. स्वोत्पत्तिक्षणे एव कारित्वमक्षेषुदकारित्वम् ।

३. धर्मत्वं २ पू० पा०

प्रसङ्गत द्विपर्यगम्यामिति चेत्, न, परस्पराश्रयप्रसङ्गात् । एव स्वभावत्वमिद्धौ^१ हि तयोः प्रवृत्तिः, ततप्रवृत्तौ चैवंस्वभा-वत्वमिद्धरिति ।

स्पादेतत् । कार्यजन्मैव अस्मिन्बैः प्रमाणं, विलम्बकारि-स्वभावानुवृत्तौ कार्यानुत्पत्तिः सर्वदेति चेत्, न, विलम्बकारिस्व-भावस्य सर्वदैवाकरणे तत्त्वव्याघातात् । ततश्च विलम्बकारीत्यस्य ठीक हो जबकि भाव-घस्तुका अविलम्ब कार्य उत्पन्न करनेनारूप स्वभाव प्रमाणित हो । किन्तु वही (उक्त स्वभाव) कैसे सिद्ध है, इसे हम नहीं समझ पाते ।

यदि यह कहो कि “बीज यदि अविलम्ब अद्भुत करनेका स्वभाव-वाला न होता तो पत्थरके समान वादमें भी अद्भुत नहीं करता, किन्तु अद्भुत करता है, इस लिये वह अविलम्ब अद्भुत करनेका स्वभाववाला है” इस प्रसङ्ग और विपर्ययसे उक्त स्वभाव सिद्ध हो जायेगा— तो यहां अन्योन्याश्रयदोष आ जायगा । क्योंकि कहीं भी पहले इस प्रकारके स्वभावका होना प्रसिद्ध हो तो उक्त प्रसङ्ग और विपर्ययकी प्रवृत्ति हो सके तथा पहले उक्त प्रसङ्ग और विपर्ययकी प्रवृत्ति हो सके तथा स्वभावका होना सिद्ध हो । इस प्रकार प्रत्येकको अपनी सिद्धिके लिये एक दूसरेकी अपेक्षा होनेसे किसीकी भी सिद्धि नहीं हो सकती है ।

“अस्तु, कार्यकी उत्पत्ति ही बीजके अविलम्बकारी स्वभावका होनेमें प्रमाण है । क्योंकि यदि यह विलम्बकारी स्वभावका हो तो उसका वह स्वभाव सदा यना रहेगा, इस प्रकार कभी भी कार्यकी उत्पत्ति ही नहीं होगी । इससे सिद्ध होता है कि बीज अविलम्बकारी स्वभावका ही है” यह युक्ति देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विलम्बकारी स्वभाववाला पदार्थ यदि कभी भी कार्य न करे तो उसका विलम्बकारित्व अर्थात् विलम्बसे करना यह विशेषण ही असङ्गत हो जायगा । इसलिये ‘विलम्बकारी, इस पदका “जब उक्त सहकारियोंका असञ्चिधान रहे

यावत्सहकार्यसन्निधानं तावन करोतीत्यर्थः । एवं च कार्य-
जन्म सामग्र्यां प्रमाणपितुं शक्यते न तु जातिभेदे । ते तु किं
यथानुभवं विलम्बकारिस्वभावाः परम्परं प्रत्यामन्नाः कार्यं कृतवन्तः? किं
वा यथा त्वत्परिकल्पनं विप्रकारिस्वभावाः ? इत्यत्र कार्य-
जन्म^१मजाग्रहकमेवेति ।

नापि तृतीयः, विरोधात् । सहकार्यभावप्रयुक्तकार्यभाव-
चार्यं सहकारिविहे कार्यवाँशेनि व्याहतम् । तस्माद् यद् यद-
भावे एव यन्म करोति तत् तत् सद्भावे तत् करोत्येव इति तु
स्यात् । एतच्च स्थैर्यमिद्देवे परं वीजं सर्वस्वस्मिति ।

तर तरु नहीं करनेवाला" यह अर्थ है । अर्थात् यह सामग्रोके जुटनेपर
ही कार्य करेगा । इस प्रकार कार्यकी उत्पत्ति तो सामग्रीके जुटावमें
प्रमाण हो सकती है न कि तुम्हारी कल्पित कुर्वद्वृपत्व जातिके होनेमें । तर क्या वे वीज अनुभवके अनुसार विलम्बकारी स्वभावके
होते हुए भी सहकारियोंसे मिलकर कार्य किये ? अथवा जैसी कि
तुम्हारी कल्पना है—क्षिप्रकारी (अविलम्बकारी) स्वभावके होनेके
कारण ? इसमें कार्य जन्म प्रमाण होनेमें उदासीन है । अर्थात् स्व
कषोलकल्पनाकी अपेक्षा अनुभवको ही प्रमाण गानना समुचित है ।

वीजके स्वाभाविक अड्कुरयोग्यतापक्षमें हीसरा प्रकार भी ठीक
नहीं है, क्योंकि स्ववचनमें ही विरोध हो जायगा । अर्थात् कुशलस्थ
बीजको तुम भी सहकारीरहित मानते हो । ऐसी दशामें तुम्हारे
प्रसङ्गका यह स्वरूप होगा "सहकारीरहित वस्तारका वीज यदि
सहकारीके विना कार्य (अड्कुर) न करता हो तो कार्य करे" । यह
परस्तर व्याहत बचन है । इसलिये यह तो हो सकता है कि" जो ही
जिस वस्तुके विना जिस कार्यको नहीं करता है, वही उस वस्तुके आ
जानेपर उस कार्यको कर देता है" । किन्तु यह तो हमारी स्थैर्य-
सिद्धिका ही एकमात्र मूल है । क्योंकि उक्त नियममें एक ही बीजका
पहले सहकारीके विना और पीछे सहकारीके साथ रहना सिद्ध होता
हुआ उसके क्षणिकत्वका विरोध करता है ।

एतेन समर्थं व्यवहारगोचरत्यं हेतुरिति निरस्तम् । तादग-
च्यगहारगोचरस्यापि वीजस्याङ्कुराकरणदर्शनात् । नासौ मुख्यस्तद्दे-
च्यगहारः^१, तस्य जनननिमित्तफल्यात्, अन्यथा स्यनियम-
प्रमङ्गादिति चेत्, कीदर्शं पुनर्जननं मुख्यसमर्थव्यवहारनिमित्तम् ?
न तामदक्षेयरुरणं, करणमेवेत्येवं स्वभावत्वेनाऽप्युपत्तेः । ततश्च
जनननिमित्त^२ एवायं व्यवहारो न व्याप्तिसिद्धिरिति ।

इससे “समर्थव्यवहारका विपय होना अर्थात् अड्कुरसमर्थ कहा
जाना ही अड्कुरकारो होनेमे देतु है” यह भी खण्डित हो गया ।
क्योंकि अड्कुरसमर्थ कहे जाते हुए भी कुशलस्थ वीजका अड्कुर
नहीं करना देखा जाता है ।

यदि ‘कुशलस्थ वीजमे अड्कुरसमर्थत्वका व्यवहार मुख्य (वास्त
विकृ) नहीं है, क्याकि वास्तविक व्यवहारका कारण तो कार्यका पैदा
करना है, जो कि खेतमे घोये गये वीजमें ही है । अन्यथा भ्रमवशान्
पत्थरमें किया गया अड्कुर समर्थत्वका व्यवहार भी वास्तविक व्यवहार
हो जायगा” । तो किर किस प्रकार कार्य पैदा करना वास्तविक समर्थ
व्यवहारका कारण मानते हो ? यहा अविलम्बसे कार्य पैदा करना
समर्थ व्यवहारका निमित्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वह असिद्ध है ।
कारण यह है कि कोई भी कारण अपने सहकारियोंके बिना कार्य नहीं
करता, इसलिये विलम्बसे कार्य करना स्वाभाविक है, जो कुशलस्थ
वीजमें भी है ही । व्यवहारमे अनियम तो इसीसे मिट जायगा कि
वीज सहकारियोंके जुटनेपर ही करता है, और सहकारियोंके जुट
जानेपर करता ही है । इसलिये पत्थरमे अड्कुर समर्थत्वका व्यवहार
वास्तविक क्यों कर होगा ?

इसलिये कदाचित् अड्कुर पैदा करना ही अड्कुर समर्थत्व-व्यवहारका
निमित्त है, न कि अविलम्ब पैदा करना । अत तुश्लस्थ वीज अड्कुर
समर्थ कहा जायगा । पत्थर तो कभी भी अड्कुर नहीं करता, इसलिये वह
अड्कुर समर्थ नहीं कहा जा सकता ।

१. तत्र व्यवहार — १ पु० पा०

२. स्वभावत्वे — १ पु० पा० ।

३. जनननिवधन — १ पु० पा०

स्यादेतत् । एतावतापि भावस्य कः स्वभावः ममर्थितो
भवति ? न हि स्त्रीपास्त्राभ्यामन्यः प्रकारोऽस्तीति चेत् , 'न,
दूषणाभिधानसमये' निश्चयाभावेनैव मंदिग्धाभिद्विनिर्वाहे कथापूर्व-
रूपैपर्यग्नानात् । उत्तरपक्षार्थमरे तु मोऽपि न दुर्बचः ।

इस प्रकार "जो समर्थ व्यवहारका विषय होता है, वह अकुर
करता है" यह व्याप्ति असिद्ध है । अत प्रसङ्गोपस्थापनमें मूल शैखिल्य
हो जाता है । अथवा "जो सत् है वह क्षणिक है" यह व्याप्ति नहीं
सिद्ध हो सकती है । अत पूर्वमें कहा गया आपका अनुमान क्षणिक-
यादमें प्रमाण नहीं हो सकता है ।

"अस्तु, फिर भी भावबस्तुके कौनसे स्वभावका आप समर्थन
करते हैं ? विलम्बसे करनेका या अविलम्बसे (तत्क्षण) करनेका ?
इन दो प्रकारोंसे भिन्न तीसरा प्रकार नहीं हो सकता है । अर्थात्
किसी भी पदार्थको या तो विलम्बसे कार्य करनेवाला अथवा अविलम्ब
कार्य करनेवाला माना जा सकता है । यदि विलम्बसे कार्य करना
स्वभाव गानें तो सहकारियोंका योग रहनेपर भी नहीं करेगा । यदि
अविलम्ब (तत्क्षण) कार्य करना स्वभाव मानें तो सहकारीकी विना
प्रतीक्षा किये अकेला ही कर देगा" इस प्रकारका उपर्युक्त प्रश्न नहीं
कर सकते हो । क्योंकि इस प्रकारके प्रश्नसे तुम्हारा अभिप्राय मालूम
होता है कि तुम सभी भावोंका अविलम्बारित्व स्वभाव मनवा कर
प्रकृतमें यह प्रसङ्ग देना चाहते हो कि "बखारका बीज अविलम्बकारी
होता तो अकुर कर देता" । किन्तु तुम्हारे पक्षमें दोष देनेके समय
भावोंके स्वभावको अनिश्चय द्वारा सन्देहमें डाले रखकर ही तुम्हारे
साथ हो रही हमारी जल्पकथाका पूर्वरूप पूरा हो जाता है । क्योंकि
भाव स्वभाव का निर्णय हुए विना तुम्हारे पूर्वोक्त प्रसङ्गमें सनिदिग्धा-
सिद्विदोष विना प्रयासके ही आ जाता है और तुम्हारा प्रसङ्ग खटाई
में ही रह जाता है ।

१. दूषणावसरे—१ पृ० पा०

२. पूर्वलग्न = परपक्षखण्डनम् ।

३. उत्तरपक्षः—स्वपक्षस्य स्वैर्यस्य स्थापनम् ।

तथाहि करणं प्रत्यविलम्ब इति कोऽर्थः ? किमुत्पत्तेरनन्तरमेव करणे, सहकारिसमवधानानन्तरमेव वा । विलम्ब इत्यपि कोऽर्थः ? किं यावद्व नहकारिसमवधानं तावदकरणं, मर्वयैवाकरणमिति वा । तच्च प्रथमचतुर्थयोः प्रमाणाभावादनिश्चयेऽपि द्वितीयतृतीययोः प्रत्यक्षमेव प्रमाणम् । वीजजातीयस्यै हि सहकारिसमवधानानन्तरमेव करणे करणमेवेति प्रत्यक्षमिद्वमेव । तथा नहकारिसमवधानरहितस्याकरणपित्यपि ।

अत्र च भवानपि न विप्रतिपद्यत एव, प्रमाणमिद्वर्त्तात् विपर्य-

अपने पक्षका समर्थन रूप कथाके उत्तरपक्षके अधस्तरमें तो भावों का स्वभाव बतलाना भी कठिन नहीं है । क्योंकि कार्य करनेमें अविलम्बका क्या अभिप्राय है ? क्या जब ही यह कारण जन्मले, उसके दूसरे क्षणमें ही कार्य करना ? या कभीका जन्मा होकर भी अपने सहकारियोंके बाद ही कार्य करना ? तथा विलम्बसे भी करनेका क्या अभिप्राय है ? क्या जबतक सहकारियोंरा सन्निधान न हो तबतक न करना ? अथवा कभी भी न करना ? इन चारों पक्षोंमें प्रथम और चतुर्थ पक्ष असिद्ध है । क्योंकि पैदा होते ही करनेमें कोई प्रमाण नहीं है । एवं यदि कभी भी न करे तो संसारमें कभी कोई कार्य ही न दीख पड़े ।

इनमें दूसरा और तीसरा पक्ष यदि आपको अभिन्रेत हो तो उसमें प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । क्योंकि वीजजातिका सहकारियोंके योगमें ही करना और अवश्य करना यह तो प्रत्यक्ष-सिद्ध ही है । इसी तरह सहकारियोंके अभावमें नहीं करना भी प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है । इन दूसरे और तीसरे पक्षोंके माननेमें आपको भी विरोध नहीं होगा, क्योंकि ये प्रत्यक्षसिद्ध हैं । वल्कि इनके न माननेमें ही अनेक घाघायें हैं ।

१. क्षणिकदत्तवादिभिरेतस्या व्यक्तो करणाकरणयोरनन्तीकारात् वीजजातीयस्येत्युत्तम् ।

ये वाधकाच्च । तथाहि यदि सहकारिविरहेऽकुर्वाणस्तत्समवधानेऽपि न कुर्यात्, तज्जातीयमकरणमेव^१ स्यात्, समवधानासमवधान्योरुम्योरप्यकरणात् ।

एवं तत्समवधानविरहेऽपि यदि कुर्यात्, सहकारिणो न कारणं स्युः, तानन्तरेणापि करणात् । तथा चानन्यथामिद्वान्वयव्यतिरेकवतामप्यकारणत्वे कार्यस्याकस्मिकत्वप्रमङ्गः^२ । तथा च कादाचित्कल्प^३ विहतिरिति ।

क्योंकि सहकारियोंके अभावमें न करनेवाला कारण यदि सहकारियोंके सञ्जिधानमें भी कार्य न करे तो वह जाति ही अकारण हो जायगी । क्योंकि सहकारीका सञ्जिधान और असञ्जिधान दोनों दशाओं में वह वस्तु नहीं करती है । जैसे कि मट्टी, पानी आदि सहकारियोंके योगमें अथवा अभावमें भी पत्थरसे अकुर नहीं पैदा होता, इसलिये समझा जाता है कि पत्थर जाति ही अंकुरके प्रति अकारण है ।

इसी प्रकार सहकारियोंके असञ्जिधानमें भी यदि कार्य करे तो सहकारी पदार्थ कारण ही न कहे जाय, क्योंकि उनकी विना अपेक्षा किये ही कार्य कर देता है । इस प्रकार जो वस्तु अन्यथासिद्ध नहीं है और कार्यके साथ अन्यथाव्यतिरेक सहचार वाली है, वह भी यदि कारण न हो तो विश्वका कार्यमात्र ही आकस्मिक (विना कारणका) हो जायगा । अर्थात् कार्योत्पत्ति की कोई व्यवस्था ही नहीं रह जायगी । ऐसी दशामें कार्यका किसी समयमें नहीं रहना और पीछे हो जाना—यह नहीं बनेगा । क्योंकि कार्यको कारणके अधीन माननेसे ही कारणके अभावमें कार्यका नहीं होना और कारणकी सत्तामें कार्यका होना—यह व्यवस्था बन पाती है । विना कारणके कार्य माननेमें तो कब कार्य होगा और कब नहीं होगा—इसका ठिकाना ही नहीं रहेगा । इस स्थितिमें कार्य या तो सदा ही रहेगा या कभी न होगा ।

१. तज्जातीयमवारणं स्यात्—२ पू० पा०

२. कार्यस्पाकरणत्वप्रसङ्गः—२ पू० पा०

३. किञ्चित्कालेऽसतः किञ्चित्कालमस्वं कादाचित्कल्प् ।

एवं च द्वितीयपत्रिपक्षाग्यामस्तेषुकारित्वमेव भावस्थ स्व-
भावः । तृतीयपत्रिपक्षादार्या तु स्तेषुकारित्वमेव भावस्थ स्वरूपमिति
नोभयप्रकारे निवृत्तिरिति ।

तथापि किममपर्यस्यैव सहकारिविरहः, स्वरूपलाभानन्तरं
कर्तुरेव वा सहकारिसमवधानम्, अन्यथा वेति । किं नियामक-
मिति चेत् इदमुच्यते । कुशलस्थवीजस्याङ्कुरानुकूलः शिलाशरु-

इस प्रकार भाव पदार्थका क्या स्वभाव है ? इस प्रश्नका यही उत्तर
हो सकता है कि—अविलम्ब और विलम्बके पूर्वोक्त चारों पक्षोंमें यहि
दूसरा लिया जाय वो अविलम्बसे करना ही भाववस्तुका स्वभाव है और
तीसरे पक्षके लिये जाने पर वो विलम्बसे करना ही भावका स्वभाव है ।
इस तरह परिस्थितिके अनुसार अविलम्बसे करना और विलम्बसे
करना दोनों ही भावके स्वभाव हैं ।

“फिर भी इसका निर्णय कैसे हो कि जो असमर्थ रहता है वही
सहकारियोंसे विहीन रहता है और जो अपना स्वरूप पाते ही कार्य कर
देता है, उसीको सहकारियोंका योग प्राप्त होता है—यह ठीक है, अथवा
समर्थ भी कभी सहकारियोंसे रहित रहता है और वही कभी सहकारी
पाकर कार्य कर देता है—यह ठीक है ? तात्पर्य यह है कि समर्थको
(कुर्वद्रूपको) ही सहकारियोंका योग प्राप्त होता है और वह उनसे
वियुक्त होकर कभी नहीं रहता है । इसलिये कुर्वद्रूप (कार्यमुख) जो
क्षेत्रस्थ वीज है, वही अंकुर समर्थ है—ऐसा मानना चाहिये । कुशलस्थ
वीजको तो अंकुर समर्थ कहना और यह कहना कि वही भविष्यमें
सहकारियोंका योग पाकर अंकुर करता है, दोनों ही गलत हैं ।” इस तरह
के प्रश्न और तात्पर्यबर्णन पर तुमसे मैं यह पूछता हूँ कि पत्थरोंके
डुरड़ोंकी अपेक्षा कुशलस्थ वीजमें ऐसी कोई विशेषता, जो अंकुरके
अनुकूल हो, है कि नहीं ? यदि नहीं है तो अंकुर चाहने वाले वशकि
की नियमत, एक तरफ (कुशलस्थ वीजकी ओर) प्रशुत्ति और दूसरी
तरफ से (पत्थर खण्डकी ओरसे) निवृत्ति नहीं होनी चाहिये ।

लात् वथिदस्ति विशेषो न वा ? न चेन्नियमनेनैव ग्रन्थिः अन्यस्मा^१ निरुचिं तदर्थिनो न स्यात् । परम्परयाङ्कुरप्रमवस-
मर्यनीजवणननादम्येवेति चेत्, यदा पुनः परम्परयापि तथा-
भृत् वरिष्प्यतीति । तथा सन्देह इति चेत्, स पुन उमाराः ?
कि सहकारिषु समवहितेष्पपि वरिष्पति न वेति, उतामवहितेष्पपि
तेषु करिष्पति न वेति ।

अथ यदा महकारिममवधानं तदेव वरिष्पत्येव^२, पर यदा
तेषा समवधानमिति सन्देहः । न वाप्तु पूर्वः, सामन्यत-
कारणत्वाप्याने तस्यानन्मराशात्, अपाशे वा कारणत्वानप्याप्या-
रणात् । नापि द्वितीय, सहकारिणा तत्प्रानधारणे तस्यानन्मराशात्,

यदि वहो कि—पत्थरसे बखारके धीजमें यही विशेषता है कि
बखारका धीज अकुर जामानेमें समर्थ क्षेत्रस्थवीजके क्षणका परम्परया
जानक है—तो बताओ कि परम्परया भी वह क्षेत्रस्थवीजके क्षणको कर
पैदा करेगा ? यदि कहो कि इसम सादेह है, तो वह सादेह किस प्रकार
का है ? क्या—सहकारियोंके रहनेपर भी वह करेगा या नहीं—इस प्रकार
का है ? अथवा सहकारियोंके नहीं रहनेपर भी करेगा या नहीं—इस
प्रकारका है ? अथवा जब सहकारियोंका योग होगा तभी करेगा और
अधश्य करेगा पर क्य सहकारियोंका योग होगा—इसम सादेह है !

इनम प्रम प्रकारका सशय नहीं हो सकता है । क्योंकि सामाय
स्पसे धीजमें कारणवका निश्चय रहनेपर सशय नहीं हो सकता है ।
यदि सशय होगा तो वीन जातिमें कारणत्व ही नहीं वन सकेगा, जो कि
प्रत्यक्षसे सिद्ध है ।

द्वितीय सशयपक्ष भी नहीं हो सकता है । क्योंकि सहकारियों
में यदि कारणत्वका निश्चय है तो उक्त सशयका अवसर ही नहीं होगा,
यदि सशय होगा तो इस रितिमें सहकारियोंमें कारणताका निश्चय

^१ अपरस्मा—१ पृ० ८०

^२ करोत्येव—१ पृ० ८०

अपकाशे वा तेपां तस्वानवधारणात् । तृतीये तु सर्वं एव
तत्मन्तानान्तःप्रतिनो वीजक्षणाः समानशीलाः प्राप्तुयन्ति, यत्र
तथा सहकारि समवधाने सति करणनिष्ठमात्, सर्वत्र च सहकारि-
समवधानमभवत् ।

समर्थं एव क्षणे क्षित्यादिसमवधानमिति वेतु, किमपमर्थं
सहकारिसमवधानमेव नास्ति ? समवधाने सत्यपि वा तस्मान्न
स्यार्यजन्म ?

नाद्यः, शिलाशक्लादावपि क्षिति-सलिल-तेजः-प्रगत्योग-
दर्शनात् ।

न द्वितीयः, शिलाशक्लादिव वदाचित् सहकारिस्याकल्यव-
तोऽपि वीजादद्वकुरानुत्पत्तिदर्शनात् ।

ही नहीं हो सकता । यिन्तु सहकारियोंमें भी कारणत्व है, इसे पढ़ते
ही सिद्ध किया जा चुका है । अतः द्वितीय सशयपक्ष भी अनुपमन है ।

तृतीय सशयपक्षमें तो बरसारमें रहनेसे लेकर खेतमें जाने वक
चीज़के जितने भी क्षण हैं, वे सभी समान स्वभाववाले सिद्ध हो जाते हैं ।
क्योंकि जिस तिस क्षणमें सहकारीका सञ्चिधान होने पर कार्य पैदा हो
सकता है और सभी क्षणोंमें सहकारीका सञ्चिधान भी हो सकता है ।
इस प्रकार सम्पूर्ण वीजजातिमें अकुरकारणत्व सिद्ध होता है ।

यदि वहो कि “जिस क्षणमें अकुर पैदा होता है, उसी क्षणमें मट्टी
पानी आदिका योग हो सकता है, वाकी क्षणोंमें नहीं, इसलिये सभी
क्षण समानशील नहीं हो सकते !” तो क्या असमर्थ क्षणमें सह-
कारियोंका योग ही नहीं हो सकता है ? अथवा योग होने पर भी
उससे कार्यकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है ? यहाँ प्रथम पक्ष ठीक
नहीं है । क्योंकि प्रस्तरसण्डादिमें भी मट्टी पानी गर्मी और हवाका
योग देता जाता है । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि पत्थरके
डुकड़ोंके समान कभी सहकारियोंका योग पाकर भी वीज से अकुरकी
उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये ।

एवमपि स्यात्, को दीपः इति चेत्, न तावदिदमुपलब्धम्। आशङ्कयत इति चेत् न, तत्ममवधाने सत्यपि अकरणवत् तद्विरहेऽप्याशङ्कयेत् । आशङ्कतामिति चेत्, तर्हि वीजविरहेऽप्याशङ्कयेत् । तथा च सति साध्यी प्रत्यक्षानुपलम्भपरिशुद्धिः ।

स्यादेतन, न वीजादीनां परस्परसमवधानवतामेव कार्यकरणमङ्गीकृत्याशद्यक्यते येन समवधाननियमात् सर्वेषामेव तज्जातीयानमेकरसतानिश्चयः स्यात्, नापि थ्रं तत्र समर्थोत्पत्तिमङ्गी-

“ऐसा भी रहे, हानि क्या है ?” यह बहना ठीक नहीं । क्योंकि ऐसा कहीं देखा नहीं गया है । यदि कहो, “ऐसी सभावना की जाती है” तो ठीक नहीं है । क्योंकि सहकारियोंके बोगमें भी जैसे नहीं करने की संभावना करते हो, वैसे सहकारियोंके अभावमें करनेकी भी सभावना की जानी चाहिये । यदि कहो “ऐसी भी सभावना की जा सकती है” तो वीजके पिना भी कार्य होनेकी सभावना की जानी चाहिये । ऐसी दशामें अकुर पैदा करनेके लिये नियमसे वीजकी ओर प्रवृत्ति नहीं होगी । तब तो अन्यथ और व्यतिरेकके द्वारा आप कार्यकारणभावका अच्छा निश्चय करेंगे । अर्थात् विपरीत संभावनाओंके कारण कहीं भी कार्यकारणभावका निश्चय नहीं होगा और नियमित प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होगी । इस प्रकार संसारकी सब चेष्टायें अव्यवस्थित हो जायेंगी ।

“अस्तु, कुर्वदूपताकी अपेक्षा किये विना वीज मट्टी-पानी आदि कारण पारस्परिक सहयोगको पाकर ही कार्य करते हैं—यह मानवा हुआ में क्षणिकत्वका आपादन नहीं करता, जिससे अकुर करनेमें सहकारियोंके सञ्जिधानका नियम होनेके कारण एक ही जातिके कुशलस्थ और त्रैत्रस्थ सभी वीजोंमें समान स्वभाव (अकुर सामर्थ्य) का होना निश्चित हो सके । एवं जहाँ कहीं अकुर-समर्थ वीजक्षणकी उत्पत्ति मानकर भी मैं क्षणिकत्वसिद्धि नहीं करना चाहता, जिससे सहकारिहीनताकी दशामें भी कभी कार्य करनेकी सभावनामें कार्यकारणका परस्पर प्रदृष्टि किये गये अन्यथ व्यतिरेक निः का भङ्ग हो जा—

कृत्य येन विकलेभ्योऽपि कदाचित् कार्यजन्मसंभावनायां प्रत्यक्षानुपलम्भविरोधः^१ स्यात् । किन्नाम वीजादिपु समवहिते-ष्वान्तरजातिविशेषमाश्रित्यापि कार्यजन्म सम्भाव्यत इति ।

न, दृष्टसप्तवधानमात्रेणैवोपपत्तौ तत्कल्पनायां प्रमाणाभावात्

एकत्र जुड़े हुए वीजादिकोंमें अवान्तर जातिविशेष (कुर्वद्रूपत्व) का आश्रय करके ही कार्यत्पत्ति सभव है—ऐसा मानकर ही में क्षणिकत्वकी सिद्धि करना चाहता हूँ । इसलिये हमारे और आपके बीच मुख्यतया विवादका विषय यही है कि अकुर करनेवाले क्षेत्रस्थवीजमें कुर्वद्रूपत्व-नामकी जाति रहती है या नहीं ? जो कि अकुर न करनेवाले कुशलस्थ वीजमें न रहती हो । इस विवादमें कुशलस्थ वीजसे क्षेत्रस्थ वीजको पृथक् कर देनेवाली उक्त जातिके (कुर्वद्रूपत्व) सिद्ध हो जानेपर मेरा क्षणिकपाद रवत सिद्ध हो जाता है ।”

पर इस प्रकारसे कुर्वद्रूपत्व जातिका मानना और उससे क्षणिकत्वकी सिद्धि करना भी ठीक नहीं है । क्योंकि खेतमें रहनेकी दशामें वह वीज सहकारियोंके सहित देखा गया है, यसारमें रहनेकी दशामें यही वीज सहकारियोंसे रहित देखा गया है, इसीसे अकुर करना और न करना दोनों ही बन जावे हैं । अतः कुर्वद्रूपत्वनामकी नयी जातिकी कल्पनामें कोई प्रमाण नहीं है । क्योंकि वीजत्व-जातिको अंकुरका निमित्त माननेमें लाघव है, जो प्रत्यक्षसिद्ध है । इसके विपरीत अतीन्द्रिय (अप्रत्यक्ष) कुर्वद्रूपत्व-जातिकी कल्पना करनेमें गौरव दोष है ।

दूसरा दोष यह है कि इन्द्रियादि अतीन्द्रिय (सूदूर) वस्तुओंका विलोप ही जायगा । क्योंकि तुम्हारे मतानुसार बादरी आटोक आदि कुर्वद्रूप ही वस्तुओंके साक्षात्कारके प्रति कारण हो जायेगे और इन्द्रियों अकारण हो जायेगी ।

तीसरा दोष यह है कि कुर्वद्रूपत्वमें वीजत्वका संप्रादकत्व या प्रति-क्षेपकत्वरूप विकल्प नहीं बन सकता है, क्योंकि कुर्वद्रूपत्व जाति वीजत्व-

कल्पनागौरवप्रसङ्गप्रतिहतत्वात् अतीन्द्रियेन्द्रियादिमिलोपप्रमङ्गात्
मिळत्वानुपपत्तेः विशेषस्थ विशेषप्रति प्रति प्रयोजकत्वाच्छ्वेति ।

तथाहि उत्पत्तेरारभ्य मुद्रप्रहारपर्यन्तं घटस्तान् जात्यन्त-
रानाकान्तं एतानुभूयमानः क्रमत्सहकारिवैचित्र्यात् कार्यक्रोटोः^१
सरूपा मिलुपाः करोति । तत्र एतामतैर्न मर्यस्मिन् समञ्जसे
अनुपलभ्यमानजातिस्त्रोटिस्त्वना^२ केन प्रमाणेन केन वोपयोगेन,
येन कल्पनागौरवप्रमङ्गदोपो न स्पष्टतः^३ । यो यदधं कल्पते
तम्यान्यथासिद्धिरेव तस्यामाप्त इति भवानेत्र आह इति ।

जातिकी समाहिका नहीं हो सकती है, जैसे कि शिशपात्र जाति वृश्चत्तर
जातिकी समाहिका होती है । एव कुर्बद्रूपत्व-जाति बीजत्वकी प्रति-
क्षणिका भी नहीं हो सकती है, जैसे कि गोत्यजाति अशत्वकी प्रतिक्षेपिका
होती है ।

तुम्हारे कथन के विरुद्ध चौथा आक्षेप यह है कि बीजविशेष
(कुर्बद्रूपव्योज) अनुरविशेष के प्रति कारण है, इससे अनुरसामान्यके
प्रति बीजसामान्यका कारण होना खण्डित नहीं होता है । क्योंकि
जैसे विशेषस्थ कारण विशेष होता है, वैसे सामान्य भी सामान्यका
कारण होता है ।

उपर्युक्त मेरे व्याप्तिमें उपपत्ति यह है कि घट अपनी उत्पत्तिसे
लेकर मुद्रगरप्रहार तक अर्थात् विनाशापर्यन्तं घटत्वके अतिरिक्त कुर्बद्रूपत्व
आदि जातियोंसे अनाकान्त ही अनुभव में आता हुआ क्रमशः प्राप्त
सहकारियों को विचित्रताके कारण ही सरूप या विरूप विविध कार्योंको
करता है । अतः जब इतनेसे ही सब कुछ बन जाता है, तब अनुभवमें
नहीं आनेवाली कुर्बद्रूपत्वजाति की कल्पना किस प्रमाणके आधार
पर या किस प्रयोजनसे^४ की जाय, जिससे कल्पनागौरवप्रसङ्गरूप दोप

१. कर्मक्रोटी — २ पू० पा०

२० कल्पन — १ पू० पा०

३. न सिद्ध्येत — २ पू० पा०

दृष्टं च जातिमेदं तिरम्भुत्य स्वभावमेदकल्पनयैव कार्योपत्ती^१
भहकारिणोऽपि दृष्ट्वात् कथञ्चित् स्वीक्रियन्ते, अतीन्द्रियेन्द्रि-
यादिकल्पना तु विलीयेत, मानाभावात् विकल्पानुपपत्तेश्च ।

स खलु जातिविशेषः शालित्वसंग्राहको^२ वा स्यात् तत्प्रति-
च्छेपको वा । आद्ये कुशलस्थस्यापि शालेः कथं न तद्वूपत्वम्,^३
द्वितीये त्वभिमतस्यापि शालेः कथं तद्वूपत्वम् । एवं शालित्वमपि

न हो । अर्थात् प्रमाण और प्रयोजनके अभावमें कुर्वद्वूपत्व-जाति
माननेपर कल्पनागौरवप्रसङ्गरूप दोष होगा ही । आपहीका कहना है कि
“जिस प्रयोजनसे जिस वस्तुकी कल्पना की जाती है, उस प्रयोजनकी
प्रकाशन्तरसे सिद्धि ही उस वस्तु के अभावमें प्रमाण है ।”

एवं प्रत्यक्षसिद्ध धीजत्व-जातिका तिरस्कार करके कुर्वद्वूपत्व-जातिकी
कल्पनासे ही अंकुरादि कार्यकी वृत्तिं माननेमें सहकारियोंको भी
अंकुरादि कार्यके प्रति कारण मानना निरर्थक हो जायगा । यद्यपि
प्रत्यक्ष दृष्ट होनेके कारण सहकारी भी कारणके रूपमें किसी तरह माने
जा सकते हैं, परन्तु अप्रत्यक्ष इन्द्रियादिकी कल्पना तो प्रमाण न होने
से सर्वथा विलीन हो जायगी । क्योंकि तुम्हारे मतानुसार आलोक
(प्रकाश) गोलकादि गत कुर्वद्वूपत्वसे ही रूप-रसादि ज्ञान हो जायगा
और इन्द्रियों अनायश्यक हो जायेगी ।

अमिम विकल्प भी कुर्वद्वूपत्व-जातिमें नहीं बन सकता है । क्योंकि
वह धीजगत जातिविशेष (कुर्वद्वूपत्व) शालित्वका संग्राहक है ? अथवा
उसका प्रतिक्षेपक (विरोधी) है ? यदि प्रथम पक्ष मानो तो घस्तारमें
रहनेवाला धीज भी तो शालि ही है, फिर उसमें भी क्यों नहीं कुर्व-
द्वूपत्व मानते हो ? यदि द्वितीय पक्ष कहो तो तुम्हारे अभिमत चेत्रस्थ
शालिमें भी कुर्वद्वूपत्व कैसे रह सकता है ?

१. कार्योपत्ती—? पु० पा०

२. शालित्वस्य संग्राहकः—? पु० पा०

३. तद्वूपत्वम्—? पु० पा०

तस्य संग्राहकं प्रतिक्षेपतः वा । आद्येऽशालैरत्त्वप्रमङ्गः^१ । द्वितीये
तु शालैरेवात्त्वप्रसङ्गः ।

न च नोभयमपीति वाच्यम् , विरोधाग्निरोधयोः प्रकारान्तरा-
भागत् । व्यक्तिभेदेन संग्रहप्रतिक्षेपागपि न विरुद्धाग्निति^२ चेत्,
ग्रिलोननिदानीं तदतज्जातोयताग्निरोधेन परिदृश्यमानकृतिपय-
च्यक्तिप्रतिक्षेपेऽपि मिथः क्वचित् तुरगविद्ययोरपि सम्भेद-
सम्भवात् ।

यथ यस्य जातिपरिशेषः, स चेत् तं व्यभिचरेत् व्यभिचरेदपि
शिंशापा पादपमपिशेषात् , तथा च गतं स्वभावहेतुना । पिपर्यन्ते

इसी प्रकार शालित्व-जाति भी कुर्वद्वूपत्व जातिका संग्राहक है ।
अथवा उसका प्रतिक्षेपक अर्थात् विरोधी है ? प्रथम पक्षमे शालिसे भिन्न
मसूर आदिके धीजमे कुर्वद्वूपत्वका अभाव हो जायगा ।

यह भी नहीं कह सकते हो कि 'कुर्वद्वूपत्व और शालित्व परस्पर न
संग्राहक हैं और न विरोधी ही हैं, क्योंकि उनमे या तो परस्पर विरोध
मानना होगा अथवा अविरोध मानना होगा । इन दोनों प्रकारोंसे
अविरिक्त कोई तीसरा प्रकार हो नहीं सकता है ।

यदि कहो कि "व्यक्तिके भेदसे संप्रह और प्रतिक्षेप दोनों वन सकते
हैं । अर्थात् खेतमे रहने वाले शालिमे शालित्व और कुर्वद्वूपत्व दोनों
साथ रहते हुप परस्परका संग्राहक भी हो सकते हैं और कुशलस्थ
शालिमें वही शालित्व-जाति कुर्वद्वूपत्वका प्रतिक्षेपक भी हो सकती है
तथा अकेले ही रह सकती है" तर तो एक जातिका अन्य जातिके साथ
विरोध ही लुप्त हो जायगा । क्योंकि प्रत्यक्ष दीख पड़ने वाले कुछ घोड़ों
और पक्षियोंमे परस्पर विरोध रहते हुए भी कहीं अश्वत्व और पक्षित्व
जातिका मिश्रित होकर भी रहना सम्भव हो जायगा ।

एव, जो जिसकी अवान्तर जाति है वह यदि उसे छोड़कर रहे—

१. अतस्त्वापत्ति —२ पु० पा० श० मि० सम्मत

२. संग्रहप्रतिक्षेपादिविद्वाग्निति—१ पु० पा०

वाधकं विशेष इति चेत् न, तस्येहापि सत्त्वात्^१, तदभावे स्वभाव-
त्वानुपपत्तेः । उपपत्तौ वा किं वाधकानुसरणाभ्यसनेनेति ।
निरोपस्य प्रियोपं प्रति प्रयोजकत्वाद् । तथाहि कार्यगतमहुरत्वं
प्रति वीजत्वस्याप्रयोजकर्त्रेऽनीजादपि तदुत्पत्तिप्रमङ्गः ।

वीजस्य विशेषः कथमवीजे भविष्यतीति चेत् तर्हि शालेयि-

जैसे कि तुम शालित्वकी अवान्तरभूत कुर्वद्वूपत्व जातिको शालिके
अलावे क्षेत्रस्थ यवादिमे भी मानते हो—तो उसीके समान शिशापात्व
भी वृक्ष को छोड़ अवृक्षमे अर्धान् पत्थर आदिमे भी रहे क्योंकि वह
भी वृक्षत्वकी अवान्तरजाति है । ऐसी दशामे ‘यह वृक्ष है, क्योंकि
शिशा पा है’ इस अनुमानमे शिशापात्वर्थमे वृक्षत्वका हेतु नहीं बन
सकता है ।

‘यदि शिशापात्व वृक्षको छोड़कर रहे तो अपनेको भी छोड़ देवे—
इसप्रकारका विपक्षमे वाधक होनेसे शिशापात्व वृक्षका परित्याग नहीं
कर सकता है तथा वृक्ष होनेम शिशापात्व हेतु बन सकता है’ इस प्रकार
की विशेषता दियाना भी ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकारका विपक्ष
वाधक शालित्व और कुर्वद्वूपत्वके सम्बन्धमे भी दिखाया जा सकता
है । क्योंकि जैसे शिशा पा वृक्षत्व स्वभावकी है, वैसे ही कुर्वद्वूप
भी शालित्व स्वभावका है । इसलिये उसीके समान कुर्वद्वूपत्व भी यदि
शालिको छोड़कर रहे हो स्थय यह कुर्वद्वूप ही न रह जाय ।
इस प्रकारका विपक्ष म वाधक यहाँ भी हो ही सकता है । यदि विपक्षमे
कोई वाधक न हो तो कुर्वद्वूप मे शालि स्वभावत्व ही अनुपपत्त हो
जायगा । यदि उस रिथिमे भी शालित्वभावत्व मानो तो कहीं भी
विपक्षमे वाधकका व्यर्थ हो जायगा ।

एव विशेष विशेषके ही प्रति प्रयोनक होता है, सामान्य के प्रति तो
सामान्य प्रयोजक होता है । क्योंकि सामान्यरूपसे अकुरकार्यके प्रति
यदि वीजत्व प्रयोजक न हो तो जो वीज नहीं है—ऐसे पत्थर आदिसे
भी अकुरकी उत्पत्तिहोनी चाहिये ।

शेषः कथमशालौ स्थादिति^१ अशालिरहुरानुत्पत्तिप्रमद्भः । अशा-
लिगदवीजेऽप्यमौ भवतु विशेषः, तथापि वीजत्वैकार्थसमवेत्
एगसावद्वुरं प्रति प्रयोजक इति चेत् न, शालित्वव्यभिचारे शालित्वैकार्थसमवादे-
नापि नियन्तुमशक्यत्वादविशेषात् ।

तस्माद् यो यथाभूतो यथाभूतमात्मनोऽन्वयव्यतिरेकाम-
नुकारयति, तस्य तथाभूतस्यैव तथाभूते सामर्थ्यम् । तद्विशेषास्तु
कार्यविशेषं प्रयोजयन्ति शाल्यादिवदिति युक्तमुत्पश्यामः ।

यदि यह कहो कि “वीजत्व-जाति तो अकुरके प्रति प्रयोजक नहीं हैं
निन्तु उसका अवरथाविशेष (वैजिककुर्वद्रूपता) हो मेरे मतसे अकुर-
सामान्यका प्रयोजक है, तथा वह वीजसम्बन्धी कुर्वद्रूपता वीजाविरिक्त
पत्थर आदिमे कैसे होगी कि पत्थरसे अकुर हो” तर तो उसीके समान
शालिका विशेषभूत कुर्वद्रूपत्व अशालिमे कैसे होगा ? इस तरह शालि
से भिन्न गेहूँ आदिसे अकुर नहीं पैदा होना चाहिये । क्योंकि शालिगत
विशेषभूत कुर्वद्रूपत्व गेहूँमें रहेगा नहीं ।

यदि कहो कि—शालिसे भिन्न गेहूँके समान ही वीजसे भिन्न पत्थर
आदि में भी कुर्वद्रूपत्व नामका वह विशेष रहे, किंतु भी पत्थरसे अकुर
की उत्पत्ति का प्रसङ्ग नहीं आ सकता है, क्योंकि वीजत्वधर्मके साथ
एक स्थानपर (अर्थात् वीजमें) समवेत जो विशेष (वीजमें रहने वाला
ही विशेष ऐसा होगा न कि पत्थरमें रहने वाला) वही अकुरके प्रति-
कारण है । इसलिये पत्थरसे अकुरका प्रसङ्ग नहीं ही सकता है—तो वह
भी ठीक नहीं है । क्योंकि जैसे शालिमे कुर्वद्रूपत्व विशेषका रहना
अशालिसे (गेहूँ आदिसे) अकुर होनेमें वाघक नहीं हो सकता, वैसे ही
वीजमें कुर्वद्रूपत्व विशेषका रहना भी अवीजसे (पत्थरसे) अंकुर होने
को नहीं रोक सकता । क्योंकि दोनोंकी स्थिति समान है ।

इस लिये जो जिस रूपमें होकर जैसे कार्यको अपने अन्वय और
व्यतिरेकका अनुसरण करता है, उस रूपमें ही उसकी वैसे कार्यके प्रति

कस्य पुनः प्रमाणस्यायं व्यापारकलाप इतिचेत्, तदुत्पत्ति-
निश्चयहेतोः ।^१ प्रत्यक्षानुपलम्भात्मकस्येति ब्रूमः ।

अथ न्यायेन विना न ते परितोप', शृणु तमपि । तदा यद-
द्कुरु प्रत्यप्रयोजक न तद्वीजजातीयं यथा शिलाशकलम्,
अद्कुरु प्रत्यप्रयोजकं च कुशलनिहितं वीजमम्युपेतं परैरिति व्याप-
कानुपलविधः प्रमङ्गहेतुः ।

सामर्थ्य रहती है । उसके विशेष तो कार्यको विशेषताके प्रति प्रयोजक
होते हैं । जैसे सामान्यरूपसे वीज सामान्यरूपसे अकुरके प्रति कारण
होता है । किन्तु उसके विशेषभूत शालि नेहूँ आदि तो विशेष रूप से
पास-पास अकुरके प्रति कारण होते हैं—यह हमारी कल्पना ही
ठीक है ।

यदि यह पूछो कि “वीजजातिका होना ही अकुरका प्रयोजक है—
यह किस प्रमाणके बलसे जाना जाय” तो हम यही कहेंगे कि प्रत्यक्ष
और अनुपलभ्य अर्थात् अन्यथ और व्यतिरेकके बलसे । क्योंकि
वीजके रहते अकुर होता है, और नहीं रहने पर नहीं होता—इस
प्रकारके अन्यथ और व्यतिरेक ही वीजसे अकुरोत्पत्ति होनेका निश्चय
करते हैं ।

यदि तुझे अनुमानके विना सन्तोष न हो तो सुनो वडे भी । ‘जो
अनुरके प्रति प्रयोजक नहीं है, वह वीज भी नहीं है, जैसे शिलाशण्ड’ ।
इसलिये वीजजातिको यदि अकुरके प्रति प्रयोजक न मानो तो तुम्हारे
मतानुसार कुशलस्थ वीज वीज न होगा । किन्तु बौद्धाचार्यों ने तो
अनुरवे प्रति अप्रयोजक भी कुशलस्थितको वीज माना है । इस प्राचार
वीजत्वका व्यापक जो अकुरप्रयोजकत्व है, उसका तुम्हारे मतसे
कुशलस्थित वीजमे अभाव है । वह तुम्हारे प्रति हमारी ओरसे
दिये जाने वाले प्रसङ्गका यही आपादक बन जाता है । वह प्रसङ्ग
यह है—“यदि कुशलस्थ पदार्थ अंकुरका प्रयोजक नहीं होता तो वीज
नहीं होता ।

१. तत्पत्तिस्तुत्पत्तिः = शार्यकारणभाव , तत्पत्तिव्यापारणस्येत्यर्थः ।

विपर्ययेऽपि किं वाधकमिति चेत्, अद्कुरस्य जातिप्रतिनिय-
माकस्मिकत्वप्रसङ्गः^१ इत्युक्तम् ।

बीजत्वं तस्य प्रत्यद्विद्वमशक्वापद्विमिति चेदस्तु तदिं
विपर्ययः । यद्वीजं तदद्कुरं प्रति प्रयोजकं यथान्त्यसामशी-
मध्यमध्यासीनं वीजं, वीजं चेदं विवादास्पदमिति स्वभावहेतुः^२ ।

अद्कुरस्य च जातिप्रतिनियमो न तावन्निनिमित्तः, सार्वत्रि-
कत्वप्रसङ्गात् । नाप्यन्यनिमित्तः^३, तथाभूतस्य तस्याभावात् ।

यदि कहो कि “जो अंकुर न भी करे, उसके भी वीज होनेमें वाधक ही क्या है ?” तो मैं कह चुका हूँ कि तब अदुरमे कार्यत्वका नियम अहेतुक हो जायगा, अर्थात् अकुर कार्य नहीं कहा जा सकेगा । क्योंकि बीजजातिसे उसकी उत्पत्ति गानवे नहीं हो और दूसरे किसीसे वह पैदा होता नहीं । इसका स्पष्ट अर्थ है कि वह कार्य ही नहीं है । क्योंकि कार्य वही है जो किसी कारणसे पैदा हो ।

यदि यह कहो कि “कुशलमे विश्व धान्यादि वस्तुका बीजत्व प्रत्यक्ष सिद्ध है, असः अकुर के प्रति प्रयोजक नहीं होनेपर भी उक्त प्रसङ्गद्वारा उसके बीजत्वका अपलाप नहीं किया जा सकता, तब तो कुशलस्थ-
वीजमे अकुरप्रयोजकत्वका विपर्यय अर्थात् अकुरप्रयोजकत्व ही सिद्ध हो जायगा वह यों होगा—“जो वीज है, वह अंकुरके प्रति प्रयोजक है, जैसे अकुर जन्मानेवाली अन्तिम सामग्रीके मध्य विराजमान वीज, कुश-
लस्थ भी वीज ही है, इसे तुम भी अभी मान चुके हो, इसलिये यह भी अंकुरके प्रति प्रयोजक है” इस प्रकारका अनुमापक हेतु होगा ।

एव अकुरमे कार्यजातीयत्वका नियमितरूपसे रहना भी अहेतुक नहीं है । क्योंकि अकुरके कार्य होनेमें यदि कोई निमित्त न हो तो कार्य अकार्य सबको (नित्य वस्तुको भी) अकुर कहने लांगे । यह भी

१. जातिप्रतिनियम = कार्यजातीयवम् । आकस्मिकत्व = निनिमित्तत्वम् ।

२. स्वभावहेतुः = अनुमापने हेतु । कुशलस्थवीजम् अद्कुरप्रयोजकम् वीज-
त्वात् देशपदितवीजत् इयनुमानाकारः ।

३. अन्यनिमित्त = कुर्वद्वयवनिमित्तः ।

सेयं निमित्तवत्ता विपदादु^१ व्यापर्तमानाऽ स्वव्याप्यमादाय
बीजप्रयोजकतायामेव विश्राम्यतीति प्रतिबन्धसिद्धिः ।

अथवा कृतमद्भुतग्रहेण, बीजस्वभावत्वं क्वचित् कार्यं प्रयो-
जकं न वा ? न चेत्, न तत्स्वभावं बीजं, तेन रूपेण क्वचिदप्य-
नुपयोगात् । एवं च प्रत्यक्षसिद्धे बीजस्वभावत्वं नास्ति सर्व-
ग्रामणागोचरस्तु विशेषोऽस्तीति मिशुद्वा बुद्धिः ।

नहीं कह सकते हो कि “अकुरके कार्य होनेमें निमित्त उसका बीज
जातिसे पैदा होना नहीं है, किन्तु कुर्वद्भूपत्व से पैदा होना है” क्योंकि
कुर्वद्भूपत्व अप्रामाणिक है ।

इसलिए अंकुरत्व-जातिका केवल कार्यमें रहना आकस्मिक नहीं है,
किन्तु किसी निमित्तवश है । उस निमित्तको हूँडते हुए हम बीजत्वको
ही उसका निमित्त निश्चित करते हैं । क्योंकि कुर्वद्भूपत्व तो अप्रामाणिक
है । शालित्वको निमित्त माननेमें गोधूमका अंकुर छूट जाता है और
गोधूमत्वको निमित्त माननेपर शालिका अकुर छूट जाता है । अत
सामान्यरूपसे धीजत्व ही निश्चित होता है । इस प्रकार “जो जो बीज
है, वह वह अकुरप्रयोजक है” यह हमारी व्याप्ति भी सिद्ध हो जाती
है । तथा इस व्याप्तिके बलसे कुशून्नस्थ बीजमें भी अकुरप्रयोजकत्व
सिद्ध हो जाता है ।

अथवा अकुर की बात रहने दो और यह बताओ कि बीजका बीज-
स्वभावत्व किसी कार्यमें प्रयोजक है कि नहीं ? यदि नहीं, तो वह
बीज बीजस्वभावका नहीं रहेगा । अर्थात् बीजका बीजत्व असत् हो

१. विपदात् = निनिमित्तात् इत्यर्थ । स्वव्यप्य = कार्यजातीयत्वमा-
दावेत्यर्थ । बीजप्रयोजकतायामित्यत्र बूढ़ीहि । तेन बीजं प्रयोजक
यस्य थद्भुतगतकार्यत्वस्य, तस्य भावो बीजप्रयोजकता तस्यामित्यर्थ ।
बीजप्रयोजयतायामिति क्वचित् पाठः । अस्मिम् पाठे थद्भुतगतकार्यत्वे
बीजप्रयोजयता सुगमेत । प्रतिबन्धसिद्धिः = व्याप्तिसिद्धिः । तदाकारध
मद् यद् बीज तत्सर्वमद्भुतप्रयोजकमिति ।

२. निवतमाना—१ पु० पा० ।

यत्प्रचिदुपयोगेष्ये रूपेण सर्वेषामविशेषस्ताद्रूप्यात् ।
तथा च कर्थं किञ्चिदेव वीजं स्वकार्यं कुर्यात् नापराणि ।

न च वस्तुमात्रं तत्कार्यम्, अशीजात् तदुत्पत्तिप्रसङ्गात् ।
नापि वीजमात्रम्, अड्कुरकारिणोऽपि तदुत्पत्तिप्रसङ्गात् ।
नाप्यड्कुराधन्यतममात्रम्, प्रागपि^१ तदुत्पत्तिप्रसङ्गात् ।

जायगा । क्योंकि वीजत्वरूपसे वह कहीं उपयोगी है नहीं । इस तरह तो—प्रत्यक्ष-सिद्ध वीजस्वभावत्व असत् है और सभी प्रमाणोंसे असिद्ध जो कुर्वद्वृप्त्य वह सही है—यह तुम्हारी वहुत ही अच्छी सूझ है ।

यदि एक ही वीज वीजत्वरूपसे कहीं उपयोगी हो तो उस रूपसे सभी (कुशलत्व आदि) वीजोंका उपयोग सिद्ध हो जाता है, क्योंकि यह वीज-स्वभावत्व सभीमें है । तब कैसे कुछ ही वीज अपना कार्य करे और दूसरे नहीं ?

वस्तुमात्र तो वीजस्वभावका कार्य हो नहीं सकती, क्योंकि वैसी दशा में विना वीजके किसीकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । अर्थात् विना वीजके घट पट आदि कैसे बन सकेगे ?

वीजमात्र भी वीजस्वभावका कार्य नहीं हो सकता है । अर्थात् वीज स्वभावसे वीज ही पैदा होते हैं—यह भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि तथ अड्कुर जन्माने वाले वीजसे भी अड्कुर न होकर वीज ही पैदा होने चाहिये ।

यह भी नहीं कहा जा सकता कि—“वीजस्वभावका कार्य कभी वीज कभी अड्कुर और कभी वीजका अनुभव है” क्योंकि तथ उसी वीजसे पहले अड्कुर की और पीछे वीजकी उत्पत्ति होनी चाहिये । अर्थात् वही वीज-जाति कुशलावस्थामें वीज पैदा करती है और क्षेत्रावस्थामें अड्कुर पैदा करती है तथा कभी उससे अनुभवरूपी कार्य पैदा होता है, ऐसा मानने पर पहले ही अर्थात् कुशलावस्थामें ही अड्कुर कर देना चाहिये एव क्षेत्रावस्थामें वीज करना चाहिये । क्योंकि वीजस्वभाव का कार्य आपने अड्कुर वीज आदि सब बताया है । किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता है, अतः आपका उक्त नियम असङ्गत है ।

१. प्रागपि = सहजारिषमवद्यतादिति ऐषः ।

यदा यदुत्पन्नं मत् यत्कार्यानुकूलसहकारिमध्यमधिशेषे^१
तदा तदेव कार्यं प्रति तम्य प्रयोजकत्वमिति चेत्, तत् किमवान्तर-
जातिभेदगुपादाय ? बीजस्वभावेनैव वा ? आद्ये स एव जाति-
भेदस्तत्र प्रयोजकः, किमायातं बीजत्वस्य ? द्वितीये तु समान-
शीलानामपि^२ सहकारिवैकल्यादकरणमित्यायातम्, तत्सहकारि-
साहित्ये^३ सति तततत्कार्यं प्रति प्रयोजकस्य बीजस्वभावस्य^४
सर्वसाधारणत्वादिति ।

अतापि प्रयोगः—यद्येन रूपेणार्थविद्यासु नोपयुज्यते, न तत्
तद्रूपम्, यथा बीजं कुञ्जरत्वेन किञ्चिदप्यकुर्वन्न कुञ्जरस्वरूपम् ।

इसका उत्तर यदि यह कहो कि “जो कारण उत्पन्न होकर जब जिस
कार्यके अनुकूल सहकारियोंके बीच रहता है, तब उसी कार्यके प्रति
वह प्रयोजक होता है, तो वसाओ, यह बीज किसी अवान्तर जातिविशेष-
को लेकर उस कार्यके प्रति प्रयोजक है ? अथवा बीजस्वभावसे ? प्रथम
पक्षमे यह अवान्तर जातिविशेष ही उसमे प्रयोजक हुआ, बीजत्वका क्या
हुआ ? अर्थात् बीजस्वभावत्व तो अनुपयोगी ही रह गया । द्वितीय पक्षमे
तो यह सिद्ध हुआ कि बीजस्वभावका होता हुआ भी कारण सहकारियोंके
अभावमे कुछ नहीं करता है । क्योंकि उस उस सहकारीका योग होनेपर
उस उस कार्य का प्रयोजक जो बीजस्वभावत्व, वह सभी बीजोंमें
समान है । तात्पर्य यह है कि अकुरका प्रयोजक बीजस्वभावत्व है,
जो कुशलत्व बीजमे भी है । किन्तु मट्टी जलादि सहकारीमे अभावमे
यह अकुर नहीं पैदा करता है और वही ज्ञेत्रमे पहुँचकर मट्टी और नमी
के सयोगसे अकुर पैदा कर देता है ।

इसमे भी अनुमानका प्रयोग हो सकता है । जैसे—‘जो जिस
रूपसे किसी प्रयोजनसिद्धिमे उपयोगी नहीं होता है । यह तद्रूप नहीं

१. समानशील नाम् = बीजस्वभावत्वेन कारणानामित्यर्थ ।

२. सहकारिमाकल्ये—१ पु० पा०

३. वी—१००० स्प—१ पु० पा०

तथा च शाल्यादयः सामग्रीप्रियिटा वीजत्वेनार्थक्रियासु नोप-
युज्यन्त इति व्यापकानुपलब्धिः प्रमद्भवेतुः, तद्रूपताया अर्थक्रियां
प्रति योग्यतया व्याप्त्वात्, अन्यथातिप्रसङ्गात् ।

तद्रूपत्वमेतस्य प्रत्यक्षमिद्वत्वादशक्यापहृतमिति चेत्, अस्तु
तर्हि विपर्ययः—यद्यद्रूपं तत् तेन रूपेणार्थक्रियासूपयुज्यते यथा
स्वभावेन सामग्रीनिवेशिनो भावाः, वीजजातीयाश्वेते^१ कुशलस्थादय

होता है। जिस प्रकार वीज कुञ्जरत्वरूपसे कुछ भी नहीं करता, अतः वह
कुञ्जरस्वरूप नहीं है। उसी प्रकार सामग्री सहित भी धान आदिको
वीजत्वरूपसे तुम कहीं उपयोगी नहीं मानते हो। ऐसी स्थिति में
वीजत्वस्वरूपका व्यापक जो अर्थक्रियाकारित्व है, उसकी अनुपलब्धि हो
जाती है, जो कि प्रसङ्गमे देतु बन जाती है।

वह प्रसङ्ग यों होगा—सामग्रीयुक्त वीजमें यदि वीजस्वरूपत्व होता
तो वह वीजत्वरूपसे अर्थ—(प्रयोजन) किया करता। तुम्हारे मतानु-
सार तो वह वीजत्वरूपसे अर्थक्रियामें उपयोगी नहीं है। इस प्रकार
अर्थक्रियाकारित्वरूप व्यापकके अभावमें व्याप्त्यभूत वीजरूपत्वका अभाव
प्रसक्त हो जाता है। क्योंकि जो तद्रूपवाला है, वह उस रूपसे अर्थ-
क्रियाके प्रति उपयोगी भी है। ऐसा न माननेपर वीज भी कुञ्जरजातीय
होने लगेगा। भले ही वह कुञ्जररूपसे कोई भी प्रयोजन नहीं सिद्ध
करता है।

यदि कहो कि “प्रत्यक्षसिद्ध होनेके कारण कुशलस्थको वीजजातिसे
अलग नहीं किया जा सकता”। तो प्रसङ्गकी जगह विपर्यय ही रहे।
चह यों होगा—जो जिस रूपका होता है, वह उस रूपसे अर्थक्रिया
(प्रयोजनसिद्धि) में उपयोगी होता है, जैसे सामग्रीमध्यवर्ती चेत्रस्थ
वीज तुम्हारे मतानुसार कुर्द्रूपत्वसे युक्त है और वह उस रूपसे उपयोगी
भी है। उसी प्रकार कुशलस्थ भी वीजरूप है, अतः वीजरूपसे उसे
उपयोगी भी मानना पड़ेगा। इस तरह उस रूपका होना ही यहा उस
रूपसे उपयोगी होनेमें देतु है। क्योंकि तद्रूपत्वमात्र ही उपयोगिताका

इति स्वभावहेतुः, तद्रूपत्वमात्रानुवन्धित्वाद् योग्यतायाः । तत-
थास्ति किञ्चित् कार्यं यत्र वीजत्वेन वीजमुपपुज्यते इति ।

वीजानुभव एवासाधारणं कार्यं यत्र वीजत्वं प्रयोजकं, तच
सर्वस्मादेव वीजाद्भवतीति किमनुपपन्नम् इति चेत्, न, यौगिक-
तदनुभवस्य तदन्तरेणाप्युपपत्तेः । लौकिक इति चेत्, न, सत्यमेतत्,
न त्विदमवश्यं सर्वस्माद्वीजाद्भवति इन्द्रियादिप्रत्यामत्तेरसदात-
नत्वात् अपार्थश्रिकत्वाच्च । ततथ योग्यमपि सहकार्यसन्निवानाच्च
करोतीत्यर्थपिद्वग् ।

कार्यान्तरमेवातीनिद्रियं सर्ववीजाव्यभिचारि भविष्यतीति चेत्,
तन्न तावदुपादेयम्, अमूर्तस्य मूर्तनुपादेयत्वात्, परिदृश्यमान-

च्याप्य है । इसलिये कोई कार्य अवश्य है, जिसमें वीजत्वरूपसे वीज
उपयोगी है ।

यदि कहो कि 'वीजका अनुभव हो वह विशेष कार्य है, जिसमें
वीजत्व प्रयोजक है, क्योंकि वह सभी वीजोंमें होता है, ऐसा माननेमें
क्या हानि है' ? तो वह ठीक नहीं है । क्योंकि योगवल्लसे होने वाला
अनुभव वीजके बिना भी हो जाता है । यदि "अनुभवमा मानी
लौकिक अर्थात् हमलोगोंका अनुभव लो, जो वीजकी उपस्थितिमें ही हो
सकता है" तो यह ठीक है, किन्तु यह लौकिक अनुभव भी सो सभी
वीजसे अवश्य नहीं होता । क्योंकि अनुभवके लिये वीजके साथ इन्द्रि-
यका संयोग जरूरी है और वह संयोग सदा सब वीजोंसे है नहीं । अतः
जब जिस वीजके साथ इन्द्रियसन्निकर्त्ता नहीं हुआ, उस वीजसे सो
अनुभव भी पैदा नहीं हुआ । इससे वह स्वतः सिद्ध हो गया कि कार्यके
योग्य भी कारण सहकारीके अभावमें कार्य नहीं करता है । इससे भी
वीजका स्थिरत्व ही सिद्ध होता है न कि क्षणिकत्व ।

यदि "सब वीजसे पैदा होने वाला कोई दूसरा ही कार्य होगा जो
अतीनिद्रिय होगा" ऐसा कहो तो वह कार्य उत्तरैय (वीजका ही एक

मर्त्यघटिततया^१ मूर्तन्तरस्य तदेशस्यानुपपत्तेः । नापि सहकार्यं,
मिथः सहकारणामव्यभिचारानुपपत्तेः ।

अपि चैरं सति प्रयोजकस्यभावो नान्वयव्यतिरेकगोचरः,
तद्दोचरस्तु न प्रयोजकः । दृश्यं च कार्यजातमद्वयेनैव स्वभावेन
क्रियते, दृश्येन त्वद्वश्यमेतेति, सोऽयं यो ध्रुवाणीत्यस्य विषयः ।

अथवा व्यतिरेकेण प्रयोगः—विमादाध्यामिरं वीजं सहकारि

परिणाम) नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि यदि उस कार्यको अमूर्त
मानो तो वह मूर्तिहीन कार्य मूर्तिमान वीजका परिणाम नहीं हो सकता
है । यदि उसे मूर्त मानो तो ठीक नहीं, क्योंकि उस वीजसे जहा तुम्हारे
मतानुसार दृश्यमान मूर्तिवारी अभिम वीज पैदा होता है, उसी देशमें
दूसरा मूर्त कार्य नहीं उत्पन्न हो सकता है । कारण, एक ही स्थानपर
दो मूर्ते रह नहीं सकते ।

वह कार्य वीजका सहकार्य भी नहीं कहा जा सकता । अर्थात् ‘वह
कार्य वीजका परिणामरूप तो नहीं है, पर-तु इस ढङ्कका कार्य है, जिसमें
सहकारी सहित वीज निभित्त है’ यह भी नहीं वह सकते हो क्योंकि
वीजको सहकारियोंका योग सदा प्राप्त ही रहेगा—यह नियम नहीं है ।
इसलिये सहकारियोंकी अनुपस्थितिकी हालतमें वही वीज उस कार्यको
नहीं भी करेगा । इस प्रकार भी वीजका स्थिरत्व ही सिद्ध होता है,
न कि क्षणिकत्व ।

इसके अतिरिक्त तुम्हारे कथनानुसार कार्यका प्रयोजक जो कुर्वद्रूपत्व-
स्यभाव है, वह कारणताका निष्ठय करने वाले अन्वय व्यतिरेक काव्यिषय
नहीं है, और जो वीजत्व अन्वय-व्यतिरेकका विषय है, वह तो प्रयोजक
नहीं है । तथा जो दृश्य कार्य अङ्कुर है, उसे अदृश्य कुर्वद्रूपत्वसे ही
किया मानने हो और दृश्य वीजत्वसे तो अतीन्द्रिय ही कार्यकी उत्पत्ति
मानते हो । इस तरह तो यह—‘योऽनुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेधते ।
ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, अध्रुव नष्टमेव हि’ इस उक्तिका विषय बन गया ।

वैकल्यप्रयुक्ताङ्कुरादि कार्यवैकल्यं, तदुत्पत्तिनिश्चयविपथीभूतवीज-
जातीयत्वात् । यत् पुनः सहकारिवैकल्यप्रयुक्ताङ्कुरादिकार्य-
वैकल्यं न भवति, न तदेवम्भूतवीजजातीयं, यथा शिला-
शक्तमिति ।

न च किमुक्तमाध्यव्यावृत्तेरुक्तसाधनव्यावृत्तिस्दाहृतात्, किं
चा परम्परयापि तथाविधि^१ ग्रपवयामधर्यविरहादिति व्यतिरेक-
सन्देह इति वाच्यम्, प्रागेव शङ्कावीजस्य निराकृतत्त्वादिति ।

स्पदेतत् । मा भूत सामर्थ्यसामर्थ्यलक्षणविरुद्धधर्म-

अथवा व्यतिरेकी-अनुसानका प्रयोग किया जाता है । जैसे—
“विनादङ्गा विषय कुशश्लस्थ बीज सहकारियोंके अभावके कारण ही अङ्कुर
आदि वार्य नहीं करता है । क्योंकि कार्यकारणभावनिश्चयका विपथीभूत
जो क्षेत्रस्थ बीज है, उसी जातिका यह भी है । अर्थात् जिस बीजसे
तुम भी अङ्कुरकी उत्पत्ति मानते हो, उसी बीजजातिका कुशश्लस्थ बीज
भी है । किन्तु जो सहकारीके कारण अङ्कुरादि कार्य नहीं करने वाला
नहीं है, वहिं हमेशा ही अङ्कुर करनेमें असमर्थ है, वह अङ्कुर जन्माने
चाहे क्षेत्रस्थ वाजकी जातिका भी नहीं है, जैसे शिलाखण्ड ।

ऐसी आशका नहीं कर सकते कि “शिलाखण्डमें जो तथाकथित
बीज-जातीयत्वका अभाव है, क्या वह तथाकथित साध्यके ही नहीं रहने-
के कारण है ? या परम्परासे भी अकुर न जन्मा सकनेके कारण है ?
अतः यहाँ व्यतिरेक व्यापि भी सन्दिग्ध है ।” क्योंकि पहले ही शङ्काका
बीज मिटा दिया गया है । अर्थात् सभी बीज जब अकुरके प्रति प्रयो-
जक सिद्ध किये जा चुके हैं, तब यह ठीक ही है कि कोई बीज यदि
अंकुर नहीं करता है, तो वह क्षेत्र सहकारीके न जुटनेके कारण ही ।
शिलाखण्ड तो हमेशा ही अकुरमें असमर्थ है, इसलिये वह बीज जातिसे
भी पृथक् है ।

अस्तु, “सामर्थ्य और असमर्थ्यरूप विरुद्ध धर्मोंका एक जगह

ममर्गः^१, अस्तु वीजत्त्वमेप प्रयोजक, भग्नु च महकारिसमवधाने सति पठुंस्वभान्त्वं भावरय, तथा च तदसन्निधानेऽकरणमप्युपद्यताम् । तथापि तज्जातीयमात्र एवेयं व्यपस्था न त्वेकस्यां व्यक्तीं, करणाऽरणलक्षणपिरुद्धर्घर्ममंगस्य प्रत्यक्षसिद्धतया तप दुर्बारत्त्वादिति चेतु, न, विरोधस्वरूपानवधारणात्^२ ।

म एलु धर्मयोः परस्पराभागरूपत्व वा स्यान्तित्यत्वानित्यत्वयत्, धर्मिणि तदापादक्षत्वं वा शीतोष्णवत्, तद्वत्ता वा दण्डित्वकुण्डलित्वपत् ।

सर्वं मत हो, अकुरके प्रति प्रयोजक भी वीजत्त्वसामान्य ही होवे, सहकारियोंका योग होनेपर भावबस्तुका कर्त्तव्य-स्वभाव भी रहे, तथा सहकारियोंके अभावमें न करना भी सही होवे, तो भी यह व्यवस्था वीजजातिमात्रे लिये ही हो सकती है, न कि एक व्यक्तिके लिये । क्योंकि आपके मतानुसार चरारमें रहनेसे लेफर खेतमें जाने तक जो एक वीज है, उसीमें करना और न करनारूप विरुद्ध धर्मोंका सर्वं रूप दोप प्रत्यक्षसिद्ध होनेसे अनिवार्य है” ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि करण और अकरणमें किस प्रकारका विरोध है, इसीका निश्चय नहीं हो सकता है ।

क्योंकि क्या यह विरोध करण और अकरणरूप धर्मोंका परस्परका अभावरूप होना है ? जैसा कि नित्यत्वका अभावरूप अनित्यत्व और अनित्यत्व का अभावरूप नित्यत्व है, तथा वे परस्परमें विरोधी हैं । अथवा धर्मोंमें परस्परके अभावका आशेष परनारूप विरोध है ? जैसा कि शीतत्व जलमें रहता हुआ “समं वृष्टत्वाभावका आशेष कर देता है और “गत्य अग्निमें रहता हुआ “समं शीतत्वाभाव वा आशेष कर देता है । या एकमें रहते हुए भी परस्पर भेदरूप विरोध है ? जैसा कि एक ही पुण्यमें दण्डित्व और कुण्डलित्व दोनों रहते हैं पर दण्डित्व और कुण्डलित्व आपमर्म एक दूसरे में भिन्न हैं ।

१. एम०प्लाट—२ पृ० १०

२. अनवशायात्—१ पृ० १०

न प्रथमः, निर्विशेषणस्यासिद्धत्त्वात्^१ । यावतसत्त्वं किञ्चित्-
करणात्, सविशेषणस्य तु विरोधसिद्धावपि अध्यासानुपपत्तेः ।
यदा यद्करणं हि तदा तत्करणस्याभावो नत्वन्यदा तत्कर-
णस्य, न चैतयो^२ रेकधर्मिसमावेशमातिष्ठाय हे ।

न द्वितीयः, भावाभावव्यतिरिक्तयोः करणकरणयोरमिद्वेः ।
व्यापारापरव्यपदेशमहकारिभावाभावो हि करणकरणे कार्यभावा-
भावौ वेति ।

अतिरेकसिद्धावपि स्वकाल एव स्वाभावप्रतिक्षेपवत् अकर-
णाभावमात्रिपेत् करणं, न त्वन्यदा, न हि यो यदा नास्ति स

इनमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि करण और अकरण
परस्परका अभावत्व भलेही होयें, पर विना विशेषणके सामान्यतः
अकरणत्व बीजमें असिद्ध है । क्योंकि जितने सत्यदार्थ है, सब
अवश्य कुछ करते हैं । इसलिये बीजमें करण और अकरण एक कालमें
कहां रहा कि विरोध हो ।

यदा तदारूप कालात्मक विशेषणके सहित करण-अकरणमें विरोध
रहनेपर भी उनका एक जगह समावेश नहीं हो सकता है । क्योंकि
जब जो नहीं करता है, तभी उसमें करणका अभाव है, न कि अन्य
कालमें, अर्थात् करनेके समयमें भी । हम तो 'जब करना' और 'तभी
न करना' इन दोनों विशेषणसहित विरुद्धधर्मोंका एक धर्ममें समावेश
मानते नहीं हैं ।

दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि भाव और अभाव के अति-
रिक्त करण और अकरण असिद्ध हैं । क्योंकि अन्तिम व्यापाररूप
सहकारीका भाव ही करण है और उसका अभाव ही अकरण है । अध्यवा-
कार्य होना करण है और कार्य न होना अकरण है । अर्थात् करण और
अकरण परस्पराभाव के आपादक तत्र होते यदि वे परस्पराभावके
व्याप्ति होते ।

तदा स्वाभावं प्रतिज्ञेसुमहतीति विरोध्यभावं वा आक्षेसुम् । तथा सति न कदापि तन्म स्याद् न वा कदापि तद्विरोधो भवेदिति “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः” इत्यायातम्, न वा विरोधः^१ ।

नन्वेवं सति परिमाणभेदोऽपि कालभेदेन न विरुद्ध्यते, तत्राप्येवं वक्तुं सुकरत्वात्, न, वाधकवलेन तत्र कालभेदस्य विवक्षितत्वाद् । तथाहि नारव्यद्रव्यैरेय द्रव्यावयवैद्रव्यान्तरमग्रभ्यते

करण-अकरणको सहकारिभावाभावसे अतिरिक्त माननेपर भी, जैसे, घट अपने कालमें ही घटाभावका विरोध करता है, न कि घटाभावके कालमें, वैसे ही करण भी अपने कालमें ही स्वविरोधीभूत अकरणके अभावका आक्षेप कर सकता या अकरणका विरोध कर सकता है, न कि अकरणकाल में भी । ऐसा नहीं होता कि जो जब नहीं है, तभी वह अपने अभावका विरोध करता हो अथवा अपने विरोधीके अभावका आक्षेप करता हो । वैसा होनेपर कभी भी उसका ना नहीं होगा और कभी भी उसके विरोधीको होनेका अवसर नहीं आयगा । इस तरह यहो “नासतो विद्यते भावो नाभावो । विद्यते सतः” इस गीतानधनका विषय उपस्थित हो गया और तुम्हारे क्षणिकबादके गिरद्व चक्षुओंका नित्यत्व ही सिद्ध हो गया । एग, अपने कालमें तथा विरोधीके भी कालमें तुम्हारे कथनानुसार यदि अपने ही रहे तो सदैव विरोधीका अभाव हो जानेसे कहीं भी विरोध नहीं सिद्ध हो सकेगा ।

(शङ्का) जैसे कालभेदसे एकही घस्तुमें करण और अकरण विरोधी नहीं कहा जाता है, वैसे कालभेदसे एक ही घस्तुमें दीर्घस्त्र और हारमत्तरलूप मिश्र परिमाणके रहनेमें भी विरोध नहीं होना चाहिये, क्योंकि वहो भी ऐसा वहा जा सकता है कि “अपने कालमें ही एक परिमाण अपने विरोधी दूसरे परिमाणका विरोध कर सकता है, नकि अन्यकाल में भी”

मूर्तत्वममानदेशत्वयोरेकदा विरोधात् । तथा चारम्भपक्षे पूर्व-
द्रव्यनिवृत्तिः अनिवृत्तावनारम्भ इति ।

तत्र निवृत्तावाथयमेदादेव परिमाणमेदः, अनिवृत्तौ संयोगि-
द्रव्यान्तरानुपचये कप परिमाणमेदोपलम्भो यो विरोधमावहेत् ।
तदुपचये 'तु क्व परिमाणान्तरोत्पत्तिः, आश्रयानुत्पत्तेः । अतएव
स्थौर्यातिशयप्रत्ययोऽपि तत्र आन्तः । तस्मात् कालमेदेनापि न

(उत्तर) यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि वाधकबलसे वहाँ काल-
मेद होनेपर भी दीर्घत्व हस्यत्वमें विरोध ही कहा गया है । अर्थात् एक
ही वस्तु पहले हस्त होकर दीर्घ नहीं हो जाती है, बल्कि पहली वस्तुके
नष्ट हो जानेपर दूसरी ही वस्तु दीर्घ परिमाणवाली पैदा होती है ।
क्योंकि जिन अवयवोंसे पहले द्रव्यका निर्माण हुआ है, उन्हीं अवयवोंमें
दूसरा द्रव्य नहीं बनता है । क्योंकि प्रथम द्रव्यके रहते ही वहाँ दूसरा
द्रव्य कैसे रह सकता है ? एक समयमें दो मूर्त द्रव्योंके एक जगह
रहनेमें विरोध है । इसलिये नये द्रव्यकी उत्पत्तिपक्षमें पूर्वद्रव्यकी
निवृत्ति माननी पड़ेगी । यदि पूर्वद्रव्यकी निवृत्ति न हो तो नये द्रव्यका
आरम्भ सी नहीं हो सकता है ।

यदि वहाँ पूर्वद्रव्यकी निवृत्तिके बाद नया द्रव्य दीर्घ परिमाण-
याला पैदा हुआ, तब तो आश्रयके मेदसे ही परिमाणमें मेद हुआ, न कि
आश्रयद्रव्य पूर्वका ही रहा और परिमाण घटल गया ।

पूर्व द्रव्यकी अनुवृत्तिपक्षमें—अर्थात् पूर्व द्रव्य यदि वैसाका वैसा
यना रहा, उस पक्षमें—वहाँ यदि किसी दूसरे सयोगी द्रव्यका
मेल नहीं हुआ तो परिमाणमेदकी उपलब्धि ही कहाँ होगी, जो कि
विरोध लावे । यदि दूसरे द्रव्यका मेल हुआ, तब भी किसमें परि-
माणमेदकी उत्पत्ति होगी ? क्योंकि पूर्वद्रव्यसी निवृत्ति नहीं होनेसे
किसी आश्रयकी उत्पत्ति हुई नहीं, जिसमें वह दूसरा परिमाण पैदा
होवे । इसीलिये जहाँ दूसरे सयोगी द्रव्यके मिल जानेसे स्थूलता वढ़ी
हुई सी माल्म पड़ती है, वहाँ वह स्थूलता प्रतीति भ्रमात्मक है । अतः

परिमाणभेदः एकस्मिन् धर्मिण्युपसंहर्तुं शब्दयत् इत्यादि पदार्थ-
चिन्ताचतुरैः सह निवेचनीयम् ।

अस्तु तर्हि इहापि बाधकं बलं प्रमङ्गतद्विषययोरुक्तत्वादिति
चेत्, न, तथोः सामर्थ्यमापर्थ्यविषयत्वात् तत्र च उक्तत्वात् । सतां
चा, न तथापि ताम्यां शक्त्यशक्त्योरविवितकालभेद एव
विरोधः साध्यते तथोपसंहर्तुपशक्यत्वात् । यदा तदेत्युपेक्ष्य
यत् समर्थं तत्करोत्येवेत्युपसंहर्तुं शक्यमिति चेत्त, कालनियमा-

कालभेदसे भी परिमाणभेदका एक घट्टमि होना नहीं माना जा
सकता है । ये सब बातें पदार्थविचारमे चतुर वैशेषिकोंके साथ
विचारनी चाहिये ।

(शङ्खा) यहा भी बाधक बल होते, क्योंकि बाधकस्वरूप प्रसङ्ग
और विपर्ययको मैं पहले दिखा चुका हूँ ।

(उत्तर) ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि वे प्रसङ्ग और
विपर्यय सामर्थ्य और असामर्थ्य विषयक ही हैं, तथा उनके विषयमे
दूषण भी पहले ही दिखाये जा चुके हैं । अथवा यदि वे प्रसङ्ग-विपर्यय
हों भी, तथापि उनके द्वारा किसी कालविशेषका निवेश किये विना
करण और अकरणमें विरोध सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि वैसा
उपसद्वार नहीं हो सकता । अर्थात्—कुशलस्थ दशामे सामर्थ्यहेतुसे
करणका प्रसग करो तो यह हमे भी इष्ट ही है । कारण, आगे चलकर
यह अकुर करता ही है । इसके विपरीत अकरणसे यदि कुशलस्थ
दशामे वीजमें सामर्थ्यका अभाव सिद्ध करो तो हेतु ही असिद्ध है ।
क्योंकि कुशलस्थवीजमे जो अकरण है, यह करणविरोधी नहीं है ।
इसलिए कदाचित् अकरणके कारण कुशलस्थवीजमे अकुरमामर्थ्यका
अभाव नहीं सिद्ध हो सकता है ।

(शङ्खा) जब तब इत्यादि कालभेदका निवेश किये विना ही 'जो
समर्थ है यह करता ही है' इस प्रकारका उपसद्वार हो सकता है ।

विवायां यत् समर्थं तत्करोत्येवेत्युपसंहर्तुं शब्दयमिति चेन्, काल-
नियमाविवायां यत् समर्थं तत्करोत्येवेति कदाचित् स्यात् । तथा
च संभवविधेरत्यन्तायोगो विस्त्रितो न त्वयोगः । नीलं सरोजं
भवत्येवेतिवद् ।

ननु यदममर्थं प्रथममासीत् तस्य मामर्थ्यं पश्चादपि कुत
आगतम्, प्रथमं समर्थस्य वा पश्चात् कुत्र गतम् । नैतदेवं,
तत्त्वसहकारिमितस्तत्कारकत्वं हि सामर्थ्यम्, अतद्वत्सत्दन्यवतो
वा तदर्थत्वममामर्थ्यम् । इदं चौत्पत्तिकमस्य रूपं, ते च

(उत्तर) यह भी ठीक नहीं है । कालविशेषका निर्देश किये विना
'जो समर्थ है वह करता ही है' यह बात सदाके लिए नहीं है किन्तु
कदाचित्के लिये है । इस स्थितिमें उस उपसहारका यह स्मरूप हुआ
कि 'जो समर्थ है उसका करना समय है' । यदि इस समव-विधिको
किसीके साथ विरोध है तो करणके अत्यन्तिक अयोगके साथ है न कि
सामान्य अयोग के साथ । जैसे 'नील कलम होता ही है' यहाँ नील
कमलकी सभावना बताकर नीलकमलहा सर्वथा न होना (आत्यन्तिक
अभाव) रोका जाता है, न कि नीलकमलके न होनेको भी रोक देता है ।
क्योंकि नीलकमल नहीं भी होता है ।

(शङ्का) तो, जो पहले अकुर करनेमें असमर्थ रहा, उसमें पीछे
भी सामर्थ्य छहासे आगयी ? अथवा जो पहले समर्थ था, उसकी
सामर्थ्य पीछे कहाँ चली गयी ?

(उत्तर) इस तरहका प्रश्न नहीं कर सकते । क्योंकि यहाँ
सामर्थ्यका अर्थ योग्यता छो, तबतो पहले और पीछे भी वह समर्थ ही है ।
सामर्थ्यपद्वासे यदि कार्यका करना अर्थ छो, तो उस उस सहकारीसे युक्त
होकर उस उस कार्यको कर देना ही सामर्थ्य है और उस उस सहकारीके
अभावमें अथवा अन्य कार्यके सहकारीके योगमें उस कार्यका न करनाही
असामर्थ्य है । भावोंका यही स्वाभाविक रूप है । और वे सहकारी
अपने उपरथावक कारणके अधीन होनेसे अनियत कालमें उपस्थित होते
हैं । इसलिये कार्योंका भी काल अनियत रहता है । अर्थात् सामर्थ्य

सहकारिणः स्वोपसर्पणकारणशात् भिन्नफाला इत्यर्थात् कार्याणामपि भिन्नकालतेति ।

तथाप्येरुक्तालस्थ एव भावो जातनेष्टस्तदा तदा तत्कार्यं करोतु, उत्पन्नमाग्रस्य तत्स्वभावत्वात्, एकदेशस्थगदिति चेत्—

सेयमेरुक्तालस्थता स्वरूपापेक्षया ? सहरारिमान्निध्यापेक्षया च ? आद्ये न किञ्चिदनुपपन्नम्, नित्यानामप्येवरूपत्वात् वर्तमानैःस्वभावत्वात् सर्वभावानाम् । तदेव तु क्वचित् सावधिं क्वचिन्निरवधीति निशेषः । सावधित्वेऽपि व्यापारफलप्रगाह-प्रकर्षपर्पर्म्या निशेषः ।

न कहीं आता है और न कहीं से आता है । किन्तु सहकारीका योग और उच्चोग ही सामर्थ्य और असामर्थ्य है । और उस योगका भी समय अनियत है क्योंकि वह भी उपस्थापक कारणके अधीन है ।

(शाङ्का) तो भा जैसे एक नगह रहता हुआ विषय अपनसे भिन्न देशमें आत्माम ज्ञानसुखादितो पैदा करता है वैसे ही किसी एक काल में रहकर नष्ट हो जानवाला क्षणिक पदार्थ भी विभिन्न क्षणोंमें कार्य पैदा कर सकता है क्याकि उसी स्वभाव का वह पैदा होता है ।

(उत्तर) तो यहाँ एक कालमें रहनेका अभिप्राय अपन कालमें रहना है ? या सहकारियोंके कालम रहना है ?

यहाँ प्रथमपक्षमें कोई अनुपपत्ति नहीं है । क्योंकि नित्य और अनित्य सभी स्थिर पदार्थ अपन कालमें ही रहते हैं । क्याकि अपने यालमें ही रहना सभी भावोंका स्वभाव है । किंतु यहीं रहना कहीं अवधिके साथ है जैसे अनित्योंका । और कहीं निना अवधिके हैं, जैसे नित्या का । सारथि रहनेमें भी व्यापार और परके घबाहका प्ररूप और अप्रकर्षण विशेषता होती है । अर्थात् यागत अपूर्वनामक एवं ऐसा प्रहृष्ट व्यापार पैदा होता है, जिसके प्रभावसे यहुत पहन ही यागके नष्ट हो जानपर भी सर्वग्रहण फल उत्पन्न हो जाता है । धीनादिमें यह प्रस्तु नहीं है, इसलिये अकुरोत्पत्तिके अव्यवहित पूर्वमें यीजका रहना आघ्रयन है ।

द्वितीयस्तु स्यादपि यदि तेषां योगपद्यं भवेत्, क्रमिणस्तु
सहकारिण इत्युक्तम्। सहकारिमहितः स्वभावेन करोतीति
वक्तरि तु जातनष्ट एव करोत्वित्युत्तरप्रसङ्गो निरर्गलशैशा-
वस्येत्यलमनेन ।

तस्मात् कार्यस्य स एव कालः, कारणस्य तु स चान्यथेति
संबन्धिकालापेक्षया पूर्वकालतात्यवहारः ।

अपि च यदा तदेतिस्थाने यत्र तयेति प्रक्षिप्य तयोरेव प्रसङ्ग-
तद्विपर्यययोः को दोपः ?

दूसरा पक्ष तब हो सकता, यदि सभी सहकारी एक कालमें
रहें। किन्तु सहकारी कमसे रहने वाले हैं, यह कहा जा चुका है।
सहकारीसहित होकर स्वयं या अपूर्व आदि व्यापारके द्वारा स्वभावतः
करता है, ऐसा कहने वालेके प्रति तो यह उत्तर उपस्थित करना
कि—पैदा होते ही नष्ट होऊर ही (क्षणिक होता हुआ भी) कार्य
करेगा, स्वच्छम् शिशुता है। अतः इससे बचो। अर्थात् उक्त कथनमें
क्षणिकत्वता अवसर ही नहीं है।

अतः कार्यका वही [सामग्रीसमवधानका उत्तरवर्ती] काल है और
कारणका तो यथासंभव वह भी है और दूसरा भी है। अर्थात् कोई
कारण सामग्रीके बाद भी बना रहता है और कोई कार्यके पूर्व ही नष्ट
हो जाता है। कार्य और कारणके एक समयमें रहनेपर भी कारणमें
कार्यके प्रति पूर्वकालताका जो व्यवहार होता है, वह कार्यप्रागभावरूप
सम्बन्धीके कालमें उसके नियमसः रहनेके कारण होता है।

इसके अतिरिक्त कालयाची 'जब और तब' पदोंके स्थानमें देश-
याची 'जहां और वहां' पदोंका भी निवेश करके यदि ये ही प्रसङ्ग
और विपर्यय उपस्थित किये जायेतो क्या हानि है? अर्थात् "जो जब
जहां जिसके प्रति समर्थ है, वह तब वहां उसे करता ही है" ऐसा
नियम मानकर पूछता है कि—खेतमें चोया गया बीज बढ़ावमें
अचुर करनेमें समर्थ है या नहीं? यहां यदि समर्थ मानो तो ज्ञेत्रस्थ

न कथिदिति चेत्, तद्विद्वाद्वैरं वा कारणमेदो वा
आपद्येत् ।

आपद्यतां, तदादाय योगाचारनयनगरं प्रवेद्याम इति, न,
हेतुफलभाववादवैरिण्यमनपोद्य तत्र प्रवेष्टुमशक्यत्वात् ।

तदपवादे वा सत्त्वाख्यसाधनशक्त्वासंन्यासिनस्त्व विहिर्वाद-
संग्रामभूमाधपि कुतो भयम् ?

बीज व्याख्यारमे भी अंकुर उत्पन्न करदे, इस प्रकारका प्रसङ्ग और 'नहीं
करता है' इसलिये वह उस समय खेतमे अंकुर-जनन समर्थ होता हुआ
भी व्याख्यारमे अकुर जनन समर्थ नहीं है' इस प्रकारका विपर्यय तुम्हारे
प्रति भी दिये जा सकते हैं । अर्थात् क्षणिक भी बीज सामर्थ्यासामर्थ्य-
लक्षण विरुद्ध-धर्मके संसर्गसे भिन्न-भिन्न होने लगेगा ।

यदि कहो, इसमें कोई हानि नहीं है, तो सामर्थ्यपक्षमें सब जगह
समानरूपसे कार्य करनेसे देशाद्वैतकी आपत्ति हो जायगी । तथा
असामर्थ्यपक्षमें एक ही क्षणिकबीजमें सामर्थ्य और असामर्थ्यरूप
विरुद्धधर्मों के संसर्गसे पुनः भेदकी आपत्ति आ जायगी ।

(शास्त्र) देशाद्वैत हो जाय, उसे लेकर हम योगाचारमतरूप नगरमें
प्रवेश कर जायेंगे । अर्थात् योगाचारमतानुसार हम भी वाष्प वस्तु नहीं
भानेंगे । अतः क्षेत्र कुशल आदि सभी देश विज्ञानरूपसे अभिज्ञ ही
हैं । इस स्थितिमें देशभेद मानकर मेरे प्रति सामर्थ्यासामर्थ्यका
क्षणिकबीजमें आपादन नहीं हो सकता है ।

(उत्तर) ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि कार्यकारण-
भावरूप वैरीको परास्त किये विना योगाचारमतरूप नगरमें प्रवेश ही
नहीं कर सकते । अर्थात् योगाचारमतमें सब छुछ विज्ञानरूप होनेसे
कार्यकारणका भेद भी मिथ्या मानना होगा । और यही योगाचारनगरमें
प्रवेशका धारक होगा ।

यदि योगाचारनगरमें प्रवेश पानेके लिये कार्यकारणभावको भी
छोड़ दो तो "यत् सत् तत् क्षणिरूपम्" इस अनुमानमें क्षणिरूपसिद्धिका

ननु यावत्येऽर्थक्रिया भिन्नदेशास्तावद्देदं कारणमस्तु को
विरोध इति चेत्, न, तेषामपि प्रत्येकं तत्प्रमद्गस्य तदवस्थत्वात्।
एवमेकस्य जगति वस्तुतत्प्रस्पाऽलाभे साध्वी द्वयभद्रपाधन-
परिशुद्धिः ।

अस्तु तहिं कथिदोप एवानयोरिति चेत्, स पुनः कस्मिन्
साध्ये ? किं सामर्थ्यासामर्थ्ययोः ? किं वा तद्विरुद्धयोः ? किं वा
तद्विरुद्धधर्माध्यासेन भेदे ? आहोस्वित् शक्त्यशक्त्योर्विरोधे ?

साधनभूत सत्त्व-द्वैतुरूप शब्दका भी परित्याग कर देना पड़ेगा । ऐसी
दशामे वाहस्थिरत्ववादरूप युद्धस्थलीमे भी तुम्हें क्या भय है ।
अर्थात् क्षणिकत्वसिद्धिके लिये उठाये सत्त्वद्वैतुरूप शब्द गिराकर हार
मान ही गये तो स्थिरत्व ही मान लो, उससे बचनेके लिये योगाचार
मतका स्वीकार करों कर रहे हो ?

(शङ्खा) जिन जिन भिन्न देशोंमे जितनी अर्थक्रियायें (अकुरादि
कार्य) होती हैं, वीजरूपकारणके भी उतने भेद माननेमें क्या
विरोध है !

(उत्तर) ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि कारणके उतने भेदोंमें
भी प्रत्येकके लिये वक्त प्रसङ्ग पुन वैसे ही दिया जा सकता
है । अर्थात् वह प्रत्येक वीज देशान्तरमें भी अंकुरसमर्थ हो तो
देशाद्वैतकी आपत्ति हो जायगी । और अंकुरसमर्थ न हो तो स्वदेशमे
सामर्थ्य और अन्यदेशमे असामर्थ्यरूप विरुद्धपर्मोक्ता संसर्ग होनेसे
वह प्रत्येक भी भिन्न हो जायगा । इस प्रकार जगत् मे एक वस्तु कोई
रह ही नहीं जायगी । ऐसी दशामे क्षणिकत्व सिद्ध करनेवाले आपके
द्वैताओंकी अच्छी विशुद्धता (निर्दोषिता) है । अर्थात् जब एक कोई
है नहीं सो किसे पक्ष मानकर क्षणिकत्व सिद्ध करोगे ।

यदि पूर्वोक्त देशगमित प्रसङ्ग और विपर्ययमें किसी दोषको मानो,
तो यताओ, क्या सिद्ध करनेमें वह दोष होप होगा । क्या, सामर्थ्य और
असामर्थ्य सिद्ध करने में ? या सामर्थ्य और असामर्थ्यरूप विवर

नायः, सर्वत्र सामर्थ्ये हि प्रसद्यकरणात्, सर्वत्राशकौ क्वचिदप्यकरणात् ।

सर्वदेशसमानस्वभावत्वेऽप्यस्य 'स्वोपादानदेश एव तत्कार्यं करोतीति, अयमस्य स्वभावः स्वकारणादायातो न नियोगपर्यनुयोगाभृतीति चेत्, तर्हि सर्वकालममानस्वभावत्वेऽपि तत्सहकारिकाल एव^१ करोतीत्ययमस्य स्वभावः स्वकारणादायात इति किञ्च रोचयेः ?

न द्वितीयः, विरुद्धधर्माद्यासेनाप्यभेदे भेदव्यप्रहारस्य

धर्मोंके आरोपसे वीजब्यक्तिमें भेद सिद्ध करने में ? अथवा करण और अकरणका विरोध सिद्ध करने में ?

इनमें प्रथमपक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि क्षेत्रस्थ वीनम क्षेत्रमें अकुरके प्रति सामर्थ्य और वयारमें अकुरके प्रति असामर्थ्य ये दो न माने जाँय तो वह वीज सवत्र अकुर समर्थ ही होगा अथवा सवत्र असमर्थ ही होगा । ऐसी दशामें सर्वत्र सामर्थ्य होनेमें उसे वयारमें भी अकुर करना बलात् प्राप्त हो जायगा । एव सर्वत्र असामर्थ्य होनेमें कहीं भी (क्षेत्रमें भी) अकुर न करना प्रसक्त हो जायगा ।

(शास्त्र) सद जगह वीजके एक ही स्वभावका होनेपर भी अपने कार्यके लिये नियत एकदेशमें ही वह कार्यको करता है, इस प्रकार का वीजका यह स्वभाव अपने कारणसे प्राप्त हुआ है । अत स्वभावके लिये कोई विधि या नियेष नहीं दिया जा सकता है ।

(उत्तर) तो उसी प्रकार "सन कालमें अर्थात् खेतमें और वयारमें भी रहनेकी दशामें वीजवें एक स्वभावका होने पर भी उन उन सदकारियोंपे प्राप्तिरूपमें ही वह अकुररूप कार्य करता है । इस प्रकारका यह वीनका स्वभाव ही है, जो अपने कारणसे इसे प्राप्त है । यह यात पर्याप्त नहीं पसाद रहते हो ?

द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि विरुद्ध धर्मोंका संसर्ग होने

निर्निमित्तकत्वप्रमङ्गात् । अनैकान्तिकश्च हेतुः कालतोऽपि न
भेदं साधयेत् ॥

न तृतीयः, विरोधलक्षणयोगे वाधकमहस्ते यापि विरोध-
स्यापनेतुमशक्यत्वात्, अयोगे वा तदेव चिन्त्यत् । यद्विधाने यस्य
निषेधो यन्निषेधे वा यस्य विधानं तयोरेकत्र धर्मिणि परम्पर-
परीहारस्थिततया विरोधः^१, सचेह नास्ति । तदेशकार्यकारित्वं हि
तदेशकार्यकारित्वेन विरुद्धं तद्विधौ तस्य नियमेन निषेधात्, न
पुनर्देशान्तरे तत्कार्यकारित्वेन, तस्यानिषेधात् । न द्वन्द्वत्र तद-
करणमतत्करणं वा तत्र तत्करणस्याभावोऽपि तु तत्र तदकरण-
प्रिति चेत्—

पर भी यदि अनेक मानो तो विश्वमें भेदव्यवहारका कोई विषय ही नहीं
रह जायगा । साथ ही दैशिक भेदस्थलमें ही व्यभिचारी होनेसे
विरुद्धधर्माध्यासस्वप्न हेतु कालिक भेदको भी नहीं सिद्ध कर सकेगा ।

एवं, तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि विरोधलक्षणका योग
रहनेवर हजारों वाधक भी उस विरोधको नहीं हटा सकते । यदि
विरोधलक्षणमा वहाँ अयोग है, तब यही तो विचारणीय है कि
जिसके विधानमें जिसका निषेध हो और जिसके निषेधमें जिसका
विधान हो, उन दोनोंमें एक जगह एक दूसरेको हटोडकर रहनेके कारण
ही विरोध होता है, और वैसा यहाँ नहीं है । क्योंकि उस देशमें कार्य
करनेको उसी देशमें कार्य न करनेके साथ विरोध है । कारण, उस
देशमें कार्यकारित्वके विधानमें उस देशमें कार्यकारित्वका नियमतः
निषेध होता है । न कि देशान्तरमें उस कार्यको न करनेके साथ विरोध
है । कारण, वहाँ देशान्तरमें कार्यकारित्वका निषेध नहीं होता है ।
अर्थात् उस देशमें कार्यकारी देशान्तरमें कार्यकारी भी हो सकता है,
इसमें विरोध नहीं है । क्योंकि उससे भिन्न जगहमें उस कार्यको
न करना या उससे भिन्न कार्यका करना उस जगह उस कार्यको

१. परम्परारीहारावस्थितयोविरोध — २ पृ० ३०

हन्तैवभूतविरोधलक्षणव्यावृत्तिर्भिन्नकालशक्त्यशक्त्योरपीत्युक्तप्रायं, तत्प्रतिमन्दधीयाः । तस्मात् प्रसङ्गतद्विपर्ययस्थितावपि अमिद्वा विरुद्धधर्माध्यामः ।

ननु यदेकदा यत् करोति तद्यावत्मन्तं तत्करोत्येव यथा कश्चिच्छब्दः^१ शब्दान्तरमिति प्रमङ्गोऽस्तु । विपर्ययस्तु यदेकदा यन्म करोति तत् सर्वदैव तन्म करोति यथा शिलाशक्लमङ्गुरम् । न करोति चैकदा कुशनस्थं वीजमङ्गुरमिति चेत्—

तदेतात्यभिप्रायेण वा स्याद् व्यक्त्यभिप्रायेण वा स्यात् ।

फरनेका विरोधी नहीं है किन्तु उसी जगह उस कार्यको न करना ही विरोधी है ।

उव तो हन्त ! ऐसे विरोधलक्षणका अभाव भिन्नकालमें करण और अकरणमें भी है । यह पहले ही कह दिया गया है, उसे स्मरण करो । अर्थात् भिन्नकालमें करण अकरणमें कोई विरोध नहीं है । इसलिए इसी प्रकार यदि प्रसङ्ग और विपर्ययकी सिद्धि हो भी जाय तो भी विरुद्ध धर्मोऽनि समर्ग असिद्ध है । अर्थात् जैसे, देशभेदसे, वैसे ही कालभेदसे भी एक जगह सामर्थ्य और असामर्थ्य रह सकते हैं ।

(शङ्खा) यदि कहो कि “जो एक बार जिसे फरता है यह जब तक अपनी सत्ता रहती है, उसे करता ही है । जैसे, कोई शब्द दूसरे शब्दको उत्पन्न करता है” यह प्रमङ्ग होगा । और विपर्यय तो यह होगा कि जो एक्सार जिसे नहीं करता है, यह हमेशा ही उसे नहीं करता है, जैसे प्रस्तररण्ड अङ्गुर को । यदारका वीज भी अङ्गुरको एक बार भी नहीं करता है, अत अङ्गुर करनेवाले क्षेत्रस्थ वीजसे मिल होकर हृणिरसर्दी सिद्धि करा देंगा” ।

(उच्च८) तो यताओ, यह प्रसङ्ग और विपर्यय जातिके अभिप्रायसे होगा । अथवा व्यक्तिके अभिप्रायसे । जिस जातिका एक वार नहीं करता, उस जातिका कभी भी नहीं करता—इस प्रथम अभिप्रायमें प्रसंग

१. अदिनश्यदरस्य—रसयस्मिन्द एङ्गुरपित्रहृतीकानुसारेण ।

४१
LIBRARY

प्रथमे द्वयमपि अनैकान्तिरूपम्, अनियमदर्शनात् । द्वितीय द्वय-
मप्यन्यथामिद्वूपम्, एकान्तामामर्थ्यप्रयुक्तत्वादत्यन्ताहरणस्य ।
सामर्थ्ये सति सहकारिसन्निधिप्रयुक्तत्वात् करणनियमस्य ।

एतेन यदुत्करोति तत्तदुत्पन्नमात्रं यथा कर्म विभागम् । यदुत्प-
न्नमात्रं यन्न करोति तत्र कदाचिदपि यथा शिलाशस्त्रलमङ्कुरमिति
निरस्त् । अत्रापि पूर्ववदनैकान्तान्यथामिद्वौ दोषाः^१ गिति ।

नापि तृतीयः, कृतकत्त्वानित्यत्वादेरपि^२ परस्पराभावत्त्वामा-
त्रेणैव विरोधप्रमङ्गादिति ।

और विपर्यय दोनोंमें व्यभिचार है । क्योंकि एक ही बीज जातिमें
करना और न करना दोनों ही के देसे जानेसे केवल करने या केवल
न करने का नियम नहीं है ।

जो व्यक्ति एक बार जिसे नहीं करता है वह कभी भी उसे नहीं
करता—इस द्वितीय अभिप्रायमें प्रसग और विपर्यय दोनों ही अन्यथा-
सिद्ध हैं । क्योंकि एकबार अङ्कुर न करनेवाले प्रस्तरखण्डमें सदा
अङ्कुर न करना उसकी अङ्कुरके प्रति स्वाभाविक अयोग्यताके कारण
है । तथा अङ्कुरके प्रति स्वाभाविक योग्यतावाले बीजमें तो कभी अङ्कुरका
करना सहकारियोंकी सन्निधिके कारण और कभी अङ्कुर न करना सह-
कारियोंकी असन्निधिके कारण है ।

इससे—जो जिसे करता है वह उत्पन्न होते ही उसे करता है, जैसे
कर्म (किया) उत्पन्न होते ही विभागको । एवं जो उत्पन्न होते ही जिसे
नहीं करता वह कभी भी उसे नहीं करता, जैसे शिलाशण अङ्कुरको—
इस प्रकारके प्रसग और विपर्यय भी खण्डित हो गये । क्योंकि यहाँ भी
पूर्वके समान जातिके अभिप्रायमें व्यभिचार और व्यक्तिके अभिप्रायमें
अन्यथासिद्धिदोष हो जायेगे ।

“दण्डित्व और कुण्डलित्वके समान एक जगह रहते हुए भी

१. अन्यथासिद्धिदोषो—१ पू० पा०

२. कृतकत्वानिरपत्वयोरपि—१ पू० पा०

अप्तु तहि तस्यैत तेनैव सहकारिणा संबन्धोऽसंबन्धश्चेति
पिरोधः, न, विकल्पानुपपत्तेः । तथा हि संबन्धिनः संबन्ध्यन्तरे स्वा-
भावस्वाभाव्यं वा विरुद्ध्येत् ? अभावप्रतियोगित्वं वा ? तदैवेति
सहितं वा ? तत्रैवेति सहितं वा ? उभयासहितं वा ? तथैवेति
महितं वेति ?

न प्रथमः, अनभ्युपगमात् । न द्वितीयः, सत्कार्यप्रतिपेशात् ।
न तृतीयः, प्राक् प्रधर्मसाभावयोर्भविमपानरालत्वानभ्युपगमात् ।

परस्पर भिन्न होना ही करण और अकरणका विरोध है” यह पूर्वोक्त तृतीयपक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि उस प्रकारका विरोध माननेमें परस्परमें भिन्न होनेमात्रसे कृतकर्त्तव और अनित्यत्वमें भी विरोधका प्रसाग हो जायगा ।

(शङ्ख) तब उसी (बीज) का उसी सहकारीके साथ कभी संबन्ध-
का होना और कभी न होना ही विरोध होते ।

(उच्चर) यह नहीं कह सकते हो, क्योंकि अप्रिम विकल्पोंमें कोई
भी विकल्प नहीं बन सकता है ।

जैसे, क्या दूसरे सम्बन्धीको एक सम्बन्धीका अभावरूप होना
विरुद्ध होगा ? अर्थात् एक सहकारीका दूसरा सहकारी अभावस्वरूप
ही है और भाव और अभावका सम्बन्ध कभी हो नहीं सकता है, यद्यी
विरोध है ? अथवा भावस्वरूप एक सहकारीका दूसरे सहकारीमें
अभावप्रतियोगित्वरूप असमवधान विरुद्ध होगा ? अथवा जिस क्षणमें
अपना समवधान है उसी क्षणमें उसका असमवधान विरुद्ध होगा ?
अथवा जिस जगह समवधान है वही असमवधानका होना विरुद्ध
होगा ? अथवा उसी क्षण और उसी देशमें उसका समवधान और
असमवधानका होना विरुद्ध होगा ? अथवा जिस रूपसे समवधान हो
उसी रूपसे असमवधानका होना विरुद्ध होगा ?

इनमें प्रथमपक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि एक सम्बन्धीका अभावस्वरूप
दूसरे सम्बन्धीमें हम नहीं मानते हैं । दूसरा भी ठीक नहीं है,

न चतुर्थः, स हि न तावत् स्थितियौगपद्यनियमेन, संबन्धिनोस्तदसिद्धेः । इत एव तत्सिद्धावितरेतराश्रयत्वं, नियमसिद्धौ हि विरोधमिद्धिः तत्सिद्धौ च भेदे सति नियमसिद्धिरिति ।

न चान्यतस्तद्मिद्धिस्तदभावात् अनियतोपसर्पणापसर्पणकारणप्रयुक्तत्वाच्च संबन्धासंबन्धयोः । नापि विनाशस्य अहेतुकत्वात् अयं विरोधोऽर्थात् पिदूध्यति, तस्यात्यमिद्धेः । ग्रुवभावित्वे तु पश्यामः । नापि पञ्चमः, न हि तदैव तत्रैव स एव सहकार्यस्ति नास्ति चेति आभ्युपगच्छापः ।

क्योंकि सत्कार्यवादका तुम्हारे यहाँ निषेध है । अर्थात् सत्कार्यवादमें ही भावका अभाव नहीं होता है । तीसरा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि केवल प्रागभाव और प्रध्वसाभाव ही भावके कालमें नहीं माना जाता है । अत्यन्ताभाव तो देशभेदसे भावकाल में भी रहता ही है ।

चतुर्थ प्रकारका विरोध भी ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकारका विरोध तत्र सिद्ध होता जब कि—सम्बन्धियोंमें एकके सत्ताकालमें विना किसी व्यवधानके दूसरेकी अवश्य सत्ता है—ऐसा नियम होता । किन्तु यह नियम ही असिद्ध है । यदि ऐसा मानो कि इस विरोधसे ही यह नियम सिद्ध हो जायगा, तो यहाँ अन्योन्याश्रय दोष आ जायगा । क्योंकि नियमकी सिद्धि होनेपर विरोधकी सिद्धि होगी और विरोधके सिद्ध होनेपर धर्ममि भेद सिद्ध होकर सभी सहकारियों (सम्बन्धियों) के एक साथ रहनेके नियमकी सिद्धि होगी ।

किसी दूसरे प्रमाणसे भी उक्त नियमकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वैसा कोई प्रमाण नहीं है । एवं सहकारियों का परस्पर उपसर्पण और अपसर्पण अनियत है और इसी कारण उनमें सम्बन्ध और असम्बन्ध दोनों ही होते हैं ।

यह भी नहीं हो सकता कि—किसी वस्तुके विनाशमें देतुली अपेक्षा नहीं होनेसे सभी चस्तु क्षणिक होगी, अतः उसमें सम्बन्ध और असम्बन्धका विरोध स्वतः सिद्ध हो जायगा—क्योंकि विना हेतुरा

ननु समवधानं नाम सहकारिणा धर्मः सयोगो भवद्विरिष्यते, स च तेभ्यो व्यतिरिक्तोऽव्याप्यवृत्तिशेत्यपि । तथा च स एव तदैव तत्रैवास्ति नास्ति चेति । अनतिरेके स्थिरवादिनो व्यस्तान्यपि वीजवारिधरणिधामानि तान्येतेति तेभ्योऽपि कार्योत्पत्तिप्रसङ्गः । व्याप्यवृत्तिवे च सर्वत्र रक्तादिपित्रमः शब्दादिकार्योत्पत्तिप्रमङ्गश्च । तस्मादसयुक्तेभ्योऽन्य एव संयुक्तस्वभागः परमाणु जाता इत्येव ज्याय ।

विनाश भी असिद्ध है । यदि कहो कि वस्तुओंका विनाश भूव है इसलिये विनाशमें किसी हेतुकी अपेक्षा नहीं है—तो इसके सम्बन्ध में आगे कहेंगे ।

एव पाचव प्रकारका विरोध भी नहीं हो सकता है । क्योंकि— उसी कालमें उसी स्थानमें वही सहकारी है भी और नहीं भी है—ऐसा हम नहीं मानते हैं ।

(शङ्ख) समवधानको भी आप सहकारियोंका धर्म और सयोग रूप मानते हैं और यह भी मानते हैं कि यह समवधान उन सहकारियोंसे अतिरिक्त और अव्याप्यवृत्ति (एकदेशी) भी है । तब वही समवधान (सयोग) उसी समय वही पर है भी और नहीं भी है, इस प्रकार विरोध आ जाता है । यदि यह समवधान सहकारियोंसे अतिरिक्त न हो तो चूंकि स्थिरवादीके मतसे छिटफुट रहनेवाले भी वीज, पानी, पृथ्वी और प्रकाश वे ही हैं, इसलिये छिटफुट रहनेकी स्थितिमें भी उनसे अकुररूप कार्यकी उत्पत्ति होनी चाहिये । यदि सयोगको एकदेशी न मानकर व्याप्यवृत्ति मानें तो एक भागमें रङ्गका सयोग होनेपर सर्वांशमें लालिमाशी प्रतीति होनी चाहिये और आकाशके एक भागमें नगाड़के सयोगसे सम्पूर्ण आकाशम शब्दकी उत्पत्ति होनी चाहिये । इसलिये असमुच्च परमाणुओंसे दूसरे ही सयुक्त स्वभाववाले परमाणु उत्पन्न होते हैं, यही मानना समुचित है । अर्थात् परमाणुपुञ्चनसे या सहकारिसमूहसे अतिरिक्त सयोग नहीं है । इस प्रकार धृणभज्ञवाद सिद्ध हो जाता है ।

नैतदेवम्, त्रिणिकपरमाणावप्यस्य विरोधस्य दुर्वारत्त्वात् । तथा हि पूर्वदिग्बस्थितः परमाणुर्यथाऽपरदिग्बस्थितेन परमाणु-नाऽपरदिग्बच्छेदेनावृतरूप उत्पन्नः, तथैव कि पूर्वदिग्बच्छेदेनापि न वा ? उभयथा वा ? आद्ये उभयतोप्यनुपलब्धिप्रमङ्गः। द्वितीये तु उभयतोऽप्युपलम्भापत्तिः । तृतीये एनः स एव दुरात्मा विरोधः, स एव तेनैव तदैवावृतोऽनावृतश्चेति ।

प्रकारभेदमुपादायाविरोध इति चेत्, कः उनरसौ^१ दिग्नतरा-बच्छेदः ? यदि हि यदिग्बच्छेदेनैव संयुक्तस्तदिग्बच्छेदेनैवामयु-

(उत्तर) ऐसा पूर्वपक्ष ठीक नहीं है। कारण, क्षणिक परमाणुमें भी इस प्रकारका विरोध नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि, पूर्व दिशामें स्थित परमाणु अपर दिशामें स्थित परमाणुसे जैसे अपर भागकी ओर आवृत (डँका) होकर पैदा होता है, वैसे ही क्या वह पूर्वभागकी ओर भी आवृत ही होता है ? या पूर्वभागके समान अपरभागकी ओर भी अनावृत (विना डँका) उत्पन्न होता है ? अथवा एक भागकी ओर अनावृत और दूसरे भागकी ओर आवृत दोनों ही प्रकारका होता है ? यहाँ प्रथम पक्षमें उसकी दोनों ही ओर अनुपलब्धि होनी चाहिये। द्वितीय पक्षमें दोनों ही ओरसे उपलब्धि (प्रत्यक्ष) होनी चाहिये। तृतीय पक्षमें तो वही दुरात्मा विरोध तुम्हारे यहाँ भी उपस्थित हो जाता है कि 'वही उसीसे उसी काटमें आवृत भी है और अनावृत भी'।

यदि यहो कि—विशेषणभेदको लेकर यहाँ विरोधका निवारण हो जायगा—तो वह कौन सा विशेषणभेद है ?

यदि कहो कि—भिन्न-भिन्न दिशाका योग ही विशेषणभेद है, क्योंकि यदि जिस दिशाकी ओर संयुक्त है उसी दिशाकी ओर असंयुक्त भी हो, तब विरोध हो। यहाँ तो ऐसा है नहीं—तो अहो ! संयोग और संयोगीमें परस्पर भेद मानने वाले मेरे पक्षमें भी यदि यह सिद्धान्त लागू हो तब दोष कैसा ?

^१. करच उनरसौ-इति शास्त्रमित्रसम्मतः पाठः ।

कोऽपि, ततो पिरोधः स्यात्, इह तु नैगमिति चेत्, हन्त ! सयोग-
सयोगिनीर्मदपक्षेऽपि यद्यपि मिद्वान्तवृत्तान्तः. स्यात् कौदशो
दोप इति ? एतेन व्यतिरेकपक्षोऽपि निरस्तः ।

अधिकृथं ताथ्यहेतुदृष्टान्तमिद्दौ प्रमाणाभावः, अवस्तुनि
प्रमाणप्रवृत्तेः प्रमाणप्रवृत्तागलीदत्त्वानुपपत्तेः ।

एत तर्हच्यवहारे स्ववचनविरोध स्यादिति चेत्, तत् किं
स्ववचनविरोधेन तेषु प्रमाणमुपदर्शित भवति ? च्यवहारनिपेध
च्यवहारो वा चण्डित स्यात् ? अप्रामाणिकोऽय च्यवहारोऽय-
इयाभ्युपगन्तव्य इति वा भवेत् ?

इस प्रकार 'जो सत् है वह क्षणिक है' इस अन्वयव्याप्तिके खण्डन-
से 'जो क्षणिक नहीं है वह सत् भी नहीं है, जैसे रहदेकी सींग'
यह व्यतिरेक व्याप्ति भी रण्डित हो गयी ।

चलिक अ-च्यवहारव्याप्तिकी अपेक्षा व्यतिरेकव्याप्तिपक्षमे पक्ष, हेतु
और दृष्टातकी सिद्धिमे बोई प्रमाण नहीं है यह अधिक दोप है ।
क्योंकि जो अवस्तु (असत्) है, उसमे किसी प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं हो
सकती है और जिसमे प्रमाणोंकी प्रवृत्ति होगी, वह असत् नहीं होगा ।
अर्थात् रिथरभावरूप पक्ष तुम्हारे मतमे अप्रामाणिक है । अक्षणिकत्व
हेतुको तुम सत्में मानते नहीं थीर असत् अप्रामाणिक ही है । इस
प्रकार हेतु भी अप्रसिद्ध है । साथ ही शशशृङ्खरूप दृष्टान्त भी
अप्रसिद्ध ही है ।

(शङ्खा) यदि अप्रामाणिकम च्यवहार न हो तो सिद्धातीको
"स्ववचनका पिरोध हो जायगा । अर्थात् 'असत्मे अनुमानादिका च्यवहार
हो सकता यह कहना भी तो असत्में च्यवहार ही है ।

(उत्तर) तो क्या मेरे स्ववचनविरोधसे उन असत् पक्षादिकोंमें
प्रामाणिकता आ जाती है ? अथवा च्यवहारके निपेधका च्यवहार
सण्डित हो जाता है ? अथवा—अप्रामाणिक भी यह अनुमान-च्यवहार
अवश्य मानना चाहिये—यह सिद्ध होदा है ?

न तावत् प्रथमः, नहि गिरोधमहस्तेणापि स्थिरे तस्य
क्रमादिगिरहे वा प्रत्यक्षपञ्चुमान वा दर्शयितुं शक्यम्, तथात्वे वा
कृत भीतकलहेन ।

द्वितीयस्तिव्यत एव प्रामाणिकैः । अवचनमेव तहिं प्राप्तम्
किं कुमो यत्र उचनं सर्वथैवानुपपञ्चं तग्रापचनमेव थेयः । त्वमपि
परिभावय तात्रनिष्प्रामाणिकेऽर्थे मूकगावदूक्योः क्तरः श्रेयान् ।

एवं विदुपापि भवता न मूरुभूय स्थितम्, अपि तु व्यव-

इनमें प्रथम तो हो नहीं सकता है । क्योंकि हजारों विरोधके रहने-
पर भी तुम रिथरभावरूप पश्चमे अधबा उसमें असत्त्वको सिद्ध करने-
वाले क्रमयोगपद्याभावरूप हेतुमें अथवा शशशृङ्खरूप उष्टान्तमें प्रत्यक्ष
या अनुमान प्रमाण नहीं दिखा सकते हो । यदि दिखा सको तो
भूताविष्टोंकी तरह इस निरर्थक कलहकी क्या आवश्यकता है ?

द्वितीय पक्ष तो प्रामाणिकोंको इष्ट ही है । अर्थात् शशशृङ्खादि
अलीक पदार्थोंमें विधिव्यवहारके समान ही नियेधका भी व्यवहार
हम नहीं ही मानते हैं । “शशशृङ्ख नास्ति” यह जो नियेधव्यवहार
होता है, उसका तो अर्थ यह है कि शशमें शृङ्ख नहीं है । शश भी
सत् है और शृङ्ख भी कहीं सत् है । इसलिये शशमें शृङ्ख नहीं है, ऐसा
व्यवहार होनेमें कोई वाधा नहीं है ।

यदि यह कहो कि—तय हमें अलीक पदार्थोंके सम्बन्धमें कुछ नहीं
बोलना चाहिये अर्थात् मौन धारण किये रहना चाहिये—तो क्या करें,
जहा बोलना सर्वथा ही असगत है, वहाँ न बोलना ही अच्छा है ।
स्वयं भी तो यिचारो कि अप्रामाणिक अर्थके वारेमें मूक रह जानेवाले
और अधिक बोलनेवालेमें कौन अच्छा है ?

यदि कहो कि—ऐसा जानते हुए भी आपसे (मुफ्से) मूक होकर
नहीं रहा गया, प्रत्युत असत्में भी व्यवहारका प्रतियेधरूप व्यवहार कर

१. द्वितीय त्विव्यत—इति पाठ क्वचित् ।

२. क्तरः प्रामाणिक—इति १ पु० पाठ

हारः प्रतिपिद् एवासतीति चेत्, सत्यम्, यथा अप्रामाणिकः स्व-
वचनविरुद्धोऽर्थो मा प्रसाङ्गकीदिति मन्यमानेन त्वय अप्रामाणिक
एवासति व्यवहारः स्वीकृतस्तथास्माभिरपि प्रमाणचिन्तायाम-
प्रामाणिको व्यवहारो मा प्रसाङ्गकीदिति मन्यमानेरप्रामाणिक
एव स्ववचनविरोधः स्वीक्रियते । यदि तूभयत्रापि भवान् समान-
दृष्टिः स्यादस्माभिरपि तदा न किञ्चिदुच्यते इति ।

तृतीये त्वप्रामाणिकश्चाप्यवश्यम्युपगन्तव्यश्चेति कस्येयमाज्ञेति
भवानेव प्रष्टव्यः । व्यवहारस्य सुदृढनिरुद्दृट्यादिति चेत्, अप्रा-
माणिकश्च सुदृढनिरुद्धश्चेति व्याघातः । कर्णचिदपि व्यवस्थितत्त्वा-

ही दिया गया—तो यह ठीक है । क्योंकि, जैसे—जो सत् है, वह
क्षणिक है—अपने इस वचनका विरोधी अक्षणिक शशशृङ्खमें भी
सत्त्वरूप अप्रामाणिक अर्थ न प्रसक्त हो जाय, यह मानते हुए तुम
असत् शशशृङ्खमें अप्रामाणिक ही अनुमानव्यवहार स्वीकृत किये हो,
जैसे ही हम भी क्षणिकत्वसिद्धिके लिये प्रमाणकी चिन्तामें शशशृङ्ख-
में व्यतिरेकव्याप्तिप्रदरूप तुम्हारे द्वारा किया गया अप्रामाणिक भी
व्यवहार न प्रसक्त हो जाय, ऐसा मानते हुऐ अप्रामाणिक भी स्ववचन-
विरोध हम स्वीकार करते हैं ।

यदि आप दोनों ही ओर समानदृष्टि हों, तब हम भी कुछ नहीं
कहते हैं । अर्थात् तुम यदि शशशृङ्खमें व्यतिरेकव्याप्ति दिखाना
छोड़ दो तो हम भी उसके रण्डनका यतन नहीं करेंगे ।

तृतीयपक्षमें तो—असत्में व्यवहार अप्रामाणिक भी है और उसे
अपरेय मानना भी चाहिये—यह किसकी आज्ञा है ? ऐसा आप ही से
पूछा जा सकता है ।

यदि कहो कि—असत्में व्यवहार अवाधितरूपसे अनादि परम्परासे
सिद्ध है, इसलिये अप्रामाणिक होता हुआ भी मानने ही योग्य है—
तो उक्तव्यवहार अप्रामाणिक भी है और अनादिपरम्परासिद्ध भी है—
यह परम्पर व्याप्त वचन है ।

दिति चैत, अप्रामाणिकशेब्र कथञ्चिदपि व्यवतिष्ठते, प्रामाणिकशेत्
तदेवोन्यतामिति वादे व्यवस्था ।

जल्पवितरण्डयोस्तु पक्षादिपु प्रमाणप्रश्नमात्रप्रवृत्तस्य न
स्ववचनविरोधः, तत्र प्रमाणेनोत्तरमनिष्टमशक्यं च । अप्रमाणेनैव
तूत्तरे स्ववचनेनैव भङ्गः, मदुक्तेषु पक्षादिपु प्रमाणं नास्तीति स्वय-
मेव स्थीकारात् । अनुत्तरे तु अप्रतिभैवेति ।

यदि च व्यवहारस्थीकारे विरोधपरिहारः स्यात्, असौ
स्थीक्रियेतापि, न त्वेवम्, न खलु मकलव्यवहारभाजनं च तच्चि-
पेधव्यवहारभाजनं चेति वचनं परस्परमविरोधि ।

यदि कहो कि—अनुभवसे ही इस प्रकारका व्यवहार व्यवस्थित है—
तो यह अनुभव यदि अप्रामाणिक है तो किसी प्रकार भी उससे व्यवहार
व्यवस्थित नहीं हो सकता है । यदि प्रामाणिक है तो वह प्रमाण ही
बताओ । क्योंकि यही वादनामक कथारा नियम है ।

जल्द और विशदा नामक कथाओंमें तो तुम्हारे पक्ष हेतु और
दूसान्तमें सिर्फ प्रमाण पूछनेमें प्रवृत्त होनेसे मुझे स्ववचनविरोध
नहीं होगा । उस प्रश्नरा यदि प्रमाणसे उत्तर दो गे अनिष्ट हो
जायगा । अर्थात् शशशृङ्ग भी प्रामाणिक होने लगेगा । साथ ही
प्रमाणद्वारा शशमें शृङ्गका ग्रहण अराक्य भी है ।

यदि अप्रमाणसे ही उत्तर दो, तब तो अपने वचनसे ही तुम्हारी
पराजय होजाती है । क्योंकि “मेरे (तुम्हारे) कहे पक्षादिकोंमें प्रमाण
नहीं है” ऐसा तुमने स्वयं ही स्थीकार कर लिया । यदि मेरे प्रश्नका
कुछ उत्तर ही न दो तो अप्रतिभानामक निग्रहस्थानसे निगृहीत
होते हो ।

एवं, यदि व्यवहार स्थीकार करनेपर विरोधका परिहार हो जाता
रहता तो वह स्थीकार भी कर लिया जाता । अर्थात् मूक रहना अच्छा
नहीं बताते । परन्तु ऐसा तो है नहीं । क्योंकि सभी व्यवहारोंका वह
अपात्र भी है और निषेध व्यवहारका पात्र भी है—वह वचन परस्परमें
अविरोधी नहीं है किन्तु विरोधी है ।

विधिव्यवहारमात्राभिप्रायेणाभाजनत्वादे कुतो विरोध इति चेत्, हन्त ! सकलविधिव्यवहाराभाजनत्वेन किञ्चिद् व्यवहियते न वा ? उभयथापि स्वयन्वनविरोधः, उभयथाप्यवस्तुनैव तेन भवितव्यम्, वस्तुनः सर्वव्यवहारविरहानुपपत्तेः ।

नेतिपक्षे मकलविधिनियेधव्यवहारविरहीत्यनेनैव व्यवहारेण विरोधात् । अव्यवहृतस्य नियेदूधुमशक्यत्वात् । व्यवहियत इति पक्षेऽपि विषयस्वरूपपर्यालोचनर्येव विरोधात् । न हि सर्वव्यवहाराविषयं व्यवहियते चेति ।

यदि चावस्तुनो नियेधव्यवहारगोचरत्वं विधिव्यवहारगोचरतापि हिं न स्यात् ? प्रमाणाभावस्योभयत्रापि तुल्यत्वात् इति ।

यदि कहो कि—असत्‌मे सकल व्यवहारका अपात्रत्व मानने वालोंके यहां उसमें नियेधव्यवहार करनेमें भले ही विरोध हो, पर केवल विधिव्यवहारका अपात्रत्व माननेवाले के यहां किसे विरोध होगा ? अर्थात् शाश्वत आदिमें सत्त्व और क्षणिकत्वका नियेधव्यवहार करनेमें वौद्धको स्वयन्वन विरोध नहीं होगा । क्योंकि असत्‌को हम केवल विधिव्यवहारका ही अपात्र मानते हैं—तो अहो ! सभी विधि और नियेध व्यवहारोंसा अपात्ररूपसे किसीको व्यवहृत करते हो या नहीं ? दोनों ही दशाओंमें तुम्हें भी स्वयन्वन विरोध हो जाता है । तथा दोनों ही दशाओंमें वह अवस्तु (असत्) ही होगी, जिसे तुम व्यवहृत करते हो । कारण, वस्तुमें (सत्‌मे) सकल व्यवहारका अभाव नहीं हो सकता है ।

क्योंकि नहीं पक्षमे—सरुल विधि-नियेध-व्यवहारका विरही असत्—यह भी तो एक व्यवहार ही हुआ, जिससे विरोध आजाता है । कारण व्यवहारमें लाये बिना नियेध ही नहीं कर सकते हो । व्यवहृत करनेके पक्षमें तो विषयस्वरूपकी पर्यालोचना करनेसे ही विरोध मलक जाता है । क्योंकि यह नहीं हो सकता कि—‘सर व्यवहारका अविषय भी हो और व्यवहृत भी होता हो’ ।

एव यदि अलीक (मिथ्या धन्यासुतादि) में सत्त्व और क्षणिकत्व-

वन्ध्यासुतस्यापकतृच्चेतनत्वादिकमेव प्रमाणं वक्तृत्वे तु न किञ्चिदिति चेत्र, तत्रापि सुतत्वस्य विद्यमानत्वात् । न हि वन्ध्यायाः सुतो न सुतः, तथा सति स्वरचनविरोधात् । वचनमात्रमेतत् न तु परमार्थेतः सुत एवासामिति चेत्र, अचैतन्यस्याप्येत्ररूपत्वात् । चेतनादन्यत् स्वभावान्तरमेव श्वचेतनमित्युच्यते । चैतन्यनिवृत्तिमात्रमेवेह विवक्षितग्, तद्य सम्भवत्येवेति चेत्र, तत्राप्यसुतत्वनिवृत्तिमात्रस्यंव विवक्षितत्वात् ।

के निषेधब्रवद्वारकी विपयता है तो उसमें विधिव्यवहारकी भी विपयता क्यों न हो ? कारण, अलीकमे विधि और निषेध दोनों ही व्यवहारोंके होनेमें प्रमाणाभाव समान रूपसे है ।

यदि कहो कि—वन्ध्यासुतमें वक्तृत्वनिषेधका व्यवहार करनेमें उसका अचेतन होना ही प्रमाण है, किन्तु उसमें वक्तृत्वका विधिव्यवहार करनेमें तो कुछ प्रमाण नहीं है—तो यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि उसके वक्तृत्वमें भी उसका सुत होना ही प्रमाणरूपसे विद्यमान है । यह नहीं कह सकते कि वन्ध्याका सुत सुत नहीं है । क्योंकि ऐसा कहनेपर अपने ही वचनका प्रियोग हो जायगा । अर्थात् वन्ध्यासुत कहना और उसे सुत न मानना यह स्पष्ट ही स्वरचनविरोध है ।

यदि कहो कि—यह वचनमात्र ही है न कि वह वस्तुत सुत ही है—तो ऐसा नहीं हो सकता । क्योंकि तब तो उसका अचेतन होना भी ऐसा ही हो जायगा । अर्थात् वन्ध्यासुतको अचेतन कहना भी वचनमात्र ही है, न कि वह घटादिके समान वस्तुत अचेतन ही है । क्योंकि चेतनसे भिन्न एक दूसरे स्वभावका पदार्थ ही अचेतन कहा जाता है ।

यदि कहो कि—यहाँ अचेतनपदसे कोई विलक्षण स्वभाववादा अभिप्रेत नहीं है, किन्तु चैतन्यकी निवृत्तिमात्र ही विवक्षित है और वह वन्ध्यासुतमें सम्भव ही है—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि तर उसमें वक्तृत्व सिद्ध करनेमें भी हेतुवाची सुतपदसे असुतत्वकी निवृत्तिमात्र ही विवक्षित बताया जा सकता है और वह सम्भव ही है ।

असुतत्वनिवृत्तिमात्रस्य स्वरूपेण कृतिश्चप्लयोरमामर्थ्ये
समर्थमर्थान्तरमध्यसेपमन्तरभीव्य कुतो हेतुत्वमिति चेत्, और-
तन्येष्यस्य न्यायस्य समानत्वात् । व्यावृत्तिरूपमपि तदेव गमकं
यदत्स्मादेव, यथा शिशपात्वम्, वन्ध्यासुतस्त्वसुतादिव घटादेः
सुतादपि देवदत्तादेवर्यगर्त्ते अतो न हेतुरिति चेत्, ननिदम-
चेतन्यमपि अस्यैवरूपमेव, नहि वन्ध्यासुतश्चेतनादिव देवदत्तादे-
रचेतनादिरुपाष्टादेवं व्यावर्त्तते ।

वक्तुत्वं वस्त्रेननियतो धर्मः, स कथमवस्तुसाध्यो विरोधा-
दिति चेत्, स पुनरयं विरोधः कुतः प्रमाणात् मिद्दः ? किं

यदि कहो कि—असुतत्वकी निवृत्तिमात्र तो अलीक होनेके कारण
स्वयं किसी कियाको और किसी ज्ञानको करानेमें असमर्थ है । इसलिये
समर्थ एव अनुभवमें आनेवाले किसी दूसरे पदार्थका अन्तर्भीव किये
जिना यह हेतु कैसे बन सकता है ?—तो ऐसा नहीं कह सकते ।
क्योंकि तुम्हारे अचेतन्य हेतुमें भी यह न्याय समानरूपसे लागू
हो जायगा ।

यदि कहो कि—व्यावृत्ति (निवृत्ति) रूप होकर भी वही वोधक
होता है, जो विजातीयसे ही व्यावृत्त होता है, न कि सज्जातीयसे भी ।
जैसे शिशपात्व अपने विजातीय कटहल आदिसे ही व्यावृत्त होता है,
न कि सीसमसे भी । इसलिए यह अपने वृक्षत्वका वोधक हो सकता
है । किन्तु वन्ध्यासुत तो जैसे असुत अर्धात् विजातीय घट आदि से
व्यावृत्त है, वैसे ही देवदत्त आदि सुतसे भी व्यावृत्त है । अत यह
पक्षतत्वका हेतु नहीं हो सकता है—तो निश्चय ही तुम्हारा यह अचेतन्य
हेतु भी इसके समान ही है । क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वन्ध्यासुत
जैसे चेतन देवदत्तसे व्यावृत्त है, वैसे ही काष्ठ आदि अचेतनसे भी
व्यावृत्त न हो ।

यदि कहो कि—यक्षत्व फेवल वस्तुका ही नियत धर्म है, अव-
यह अवस्था (मिथ्या) भूत वन्ध्यासुतमें कैसे सिद्ध किया जा सकता
है ? क्योंकि वस्तु और अवस्था परस्पर विरुद्ध हैं—तो धताओ, यह

कर्तृत्त्वविविक्तस्यावस्तुनो नियमेनोपलम्भात् ? आहोस्थिद् वस्तु-
विविक्तस्य वक्तृत्वं यनुपलम्भादिति ?

न तावदवस्तु केनापि प्रमाणेनोपलम्भगोचरः, तथात्वे वा
नावस्तु । नाप्युचरः, समानत्वात् । नहि वक्तृत्वमिव अवकृत्य-
मपि वस्तुविविक्तं कस्यचित् प्रमाणस्य विषयः ।

तद्विविक्तविकल्पमात्रं तावदस्तीति चेत्, तत्संसूष्टिविकल्प-
नेऽपि को वारयिता ? ननु वक्तृत्वं वचनं प्रति कर्तृत्वं, तद्
कथमवस्तुनि ? तस्य सर्वमामर्थ्यविरहलक्षणत्वादिति चेत्,

विरोध किस प्रमाणसे सिद्ध होता है ? क्या वक्तृत्वसे शून्य ही अवस्तु-
की नियमतः उपलब्धि होनेसे ? अथवा वस्तुविहीन वक्तृत्वकी अनु-
पडब्बिध होनेसे ?

इनमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि अवस्तुकी तो किसी भी
प्रमाणसे उपलब्धि नहीं होती है । यदि उपलब्धि होगी तो वह अवस्तु
नहीं रह जायगी ।

दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि मेरे और आपके साभ्यों-
की समान स्थिति है । क्योंकि, जैसे वस्तुविहीन वक्तृत्व अप्रामाणिक
है, वैसे ही वस्तुविहीन अवकृत्यमें भी कोई प्रमाण नहीं है ।

यदि कहो कि—प्रमाण न होनेपर भी वक्तृत्वसे शून्य अवस्तु
(वन्ध्यासुत) का ज्ञानमात्र तो है—तो वक्तृत्वसे सम्पूर्ण अवस्तुके
ज्ञानको भी कौन दोकनेयाला है ?

यदि कहो कि—वक्तृत्वका अर्थ है ‘वचनकियाका कर्ता होना’
और यह कर्तारन अवास्तविक वन्ध्यासुतमें कैसे आ सकता है ? क्योंकि
यह हर प्रकारकी सामर्थ्यसे रहित है—तो, उसमें अवकृत्य भी कैसे आ
सकता है ? क्योंकि उसका भी अर्थ है ‘वचनसे भिन्न कार्यके प्रति कर्ता
होना’ जो मिथ्या में नहीं हो सकता ।

यदि कहो कि—जिसमें हर प्रकारकी सामर्थ्यका अभाव है, उसमें
बोलनेकी सामर्थ्यका भी अभाव रहने में कोई विरोध नहीं है—तो

अपकरुत्वमपि कथं तत्र ? तस्य वचनेतरकर्तृत्वलक्षणत्वादिति । सर्वसामर्थ्यविरहे वचनमामर्थ्यविरहो न पिरुद्ध इति चेद्, अथ सर्वसामर्थ्यविरहो वन्ध्यासुतस्य कुतः प्रमाणात् सिद्धः । अपत्त-त्वादेवेति चेत्, नन्वेतद्विषये कुतः सिद्धम् ? सर्वसामर्थ्यविरहादिति चेत्, सोऽयमितस्ततः केवलैर्चनौनिर्धनाधमणिक इव साधून् आमयन् परस्पराश्रयदोषमपि न पश्यति ।

क्रमयौगपद्यविरहादिति चेत्, तद्विरहमिदावपि प्रमाणानुयो-
गस्यानुवृत्तेः । सुतत्वे च परामृध्यमाणतदविनाभूतमकलवकरुच्चा-
दिर्धर्मप्रमत्ती कुतः क्रमयौगपद्यविरहसाधनस्यापराशः ? कुतस्तरां
चापस्तुत्वपाधनस्य ? कुतस्तमां चावकरुत्वादिसाधनानाम् ?

बताओ, तूने किस प्रमाणसे जाना कि वन्ध्यासुतमें हर प्रकारकी सामर्थ्य का अभाव है ?

यदि कहो कि—उसके मिथ्या होनेसे—तो यही कैसे जाना कि वन्ध्यासुत मिथ्या है । यदि कहो कि—उसमें हर प्रकारकी सामर्थ्यका अभाव है, अर्थात् वह कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिये जानते हैं कि वह मिथ्या है—तब तो निर्धन खदूकके समान तूँ भी केवल वातोंसे ही सज्जनों को इधर उधर भरमाते हो और अन्योन्याश्रय दोपहो भी नहीं देताते ।

यह कहना वि—हर प्रकारकी असामर्थ्यका कारण क्रम और यौग-
पद्यमा अभाव है । अर्थात् जो किन्हीं कार्यों के वरनेमें सामर्थ्यवान् होता है, यह या तो क्रमशः करता है या युगपत् (एक साथ) करता है । वन्ध्यासुत तो न क्रमसे कुछ करता है और न एक साथ । इसीलिए वह सर्वसामर्थ्यसे रहित है—ठीक नहीं है । क्योंकि क्रम और यौगपद्यके अभावकी भी सिद्धिके लिए प्रमाणकी अपेक्षा ज्यों की त्यों है । क्योंकि जब उसे सुन वहते हो तो सुतोंमें रहनेवाले वक्षत्व आदि सम्पूर्ण धर्म चक्षमें भी होने ही लगेंगे । इस स्थितिमें वन्ध्यासुतमें क्रमयौगपद्य-
भाषणी सिद्धि कैसे होगी ? और वह मिथ्या भी कैसे सिद्ध होगा ?

तस्मात् प्रमाणमेव सीमा व्यग्रहारनियमस्य तदतिंकमे त्वनियम एवेति ।

न श्वप्रतीते देवदत्तादौ 'स किं गौरः कृष्णो वेति' वैयात्यं विना प्रश्नः । तत्रापि यद्येकोऽप्रतीतपरामर्पिष्य ॥ एवोत्तरं ददाति न गौर इति, अपरोऽपि किं न दद्यान्न कृष्ण इति । न चैवं सति काचिदर्थसिद्धिः, प्रमाणाभावपिरोधयोरुभयत्रापि तुल्यत्वादिति ।

नन्वप्रतीतेव्यग्रहारभाव इति युक्तं, कूर्मरोमाद्यस्तु प्रतीयन्त

तथा यह भी कैसे सिद्ध होगा कि वन्ध्यासुतमे अवक्तुव्यादि हैं, अर्थात् यह वक्ता आदि नहीं हो सकता ।

इसलिये किसी भी व्यवहारका नियामक प्रमाण ही है । उसके विना सो कोई नियम ही नहीं रह जायगा । क्योंकि प्रमाणसे देयदत्त आदिको जाने विना "क्या वह गोरा या काला है ?" ऐसा प्रश्न धृष्टिके विना नहीं हो सकता है । अर्थात् जिस वस्तुको जानते नहीं उसके गोरा काला होनेका प्रश्न ही नहीं होता है । साथ ही वैसा प्रश्न होनेपर भी यदि कोई उसके गोरापन कालापनको विना जाने ही उत्तर देता है कि वह गोरा नहीं है तो दूसरा भी यह उत्तर क्यों न दे कि वह काला नहीं है । ऐसी स्थितिमें काला या गोरा किसीका निर्णय नहीं हो सकता है । क्योंकि प्रमाणाभाव और विरोध दोनों ही उत्तरोंमें समान है ।

यहीं प्रमाणका अभाव इसलिये है कि दोनोंमें किसीने प्रमाणके साथ उत्तर नहीं दिया । और विरोध इसलिए है कि प्रमाणके द्वारा जिस वस्तुको जाना ही नहीं उसका गोरा न होना या काला न होना कैसे जान सकता है ? और उत्तर भी कैसे दे सकता है ?

(शङ्ख) यह ठीक है कि अज्ञात विषयके सम्बन्धमें किमी प्रकार का व्यग्रहार नहीं होता, किन्तु कछुएके रोम या वन्ध्याका पुत्र आदि तो

१. अविदितपरामर्पिष्य इति भ० ट्यकुरेम्मत पाठ ।

एव, न होते विकल्पाः किञ्चिदर्थमेऽमनुलिखन्त एव उत्पद्यन्ते,
न च प्रमाणास्पदमेव व्यवहारास्पदमिति, तच्चमुक्तम् । तथाहि
शाशविपाणमिति ज्ञानमन्यथाख्यातिर्वा स्यात् अपरख्यातिर्वा । न
तावदायस्ते रोचते, तथा मति हि किञ्चिदारोप्यं किञ्चिदारोप-
विषय इति स्यात् । तथा चारोपविषयस्तत्रैगस्ति आरोपणीयस्त्व-
न्यत्रवेति जितं नैयायिकैः । नापि द्वितीयः, कारणानुपपत्तेः ।
इन्द्रियस्य ज्ञानजनने विषयाधिपत्येनैव^१ व्यापारात् । लिङ्गशब्दा-
भासयोरन्यथाख्यातिमात्रजनकत्वात् । अपहस्तितस्वार्थयोधापद-

शात ही हैं । क्योंकि कूर्मरोम या वन्यापुत्र आदि शब्द को सुनकर
जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वे किसी वस्तु विशेषको विषय किये जिना
नहीं होते हैं । यहाँपर यह आवश्यक नहीं है कि जो प्रामाणिकरूपसे
ज्ञात होगा, उसीमें कोई व्यवहार होगा । अर्थात् व्यवहारके लिये उसे
किसी भी प्रकारसे ज्ञात होना चाहिये ।

(उत्तर) इस प्रकारका कथन ठीक नहीं है । क्योंकि शाश-
श्वरूप, कूर्मरोग, वन्यापुत्र आदि ज्ञानको अन्यथाख्याति मानते हो
या असत्त्वाति मानते हो । इनमें प्रथम पक्ष तो तुम्हें नहीं पसन्द
है । क्योंकि उस पक्षमें कोई आरोप्य होगा और कोई आरोप का
विषय । अर्थात् वन्यास्त्री कूर्म आदि आरोपके विषय होने व्याप्त उनमें
पुत्र रोम आदिका सम्बन्ध आरोप्य होगा । ऐसी दशामें वन्यास्त्री तो
सामने ही है और पुत्रका सम्बन्ध भी दूसरी जगह है ही । इस प्रकार
नैयायिकोंको विजय प्राप्त हो गयी ।

कारण न हो सम्मेसे असन्ख्याति (असन्का ज्ञान) रूप द्वितीय
पक्ष भी संभव नहीं है । क्योंकि इन्द्रिय द्वारा ज्ञान होनेमें विषय और
इन्द्रियज्ञ सञ्ज्ञरूप व्यापार आवश्यक है । हेत्वाभास और
शब्दाभास तो अन्यथाख्याति ही पैदा करते हैं न कि असन्ख्याति ।

१. तत्त्व युक्तम्—१ पू० ३०

२. विषयाधिपत्येन—एविष्टविषयप्रदृशाधिकेनेवर्य द्विति विरोगिः ।

रुपतिजन तत्वे शशविपाणादिरुद्राम् कूर्मरोपादिविरुद्धानापयु-
स्पतिप्रसङ्गान्, नियामकाभावान् ।

स हि सङ्केतो वा स्यात् ? शब्दस्वाभाव्यं वा ? आद्यस्ता-
चत् सङ्केतविषयाप्रतीतेरेव पराहतः । तत् एव^१ तत्प्रतीताप्रतीतेरारा-
श्रयत्वम्, पदसङ्केतवलेनैव प्रतीतो स्वार्थपरित्यागान् । तथा
चाचनित्वाः पदार्थ एवान्वितवपा परिस्फुरन्तीति विप्रतीतहशयति-

अर्थात् गलन हेतु और मिथ्यावादीके शब्दसे भी उसी अर्थकी प्रतीति होती है, जो कहीं सत् है । जिस हेतुका अपने साध्यके साथ और जिस शब्द-
का अपने अर्थके साथ कहीं भी सम्बन्ध न हो और वह असत् अर्थकी
प्रतीति करावे तो शशशृङ्ख आदि शब्दसे कूर्मरोप आदि अर्थका ज्ञान भी
होने लगेगा । क्योंकि ऐसा न होने देनेवाला कोई नियमक नहीं है ।

क्योंकि यह नियमन करने वाला सङ्केत होगा ? अथवा शब्द-
का स्वभाव ? प्रथम पक्षमें 'शशविपाण' इस पदसमूहका सङ्केत
मानो तो असंभव है । क्योंकि सङ्केतका विषय जो अखण्ड शशविपाण
उसकी कहीं प्रतीति ही नहीं है तो उसमें 'शशविपाण' इस पदसमूहका
सङ्केत कैसे हो सकता है ? यदि इसी सङ्केतके बलने उसकी प्रतीति
मानो तो अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है “सङ्केतसे प्रतीति और प्रतीति
होनेपर सङ्केत” ।

यदि कहो कि—शश और विपाण इन प्रत्येक पदोंके सङ्केतबलमें
ही “शशविपाण” इस अखण्ड अर्थकी प्रतीति हो जायगी—तब तो
शशपदका सरद्दारूप अपना अर्थ और विपाणपदका सींगरूप अपना अर्थ
कहीं सत् ही है न कि असत् । इस प्रकार पृथक् पृथक् लोकमें प्रसिद्ध
ररहा और सींगरूप अर्थ केवल परस्पर में असम्बद्ध है, और 'शशमृग्ग'
शब्दसे सम्बद्धरूपमें मासित होते हैं, यह अन्यथाख्याति ही तो हो
रही है न कि असन्ख्याति ।

यदि कहो कि—शश और विपाण पदोंका भी पृथक् पृथक् अरने-
अग्ने अर्थोंके साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं है, अर्थात् उन पदोंका

रेतानुर्भवते । स्वार्थपरित्यागे तु पुनरप्पनियमः, असामयिकार्थ-
प्रत्यायनात् । शब्दस्वाभाव्यात् तु नियमे व्युत्पन्नवद्व्युत्पन्न-
स्पापि तथानिधनिकल्योदयप्रमङ्गादिति ।

दासनामिशेपादिति चेत्, अथासदुख्लेसिनः प्रत्ययस्य वामनैय
वारणम् ? उत वासनापि ? न तारदाद्यः, शशविषाणादिग्रत्य-
याना सदातनत्प्रमङ्गात् । कदाचित् प्रवोधादिति चेत्, न,
प्रवोधोऽपि सहकार्यन्तरं वा ? अतिशयपरम्परापरिपाको वा ?
आद्ये वामनैरेति पक्षानुपपत्तिः । द्वितीयेऽपि यद्यर्थान्तरप्रत्या-
मत्तेसनदा पूर्वमत् ।

खहा और सीगरूप अर्थ भी असत् ही है इसप्रकार असत्ख्याति
सिद्ध हो जाती है—उत तो फिर भी किस शब्दसे कौन अर्थ समझा
जाय इसका कोई नियम नहीं रह गया । इस स्थितिमें घटशब्दसे पठका
भी धोध होना चाहिये । यह कहना तो ठीक नहीं है कि—शब्दका
स्यभाव ही ऐसा है कि कोई यास शब्द किसी यास अर्थको ही बताता
है—क्योंकि सर विद्वान्‌के समान मूर्खोंनो भी समान रूपसे शब्दोंसे
अर्थनोध होना चाहिये । कारण शब्दका स्यभाव सबके प्रति समान है ।

इस दोपसे बचनेके लिये यदि सस्तारविशेषज्ञो कारण मानो,
तो यताओ, असत् अर्थका उल्लेख करनवाले ज्ञानका कारण केवल
सस्तार ही है ? या सस्तार भी एक कारण है ? इनमें प्रथम पक्ष ठीक
नहीं है, क्योंकि सस्तारके सदा होनेसे शशविषाणादिका ज्ञान भी
सदा होने रहना चाहिये ।

यदि कहो कि—संत्कारके कभी कभी द्वयुद्ध होनेसे शशशृङ्ख-
लान भी कभी कभी होता—तो ठीक नहीं है । क्योंरि सस्तारसा
द्वयोध (जागरण) सरकारसे भिन्न एक अन्य सहायत है ? या उन्हीं
संसारोंसी एक परिषष अवस्थामात्र है ? प्रथम पक्षमें वासना
(सस्तार) ही कारण है, यह क्यन असहृत हो जाता है । द्वितीय
पक्षम भी सस्तारका घट अवस्था यदि दूसरी वस्तुओं समर्गसे होतो
“वासना ही कारण है” यह क्यन किर असहृत हो जाता है । यदि

स्पसंततिमात्राधीनत्वे तु बाह्यग्रादव्याघातः, ^१ नीलादिवुद्धीनामपि वासनापरिपाकादेवोत्पादात् ^२ । वासनापीति पक्षे तु तदन्योऽपि हेतुः कथिद् वक्तव्यः, स च विचार्यमाणः पूर्वन्यायं नातिर्वर्तते इति ।

न च शशनिपाणादिशब्दानामसदैर्यैः सह सम्बन्धानगमोऽपि । तथाहि परवुद्धीनामनुलेखात् तद्रिप्यस्याऽप्यनुलेखेण । न चाथक्रियानिशेषोऽप्यस्ति, यतो विप्रयविशेषप्रमुखीय तत्र

सस्त्ररोंकी धारासे ही वह अवस्था बन जाती है, तब तो बाह्यग्रादका व्याघात हो जायगा । क्योंकि नीलगीतादिज्ञान भी विना बाह्यवस्तुकी अपेक्षा किये ही परिपक्वावस्थाप्राप्त सस्त्ररोंसे ही उत्पन्न हो जायगा । अर्थात् नीलगीतादिविरूपेण कादाचित्कर्त्तव्यकी उपपत्तिके लिये ही तुमने बाह्यनीलादिको स्वीकार किया है । वह कादाचित्कर्त्तव्य यदि वासनामात्रके अधीन उत्पन्न हो जाय तो बाह्य नीलादिका स्वीकार व्यर्थ हो जायगा ।

इन सभी दोपोंसे वचनेके लिए—ज्ञान होनेमें वासना भी कारण है—ऐसा द्वितीय पक्ष स्वीकार करो तो वासनासे अन्य जो हेतु है, उसे भी बताना चाहिए । और उसपर विचार किये जानेपर वह भी पूर्ववत् ही खण्डित हो जाता है । अर्थात् असत्तद्यातिका कारण इन्द्रिय नहीं हो सकती है, क्योंकि असत् वस्तुसे उसका सन्त्रिकृप्त नहीं होता और वह सन्त्रिकृप्त वस्तुओं ही घटानेमें समर्थ है । हेत्वाभास या शब्दाभाससे तो असत्की ख्याति हो ही नहीं सकती, यह चता चुके हैं ।

एव शशविपाण आदि शब्दोंका असत् अर्थके साथ सम्बन्धज्ञान भी नहीं हो सकता है । क्योंकि दूसरेकी बुद्धिका ज्ञान दूसरेको नहीं

^१ नीलादिवित्त्वकादाचित्त्वेन त्वया नीलगीति बाह्यानि स्वाक्रियते ।

तत्त्व कादाचित्कर्त्तव्य यदि वासनामात्राधीनमेव तदा गत बाह्यनीलादि स्वीकारऽप्यसनेनेति वद्वारमित्र ।

^२. वासनापरिपाकादेवोत्पादात्—१ पृ० ३०

सङ्केतो गृह्णताम् । न च सङ्केतपितुरेऽवचनात् तदवगतिः, तद्विषयाणां सर्वेषां वचनानामप्रतीतिपित्यत्वेनागृहीतममयतया अप्रतिपादकत्वात् ।

न च शशविषाणमुच्चारयतः कथिदभिप्रायो वृत्ते इति तद्विषयोऽस्य वाच्य इति सुग्रहः समय इति वाच्यम्, न ह्येवमाकारः

होनेसे शशविषाणशब्दका प्रयोग करनेवाला व्यक्ति उस शब्दका किस अर्थके साथ सम्बन्ध जानकर प्रयोग करता है, इसका ज्ञान श्रोताको नहीं हो सकता है। एव शशशृङ्खशब्दके प्रयोगके बाद किसी वस्तुका लाना गा ले जाना भी नहीं दीख पड़ता, जिससे उस वस्तुविशेषको जानकर उसमें शशशृङ्खशब्दका सकेत (सम्बन्ध) जाना जाय ।

यह भी नहीं कह सकते कि—जैसे, 'पिक' शब्दका अर्थ 'कोकिल' होता है, सकेतकर्त्ताके इस वचनसे हम पिकशब्दके अर्थको जान जाते हैं, वैसे ही शशशृङ्ख शब्दका अर्थ भी सकेतकर्त्ताके वचनसे ही जाना जा सकता है—क्योंकि वहाँ कोकिलशब्दके द्वारा कोयलरूप वस्तुको पहलेसे ही हम जानते हैं और उसीकी सहायतासे पिकशब्दका भी कोयलअर्थके साथ सम्बन्ध जाने जाते हैं। किंतु यद्यपि रशशृङ्खशब्दका अर्थ जाननेके लिए सकेतकर्त्ता जितने भी शब्दोंका प्रयोग करेगा, वे सभी शब्द शशशृङ्खशब्दके समान ही श्रोताके लिए अपरिचित अर्थवाले ही होंगे। इस प्रकार जब स्वयं उन्हीं शब्दोंका उस असत् अर्थके साथ सम्बन्ध नहीं जाना गया है, तब उनकी सहायतासे शशशृङ्खशब्दका अर्थ कैसे जाना जा सकता है? अर्थात् जब यह अर्थ ही असत् है तो किसी भी कल्पित शब्दसे उस अर्थकी उपस्थिति श्रोताके मनमें नहीं हो सकती है। कोयल तो सत् वस्तु है और यह सबको प्रत्यक्ष है ।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि—शशविषाणशब्दका उचारण करनेवाला व्यक्ति अवश्य ही इसी अर्थके अभिप्रायसे उचारण करता है, अत वही अर्थ शशविषाणशब्दका वाच्य है, ऐसा सकेतप्रद आसानी में हो सकता है—क्योंकि सामान्यहपसे हुए ऐसे सङ्केतप्रदका

समयग्रहः । गां वधानेत्युक्ते अप्रतीतशब्दार्थस्याप्यभिप्रायमात्र-
प्रतीतौ समयग्रहप्रसङ्गात् । न च विशेषान्तरविनाकृतः कल्प-
नामात्रविषयोऽस्य वाच्य इति साम्प्रतप्, घटकूर्मरोमादीनामपि
तदर्थत्प्रमङ्गात् ।

न च सर्वे ग्रन्थिपत्तारः स्वस्ववासनयाऽसदर्थशब्दसंबन्धप्रति-
पत्तिभाज इति साम्प्रतम्, परस्परवात्तनिभिज्ञतया अपरार्थत्वग्रम-
ङ्गात् । न हि स्वयं कृतं समयमग्राहयित्वा परो व्यवहारयितुं
शक्यते । न च व्यवहारोपदेशावन्तरेण ग्राहयितुमपि । न च गां
वधानेतिवत् शशविषयपदार्थे व्यवहारः, न चायमसामृथ इति-

शब्दबोधमे कोई उपयोग नहीं है । अन्यथा 'गा वधान' ऐसा कहनेपर
जिसे विशेषरूपसे 'गा' और 'वधान' पदका अर्थ नहीं मालूम है उसे
भी केवल यह जानकर कि ये पद अवश्य हो किसी अर्थके अभिप्रायसे
कहे गये हैं, सहृदेतज्ज्ञान होमर शब्दबोध हो जाना चाहिये ।

यह भी समुचित नहीं है कि—शशविषय आदि शब्दोंका कोई
विशेष अर्थ नहीं होनेपर भी वल्यनामात्रका विषय जो अलीक अर्थ
यही इस शब्दका वाच्यार्थ है—क्योंकि कोई भी काल्पनिक अर्थ यदि
शशविषय शब्दका अर्थ माना जाय तो काल्पनिक घटरोम^१ और
कूर्मरोम आदि भी शशविषयशब्दका अर्थ होने लगेगा ।

यह भी ठीक नहीं है कि—बोध करनेवाले सभी व्यक्ति अपनी
अपनी वासनासे ही उपरिथित हुए अलीक अर्थोंमें शशविषय आदि
शब्दोंका संबोध जान लेते हैं—क्योंकि अपनी वासनाके आधारपर
उपस्थित अर्थमें हुआ शब्दका सङ्केतग्रह अपने ही तक रह जायगा,
दूसरे को नहीं हो सकता । इसलिये दूसरे व्यक्तिके प्रति शशशृङ्ख
आदि शब्दोंका व्यवहार असम्भव हो जायगा । कारण, स्वयं कलित
किसी अर्थमें किसी शब्दके सङ्केतको विना दूसरे को बताये उसके

१. यदा यन्मते घटस्वापि काल्पनिकत्व दम्पतमाश्रित्योत्तमिनि शशरयित्रः ।

२. स्वयं कृत सैहं—१ पु० पा०

वदुपदेशः । न च यथा गौस्तथा गतय इतिवदुपलक्षणातिदेशः । न चेह प्रभिन्नरुमलोदरे मधूनि मधुमरः पितृतीतिवत् प्रसिद्धपदसामानाधिकरणम् ।

तदम्^१ शशविपाणादिकल्या,^२ नासत्रूयातिरूपास्तथात्वे कारणाभागात् मूरस्वप्नवदाभा व्याप्तहारिवत्वं प्रमङ्गाच्च । तस्मा दन्यथाल्यगातिरूपा एतेति नैदद्वुरोधे^३ नाप्यगस्तुनो नियेधव्यवहारगोचरत्यमिति ।

प्रति उस शब्दका व्यवहार नहीं किया जा सकता है । और यह भी नहीं हो सकता कि प्रत्यक्षित व्यवहार अथवा शब्दोपदेश के निना ही सहैतका मह हो जाय । अत शशविपाणशब्दका सहैतप्रह नहीं हो सकता है ।

क्योंकि गौमें वाघना आदि व्यवहार जैसे होता है वैसे शशशृङ्ख पदार्थम कोई व्यवहार नहीं होता । एवं “इसे अध्य कहते हैं” इसके समान “इसे शशशृङ्ख कहते हैं” ऐसा शब्दोपदेश भी नहीं होता है । और न तो ‘गौ के सहशा गतय होता है’ इसके समान किसी वस्तु द्वारा सदृशता ही शशशृङ्ख में घटलाई जा सकती है । एवं जैसे, प्रभिन्न कमलोदरे मधूनि मधुकर पितृति^४ इस वाक्यमें आये मधुरपदका सहैते वह व्यक्ति आसानीसे जान जाता है, जिसे कमलका निलना और उसके द्वारा इसके रसका पान किया जाना आदि पहलेसे विदित है । अर्थात् प्रसिद्ध पदोंके साहचर्यसे भी अप्रसिद्ध पदका सहैतप्रह दो जाता है । किंतु शशशृङ्खशब्द वो मधुकरशब्दके समान प्रसिद्ध पदके साथ कहीं व्यवहृत होता हुआ भी नहीं पाया जाता है ।

अत शशविपाण फूर्मरोम आदि प्रतीतिया असत्रूयातिरूप नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वैसा होनेका कोई कारण नहीं है । यदि ही भी सर्वे वो भी गूँगेके स्वप्नके समान उनका व्यवहारमें उपयोग नहीं हो सकता है । इसलिये उक प्रतीतिया अन्यथारूप ही है । इस

*. बलता — ति दृष्ट पाठ ।

^२ व्याप्तहारित्व इति पाठा युक्तो भावित ।

^३ न चन्द्रुरोधे — २ पृ० पाठ ।

भवतु वा असत् ख्यातिस्तथापि न ततो व्यतिरेकः प्रामाणिकः । तथाहि कोऽयं व्यतिरेको नाम । यद्यतो व्यतिरिच्यते तस्य तत्राभावो वा । तदभावस्वभावत्वं वा ? तत्र न तावत् क्रमयौगपद्ययोः शशविपाणे अभावः प्रमाणगोचरः, वृक्षरहितभूभृत-कटकवत् क्रमयौगपद्यरहितस्य शशविपाणस्य प्रमाणागोचरत्वात् ।

नापि क्रमयौगपद्याभावरूपत्वं शशविपाणस्य प्रामाणिकं घटाभाववच्छशविपाणस्य प्रमाणेनानुपलभ्मात् । घटाभावोऽपि

प्रज्ञार शशविपाणप्रतीतिके अनुरोधसे भी अवस्तुमें निषेध व्यवहार नहीं हो सकता है ।

अथवा शशविपाण आदिकी प्रतीति असत् ख्याति ही हो तथापि उस असद् वस्तुमें क्रमयौगपद्यका या अर्थक्रियाकारित्वरूप सत्ताका व्यतिरेक (अभाव) सिद्ध नहीं हो सकता है । कारण, यह व्यतिरेक क्या वस्तु है, यह प्रश्न उठता है । क्या जो जिससे व्यतिरिक्त (भिन्न) है उसका उसमें अभाव व्यतिरेक है ? अर्थात् अधिकरण से भिन्न और उसमें रहने वाला अभाव व्यतिरेक है । अथवा प्राभाकर मतके अनुसार उसका अभावरूप दूसरेका होना ही व्यतिरेक है ? अर्थात् भूतलादि अधिकरणसे अतिरिक्त घटाभाव कोई वस्तु नहीं है, किन्तु अधिकरणस्वरूप ही है । इन दोनों पक्षोंमें प्रथम पक्षके अनुसार शशशृङ्खमें क्रमयौगपद्यका अभाव अप्रामाणिक है । क्योंकि जैसे, वृक्षरहित पर्वतकी तराई प्रत्यक्ष प्रमाणसे देखी जाती है, वैसे क्रमयौगपद्यसे रहित शशशृङ्ख किसी भी प्रमाण से नहीं जाना जाता है ।

दूसरा पक्ष अर्थात् शशविपाणका क्रमयौगपद्याभावरूप होना भी प्रामाणिक नहीं है । क्योंकि घटाभावके समान शशविपाण किसी प्रमाणसे उपलब्ध नहीं है । अर्थात् शशविपाण क्रमयौगपद्याभावरूप तत्र होता जबकि “शशविपाणे क्रमयौगपद्याभावः” ऐसी प्रतीति किसी प्रमाणसे होती, किन्तु ऐसा होता नहीं है । घटाभाव तो यदि अधिकरणस्वभाव भी हो तो भी “भूतले घटाभाव” यहाँ घटाभावकी स्वतन्त्ररूपसे प्रतीति होती है ।

न प्रमाणगोचर इति चेत्, न, तस्य तद्विक्तेतरस्वभावस्यापि
प्रमाणत एव सिद्धेः^१, अमिद्धौ वा तत्राप्यव्यवहार एव ।

घटस्तावत् स्वभावविरहस्वभावः प्रमाणमिद्धः तादूप्येण
कदाचिदप्यनुपलम्भात् । एताघैव तदभावोऽपि घटविरहस्वभावः
सिद्ध इति चेत्त, घटभावस्य तदभावविरहस्वभावत्वानभ्युपगमात् ।
न चान्यस्य स्वभावे प्रमाणगोचरे तदन्योऽपि सिद्धः स्यादति-
प्रमङ्गात् ।

यदि कहो कि—शशविष्याणके अप्रामाणिक होनेसे यदि उसमे
क्रमयौगिपद्याभाव या तत्स्वरूपत्व न घन सके तो घटाभाव भी (वौद्धके
रहों) प्रामाणिक नहीं है । अर्थात् अप्रामाणिक होनेपर भी भूतलादिमे
जैसे घटाभावादिका व्यवहार होता है, वैसे अप्रामाणिक भी शश-
विष्याणमे क्रमयौगिपद्याभावका व्यवहार होनेमे कोई अनुपत्ति नहीं
होगी—तो ऐसा नहीं यह सकते । क्योंकि घटाभाव भी अपने से
भिन्न जो भूतलादि उससे इतर स्वभावका है, यह प्रमाणसे ही सिद्ध
है । यदि न सिद्ध हो तो उसमे (घटाभावमे) भी व्यवहार नहीं ही
होगा, क्योंकि प्रमाणसिद्ध वस्तुका ही व्यवहार होता है ।

यदि कहो कि—घट घटाभावके अभावरूपसे सिद्ध ही है, क्योंकि
उसकी वभी भी घटाभावरूपमें उपलब्धिं नहीं होती है । इतनेसे ही
घटाभाव भी घटविरहरूपसे सिद्ध है । अर्थात् वौद्धमतमे स्वतन्त्र-
, रूपसे घटकी प्रमिति न होनेपर भी जैसे उसमें सभी लोकिक व्यवहार
होते हैं, वैसे ही घटाभाव भी यद्यपि स्वतन्त्ररूपसे प्रमाणसिद्ध वस्तु
नहीं है, तथापि उसमें लोकिक व्यवहार हो ही सकता है—तो यह ठीक
नहीं है । क्योंकि भावभूत घट घटाभावका अभावस्वभावयाला है,
ऐसा सुम नहीं मान सकते हो । कारण, तुम्हारे मतमे अभावके अलोक
होनेसे घट भी मिथ्या होने लगेगा । साथ ही यह भी नहीं हो सकता
कि एकदे प्रमाणसे सिद्ध होनेपर दूसरी वस्तु भी सिद्ध हो जाय ।

१. प्रतियोगिवदभावस्यापि अतद्व्यावृत्तिस्वभावस्य प्रमाणसिद्धत्वादिति
दीपिति ।

एवम्भूतावेव घटतद्भावो यदेकस्य परिच्छित्तिरपरस्य व्यवच्छित्तिरिति चेत्, न, घटबद् घटाभावस्यापि प्रामाणिकत्वानभ्युपगमे स्वभाववादानवकाशात् । प्रमाणसिद्धे हि वस्तुनि स्वभाववादावलम्बनं न तु स्वभाववादावलम्बनेनैव वस्तुसिद्धिरिति^१ भवतामेव तत्र तत्र जपदुन्दुभिः ।

तद किमिदार्नीं स्वभावविरहस्वभावो घटः प्रमाणान्वैव सिद्धः ? तत्र हृष्ट्या एवमेतत्, घटो हि याद्वक्ताद्वक्स्वभावस्तावत् प्रमाणपथमतीर्णस्तस्य तु यदि परमार्थतोऽभावोऽपि कथितस्यात्, स्यात् परमार्थतः सोऽपि तद्विरहस्वभाव इति तथैव प्रमाणेनावे-

क्योंकि वैसा होनेपर बृक्ष सिद्ध करनेके लिये प्रवृत्त हुआ प्रमाण घटा भी सिद्ध कर दे । यह अतिप्रसङ्ग हो जायगा ।

(शङ्खा) और जगह भले ही न हो, तथापि घट और घटाभावका तो यही स्वभाव है कि एकके नियेधमे दूसरेकी प्रतीति हो जाती है ।

(उत्तर) ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि घटके समान घटाभाव हुम्हारे मतसे प्रामाणिक वस्तु नहीं है । अत उसमे किसी प्रकारका स्वभाववर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रमाणसिद्ध वस्तुमें ही स्वभावका वर्णन किया जा सकता है, न कि स्वभाव वर्णन कर देनेसे ही वस्तुकी सिद्धि हो जायगी । यह आपकी ही धोयणा है ।

(शङ्खा) तो क्या, अब घड़ेमे अपने अभावका विरहस्वभावत्व प्रमाणसे नहीं ही सिद्ध होगा ?

(उत्तर) हाँ, हुम्हारे दर्शनके अनुसार तो ऐसा ही है । क्योंकि घड़ा तो परमाणुओंके समूहरूपमे या एक अवयवीके रूपमें प्रमाणसिद्ध है । किन्तु उसका अभाव भी यदि कोई पारमाधिक वस्तु हो तो घड़ा भी वस्तुतः उस अभावका अभावरूप हो । और घट अभावाभावरूपसे ही प्रमाण द्वारा जाना भी जाय । किन्तु आप तो ऐसा मानते नहीं ।

१. वस्तुव्यवस्थनिरिति—१ पु० पा० ।

दितः स्यात् । न चैतदभ्युपगम्यते भवता । तस्माद् घटवत् तदभावस्यापि प्रामाणिकत्वेनैवानयोः परस्परविरहलक्षणव्यतिरेकसिद्धिः, अप्रामाणिकत्वे त्वनयोरपि न तथाभाव इति । शशविपाणादिष्परीयमेव गतिः । ननु काल्पनिकरूपसम्पत्तिरेवास्त्वनुमानाङ्गम्, तन्म, तस्याः सर्वत्र सुलभत्वात् ।

ननु पक्षमपक्षविपक्षासतावद्वस्त्ववस्तुमेदेन द्विरूपाः । तत्र ये कल्पनोपनीतास्त्र काल्पनिका एव पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकाः, प्रमाणोपनीतेषु तु प्रामाणिका एवेति प्रिभागः । तदिह काल्पनिकान्विरग्नेर्यद्यपि प्रमेयत्वादेव्यावृत्तिः काल्पनिकी मिद्वा तथापि प्रामाणिकाज्जलहदादेः प्रामाणिक्येवैपितव्या, सा

इसलिये घड़ेके समान उसका अभाव भी यदि प्रामाणिक (तात्त्विक) माना जाय, तभी घट घटाभावका विरहस्वरूप और घटाभाव घटका विरहस्वरूप सिद्ध हो । किन्तु अभावको अतात्त्विक माननेकी दशामें दोनों ही में परस्पर विरहस्वरूपत्व नहीं सिद्ध हो सकता है । शशशृङ्ख आदिमें भी यही गति है । अर्थात् शशशृङ्ख प्रामाणिक हो तभी उसमें आप क्रमयोगपदाका व्यतिरेक (अभाव) सिद्ध कर सकते हैं तथा पूर्व अनुमानमें उसे दृष्टान्तरूपसे उपस्थित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं ।

(राङ्का) काल्पनिक पक्ष सपक्ष और विपक्षका होना ही अनुमानना अह हो, क्या हानि है ?

(उत्तर) ऐसा नहीं हो सकता है । क्योंकि काल्पनिक दृष्टान्तादिकी प्राप्ति सर्वत्र सुलभ होनेसे व्यभिचारी, असिद्ध और विरुद्ध हेतुओंसे भी अनुमिति होने लगेगी । अर्थात् “पर्वतो यह्मान् प्रमेयत्वात् महानसवत्, शब्दोऽनित्यश्चाशुपत्त्वाद् घटयत्, नित्य शब्दः कृतरूपत्वात्” थाएँ अनुमान भी साधक होने लगेंगे ।

(राङ्का) पक्ष, सपक्ष और विपक्ष वास्तविक और अवास्तविक भेदसे दो प्रकारके होते हैं । उनमें जो कल्पनाके आधार पर हैं, वहाँ देव का रहना या न रहना भी काल्पनिक ही है । किन्तु जो पक्षादि

च न सिद्धेति कुतस्तस्य हेतुत्वम् । एवं प्रामाणिके शब्दे पचो-
कृते प्रामाणिक एव हेतुमङ्गावो वक्तव्यः । न चासौ चाक्षुप-
त्वस्यास्तीति सोऽपि कथं हेतुः । एवं कुतक्त्वस्यापि वस्त्वेक-
नियतस्य धर्मस्य वास्तव एवान्वयो वक्तव्यः, वस्तुनो विपदाच
वास्तव एव व्यतिरेकः । न च तस्य तौ स्तः, ततु कथमसाधपि
हेतुरिति^१ ।

प्रामाणिके आधार पर है, वहां तो हेतुका रहना या न रहना प्रामाणिक ही है, ऐसी व्यवस्था है। अतः काल्पनिक निरग्नि स्थान से प्रमेयत्वादि हेतु-
की व्याख्याति भी काल्पनिकरूपमें भले ही सिद्ध हो जाती है, तो भी अग्नि-
रहित प्रामाणिक जल हृदसे दो प्रमेयत्वहेतुकी व्याख्याति भी प्रामाणिक ही होनी चाहिये । किन्तु वैसा तो सिद्ध नहीं है । ऐसी दशामें
“अग्निमान् प्रमेयत्वात्” इस अनुमानमें प्रमेयत्व कैसे हेतु बनेगा ।
ऐसे ही “रान्दो नित्यं चाक्षुपत्वात्” इस असिद्ध अनुमानमें भी
प्रामाणिक शब्दके पक्ष किये जानेपर उसमें हेतु की सत्ता भी
प्रामाणिक ही अपेक्षित है । किन्तु शब्दमें चाक्षुपत्व तो वस्तुतः
है नहीं, तब वह भी कैसे हेतु होगा ? इसी प्रकार
“नित्यः शब्दः कुतक्त्वात्” इस विरुद्ध अनुमानमें भी सात्त्विक
कुतक्त्वधर्मका सपक्षमें रहना भी सात्त्विक ही होगा और चार्तविक
विपक्षमें न रहना भी चार्तविक ही होगा । किन्तु कुतक्त्व हेतुमें
उक्त वातें नहीं हैं । अर्थात् प्रकृत अनुमानमें सपक्षभूत नित्य पदार्थमें
कुतक्त्वधर्मका रहना (अन्वय) और विपक्षभूत अनित्यमें न रहना
(व्यतिरेक) दोनों ही असिद्ध हैं । ऐसी दशामें वह भी कैसे हेतु हो
सकता है ? अर्थात् पूर्वोक्त व्यभिचारी, असिद्ध और विरुद्ध हेतुओंसे
अनुमितिकी आपत्ति नहीं होगी ।

(उत्तर) उक्त कथन भी प्रलापमात्र है । क्योंकि जवाहक कोई
नियामक न हो, यह नहीं कहा जासकता कि अपने अपीष्टगी ओ

१. नित्यत्पादिः हेतुरित्यन्तः पूर्वपक्षः ।

प्रज्ञपितमेतत्, नहि नियामकमन्तरेण सम्पदं प्रति कल्पना त्वरते पिपदं प्रति तु प्रिलभ्यत इति शब्दं वक्तुम्, तथा च निगमितक्रमपि कूर्मरोम धूममिति कल्पनामात्रेण विपक्षवृत्तित्वात् धूमोऽपि नामिन गपयेत् ।

वास्तव्यां रूपमम्पत्तौ किमनेन काल्पनिकेन दोषेणेति चेत्, तर्हि वास्तव्यामसम्पत्तौ किं काल्पनिक्या तथेति समानम् । विरोधा विरोधी विशेष इति चेत्, कुत एषः ? उभयोरेकत्र वस्तव-वस्तुत्वादन्यत्रावस्तुत्वादिति चेत्, तत् कि काल्पनिकोऽपि धूमो

कल्पना तीव्र हो जाती है, और अनिष्टके प्रति तो मन्द पड़ जायगी । ऐसा मानने पर “अग्निरहित भी कूर्मरोम धूमवान् है” इस व्याख्यार-कल्पनामात्रसे ही धूम विपक्षगामी हो जायगा तथा उससे पर्वतमे अग्नि-की अनुमिति नहीं होनी चाहिये ।

यदि कहो कि—वस्तुत तो धूम विपक्षगामी नहीं है, अत कल्पना-द्वारा उसे विपक्षगामी बनानेमे क्या हानि है ? सत्त्व और क्षणिकत्वकी भी शाशृङ्खमे वास्तविक व्यतिरेकव्याप्ति नहीं है, तब काल्पनिक व्यतिरेकव्याप्ति आपको क्या लाभ है ? इस तरह हम दोनों समान हैं ।

यदि कहो कि—कूर्मरोम मिथ्या है और उसमें वास्तविक धूमका रहना विशद्द है, किन्तु काल्पनिक कूर्मरोम या शशशृङ्खमे क्षणिकत्वे, कमयीगत्यस्तु अमाव भी काल्पनिक ही रहे, तो इसमें कोई विरोध नहीं है, यदी हम दोनोंमें अन्तर है—तो बताओ, क्यों एक जगह विरोध है और दूसरी जगह अविरोध है ?

यदि कहो कि—दोनों स्थलोंमें एक जगह तो वस्तु (धूम) और अवस्तु (कूर्मरोम) का सम्बन्ध होनेमे विरोध है तबा दूसरी जगह अवस्तु अवस्तुका सम्बन्ध होनेमे अविरोध है—तो क्या काल्पनिक भी धूम वस्तुमूल (वास्तविक) है कि कूर्मरोमको उसके साथ विरोध हो जाय ?

वस्तुभूतो येन कूर्मरोम्णस्तेन सह विरोधः स्यात् ? व्वचिद्-
वस्तुभूत एवेति निर्धूमत्वमपि व्वचिद्वस्तुभूतमिति तेनापि विरोध
एव । तस्माद् यथा काल्पनिकी विषत्तिर्न दोषाय तथा काल्प-
निकी सम्पत्तिरपि न गुणायेति व्यतिरेकभङ्गः ।

क्षणभङ्गसिद्धौ प्रकारान्तरखण्डनम्

ग्रस्तु तद्विद्व ध्रुवमाप्तिवेन विनाशयाहेतुकत्वे पिद्वै^१ चण-
भङ्गः, न, रिक्त्यानुपपत्तेः । तद्विद्व तादात्म्यं वा, निरुपाखपत्वं
वा, तत्कार्यत्वं वा, तद्व्यापकत्वं वा, अभावत्वमेव वेति ।

यदि कहो कि—वहीं तो वह धूम वास्तविक ही है, अतः उस
वास्तविक धूमका अवास्तविक कूर्मरोमसे विरोध है ही—तो निर्धूमत्व
भी कहीं (जलादिमे) वास्तविक ही है, इस प्रकार निर्धूमत्वसे भी
कूर्मरोमको विरोध ही होगा । अर्थात् कूर्मरोममे धूमाभाव भी नहीं
रह सकेगा और उसमे धूमवत्ताका अपादन किया ही जा सकता है ।

अत जैसे, काल्पनिक व्यभिचारसे अनुमानमें कोई दोष नहीं आता
है, वैसे ही सर्व और क्षणिकत्वके व्यतिरेकके काल्पनिक सहचारसे
भी कोई लाभ नहीं है । इस तरह उम्हारे सत्त्व और क्षणिकत्वमें
व्यतिरेकव्याप्तिका भङ्ग हो गया ।

क्षणभङ्गसिद्धिमें प्रकारान्तरका खण्डन

(शङ्का) क्षणिकत्वकी सिद्धि दूसरे ही प्रश्नासे की जायगी । वह
यों है—चूंकि वस्तुओंका विनाश अवश्यभावी है, इसलिए वह विनाश
विना हेतुका ही होगा । क्योंकि जो अवश्यभावी होता है, उसमे किसी
हेतुकी अपेक्षा नहीं रहती है । इस प्रकार जब विनाश होनेमें किसी
हेतुकी अपेक्षा नहीं है, तब तो कोई भी वस्तु उत्तम होते ही नष्ट होती
रहेगी और क्षणिकत्व स्वतः सिद्ध हो जायगा ।

(उत्तर) क्षणिकत्व सिद्ध करनेका उक्त प्रकार भी ठीक नहीं है ।
क्योंकि यहाँ आगे दिये जानेगाले पाँच विकल्पोंमें कोई भी सम्भव नहीं

१. ध्रुवमाप्तिवाद विनाशस्याहेतुकत्वेन—१ पु० पा०

न पूर्वः—निषेध्यनिषेधयोरेकत्वानुपपत्तेः । उपपत्तौ चा
पिथस्य वैश्वरूप्यानुपपत्तेः ।

ननु कालान्तरेऽर्थक्रियां प्रत्यशक्तिरेवास्य नास्तिता, सा
च कालान्तरे समर्थं तरम्बावत्वमेवेति चेत्, नन्वयमेव क्षण-
भद्रस्तथा चामिद्रमसिद्धेन साधयतः कस्ते प्रतिनन्दः ?^१

अपि च देशान्तरकालान्तरानुपज्ञिएयस्य नास्तिता यद्य-

है । कैसे—“विनाश अहेतुक है” इस कथनका क्या अभिप्राय है ?
क्या विनाश प्रतियोगीस्तररूप है ? या निरुपाख्य अर्थात् अलीक है ?
या प्रतियोगीका ही कार्य है ? या उसका क्यापक है ? अथवा अभाव-
रूप ही होता हुआ प्रागभावके समान अहेतुक है ?

इनमें प्रथम प्रिकल्प नहीं हो सकता है । क्योंकि निषेधकी जाने-
याणी घस्तु और उसका निषेध दोनों एक नहीं हो सकते हैं । यदि
परस्पर विरोधी स्वरूपयाले भी निषेध्य और निषेध एक हो जायेतो
संसारमें कहीं विचित्रता ही नहीं रह जायगी और गौ एवं अश्व भी एक
द्वौने ढूँगेंगे ।

यदि यहो कि—उत्तरकालमें अर्थक्रियाके प्रति भावयस्तुगत जो
असमर्थता है, यही उसका अभाव कहा जाता है । अर्थात् समर्थसे भिन्न
रूपभावयाला यही भाव अभाव कहा जाता है तथा उस असमर्थताको ही
भावका नाश भी पहते हैं—या यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि प्रथम
क्षणमें सामर्थ्य और दूसरे क्षणमें असामर्थ्य रूप विरोधी धर्म यताकर
यदि एक ही घटनुसों दोनों क्षणोंमें भिन्न भिन्न सिद्ध करना चाहते हो, तो
यही तुम्हारा क्षणभद्र है और यह रूप असिद्ध है । एवं इस क्षणमहानों
सिद्ध करनेके लिये जो क्षणभेदसे सामर्थ्य और असामर्थ्यरूप प्रमाण
दररित्यत करएक ही घटनुको भिन्न भिन्न बताने हो, वह भी असिद्ध ही है ।
इस प्रश्नार असिद्धको असिद्धसे ही सिद्ध करते हुए तुम्हें दीनसा आनन्द
प्राप्त हो रहा है ?

एवं उस स्थान और उस क्षणके अविरिक्त अन्य स्थान तथा अन्य

१. प्रतिनिधिः—१, ३ पृ० ४०

मेव, नूनमनन्तरमिदमुक्तं यदयमेव देशान्तरकालान्तरानुपङ्गीति ।
यदि या स्वदेशकालवद् कालान्तरदेशान्तरयोरपि नास्तिताननु-
पङ्गेऽस्तित्वप्रमङ्गः । अशक्तेः कथमस्तु ? शक्तेः सत्तालचणत्वा-
दिति चेत्, अथ कालान्तरकार्यं प्रति स्वकालेऽशक्तिरसत्त्वं ? किं
वा स्वकार्यमपि प्रति कालान्तरेऽशक्तिरसत्त्वम् ?

आद्ये स्वकालेऽप्यपत्त्वप्रसङ्गः, तदानीमपि तस्य ताद्रूप्यात् ।
कालान्तरकार्यं प्रत्येवमेतदिति चेत्, किमयं मन्त्रपाठः ? न हि

क्षणोमें भी रहनेवाला वह अभाव यदि प्रतियोगी (भाव) रूप ही
हो तो निश्चय ही यह कथन भी तुम्हारे मतानुसार असंगत ही होगा ।
क्योंकि यह भाव ही देशान्तर और कालान्तरतक रहनेवाला सिद्ध
हो गया ।

यदि दूसरे देश और दूसरे क्षणोमें भी अभावका अनुवर्तीन न मानो
को वहाँ भावका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा ।

यदि कहो कि—दूसरे क्षणोमें वह भाव वस्तु अर्थकियाके प्रति
अशक्त है, अतः उसका दूसरे क्षणोमें अस्तित्व कैसे होगा ? क्योंकि
शक्ति ही अस्तित्वका लक्षण है—तो बताओ, अन्यकालीन कार्यके प्रति
अपने कालमें जो असमर्थता है, उसे असत्त्व मानते हो ? अथवा अपने
कार्यके प्रति भी दूसरे कालमें असमर्थताको असत्त्व कहते हो ?

प्रथम पक्षमें अपने कालमें भी वह वस्तु असत् होने लगेगी, क्योंकि
उस कालमें भी उसमें असक्ति है ही ।

यदि कहो कि—अन्यकालीन कार्यकी दृष्टिसे वह अपने कालमें भी
असत् ही है—तो क्या यह मन्त्रपाठ है कि आँख मूँदकर सत्रों भी
दूसरी दृष्टिसे असत् मान लिया जाय ? ऐसा अवहार तो कही नहीं होता
कि जो जिस कार्यमें अशक्त है, वह उस कार्यकी दृष्टिसे है ही नहीं ।
यह नहीं होता कि गर्भमकी दृष्टिसे धूम संसारमें है ही नहीं । ऐसा
क्यों होता है ? इसीलिए कि अशक्त होनेसे उसका स्वरूप नहीं
निवृत्त हो जाग है ।

यो यत्राशक्तः स तदपेक्षया नास्तीति व्यवहियते । न हि रासभा-
पेक्षया धूमो जगति नाम्नि । तत् कस्य हेतोः १ न द्वशक्तस्य
स्वरूपं निवर्तत इति ।

द्वितीये तु यदि कालान्तराधाराऽशक्तिः, कथं तदात्मिका १
तदाधारा चेत्, तदैवासत्त्वप्रमद्भः । कालान्तरे तु विपर्ययः ।
तस्मात्—

पिधिरात्माऽस्य भावस्य निषेधस्तु ततः परः ।

मोऽपि चात्मेति कः प्रेक्षः शृणन्नापि न लज्जते ॥

अनिर्बचनीयनिष्टुत्तिवादखण्डनम्

अस्तु तर्हि ‘भावस्वरूपातिरिक्तानिष्टुतिनास्ति’ इति

दूसरे पक्षके अनुसार यदि उस अशक्तिको अन्य कालमें मानो सो
क्षणिकवादीके मतमें अन्य कालमें उस प्रतियोगी वस्तुके नहीं रहनेसे
वह अशक्ति प्रतियोगीस्वरूप कैमे हो सकती है ? अर्थात् प्रतियोगीका
प्रिनाश प्रतियोगीस्वरूप ही है, यह तुम्हारा कथन गिर जाता है ।

यदि कहो छि—वह अशक्ति उस प्रतियोगी वस्तुके कालमें ही है—
वो अशक्तिके फारण वह प्रतियोगी अपने सत्ताकालमें ही असत् होने
लगेगा । इस प्रकार विरोध आ जाता है । साथ ही अपने कालमें असत्
होनेपर दूसरे क्षणोंमें इसके विपरीत सत् होने लगेगा ।

इसलिए अस्तित्व ही इस भावपदार्थका स्वरूप है, निषेध तो इससे
भिन्न वस्तु है । अतः अस्तित्वके समान निषेध भी वस्तुका स्वरूप
है, ऐसा मुनमर कीन सुद्धिमान् लज्जित नहीं हो जायगा ।

विधि स्वरूप है भावका, नहि निषेध विधिरूप ।

पो नहि सुन लज्जित थने, दोनोंहो विधिरूप ॥

अनिर्बचनीयनिष्टुत्तिवादखण्डन

(शास्त्र) यदि प्रथम पक्ष समय नहीं है तो घर्मीसीर्विदे “भाव-
स्वरूपातिरिक्ता निष्टुतिनास्ति” इस वाक्यमें “सोवाद्या” राहद जोइ-
पर द्वितीय पक्ष ही रहे । अर्थात् “भावस्वरूपातिरिक्ता सोवाद्या

याक्यस्य^१ सोपास्येति शेषः । नन्वयमपि क्षणभङ्गस्योदगारः^२, स च कफोणिगुडायितो वर्तते । भवतु वा निवृत्तिरमर्था, तथा प्यहेतुकत्वे तस्याः किमापातम् ? तु उच्छस्य कीदरीं जन्मेति चेत् ? यादृशाः कालदेशनियमः । सोऽपि तस्य कीदृश इति चेद्रेवं तर्हि न घटनिवृत्तिः क्वापि कदापि, सर्वत्रैव सदैवेति स्यात् ।

“निवृत्तिर्णास्ति” ऐसा परिच्छारकर तदनुसार वस्तुकी निवृत्ति (विनाश) भावस्वरूपसे अतिरिक्त निरूपाख्य (अनिर्वचनीय) है । अतएव वैसी निवृत्ति (विनाश) के लिए किसी हेतुकी अपेक्षा नहीं होनेसे उत्पन्न होते ही वस्तुका विनाश स्वतः होता रहेगा और क्षणिकग्राद अनायास सिद्ध हो जायगा ।

(उत्तर) निश्चित ही यह कथन भी क्षणभंगका उद्गार (डँकार) मात्र है । और वह कण्ठके भीतर पहुँचे हुए गुड़के समान है । अर्थात् भीतर गये हुए गुड़का जैसे कोई स्पाद नहीं आता, वैसे ही उक्त परिच्छारसे भी क्षणभङ्गसिद्धिभूमि कोई लाभ नहीं है । क्योंकि अनेक प्रकारसे क्षणभङ्गवादको खण्डित किया जा चुका है ।

अथवा वस्तुकी निवृत्ति अनिर्वचनीय भले ही हो, फिर भी “वह विना किसी हेतुकी अपेक्षा किये ही होती रहती है” यह तो सिद्ध नहीं ही हुआ ।

यदि कहो कि—अभाव (निवृत्ति) तो मिथ्या है, अतः उसका हेतुसे जन्म कैसा ? तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे अलीक भी किसी नियत काल और देशमें ही होता है, वैसे वह किसी नियत हेतुसे ही होगा ।

यदि कहो कि—अलीकमें देश और कालका सम्बन्ध भी कैसा ? अर्थात् अलीकमें देशकालका सम्बन्ध भी नहीं होता है—तब तो घटनी निवृत्ति कहीं भी और कभी भी न हो सकेगी या देशकालका नियम न होनेसे सब जगह और हमेशा ही होने लगेगी ।

१. नास्तीत्यस्य—२ पु० पा० । निष्पालपैव निवृत्तिस्तीत्याशः ।

२. स्वोदार—१ पु० पा०

भवतु^१ प्रथम एवेति चेत्—सोऽयं भावनास्तितास्वरूप-प्रतिपेधो वा भावप्रतिपेधेन निवृत्तिस्वरूप^२निरुक्तिर्वेति ? आद्य भावस्यैव सदातनत्वप्रसङ्गः, द्वितीये तु निवृत्तेरेवेति ।

विनाशे प्रतियोगिमात्रकार्यत्वखण्डनम्

अस्तु तदिं तत्कार्यत्वमेव ध्रुवभावित्वम्, न, तस्यापि कार्य-

(शङ्ख) यहों प्रथम पक्ष ही रहे । अर्थात् घटकी निवृत्ति किसी देशकालमें नहीं होगी ।

(उत्तर) तो बताओ, “भावकी निवृत्ति कहीं और कभी नहीं होती है” इससे क्या कहना चाहते हो ? यदि इससे भावनिवृत्तिके स्वरूपका प्रतिरोध करते हो तो भावमें ही शाश्वतिकस्त्र आने लगेगा । अर्थात् भाव अविनाशी ही जायगा । यदि तो—“भावकी नास्तिता किसी हेतु छारा नहीं होती है” यह आशय बताकर निवृत्तिस्वरूपका निर्वचन करना चाहते हो—तब तो इस द्वितीय आशयके अनुसार भावकी नास्तिता (निवृत्ति) ही शाश्वतिक होने लगेगी । क्योंकि निवृत्तिके होनेमें किसी हेतुकी अपेक्षा नहीं होनेसे उसके हमेशा होनेमें कोई रुकावट नहीं है ।

विनाशमें प्रतियोगिमात्रकार्यत्वका खण्डन

(शङ्ख) ‘विनाश ध्रुवभावी है’ इसका यह अर्थ है कि विनाश प्रतियोगीका कार्य है । अत वह प्रतियोगीकी दत्तत्त्वके बाद सुरन्त हो जाता है ।

(उत्तर) यह नहीं हो सकता । क्योंकि आपके उक्त कथनका पक्ष अभिप्राय है ? क्या विनाश प्रतियोगीका भी कार्य है ? या प्रतियोगीका ही कार्य है ? प्रथम पक्षमें विरोध होगा । क्योंकि ‘प्रतियोगीका भी कार्य है’ ऐसा कहनेसे मालूम पड़ता है कि विनाशके प्रति प्रतियोगीके अतिरिक्त भी कारण अपेक्षित है । एसी दशामें उस अपेक्षित नारणान्तरके पिलम्बसे विनाश भी विलम्बसे होगा ।

^१. वस्तित्वविनियोगित्वम्, पृष्ठ ५

^२ प्रतिपेधेन ‘नास्तिता’ स्वरूप—१ पृ० ३०

इति पदे विरोधात् , तस्यैव कार्यं इत्यमिद्देः । यत्किञ्चिदुत्पन्न-
मात्रस्य कार्यं स एव तस्य विनाशं इति चैत् , तर्हि यस्याः
सामग्र्या यत् कार्यं तद् तदतिरिक्तानपेक्षमिति साधनार्थः; तमिमं
को नाम नानुमन्यते^१ ? कार्यमेव विनाशं इति तु केनानुरोधेन
व्यवहृत्व्यम् ? किं तद्विरहवच्चात् कार्यस्य ? किं वा तद्विरह-
रूपत्वात् ?

न तावत् पूर्वः, सहकारिष्वपि तथाप्रसङ्गात्,^२ विरहस्यरूपा-
निरुक्तेश्च । न द्वितीयाः, स हि कार्यकाले कारणस्य योग्यानुप-

अतः प्रतियोगिकार्यरूपं प्रुवभावित्य हेतु वस्तुरी क्षणिकत्यसिद्धिके
विरुद्ध होगा ।

यदि—“प्रतियोगीका ही कार्य विनाश है” यह दूसरा पक्ष लो तो
यह हेतु स्वयं असिद्ध है । क्योंकि प्रतियोगीके अलावे मुद्रागादि भी
विनाशके प्रति कारण होते हैं ।

यदि कहो कि—उत्पन्न होते ही वह कारण जिस कार्यको पैदा करता
है, वह कार्य ही उसका विनाश है—तो यहाँ कारणका धर्थ कार्य पैदा
करनेवाली सामग्री लो तो उक्त कथनके पूर्वोर्ध (साधनभाग) का
यह अर्थ निकला कि “जिस सामग्रीसे जो कार्य होता है, वह कार्य
उससे अतिरिक्तकी अपेक्षा नहीं करता है” तो इसे कौन नहीं स्वीकार
करता है ? क्योंकि सामग्रीसे ही तो कार्य होता है । किन्तु “वह कार्य
ही विनाश है अर्थात् उस प्रतियोगीकी उत्पत्तिके अनन्तर होनेवाला वह
कार्य विनाश ही है” यह बात किस अनुरोधसे मानी जाय ? क्या
कारणसे भिन्न कार्य होता है, इसलिए ? अथवा कारणका अभावरूप
कार्य है, इसलिये ?

इसमें पहला पक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि सहकारीमें भी कारण-
विनाशरूप कार्यका व्यवहार होने लगता । अर्थात् सूतका सहकारी

१. अनुमन्ते—२ पृ० ३० ।

२ संस्कृत संड २४ ३० ।

लम्भनियमाद्वा भवेत् ? व्यवहारानुरोधाद्वा ? अतिरिक्तनिनाशे वाधकानुरोधाद्वेति ?

न प्रथमः, उपलभ्यन्ते हि पटकाले वेमादयः । न ते त इति चेत्, किमत्र प्रमाणम् ? अमेदेऽपि किं प्रमाणमिति चेत्, मा भृत तापत, सन्देहस्थितावपि अनुपलब्धिवलालम्बनविलयात् ।

जो करघा आदि है, वह भी सूतरूप कारणसे भिन्न है, अत करघामें भी तनुनाशक का व्यवहार होने लगेगा । साथ ही कारणविरह (भेद) के स्वरूपका निर्वचन भी नहीं हो सकता है । क्योंकि विरहका अर्थ अभाव लो तो वह आपके मरमें मिथ्या वस्तु है, अत वह कार्यमें कैसे रह सकता है ? अर्थात् वह कार्य कारणविरहवान् अर्थात् कारणभेदवान् अर्थात् कारणसे भिन्न कैसे होगा ? क्योंकि कार्य सत् और विरह (भेद) अभावरूप होनेसे असत् है । तथा सत् असत्का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं होता । यदि उस कारणविरह (भेद) को असत् होनेसे बचानेके लिए अधिकरणस्वरूप मानो तो वह अधिकरण कार्य ही है । इस स्थितिमें जो कार्य कारणभेदरूप है, वह कारणभिन्न कैसे होगा ? क्योंकि वही आश्रित और वही आश्रय नहीं होता है । इसलिए भेद ही भिन्न कैसे होगा ?

यदि दूसरा पक्ष लो तो वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि कार्यको कारणका अभावरूप माननेका क्या कारण है ? क्या, इसलिये कि कार्यसालमें उपलब्धिकी योग्यता रहते हुए भी नियमत कारणसी उपलब्धि नहीं होती है ? या छोकिरु व्यवहारके अनुरोधसे ? अथवा कारणये विनाशको (अभावको) कार्यसे अतिरिक्त माननेमें वाधक होनेसे ?

इनमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि पटकालमें भी वेमा आदि उसमें कारणकी उपलब्धि होती है । यदि नहो कि—पटकालमें जो वेमा आदि उपलब्ध होते हैं, वे पहलेवाले नहीं हैं किन्तु दूसरे हो हैं—तो इसमें प्रमाण क्या है ? यदि मुझमें पूछो कि—जो वेमा पट होनेके पहले था वही पटकालमें भी है, इसमें क्या प्रमाण है ?—तो मैं

न द्वितीयः, न हि पटो जाते इत्युक्ते तन्त्रो नष्टा इति कथिद् व्यवहरति । पटस्यानतिरेकात् तन्तुमात्रजन्मनि भेदाग्रहाद्व्यवहार इति चेत्, न तर्हि व्यवहारवलमपि^१ । विसमागसन्ततौ तावद् व्यवहारवलमस्तीति चेत्, नैतदेवम् । यदि हि तन्तुमालैव पटनिष्ठतिः, कथं तदाश्रयस्तदात्मको वा पटः प्राक् ? अन्यैवा-

कहूँगा कि इसमें भी भले ही कोई प्रमाण न हो, तो भी सन्देहके आधारपर ही तुम्हारा यह कथन कि ‘कार्यकालमें कारणकी उपलब्धि नहीं होती है’ बिलीन हो जाता है ।

दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि “पट उत्पन्न हो गया” ऐसा कहनेपर कोई भी यह व्यवहार नहीं करता कि ‘तन्तु नष्ट हो गये’ ।

यदि कहो कि—वैसा व्यवहार न होनेका कारण यह है कि पट तन्तुसे कोई मिन्न पदार्थ नहीं है, किन्तु विभिन्न प्रकारके तानात्रानावाले तन्तु ही पट कहे जाते हैं, और पूर्व तन्तुओंसे अप्रिम तन्तुओंके मिन्न होनेपर भी एक जातिके होनेसे यह नहीं मालूम पड़ता कि बुने हुए तन्तु पहलेके तन्तुओंसे मिन्न हैं । यही कारण है कि “कारणभूत तन्तु नष्ट हो गये” ऐसा खोकव्यवहार नहीं होता—तब तो यह आया कि तुम्हारे पक्षमें व्यवहारका बल भी नहीं है ।

यदि कहो कि—कारण-कार्य की सन्तति दो प्रकारकी होती है । एक सदृश और दूसरी विसदृश । सदृश सन्तति तन्तु-पटकी और विसदृश सन्तति काष्ठ-अझारकी होती है । यहो विसदृश सन्ततिमें देखा जाता है कि अझार पैदा होनेपर कारणभूत काष्ठका विनाश-व्यवहार होता है । इस दृष्टान्तसे हम कल्पना कर लेंगे कि सदृश सन्ततिमें भी अप्रिम कार्य ही कारणका नाश है—

तो यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि जहो पटनाश होनेपर पुनः तन्तुमालाकी अवस्था प्राप्त हो गयी, वहाँपर पटरूपकारणका नाश तुम्हारे कथनानुसार अतिरिक्त वस्तु न होकर उसका अप्रिम कार्य जो तन्तुमाला, तत्स्वरूप ही होगा । ऐसी दशामें जो तन्तुमाला पटनाश

१. व्यवहारावलम्बनमपि—२ पु० पा० ।

आविति चेत्, न तावजातिकृतमन्यत्वमुपलभ्यते^१ । व्यक्तिकृतं हु नाद्यापि मिध्यति । अतएव^२ तत्सिद्धावितरेतराश्रयत्वम्^३ । तथापि यद्येवं स्यात् कीदृशो दोष इति चेत्, न कश्चित्, केवलं प्रमाणा-भागो व्यवहाराननुरोधश्च । तदमिद्धापि मिध्यतस्तस्य निमित्ता-न्तरापेक्षणात् ।

स्वरूप है, उसीमें पहले पट कैसे था ? अथवा तुम्हारे मतानुसार वही तन्तुमाला पहले पटस्वरूप कैसे थी ?

यदि कहो कि—पटनाशकालीन तन्तुमाला पटकालीन तन्तुमालासे भिन्न है, इसलिए पूर्व तन्तुमाला पटरूप होगी और उत्तर तन्तुमाला पट-नाशरूप होगी, इसमें कोई विरोध नहीं है—तो यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि पूर्व और उत्तर तन्तुमालाओंमें जातिकृत भेदकी उपलब्धि नहीं होती और व्यक्तिकृत भेद ता बिना क्षणभग सिद्ध हुए हो नहीं सकता, जो अभीतक सिद्ध नहीं हो सका है । इसीलिये यहाँ अन्योन्याश्रयदोष भी हो जाता है । क्योंकि पूर्व तन्तुमालासे उत्तर तन्तुमाला भिन्न सिद्ध हो तो उत्तर तन्तुमाला पटनिवृत्तिरूप सिद्ध हो और उत्तर तन्तुमालाके पटनिवृत्तिस्वरूप सिद्ध होनेपर ही वह (उत्तर तन्तुमाला) पट-स्वरूप पूर्व तन्तुमालासे भिन्न सिद्ध हो सकती है ।

(शङ्ख) फिर भी उत्तर तन्तुमालरूप अप्रिम कार्यको ही पटात्मक पूर्व तन्तुमालास्वरूप फारणका विनाशरूप माननेमें क्या हानि है ?

(उत्तर) कोई हानि नहीं है । केवल इतनी बात है कि प्रमाणका है और ऐसा व्यवहार भी नहीं होता । जहाँपर तन्तुनाशसे ही ना हुआ हो, वहाँगर पटनाश तन्तुमालास्वरूप नहीं सिद्ध हो ना, क्योंकि तन्तुमाला भी वहाँ नहीं है । किंतु वहाँपर पटध्वसरूप निमित्तान्तरसे ही पटनाशका व्यवहार तुम भी मानोगे ।

१. मम्युपलभ्यते—१ प० पा० ।

२. इत एव—पा० कश्चित् । दीशाशारममतोऽपि ।

३—गूर्वां रत्नुमालयोर्मै तत्त्वं निवृत्तिरूपत्वं निवृत्तिरूपतापाच्च सद्यां भेद इत्य वाच्याय इति शङ्खरमित्र ।

अपि च तन्तुविनाशः सामान्यतस्तन्तुविरहस्वभावो वा स्यात् तद्विपरीतो वा । आद्ये कथं तन्त्वन्तरम् ? न हि सामान्यतो नीलमनीलविरुद्धस्वभावमनीलान्तरम् । द्वितीये कथं तद्विरोधी ? न हि नीलं सामान्यतोऽपि नीलान्तरविरोधि । विशेषमात्र एवायं विरोधः^१ इति चेत्, तत् किं सामान्यतोऽनुभयस्वभाव एव विनाशः ? ओमिति ब्रुवतोऽन्यतरमुपादाय विनाशञ्चयवहारानुपपत्तिः । सामा-

एवं तन्तुस्वरूप विनाशको सामान्यरूपसे तन्तुविरहस्वभाववाला मानते हो ? या तन्तुविरहस्वभाववाला नहीं मानते हो ? यदि पहला पक्ष रखो तो वह विनाश दूसरे तन्तुका स्वरूप कैसे धारण कर लेगा ? क्योंकि सामान्यरूपसे अनीलका विरोधीस्वभाववाला नील दूसरे अनीलका स्वरूप नहीं धारण कर लेता है । अर्थात् दूसरा अनील नहीं बन जाता है ।

यदि दूसरा पक्ष मानो, अर्थात् वह तन्तुरूप विनाश यदि सामान्यरूपसे तन्तुविरहस्वभाववाला नहीं है, किन्तु तन्तुस्वभाववाला ही है, तो किर वह विनाश तन्तुविनाशकीसे हो सकता है ? क्योंकि जैसे सामान्यरूपसे एक नील दूसरे नीलका विरोधी नहीं होता, वैसे एक तन्तु सामान्यरूपसे दूसरे तन्तुकी निवृत्तिरूप अर्थात् विरोधी नहीं हो सकता है ।

यदि कहो कि—यह विरोध विशेषमात्रमें है, अर्थात् पूर्वतन्तुकी निवृत्तिस्वरूप उत्तरतन्तु हो सकता है [जो क्षणिकत्वका साधक होगा]—तो क्या वह पूर्वोक्त तन्तुरूप विनाश सामान्यरूपसे उक्त दोनों स्वभावोंमें किसी स्वभावका नहीं है ? अर्थात् उक्त विनाश सामान्यरूपसे न तन्तुका विरोधी ही है और न अविरोधी ही है ? यहाँ यदि “हाँ” कहो, तब तो उन दोनों स्वभावोंमें किसीको लेकर सामान्यरूपसे तन्तुविनाशका करवहार नहीं हो सकेगा ।

यदि कहो कि—सामान्यरूपसे विरोधी अविरोधीकी चिन्ता तम हो,

न्यस्यालीकत्वात् तत्र विरोधोऽपि किं करिष्यतीति चेत्, विलीन-
मिदानी पिरुद्धधर्माध्यासेन भेदप्रत्याशया, तस्य तदाश्रयत्वात् ।

नन्वतिरिक्ताभावपक्षे यथा पटः पटान्तराभावांश्च तज्जाती-
यथ, अभावो वा पटविरोधी पटान्तरमहृत्तिश्चेति न कथिद्द
पिरोधः, तथा कार्यभावपक्षेऽपि भविष्यतीति । नैतदेवम्, प्रतियो-
गिना हि तादात्म्यमंसर्गं रुजातीयत्वानि॑ नेष्यन्ते, अप्रतियोगित्य-
प्रमङ्गात् भिन्नकालत्वात् सामान्यतो पिरुद्धधर्ममंसर्गाच्च ।

जब कि सामान्यनामका कोई तत्त्व हो । किन्तु वह तो अलीक (असत्) है, अतः यहाँ सामान्यरूपसे विरोध अविरोधका प्रश्न ही नहीं है—तब तो गोत्व और अश्वत्वरूप विरुद्धधर्मोंके भी अलीक हो जानेसे गौ और अश्वका भी भेद मिट जायगा । क्योंकि वह गौ और अश्वका भेद गोत्व और अश्वत्वरूप विरुद्ध धर्मोंके कारण ही होता है ।

(राङ्गा) अभावको अतिरिक्त माननेवालेके मतमें जिस प्रकार पट पटाभावधारा होता हुआ भी पटजातिका है, उसी प्रकार तन्तु भी तन्तु-निहृतिरूप होता हुआ तन्तुजातिका बना रह सकता है । एवं, जैसे पटका विरोधी भी पटाभाव दूसरे पटके साथ रह जाता है, उसी प्रकार तन्तुविनाश भी तन्तुरूप हो सकता है ।

(उत्तर) ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि अपने प्रतियोगीके साथ अभावका तादात्म्य नहीं होता, एक जगह रहना नहीं होता और नहीं होती है । क्योंकि तादात्म्य होनेवर वह प्रतियोगित्य धर्मसे च्युत हो जायगा । अर्थात् प्रतियोगी नहीं रह जायगा । एवं निस कालमें प्रतियोगी रहता है, उस कालमें उसका अभाव नहीं रहता, इसलिये प्रतियोगी और उसरे अभाव का एक जगह रहना समय नहीं है । एवं, प्रतियोगी और अभावमें सामान्यरूपसे विरोधी धर्म रहते हैं, इसलिये उनमें पक्षनातीयता नहीं हो सकती है ।

अप्रतियोगिना तु संसर्गे को दोषः ? न हि भेदविजातीयतैरुकालताः संसर्गपिरोधिन्यः । तादात्म्यं हि संमर्गित्वे विहृद्धं विरोधित्वं च । ते च नेष्येते एम । नापि धाघकानुरोधः, तदभावात् ।

ननु घटाभावे घटोऽस्ति न वा ? आद्ये घटवति तदभावः, कपाले घटोऽस्तीति तान्यपि तदूबन्ति प्रसज्येन् । नास्तीति पचोऽनवस्थाप्रमङ्गः । अभावान्तरमन्तरेण तत्र नास्तिताव्यवहारे

अप्रतियोगी के साथ तो अभावका संसर्ग होनेमें कोई दोष नहीं है । क्योंकि भेद, विजातीयता और एककालता परस्परमें संसर्गके विरोधी नहीं होते हैं । कारण, तादात्म्य और विरोधी होना ही परस्पर संसर्गका वाघक होता है । मैं तो अप्रतियोगीभूत पटान्तरमें न अभावका तादात्म्य मानता हूँ, और न उसके साथ अभावका विरोध ही मानता हूँ, जिससे पटान्तरके साथ पटान्तरका अभाव न रह सके । इसके विपरीत हुम हो तनुनिवृत्ति और तन्त्यन्तरका परस्पर तादात्म्य मानते हो, इसलिये उनका संसर्ग बाधित है । क्योंकि दो भिन्नोंमें ही संसर्ग होता है ।

(शङ्का) वस्तुका अप्रिम कार्य ही उसका विनाश है, क्योंकि विनाश को कार्यातिरिक्त मानने में वाघक है ।

(उत्तर) यह भी नहीं कह सकते । क्योंकि विनाशको कार्यसे अतिरिक्त माननेमें कोई वाघक नहीं है ।

(शङ्का) अभावको अतिरिक्त माननेघालेके यहाँ घटाभावमें घट है कि नहीं ? आद्य पक्षमें, जैसे घटाभावमें घट रहता है, वैसे ही घटस्थलमें घटाभाव भी रहेगा । ऐसी स्थितिमें जिन कपाठोंमें घटका अस्तित्व है, वे भी घटाभावघाले होने लगेंगे । दूसरे पक्षमें अर्थात् “घटाभावमें घट नहीं है” इस पक्षमें अनवस्थादोषका प्रसङ्ग हो जायगा । अर्थात् घटाभावमें जो दूसरा घटाभाव है, उसमें भी घटके नहीं रहने से तीसरा घटाभाव रहेगा, और उस तीसरेमें चौथा घटाभाव रहेगा, चौथेमें पाचवा और पाँचवेमें छठा, इस प्रकार अभावकलरनाका

भागान्तरेऽपि तथा प्रसङ्गः । न, भावान्तरस्य (स) स्वजातीय^{१-}
त्वेनाविरुद्धसजातीयत्वात्, विरुद्धजातीयस्य वा समानजातीय-
त्वानुपपत्तेः । अन्यतमात्रेण तथा व्यवहारे तद्वत्यपि प्रसङ्गात् ।
अभावस्य तु विरुद्धस्वभावतयैवाभावान्तरानुभवतर्क्यो^२रभावादिति ।

विराम नहीं होनेसे अनवस्था हो जायगी । इस अनवस्थादोषके भयसे
यदि घटाभावमें अन्य अभावके रहे चिना ही “घटो नास्ति” का व्यवहार
माना जाय तो भूतलादिमें भी चिना घटाभावके रहे ही “घटो नास्ति”
ऐसा व्यवहार क्यों न माना जायगा ? ।

(उत्तर) अभावको अतिरिक्त माननेवालेके प्रति उक्त प्रकारचा
चाधक उपस्थित करना ठीक नहीं है । क्योंकि एक भावपदार्थ दूसरे
भावपदार्थका भावहृपसे सजातीय होनेके कारण अविरोधी है । अर्थात्
एकभावमें दूसरा भाव कभी रह भी सकता है और कभी नहीं
भी रह सकता है । जो विरोधी होगा, वह समानजातीय भी नहीं
हो सकेगा । जैसे, अभाव भावका विरोधी होनेसे उसका सजातीय
नहीं होता । अतः भाव भावका उक्त नियम अभाव भावमें लागू
नहीं होगा ।

यदि घटरूप प्रतियोगीसे भिन्न होनेमात्रसे भूतलादिमें घटाभावका
व्यवहार माना जाय तो घटदशामें भी भूतलमें घटाभाव व्यवहार होने
लगेगा । क्योंकि घटके रहने पर भी भूतल घटसे भिन्न ही रहेगा ।

लेये भिन्न होनेसे नहीं किन्तु अभाव होनेसे ही भूतलमें घटाभावका
‘हो’ सकता है । अथवा जो लोग यह पढ़ते हैं कि ‘घटवद्

घटाभावकालीन भूतल भिन्न है, इसलिये भावरूपभूतलके
लेये ही घटाभावका व्यवहार होता है न कि अभाव फोई स्वतन्त्र
पदार्थ है, उनका यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि एक घटवद्
भूतलको अपेक्षासे दूसरा घटवद्भूतल भिन्न भी है और भावरूप

१ अत सजातीयत्वविवदजातीयत्वे भावत्वाभावाभ्यामिति दीधितिः ।

२ घटाभावो यदि घटाभावमन्त स्पात् घटवान् स्पादिति तर्हस्वरूपम् ।

भिन्नाभावजन्मनि घटताद्व्यक्त्यं दोष इति चेत्, न, घट-
ताद्व्यक्त्यं हि यदि घटत्प्रमेव, अभिमतप्रेत तत् । नह्यभाव-
जन्मनि घटोऽघटतामुपैतीत्यम्युपगच्छामः । तत्कालसत्त्वं चेत्,
न तर्ष्मावो जातः, कालान्तरे घटानवस्थानस्वभाव एव हि
तदभावः ।

भी है । अत घटसे युक्त भी उस दूसरे भूतलमें घटाभावका व्यवहार
होना चाहिये ।

उपर्युक्त दोनों व्याख्यानोंके अनुसार यही सिद्ध होता है कि
भूतलमें रहनेवाला घटाभाव भूतलरूप अधिकरणसे भिन्न एवं स्वतन्त्र
पदार्थ है ।

यहाँ पर यह आशङ्का नहीं की जा सकती है कि—भूतलमें रहने-
वाला अभाव यदि अधिकरणसे भिन्न है, तो उस भूतलगत अभावमें
रहनेवाला अभाव उससे भिन्न होगा और उस अभावमें भी रहनेवाला
घटाभावादि उस अभावसे भिन्न होगा, इस प्रकार भिन्न भिन्न अगणित
अभावोंकी परम्परा कायम हो जायगी और अनवस्थादोषका प्रसङ्ग
हो जायगा—क्योंकि घटाभावमें यदि अन्य घटाभावकी प्रतीति होती तो
उस प्रतीतिके बलसे अभावमें अभावान्तर स्पीकार किया जाता । किन्तु
वैसी प्रतीति होती नहीं है । क्योंकि अभाव तो अपने प्रतियोगीके विरुद्ध
स्वभाववाला है । इसलिए जब घटाभाव रहेगा तब उसका विरोधी घट
कैसे रह सकता है ? अत प्रथम घटाभावसे ही हमेशा “घटो नास्ति”
व्यवहार होता रहता है, तथा वहाँ अन्य घटाभावका अनुभव नहीं
होता । इस स्थितिमें अभावमें दूसरा अभाव क्यों माना जाय ?

एव “घटाभावमें यदि घटाभाव न हो तो उसमें घटकी सत्ता होने
लगेगी” इस प्रश्नारका तर्क भी अभावमें अभावान्तर सिद्ध करनेके लिए
नहीं दिया जा सकता है । क्योंकि प्रथम घटाभावसे ही ‘घटो नास्ति’
व्यवहारकी उपपत्ति हो जायगी और घटाभावमें घटसत्ताका आपादन
नहीं किया जा सकता ।

(शका) यदि घटसे भिन्न घटाभाव (घटविनाश) होता तो जिस
प्रकार घटसे भिन्न पटके होनेसे पटके उत्पन्न होनेपर भी घट अवस्थित

अस्तु तर्हि निरुपादानत्वं चाधकं जन्मन उपादानव्याप्तत्वा-
दिति चेत्, न, धर्मिग्राहकप्रमाणगाधात् भागावच्छेदाच्च व्याप्तेः ।

एतेन निरुपादेयत्वं^१ व्याख्यातम् । गुणादिभिर्द्वौ चानैका-
न्तिरूपत्वादिति ।

रहता है, उसी प्रकार घटध्वंसके उत्पन्न होनेपर भी घटको पूर्ववत् अवस्थित रहना चाहिये ।

(उच्चर) यह दोष भी नहीं हो सकता । क्योंकि घटके अवस्थित रहनेका अर्थ यदि उसके घटत्वधर्मका कायम रहना अभिप्रेत हो तो उसे मैं भी मानता ही हूँ । क्योंकि “अभाव उत्पन्न होनेपर घट अघटत्वको धारण कर लेता है अर्थात् घट अघट बन जाता है” यह हम नहीं मानते ।

यदि घटके अवस्थित रहनेका अर्थ घटाभावकालमें घटकी सत्ता मानो तो “घटसत्तावस्थामें घटाभाव ही नहीं पैदा हुआ” ऐसा कहा जायगा । क्योंकि घटाभावका स्वभाव ही ऐसा है कि उस दशामें घट अवस्थित नहीं रह सकता ।

यदि कहो कि—जो जन्मता है, उसका अवश्य कोई समवायिकारण होता है । अभावका कोई समवायिकारण नहीं होता, इसलिये उसका समवायिकारणरहित होना ही उसके उत्पत्तिमान् होनेमें बाधक है— वो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि यह कथन धर्मिग्राहकप्रमाणसे नायित है । अर्थात् जिस प्रमाणमें अभावका प्रहण होता है, यह प्रमाण हो । यथनमें बाधक है । क्योंकि “इह इदानी घटो नष्ट” इस अभाव पर एक प्रत्यश्वद्वारा उत्पन्न होना ही सिद्ध होता है ।

एवं ‘जो जन्मता है, उसका अवश्य कोई समवायिकारण होता है’ यह व्याप्ति भावपदार्थोंके लिये है न कि अभावके लिये भी ।

इस युक्तिसे “जो जन्मता है, यह अवश्य दूसरे कार्यका आरम्भक होता है, अभावसे कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता, इसलिये अभाव उत्पत्तिमान् नहीं हो सकता है” यह बाधक भी नहीं दे सकते हो ।

^१ निरुपादेयतम् = शामानारम्भउत्त्वविषयम् ।

अस्तु तर्हि व्यापकत्वं ध्रुवमावित्वमिति चेत्, न, अतादात्म्यात् अतत्कारणत्वाच् । अस्मदिशापि व्याप्तिग्रहो न साहित्यनियमेन, विरोधितया विषमसमयत्वात् । नापि जन्मानन्तर्यनियमेन, तदमिद्देः । मिद्दौ वा तत एव क्षणभङ्गसिद्धेः किमनेन १
भविष्यत्तामात्रेण व्यापकत्वमस्तीति चेत्, अस्तु, न त्वेतात्म्योंकि उक्त नियम भी भावपदार्थके लिये ही है । एव, गुणीसे भिन्न गुण उत्पन्न होता है, यद्यपि वह स्वयं किसी कार्यका आरम्भक (उपादान कारण) नहीं होता । इस प्रकार प्रतियोगीसे अतिरिक्त उसका ध्वनि पैदा होता है, यह सिद्ध हो गया ।

यदि कहो कि—प्रतियोगीके प्रति व्यापक होना ही ध्वंसका ध्रुवमावित्व है । अर्थात् जैसे धूमबानका बहिमान् होना अनिवार्य है, क्योंकि धूमके प्रति वहि व्यापक होता है, वैसे ही प्रतियोगीका ध्वनि होना भी ध्रुव है, क्योंकि प्रतियोगीके प्रति ध्वनि व्यापक है—तो यह नहीं हो सकता है । क्योंकि तुम्हारे मतसे वही व्यापक होता है, जिसमें तादात्म्य हो अथवा जो उसका कारण हो । यहाँ ध्वंस न तो प्रतियोग्यात्मा (प्रतियोगीस्वरूप) है और न प्रतियोगीका कारण है । हमारी रीति से भी यहाँ प्रतियोगी और ध्वंस में व्याप्तव्यापकभाव नहीं हो सकता है । क्योंकि हमारे मतसे नियत साहचर्यसे व्याप्तिग्रह होता है । यहाँ पर प्रतियोगी और ध्वंस परस्पर विरोधी होनेके कारण विभिन्न समयवर्ती होंगे और उनका परस्पर साहचर्य कभी नहीं हो सकता है ।

यह भी नहीं हो सकता कि—चूंकि प्रतियोगीके जन्म होनेके अनन्तर ही नियमित रूपसे ध्वनि उत्पन्न हो जाता है, इसलिए प्रतियोगीके प्रति ध्वनि व्यापक है—क्योंकि प्रतियोगीके जन्मके बाद ही तुरन्त नियमितरूपसे ध्वंसका उत्पन्न होना ही अवशक सिद्ध नहीं हुआ है । यदि सिद्धध हो तो उसीसे क्षणभङ्गवाद सिद्धध हो जायगा, तो फिर इस गुण व्यापारको क्या आवश्यकता है कि बिनारा ध्रुवमात्री होनेसे अहेतुरु है और अहेतुरु होनेसे प्रतियोगीको उत्पत्तिके अप्रिम क्षणमें ही वह उत्पन्न हो जायगा ।

वातहैत्यन्तरानपेक्षत्वसिद्धिः, अथतनघटस्य श्वस्तनकपालमालयै-
वानैकान्तिकत्वादिति^१ ।

एतेन सापेक्षत्वे व्यभिचारोऽपि स्पात, विनाशहेतूनां प्रति-
चन्धवैकल्यसम्भवादिति परास्तम् । कपालसन्ततितुल्ययोगस्तेम-
त्वाद् विनाशस्येति ।

अस्तु तहि चरमः पदः । तथाहि—विनाशो न जायते
अभावत्वात् प्रागभाववत् । जातोऽपि वा निवर्तते जातत्वात् घट-
वदिति । नैतदेवम्, प्रागभावो जायते अभावत्वाद् विनाशि-

यदि कहो कि—भविष्यमें धर्मस उत्पन्न होगा, इसलिए प्रतियोगीके
प्रति धर्मस व्यापक होगा—तो ऐसा भले ही हो, किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध
होता कि वह धर्मस किसी अन्य हेतुकी अपेक्षा किये विना ही उत्पन्न
हो जाता है । क्योंकि आजका घड़ा अपने आप कपालमालाका रूप
नहीं धारण कर लेता है किन्तु मुदगरादिरूप कारणकी सहायतासे फोड़े
जानेपर ही ।

इससे यह तरफ भी खण्डित हो जाता है कि—धर्मसको हेत्यन्तर
सापेक्ष माननेमें व्यभिचार भी हो सकता है । क्योंकि सम्भव है, हेतुओं-
के रहनेपर भी कोई प्रतिचन्धक उपस्थित हो जाय अथवा हेतुओंमें ही
किसी प्रकारकी न्यूनता आ जाय । इस प्रकार उत्पन्न होनेवाला भी
भावपदार्थ कदाचित् अविनाशी होने लगेगा—क्योंकि तुम्हारे इस तरफपर
में भी कहुंगा कि “सम्भव है, विनाशके समान ही कपालसन्ततिमें भी
कोई प्रतिचन्ध हो जाय । इस प्रकार क्षण-क्षणमें विनाशशील रूपाल-
सन्ततिकी उत्पत्ति नहीं सिद्ध होनेसे भावपदार्थोंका क्षणित्य भी
नहीं सिद्ध होगा ।

(राज्ञा) तो अस्तिम पक्ष द्वी रहे । अर्थात् विनाश भ्रुतभावी है ।
इस प्रकार यिन हेतुकी अपेक्षा किये सभी भाववस्तुओंका अवश्यंभावी
विनाश सिद्ध होनेसे क्षणिकशाद् सिद्ध हो जायगा । यहाँपर यों अनुमानना

त्पाद्वा ध्यंपद् घटवद् वा । अनातोऽपि वा न निर्वर्त्तेते, अजात-
त्वात्, आशाशवत् शशदिपाणवद् वेतिवदमाधनत्वात् ।

किमेतेषा दूषणमिति चेत्, शासापच्छिन्नव्याप्तिस्त्वादप्रयोज-
न्त्वं, प्राक् प्रलभमाभागमाहकप्रत्यक्षरागः, प्राक् पश्चाच्च कार्यो-
न्मज्जनप्रसङ्गलवणप्रतिकूलतरुश्च ।

प्रयोग किया ना सकता है—विनाश किमी देतुद्वारा उत्पन्न नहीं होता
है, क्याकि अभाव है जैप प्रागभाव । यदि विनाश उत्पन्न हो तो,
जैसे घडा उत्पन्न होनेसे पुन निवृत्त हो जाता है, वैसे ही ‘विनाश’ भी
निवृत्त हो जायगा । इसी स्थितिमें यि इ पत्तुहो पुन प्रकट हो जाए
चाहिये ।

(उत्तर) यह अन्तिम पक्ष भी आपका ठीक नहीं है । हम भी
आरपे अनुमानका वायर अनुमान दे सकते हैं—जैसे, प्रागभाव भी
‘त्पन्न होता है, क्योंकि अभाव है, जैसे ध्वस । अथवा प्रागभाव उत्पन्न
होता है, क्योंकि विनाशी है, जैसे घडा । अथवा यदि प्रागभाव न उत्पन्न
हो तो उसे नष्ट भी नहीं होना चाहिये क्योंकि अजात (अनुत्पन्न) है,
जैसे आराश अथवा सरदेकी सींग । यदि मेरा हेतु गलत हो तो वही
‘अभाव’ सुम्हारा भी हेतु है और वह भी गलत होगा । इस प्रकार
सिद्ध है कि विनाश अहेतुक नहीं होता किन्तु सहेतुक होता है ।

यदि पूछो कि—उपयुक्त अनुमानो और तर्जोंमें दोष क्या है ?
तो यही बहा जायगा कि भावपदार्थके साथ ही उक्त व्याप्तिके द्वोनेसे उक्त
अनुमान और तर्ज अप्रयोजक (असाधक) हैं । अर्थात् भावपदाध
ही उत्पन्न होनेसे विनाशी होत है । या नहीं उत्पन्न होन वाले भावपदार्थ
ही नष्ट भी नहीं होते । इसलिये उक्त नियम प्रागभाव और ध्वसमें
नहीं लागू किये जा सकते ।

एव ‘यहाँ अभी ध्वस उत्पन्न हुआ है’ इस प्रकारका जब प्रत्यक्ष
अनुभव होता है, तर ध्वसको अजन्य कहना वाधित है । एव प्राग
भावको यदि उत्पत्तिमान् माना जाय तो उत्पत्तिके पूर्वमें घटादि कार्य
का आविर्भाव मानना पड़ेगा । तथा ध्वसको विनाशी माना जाय हो

अथोन्मज्जने को दोष इति चेत्, रालविच्छेदप्रत्ययस्यानु-
भयात्मकत्वप्रसङ्गः । अयथार्थत्वे तस्य द्विचन्द्रदर्शनकाले
चन्द्रदेशमिच्छेदवत् तद्वतः कालापिच्छेदे भावस्य प्राकूप्रध्वंभसह-
वृत्तित्वेनाग्निरोधप्रमग्नात् । यथार्थत्वे तु भेदस्थितौ तदुन्म-
ज्जनानुपपत्तेः ।

एतेन प्रागभावे प्रध्वंसोन्मज्जनं तत्काले च प्रागभावो-
न्मज्जनमपास्तम् । भाववदभावयोरपि उभयविरोधिस्वभाव-
त्वादिति ॥

ध्वस्त हुए घटेका भी पुन आविर्भाव मानना पड़ेगा । इस प्रकारके
प्रतिकूल तर्क भी उक्त अनुमानके बाधक हैं ।

यदि कहो कि—उस कालमें भी घटोन्मज्जन (घटाविर्भाव) में
दोष ही क्या है? तो यही है कि ध्वसदशामें या प्रागभावदशामें
“इदानी घटो नासि यह जो कालके साथ घटकी विच्छेदप्रतीति होती
है उसे न अयथार्थ कह सकते और न यथार्थ कह सकते हो । क्योंकि
यदि अयथार्थ कहो तो, जिस प्रकार द्विचन्द्रदर्शनकालमें मध्यभागमें
होने वाली चन्द्रमाकी विच्छेदप्रतीतिके अयथार्थ होनेसे मध्यभागमें भी
चन्द्रमाकी सत्तामें कोई बाधा नहीं होती है, वेसे ही जहाँ घटका
ध्वस हुआ है, वहाँ भी उस कालके साथ घटका विच्छेद नहीं होनेसे
सभी भावपदार्थ अपने प्रागभाव और ध्वसके साथ रहने लगेंगे और
उनका परस्परका विरोध समाप्त हो जायगा ।

उक्त विच्छेदप्रतीतिको यदि यथार्थ कहो तो ध्वस और प्रागभावके
साथ घटका कालकृत और दशकृत विरोध स्थिर रहेगा । अत ध्वस और
प्रागभावके कालमें तुम्हारे द्वारा स्वीकृत घटोन्मज्जन (पुन घटाविर्भावका)
का प्रसङ्ग नहीं बन सकेगा ।

इसी प्रकार घटप्रागभावकालमें घटध्वसका उभज्जन (आविर्भाव)
तथा घटध्वसकालमें घटप्रागभावका भा उभज्जन स्थिर रहेगा ।
चाहिये । क्योंकि प्रागभावको जैसे घटसे विरोध है, वेसे ही घटध्वस

कुतः पुनः स्थिरमिद्धिः ? प्रत्यभिज्ञानात् भणिकत्वानुप-
पत्तेश्च । लक्षणमेदेन व्यचारिजातीयत्वात् प्रत्यभिज्ञा न प्रमाण-
मिति चेत् , न, अवान्तरलक्षणमेदेनान्यभिचारनियमात् । फिं
तदिति चेत् , प्रियद्वधर्मामंसृष्टिप्रयत्नम् , मिद्दं च तदत्र ।

से भी है । तथा घटध्वस को जैसे घटसे विरोध है, वैसे ही उसके
प्रागभावसे भी विरोध है ॥

स्थिरत्वमें साधक प्रमाण

(शङ्का) भाववस्तु स्थिर हैं, इसमें क्या प्रमाण है ?

(उत्तर) पूर्वोक्त प्रकारसे क्षणिकत्वका सिद्ध न हो सकना और
प्रत्यभिज्ञा प्रमाण है । अर्थात् क्षणिकत्वकी असिद्धिके सम्बन्धमें पूर्वमें
कहा जा चुका है । वथा “यह वही घडा है, यह वही आदमी है, जिसे
मैंने पहले देखा था” इस प्रत्यभिज्ञासे भी सिद्ध होता है कि घटादि
पदार्थ स्थिर वस्तु हैं । यदि क्षणिक होने से “यह वही है” ऐसी
प्रत्यभिज्ञा (स्मृतिसरिलष्ट अनुभूति) न होती ।

(शङ्का) तक्षश (वह) और इदमश (यह) का उल्लेख करने
चाला जो ज्ञान वही प्रत्यभिज्ञाका स्वरूप (लक्षण) है । और यह
लक्षण वहाँ भी चला जाता है, जो स्थिर नहीं है । जैसे “यह वही
दाप है” यहाँ कमश क्षयको प्राप्त होनेवाली वत्ती और तेलके समान
ववाला भी क्षणक्षणमें बदलती रहती है, फिर भी “यह वही ववाला है”
ऐसा व्यवहार होता है । उसी प्रकार “यह वही घडा है” इस प्रत्य
भिज्ञापलसे यह नहीं सिद्ध हो सकता कि घडा स्थिर वस्तु है । अत
स्थिरत्वसिद्धिमें प्रत्यग्निज्ञा प्रमाण नहीं हो सकती है ।

(उत्तर) उपर्युक्त शङ्का ठीक नहीं है । क्योंकि यद्यपि सामान्यरूपसे
दोनों प्रत्यभिज्ञायें एक सो मात्रम् पदती हैं, फिर भी दोनोंके अवान्तर
लक्षणोंमें भेद होनेसे उक्त प्रत्यभिज्ञाद्वारा स्थिरत्व सिद्ध करनेमें किसी
प्रकारका वयभिचार नहीं आ सकता है ।

यदि पूज्जो कि – “यह वही घडा है” इस प्रत्यभिज्ञामें तथा “यह
वही दीपबवाला है” इस प्रत्यभिज्ञामें कौन सा अवान्तरलक्षणों भेद

एवमभूतमपि अदाचिद् व्यभिचरेदिति चेत्, न, पिरुद्धधर्मसंसर्गना। स निदत्स्यैकत्वप्रत्ययस्य व्यभिचारे सर्वव्य-
क्त्वोन्त्हेदग्रसङ्गात्। तथा चानेवत्वमपि न स्पादिति भव
निष्क्रिङ्गनः।

तस्माद् भेदव्यावृत्तापवश्य विरुद्धधर्मसंसर्गः, तदमंमर्गे वाऽ-
वश्यं भेदव्यावृत्तिरिति भेदाभेदव्यवहारमर्यादा।

निष्क्रम्पप्रदीपकुड्डमलेषु निषुणं निभालघन्तोऽपि न विरुद्ध-

है? ये इूँगा कि घटवाली प्रत्यभिज्ञाका विषय जो घट है, यह
पिरुद्धधर्मसे असंयुक्त है। तथा दीपज्यलावाली प्रत्यभिज्ञा, विरुद्धधर्मसे
संस्पृष्ट जो ज्वाला, उसे विषय करनेवाली है। कारण, दीपज्यवालामे
अमीं वेशीके तारतम्यका स्पष्ट अनुभव होता है।

यदि यहो कि—वास्तविक प्रत्यभिज्ञा भी, समय है, कदाचित् व्यभि-
चरित हो जाय। अर्थात् ‘यह बही घड़ा है’ ऐसी प्रतीति होनेपर भी
पूर्णपर घड़ेमें एकत्रकी सिद्धि न हो सकेगी—यह कथन ठीक नहीं
है। क्योंकि विरुद्ध धर्मोंके संसर्गसे असंस्पृष्ट होनेपर भी यदि उस
पूर्णपर घड़ेमें एकत्र न माना जाय तो सासारमें एकत्रका सर्वथा
उच्छेद हो जायगा। ऐसी स्थितिमें तुम्हारा अनेकत्र भी सिद्ध न हो
सकेगा। कारण, प्रतिशोगीहपसे कहीं एकत्र होनेपर ही उसका निषेध-
र्त अनेकत्र दूसरी जगह सिद्ध हा सकता है। इस प्रकार
एकत्रका परित्याग कर तूँ अनेकत्रमें भी हाथ धो देठो और सब सोन्न
दरिद्र चन जाओ।

इसलिये यहो भिन्नता (अनेकत्र) है, यहो अवश्य ही विरुद्ध
धर्मोंसा संसर्ग है। यहोपर विरुद्धधर्मोंका संसर्ग नहीं है, यहों अवश्य
हा भिन्नता भी नहीं है। यही भेदव्यवहार और अभेदव्यवहारकी
मर्यादा है।

यह कहना चि—निष्क्रम्प दीपकी कलियोंमें पूर्ण सावधानीमें
दर्शनेपर भी विरुद्ध धर्मोंना संसर्ग हम नहीं पाते हैं, पिर भी ‘यह

धर्मसंपर्गमीचामहे, अथ च प्रत्यभिज्ञानमवधूय तत्र भेदं एव पदं
विवत्त इति चेत्, कस्य प्रमाणस्य वलेन ? आश्रनाशस्य हुताशन-
नाशहेतुत्वेन विज्ञातत्वात्, तस्य चात्र प्रतिज्ञासुपलब्धेः । वति-
तैलयोहत्तरोत्तरगपचीयमानत्वात् पूर्वस्य नाश उत्तरोत्पादव-
त्यायगिद्ध इति चेत्, नन्दयं प्रत्यनीक्षधर्मसंपर्ग एव, नष्टत्वानष्ट-
त्वयोराश्रयनाशानाशयोर्वा एरुत्र तेजस्यनुपरत्तेः ।

सोऽयं शतं शिरश्छेदेऽपि न ददाति, विशतिपञ्चकं तु
प्रयच्छन्तीति क्रियत्र त्रूपः ।

मविष्यति तर्हीदापि मिलद्वधर्मसंयमो दुरुह इति चेत्. अथ न
एतायं स्फटिन् इत्यत्र प्रमाणप्रतीतपंपर्गाणां सिरोघ आरक्ष्यते ?

“बही दीपकलिका है” इस प्रत्यभिज्ञाकी अवदेठना कर भेद ही अपना
पैर जमा लेगा है । इसलिये “जहाँ भेद है, वहाँ अवश्य विरुद्ध धर्मोंका
समर्ग है” यह नियम नहीं हो सकता है—ठीक नहीं है । क्योंकि
दीप कलियोंमें विरुद्धधर्मोंका सर्वसमर्ग नहीं दीखनेपर भी किस प्रमाणसे
मिन्नता मानसे हो ?

यदि—आश्रयका नाश अग्निके नाशका हेतु है, यदि वात प्रसिद्ध
है । और यदि आश्रयनाश यहाँ प्रतिक्षण मालूम होता है । इस प्रकार
वन्ती और तेलके उत्तरोत्तर धीण हुए जानेसे पूर्वज्यालाका नाश और
उत्तरज्यालाकी उत्पत्ति अनुमान सिद्ध है—ऐसा कहो, तब तो यहाँ विरुद्ध
धर्मोंका सर्वसमर्ग ही सिद्ध हुआ । और इसी कारण दीपकलियों भी मिन्न भिन्न
सिद्ध हुईं । क्यांकि एक ही ज्यालामें नष्टत्व और अनष्टत्व अथवा उसके
आश्रयका नाश और अनाश साथ-साथ नहीं बन सकते हैं । इस प्रकार
यह प्रतिपक्षी सिर कट जानेपर भी सौ नहीं देता किन्तु अपने आप पौच
धीस देता है, इसमें हम क्या कहें । अर्थात् दीपकलियामें सीधे विरुद्ध
धर्मोंके सर्वसमर्गों नहीं स्थीकार करता हुआ भी प्रकारान्तरसे उसे ही
स्थीकार करता है ।

(शङ्ख) वैसे ही यथार्थ प्रत्यभिज्ञास्थलमें भी घटादिमें विरुद्ध
धर्मोंका सर्वसमर्ग है, जो मालूम नहीं देता है ।

तत्प्रतीतविरोधानां संसर्गः ? अथाप्रतीतस्वरूपविरोधसंसर्गं एव
केचिद् विरुद्धतया ? समुष्टतया वेति ?

न प्रथमः, प्रागेव निनकृतत्वात् । न द्वितीयः, अयोग्याना-
मनुपलभ्याधितत्वात् । योग्यानामपि कारणादिव्याप्यव्याप्त-
विगमविलोकनव्यावर्तितत्वात् । न तृतीयः, तस्यातिप्रसञ्ज-
चतया सर्वत्रैकत्वोच्छेदप्रमङ्गादिति ।

एतेन प्रत्यभिज्ञानादेव लक्षणभागमाकृष्णानुपानेन स्थैर्य-

(उत्तर) तो यहाँ में पूछता हूँ कि क्या “यह वही स्फटिक है” यहाँपर
प्रमाणद्वारा जिनका एकत्र संसर्ग प्रतीत है, ऐसे सत्त्व द्रव्यत्व और
स्फटिकत्व धर्मोंके विरोधकी समावना है ? अथवा जिनका प्रमाण-
द्वारा विरोध प्रतीत है, ऐसे गोत्व-अश्वत्व आदि धर्मोंके संसर्गकी
समावना है अथवा ? जिनका स्वरूप, विरोध और संसर्ग तीनों
अव्याप्त हैं, ऐसे धर्मोंका विरुद्धरूपमें होना या उनका समुष्टरूपमें होना
समावित है ?

इनमें प्रथम आशङ्काका निराकरण पूर्वमें ही हो चुका है, जहाँ एक
ही बीजमें सामर्थ्य, असामर्थ्य, अहुरकरण और अहुराकरण आदिका
अविरोधीरूपम रहना सिद्ध किया गया है ।

द्वितीय आशङ्का (समावना) भी नहीं हो सकती है । क्योंकि जो
विरोधी धर्म प्रत्यक्षके अयोग्य हैं, उनके संसर्गका भान सर्वथा असमय
है । तथा प्रत्यक्षके योग्य जो गोत्व अश्वत्व आदि विरोधी धर्म हैं,
उनका भी परस्परमें कार्यकारणभाव या व्याख्यापकभाव आदि न
होनेसे एकत्र संसर्ग असमय है ।

तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि उसके अतिव्याप्तिदोषसे
मृत होनेके कारण सर्वत्र एकत्वका न्यौदे होने लगेगा, या सर्वत्र एकत्व
ही होने लगेगा । अर्थात् क्षात्र अक्षात् सभी धर्म या तो परस्परमें विरोधी
यन जायेंगे या अविरोधी ही बन जायेंगे ।

इस प्रकार विरुद्धरूपमासमुष्टविषयकज्ञानस्वरूप जो यथार्थ प्रत्यभि-

सिद्धिः । तथाहि—विवादाध्यासितो भावः कालभेदेऽपि न भिद्यते, तद्भेदेऽपि विरुद्धधर्मसंसृष्टत्वात्, यो यद्भेदेऽपि न विरुद्धधर्मसंसृष्टो नासौ तद्भेदेऽपि भिद्यते यथा प्रतिसम्बन्धिपरमाणुभेदेऽपि एकः परमाणुः, तथा चायं विवादाध्यासितो भावः, तस्मात् कालभेदेऽपि न भिद्यते इति ।

अत्र^१ व्यासौ न कश्चिद् विप्रतिपद्यते, पर्वर्ता तु प्रमाधितैव । क्षणिकत्वानुपपत्तिश्वातुगतव्यवहारानन्यथासिद्धेः । शब्दलिङ्ग-

ज्ञान है, उसमें से विरुद्धधर्मसंसृष्टत्वरूप लक्षणभागको अलाकर तथा उसे ही हेतु बनाकर अनुमानद्वारा स्थिरत्वकी सिद्धि हो जायगी । अर्थात् उक्त प्रत्यभिज्ञानमें जो विरुद्धधर्मसंसृष्टत्व विशेषण है, वही स्थिरका लक्षण है । और सम्पूर्ण प्रत्यभिज्ञानको हेतु न बनाकर केवल विशेषणाशसे ही, जा कि स्थिरका लक्षण भी है, स्थिरत्वकी सिद्धि हो जायगी । जैसे—

विवादका विषय भाववस्तु कालभेद होनेपर भी भिन्न नहीं होती, क्योंकि कालभेद होनेपर भी उसमें विरुद्ध धर्मका संसर्ग नहीं होता है, जो जिसके भेदमें भी विरुद्ध धर्मसे संस्पष्ट नहीं होता, वह उसके भेदमें भी भिन्न नहीं होता, जैसे ब्रह्मरेणुस्थलमें परम्पर यस्त्वा परमाणुओंमें भेद होनेपर भी एक परमाणु अपने आपसे भिन्न नहीं होता । वैसी ही प्रकृत विवादका विषय भाववस्तु भी है, इसलिये यह भाववस्तु कालभेद होनेपर भी भिन्न नहीं होती है ।

उपर्युक्त व्याप्ति [जो जिसके भेदमें भी विरुद्धधर्मसे संस्पष्ट नहीं होता है, वह उसके भेदमें भी भिन्न नहीं होता] मे किसीको विरोध नहीं है । एवं भाववस्तुरूप पक्षमें विरुद्धधर्मसंसृष्टत्वरूप हेतुका रहना सिद्ध ही किया जा सका है । साथ ही भाववस्तुओंका क्षणिकत्व असंगत भी है । क्योंकि वैसी दशामें सभी गोओंमें जो “गौ गौ” इस प्रकारका एकाकार अनुगत व्यवहार होता है, वह नहीं हो सकेगा । अर्थात् गोत्वरूप एक स्थिर धर्मके कारण ही उक्त प्रकारका एकाकार

१. अत्र चेति पाठो रघुनाथजिरोमणिसम्मनः ।

पिकल्या हि भावारणं रूपमनुपस्थापयन्तो न तुण्डुजीकरणेऽपि
मपर्थी इत्यग्निवादम्, वाद्यार्थेस्थितौ स्थिरास्थिरविचारात् ॥
तद्यानीकं वा, आकारो वा, वाणं वस्तु वेति त्रयः पवाः ।

इत्यहार होता है। अन्यथा प्रत्येक गोड्यकिके लिए भिन्न भिन्न प्रकारका इत्यहार होता ।

एवं प्रभिन्नकालीन विभिन्नदेशस्थ गोथोमे यदि अनुगत एक (गोत्व आदि) साधारण (स्थिर) धर्म न माना जाय सो शब्द लिङ्ग और विकल्प एक एुग भी टेढा नहीं कर सकते, यह निविशाद है। अर्थात् उससे होनेवाला सामान्यविषयक ज्ञान भी नहीं हो सकेगा। यह भावारणधर्म बीच्छारा स्त्रीरूप विज्ञान हा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वर्णोऽनि, विज्ञानविरिक्त वाक्यवस्तु मानकर ही उसके स्थिरत्व और क्षणिकत्वना विचार आरम्भ किया गया है। अर्थात् अनुगत धर्मके पिना शब्दका अपवे साध सम्बन्धवद्वय नहीं हो सकता आर सम्बन्ध प्रदण हुए पिना वाक्यार्थज्ञान नहीं हो सकता ।

इसी प्रकार साधरण धर्मके पिना लिङ्ग (देवु) और साध्यकी परस्पर व्याप्तिभा ज्ञान नहीं हो सकता और व्याप्तिव्याप्तिके अभावमे साध्यका अनुमान नहीं हो सकता है ।

एवं “यह मेरे इष्टका राधन है” इस प्रकारके इष्टसाधनताज्ञानहृष शक्तिकल्पशान होनेपर प्रवृत्ति होती है, और प्रवृत्तिभा विषय कोई अभिनव घस्तु ही हुआ करता है, जिसमे प्रवृत्तिके पहले इष्टसाधनताका प्रत्यक्ष होना असाक्षय है। अतः पूर्वमे कभी जिसे इष्ट सिद्ध करते हुए प्रत्यक्ष पर चुके हैं, उसी ज्ञातिका होनेमे पाए अभिनव घस्तुमे भी अनुमानमे ही इष्टसाधनताज्ञान करके उने प्राप्त करनेके लिए हम प्रवृत्ति होते हैं। इस प्रकार स्थिरजाति मने पिना इष्टसाधनताज्ञानहृष सरित्तलरक्षानमे होनेवाली प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः शब्द, लिङ्ग और सरित्तलरक्षा सार्वत्रा तभी है, जब कि साधारण अनुगत स्थिर जाति मानी जाय। ऐसी स्थितिमें क्षणिकत्व वहीं समाप्त हो जाता है ॥

कर्त्ति दिड्नागसम्भव अलीकर्मना निराकरण
'गो गो' ऐसी एसाकार ग्रनीति कराने वाला यह अनुगतहृष अलीक

तत्र न प्रथमः पवः, तद्वि न तावदनुभवादेव तथा व्यवस्थाप्यं
तस्मा नीकत्वानुल्लेखात्, तथात्वे वा प्रवृत्तिपरोधात् । न
ह्यलीक्षमेव तत्र इत्यनुभूयाप्यथक्रियार्थी प्रवर्तते । अन्यनिवृत्ति-
स्फुरणान्वेप दोष इति चेत्, एतदेवापत्, विधिरूपस्यैव स्फुरणात् ।
न हि शब्दशिङ्गाभ्यामिह महीधरोदेशेऽनिनर्न भवतीति स्फुरण-
मपि त्वग्निरस्तीति ।

यद्यपि निवृत्तिपरं प्रत्येकीति न विरुद्धः, तथापि निवृत्त-
परार्थोल्लेख एव निवृत्त्युल्लेखः । न ह्यनन्तर्भावितप्रियेषाणा
गिरिषिष्ठप्रतीतिर्नाम । ततो यथा मामान्यम् हं प्रत्येकीत्यनुव्यव-

(मिथ्या) है ? या ज्ञानका आकारविशेष है ? अथवा वाहावस्तु है ?
ये तान एक हो सकते हैं । इनमें प्रथमपक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि
उस अनुगतरूपको अनुभवके बलसे ही अलीक सिद्ध किया जा सकता
है, किन्तु अनुभवद्वारा उसका अलीकत्व सूचित नहीं होता है । यदि
अनुभव अनुगतरूपके साथ ही उसके अलीकत्वको भी सूचित करे तो
प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । क्योंकि “वह अलीक ही है” ऐसा अनुभव
करता हुआ भी कोई अर्थक्रियाभिलाषी उसमें प्रवृत्त नहीं होता ।

यदि कहो कि—अनुगत घर्म (गोत्वादि) का अन्य (अस्त्वादि)
की निवृत्तिरूपसे स्फुरण होना ही यही अलीकत्व है । इसलिये गतादि-
विषयक प्रवृत्तिमें कोई वाधा नहीं है—तो फिर यही असंगत है । क्योंकि
विषयकी प्रतीति विधिरूपसे होती है न कि अन्यकी निवृत्तिरूपसे ।
कारण, “पर्वतो अग्निमान्” इस शब्दद्वारा या धूमप्रत्यक्षद्वारा पर्वत-
प्रदेशमें “अग्निन नहीं है” यह स्फुरण नहीं होता, किंतु “अग्निन है”
यही स्फुरण होता है ।

(शङ्का) यद्यपि “मैं अन्यनिवृत्तिका अनुभव करता हूँ” ऐसा
अनुव्यवसाय (ज्ञानविषयक ज्ञान) नहीं होता, फिर भी निवृत्तिपदार्थ
भासित हो ही जाता है । और इसे ही अनुभवद्वारा निवृत्तिरूपद्वारा
हुआ कहेंगे । क्योंकि कोई भी विशिष्टवृद्धि विशेषणका अन्तर्भाव किये

साधारणाकारस्फुरणाद् विकल्पधीः सामान्यबुद्धिः परेषां तथा निवृत्तप्रत्ययादिसा निवृत्तियुद्धिरस्माकमिति चेत् , हन्त ! साधारणाकारपरिस्फुरणे । धरूपतया यदि सामान्यधोधव्यवस्था, किमित्यायातमस्फुरदभावाकारे चेतमि निवृत्तिप्रतीतिव्यवस्थायाः ? न द्वगोपोढोऽयमिति विकल्पः, किन्तु गौरिनि ।

ततोऽन्यनिवृत्तिमहं प्रत्येमीत्येवमाकाराभावेऽपि निवृत्याकारस्फुरणं यदि स्यात् , को निवृत्तिप्रतीतिमपहनुवीत । अन्यथा त्यतत्प्रतिभानं तथेति व्यग्रहतिरिति गवाकारे चेतमि तुरगच्छोधश्चिना नहीं होती । इसलिये जैसे, नैयायिकोंके यहाँ “मैं सामान्यका अनुभव करता हूँ” ऐसा अनुव्यवसाय नहीं होनेपर भी सामान्याकारका स्फुरण होनेसे सविकल्पक (अनुव्यवसाय) बुद्धि सामान्यविषयक मानी गयी है, वैसे ही अन्यव्यावृत्तरूपसे विषयकी प्रतीति होनेके कारण उसे अन्यनिवृत्तिविषयक हम कह सकते हैं ।

(उत्तर) अहो ! सामान्याकारका स्फुरण होनेसे यदि न्यायमतमें विधिरूपसे सामान्यप्रतीतिको व्यवस्था की जाती है, तो इस दृष्टान्तसे आपके नियृत्तिप्रत्ययकी व्यवस्थाको क्या लाभ है ? क्योंकि आपके विज्ञानमें अभावाकारका स्फुरण ही नहीं होता । अर्थात् ‘गौ’ इस विशिष्टज्ञानमें गोत्वजातिका तो भान होता है किन्तु अगोब्यावृत्तिका मान नहीं होता । इसलिये वह अनुगत धर्म इतरनिवृत्तरूप नहीं हा सरना । क्योंकि “यह अगोब्यावृत्त है” यह ज्ञान नहीं होता, किन्तु “यह गौ है” यही ज्ञान होता है ।

इसलिए “अन्यनिवृत्तिः मैं अनुभव कर रहा हूँ” ऐसा ज्ञानका आकार नहीं होनेपर भी यदि नियृत्तिका भान होता तो नियृत्तिप्रतीतिका क्षीन अपलाप करता । किन्तु गवादिप्रतीतिमें नियृत्तिका भान न होनेपर भी तुम्हारे यहाँ नियृत्तिः व्यवहार हाता है । ऐसी दशामें गवाकारविज्ञानमें अश्वका घोष हो जाय ।

एवं नियृत्तिमात्रकी प्रतीति होनेपर भी प्रवृत्ति सम्भव नहीं है ।

इत्यस्तु । न च निवृत्तिमात्रप्रतिमासेऽपि प्रवृत्तिसम्बवः । न ह्यधटो नास्तोत्येव घटार्थो प्रवत्तते, अपि तु घटोऽस्तीति ।

अघटस्यैव निवृत्तिरिति प्रतीतौ नायं दोष इति चेद, न, घट-
निवृत्त्यप्रतिक्षेपे नियमस्यैवापिद्वेः । तत्प्रतिक्षेपे तु कस्ततोऽन्यो
विधिः १ नियेधप्रतिज्ञेष्वस्यैव विधित्वात् । निवृत्तेरपरिस्फुरणे गां
वघानेति देशितोऽश्वमपि वज्ञीयादिति चेत्, न, भवेदप्येवं

क्योंकि घट आहनेकाला डयकि “यह अघट नहीं है” यह समझकर
उसे लेनेको प्रवृत्त नहीं होता है, किन्तु “यह घट है” यही समझकर
प्रवृत्त होता है ।

(पूर्वपक्ष) यदि हम जिस किसीकी निवृत्तिकी प्रतीतिसे घटमे
प्रवृत्तिका होना मानते, तब दोष होता । किन्तु हम तो अघटमात्रकी
अर्थात् जितने भी घटभिन्न हैं, सबकी निवृत्तिका ज्ञान होनेपर ही
घटमें प्रवृत्तिका होना मानते हैं । अत घटप्रवृत्तिमें कोई वाधा
नहीं है ।

(उत्तरपक्ष) यह समाधान भी ठीक नहीं है । क्योंकि अघटमात्रकी
निवृत्तिकी प्रतीतिमें घटनिवृत्तिकी निवृत्ति प्रतीत होती है या नहीं ? यदि
कहो कि ‘नहीं’ तो उक्त नियम ही असिद्ध हो जाता है । क्योंकि घट-
निवृत्ति भी अघटमात्रके अन्तर्गत आ जाती है । यदि कहो कि—
अघटमात्रकी निवृत्तिमें घटनिवृत्तिकी भी निवृत्ति प्रतीत होती है—तब
तो इसके अतिरिक्त घटत्वकी विधि भी क्या है ? क्योंकि नियेधका
नियेध ही तो विधि बहा जाता है । इस प्रकार घटप्रतीतिमें घटत्वकी
विधि ही भासित हुई सिद्ध होती है, न कि अघटकी निवृत्ति ।

(शङ्खा) गोपदसे यदि अन्यनिवृत्तिका भान न हो तो “गौको
बांधो” इस आदेशपर कोई अवक्षो भी बांध दे ।

(उत्तर) ऐसा तब होता, यदि अरव भी गौ होता । किन्तु गौ
गौ है और अरव अरव ही है । अन्यथा तुम्हारी निवृत्तिको भी विश्व-
सनीय कैसे माना जाय । अर्थात् तुम्हारे मतानुसार गोपदका अर्थ
है “अगो की निवृत्ति” और अधपदका अर्थ है “अनश्वसी निवृत्ति” ।

यद्यश्वोऽपि गौः स्यात्, मिन्तु गौमोरथोऽथ हति । अन्यथा निवृत्तापि कुतस्ते समाधाम इति । निवृत्यन्तराच्चेदनवस्था । निर्भयनिवृत्तितदधिकरणानां स्वरूपमाङ्कये प्रवृत्तिमंकरः स्यात् । सरूपभेदेनैव निष्प्रे विधिपात्रप्रतिभासेऽपि तथा किं न स्पत ?

स्वरूपभेद एवान्यापोदोऽन्यापोदस्वरूपत्वाद् पिधेरिति चेत्, न, अलीक्षपक्षे तद्भावात्, तस्य स्वरूपनिधावनलीरत्वप्रसङ्गात्,

यहाँ गोपदार्थमे जैवे अगो अर्थात् अश्वादिको निवृत्तिसूचित होती है, वैसे उस अगोनिवृत्तिरूप गोपदार्थमे अनश्वनिवृत्तिकी निवृत्तिसूचित होती है या नहीं ? यदि सूचित होती है, तो जैवे गोमे अगोकी निवृत्ति माननी पड़ती है, वैसे ही अगोनिवृत्तिमें भी निवृत्यन्तरकी निवृत्ति गाननी पड़ेगी । उस दूसरी निवृत्तिमें भी अन्योंकी तीसरी निवृत्त और उसम चाधो पोचवी आदि । इस प्रकार निवृत्तिमें भा अन्यरी निवृत्ति मानते हुए को अनवस्थादोष आ जायगा । क्योंकि आप हरेक वस्तुका रवताप्रजातिका न मानते हुए अन्यकी निवृत्तिरूपसे ही मानते जाते हैं ।

यदि निवृत्तिमें अन्यनिवृत्ति न सूचित होती है, तो इसका अर्थ है कि गो भले ही अश्वादिकी निवृत्तिरूप है, किन्तु गोगतनिवृत्ति अश्वादि-निवृत्तिरूप या उस निवृत्तिकी निवृत्तिरूप नहीं है । ऐसी स्थितिमें गोगतनिवृत्ति अश्व आदि निर्भयरूप हो जायगी और गोत्व आपके मतसे “वृत्तिरूप हैं ही । अन्तत गौ, निवृत्ति और अश्व इन सबोंने एक ही ११८१ ब१ जानेसे गोशब्द सुननेवर अश्वमें प्रवृत्त अपशय होने लगेगी ।

यदि एहो दि—निवृत्ति तो रवरूपने ही (अपने आप) विलक्षण स्थर रथाली है, तात —समें अन्य निवृत्तिका स्फुरण नहीं होता, इसलिए अनपस्था आदि पूर्णेक दोष नहीं हो सकते—तो मेरा गोत्व भी रवत एव अन्योंसे विलक्षण है । इतने से ही गोशब्दके सुननेवर अश्वादिमें भृत्ति नहीं हो सकती । मिर आपश्यकना क्या है कि गोपदसे अन्योंमें भृत्ति रोकनेवे लिए गोत्वको अन्योंकी निवृत्तिरूप ही माना जाय ।

(शास) स्वरूपविशेषात्मक वस्तु हो अन्यज्यावृत्ति (अन्यही

स्वतंक्षणस्य च विकल्पानारोहात् । अयि च गां वधानेति देशितो
गति प्रवृत्तो नाश्वे, तदप्रतीतेः । यदा त्वं गुप्तलाप्स्यते तदा
तत्र प्रवृत्त्युन्मुखोऽपि गोरभावं प्रतीत्यैव निवृत्सर्वतीति
किमनुपपन्नम् ॥

स्थादेतत्, न द्वानुभवमवधूय भवितुं क्षममिति को विधिस्फुर-
णमपहृताए, तदुपसर्जनीभूतस्तनिषेधोऽपि रफुरत्येव, अन्यथा

निवृत्ति) रूप है, क्योंकि भावस्तु अन्यसे व्यावृत्त होकर ही भासित
होती है । अन्यव्यावृत्ति तो निषेधात्मक होनेसे नि स्वरूप है । अतः
उस व्यावृत्तिमें पुन अन्यकी व्यावृत्ति नहीं है, रिन्तु वह स्वतः व्यावृत्त
है । इसलिए अनवस्थादोष भी नहीं आ भक्ता है ।

(उत्तर) अनवस्थाका यह समाधान ठीक नहीं है । क्योंकि उक्त
भावस्तुको अलीक (मिथ्या) मानो तो उसका कोई स्वरूप नहीं हो
सकता । यदि कोई स्वरूप हो तो फिर उसे अलीक मानना असंगत
होने लगेगा । यदि उसे रबलक्षण अर्थात् जातिविहीन एक व्यक्तिरूप
मानो तो वह तुम्हारे मतानुसार निविकल्पकशानका ही विषय होतेसे
सविकल्पकशानका विषय न हो सकेगा, जो सविकल्पक हमारे व्यव-
हारोंका प्रयोजक है ।

एवं, “गौ वाधो” यह आदेश पाकर गौमे ही कोई प्रवृत्त होता है,
न कि घोड़ेमे । क्योंकि उस वाक्यद्वारा घोड़ेकी प्रतोति ही नहीं होती है
तो उसमे प्रवृत्ति कैसे होगी ? इसलिए उक्त आदेशके बाद घोड़ेमें
प्रवृत्तिको रोकनेके लाल भी गोपदसे अन्यकी निवृत्तिका भान मानना
व्यर्थ है । उक्त आदेशादाक्य सुननेके बाद प्रवृत्तिके लिए तैयार होने-
पर भी यदि प्रत्यक्षसे वहाँ अश्य उपलब्ध हो जायगा तो गौका अभाव
जानकर ही निवृत्त हो जायगा । इसलिए मेरे सिद्धान्तमें कोई दोष
नहीं है ॥

शानश्रीसम्मत अपोहवादका खण्डन

(पूर्वपक्ष) अस्तु, अनुभवका अपलाप करके शाख नहीं चल सकता,
इसलिए विधिस्फुरमें गोत्वादिभानेको कौन अस्तीकार करेगा ? किर भी

विधेरवच्छेदकत्वालुपपत्तेः । न चान्यतो विशेष्यमन्यवर्तयतो
विशेषणत्वं नाम । न चान्यतो व्यावर्तनं व्यवच्छित्तिप्रत्याय-
नादन्यत् । ततो यथेन्दीवरपुण्डरीकादिशब्देभ्यो गुणीभूतनील-
घबलादिविधिशब्दरा प्रतीतिः, तदन्यव्यवच्छेदस्तु तद्गर्भार्भका-
यमाणः, तथा सर्वत्रेति चेत्, अस्तु तावदेवम्, विधिस्तु
स्फुरतोत्यत्र सम्प्रति ना निर्बन्धः । अन्यथाऽवच्छेद्यावच्छेदक-
योगप्रतीतेरवच्छित्तिरपि न स्पात, यथोत्पलादावेव नीलत्वाद्य-
प्रतीतौ ।

न च निषेध्यमस्पृशती प्रतीतिनिषेधं स्पर्द्धमर्हति, तस्य
तत्रिरूपणाधीननिरूपणत्वात्^१ ।

विधिकी प्रधानतामें अप्रधानरूपसे गवादिसे भिन्नका निषेध भी भासित
होता ही है । अन्यथा गोत्व भी गौका विशेषण नहीं हो सकेगा ।
क्योंकि जो विशेष्यको दूसरोंसे व्यावृत्त नहीं करता यह विशेषण ही
नहीं होता है । और अन्यव्यावृत्ति (निषेध) का भान कराना ही तो
दूसरोंसे व्यावृत्त करना है । इसलिये जिस प्रकार इन्दीधर और
पुण्ड्रीक आदि शब्दोंसे कमशः नील और घबल आदि विशेषणकी
प्रधानरूपसे प्रतीति होती है, तथा अन्यका निषेध तो उसके गर्भमें रिशुके
समान अप्रधानरूपसे भासित होता है, वैसे ही सब जगह प्रधानरूपसे
विधिका (गोत्यादिका) भान और अप्रधानरूपसे अन्यव्यावृत्तिका
भान होगा ।

(उत्तर) ऐसा भले ही हो, किन्तु किसी भी रूपमें विधि भासित
होती है, इसीमें सम्प्रति मेरा आपह है । अन्यथा विशेष्य-विशेषणकी
अप्रतीति होनेपर अन्यकी व्यावृत्ति भी न हो सकेगी । जैसे, कमलमें
ही नीलत्वकी प्रतीति न होनेपर रक्तादिकी व्यावृत्ति भी नहीं होती है ।

एव, निषेध्य दश्तुको सूचित किये धिना कोई भी प्रतीति निषेधको

१. तिढ्यागोलोखेन गोनिषेषात्मकस्तु च ।

तदा गोत्येव वक्तव्यो नत्रा य प्रतिविष्टते ॥

न च नियेधान्तरमेव नियेध्यमितरेतराथयप्रसङ्गात् । परान्-
पेवनिरूपणे तु विधी नायं दोष इति ।

भी नहीं बता सकती है। इसलिए नियेध्यरूपमें गोत्व-अश्वत्व आदि स्थिर जातियों अपोहवादीको भी माननी ही पड़ेंगी। क्योंकि नियेध्यके निरूपणके अधीन ही नियेधका निरूपण है। अर्थात् अगोव्यावृत्तिमें दो नियेध्य और दो नियेध भासित होते हैं। प्रथम नियेध आगे है, जिसमें गौका नियेध किये जानेसे गौ नियेध्य है। दूसरा नियेध आगोकी व्यावृत्ति है, जिसमें महिपादिरूप अगोका नियेध किये जानेसे महिपादि नियेध्य हैं। उक्त दोनों नियेध्योंमें यदि किसी एक गौका और किसी एक महिपका नियेध कहो तो अगोव्यावृत्तिर्धर्म गोमात्रका धर्म न होकर एकदेशी हो जायगा और गौके अतिरिक्त भी रहने लगेगा। क्योंकि अगोमात्रामें किसी एक गौसे भिन्न शैष गौओंको ले लेंगे और उसकी व्यावृत्ति सिर्फ उस एक गौमें परिनिष्ठित होगी, इस प्रकार अगोव्यावृत्ति गोमात्र व्यापी न होकर एक देशी हो जायगी। तथा (अगोकी) व्यावृत्तिभागमें भी अगोरूपसे किसी एक महिपको लेकर उसकी व्यावृत्ति दूसरी महिपमें आजानेसे अगोव्यावृत्तिर्धर्म गोवृत्ति न होकर गोसे अतिरिक्त महिपमें भी चला जायगा।

इन दोनों दोपासे बचनेके लिये एक-एककर सभी गौओंका और महिप-अश्व आदि सभी गवेतरोंका नियेध कहो तो असभव है। क्योंकि व्यक्तिगत रूपसे प्रत्येकका ज्ञान हजार जन्मोंमें भी नहीं हो सकता है। अतः तोत्वरूपसे गोजातियात्रका नियेध मानना होगा और महिपत्वादिरूपसे गवेतरमात्रका नियेध द्वितीयनियेध मानना होगा। इस प्रकार गोत्व-अश्वत्व आदि स्वसंन्त्र जाति माने बिना कोई गति नहीं है।

यदि कहो कि—अगोपदसे विधिरूप महिपत्व-अश्वत्व आदि धर्म नहीं भासित होता है, किन्तु गोव्यावृत्तिरूप नियेध ही भासित होता है। और उस नियेधका ही दूसरा नियेध अगोव्यावृत्ति है। तथा अगोमें भी नियेध्य जो गौ है, वह भी गोत्वरूप नहीं है किन्तु अगोकी व्यावृत्ति-रूप है। अतः अपोहवादीको उक्त दो नियेध्योंके रूपमें गोत्व अश्वत्वादि जातियों नहीं माननी पड़ेंगी। क्योंकि उक्त दोनों नियेध्य

ततः प्रतीताप्रितरेतराथयत्यमुक्त सकेते मञ्चार्य यत् परिहृतं
ज्ञानश्रिया, तदेतद् ग्राम्यजनधन्धीऽरण गोलकादिवत् स्थानान्तर-
मञ्चारात् ।

भी एक मिश्र निषेधरूप ही है—तो एसी दशामें अन्यो याश्रयदोष हो जायगा । क्योंकि अगोच्यावृत्तिस्वरूप गीका ज्ञान हानपर अगोका ज्ञान हा सकता है और गोच्यावृत्तिस्वरूप अगोका ज्ञान होनेपर आगो व्यावृत्तिस्वरूप गीका ज्ञान हो सकेगा । इस प्रकार दोनों निषेध्या को एक दूसरेके ज्ञानसी अपेक्षा होनसे अन्यो याश्रयदोष आ नाता है । मेरे मतमें तो गोत्व आदि धर्म स्वतन्त्र विधि (भाव) रूप है, न कि विसीवा निषेधरूप है । इसलिये भाव-स्तुके ज्ञानके लिये एक दूसरेबी अपेक्षा नहीं हानसे अन्यो याश्रयदोष नहीं आ सकता है ।

यद्यों ज्ञानके प्रति नैयायिकाओं ओरसे दिये गये अन्यो याश्रयदोषका नैयायिकोंके शब्द-सङ्केतवे उपर सख्तारित कर ज्ञानश्राने वक्त अन्यो याश्रयदोषका नो परिहार किया है वह प्राम्यनन (अज्ञजा) को टगनक समान है । जैसे, कोई एन्ट्रोज़ालिक हाथसी सफाईमें इधरसे अधर गुटिका करके घामीण प मर जनाको ठगा करता है ।

१ यही पाके प्रति शिय गय अन्यो याश्रयदोषको ज्ञानश्री इस प्रकारग पदसङ्कु म छवारित क हे और अपन उपर आये उस अ यो या' य दोषका परिहार करते हैं मात्रो नैयायिकरने अपन पर्छैतवे बार ही अ यो याश्रयदाय दिखाया हो ।

उनवा वषन यो है— बगो यातृत (गवेंग से निम) गोपदर्श वाच्य ॥” ऐस वाच्यस ही गोपदर्शी ज्ञतिका ज्ञान होगा और ग पदकी ज्ञतिका ज्ञान हो उ तभी उत वाच्यकी प्रवति होगा एमा अ यो याश्रयद ए यदि नैयायिक दिवावे तो इसके प्रति भी यह दाय हो सकता है । क्योंकि “उके उत नुवार गोत्वविशिष्ट यो ग पदवाच्य ॥” इस वाच्यम ही यापदकी ज्ञतिका ज्ञान होगा और गोपदर्शी ज्ञतिका ज्ञान हो उ तभी उत वाच्यकी प्रवृत्ति होगी । “म प्रवार नैयायिकमत भी उ यो याश्रयदोषम बचा नहीं है । अपने उपर अ यो याश्रयदोषको हटानेके लिये यह नैयायिक वह हि—उक

स्फुरतु विध्यलीकमिति चेत्, न, व्याघातात् । किञ्चिदिति विध्यर्थो न क्रिञ्चिदिति चालीकार्थः । अतदूपपरावृत्तिमात्रेणालीकन्ये सलवणस्याप्यलीकृतयप्रमङ्गात् । रूपमत्रपरावृत्तौ तु, कथं विधिर्नाम ?

धर्मोचरमतकी आशङ्का और उसका समाधान

(शंका) गोत्व-अशृत्य आदि धर्म विध्यात्मक हाते हुए अलीक (मिथ्या) रूपसे हमारे हानमे भासित होते हैं । यहाँ विधि होनेके कारण इनके हानके लिये अन्यस्ती अपेक्षा नहीं होनेसे अऽगोन्याशयदोप नहीं आ सकेगा, और अलीक होनेसे यह गोत्वादि अपनेसे अन्यकी व्यावृत्तिरूप भी रहेगा ।

(उत्तर) ऐसा नहीं हो सकता । क्योंकि वद्वोद्यावानदोप हो जायगा । कारण, विधिरूप होना और अलीक होना ये परस्पर विरुद्ध हैं । कुछ होना विधि कहाता है और कुछ नहीं होना अलीकका अर्थ है । अतः ये दोनों परस्पर विरोधी हैं । एवं, अतदूष्यावृत्ति (अन्यावृत्ति) मात्र होनेसे यदि गोत्वादि अलीक हो तो सुम्हारा अभिमत हपलश्वण (गोव्यक्ति) भी अलीक होने लगेगा क्योंकि यह भी अपनेसे अन्यस्ती व्यावृत्तिरूप ही है ।

यदि कहो कि—अन्यव्यावृत्तिरूप होनेपर भी गोव्यक्तिका अपना स्वरूप भी है, इसलिये गोव्यक्ति अलीक नहीं हो सकती है । मिन्तु

व्यवहारकी प्रवृत्तिके लिये भी वद्वी शक्तिका ज्ञान अपेक्षित नहीं है । क्योंकि प्रत्यक्षादिद्वारा उपस्थित गोपे ही ‘यह गोपदवाच्य है’ ऐसा व्यवहार होकर गोपद्वी शक्तिका ज्ञान हो सकता है—नो भी कह सकता है कि—प्रत्यक्षद्वारा उपस्थित अगोन्यावृत्तिमें ही “यह गोपदवाच्य है” ऐसा व्यवहार होकर गोपद्वी शक्तिका ज्ञान मेरे मतानुसार हो सकता है । अतः अन्योन्याशयदोषका मेरे मतमें भी अवकाश नहीं है ।

यही ज्ञानशीका अन्यगतदोषका अन्यमें सञ्चार करना है, और ज्ञानशीके अपन वक्तमें जाए अन्योन्याशयदोषका परिदृश्य करना है, जिसके मुल वैष्ण कई भज जन गी-आ मरता है । अर्थात् ज्ञानशीके इस समाजमें अन्याशयदोषका वास्तविक परिदृश्य नहीं होता है ।

पितृंशस्यारोपितत्त्वादयमदोप इति चेन्, न, स्वलक्षण-
विधेभिंकल्पासंस्पर्शात्, सामान्यविधेरनुपगमात्, परिशेपाद-
लीकपिधीं विरोधस्यैव स्थितेः ।

मेदाग्रहाद् पिधिव्यवहारमात्रमिति चेत्, सम्भवेदप्ये-
तद् १ यदि स्वलक्षणमपि विधित्तमपहाय स्फुरेत्, यदि
चालीकमपि निषेधरूपतां परिहत्य प्रकाशेत, न चैवम् ।

गोत्व सो स्पर्य भी नि स्वरूप होनेसे अलीक है—तब वह गोत्व विधि
हैसे है १ क्योंकि जो अलीक होगा वह विधि नहीं हो सकता और जो
विधि होगा, वह अलीक नहीं हो सकता है ।

यदि कहो कि—गोत्व अथवादिधर्म घरतुत अलीक हैं और उनमें
विधित्व आरोपित है । इस प्रकार अलीक होते हुए विधि होनेमें कोई
विरोध नहीं है—तो यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि उस अलीक
गोत्वादिमें स्वलक्षणात्मक (व्यक्तिस्वरूप) विधिका आरोप है १ या
सामान्यात्मक (जातिस्वरूप) विधिका आरोप है १ इनमें प्रथम पक्ष
चालीक नहीं है । क्योंकि आरोप सविकल्पकज्ञानरूप होता है, इसलिये
स्वलक्षणात्मक विधि उसका विषय नहीं हो सकता है । कारण, आपके
मतानुसर निविकल्पक ज्ञानका ही विषय स्वलक्षण होता है । दूसरा
पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि आप सामान्यात्मक विधि मानते ही
नहीं है । इस प्रकार आरोप न हो सकनेसे घरतुत अलीक को विधि भी
वास्तविक ही मानना पड़ेगा और तभ एक ही को अलीक और विधि
दोनों माननेमें पूर्वोक्त विरोध उत्तोका त्यों रह जाता है ।

यदि कहो कि—अलीकमें विधिस्वरूपका आरोप नहीं है किन्तु
परस्तर भेदकी अप्रतीति होनेसे विधिका केवल व्यवहार होता है—तो
यह उभी होता यदि स्वलक्षण भी अपने विधिरूपको छोड़कर भासित
होता और अलीक भी अपने निषेधरूपको छोड़कर प्रसारित होता, किन्तु
ऐसा ही नहीं । एव, स्वलक्षणात्मक विधि और अलीक दोनों ही के
निर्धमेक होनेसे किसी अन्य साधारणघमेको लेकर भी अभिन्न व्यवहार

१ भवेदेवमिति पाठः शद्गुरुमित्रमुमर, उभवेदप्येशमिति पाठो भगीरथ-
व्यक्तुरसम्भवः ।

उभयोरपि निरंशतया प्रकारान्तरसुपादागप्रथनात्, अप्रथ-
मानरूपासम्भवाच । १काल्पनिकस्यांशाशिभावस्यात् एव
मूल एव निहितः कुठारः ।

साधारणं च रूपं विकल्पगोचरः, न अलीकं तथा भवि-
तुर्महति । तस्य हि देशकालानुगमो न स्वाभाविकः,^२ तुच्छ-
त्वात् । न काल्पनिकः, तस्याः क्षणिकत्वात् । नारोपितः,^३
अन्यत्राप्यप्रसिद्धेः ।

नहीं हो सकता । साथ ही किसी अज्ञात धर्मसे भी दोनोंका अभे^४ नृव-
हार संभव नहीं है । चूँकि तुम्हारे मतमें सभी पदार्थ सामान्यरहित
होनेसे सदैव भिन्न भिन्न रूपमें ही भासित होते रहते हैं, इसलिये
काल्पनिक धर्मधर्मिभावका मूल जो भेदाप्रतीति है, उसीमें ही कुठार पड़
गया । अर्थात् जब भेदको अप्रतीति ही असंभव है, तब किसी काल्प-
निक सामान्यधर्मके आधारपर भी अलीकमें विधिका व्यवहार नहीं
हो सकता ।

एवं, गोत्वादि साधारणरूप ही सविकल्पक ज्ञानका विषय होता है ।
अलीक तो यैसा नहीं हो सकता है । कारण, जैसा कि साधारणरूपका
भिन्न-भिन्न देश (व्यक्ति) और कालमें अनुगम होता है, अलीकमें वह
देशकालानुगम स्वाभाविक नहीं हो सकता, क्योंकि वह तुच्छ (मिथ्या)
है । अलीकका देशकालानुगम काल्पनिक भी नहीं हो सकता । क्योंकि
कल्पना तो स्वर्य ही क्षणिक है, इसलिये उसके द्वारा भिन्न-भिन्न देश
और कालमें अनुगम असंभव है ।

यदि कही कि—गोत्वादिके स्वभावतः अलीक और अनुगम होने
पर भी अन्यत्र देखा गया देशकालानुगम उस अलीकमें आरोपित है—तो
यह भी नहीं हो सकता । क्योंकि तुम्हारे मतानुसार अन्यत्र भी देशकाला-
नुगम अप्रसिद्ध है और कहीं प्रसिद्धका ही आरोप भी होता है ।

१ काल्पनिकस्यापीति भगीरथकुरुसमवतः पाठः ।

२ : चेक इति शक्तरपित्रभगीरथवकुरुसमवतः ।

४ भेदागहादेकत्वमाप्रमनुसन्धीयत इति चेत्, न, भारिकस्य
भेदस्याभावात्, भावे वा कालपनिकत्वस्य व्यावातात् । पर-
मार्थसितः परमार्थभेदपर्यवसान्त्वात् । आरोपितस्य ग्रहा-
नुपपत्त, अभेदारोपानवकाशाच्च । आरोपितासन्वस्य परमार्थ-
सन्वप्त्यसङ्गात् चतु षोटिनिर्मुक्तस्य चातिप्रसङ्गकत्वात्, तदग्र-
हस्य त्रैलोक्येऽपि सुलभत्वात् ।

यदि कहो कि— सधिरूपक व्यक्ति का विषय जो अलीक व्यक्ति, उनमें
परस्पर भेदका ज्ञान नहीं होनेसे एकत्वमात्र की प्रतीति होती है । इस-
लिये 'गौ गौ' ऐसे अनुग्रह भावके लिये कोई गोत्वादिसामान्य मानना
आवश्यक, नहीं है—वा ऐसा नहीं कह सकते हो । क्योंकि उन
अलीक व्यक्तियोंमें व स्तविक भेद नहीं है । यदि उनके भेद वास्तविक
होवें तो उनका स्वय अलाक होना व्याहत होगा । अर्थात् जो स्वय
अलीक है, उनका भेद कभी वास्तविक हो नहीं सकता ।

यदि कहो कि— अलीकगत भेद वास्तविक नहीं है कि तु अलीकमें
भेदकी असत्तो ही वास्तविक है—तो अलीक कही जानेवाली उन
व्यक्तियोंग वास्तविक अभेद पथन्तरित हो जायगा और वह उन
व्यक्तियोंम पक सामा यस्तता (जाति) का ही साधक होगा ।

याद अलाकाम परस्पर आरोपित भे. हो तो उस भेदका अपह नहीं
उन सकता, कि प्रह ही आरोप है । ऐसा स्थितिमें भेदके अप्रहके
कारण आपन ना व्यक्तियोंमें एकत्व (अभेद) का प्रतीत होना बताया
या, उस भी यदों अपसर नहीं मिठ सकता है ।

यदि कहो कि— विभिन्न व्यक्तियोंमें भेदकी असत्तावा आरोप हो
जानसे उनमें अभेद प्रतीत होने लगता है—तो जब भेदकी असत्ता
आरोपित है, तब सुनरा भेदकी सत्ता पारमार्थिक (वास्तविक) हो-
जायगी, और जिनके भेद वास्तविक होंगे, वे व्यक्ति भी वास्तविक ही
हो जायेंगे, आपके मवानुसार अलीक नहीं हो सकते ।

यदि कहो कि— न भेद वास्तविक है—और न उसकी असत्ता ही—
वास्तविक है, एव भेद न आरोपित ही है और न उसकी असत्ता ही

क्षणभृत्यवादः ११२ ग्रन्थ ११०

अन्यत्र पारमार्थिकमेदप्रतीतौ कथमेद आरोपताभिति
चेत्, एतत्वहि यस्य प्रतिभासे यत्तारोप्यते, नियमेन तस्यैगा-
प्रकाशे तदारोप्यम्, न तु तत्त्वामकपात्रस्य, अतिप्रसङ्गरूपात्।
अत एव न व्यधिकरणस्यापि सर्वोऽसतो वा भेदस्याग्रहोऽ-
भेदागोपोपयोगीति ।

आरोपित है। किन्तु इन चारोंमार्गोंसे अतिरिक्त किसी अलीक भेद-
के ही अप्रहसे इत्यक्तियोंमें एकाकारता प्रतीत होती है—वा इन प्रकार-
के सर्वतोभावेन अज्ञात भेदका अप्रह तो वैश्लेष्यमात्रमें सुन्दर होनेमें
सारे संसारमें एकाकारता की प्रतीति होने लगेगी।

यदि कहो कि—अलीक भेदका अप्रह व्यापि सर्वत्र सुलभ है,
तथापि उन उन वस्तुओंमें पारमार्थिक भेदप्रहसे प्रतिशब्द हा जानेके
कारण सर्वत्र अभेदारोप (एकाकारता-प्रतीति) की आपत्ति नहीं हो
सकती है—तो ऐसी विवितमें जिसका 'भान होनेमर जिसका आरोप
नहीं हो सकता, नियमतः उसीकी अभानावस्थामें उसका आरोप संभव
है,' न कि उसके नामधारीमात्र किसी काल्पनिकका अभानावस्थामें
भी। अर्थात् जर अभेदारोपके प्रति पारमार्थिक भेदप्रहको प्रतिशब्दक
मानना आवश्यक है, तब अलीक भेदाप्रहसे अभेदारोप माननेमें
कोई प्रमाण नहीं है। औरोप सम्बन्धी उक्त नियम न माना जाय तो
अतिप्रसङ्गदोष हो जायगा। अर्थात् जिस किसीके भेदका अप्रह
सर्वत्र सुन्दर होनेसे सर्वत्र ही अभेदारोप होने लगेगा।

एवं अतिव्याप्तिदोषके कारण ही सन् या, असत् अन्यगतभेदका
अप्रह, भी कहीं अभेदारोप होनेमें उपयोगी नहीं हो सकता। अर्थात्
अन्यगत भेदाप्रहसे अन्यत्र अभेदारोप माना जाय तो सर्वत्र अभेदारोपकी
आपत्ति हो जायेगी। इस प्रकार घटपदके वृत्तविक भेदका अप्रह
होनेसे तथा अलीक शराश्ट्रज्ञ और कूर्मरोपके अवस्थविक भेदका अप्रह
होनेसे भी गौ अथ आदि उदासीन अविकाशामें अभेदारोप

नापि न्यायादन्यापोहसिद्धिः, तदमावात् । यद् भावा-
मावसाधारणं^१ तदन्यव्यावृत्तिनिष्ठम्, यथाऽमूर्तत्वम्; यच्चा-
स्यन्तविलक्षणानां सालक्षण्यव्यवहारहेतुस्तदन्यव्यावृत्तिरूपम्
इति न्यायौ स्त इति चेत्, न, कालात्ययापदेशात् । न हि
प्रथमानस्य निष्ठा^२ न्यायसाध्या नाम । प्रथनशरीर तु
चिन्तितमेवेति निष्फलः प्रयास ।

न्याय (अनुमान) द्वारा भी अन्यापोह (अतद्व्यावृत्त) को सिद्धि
नहीं हो सकती है, क्योंकि वैसे अनुमानका अभाव है ।

यदि कहो कि— जो भाव-अभावसाधारण होता है, वह अन्यकी
व्यावृत्तिस्वरूप होता है, जैसे अमूर्तत्व । अर्थात् अमूर्तत्वधर्म अभावमें
वथा आकाश आदि भावमें भी रहता हुआ भावाभावसाधारण होनेसे
मूर्तकी व्यावृत्तिस्वरूप है । येसे ही गोत्व भी गोके भाव (सत्ता) में रहता
है तथा गोका अभाव हो जानेपर भी रहता है, इस प्रकार भावाभाव-
साधारण होनेके कारण गोत्व भी अन्यव्यावृत्तिस्वरूप ही होगा । एव
जो अत्यन्त विलक्षणमें भी समानताव्यवहारका हेतु है, वह अन्य-
व्यावृत्तिस्वरूप होता है, जैसे वही अमूर्तत्व । अर्थात् काल आकाशादि
कई परस्पर विलक्षण पदार्थोंको अमूर्तत्वधर्म समानरूपमें विदित कराता
है, इसलिये अमूर्तत्वधर्म मूर्तकी व्यावृत्तिस्वरूप है । गोत्व भी
परस्पर विलक्षण नाना गौओंमें समानताव्यवहारका हेतु है, इसलिये
गोत्व अन्यव्यावृत्तिस्वरूप है । ये दो अनुमान अन्यापोहके साथक हैं—
तो यह नहीं कह सकते । क्योंकि ये अनुमान वाधित हैं । कारण,
प्रत्यक्षवरतुका स्वरूपनिर्णय अनुमानद्वारा नहीं होता । प्रत्यक्षके
सम्बन्धमें तो विचार किया जा चुका है कि गोत्व आदिका साक्षात्कार
विघिरूपमें ही होता है न कि निषेध (अतद्व्यावृत्त) रूपमें ।
इसलिये अनुमानद्वारा आएका अन्यापोहसाधनका प्रयास गिरफ्त
है । क्योंकि जब जलमें अनुष्टुतधर्म थास्तविक है और उसका

१ अभावाभावसाधारणमस्तित्वस्तित्वप्रायविष्टव्याप्तव्याप्तव्यनाशानाशयोऽप्य-
नाशित्वमिति शब्दरूपमिति ।

२ निष्ठा-स्वरूपम्

यदा चानलीक एवं ध्रुवं न्यायस्यानुभवाभासः, तदा कैवल्यादलीके । न हि तस्याप्रतीयमानमपि किञ्चिदस्ति, यन्न्यायेन साध्यमित्युक्तम् ।

किञ्चेद भावाभावसाधारण्यं न तावदुभयरूपत्वं, विरोधात् । न तद्वर्मित्यमनभ्युपगमात् । नहि गोत्वमभावस्यापि धर्म इत्यभ्युपगम्यते । न तद्वर्मित्यमनैकान्तात् । व्यक्तिरपि भावाभावधर्मशालिनी न निषेधैकरूपेति ।

न तदुभयसादृश्य^१मसम्भवात् । अतनिवृत्यैव तथात्वे साध्याविशेषात् ।

अग्निमें साधन करनेवाला अनुमान निश्चिदरूपसे आभास होता है, तो जो अग्न्यायृत्ति स्वरूपत अलीक (मिथ्याभूत) है, उसे सिद्ध करने वाले आपके अनुमानके आभास होनेमें क्या कहना है ? और उस अलीकका कोई ऐसा स्वरूप नहीं है, जो प्रत्यक्षद्वारा प्रतीयमान न होता हुआ भी वास्तविक हो तथा जिसे अनुमानसे सिद्ध किया का सके । यह बात पहले कही जा चुकी है ।

एवं गोत्वादिके भावाभावसाधारण होनेका क्या अभिप्राय है ? भाव—अभाव उभयस्वरूप होना अभिप्राय नहीं हो सकता है । क्योंकि भाव—अभावके परस्परविरोधी होनेके कारण कोई वस्तु उभयरूप नहीं हो सकती है । भाव-अभावका धर्म है गोत्वादि, यह अभिप्राय नहीं हो सकता । क्योंकि गोत्व भावका धर्म होनेपर भी अभावका धर्म नहीं माना जाता है । भाव-अभावका धर्मी होना भी अभिप्राय नहीं हो सकता । क्योंकि आपका अनुमान व्यभिचारी हो जायगा । कारण, व्यक्ति भी भाव अभावका धर्मी है किर भी वह आपके मतमें भी केवल निषेध (अन्यज्यायृत्ति) रूप नहीं है । इस प्रकार हेतुके रहनेपर भी साध्य नहीं होनेसे व्यभिचार हो गया ।

गोत्वका भावाभावके सदृश होना भी भावाभावस धारण्य नहीं है,

१ सादृश्य = सादृश्यस्वरूपत्वम् । असंभवात् = अभावायृतिवेन समावृत्तम् ।

नाप्यस्तिनास्तिसामानाधिकरणं, विरोधात् अन्यथा-

क्योंकि भाव और अभाव दोनोंका सादृश्य गोत्वमें असमव है । यदि अतदृढ़ग्रावृत्तिरूप होनेसे गोत्वमें अभावका भी सादृश्य समव ही है तो प्रिय साध्य और हेतुमें कोई विशेषता नहीं होनेसे अनुमान ही नहीं हो सकता है । अर्थात् गोत्वको अतदृढ़ग्रावृत्तिस्वरूप सिद्ध करनेके लिये दिया गया जो भावाभावसादृश्यरूप हेतु है, उसमें अतदृढ़ग्रावृत्ति गमित है । ऐसी स्थितिमें अतदृढ़ग्रावृत्ति सिद्ध करनेके लिये अतदृढ़ग्रावृत्ति ही हेतु किसे बन सकती है ?

अथवा यहोंके पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षका यह अभिप्राय है—“भाव-अभाव उभयका सादृश्य” रूप होना ही गोत्वमें भावाभावसाधारण्य है । यह नहीं वह सकते । क्योंकि सादृश्य उभयगत धर्म होता है । जैसे चन्द्र और मुखका सादृश्य चन्द्ररूप प्रतियोगी और मुखरूप-अनुयोगी दोनों हीमें रहता है । गोत्व भाव और अभाव दोनोंका सादृश्यरूप तत्त्व होता, यदि वह भावरूप प्रतियोगी और अभावरूप अनुयोगी दोनों ही में रहता । गोत्व तो भावमात्रमें हो रहता है, इसलिये उभयनिव नहीं होने से वह उभयसादृश्यरूप नहीं हो सकता है ।

यदि कहा रिः—गोत्वका उभयसादृश्यरूप होना असमव तत्त्व होता यदि वह भावपदार्थ होता । किन्तु ऐसी बात नहीं है । वह तो गोत्व से अच्य जो महिपादि उसकी व्यावृत्तिस्वरूप है । और यह महिपादि व्यावृत्ति जैसे गणादिस्वरूपमें है, वैसे ही स्वरूपहीन अभावमें भी है ।

के अभाव महिप थोड़े ही है ? इस प्रकार गोत्वको भावाभाव

माननेमें कोई असभावनादोष नहीं है—तो—ऐसा इन पर हेतु और साध्यमें कोई विशेषता नहीं रह जाती है । क्योंकि अतदृढ़ग्रावृत्तिस्वरूप होनेसे गोत्व भाव अभाव उभयसादृश्यरूप होकर भावाभाव उभयका साधारण धर्म बनेगा और तत्र उसे (गोत्व का) अतदृढ़ग्रावृत्तिस्वरूप सिद्ध किया जा सकेगा । ऐसी स्थितिमें साधन (हेतु) का साध्यसे कोई अन्तर नहीं रहनेसे उक्त अनुमान नहीं हो सकेगा ।

यह भी नहीं कह सकते कि—गोत्वका “अस्तिनास्ति” प्रतीकिका

सिद्धेश । न हि यदस्ति तदेव नास्तीति प्रत्ययगोचरः स्यात् । प्रकारान्तरमाध्यात्मके स्थाने चेत्, एवं तर्हि तमेव प्रकारभेद-मुपादान विधिव्यवस्थायां को विरोधो यैत ग्रन्थः सिद्धेन् ।

तस्य विधिरूपतायामस्ति नाम^१ किमधिकमुपनेयमिति चेत्, निषेधरूपत्वेऽपि नास्ति नाम किमधिकमुपनेयमिति

विषय होना ही भाव अभाव उभयसाधारण होना है—क्योंकि विरोध होग, और अन्यथासिद्धि भी । विरोध इसलिये कि जो वस्तु “अस्ति” प्रतीतिका विषय होगी, वही “नास्ति” प्रतीतिका विषय नहीं हो सकेगी । अन्यथासिद्धि इसलिये कि यदि प्रकारान्तरका आश्रयण कर वही वस्तु “अस्ति नास्ति” उभयप्रतीतिका विषय हो सकती है । अर्थात् गौरुप शाश्वतका नाश होनेपर योत्व “नास्ति” प्रतीतिका विषय हा सकता है और उस आश्वतकी अनाशावस्थामे “गोत्व” अस्ति प्रतीतिका विषय हो सकता है—तो इस प्रकारसे गोत्वको विधिरूप माननेमें ही क्या विरोध है, कि आपकी उक्त व्याप्ति सिद्ध हो और उद्दनुसार गोत्व अगोपोह (अगोच्छावृति या अगोनिषेध) हूँ माना जाय ।

यदि कहो कि—गोत्व यदि विधिरूप हो तो “गोत्वम् अस्ति यद्यो विधिवाचक अस्तिशब्दके उच्चारणमे पुनरुक्तिदोष हो जायगा तथा गोत्वके साथ, नास्तिशब्दके उच्चारणम विधि निषेधका परस्पर विरोध भी हो जायगा—तो मैं भी कह सकता हूँ कि गोत्व यदि अन्यका निषेध हूँ हो तो “गोत्व नास्ति” यद्यो नास्तिशब्दके उच्चारणमे भी पुनरुक्तिदोष हो जायगा और निषेधस्त्रहूपके साथ अस्ति शब्दके उच्चारणमे निषेध और विधिका परस्पर विरोध भी हो जायगा ।

यदि कहो कि—विधि या निषेध किसी एक स्वरूप माननेमें हो उक्त विरोध और पुनरुक्तिदोष हो ई, इसोलिने वा गोत्वादिधर्म को उभयसाधारण मानना चाहिये—यापि उभयसाधारणका अर्थ यहि उभयस्वरूप रखो रो भी असम्भव है । क्योंकि कोई भी पदार्थ परस्पर

^१ अस्तित्वा विमिति रघुनाथगिरोमणिसम्मते पाठ ।

^२ नास्तित्वा विमिति रघुनाथगिरोमणिसम्मते पाठ ।

समानम् । अतएव साधारण्यमिति चेन्, तथापि किं तदुभया-
त्मकत्वमुभयपरीहारो वेत्यशक्यमेतत् ।

तस्मादस्तिनास्तिभ्यामुपाध्यन्तरो^१पसम्प्राप्तिः प्राप्तोपा-
धिनियमो वेति साथेकत्वं तयोः । तदेतद् विधावपि तुल्यम् ।
शान्ताशेषविशेषत्वादलीकपत्रे व्योपाध्यन्तरविधिस्तन्नियमो^२
वेति विशेषदोषः ।

ततो गोशब्दो गोत्वविशिष्टव्यक्तिमात्राभिधायी पर्यव-
सितः । तास्तु विप्रकीर्णदेशकालतया नार्थक्रियार्थिप्रार्थना-
मनुभवितुमीशत इति प्रतिपत्ता विशेषपाकाङ्क्षः । सा च

विरोधीस्वरूप नहीं हो सकता । उभयसाधारणसे यदि उभयका परिहार
(निषेध) अर्थे लो तो भी वही असंभव दोष है । क्योंकि भावके
निषेधमें अभावहरूरूपता और अभावके निषेधमें मावस्वरूपता आ-
जानेसे फिर वही विरोधी स्वरूपता प्राप्त हो जाती है, जो असंभव है ।

इसलिये “अस्ति” पद देशविशेषमें वर्तमानत्वको उपस्थित करता
हुआ और “नास्ति” पद देशविशेषमें वर्तमानत्वका निषेध बोधित
करता हुआ सार्थक होता है । यह बात गोत्वको विधिरूप माननेमें भी
हो जायगी । बल्कि तुम्हारे अलीकपक्षमें ही, जहाँकि सम्पूर्ण विशेषों
(देशविशेष और कालविशेष) का आत्यन्तिक अभाव है, अस्तिपदके
योगसे किस देशविशेषमें वर्तमानत्व सूचित होगा और नास्तिपदके
योगसे किस देशविशेषमें वर्तमानत्वका निषेध बोधित होगा ? यह
विशेष दोष हो जाता है ।

इसलिये गोशब्द गोत्वविशिष्ट सम्पूर्ण गोव्यक्तियोंका अभिधान करता
है । और वे गोव्यक्तियां विभज्ञ देश और कालमें विद्यरी हुई होनेसे
दोहन आदि प्रयोजन चाहनेवाले व्यक्तिकी प्रवृत्तिका विषय नहीं यन-

^१ उपाध्यन्तरम् = देशात्मनेशनावरूपम् । उपाध्याप्तो प्राप्तं प्राप्तो तु
नियमनमिति रपुनाप ।

^२ उत्तिनिषेध इति वशवित् पा ॥

तस्याकाङ्क्षा 'अस्ति गोष्ठे कालाक्षी वेनुर्घटोङ्गी महावणा
नन्दिनी' त्यादिभिर्नियामकैर्विधायकैर्वा निवार्यत' इति विधौ
न कथिद् दोपः ।

गोत्वविशिष्टसदसदव्यक्तिमात्र प्रतीतेस्तदेव तस्यादिपद्ग्र-
योगवैकल्पमिति चेत्, तायन्मात्रप्रतिपत्त्यर्थमेव तत् । अनेक-
प्रतिपत्त्यर्थन्तु तदुपयोगः, तस्य प्रागप्रतीतेरित्युक्तम् ।

यस्तु निपुणमप्न्यो विकल्पमेव पक्ष्यति स्म—यज्ञानं
यद्ब्राह्माभावसाधारणप्रतिभासं, न तेन तस्य विपयत्वम्,

सर्वती । अत यह व्यक्ति दोहनादि प्रयोजनके निमित्त विशेष गौकी
आकाङ्क्षा करता है । और उसकी वह आकाङ्क्षा "घोठे (गोशाला)
में काढ़ी आयगाली, घटके समान थनवाली तथा वडा घण्टावाली
नन्दिनी नामकी वेनु है" इन नियामक या विधायक विशेषणोंसे निवृत्त
होती है । इस प्रकार विधिपक्षमे कोई दोप नहीं है ।

यदि कहो कि—गोशब्द ही गोत्वसे युक्त सत् या असत् गोव्यक्ति-
भावकी प्रतीति कराता है । इसलिये फिर वही अस्ति-नास्तिपदोंके
प्रयोगकी निष्कलता आ जाती है—तो यह कहा जा चुका है कि अभिन्न
रूपसे सम्पूर्ण गोव्यक्तिको धत्तानेवाला गोशब्द है और भिन्न भिन्न
रूपमे गोव्यक्तियोंको धत्तानेके लिये अस्ति आदि विशेषणपदोंका
उपयोग है । क्योंकि विशेषणपदोंके प्रयोगके पूर्व गोव्यक्तियोंकी
विभिन्नताकी प्रतीति नहीं होती ।

ज्ञानश्रीसम्मत विकल्पपक्षक वनुमतका खंडन

(पूर्वपक्ष) जो तो अपनेको नियुण मानता हुआ सविकल्पक हासको ही
पक्ष बनाता है । क्योंकि गोत्वको पक्ष धनाकर उसमें अन्यज्यावृत्तिरूपता
सिद्ध करनेपर वाध या आश्रयासिद्धि दोष हो जाता है । कारण, विधि-
रूपसे प्रतीयमान गोत्व पक्ष बने तो वाध होगा, क्योंकि उसमें अन्यज्या-
वृत्तिरूपता वाधित है । यदि अतदृढ़यावृत्तिरूपगोत्व पक्ष बने तो नैयायिक

यथा गोज्ञानस्याश्वेनेत्यादि । तद्यदि गोपिकल्पस्याश्वाविष्य-
यत्तमेव तद्भानाभावसाधारण्य गव्यपि वाद्ये तया, ततः
साध्याविशिष्टत्वम् ।

अथास्त्यादिपिशेषाकाङ्क्षा, तदाऽसाधारण्यम् । न हुदा-
हतो गोपिकल्पोऽर्ज्ञास्त्यादिपिशेषमाकाङ्क्षति । नियम-
की हृषिसे आश्रयासिद्धिदोष होगा, क्योंकि नैयायिक गोत्वको अतदु-
ष्टीवृत्तिरूप नहीं मानता है । इन्हीं दोषोंसे बचनेके लिये जो कोई
(ज्ञानश्री प्रभूति) गोत्वको पक्ष न बनाकर सविकल्पक ज्ञानको ही
पक्ष बनाता है ।

जैसे—जो ज्ञान, जिस वस्तुके भाव और अभाव दोनों ही दर्शाओंमें
होता हुआ भासित होता है, उस ज्ञानका यह वस्तु विषय नहीं बनती
है । जैसे, गोज्ञान अथवे होने या न होने दोनों ही अवस्थाओंमें होता
है तथा अथ उसका विषय नहीं बनता । वैसे ही, गोज्ञान गोप्यकिंकरे
भी भाव और अभाव उभय दर्शामें होता हुआ अनुभवमें आता है,
इसलिये गोज्ञानका वाद्य गो भी विषय नहीं बनती है ।

(उत्तरपक्ष) वो यहा उत्तरभूत गोज्ञानके अश्वभावाभावसाधारण्य
का अभिप्राय यदि गोज्ञानका अश्वको अपना विषय न बनाना ही हो तो
दार्थीतपक्षमें भी गोज्ञानमें वाद्यपदार्थ गोके भावभावसाधारण्यका भी
यही अभिप्राय होगा कि वाद्य गो गोज्ञानका विषय नहीं बनती है । ऐसी
स्थितिमें साध्य और साधन एक ही हो जाता है । अत सविकल्पक
ज्ञानको पक्ष बनाकर किया हुआ अनुमान भी नहीं है सकता है ।
अर्थात्—गोज्ञान वाद्यगोपियक नहीं है, क्योंकि यह वाद्यगोप्याभाव-
साधारण है, [अर्थात् वाद्यगोपियक नहीं] है यहा जो ही साध्य है,
वही साधन (हेतु) रूपमें उपस्थित किया गया है । इस प्रकार साध्य
सम्भोप होनेसे एक अनुमान जहीं हो सकता है ।

यदि फहो कि—विकल्पके भावभावसाधारण होनेका अर्थ है, उस
यस्तुमें अस्तित्व नास्तित्व, आदि विशेष प्रकारकी आकाशा उठाना ।
अर्थात् “जिस ज्ञानेर होनेपर जिस यस्तुमें है, या-नहीं है, इस प्रकार
की विशेष आकाशा उठती है, यह यस्तु उस ज्ञानका विषय नहीं होवी

विधौ तु विरोध एव । —न हत्येविषयस्य तद्विशेषनियमम्—
काक्षान् नाम, गोज्ञानस्यापि विशेषनियमाकाक्षाप्रसङ्गात् । ,
तदीयसदसत्त्वानुपर्दर्शनं चेत्, तदेयदि स्वरूपमेव, ततोऽ-

हे” इस प्रकारकी व्याप्ति यहा विश्लिष्ट है । इस व्याप्तिके अनुसार प्रकृत प्रसङ्गमें अनुमानका आकार यह होगा—जैसे, गोज्ञान होनेपर अश्वके विषयमें अस्तित्व-नास्तित्वकी आकाक्षा (जिज्ञासा) उठती है, इसलिये उस ज्ञानका विषय अश्व/नहीं होता है । ऐसे ही गोज्ञान होनेपर गौमें भी अस्ति नास्तिकी आकाक्षा उठती है, इसलिये गौ भी गोज्ञानका विषय नहीं है—तो आपका यह अनुमान असाधारणनामक दृत्याभाससे प्रस्तु है । क्योंकि गोज्ञानसे अश्वमें अस्ति नास्तिकी आकांक्षा ही नहीं उठती है । इसलिये दृष्टान्तहीन होनेसे उक्त अनुमान असाधारण-दोषसे प्रस्तु है । साथ ही यहाँ भागात्मिद्विदोष भी होगा, क्योंकि सभी गोविकल्प (गोज्ञान) अस्तिआदिकी आकाक्षाके उत्थापक नहीं होते हैं । इसके अस्तिरिक्त विरोध दोष भी होगा, क्योंकि जो जिस ज्ञानका विषय ही नहीं होगा, उसमें वह ज्ञान अस्तिआदिकी आकाक्षाका उत्थापक कदाचित् नहीं होता है ।

यदि कहो कि—सामान्यत अस्तित्वादिकी आकाक्षाका उत्थापन यहाँ अभिप्रेत नहीं है, विन्तु देश कालादिविशेषसे नियत अस्तित्वादि आकाक्षाका उत्थापन ही हेतु है । अर्थात् गोज्ञानका विषय गौ नहीं होती है, क्योंकि गोज्ञान देशकालादिविशेषसे नियत अस्तित्व आदि आकाक्षाका उत्थापक होता है—तो इस अनुमानमें विरोधदोष है । क्योंकि जो वस्तु उस ज्ञानका विषय ही नहीं होगी, उस वस्तुमें ‘बाहर है या भीतर है’ इत्यादि विशेष नियमकी आकांक्षा उस ज्ञानसे हो नहीं सकती । अन्यथा गोज्ञान होनेपर अश्वमें भी “आज, कल, बाहर या भीतर है” इत्यादि देशकालप्रिशेषसे नियत अस्तित्वादिकी आकाक्षा होने देगेगी ।

यदि कहो कि—जो ज्ञान जिस वस्तुके सर्व या असत्त्वको नहीं बराबर है, उस ज्ञानका वह वस्तु विषय नहीं होती है—तो बताओ कि सत्त्व या असत्त्व वस्तु (धर्मी) स्वरूप है? या उस वस्तुसे

सिद्धिर्दोषः । न हि गोविकल्पो गोस्वरूपं नोपदर्शयतीति
मम कदापि सिद्धम् । तत्र चायापि । उपाध्यन्तरं^३ चेदनै
कान्तः । न हि यो यस्योपाध्यन्तरं नोपदर्शये ।, नासं
तदपीति^४ नियमः ।

ननु नियम एव । तथा हि—यन्न यत्समवेत्धर्मबोधनः
तत् तत्स्वरूपबोधनम्, यथा गोविकल्पशब्दौ तुरगे, तथा
तौ गव्यपि नीलत्वादपेक्षयेति व्यापकानुपलब्धिः । धर्मियोधे

भिन्न उसकी उपाधि (धर्म) स्वरूप है ? यदि वस्तुस्वरूप मानो :
उक्त हेतु स्वरूपसिद्ध है । क्योंकि मैं यह कभी नहीं मानता कि गोज्ञा
गोस्वरूपको नहीं बताता है । और तुम भी इसे अवतक भी नहीं
सिद्ध कर सके हो । यदि सत्त्वासत्त्वको वस्तुका एक भिन्न धर्मस्वरूप
मानो—तो उक्त नियम व्यभिचारी है । क्योंकि यह नियम नहीं
कि जो ज्ञान जिस वस्तुके धर्मको न बतावे, वह उस वस्तुको भी नहीं
बताता है । क्योंकि धर्मज्ञानकी सामग्री भिन्न होती है, और धर्मज्ञान
की सामग्री भिन्न ।

(पूर्वपक्ष) इस प्रकारका तो नियम अवश्य है कि जो जिस वस्तुं
समवायसम्बन्धमें सम्बद्ध धर्मको नहीं बताता, वह उस वस्तुके स्वरूप
को भी नहीं बताता है । जैसे, गोज्ञान और गोशब्द अन्यसमवेत ध-
को नहीं बताते हैं, इसलिये अन्यस्वरूपको भी नहीं बताते । जैसे है
गोज्ञान और गोशब्द गौमें भी नीलत्वादिधर्मकी प्रतीति नहीं कराते हैं
इसलिये गोस्वरूपको भी नहीं बता सकते हैं । क्योंकि व्यापकधर्म
की अप्रतीति होनेसे व्याप्यकी भी अप्रतीति स्वतः सिद्ध है ।

धर्मीका योग होनेपर भी धर्मोंमें किसीका योग होना और किसीय
नहीं होना, यह नियम उपकारभेदसे समय होता । और उपकारमे-

१ इत्यापेत्र इति १ पृ० ८०

२ उपाध्यायी इति १ पृ० ८०

३ वैतत्ता इति १ पृ० ८०

४ वर्तपीति इति १ पृ० ८०

इपि हि धर्माणां कस्यचिद् वोधः कस्यचिद्बोधश्चेत्युपकार-
भेदान्नियमः स्यात्, उपकारभेदश्च शक्तिभेदाऽ मवेत्, न चैव
प्रकृते, अनस्थाप्रसङ्गात् । ततः^३ शक्तेरभेदादुपकाराभेदे
सर्वोपाधिसहितबोधोऽबोधो वेति द्वये गतिरिति प्रतिवन्ध-
सिद्धिः ।

दुष्प्रयुक्तमेतत्—उपाधितद्वतां भेदे प्रतिनियतसामग्री-
बोधश्चादेव तदगौणपद्ये बोधाबोधोपपत्तेः । प्रतिनियतसामग्री-
बोध्यत् स्यापि स्वभाववैचित्र्यं निवन्धनस्यात् । तस्यापि स्व-
कारणाधीनत्वात् । तस्याप्यन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात् । तस्यापि
कार्योन्नेयत्वादिति ।

यत्तु शक्तेरभेदादित्यादि, तत्तदा शोभेत यदि धर्मिभावा-

भो प्राहृत्सामग्रीगत शक्तिके भेदसे सम्भव होता । किन्तु ऐसा नहीं हो
सकता है । क्योंकि शक्तिभेदका भी कारण यदि दूसरा दूसरा शक्तिभेद
हो तो अनवस्थादोष हो जायगा । इसलिये यहा शक्तिभेद नहीं होनेसे
धर्मीने किसी प्रकारका उत्तराभेद भी नहीं हो सकता है । अत या तो
सम्मुख धर्मोंके साथ धर्मका बोध होगा या धर्मका बोध ही न होगा,
यह दो ही गति है । इस प्रकार उक्त नियमकी सिद्धि हो जाती है ।

(उत्तर पक्ष) आपद्वारा प्रयुक्त उक्त नियम ठीक नहीं है । क्योंकि
उपाधियों और उपाधिमान् (धर्मी) का परस्परमे भेद होनेके और
सभीके अपनी अपनी नियत सामग्रीसे बोध होनेके कारण सबका
एक साथ बोध न होकर किसी धर्मका बोध होगा और किसीका
नहीं होगा । अपनी अपनी नियत सामग्रीसे बोध होनेमें भी स्वभाव-
की विचित्रता ही हेतु है । और स्वभाव विचित्रता अपने अपने कारण-
के अधीन है । अपने अपने कारणका निर्धारण अन्यथ और अन्यतिरेकसे
होता है तथा अन्यथका ज्ञान भी कार्य देखकर किया जाता है ।

१ दबोप इत्यु० इति १ पु० पा०

२ तत्र इति २ पु० पा०

धीनस्तः वोधमागाधीनोऽ वा तामन्मात्रवोधसामग्र्यधीनो वा
यानुदुपाधिभेदे^१ वोधः स्यात्, न चेष्टत्।

- एतेन भेदात् धर्मिणः प्रतीतापि शब्दलिङ्गद्वारा धर्माणां
चेदप्रतीति, इन्द्रियद्वाराऽपि मा भूदित्यादिकं तु कर्णरपश्यं
कटिचलनमपाप्तम्। तत्तदुपाध्युपलभ्मसामग्रीपिरहकाले
प्रसञ्जितस्येष्टत्वात्। विचित्रशक्तित्वाच्च प्रमाणानाम्। लिङ्गस्य

- जो तो यह कहा कि—शक्तिभेद नहीं होनेसे उपकारभेद भी
नहीं हो सकेगा, इसलिये या तो सभी धर्मोंके साथ धर्माणां वोध होगा
या सभी धर्मोंको छोड़कर अरेन्ते धर्माणां वोध होगा—वह तो तत्त्व
शोभा देता, जब कि केवल धर्मोंके अधीन या केवल धर्मिहानेके अपनी
अथवा धर्मिमात्रका द्वारा करानेवाली सामग्रीके अधीन समस्त धर्मोंका
वोध हुआ करता। इन्हुंने ऐसी बात नहीं, यहिं कि धर्माणां वोध अपनी
सामग्री^२ अधीन होता है।

इससे यह कहना कि—यदि भिन्न होनेके बारणे^३ धर्मोंकी प्रतीति
होनेपर भी शब्द और लिङ्गद्वारा धर्मिगत धर्मोंकी प्रतीति न हो तो
इन्द्रियद्वारा भी होनेवाली धर्मोंकी प्रतीतिके साथ धर्मोंकी प्रतीति नहीं
होनी चाहिये। अर्थात् जैसे शब्द और अनुमानद्वारा केवल वस्तुका
ज्ञान होता है, न कि उसके नीलापन आदिका, जैसे ही वस्तुद्वारा भी
केवल वस्तुका ही प्रत्यक्ष होना चाहिये, उसके नीलापन उज्जलापनका
प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये—कान छूनेपर कटि चालनके समान है और
वह भी यण्डित हो जाता है। क्योंकि प्रत्यक्षस्थलमे उन उन धर्मोंकी
उपलब्धि करानेवाली सामग्रीके अभावकालमे यदि उक्त प्रसङ्ग देते
हों तो वह इष्ट ही है। क्योंकि प्रमाणोंकी अपनी-अपनी विचित्र शक्ति
है। जैसे, अनुमानप्रमाण, साध्य और हेतुकी प्रसिद्ध जो परस्पर
व्याप्ति, उसकी स्मृतिरूप शक्तिवाला होता है। अर्थात् पूर्वमे ज्ञात व्याप्ति-
की स्मृति ही अनुमानप्रमाणकी शक्ति है। शब्दप्रमाणकी शक्ति
उसका अर्थके साथ सङ्केतका प्रह है। अर्थात् सङ्केतप्रहके अभावमें

^१ पीतस्तावः इति १ पु० पा०

^२ उपाधिवोधः इति १ पु० पा०

प्रसिद्धप्रतिबन्धप्रतिसन्धानशक्तिकत्वात्, शब्दस्य समयसीम-
पिक्रमत्वात्, इन्द्रियस्य तर्थशक्तेरप्यपेक्षणात्। न तु समद्वो-
र्धं इत्येव प्रमाणे प्रमाप्यते^१ अतिप्रसङ्गात्।

यस्य तूपाधेरुपलभ्म एव येन प्रमाणेन धर्म्युपलभ्यते,
तस्यानुपलभ्मे स तेन नोपलभ्यते हति पर युज्यते, सर्वोपा-
ध्यनुपलभ्मे वा, तथा च सिद्धसाधनमिति संक्षेपः।

स्यादेतत्, यदीन्द्रियेण समानविषयावेव लिङ्गशब्दौ,
तत् प्रतिभासमेदोऽनुपपन्नः। एकविषयत्वं हि प्रतिभासमेदेन
व्यास सञ्चेतननयनदृष्टवत् दृष्टम्।

शब्दसे कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। और प्रत्यक्षप्रमाणभूत इन्द्रियोंके
लिये तो वस्तुगत शक्ति (योग्यता) की भी अपेक्षा होती है। ऐसी बात
नहीं है कि धर्म्युपलभ्मे सम्बद्ध हुई, इतने मात्रसे इन्द्रियप्रमाणद्वारा
उसका ज्ञान हो जायगा। क्योंकि वैसा होनेपर वस्तुके रूपज्ञानके
साथ साथ उसके रसभा भी ज्ञान नेत्रसे हो जाना चाहिये।

“निस उपाधिकी तो उपलब्धि होनेपर ही जिस प्रमाणसे धर्मकी
उपलब्धि होती है, उस उपाधि (धर्म) की उपलब्धि नहीं होनेपर उस
प्रमाणसे उस धर्मकी भी उपलब्धि नहीं होती है यह बात ठीक है।
और यह भी ठीक है कि किसी धर्मके सभी धर्मकी अनुपलब्धिकी
दशामें भी उस धर्मकी उपलब्धि नहीं होती’। यदि आपका भी यही
सिद्ध रखना अभिग्राय हो तो सिद्धसाधनदोष आ जाता है। क्योंकि
आप जो सिद्ध करना चाहते हैं, वह मेरे मतमें भी ठीक ही है। इस
लिये सिद्धको ही सिद्ध करना दोष है। यही साराश हुआ।

(पूर्वपक्ष) अस्तु यदि इन्द्रियके समान ही अनुमान और शब्द
भी वस्तुके स्वरूपको बताए तो प्रत्यक्षज्ञानसे अनुमितज्ञान और शब्द
ज्ञानमें भिन्नता नहीं होनी चाहिये। जहा जहा एकविषयता रहती है,
वहा वहा ज्ञानमें भी भेद नहीं रहता है। जैसे, एक ही विषयको धार्यी

न चेह तथा । यथा हि प्रत्यक्षे चेतसि देशकालावस्था-नियतानि परिस्फुटरूपाणि स्पलक्षणानि प्रतिभान्ति, न तथा शब्दे (शब्दे) लैङ्गिकविकल्पेऽपि । तत्र हि विजातीयव्यावृत्तमिव परस्पराकारसद्वीर्णमिवास्फुटमिव प्रत्यक्षापरिचितं किञ्चिद्रूपमाभासमानमनुभवविषयः ।

न चोपायभेदमात्रण प्रतिभासभेद उपपद्यते । न हि प्रतिपञ्चुपायाः प्रतिपञ्चाकारं परिवर्तयितुमीशते । न चैकचस्तु द्रव्याकारमिति प्रतिबन्धसिद्धिः । अस्य प्रयोगः—योऽयं और दायी आँखोंसे देखनेपर वायी आँख से हुआ ज्ञान दायी आँख से हुए ज्ञानसे भिन्न नहीं होता ।

किन्तु, यहाँ ऐसी बात नहीं है । क्योंकि, जैसे प्रत्यक्षदशामें किसी खास देशकाल और अवस्थाके साथ एव काला उजला आदि अपने स्पष्टरूपके साथ वस्तुओंकी प्रतीति होती है, वैसे शब्द या अनुमानद्वारा हुए ज्ञानमें नहीं होती । वहाँ (शब्द और अनुमान स्थलमें) तो अपने विजातीयोंसे स्पष्टरूपमें भिन्नताका अनुभव न होनेके कारण भिन्न जैसा, तथा अपने अन्य सजातीयोंके साथ भेदकी प्रतीति न होनेसे सजातीयोंके आकारमें मिला जुला जैसा, एव अपने विशेषधर्मकी प्रतीति न होनेके कारण अस्पष्ट जैसा, प्रत्यक्षसे अपरिचित कोई पदार्थ भासित होता हुआ अनुभवका विषय होता है ।

जबतक वस्तु भिन्न भिन्न न हो तब तक केवल इन्द्रिय, अनुमान या शब्दरूप उपायोंके भेदसे ज्ञान भिन्न हो जाय ऐसी बात नहीं हो सकती । क्योंकि ज्ञानके उपाय ज्ञानके आकारको नहीं बदल सकते हैं । और यह भी नहीं हो सकता कि एक ही बग्गु दो आकारकी हो । अर्थात् प्रत्यक्षज्ञान वस्तुकी सत्त्वामें ही होता है, किन्तु अनुमिति और शब्दज्ञान प्रत्यक्षके समान नहीं है, इसलिये वे (अनुमिति और शब्दज्ञान) वस्तुके रहने या न रहने दोनों दशाओंमें होते हैं । अत इमारी पूर्वोक्त व्याप्ति (नियम) सिद्ध है कि 'जो ज्ञान जिस वस्तुके रहने या न रहने दोनों दशाओंमें हो, वह उससे अन्यकी व्यावृत्ति (अन्यापेह) बोधित कराता है' । यहाँ इमारे अनुमानका

क्वचिद्बस्तुनि प्रत्यक्षप्रतिभासाद् विपरीतः भासो, नासौ तेनै-
कविषयो, यथा घटग्रहात् पटप्रतिभासः । तथा च गवि प्रत्यक्ष-
प्रतिभासाद् विपरीतः प्रतिभासो विकल्पकाल इति ।

इदमप्यवद्यम्, चित्राचित्रप्रतिभासाभ्यां मिथो विरुद्धधा-
भ्यामेकनीलविषयाभ्यामनैकान्तात् । न हि चित्राध्यक्षे यन्नीलं
चकास्ति, तदेव पश्चात् केवलम्, तदैव वा पुरुपान्तरस्य ।
येनाकारेणैकविषयत्वं तयोर्न तेनैव विरोधो, येन च विरोधो
न तेनैकविषयत्वम् ।

धर्मान्तराकारेण विरोधो नीलमात्राकारेण चैकविषय-
तेति चेत्, नन्विहापि धर्मान्तराकारेण विरोधो गोत्ववत् पिण्ड-

ऐसा आकार बनता है—जो ज्ञान किसी वस्तुके प्रत्यक्षज्ञानसे विपरीत
आकारका होता है, वह उसके समान विषयवाला नहीं होता, जैसे—
घटज्ञानसे विपरीत पटज्ञान घटविषयक नहीं होता । वैसे ही, गौके
सम्बन्धमें जो प्रत्यक्षज्ञान होता है, उससे विपरीत आकारका ज्ञान गो-
विषयक शब्दव्योध कालमें होता है । इसलिये शब्दद्वारा प्रत्यक्षके
समान गोत्वरूपका भान नहीं होगा किन्तु अगोद्यावृत्तिका ही
भान होगा ।

(उत्तरपक्ष) आपका यह कथन भी सदोप है । क्योंकि चित्ररूपका
ज्ञान और अचित्ररूप (नीलमात्र) का ज्ञान परस्परमें विरुद्ध होते
हुए भी दोनों ही एक नीलरूपको विषय बनाते हैं । इसलिये आपका
उपर्युक्त नियम कि “परस्पर विपरीत ज्ञान समानविषयक नहीं होते
ठ्यमिचारी हो जाता है । ऐसी बात नहीं है कि चित्रके प्रत्यक्षमें जो
नील भासित होता है, वही पीछे अकेला न भासित होता हो, अथवा
उसी समयमें अन्य ठ्यक्तिको वही नील अकेला न भासित
होता हो ।

यदि कहें कि—जिस आकारसे दोनों ज्ञानोंमें एकविषयता है, उसी
आकारसे उनमें विरोध नहीं है, और जिस आकारसे विरोध है, उससे

मात्राकारेण चैकविपयतेति तावन्मात्रनिराकरणेऽसिद्धो हेतुः । पूर्वत्र सिद्धसाधनम् । न हि शाब्दलैङ्गिकनियत्यकाले देश-कालनियमादयोऽपि सर्वं एव धर्मविशेषा विपयभासमासादयन्तीत्यभ्युपगच्छामः ।

ननु धर्मिष्येव स्फुटास्फुटप्रतिभासभेदः कथम् ? न कथ-श्चित् । यथा यथा हि धर्माः प्रतिभान्ति तथा तथा स्फुटेति

एकविपयता नहीं है । क्योंकि चित्राकार और अचित्राकारसे विरोध है और वेवल नीलाकारसे एकविपयता है—तो निश्चित ही प्रत्यक्ष और शाब्दबोधादि स्थलमें भी नील, श्वेत, कपिल आदि धर्मोंपि आकार-से विरोध है और गोत्यधर्मवाले पिण्डोंपि आकारसे एकविपयता है । अर्थात् प्रत्यक्षमें नीलापन उज्जलापनव्ये साथ साथ गोत्यधर्मवाला पिण्ड भासित होता है और शाब्दबोधादि स्थलमें वेवल गोत्यधर्मयुक्त पिण्ड का भास होता है । इस प्रकार नीलादि अशमें ही विरोध है न कि पिण्डाशमें भी ।

इसलिये शाब्द और अनुमानद्वारा होनेवाले गोत्ययुक्त पिण्डके मान का यदि खण्डन घरना चाहते हो तो इसके लिये आपसा द्विया पूर्वोक्त (प्रतिभासभेद) हेतु स्थरूपासिद्ध है । क्योंकि पिण्ड (वस्तु) के सम्बन्धमें प्रत्यक्ष शाब्दबोध और अनुमिति सभी हासन समान हैं । और यदि नियत देश, काल, अवस्था तथा वस्तुके उज्जलापन नीलापन आदि विशेषधर्मोंको लेकर प्रत्यक्ष और शाब्दादि प्रतिभासोंके भिन्न भिन्न होनेसे उ है भिन्नविषयक सिद्ध करना चाहते हो तो सिद्धसाधन दोष हो जायगा । क्योंकि यह हम भी नहीं मानते कि शाब्द या अनुमितिज्ञानकालमें नियन्त्रेश काल, अवस्था, नीलत्व, श्वेतत्व आदि वस्तुके सभी धर्म भासित होते हैं । अर्थात् उस रूपसे शाब्द आदि ज्ञानको प्रत्यक्षज्ञानसे भिन्नविषयक हम भी मानते ही हैं ।

(शङ्का) जो धर्मा (वस्तु) प्रत्यक्षसे भासित होता है, वही यदि शाब्द और अनुमानसे भी भासित होता है तो प्रत्यक्षज्ञान स्फुट और शाब्दबोध तथा अनुमिति अस्फुट, ऐसा प्रतीतिभेद कैसे होता है ?

प्रतिभानव्यवहारः । यथा यथा च धर्मणामप्रतिपत्तिस्तथा तथा प्रतिभानस्य मान्यव्यवहारो दूरान्तिकादौ प्रत्यक्षेऽपि लोकानाम्, न तु सर्वथैवाप्रतिपत्तौ ।

विदूरादिप्रत्ययोऽपि पदं एवेति चेत्, अस्तु, न तु तावताऽपि धर्मधर्मिभेदसिद्धौ प्रत्यक्षवाघस्य, तत्सन्देहेऽपि सन्दि-

(उच्चर) मैं कहूँगा कि प्रतिभास स्फुट ही होता है, अत उसमे स्फुटत्व और अस्फुटत्वका भेद कथमपि नहीं होता है । क्योंकि जैसे जैसे वस्तुके धर्म भासित होते जाते हैं, वैसे “स्फुट प्रतीति है” ऐसा व्यवहार होता है और जैसे जैसे वस्तुगत धर्मोंकी अप्रतीति होती जाती है, वैसे वैसे “मन्द प्रतीति है” ऐसा व्यवहार लोगोंको दूरस्थ और समीपस्थ वस्तुओंके प्रत्यक्षमें भी होता है । यह बात नहीं है कि वस्तु की सर्वथा अप्रतीतिमें ही अस्फुटत्व (मन्दत्व) का व्यवहार होता हो । इसलिये शब्द और अनुमानमें यदि वस्तुका सर्वथा भान न हो तो वहाँ अस्फुटत्व भी नहीं कहा जा सकता है ।

यदि कहो कि—विदूरादिप्रतीति भी पक्षके अन्तर्गत ही है । अर्थात् जैसे शब्द और अनुमितिप्रतीतियोंको वस्तु (धर्म) विपयक नहीं मानते, वैसे ही विदूरादिप्रतीतिमें भी धर्मोंका भान नहीं मानते हैं । इसलिये उसे दृष्टान्तके रूपमें नहीं उपस्थित किया जा सकता है—तो कहूँगा कि वह भी भले ही पक्षकोटिमें रहे, फिर भी धर्म और धर्मोंका पारस्परिक भेद सिद्ध है । अतः दूरस्थ वस्तुके कुछ धर्मोंका भान न होनेपर भी उस धर्मोंका तो भान होता ही है । इसप्रकार आपका यह अनुमान करना कि विदूरप्रतीतिमें भी धर्मोंका भान नहीं होता है, प्रत्यक्षप्रमाणसे घायित है ।

वाधमें कथञ्चित् सन्देह होनेपर भी सन्दिग्धानेकान्तिक दोषका परिहार नहीं हो सकता है । क्योंकि प्रतिभासभेद (विदूरप्रतीतिके अस्फुट होने) के कारण ही आप उसे धर्मविपयक नहीं मानते हैं, किन्तु उसके धर्मविपयक होनेपर भी कुछ धर्मोंका भान न होनेमात्रसे भी उस प्रतीतिका अस्फुट होना सम्भव है । इसप्रकार आपके अनुमानमें

रथानैकान्तिकस्य वा परिहारः, तावतापि ग्रतिभासमेदस्योपपत्तेः ।

यदि च नैवम्, दूरतमादिग्रत्ययेषु कः समाश्वासविषयः ? यस्यार्थो लभ्यते इति चेत्, ननु लाभोऽपि पूर्वपूर्वोपलब्धानुपमर्दनेनैव । न हि सत्त्वद्रव्यत्वपार्थिवत्ववृक्षत्वादिकं परिभूयशिशापा लभ्यते ।

यत्रार्थक्रियासिद्धिरिति चेत्, सर्वेषामनुवृत्तेः कस्यार्थक्रियेति कि निश्चायकम् ? न किञ्चित्, किन्तु संकीर्णार्थव्यभिचारका सन्देह तो अवश्य है और व्यभिचारका सन्देह भी अनुमितिको रोक देता है ।

यदि ऐसी बात न हो तो दूरतम (सर्वाधिक दूर) आदि प्रतीतियोंमें कौन सी प्रतीति विश्वसनीय होगी । अर्थात् दूरतमप्रतीतिमें “कोई द्रव्य है” ऐसा भासित होता है । दूरतमप्रतीतिमें “बहु पार्थिव द्रव्य है” ऐसा भान होता है । और निकटप्रतीतिमें “बहु सीसमका वृक्ष है” ऐसा स्पष्ट ज्ञान हो जाता है । यद्यों एक ही वस्तु अस्पष्टतम, अस्पष्टतर, अस्पष्ट और स्पष्टरूपमें मेरे मतानुसार भासित होती है । किन्तु आपके मतमें किस वस्तुके सम्बन्धमें विश्वास किया जाय कि अमुक वस्तुवाली प्रतीति प्रमा है ।

यदि कहो कि—जिस प्रतीतिकी वस्तु प्राप्त हो जाती है, वही प्रतीति विश्वसनीय है—तो निश्चित ही वह प्राप्ति भी पूर्व पूर्वमें प्राप्त वस्तुको अतिरक्त कर ही होती है । क्योंकि निकटसे शिशापाका ज्ञान अतिदूर आदिसे जाने गये उसके सत्त्व, द्रव्यत्व, पार्थिवत्व और वृक्षत्व आदि भावोंको तिरोहित करके नहीं होता ।

यदि कहो कि—जिसमें पत्र काण्डादिस्वरूप अर्थक्रिया देखी जाती है, उसीको प्रतीति प्रमा है और शेषकी अप्रमा—तो शिशापाप्रतीतिदशामें सत्त्व, द्रव्यत्व, पार्थिवत्व और वृक्षत्वकी भी अनुवृत्ति रहती ही है, उनका उपर्युक्त होता नहीं । अत इनमें किसमें अर्थक्रिया होती है, इसका क्या निश्चायक है ?

क्रिया विरहादेकमेव तत्र वस्तु, न चैकस्मिन् प्रतिभासभेद
इत्येक एव प्रत्ययस्तत्र सालम्बनं इति ब्रूपं इति चेत्, तथापि
कर्तम् इत्यनिश्चये स एवानाश्वासः ।

असंकीर्णाऽपि अर्थक्रिया न व्यक्तिः, सामग्रीतः सर्व-
संभवात् । अत एव न सन्तानतः । न ह्येकसन्ताननियता
काञ्चिदर्थक्रिया नाम । काञ्चिदर्थक्रियां प्रति प्रत्यक्षानुपलम्ब-
गोचरं एव तथा व्यवस्थाप्यत इति चेत्, तर्हि दूरतमाद्युपलम्बा

यदि कहो कि—यद्यपि कोई निश्चायक नहीं है, फिर भी वहाँ अर्थ-
क्रियाके सङ्कीर्ण नहीं होनेसे एक ही वस्तु है, और एक वस्तुमें भिन्न
प्रतीति नहीं हो सकती, अत एक ही प्रतीति वहाँ सविषयक है और शेष
प्रतीनियां निरालम्बन हैं—तो सच्चसे लेकर शिशापात्रप्रतीति तक कौन
सी प्रतीति ऐसी है, इसका निश्चय नहीं होनेसे किसी रास प्रतीतिकी
प्रामाणिकताके सम्बन्धमें वही अविश्वास कायम रहा ।

यदि कहो कि—शिशापात्रे विशेष प्रकारकी पत्रकाण्ड आदि अर्थ-
क्रिया उसके सत्, द्रव्य, पृथिवी या वृक्षमात्र होनेसे होती तो कटहलके
भी सत्, द्रव्य, पृथिवी या वृक्ष होनेसे उसमें भी शिशापा जैसे ही पत्र
काण्डादि होते । अतः उस विशेष अर्थक्रियाके कारण शिशाप्रतीति ही
प्रामाणिक निश्चित होती है—तो फिर भी वह असङ्कीर्ण अर्थक्रिया एक
छ्यक्तिमात्रसे नहीं होती किन्तु सामग्रीसे होती है । इसीलिये छ्यक्तिकी
अविच्छिन्न सन्ततिसे भी नहीं हो सकती । क्योंकि कोई भी अर्थक्रिया
(जैसे, अंकुरादि) एकमात्र वीजसन्ततिसे नहीं होती है किन्तु उसमें भी
मिट्टी पानी आदिकी सन्ततिकी भी अपेक्षा पहले बतायी जा चुकी है ।

गदि कहो कि—किमी अर्थक्रियाके प्रात कारणरूपसे वही व्यवस्थित
किया जा सकता है, जिसके उस कार्यके प्रति अन्वय व्यतिरेक सहचार
हो । अर्थात् जिसके रहनेपर ही वह कार्य उत्पन्न हो और नहीं रहने-
पर न हो, वही उस कार्यके कारण है—तो दूरतम्, दूरतर, दूर और
निकटसे द्रव्य, पृथिवी, वृक्ष और शिशापाके रूपमें उपलब्ध पदार्थके
सम्बन्धमें भी वही व्यवस्था होनी चाहिये । क्योंकि वे सभी उस अर्थ-

अपि तथा व्यवस्थाप्याः । सर्वेषामेव तेषां ता तामर्थक्रिया प्रति प्रयोजकताया अन्ययव्यतिरेकगोचरत्वान् ।

स्यादेतत्, न धर्मान्तराकारेग प्रतिभासमेदो भेदहेतुः किन्तु परोक्षापरोक्षरूपतया । सा हि न धर्मभेदानप्युपादाय समर्थग्निशब्द्या, तेष्यपि परोक्षापरोक्षज्ञानोदयात्, तत्रापि धर्मान्तरानुसरणेऽनप्रस्थानादिति चेत्, न, तयोरविषयाकारत्वान् । द्विविधो हि ज्ञानधर्मो विषयावच्छेदो जातिभेदश्च । तत्र विषयावच्छेदभेदेन विषयस्य भेदस्थितिरभेदनिराकरणं चां, न

कियाके प्रति प्रयोजक है, यह वात अन्यव्यतिरेकसे सिद्ध है । जैसे, यही सीसम द्रव्यरूपमे सयोगके प्रति, पृथिवीरूपमे गाधके प्रति वृक्षरूपमें सामान्यत पत्रफाण्डादिके प्रति और शिशापारूपमें विशेष ढङ्गके पत्र काण्डादिके प्रति कारण होता है । इसलिये क्वल शिशापाप्रतीति ही प्रामाणिक नहीं है कि तु द्रव्यादिप्रतीति भी वैसे हाँ धर्मविषयक है और प्रामाणिक है ।

(पूर्वपक्ष) अस्तु किन्हीं अन्य धर्मोंके कारण नहीं किन्तु परोक्ष और अपरोक्षरूप होनेसे अनुमानादि और प्रत्यक्षज्ञान परस्पर मिल हैं और इसीलिये दोनोंके विषय भिन्न सिद्ध होते हैं । यहाँ एसा समर्थन नहीं किया जा सकता कि “ज्ञानोंकी परोक्षता या अपरोक्षता स्वत नहीं है किन्तु परोक्षत्व अपरोक्षत्व विषयके ही धर्म हैं और इन परोक्ष अपरोक्ष विषयोंके ही कारण ज्ञान भी परोक्ष अपरोक्ष कह जाते हैं । क्योंकि आपके मतमे परोक्ष विषयमे भी योगियोंको अपरोक्षज्ञान और अपरोक्ष विषयमें भी सर्वसाधारणको शाब्दबोधादि परोक्षज्ञान होता है । यदि इन ज्ञानोंकी भी परोक्षता अपरोक्षताके समर्थनके लिये किन्हीं अन्य धर्मोंका सहारा लिया जाय तो इस प्रकारकी कल्पनाकी विश्रान्ति न हो सकनेके कारण अनवस्थादोष हो जायगा । अत परोक्ष अपरोक्ष स्वरूप प्रतिभासके भेदसे प्रत्यक्ष अनुमानादि ज्ञानोंका विषयभेद आवश्यक है ।

(उत्तरपक्ष) उक्त आक्षेप ठीक नहीं है । क्योंकि मेरे मतमे भी

तु द्वितीयेन, तस्य कारणमेदेनैवोपपत्तेः, अनुभूमितिस्मृतिवद् । यथा च विषयमेदेऽपि कारणमेदादेशपरोक्षजातीयमिन्द्रियजं ज्ञानं तथा विषयमेदेऽपि कारणमेदादेव परोक्षपरोक्षजातीयमिन्द्रियलिङ्गज्ञानं भगव् केन वार्यते । गारणे वा कार्यभेदं प्रति कारणमेदोऽप्रयोजकः स्यात्, तथा चाकस्मिकः स आपद्यते ।

जातिभेदोऽप्यन तूषाधिभेद इति किमत्र निष्ठां कारणमिति चेत्, अनुभव एव । न हि व्यवसायकाले पारोक्ष्यपारोक्ष्यस्मृतिवित्वानुभूतिवित्वानि परिस्फुरन्ति, असावग्निमान् परोक्षत्व और अपरोक्षत्व विषयप्रयुक्त नहीं हाता । कारण, ज्ञानगत धर्म दो प्रकारके होते हैं, विषयसंसर्गित्व और दूसरे प्रत्यक्षत्व अनुभितिवत्-परोक्षत्व अपरोक्षत्व आदि जातिविशेष । इनमें विषयसंसर्गके कारण जहाँ ज्ञानोंमें भेद होता है, जैसे घटज्ञान और पटज्ञानमें, वहाँ विषयोंमें भेदकी स्थिति अथवा अभेदका निराकरण होता है । किन्तु जहाँ जातिभेदसे ज्ञानभेद होता है, वहाँ विषयमें भेद होना आवश्यक नहीं है । क्योंकि कारणके भेदसे ही वहाँ विभिन्न जातिके ज्ञान उत्पन्न होते हैं, जैसे एकही विषयका शान्दज्ञान, अनुमितिज्ञान, स्मृतिज्ञान आदि । और जैसे, विषयभेद होनेपर भी इन्द्रियस्वरूप अभिज्ञ कारणसे उत्पन्न होनेवाले घटज्ञान और पटज्ञान दोनों ही अपरोक्षजातिके ज्ञान होते हैं । यैसे ही विषयभेद नहीं होनेपर भी कारणभेदसे ही इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान अपरोक्षजातीय होता है और लिङ्गसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान परोक्षजातीय होता है, इसे कीन रोक सकता है । अथवा यदि रोक दिया जाय तो कार्यभेदके प्रति कारणभेद अप्रयोजक हो जायगा । ऐसी स्थितिमें कार्यभेद आकस्मिक होने लगेगा ।

(शङ्खा) परोक्षत्व आदि जातिविशेष हैं, न कि विषयप्रयुक्त होते हैं, इसमें क्या निश्चायक है ?

(उत्तर) परोक्षत्व अपरोक्षत्वके जातिविशेषरूप होनेमें अनुव्यवसायात्मक अनुभव ही निश्चायक है । क्योंकि व्यवसायकालमें परोक्षत्व

अथमग्निमान् सोऽग्निमान् इति स्फुरणात् । अनुव्यवसायकाले तु तत्प्रतिभासः, अमुमनुभिनोमि इमं पश्यामि तं स्मरामी-त्युल्लेखात् । कथं तर्हि परोक्षोऽर्थः प्रत्यक्षश्चेति व्यवहारः १ यथा अनुभितो दृष्टः स्मृत इति ।

यदप्यत्यन्तविलक्षणानामित्यादि-तदपि सन्दिग्धानै-कान्तिकम्, विधिनापि तथाभूतेन सालक्षण्यव्यवहारस्य निर्वा-हात् । तथा हि, अय व्यवहारो न निर्निमित्तो नाप्यनेक-

अपरोक्षत्व स्मृतित्व अनुभूतित्वका स्फुरण (भान) नहीं होता । कारण, व्यवसायकालमें ‘वह अग्निमान् है’ यह अग्निमान् है’ इसी प्रकारका भान होता है । किन्तु अनुव्यवसायकालमें तो परोक्षत्वादिका भान होता है । क्योंकि इस दशामें “उसका अनुमान करता हूँ” “इसे देखता हूँ” “उसका स्मरण करता हूँ” इसी प्रकारका उल्लेख होता है । इस तरह अनुव्यवसायमें परोक्षत्व, प्रत्यक्षत्व, स्मृतित्व आदिका स्पष्ट भान लोकमें होता है ।

(शङ्खा) यदि परोक्षत्व-अपरोक्षत्व विषयप्रयुक्त नहीं होते तो “वह विषय परोक्ष है, यह प्रत्यक्ष है” इस प्रकारका व्यवहार क्यों होता है १

(उत्तर) जैसे “वह विषय अनुभित है, दृष्ट है या स्मृत है” यह व्यवहार होता है, वैसे ही उक्त व्यवहार भी होता है । अर्थात् विषयके अभिन्न होनेपर भी कारणके भिन्न होनेसे ही अनुभित-दृष्ट स्मृत आदि व्यवहार जैसे होते हैं, वैसे ही विषयके भिन्न होनेपर भी कारणभेदसे ही परोक्ष और प्रत्यक्षका भी व्यवहार होता है ।

जो सो पूर्वमें अपोहसिद्धिके लिये न्याय उपस्थित किया गया है कि “अत्यन्त विलक्षणोंमें भी समानता व्यवहारका जो देतु है वह अन्य-व्यावृत्तिस्वरूप होता है—वह भी सन्दिग्धव्यभिचारदोपसे भस्त है । क्योंकि विभ्यात्मक जातिसे भी समानता व्यवहारका निर्वाह हो सकता है । क्योंकि “अय गौ, अयमपि गौ, सोऽपि गौ” इत्यादि समानता व्यवहार अकारण नहीं हो सकता है । अकारण होनेपर उक्त व्यवहार नित्य होने लगेगा ।

निमित्तो नाप्यनेकासंसर्गैकनिमित्तः, अतिप्रसङ्गात् । ततोऽनेकसंसर्गैकनिमित्तोऽयं परिशिष्यते । तथा च वादशस्य शिधिरूपत्वे को विरोधः ? येन व्याप्तिः स्यात् । ग्रत्युत निषेधरूपतायामेव विरोधो दर्शितः प्रागिति कृतं पल्लवसमुल्लासैः ।

नापि ग्रहृत्यादिव्यवहारनिर्वहकत्वमपोहकल्पनायाः, अन्यावभासादन्यथा ग्रहृत्यावतिप्रसङ्गात् । अध्यवसायादयमदोष इति चेत्, अथ कोऽयं अध्यवसायः ? किमलीकस्य वस्तुधर्मतयाऽवभासः ? किं वा वस्त्वात्मकतया ? ततो भेदाग्रहो, वस्तुवासनासमुत्थं वा ?

यह भी नहीं हो सकता कि समानता व्यवहारके अनेक निमित्त हों, क्योंकि तथा अनुग्रह व्यवहार नहीं हो सकेगा । इसी प्रकार अनेकके साथ असंसर्गकी दशामें भी उक्त समानता व्यवहार नहीं हो सकता । अत परिशेषात् अनेकके साथ संसर्ग ही एकमात्र उक्त समानता व्यवहारका निमित्त हो सकता है । ऐसी स्थितिमें उस निमित्तके विषयात्मक जाविरूप होनेमें क्या विरोध है ? जिससे आपके द्वारा प्रदर्शित उक्त व्याप्ति (न्याय) सिद्ध हो सके । बल्कि उस निमित्तके निषेधरूप (अतदूर्वशावृत्तिरूप) होनेमें ही पूर्वमें विरोध दिखाया जा चुका है । इसे अत्यधिक पल्लवित करना व्यर्थ है ।

एवं अपोहकल्पना पक्षमें प्रवृत्ति आदि व्यवहारोंका निर्बाह भी नहीं हो सकता है । क्योंकि अन्य वस्तुके अवभाससे अन्य वस्तुमें प्रवृत्ति हो तो घटज्ञानसे पटमें भी प्रवृत्ति होने लगेगी । अर्थात् चौद्वमतानुसार यदि सविकल्पकज्ञानका विषय घटत्व न होकर अघटव्यावृत्ति हो तो उस ज्ञानसे घटमें प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी ।

यदि कहो कि घटत्वका अध्यवसाय स्वीकार करनेसे उक्त दोष नहीं होगा, तो यह अध्यवसाय क्या वस्तु है ? क्या अलीकां (मिथ्याका) वस्तुके धर्मके रूपमें भासित होना अध्यवसाय है ? या वस्तुके रूपमें भासित होना ? अथवा उसका वस्तुके साथ भेदका अप्रह होना

न प्रथमः, विकल्पे उदनवभासनात् । न द्वितीयः, असाधारणविषयतया शब्दविकल्पयोरप्रवृत्तिप्रसङ्गात्, तस्यासामयिकत्वात् । तस्माद् विकल्पवस्तुनोथक्षूरसवत् सर्वथा विरोधेय । साधारणविषयत्वे तु वस्तुत्याप्रतिभासनम्, तस्यासाधारणत्वात् ।

न तृतीयः, प्रवृत्तिसामानाधिकरणनियमानुपपत्तेः, भेदाग्रहस्य सर्वत्र सुलभत्वात् । अतेभ्यो भेदो गृहीत इति चेत्, अध्यवसाय है या वस्तुकी बासनासे उत्पन्न हुआ अलीकका भान ही अध्यवसाय है ?

इनमे प्रथम पक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि वस्तुका भान नहीं होनेपर उसके धर्मका भान नहीं होता । इसलिये आपके मतानुसार वस्तुका अवगाहन नहीं करनेवाला सविकल्पक ज्ञान उसके धर्मके रूपमें अलीकका भान नहीं करा सकता है ।

द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि तब वस्तुके समान तत्त्वरूप अलीकके भी असाधारणविषय (स्वलक्षण) होनेसे उसमे शब्द और विकल्पकी प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । अर्थात् सङ्केतप्रदके अधीन शब्दकी प्रवृत्ति होती है, और वह सङ्केतप्रद अनन्त (स्वलक्षण) व्यक्तियोंमें नहीं हो सकता । और विकल्प भी अनुगत बाह्य आकारका आलम्बन करके ही प्रवृत्त होता है । इसलिये चक्षु और रसके समान विकल्प और वस्तुमें सर्वथा विरोध ही है । अर्थात् जैसे चक्षुद्वारा रसका प्रहण नहीं होता वैसे विकल्पद्वारा वस्तुरूप अलीकका भी प्रहण नहीं हो सकता है ।

यदि अलीकको साधारण विषय मानो तो विकल्पद्वारा उसका तो भान हो जायगा किन्तु उसमे वस्तुत्वका भान न हो सकेगा । क्योंकि स्वलक्षणात्मक वस्तुत्व असाधारण विषय होता है ।

तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि उस अलीकका सभी वस्तुके साथ भेदका अप्राप्य सुलभ होनेसे उस अलीकाध्यवसायसे किस वस्तुमें प्रवृत्ति हो और उसके साथ किस वस्तुमें “अय गौ” इस प्रकारका

किमतेषु गृह्णमाणेष्टगृह्णमाणेषु वा ? नायः, अतेषामपि स्वल-
क्षणानां विकल्पाणोचरत्वात् । न द्वितीयः, अविज्ञाता'-
यधेभेदस्पाप्रथनात्, प्रथने वाऽऽद्यवसेयाभिमतस्वलक्षणादपि
भेदो गृह्णेत, अविशेषात् । गृहीतादग्रं भेदस्यागृहीतेभ्यस्तु

शाब्दसामानाधिकरण्य (शाब्दबोध) हो, यह नियम नहीं बन सकता है ।

यहाँ यदि यह कहो दि—जो अतन् (उससे मिल) हैं, उनसे इस अलीक का भेद गृहीत होता है—तो क्या वे अतन् (तद्विभ्र) स्वयं गृह्णमाण हैं या अगृह्णमाण हैं ? यहा प्रथम नहीं हो सकता, क्योंकि अतन् भी आपके मतानुसार स्वलक्षण हैं । इसलिये वे सविकल्पक ज्ञानके विषय नहीं हो सकते हैं । द्वितीय भी नहीं हो सकता, क्योंकि अवधिका ज्ञान हुए विना भेदका ज्ञान नहीं होता । यदि हो तो अलीकाध्यवसायका अधिप्राप्तभूत जो आपका अभिमत गवादि स्वलक्षण है, वह भी अतद्भूत महिपादिकोंके समान ही अज्ञात है । इसलिये उससे भी अलीकमें भेदप्रह होने लगेगा, जिसके परिणामस्वरूप गोविषयक सविकल्पक ज्ञानसे गौमें ही प्रवृत्ति न हो सकेगी ।

यदि कहो कि—अभिमत गोस्वलक्षणका निर्विकल्पक प्रहण होता है और उसके बाद जो सविकल्पक होता है, वह भी निविकल्पक जैसा ही होता है । इसलिये गोस्वलक्षणके गृहीत होनेसे उससे अलीक में भेदप्रह नहीं होगा और अतद (तद्विभ्र) महिपादिकोंके तो उभयथा अगृहीत होनेसे उससे गृह्णमाण अलीकमें भेदका पद होगा ही । अत गौमें ही प्रवृत्ति करायेगा न कि महिपादिमें—तो यहा वह भेद यदि पर्मरूप माना जाय तो उक्त कथनके विपरीत ही होगा । अर्थात् प्रतियोगीका ज्ञान होनेपर ही उसके अन्योन्याभावका ज्ञान होता है । इसलिये अज्ञात महिपादिकोंका अन्योन्याभाव अलीक अपोहमें नहीं गृहीत हो सकता है । इस प्रकार भेदका अप्रह प्रवृत्तिका कारण हो तो गोविकल्पसे महिपादिमें भी प्रवृत्ति होनी चाहिये ।

यदि वह भेद अधिकरणस्वरूप माना जाय तो अधिकरणस्वरूपके

तदग्रह इति चेद्, यदि धर्मलक्षणो भेदस्तदा विपर्ययः । स्वरूप-
लक्षणश्चेत्, अविशेषात् सर्वतस्तदुग्रहोऽन्यत्र तादात्म्यग्रहात् ।

निःस्वरूपत्वात् तस्य कु स्वरूपलक्षणो भेद इति चेत्,
अगृहीतादपि तथा स्पान्, अविशेषात् । निःस्वरूपमपि सस्थ-
रूपमिव भिन्नमिव प्रथितमिति चेत्, तत् किमध्यवसेयापेक्षया
सस्वरूपमिव न प्रथितम् ? अध्यवसेयस्वरूपमिव वा स्फुरि-

ज्ञानके लिये प्रतियोगीविशेषकी अपेक्षा नहीं हुआ करती, इसलिये
उस स्वरूपलक्षण भेदका प्रद जैसे महिपादि स्थलक्षणसे होता है,
जैसे ही गोस्वलक्षणसे भी होने लगेगा । कारण, एकमात्र तादात्म्यग्रह ही
भेदग्रहका प्रतिबन्धक होता है और आपके अपोहका किसी भी चस्तुके
साथ सादात्म्यग्रह है नहीं । इसलिये अपोहरूप अलीकाध्यवसायसे
गौ महिष आदि सभी स्वलक्षणोंमें समानरूपसे प्रवृत्ति होनी चाहिये ।

यदि कहो कि—अलीक होनेके कारण अपोह निःस्वरूप है, इस-
लिये निर्विकल्पकवेद्य गोस्वलक्षणके प्रति उसका स्वरूपलक्षण भेद कैसे
हो सकता है ?—तो वहा गोविषयक निर्विकल्पक ज्ञानसे नहीं गृहीत
होनेवाले महिषादिके प्रति भी अगोपोहका स्वरूपलक्षण भेद कैसे हो
सकता है ? क्योंकि महिषके प्रति भी वह अपोह निःस्वरूप ही है ।

यदि कहो कि—निःस्वरूप होता हुआ भी वह अपोह महिपादिके
प्रति सस्वरूप जैसा और भिन्न जैसा प्रतीत होता है—तो क्या
अध्यसायके अधिव्यानभूत गोस्वलक्षणके प्रति वह अपोह सस्वरूप जैसा
नहीं प्रतीत होता ? या अध्यवसेय जो गोस्वलक्षण तत्स्वरूप भासित
होता है ? आश पक्ष में दो प्रकार हो सकते हैं । या तो ज्ञानका
विषय नहीं होनेसे अपोह सस्वरूप जैसा नहीं भासित होगा अथवा
सस्वरूप जैसा भासित न होनेका अभिप्राय है—निःस्वरूप भासित
होना । दोनों ही दशाओंमें गोके स्विकल्पक ज्ञानसे गौमें प्रवृत्ति
नहीं हो सकेगी । और “अय तौ” ऐसा शब्दसामानाधिकरण्य भी
नहीं हो सकता है । अर्थात् अपोहके अज्ञानमें भी उक्त सामानाधिकरण्य

तम् । आद्येऽप्रतिपत्तिर्वा स्यात् । उभयथापि सामानाधि-
करण्यप्रवृत्ती न स्याताम् । द्वितीयस्तु प्रागेव दूषितः ।

नापि चतुर्थः, नीलानुभववासनासमुत्थस्य पीतानुभवस्य
नीले प्रवर्तकत्वप्रसङ्गात् । नानुभवः प्रवर्तकोऽपि तु विकल्पः, च
च यस्मात्, तस्यैव विषये इति चेत्, यस्मादिति साक्षात्

और प्रवृत्ति नहीं हो सकती तथा उसके निःस्थृपत्वज्ञानमें भी सामाना-
धिकरण्य और प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ।

द्वितीय पक्षका तो पहले ही खण्डन किया जा चुका है । क्योंकि
सविकल्पक ज्ञानमें जब गोस्वलक्षणका सर्वांगी होता तो उसके
द्वारा अपोइ गोस्वलक्षणस्वरूप कैसे भासित हो सकता है ?

एव “बस्तुज्ञानसे जन्य जो वासना, उससे उत्पन्न होना ही
अध्यवसाय है” यह पूर्वोक्त चतुर्थ पक्ष भी ठीक तरही है । क्योंकि
बौद्ध भूतमें वासना कोई स्थायी स्वरूप नहीं होती, किन्तु एक ज्ञानके
बाद उत्पन्न होनेवाला दूसरा ज्ञान ही वासना है । इस प्रकार नीला
नुभवरूप वासनाके अनन्तर उत्पन्न जो पीतानुभव उससे भी नीलमें
प्रवृत्ति होने लगेगी ।

यदि कहो कि—कोई भी निर्विकल्पक अनुभव प्रवर्तक नहीं होता
किन्तु सविकल्पक ही प्रवृत्तिका जनक होता है । और वह सविकल्पक भी
जिस निर्विकल्पकसे उत्पन्न होता है, उसीके विषयमें प्रवृत्ति कराता
है । इसलिये पीतका निर्विकल्पक अनुभव प्रवृत्तिका जनक नहीं होगा
किन्तु उसके सविकल्पकसे ही प्रवृत्ति होगी । और वह प्रवृत्ति भी
पीतविषयमें ही होगी न कि नीलविषयमें । क्योंकि पीतविषयक निर्विक-
कल्पकसे ही वह सविकल्पक उत्पन्न हुआ है, इसलिये निर्विकल्पकका
विषयीभूत जो पीत, उसीमें प्रवृत्ति करायेगा, नीलमें नहीं—वो वहों
सविकल्पकका निर्विकल्पकसे साक्षात् उत्पन्न होना विवक्षित है ? अथवा
परम्परया ? यदि साक्षात् उत्पन्न होना विवक्षित हो तो शान्दृज्ञान
और अनुमितज्ञानसे प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । क्योंकि शान्दृज्ञान
सकेतविषयक सविकल्पक ज्ञानसे उत्पन्न होता है और अनुमितज्ञान
भी व्याप्तिविषयक सविकल्पक ज्ञानसे ही उत्पन्न होता है । यदि

परम्परया वा १ प्रथमे शाब्दलैङ्गिकज्ञानानामप्रत्यक्त्यप्रसङ्गः ।
द्वितीये तु स एवातिप्रसङ्गः ।

अनुभवव्यापारपुरस्कारान्नियम इति चेत्, कः पुरस्कारार्थः १ न तावदनुभवैकविषयत्वम्, विकल्पेन तदसंस्पर्शात् । नाप्यनुभवत्पारोपः, स्वात्मनि वल्पनापोढाभ्रान्तत्वात्, विषये चाभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासत्वात्, तथानवभासे वा विकल्पत्वव्याघातात्, विशेषोपलब्धी चारोपासभवात् ।

परम्परया फहें तो नीलविषयक निर्विकल्पक भी पीतविषयक सविकल्पक का परम्परया जनक होता है, इसलिये आपके नियमानुसार पीत-सविकल्पकसे भी नीलमे प्रवृत्ति होने लगेगी ।

यदि कहो कि—जो विकल्प जिस अनुभव के धर्मको पुरस्कृत कर उत्तम होता है, वह उसीके विषयम प्रवृत्ति कराता है । इस नियमसे अन्यत्र प्रवृत्तिका बारण हो जाता है—तो यहा पुरस्कारका क्या अर्थ है ? यह नहीं हो सकता कि ‘अनुभव (निर्विकल्पक) के समान विषयवाला होना ही उसके धर्मको पुरस्कृत करना है’ क्योंकि आपके मतमे सविकल्पक ज्ञान अनुभवविषयीभूत स्वलक्षणको लूटा ही नहीं है ।

यह भी नहीं हो सकता कि “नीलानुभवत्वधर्मका नीलविकल्पमे आरोप ही पुरस्कार है, इसलिये नीलविकल्पसे नीलमे ही प्रवृत्ति होगी” क्योंकि अनुभवत्वका आरोप विकल्पके स्वरूपमे नहीं हो सकता । बारण विकल्प अपने स्वरूपके सम्बन्धमें काल्पनिकतासे रहित होनेसे अनारोपित वस्तु है ।

एव विकल्पका जो विषय, उसमे भी अनुभवत्वका आरोप नहीं हो सकता, क्योंकि विकल्पका जो विषय होता है, वह शब्दप्रयोगके योग्य होनेके कारण आपके मतमे बाह्य और अलीकरूपसे भासित होता है । इसलिये अलीकरूप अपने विशेषधर्मके साथ भासित होनेवाले विकल्प विषयमे अनुभवत्वधर्मका आरोप हो नहीं सकता । क्योंकि अन्यधर्मके आरोपके प्रति अपना विशेषधर्मदर्शन याधक होता है ।

यदि अलीकरूप विशेषधर्मके साथ विकल्प विषयका भान न हो

नापि तद्वर्मप्रामाण्यारोपः, तस्यानियतविषयत्वे प्रवृत्ति-
नियमानुपपत्तेः । परमार्थसद्विषयत्वे च तस्य विकल्पसंसर्ग-
प्रसङ्गात् । अलीकविषयत्वे चाप्रवृत्तेः । अलीकस्यानलीक-
तया स्फुरणं तु निपिद्धम् ।

नाष्टनुभवात् स्वात्मनो भेदाग्रह एव तद्व्यापारपुरस्कारः,
तो यह विकल्प ही नहीं हो सकता और यदि हो तो तथाकथित आरोप
नहीं हो सकता है ।

अनुभवगत प्रामाण्यका सविकल्पकमें आरोप भी पुरस्कारका अभि-
प्राय नहीं हो सकता । क्योंकि यह प्रामाण्य यदि अनियतविषयक हो
अर्थात् विषयविशेषसे अद्वितीय होता हुआ सामान्यरूपसे आरोपित
होता हो तो उस विकल्पसे किस विषयमें प्रवृत्ति होगी, इसका नियम
नहीं हो सकता है ?

यदि यह प्रामाण्य स्वलक्षणात्मक पारमाथिक विषयसे गर्भित हो
तो सविकल्पक ज्ञानमें भी स्वलक्षणका सर्वानुभव होने लगेगा, जो आपको
अनिष्ट है । अर्थात् जो सविकल्पक स्वलक्षणात्मक बस्तुको महण नहीं
रुता, यह उससे गर्भित प्रामाण्यका आहक कैसे हो सकता है ? और यदि
यह प्रामाण्य अलीक विषयसे गर्भित हो तो, चूंकि आपके मतमें अलीक
बस्तु अनुभवका विषय नहीं होती, इसलिये अलीकसे गर्भित प्रामाण्य
अनुभवका धर्म भी नहीं हो सकता है । ऐसी स्थितिमें अनुभवगत
प्रामाण्यका आरोप नहीं हो सकतेके कारण सविकल्पक ज्ञानसे फिर
भी नियत विषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी ।

यदि कहो कि—पहले अलीक विषयमें पारमाथिकत्वका आरोप होगा
और बादमें तद्वारा अभित प्रामाण्यका आरोप सविकल्पकमें हो जायगा,
इसलिये विषयविशेषमें प्रवृत्ति होनेमें कोई भी वाधा नहीं है—तो उक्त
कथन पूर्वमें ही निपिद्ध हो चुका है । अर्थात् अलीकत्वरूपविशेषधर्मके
दर्शनके कारण उसमें पारमाथिकत्वबुद्धि ही नहीं उत्पन्न हो सकती है ।

“अनुभवका विकल्पमें भेदाग्रह न होना ही अनुभवविशेषको
विकल्पद्वारा पुरस्कृत करना है” यह भी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि
चौद्वमतमें सभी ज्ञान स्वयंप्रकाश होते हैं, इसलिये उत्पन्न होता हुआ

स्वरूपस्य स्वतोऽवगतेः पिपयमेदस्य च प्रागेन निरुपणात् ।
नाप्यपारोक्ष्यम्, तस्यापि स्वात्मने सर्वज्ञानसाधारणतःत् ।
विषये च पिकल्पस्य तदभावात् । तथाभावेऽप्यन्यन् नियत-
प्रवृत्त्यनुपपत्तेः ।

नापि पिपयसारूप्यम्, तदभावात् । का हि परमार्थ-
सदलीक्ष्योऽसमानरूपता नाम । यदि रूपशब्दो धर्मिगच्छ
सविकल्पक ज्ञान अनुभव (निविकल्पक) से स्वरूपमेदको स्वत ग्रहण
करता हुआ ही उत्पन्न होता है ।

यदि अनुभव और विकल्पके अलीकविषयगत भेदका अप्रद होना
पुरस्कार मानें तो इसका विवेचन पूर्वमें ही किया जा चुका है ।
अर्थात् विकल्पके अलोक विषयमें अनुभवविषयका पारमार्थिक भेद नहीं
रह सकता ।

“जैसी अपरोक्षता अनुभवमें है वैसी ही विकल्पमें भी है ।
इसलिये विकल्पज्ञान अनुभवविषयमें ही प्रवृत्ति कराता है, अन्यत
नहीं”, इस प्रकारका अपारोक्ष भी अनुभवविषयका पुरस्कार नहीं
कहा जा सकता है । क्योंकि यहाँ यदि ज्ञानगत अपरोक्षता लो जाय
तो सभी ज्ञान अपने स्वरूपमें अपरोक्ष ही है । इसलिये सब ज्ञानसे
सब विषयमें प्रवृत्ति होने लगेगो । यदि विषयगत अपरोक्षताको लकर
अनुभव और विकल्पका साम्यसम्बन्ध कहा जाय, तो विकल्प विषयके
अलीक होनेके कारण उसमें अपराक्षताका हो अभाव है । विकल्प
विषयमें यदि अपरोक्षता मान भी लो जाय तो भी अलोक विषयक
विकल्पज्ञानसे अलोकभिन्न स्वलक्षण तरफ विषयमें नियमत प्रवृत्ति
नहीं घन सकेगी । क्योंकि अन्य विषयके ज्ञानसे अन्य विषयमें
प्रवृत्ति नहीं होता है ।

निविकल्पक ज्ञानका विषय जो स्वलक्षण और सविकल्पक ज्ञानका
विषय जो अलीक इन दोनोंमें साहस्र होना भी विकल्पद्वारा अनुभव
(निविकल्पक) के व्यापारको पुरस्कृत करना नहीं है । कारण, यहाँ
सारूप्य नहीं हो सकता है । क्योंकि पारमार्थिक और अलीकमें कौन-
सी समानरूपता है ? यदि ‘समानहरता’ इस शब्दमें रूपरात्र धर्मीका

समानशब्दथैकपर्यायः, क्वार्थसंगतिः प्रकृते । यदि वा रूपं धमेः समानश्चैको एकजातीयो वेति, तथापि क्वार्थसङ्गतिः प्रकृते । अतदृव्यावृत्तिरिति चेत्, न, तस्य चालीकानलीकनिष्ठतया एकत्वैकजातीयतयोरभावात् । आभिमानिकोऽयं सारूप्यव्यवहारो न पारमार्थिक इति चेत्, न, अभिमानस्यैव चिन्त्यमानत्यान् । न हि चिन्तितप्रकारान् परिभूयापरोऽभिमानो नाम ।

स्वभावादेव कथिद् विकल्पः कस्मिश्चिदेवास्फुरतेऽपि

चाचक हो और समानशब्दका अर्थ एकत्व हो तो प्रकृतमें कैसे अर्थसङ्गति हो सकती है ? क्योंकि आपके मतमें सविकल्पक और निविकल्पक दोनों ज्ञानोंमें एक धर्मी (वस्तु) नहीं भासित होता है । यदि रूपशब्दसे वस्तुका धर्म लिया जाय और समानशब्दका अर्थ हो एक अथवा एकजातीय, तो भी प्रकृतमें अर्थकी सङ्गति कैसे हो सकती है ? क्योंकि विकल्प और अनुभवका विषय न एक धर्म है और न एक जातिका धर्म है ।

यदि कहो कि—अतदृव्यावृत्ति ही विकल्पविषय और अनुभवविषय में रहने वाला समान धर्म है—तो यह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि जो अतदृव्यावृत्ति विकल्पविषयमें रहेगी वह अलीकनिष्ठ होनेसे असदृरूप होगी और जो अनुभवविषयमें रहनेवाली अतदृव्यावृत्ति होगी वह अलीकभिन्ननिष्ठ अर्थात् सत्यनिष्ठ होनेके कारण सदूरूप होगी । इसलिये सदूर और असदूर होनेसे दोनों विषयोंकी अतदृव्यावृत्ति न एक होगी और न एक जातिकी होगी ।

यदि कहो कि—विकल्प और अनुभवके विषयोंमें सारूप्यव्यवहार पारमार्थिक नहीं है, किन्तु आभिमानिक (काल्पनिक) है, इसलिये अर्थसङ्गति होना आवश्यक नहीं है—तो यह कथन भी ठीक नहीं है । क्योंकि अभिमान (कल्पना या आरोप) ही तो यहा विचारणीय विषय है । साथ ही विकल्प एवं अनुभवसम्बन्धी आरोपके बारेमें अवतक जितने प्रकार विचारे जा चुके हैं, उनसे अतिरिक्त अभिमानका कोई दूसरा स्वरूप हो भी नहीं सकता है ।

यदि कहो कि—स्वभावसे ही कोई विकल्प किसी सास वस्तुमें ही

प्रवर्तयति, किमन् क्रियताम् । स चास्य स्वभावभेदः स्वकारणादेवायात्, तत्र कः पर्यनुयोजयतामिति चेत्, तद् किम-प्रत्यासन्न एव विकल्पस्तत्र प्रवर्तयति । प्रत्यासन्नतराभागात् स्वभावप्रत्यासन्नो या व्यहूतिरेत् वा प्रत्यासन्निः ।

न प्रथम्, अतिप्रसङ्गात् । द्वितीये तु स्वभावेनोत्तर स्यात्, किन्तु तदेव स्फुरणम् । न हि व्यवहारे प्रवर्तयितव्ये स्वभाव-प्रत्यासन्निमध्ये ज्ञानज्ञेययोरपरः कश्चिद् विषयविषयिभावः । सदसद् निर्वचनीयार्थरूपातिगादिभिरपि स्वभावप्रत्यासन्नेरवर्जनीयत्वादिति वक्ष्यमाणत्वात् ।

प्रवृत्ति कराता है, भले ही वह बरतु उस विकल्पद्वारा भासित न होती हो । इसमें क्या किया जाय ? और विकल्पका यह स्वभावविशेष उसे अपने कारणसे ही प्राप्त है । इसलिये स्वभावके सम्बन्धमें भी कुछ कहनेके लिये किसे बाध्य किया जाय—तो क्या वह विकल्प उस वस्तुसे असम्बद्ध ही रहकर उसमें प्रवृत्ति कराता है ? या स्वभावातिरिक्त सम्बन्धके नहीं रहनेसे उस वस्तुसे स्वभावत सम्बद्ध होकर उसमें प्रवृत्ति कराता है ? अथवा उस वस्तुके बारेमें लौकिक व्यवहारोंको कराना ही उसके साथ विकल्पका सम्बन्ध है ?

इनमें प्रथमपक्ष नहीं माना जा सकता है । क्योंकि उस विकल्पसे अनियन्त्रितरूपमें सभी वस्तुओंमें प्रवृत्ति होने लगेगी । द्वितीयपक्षमें तो स्वभाववाला उत्तर हो सकता है, किन्तु वही तो वस्तुका स्फुरण है । क्योंकि प्रवृत्ति आदि व्यवहार करनेके लिये स्वभावरूप सम्बन्धके अलावे ज्ञान (विकल्प) और ज्ञेय (वस्तु) का दूसरा कोई विषय विषयिभाव नहीं है । अर्थात् नियन् विषयमें प्रवृत्तिके लिये उस विषय के साथ सविकल्पक ज्ञानको स्वभावत सम्बद्ध माना जाय तो वह स्वलभ्यात्मक वस्तु भी विकल्पका विषय हो ही गयी । जिनका यह मत है कि सत् या असत्रूपसे अनिर्वचनीय वस्तुका ही विकल्पद्वारा भान होता है, उन्हें भी वस्तु और विकल्पका स्वाभाविक सम्बन्ध मानना ही पड़ता है । यह बात आगे कही जायगी ।

त्रुटीये हु व्यक्तमात्माश्रयं, स्वव्यवहारं^१ नियमं प्रत्येव
निमित्तानुसरणात् ।

कारणशक्तेरसदुत्पचिवन्नियम इति चेत्, सत्यम्, एतचि-
न्तनीयम्, कारणशक्त्यापि नियतजातिनियतया भवितव्यम् ।
अन्यथा जगलनविकल्पाज्जलेऽपि प्रवृत्तिप्रसङ्गात् ।

दाहादिसमर्थाकारविकल्पजातीय तात्त्विके वहाँ प्रगत-
यतीति जातिर्भेषाधिर्भानियामक इति चेत्, न तर्हि स्त्व-
भरीचिनिचये ततः प्रवर्तेत, तज्जातीयस्य दहन एव प्रवर्तन-

त्रुटीय पक्षमें तो स्पष्ट ही आत्माश्रयदोष है । क्योंकि इस पक्षमें
जो लौकिक व्यवहार सम्बन्धरूपसे निमित्त माना गया है, वही नियत
प्रवृत्ति आदि लौकिक व्यवहार उस निमित्तानुसरणका उद्देश्य भी
है । इस प्रकार स्त्रमे स्वकी अपेक्षा होनेसे यहाँ आत्माश्रयदोष
आ जाता है ।

यदि कहो कि—दण्डरूप कारणका असत् घटके साथ कोई सम्बन्ध
नहीं रहने पर भी दण्ड घटको ही पैदा करता है, पटादि को नहीं, उसी
प्रकार गोविकल्पका गोखलक्षणके साथ सम्बन्ध न होने पर भी गोविकल्प
से गोमे ही प्रवृत्ति होगी महिपादिमे नहीं—तो यह सही है, किन्तु यह
भी विचारणीय है कि जैसे किसी अनुगत जाति (धर्म) से युक्त कारणका
किसी अनुगत जातिसे युक्त कार्यके साथ नियमत अन्वय व्यतिरेक रहता
है, उसी प्रकार गोविकल्पका गोविपयक प्रवृत्तिके साथ अन्वय व्यतिरेक
होनेमें नियमके रूपमें कोई अनुगत जाति होनी चाहिये । नहीं तो
अग्रिमविपयक विकल्पज्ञानसे जलमे भी प्रवृत्ति होने लगेगी ।

यदि कहो कि—“दाहादिसमर्थोऽयम्” इस आकारबाला जो जो
विकल्प होगा वह स्वलक्षणविपयक नहीं होने पर भी स्वलक्षणात्मक
तात्त्विकरूपहिमे प्रवृत्ति करायेगा, इस प्रकार दाहादिसामर्थ्यरूप जो उक्त
विकल्पज्ञानका आकार है वही अनुगत जाति या धर्मके रूपमें प्रवृत्तिशा

सामर्थ्यनि । ताद्रष्ट्येण तस्यैव प्रथनादिति चेत्, प्रथनाम्, न तु तस्य प्रयत्नेयोग्यता तत्र प्रथननियता, वह्निस्वलक्षणे वह्निविकल्पादप्रवृत्तिप्रसङ्गात् । स्वीकुरु वा तस्यापि तत्र स्फुरणं, परिहर वा वह्निविकल्पादवद्वौ प्रवृत्तिमिति ।

एतेनाकारसारूप्यं नियमहेतुरपास्तः । अर्थनीयसारूप्याभावेऽपि प्रवृत्तिदर्शनात्, अनर्थनीयसारूप्यमात्रस्य चाति-प्रसञ्जकत्वात् ।

नियामक है—तत्र तो वह्निविकल्पसे रत्नकिरणपुष्टजमे कभी भी प्रवृत्तिन हो सकेगी । कारण, दाहसमर्थमे ही प्रवृत्ति करानेकी शक्ति उस विकल्पजातिमे है, और रत्नकिरणसमूहमे वह दाहसामर्थ्य धर्म है नहीं । किन्तु वह्निवृद्धिसे उसमे भी लौकिक प्रवृत्ति देखी जाती है ।

यदि कहो कि—दाहसमर्थ अग्निके रूपमे ही रत्नकिरणोंका ज्ञान हुआ है, इसलिये उसमेप्रवृत्ति हो सकती है—तो रत्नकिरणोंका ज्ञान होनेसे क्या हुआ ? कारण, तुम्हारे मतमे तो उस वस्तुमें प्रवृत्ति करानेके लिये उस वस्तुका ज्ञान आवश्यक है नहीं । यदि आवश्यक हो तो वह्निविकल्प से वह्निवस्तुमें प्रवृत्ति न हो सकेगी, क्योंकि उस विकल्पमे वह्निवस्तुका भान तुम्हारे मतमें नहीं होता है । इसलिये या तो वह्निवस्तुका भी भान सविकल्पक ज्ञानमें मानो या वह्निविकल्पसे रत्नकिरणपुष्टजमे होने वाली प्रवृत्तिको रोक दो ।

इस रत्नकिरणबाले दोपसे यह मानना भी कि नियत विषयमे प्रवृत्तिका कारण प्रवृत्तिविषय और विकल्पमे आकार (धर्म) सारूप्य है, यह इहत हो जाता है । क्योंकि इस मतानुसार वह्निविकल्पसे वह्निस्वलक्षणमे तो प्रवृत्ति हो जायगी । कारण, जो वह्नित्वधर्म वह्निस्वलक्षणमे है, वही वह्निविकल्पमे भी भाना जाता है, इसलिये यहा विकल्प और स्वलक्षणात्मक वस्तुमे धर्मसारूप्य मिल जाता है । किन्तु जहां वह्निवृद्धि (विकल्प) से रत्नकिरणमे निष्कल प्रवृत्ति होती है, वहा अर्थनीय वस्तुमें अर्थात् प्रवृत्तिके लिये अभिप्रेत किरणपुष्टजमे और प्रवर्तक तुम्हारे में आकारसारूप्य है नहीं । क्योंकि प्रवर्तक वह्निविकल्पमे वह्नित्वधर्म

न च वाद्यवादे ज्ञानज्ञेययोर्विग्नक्षितसाहृष्ट्यसंभवः, सामग्रीपैषम्पात् । साम्ये वा जाड्यचैतन्ययोरेकशेषप्रसङ्गात् । न च साम्येऽप्यवान्तरविशेषात् कार्यविशेषव्यवस्था, मिथः सामग्र्यननुप्रिधानेन जायमानत्वात् । न च कार्योन्नियं साम-

है और प्रवृत्तिके विषय किरणपुङ्जमें किरणत्वधर्म है । अत उक्त नियमानुसार वहित्रमसे रत्नकिरणोंमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये ।

यदि कहें कि—अर्थनीयके साथ अर्थात् वहा प्रवृत्तिके लिये अभीष्ट किरणपुङ्जके साथ वहित्रिकल्पमें धर्मसाहृष्ट्य न होनेपर भी वहित्रिस्तुके साथ तो उसमें साहृष्ट्य है ही—तो ऐसे आकारसाहृष्ट्यको प्रवृत्ति-नियामक नहीं माना जा सकता है । क्योंकि प्रवृत्तिके अविषयीभूत वहित्रिसाहृष्ट्यसे वहित्रिकल्प यदि अन्यत्र किरणपुङ्जमें प्रवृत्ति करावे तो उस वहित्रिकल्पसे जलमें भी प्रवृत्ति होने लगेगी ।

एवं विज्ञानवादमें ज्ञान और ज्ञेयके परस्पर अभिन्न होने तथा समान सामग्रीसे उत्पन्न होनेके कारण ज्ञान और ज्ञेयमें आकारसाम्य समव ही नहीं है । परन्तु वाद्यवादमें ज्ञान और ज्ञेयमें आकारसाम्य समव ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही विषयमान्मानीसे उत्पन्न हैं । यदि दोनोंकी सामग्रीम साम्य माना जाय तो जड़ता और चेतनतामें एकशेष होने लगेगा । अर्थात् एक सामग्रीके कारण या तो सब कुछ अज्ञान ही होगा, अथवा ज्ञान ही होगा । इस प्रकार जड़ता और चेतनताका भेद मिट जायगा ।

यह नहीं ही सकता कि—सामग्रीसाम्य होनेपर भी अवान्तर विशेषताके कारण ज्ञान और ज्ञेयरूप कार्योंकी विशेषता कायम रहेगी । जैसा कि समान सामग्रीसे उत्पन्न होनेपर भी ज्ञान और सुखका परस्पर घेजात्य अचुण्ण रहता है—क्योंकि ज्ञान और ज्ञेयकी उत्पत्तिक लिये एक दूसरेकी सामग्रीके योगकी अपेक्षा नहीं रहती है । अर्थात् प्रकाश और अन्धकारके समान दोनों ही विलक्षण सामग्रीसे उत्पन्न होते हैं ।

यह भी नहीं ही सकता कि—ज्ञान और ज्ञेयरूप कार्यके साम्यसे उन्हें उत्पन्न करनेवाली सामग्रीमें भी साम्यकी कल्पना कर लेनी चाहिये—

ग्रीसाम्यम्, वाह्ये धूमाद्यननुविधीयमानस्य कारणस्य दृश्य-
त्वात् धूमज्ञानस्य च तद्व्यभिचारोपलम्भात् । न च तदेषु
कारणमेकत्र दृश्यमदृश्यं चान्यं प्रेर्ति युक्तम् ।

यदि च नीलिमादिर्विज्ञानस्य जातिविशेषः, कथं तदति-
पत्य ज्ञेयं स्पृशेत् ? ज्ञेयस्य चेत्, कथं ज्ञानं तदुपिशिष्यादिति
जातिसङ्करापादनप्रस्तारे चिन्तितप्रायम् । तस्मात् स्फुरित
एव ज्ञानं प्रर्तयतीति गले पादुकयाऽप्यज्ञीकारयितव्यो
गत्यन्तराभावात् ।

क्योंकि वाणस्थलमें धूमादिकी उत्पत्तिके लिये अपेक्षित अग्नि आदि
कारण दृश्य होते हैं, तथा धूमज्ञानकी उत्पत्तिके लिये अग्नि आदि दृश्य
कारणका व्यभिचार देखा जाता है । अर्थात् दृश्य घट्टिके बिना भी
धूमज्ञान हो जाता है ।

एव यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि वही अग्निरूप कारण
धूमकी उत्पत्तिमें दृश्य होकर तथा धूमज्ञानकी उत्पत्तिमें अदृश्य होकर
कारण होगा ।

यदि कहो कि—नीलत्वादि जो ज्ञानके आकार हैं, वे ही स्वलक्षणात्मक
ज्ञेयके भी आकार हैं, इसलिये आकारसाम्यके कारण ही विकल्प स्वलक्षण
में ही प्रवृत्ति कराता है, अन्यथा नहीं— तो वह नीलत्वादि आकार यदि
विज्ञानगत कोई जातिविशेष हो तो वह विज्ञानको छोड़कर ज्ञेयमें कैसे
‘रह सकता है ?’ यदि वह ज्ञेयवस्तुगत कोई जाति हो तो वह ज्ञानको कैसे
विशेषित कर सकता है ? यह बात जातिसङ्कर्यपादनप्रकरणमें प्राय
विचारी जा चुकी है । इसलिये “स्फुरित विषयमें ही ज्ञान प्रवृत्ति
फराता है” यह बात “गले पादुका” न्यायसे भी स्वीकार करनी होगी ।
क्योंकि इसमें दूसरे गति नहीं है ।

तदिं स्फुरिते स्वाकार एव प्रवर्तयतु, तत्र प्रवृत्त एव चार्थी तत्सदृशमर्थमासादयति प्रभायां प्रवृत्तो मणिपदिति चेत्, न, अभिमतार्थक्रियासामर्थ्यविरहिण्यप्रवृत्तेः। न वाह्ये विकल्पाकारारोपसंभवः, तस्य तेनासंस्थर्शत्। न चाकारे वाह्यत्वारोपः, स्वरूपे स्फुरत्यस्त्रूपारोपात्तवकाशात्। प्रभायां तु मणितुदृष्ट्यैव मण्यर्थी प्रवर्तते, न तु तद्वुध्येति दृष्टान्तो-प्रयाभासः।

न चाकारभादेऽस्फुरतोऽर्थस्य सत्ताया प्रमाणमप्यस्ति ।

सौत्रान्तिकके आकारवादका खण्डन

यह कहना कि—ज्ञान और ज्ञेयमें आकारसाम्य भले ही मत होवे चथापि सविरुद्धरूपक ज्ञान अपने आकारके रूपमें स्फुरित हाने वाले वाह्य न लक्ष्यादिमें ही प्रवृत्ति कराता है और उसमें प्रवृत्त हुआ अर्थी व्यक्ति उसके सदृश स्वलक्षणात्मक वस्तुको वैसे हा प्राप्त कर लेता है, जैसे प्रभा में प्रवृत्त व्यक्ति मणिको प्राप्त कर लेता है—ठीक नहीं है। क्योंकि अभिमत दाहादि अर्थक्रियाके प्रति सामर्थ्य नहीं होनेसे ज्ञानाकारमें भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। कारण, लोकमें वहिरूप वाह्य अर्थ ही दाहादिसमर्थरूपमें विहित है, न कि आन्तर वहिज्ञान ।

यदि कहो कि—ज्ञानाकार और अर्थक्रियासमर्थ वाह्यवस्तुमें अभेदारोप होनेसे प्रवृत्ति होती है—तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि वाह्य वस्तुमें ज्ञानाकारका आरोप असम्भव है। कारण, आपके मतमें वाह्य वस्तुका ज्ञानके साथ स्पर्श तक नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानाकारमें वाह्यत्व का भी आरोप नहीं हा सकता। क्योंकि स्थप्रकाश होनेके कारण ज्ञान-स्वरूपके भासित होनेसे उसमें उसके अस्त्ररूपभूत वाह्यका आरोप असंभव है, जैसे रज्जुस्वरूपके भासित हो जानेपर उसमें सर्पत्वका आरोप नहीं होता। और जो प्रभामणिका व्यान्त दिया है, वह भी दृष्टान्तभासमात्र है। क्योंकि मण्यर्थी व्यक्ति मणितुद्विसे ही प्रभामें प्रवृत्त होता है और मणि पा लेता है, प्रभातुद्विसे नहीं ।

एव आकारवादी सौत्रान्तिकके मतमें ज्ञानमें नहीं भासित होनेवाले

आकारकादाचित्कर्त्तव्यस्य तेमिरिककेशाद्याकारेगानैकान्ति-
कन्वात् ।

अर्थक्रियासंग्रादस्यापि स्फुरितस्याकारमात्रशरीरत्वाद्
वाह्यस्य चासिद्धेः । निरालम्बनार्थकारवच कच्चिद् वासना-

अर्थकी सत्तामे कोई प्रमाण भी नहीं है । अर्थात् ज्ञानद्वारा यदि वाह्य
अर्थका भान होता है तो उसीसे घट जानाति, पट जानाति' इत्यादि
व्यवहार बन जायगा । इस स्थितिमें इस व्यवहारकी उपपत्तिके लिये
उस ज्ञानमें भासित होने वाले घटपटादिको वाह्यातिरिक्त ज्ञानका आकार
कहना अप्रामाणिक है । एव घटपटादि यदि ज्ञानका आकार होता
तो "हान घट" यही व्यवहार होता । किंतु वैसा व्यवहार न होकर
'घटस्य ज्ञानम्' इत्यादि व्यवहार होता है । इस प्रकार आकारवाद
असिद्ध है । यदि हो ज्ञानद्वारा वाह्यार्थका भान न मानो हो वाह्यार्थकी
सत्ता ही नहीं सिद्ध हो सकेगी ।

यदि कहो कि—ज्ञान कभी घटपटादि आकारको धारण करता है
और कभी नहीं करता है, इससे हम वाह्य अर्थका अनुमान कर
लेंगे । अर्थात् वाह्यार्थके समुख्यस्थ रहनेपर ही ज्ञान आकारको धारण
करता है अन्यथा नहीं । इस प्रकार ज्ञानका आकार धारण करना ही
वाह्यार्थ की सत्तामें प्रमाण है—तो यह नियम भी व्यभिचरित है ।
क्योंकि वास्तविक केशके नहीं रहनेपर भी तेमिरिक केशाकार ज्ञान
होता है ।

यदि कहें कि—ज्ञानगत दहनाकारसे दहन (अग्नि) की सिद्धि भले
मत होवे किन्तु दाहरूप अर्थक्रियासे अग्निकी सत्ताका अनुमान कर
लेंगे—तो वह दाहादि अर्थक्रिया भी ज्ञानद्वारा भासित होनेही दशामे
'ज्ञानका आकार ही है । और जो ज्ञानद्वारा नहीं भ मित होनेवाला
वाह्य दाह है, उसकी सत्ता ही अवतक असिद्ध है । इस प्राप्त जो
दाहरूप लिङ्ग स्वय असिद्ध है उससे दहनरूप साध्यका अनुमान कैसे
हो सकता है ?

यदि कहो कि—दाहाकार ज्ञानसे दाहका अनुमान और पुन दाहसे
अग्निका अनुमान हो जायगा । क्योंकि दाहके बिना दाहाकार ज्ञान

वशादर्थक्रियाकारोऽपि निराजम्बन एव मविष्यतीति विष्ट्रेवाधकाभावात् प्रतिबन्धस्या यस्तिद्वेः । तस्माद् वाह्यसिद्धिः साकारं च ज्ञानमिति वाललोलुपत्वमिति ।

अस्तु तर्हि वाह्यमेव स्वलक्षणं विकल्पस्य विषयः । यद्यपि स्वरूपेणासामयिकत्वा तन्नामिलापससर्गयोग्यम् तथाप्यतद्रूपपरावृत्तिप्रत्यासन्या साधारणरूपतामात्रं सन् तथा

नहीं हो सकता और आगके बिना दाह नहीं हो सकता—तो यह कथन भी ठीक नहीं है । क्योंकि बिना वाह्यवस्तुके जैसे तेमिरिककेशाकार ज्ञान होता है, वैसे ही बिना दाहादिरूप अर्थक्रियाके वासनावशात् कहीं निराजम्बन ही दाहाकार ज्ञान हो जायगा । इस विष्ट्रेका कोई वाधक नहीं होनेसे वाह्य अर्थके साथ अर्थक्रियाकारकी व्याप्ति भी असिद्ध है । ऐसी स्थितिमें अर्थक्रियाके संवादसे वाह्यार्थकी सिद्धि कैसे हो सकेगी ? इस लिये वाह्यकी सिद्धि करना और ज्ञानके साकार भी मानना, यह वालचापलके सिवाय और कुछ नहीं है । क्योंकि वाह्यविलोपपक्षमें ही घटज्ञानसे पटज्ञानमें विशेषताके लिये आऽन्नारविशेषकी कल्पना करनी पड़ती है । वाह्यवस्तुकी सत्त्वपक्षमें तो वाह्यविषय ही ज्ञानोंके भेदक हो जायेगे, फिर आकारकी कल्पना अप्राभाणिक है ।

वैभाषिकमतखण्डन

(पूर्वपक्ष) यदि सौत्रान्तिकका वाह्याकारवाद दोषप्रस्त है तो वाह्यमूर्त स्वलक्षण ही विकल्पका विषय हो । यद्यपि यह स्वलक्षणात्मक वाह्य व्यक्तिगतरूपसे संबेतदा विषय नहीं होनेसे शब्दप्रयोगके योग्य नहीं हो सकता है तथापि अतदृव्यावृत्तिरूप सम्बन्धके द्वारा यह स्वलक्षणात्मक वाह्यव्यक्ति साधारण (सामान्य) रूपताको धारण करता हुआ शादादिप्रयोगके योग्य हो ही सकता है । क्योंकि जैसे एक गौ अगोद्यावृत्त है, वैसे अन्य भी गौ अगोद्यावृत्त हैं । अर्थात् अगोद्यावृत्त

मवत्येव । यथा ह्ये को गौरगोव्यावृत्तस्तथाऽपरेऽपि गाव इति चेत्, अथ कोऽप्यमगौर्नाम १ किमेकस्य गोस्वलक्षणस्यानात्मा १ आहोस्त्वित् उद्गातधर्मदिरही १

प्रथमे न गवान्तरेऽपि गोशब्दविकल्पौ प्रवर्तेण्यताम्, अश्वादिवदनात्मत्वाविशेषात् । अतिप्रसङ्गथ, महिषमातङ्गा-घगोव्यावृत्त्याऽध्येऽपि गोव्यवहारप्रसङ्गात् । स गोरपि व्यावर्तत इति चेत्, तत् किमभिस्तो गौर्गोरपि न व्यावर्तते १ व्यावर्तते, विन्तु स्वयमप्यसौ गौरिति चेत्, यद्यगोव्यावृत्तिरेवास्य गोत्व, तदश्वेऽपि समानम् । अन्यचेत्तदुच्यताम् ।

सभी गोव्यत्तियोंका समानधर्म है, जिसके द्वारा स्वलक्षणात्मक गोव्यक्ति भी सफेतका विषय एव शब्दप्रयोगके योग्य हो सकता है ।

(उत्तरपक्ष) यहा यह बताओ कि “अगो” क्या बस्तु है ? क्या एक गोव्यकिसे जो भिन्न है, उसे अगो कहते हैं ? अथवा उस गोव्यकि को रहनेवाली गोत्वजातिसे जो शून्य है, उसे अगो कहते हैं ?

यहाँ प्रथमपक्ष स्वीकार करनेपर अन्य गौमें भी गोशब्दका प्रयोग और सविकल्पक ज्ञानकी प्रवृत्ति न हो सकेगी । क्योंकि अश्वादिके समान अन्य गौ भी उस एक गौमें भिन्न है । साथ ही अतिप्रसङ्गदोष भी हो जायगा । क्योंकि महिष (भैसा) मातङ्ग (हाथी) आदि जो अगो हैं उनसी व्यावृत्ति होनेसे अश्वमें भी गोव्यवहार होने लगेगा । यदि कहो कि— अश्व केवल महिषादि (अगो) से ही व्यावृत्त नहीं होता वल्कि गौसे भी व्यावृत्त होता है—तो क्या आपका अभीष्ट गौ गौसे भी व्यावृत्त होता है ?

यदि कहो कि—यह गौ अन्य गौसे व्यावृत्त तो होता है किन्तु स्वयमें भी वह गौ है—तो उसके स्वयं गौ होनेका कारण जो गोत्व है, वह क्या चीज है ? यदि अगोव्यावृत्ति ही इसका गोत्व हो तो वह पूर्वोक्तरीतिसे अश्वमें भी समान ही है । अर्थात् महिषादिरूप अगोसे व्यावृत्त होनेके कारण अश्व भी गौ हो होवे । यदि गोत्व कोई और चास्तु हो तो उसे कहो । अर्थात् गोत्व अन्यव्यावृत्ति—(अपोह) रूप न होकर विषात्मक जातिरूप हो सो वस्तुभूत जातिकी सिद्धि ही हो गयी ।

द्वितीये तु तदगतधर्मविरहित्यावृचस्तद्वानेव स्यात् ।
तत्र च न विवादः ।

मिथः सम्भन्नाकाराः पिण्डा एव साधारणं रूपमस्तु,
कृतमतद्रूपपरावृत्येति चेत्, न, सम्भेदाभावात् । स हि न
वास्तवः, पिण्डानां विरुद्धधर्माद्यस्तत्वात् । नाभिमानिकः,
शाश्वलेयादेभेदेनैव प्रथनात् । तद्वर्णाणां सम्भेदाभिमान इति
चेत्, न, धर्म्यतिरिक्तधर्मानभ्युपगमात् । अभ्युपगमे वा
पर्यवसितं विवादेन ।

द्वितीयपक्षमे तो उस गाड्यचिमे वर्तमान गोत्वधर्मसे शून्य जो वरतु,
उससे व्याधत्त (भिन्न) जो होगा, वह गोत्वधर्मवान् ही होगा । और
उसमे कोई विवाद नहीं है । अर्थात् इस पक्षमे भी गोत्वज्ञातिकी
सिद्धि होनेसे मेरा अभीष्ट ही सिद्ध हुआ ।

धर्मकीर्तिमतखण्डन

परस्परमे एकाकार पिण्ड ही साधारणरूप है । अर्थात् पिण्डोंकी
एकाभारता ही उनकी अनुगत बुद्धिका विषय है न कि पिण्डगत कोई
जाति । इसीलिये जातिसण्ठनके लिये अतदृच्यावृत्तिरा सहारा लेना
भी अनावश्यक है । धर्मकीर्तिका यह पिण्डैक्यवाद भी ठीक नहीं है,
क्योंकि पिण्डोंका एकत्व ही असमय है । कारण, पिण्डोंका वास्त-
विक एकत्व हो नहीं सकता, क्योंकि सभी पिण्ड परस्पर विरुद्ध धर्मोंसे
युक्त हैं । पिण्डोंका काल्पनिक पक्षव भी नहीं हो सकता है । क्योंकि
शाश्वलेय आदि सभी पिण्ड भिन्न रूपमे ही भासित होते हैं ।

यदि कहें कि—पिण्ड भले ही भिन्न-भिन्न रूपसे भासित होते हैं
किन्तु उनके धर्मोंमें एकत्वका अभिमान होता है और वही धर्मगत
आभिमानिक एकत्व अनुगत प्रतीतिका विषय है—तो यह कथन भी ठीक
नहीं है । क्योंकि आपके मतमें धर्मोंसे अतिरिक्त धर्मकी सत्ता ही नहीं
है । यदि धर्मोंसे अतिरिक्त धर्मकी सत्ता माने तो हमारे साथ विवाद
ही समाप्त हो जाता है । क्योंकि आपने भी वास्तविक अनुगत धर्म
(जाति) की सत्ता स्वीकार ही कर ली ।

स्यादेवत्, भिन्नानामेव स्वलक्षणानां समानाकारविक-
रपजननसामर्थ्यमस्तु । तदपेक्षया च केचिद् गाव इति व्यप-
दिश्यन्ते केचिदगाव इति । तच सामर्थ्यं स्वकारणनियतत्वाद-
दर्पर्यनुयोज्यम् । अन्यथा सामान्येष्वपि सामान्यान्तरं कल्प्येत्,
अनुगतव्यवहारानुरोधात् । तथा गोपिण्डेष्वपि, गोत्वस्य
तेष्वेव व्यवस्थित्यनुरोधात् । उभयमुखी चैवमनवस्था स्या-
दिति चेत्—

(आशङ्का) अस्तु, सभी स्वलक्षणात्मक पिण्ड परस्पर भिन्न ही रहे
और उनमें समानाकार सविरुद्धरूप ज्ञान उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य रौप्याकार
को जाय । एवं उसी सामर्थ्येके रहनेसे कोई “गो” ऐसा व्यवहृत
होने हैं और उसके न रहनेसे कोई “अगो” ऐसा व्यवहृत होते हैं ।
साथही वह सामर्थ्यं स्वकारणनियत है, इसलिये उसके समर्थ्यमें यह
प्रश्न नहीं हो सकता कि क्यों वह अमुकमें ही है और अमुकमें नहीं है ।
और यह भी प्रश्न नहीं हो सकता कि उस सामर्थ्यमें भी दूसरा अनुगत
सामर्थ्य है या नहीं ? अन्यथा “गाहत्रं सामान्यम् अश्वत्वं सामान्यम्”
इस अनुगत व्यवहारके अनुरोधसे सामान्योमें भी अन्यसामान्यकी
कल्पना करनो पड़ जायगी ।

एवं “गोत्व गोपिण्डोमें ही रहता है अन्यत्र नहीं” इस व्यवस्थाके
अनुरोधसे गोपिण्डोमें गोत्वके वृत्तित्वनियमकके रूपमें एक अतिरिक्त
जातिकी कल्पना करनी पड़ेगी । तथा गोत्वके समान ही उस नवीन
)रूप्यमान जातिके भी वृत्तित्वके नियमनके लिये पुन गोपिण्डोमें अन्य
जातिकी कल्पना करनी पड़ जायगी । इसप्रकार ऊर्ध्वमुखी एवं अधो-
मुखी दोनों प्रकारकी अनवस्था ही जायगी । अर्थात् गोत्वसामान्य में
दूसरा सामान्य और उसमें दूसरा यह ऊर्ध्वमुखी अनवस्था तथा गोत्व-
गत वृत्तित्वके नियमनके लिये गोपिण्डोमें दूसरी जाति तथा उसके भी
नियमनके लिये गोपिण्डोमें दूसरी जाति तथा उसके (उस जातिके)
भी नियमनके लिये उन गोपिण्डोमें दूसरी जातिकी कल्पना करनी पड़
जायगी, जिसका विश्राम न होनेसे अनवस्था हो जायगी ।

यद्येवं, निमित्तान्तरमनपेक्ष्यैकव्यवहारोऽत्यन्तमित्रैः, एवं भिन्नव्यवहार एवाभिन्नेनैकेन केनचित् किं न साध्यते ? शक्ति-स्वमायावलम्बनस्योभयत्रापि तुल्यत्वात् ।

अथैवं सत्येकव्यवहारः कचिदपि न स्यात् निनिमित्तो वा भवेत्, उभयमप्यनिष्टम् । तदेतत्तुल्यम् । अनेकव्यवहारोऽप्येवं सति न स्यात् निनिमित्तो वा भवेत्, उभयमप्यनिष्टम् । तस्मादेकेनैकव्यवहारवदनेकेनाप्यनेकव्यवहार एवेति सामर्थ्यनियमः ।

का गतिस्तरहि सामान्येऽप्यनेकेष्वेकव्यवहारस्य ? या चन्द्र-मस्येकस्मिन्नेकव्यवहारस्य । ब्रान्तोऽसाविति चेत्, अयमपि

(समाधान) उक्त प्रतिपादन ठीक नहीं है । क्योंकि इस प्रकार जाति-को स्वीकृत किये बिना ही यदि अत्यन्त भिन्न स्थलक्षणोद्घारा एक अनुगत विकल्पजनन का व्यवहार होना माना जाय तो ऐसे ही अभिन्न किसी एक चक्षु (जाति) को मानते हुए उसीसे सभी भिन्न भिन्न व्यवहार होते हैं, ऐसा क्यों न माना जाय ? क्योंकि स्वाभाविक सामर्थ्यका अवलम्बन दोनों पक्षोंमें समानरूपसे किया जा सकता है ।

यदि कहो कि—ऐसा होनेपर एक व्यवहार कहीं न हो सकेगा, या यिना किसी निमित्तके ही होगा, यह दोनों ही ठीक नहीं हैं—तो यह दोप आपके भी पक्षमें समान है । क्योंकि आपके कथनातुसार अनेकव्यवहार भी कहीं न हो सकेगा, या बिना किसी निमित्तके होगा, जो दोनों ही अनिष्ट हैं । इसलिये एकसे जैसे एक ही व्यवहार होता है, वैसे अनेकसे भी अनेक ही व्यवहार हो सकता है, यही वस्तुगत सामर्थ्यका नियम है ।

यदि एकसे ही एकव्यवहार होता है तो गोत्व, अश्वत्व, महिपत्व आदि अनेक सामान्योंमें होने वाले सामान्यरूप एकव्यवहारकी क्या गति होगी । तो मैं कहूँगा, जो गति एक चन्द्रमामें अनेकत्वव्यवहारकी होती है, वही होगी । यदि कहो कि—चन्द्रमामें अनेकत्वव्यवहार

भ्रान्त एव। वाधकस्योभयत्रापि तु लयत्वात् ।

सर्वत्र भ्रान्तोऽस्तिवति चेत्, मेदव्यवहारोऽपि तथा कि न स्यात्? अर्थक्रियास्थितेरिति चेन्, व्यक्तिमेदाभेदव्यवस्थापकार्थक्रियाभेदाभेदवत् सज्जातीयासज्जातीयत्वव्यवस्थापकार्थक्रियासाज्जात्यवंजात्ये अपि किं न पद्यसि? ते अपि भ्रान्ते इति चेन्, अर्थक्रियाभेदोऽपि भ्रान्त इति तु लयम्। अस्त्वेवमिति चेन्, त्यज तद्हि वाह्यव्यसनम्। अयमेवाशय इति चेन्, तत्र वक्ष्यामः ।

मा भूद् वाऽर्थक्रियासाज्जात्यवैज्ञात्यावगमः, भ्रान्यनुगमोऽप्येकं निमित्तमनादृत्य कथम्? तदपि हि कार्यसाज्जात्यं

भ्रमात्मक है तो अनेक सामान्योंमें यह एकसामान्यत्वका व्यवहार भी भ्रमात्मक ही है। क्योंकि वाधक दोनों जगह समानरूपसे हैं।

यदि कहो कि—तब गोपिण्डोंमें भी एक गोत्यसामान्यका व्यवहार भ्रान्त हो तो कहूँगा कि सर्वत्र व्यक्तियोंमें भेदव्यवहार भी भ्रान्त वयों न हो जाय!

यदि कहो कि—अर्थक्रियाके भेदसे व्यक्तिमें भेद होता है—तो जैसे अर्थक्रियाका भेद और अभेद व्यक्तिके भेद और अभेदका व्यवस्थापक है, वैसे ही अर्थक्रियाका साज्जात्य और वैज्ञात्य व्यक्तिके सज्जातीयत्व और विज्ञातीयत्वका व्यवस्थापक है, यह बात भी सुझे क्यों न सूझनी है?

यदि कहो कि—अर्थक्रियाका साज्जात्य और वैज्ञात्य भी भ्रान्त हैं—तो व्यक्तियोंमें भेद सिद्ध करने वाला अर्थक्रियाका भेद भी वैसे ही भ्रान्त होगा।

यदि कहो कि—हा, अर्थात् अर्थक्रियाभेद और व्यक्तिभेद सभी भ्रान्त हैं—तो फिर वाह्यवस्तुओंकी सच्चाका आपह छोड़ दो। यदि तू अपना अभीष्ट भी इसे ही बताओ तो उसके सम्बन्ध में आये कहेंगे।

अथवा अर्थक्रियाका साज्जात्य वैज्ञात्य भले ही मत स्वीकार करो किन्तु एक निमित्तको माने विना भ्रान्तियोंका अनुगम भी कैसे हो

सामग्रीसाजात्यमन्तरेणाकस्मिकमापयेत् । अन्यथा तत्परम्परालम्बनमपि विद्म्यनमेव । भिन्नैस्तैस्तैरभेदव्यवहारसिद्धौ व्यक्तिभिरेव तथाभूताभिरमिमतसिद्धेस्तदनुसरणप्रयासवैफल्यात् । तस्मादारोपव्यवहारस्याप्यनारोपितजात्यनादरेऽसम्बव एतेरि ।

अस्तु तहिं जात्यादौ वाधकादपोहसिद्धिरिति चेत्, व्यवहारस्यानन्यथासिद्धौ क्य वाधकम् ? अन्यथा विपक्षे वलवद्वाधकमुपनीयानन्यथासिद्धिविश्रान्तोऽपि स्वभावहेतुर्वाधक-

सकेगा ? क्योंकि भ्रान्तिरूप कार्योंका भ्रान्तित्वरूप साजात्य भी सामग्री-साजात्यके विना आकस्मिक होने लगेता । अर्थात् कोई ज्ञान भ्रमात्मक होता है और कोई ज्ञान अभ्रमात्मक, यह व्यवस्था कारणगत साजात्य और वैज्ञात्यके निमित्तसे ही है । अन्यथा सभी ज्ञान भ्रान्त ही होते या अभ्रान्त ही होते ।

एवं, यदि कारणगत साजात्य न मानो तो बीज, धान्य और शालिकलम (विचडा) आदिये अङ्गुरादिप्रयोजकके रूपमे कुर्वद्रूपत्वपरम्पराकी कलशना भी आपकी व्यर्थ ही होगी । क्योंकि जैसे भिन्न भिन्न पिण्डोंसे ही अभेद (एकाकार) व्यवहार होना मानते हो, वैसे ही भिन्न भिन्न बीजादिव्यक्तियोंसे ही अनुगत अङ्गुरादि कार्योंकी वृत्तचित्तमें कोई अनुपपत्ति नहीं होती । फिर अकुरसाजात्यके अनुरोधसे बीजादिव्यक्ति और उसकी कारणपरम्परामे कुर्वद्रूपत्वपरम्परानुसरणका प्रयास करना व्यर्थ है ।

इसीलिये भ्रमव्यवहार भी कही वास्तविक जातिकी प्रसिद्धिके निना असंभव ही है । अर्थात् वास्तविक संपत्त्वादिजाति यदि कहीं प्रसिद्ध न हो तो रुजुमे उसका आरोप भी नहीं हो सकता है ।

जातिवाधकनिरास

यदि कहें कि—अनेकव्यक्तिवृत्ति जाति, अनेकव्यक्तिवृत्ति संयोग या अवयवी आदिके होनेमे वाधकप्रमाणके होनेसे अनायास अपोहकी सिद्धि हो जायगी—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि राहित या

शक्याऽप्युपहन्येत् । ततो वाधकव्यसनमपहायानुगमव्यव-
हविरन्यथाऽप्युपपादताम् । न चैतच्छक्यम्, गत्यन्तरामात्रां ।

न च वाधकमप्यस्ति । तद्वि स्वरूपतो वा स्यात् ज्ञानतो
वा स्यात् । स्वरूपतोऽप्यनुपलभ्मो वा विश्वधर्मान्व्यासो वा ।

न प्रथमः, असिद्धे । स्फुरत एव हि साधारणाकारस्य
शरीरं चिन्तयितुमारब्धं नास्फुरतः । अद्यक्षे साधारणस्फुरणं
व्यासेधामो न तु विकल्पे, तस्य समानसङ्केतग्रहतिमिरनिष्ठ-

निश्चित दोनों ही प्रकारका वाधक नहीं हो सकता है । कारण, जातिको
स्वीकार किये बिना किसी अन्य प्रकारसे जब अनुगत व्यवहारकी
सिद्धि ही नहीं की जा सकती है, तब जातिवाधकको शक्ता ही कहाँ
है । अर्थात् अनुगत व्यवहारकी अनन्यथासिद्धि ही वाधकराज्ञाको दूर
कर देती है । अन्यथा विषयमें बलवान् वाधकों पाकर अनन्यथा
सिद्धिसे परिपुष्ट भी आपका स्वभाव हेतु (अनुमापक हेतु) वाधककी
आशङ्कामात्रसे दूखित हो जायगा । इसलिये वाधकके व्यवसनको छोड़कर
जातिके बिना भी अनुगतव्यवहारका उपपादन करनेका प्रयास करो ।
किन्तु जाति माने बिना कोई गति नहीं होनेसे अनुगतव्यवहारका उप
यादन अशक्य है । क्योंकि अन्यपोद्वारा अनुगत व्यवहारकी अनुप-
निष्ठा दिखायी जा चुकी है ।

एव जातिके प्रति कोई निश्चित वाधक भी नहीं है । क्योंकि वह
जातिस्वरूपका वाधक होगा या उसके हानका ? स्वरूपपक्षमें भी जाति-
स्वरूपका अनुपलभ्म होगा अथवा विश्वधर्मका अन्यास होगा ?

1) इसमें अनुपलभ्मवाला प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि अनुपलभ्म
असिद्ध है । कारण, यहाँ नाना गतादिव्यक्तियोंमें भासित होनेवाले ही
गोत्यादि सामान्यका स्वरूपचिन्तन प्रारम्भ किया गया है न कि नहीं
भासित होनेवालेका । अत गोत्यादिसामान्यका अनुपलभ्म कहना
असङ्गत है ।

यह कथन भी कि—प्रत्यक्ष (निर्विकल्पक) में ही हम साधारण
व्यर्मस्फुरणका निषेध करते हैं, न कि सविकल्पकमें । निर्विकल्पक हानमें

न्यकरम्भितदृष्टिभिरेवोपपादनात् न त्वस्मामिः, कल्पनाकोपस्यानन्तप्रसरतया तत्त्वाव्यवस्थापकत्वादिति चेत्, शब्दानुसन्धानविरहेऽपि जायमानत्वात् ।

तथापि तद्वासनात् एवेति चेत्, किमेकसङ्केतविषयाभावेऽपि समानशब्दसङ्केतग्रहवासनावशादेकाकारपरामर्शस्तत्सञ्ज्ञावे वा ? न तावदाद्यः, नानासासनादिमद्व्यक्तिवत् स्वर्गलोचनबाणम्बुद्धुलिशादिष्वपि गोशब्दसङ्केतग्रहवासनावशात् तथाविधप्रत्ययानुगमप्रसङ्गात् । इष्ट एवासावर्थं इति चेत्,

साधारणधर्ममानका उपयादन तो वे ही करते हैं, जिनका दृष्टि सभी गोव्यक्तियोंमें समान गवादिशब्दके सङ्केतप्रहरूपी अन्धकारसमूहसे कल्पित हो गयी है, इम नहीं । कारण कल्पनाकोपके विस्तारका अन्त नहीं होनेसे कल्पनाके आधारतत्त्वकी ड्यवस्था नहीं हो सकती है । अर्थात् सविकल्पकज्ञानमें काल्पनिक ही भाज होनेसे उसके आधारपर जातिकी सिद्धि नहीं हो सकती है—ठीक नहीं है । क्योंकि गोपदवार्हयत्वके अनुसन्धानाभावदशामें भी प्रत्यक्षकालमें अनेक गोव्यक्तियोंमें अनुगत एक गोत्वज्ञातिका भाज सबको होता है ।

यदि कहो कि—वहाँ भी प्रारूपन सङ्केतप्रहकी वासना (सस्कार) है—तो क्या सङ्केतविषयके एक न होनेपर भी समानशब्दके सङ्केतप्रहकी वासनासे एकाकार (अनुगत) बुद्धि होती है ? या सङ्केतका विषय भी एक ही है इसलिये एकाकार बुद्धि होती है ? इनमें आद्यपक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि सास्नादि (गलकम्बल) धारी नाना व्यक्तियोंके समान गोपदवार्हय स्वर्ग, लोचन, बाण जल, वज्र, बाणी, दिशा, किरण और पृथ्वीमें भी समान गोशब्दके सङ्केतप्रहकी वासनासे पकाकार अनुगत प्रतीति होने लगेगी ।

यदि कहो कि—उन सबोंमें भी एकाकार अनुगतप्रतीति इष्ट ही है—सो यह सास्नादिमती नानाव्यक्तियोंमें साधारणरूप (गोत्व) को नहीं

सोऽयं सास्नादिमतीपु व्यक्तिपु साधारणं रूपं न पश्यति, पश्यति तु गोशब्दवाच्येषु दशस्थिति किमत्र वक्तव्यम् । नून रुचिरेनास्य^१ लोचनमिति । शक्यमिदमितरेणापि वक्तुमिति चेत्, शक्यम्, न तु व्यवहारस्तन्मूलो विपर्यासयितुम् ।

नन्वेतावतापि विकल्पः सिद्ध्यतु, अनुभवस्तु कथम् ? सवस्तुकपिकल्पसिद्धेरेव । कथ तस्य सवस्तुकतेति चेत्,

देखता है और गोपदके दश वाच्यार्थोंमें तो देखता है, यहाँ हम क्या कहें ? निश्चित ही इसकी अपनी रुचि ही नेत्र है ।

यदि कहो कि—इस प्रकारको वात बौद्ध भी कह सकता है । अर्थात् नैयायिक भी गोपदवाच्यार्थ स्वर्ग आदिमे साधारणरूप (गोत्व) नहीं देखता है और गोपदवाच्य सास्नामती व्यक्तियोंमें तो गोत्वको देखता है, ऐसा क्यों ?—तो बौद्ध भी भले ही ऐसा कहे किन्तु अनुगतधर्ममूलक समानाकारव्यवहारको अयथा नहीं कर सकता ।

यहाँ समाधानका आशय यह है कि स्वर्णादिभे भी जो अनुगतरूपसे गोव्यवहार होता है, उसका कारण है गोशब्दवाच्यत्वरूप अनुगत धर्म । कि तु सास्नादिमती व्यक्तियोंमें होनेवाले अनुगत गोव्यवहारका कारण गोशब्दवाच्यत्वरूप अनुगत धर्म नहीं है, किन्तु गोत्व जाति ही है । क्योंकि जिसे गोव्यक्तियोंमें गोशब्दवाच्यत्वको व्युत्तर्त्ति नहीं है, उसे भी उनमें अनुगतरूपसे गोप्रतीति होती है ।

यदि कहो कि—पूर्वांक युक्तिवादसे भी सविकल्पक ज्ञान अनुगतजातिविषयक भले ही सिद्ध होवे किन्तु अनुभव (निविकल्पक ज्ञान) जातिविषयक कैसे सिद्ध होगा ?—तो मैं कहूँगा, कि गोत्वरूप वस्तु विषयक सविकल्पक ही निविकल्पक ज्ञानके भाग गोत्वविषयक होनेमें प्रमाण है । क्योंकि कोई वाधक नहीं रहनेपर सविकल्पकज्ञानका विषय ही निविकल्पका भी विषय होता है ।

यदि कहो कि—सविकल्पक ज्ञानकी सचस्तुकता ही अभी तक कहाँ सिद्ध हुई है ? अर्थात् वह तो अलोकविषयक होता है—तो मैं यता

१. रुचिरेनास्य इति क्वचित् पाठ ।

शब्दवासनादिकारणान्तरविघ्वंसादिति तुष्णीम्भव ।

अन्तराले किमिति नोपलभ्यत इति चेत्, उपलव्धिकारणाभावात् ।

पिण्ड एव कुण्डे बद्रवत् कुवो नोपलभ्यत इति चेत्, न, अनन्यदेशात्वात् । भेदेन तूपलभ्यत एव, पिण्डान्तरासंसर्गिणि पिण्डेऽनुभूयमाने तत्संसर्गितयाऽनुभवात् ।

चुका हूँ कि शब्दसङ्केतप्रह या उसकी वासना आदि अन्य कारणोंके अभावमें भी “गौत्यम्” ऐसी सविकल्पक प्रतीति गोत्वामक अनुगत धर्मके कारण ही होती है । इसलिये गोत्व भी वस्तुमूल ही है । अतः अब कुछ कहनेमे मौन हो जा ।

“गोत्वजाति यदि व्यापक है तो दो पिण्डोंके मध्यदेशमे क्यों नहीं उपलब्ध होती है ?” एव यदि नित्य है तो एक पिण्डके नष्ट होनेपर पिण्डान्तरकी उत्पत्तिके पूर्वकालमे क्यों नहीं उपलब्ध होती है ? तो इस प्रश्नका उत्तर है कि नित्य और व्यापक होनेपर भी दो पिण्डोंके अन्तरालमें जातिकी उपलव्धि इसलिये नहीं होती है कि उसकी अभिव्यक्तिका सास्नादिमती व्यक्तिका वहाँ अभाव है ।

यदि कहो कि -पिण्डमें यदि कोई जाति है तो जैसे कुण्डमें पृथक्-रूपसे बद्रकी उपलव्धि होती है ? वैसे पिण्डमें पृथक्-रूपसे जातिकी उपलव्धि क्यों नहीं होती है ?—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि पृथक् उपलव्धिका अर्थ यदि पिण्डसे भिन्न देशमे उपलव्धि हो तो जातिका पिण्डसे अतिरिक्त कोई देश ही नहीं है । बद्रका तो कुण्डसे अतिरिक्त अपना अवयव ही देश है । एव पृथक् उपलव्धिका अर्थ यदि पिण्डसे भिन्नरूपमे उपलव्धि हो तो पिण्डसे भिन्नरूपमें जातिकी उपलव्धि होती ही है । क्योंकि एक पिण्ड दूसरे पिण्डका असंसर्गीकर भासित होता है और उससे भी सम्बद्ध वह जाति होती है । अर्थात् पिण्ड और जातिमे यदि अभेद होता तो उस पिण्डसे असम्बद्ध दूसरे पिण्डमें उस जातिका अनुभव नहीं होता ।

नापि द्वितीयं वाधकम्, अवयविसमानयोगक्षेमत्वात् । जायमानपिण्डसम्बन्धानुपपत्तिरप्रतिसंक्रमात् तत्रासन्चात् अनु-
त्पादाचेति चेत्, कथं पुनस्तत्रासन्वं त्वया व्यज्ञायि ? तत्र
सत्ये तत्रत्याकाशादेरपि गोत्वप्रसङ्गादिति चेत्, न चैतद्
पश्चादपि तत्रत्याकाशादिना सम्बद्धते । येन च पिण्डेन
सम्बद्धते, न तत्र कदापि तत्रास्ति । तत्कुतो विरोधः ।

“सङ्केतका विषय भी एक ही है” इस द्वितीय पक्षको तो अभीष्ट होनेके कारण मूलकारने दूषित नहीं किया । क्योंकि इस पक्षमें सभी गोव्यक्षियोंमें वर्तमान एक गोत्वजातिको पूर्वपक्षीने भी सङ्केतका विषय स्वीकार कर लिया ।

जातिके प्रति विशद् धर्माभ्यासरूप द्वितीय विकल्प भी वाधक नहीं हो सकता है । क्योंकि अवयवीके समान ही इसका भी साधनप्रकार है । अर्थात् अवयवीके सम्बन्धमें ऐसे, “वह कात्स्न्येन अवयवोंमें रहता है अथवा एकदेशेन” इस विकल्पका खण्डन किया गया है, वैसे ही जातिके सम्बन्धमें भी कात्स्न्येकदेशरूप विशदधर्मके अध्यासका खण्डन समझना चाहिये ।

यदि कहो कि—जायमान पिण्डके साथ गोत्वका सम्बन्ध तीन प्रकार से हो सकता है—(१) दूसरे पिण्डसे उस पिण्ड तक सब्लक्षण द्वारा (२) या यहाँ पहलेसे ही वर्तमान रहनेके कारण (३) अथवा उस जायमान पिण्डके साथ साथ उत्पन्न होनेके कारण । ये हीनों ही गोत्वमें अनुप-पत्र हैं । क्योंकि निष्क्रिय होनेसे जाति चल नहीं सकती है । यदि उस देशमें यदि वहलेसे गोत्व रहे तो उस देशको भी गौ कहने लगेंगे । तथा जातिके नित्य होनेसे पिण्डके साथ वह उत्पन्न भी नहीं कही जा सकती है—तो तने कैसे समझा कि गोत्व उस पिण्डस्थलमें पहलेसे वर्तमान नहीं है ?

यदि कहो कि—वहाँ पहलेसे गोत्वके रहनेपर वहाँके आकाशमें भी गोत्वप्रसङ्ग हो जायगा—तो यह गोत्व पीछे भी तो वहाँके आकाशसे सम्बद्ध नहीं होता है । अर्थात् गोत्वव्यवहारके लिये समवायसम्बन्धसे

अथ पिण्डमन्तर्गुमुपादायोपलक्षणतया तत्रेति व्यवहारः, तदा तदुपसर्पणापसर्पणोत्पत्तिविनाशैरेव तदुपपत्तौ न यातीत्या-दिरपराद्वेषोरिव धानुष्कस्य कण्ठडम्बरः ।

तथाहि पिण्डमधिकुत्योपसर्पणापसर्पणाभावः, तदुपलक्षितं

गोत्वकी सत्ता कारण है, इसलिये पिण्डकी उत्पत्तिके पूर्व या पीछे स्वरूपत गोत्वके रहनेपर भी आकाशके साथ उसका समवायसम्बन्ध नहीं रहनेसे आकाशमें गोत्वप्रसङ्ग नहीं होता है ।

यदि कहो कि—पिण्ड तो एक अन्तर्गुमात्र (निरूपकमात्र) है, न कि वह गोत्वका समवायेन आचार है । इसलिये उसे लेकर पिण्डमें गोत्वका व्यवहार लाक्षणिक है, मुख्य नहीं है । और उस उपलक्षणभूत पिण्डकी सत्तावस्थामें “इह गोत्वम्” तथा पिण्डशून्य आकाशमें “नेह गोत्वम्” ऐसा व्यवहार होता है—तो वैसे ही पिण्डके उपसर्पण अपसर्पण, उत्पत्ति एव विनाशसे ही गोत्वके सत्त्वासत्त्व व्यवहारोंकी भी उपरति हो जायगी, फिर—

न याति न च तत्रासीत् न चोत्पन्न न चाशयत् ।

जहाति पूर्वं नाधारमहो व्यसनसन्ततिः ॥

इस प्रकारका जातिके सम्बन्धमें धर्मकीतिका कण्ठधोष भी वैसा ही है, जैसा वाणके लक्ष्यसे घिचलित होनेपर धनुर्धारीका होता है । अर्थात् धर्मकीतिने जातिके सम्बन्धमें विरोध उपस्थित किया है कि “गोत्वादि जाति जायमान पिण्डदेशमें न जाती है, न वहाँ पहलेसे थी ही, न वहाँ उत्पन्न ही होती है और न सावधयवय होती हुई पूर्व आधारको छोड़ती या अन्य आधारको प्राप्त ही करती है, इस प्रकार जाति माननेमें कितनी व्यसनपरम्परा है ?” परन्तु हमारे मतमें जातिको कहीं जाने या उत्पन्न होनेकी आवश्यकता नहीं है, वह तो व्यापक और नित्य है । जाना, आना, उत्पन्न और नष्ट होना पिण्डगत धर्म है । इस प्रकार जातिको लक्ष्य कर कीतिने जो विरोध प्रदर्शन किया है, वह व्यक्तिमें संकाल्प होकर निष्कल हो जाता है । अतः धर्मकीतिकी स्थिति लक्ष्य-चयुत धानुष्कके समान है ।

एवं, पिण्ड तक न जातिका उपसर्पण होता है और न किसी अन्य

देशमधिकृत्य च सत्त्वासत्त्वे सामान्यस्येति कि केन सङ्गतम् ? अथाप्यनुत्पन्ने पिण्डे तस्यासत्त्वं सुलभमेव तदसत्त्वादिति हृदयम्, तच, स्वरूपसत्त्वासत्त्वयोद्दितीयानपेक्षत्वात् । सम्बद्धत्वासम्बद्धत्वे तु द्वितीयापेक्षे । ततस्तत्रासति नास्तीति कोऽर्थः ।

तेनासता न सम्बद्धत इति चेत्, तच्चैवमेतत् । पथात् कथ सम्बद्धतामिति चेत्, तस्य सत्त्वात्, असम्बद्धत्वस्य तद-सत्त्वप्रयुक्तत्वात् । ततः प्रागसन् पिण्डः पथात् कथमुपपद्यता-मिति चोघनिष्ठा, सा च सत्कार्यवादमनुपततीत्यभुक्तवान्तिः ।

पिण्डसे जाति बिलग ही होती है । इस मान्यतावे कारण निष्ठोपलक्षित आकाशादिदेशोमें जातिकी सत्ता या असत्ता कहना वैयाधिकरण्यके कारण एकदम असङ्गत है ।

यदि आपका आशय हो कि—स्वरूपत जाति पिण्डोपलक्षित आकाशादि देशोमें भले ही रहे और जो पिण्ड उत्पन्न हो चुका है, उसमें भी वह भले ही रहे, किन्तु जो पिण्ड अभी तक उत्पन्न ही नहीं है, उसमें सो उस जातिका अभाव सुराम् सुलभ है । क्योंकि उस जातिका आधार-भूत पिण्ड ही नहीं है—तो वह ठीक नहीं है । क्योंकि जातिकी स्वरूपत सत्ता या असत्ताके लिए पिण्डादिरूप द्वितीयकी अपेक्षा ही नहीं है । हाँ, सम्बद्ध या असम्बद्ध होनेके लिए तो जाति किसी द्वितीयकी अपेक्षा रखती है । अर्थात् पिण्डके उत्पन्न होनेपर उसमें जाति सम्बद्ध रहती है, नहीं तो स्वरूपत विद्यमान भी जाति असम्बद्ध ही रहती है । ऐसी स्थितिमें “असन् पिण्डमें जाति नहीं है” आपके इस कथनका क्या अर्थ है ?

यदि “उस असत् पिण्डके साथ जातिका सम्बन्ध नहीं है” यह अर्थ लें तो वह ठीक ही है । यदि पूछें कि—पीछे उस पिण्डके साथ जाति क्यों सम्बद्ध हो जाती है ?—तो उत्तर होगा, पिण्डकी सत्ता हो जानेके कारण । क्योंकि पिण्डसे जातिकी असम्बद्धता पिण्डकी असत्ताके कारण ही रहती है । उसके बाद आपके पूर्वपक्षकी निष्ठा (पर्यवसान या

तथापि सामान्यतद्वतोरत्यन्तभेदे कर्थं सामानाधिकरण्य-
मिति चेत्, किमिदम् ? समानेनाधिकरणेन हि सम्बन्धः सामा-
नाधिकरण्यम्, तस्य च भेदेन को विरोध इति नाधिगच्छामः ।
गवाश्वयोरपि तथाभावप्रसङ्ग इति चेत्, ननु अविरेकदृष्टान्त-
स्थान तत्, न तु विरोधस्थानम् । तच्च मैत्रतनयोऽपि यदि
कथिदृश्यामः स्यात् परिवृश्यभानानामपि तथाभावप्रसङ्ग इति
क्व नाम दुर्लभम् ?

निचोड) यही है कि—पहले असत् विड पीछे किसे सत् हो सकता
है ।—किन्तु वह तो साख्यके मत्कार्यवादका अनुगमन कर रही है, जो
आपके द्वारा कभी भी स्वीकृत नहीं हुए रहनेके कारण बिना कुछ खाये
चमनके समान है ।

“तथापि जाति (धर्म) और जातिमान् (धर्मी) मे यदि अत्यन्तभेद
हो तो उनमें परस्पर सामानाधिकरण्य कैसे हो सकता है ? ‘अतः धर्म
और धर्मीमि अत्यन्तभेद न मानकर आशिकभेद अर्थात् भेदभेद ही
मानना चाहिये’ तो यह क्या कह रहे हो ? अर्थात् ऐसा नहीं कह
सकते । क्योंकि समान अधिकरणसे सम्बन्ध ही तो सामानाधिकरण्य
कहाता है और उसे भेदसे क्या विरोध है ? यह हम नहीं समझते ।

यदि कहो कि—अत्यन्तभेदमे सामानाधिकरण्य माननेपर गो और
अश्वमें भी सामानाधिकरण्य होने लगेगा—तो हम यह नहीं कहते कि
जिनमे भेद है, उनमे अपश्य सामानाधिकरण्य होता है । किन्तु कहीं
भेदमे सामानाधिकरण्य होता है, जैसे जाति और जातिमानमे । और
कहीं भेदमें सामानाधिकरण्य नहीं होता है, जैसे गो और अश्वमे । इस
प्रकार गो और अश्व अविरेकदृष्टान्तका स्थान है, न कि सामानाधिक-
रण्यका विरोधस्थल है । जैसे, मित्राका कोई पुत्र अश्याम है तो उसके
चाकी श्याम भी पुत्र अश्याम नहीं हो जाते । वैसे ही भेदमे सामाना-
धिकरण्य होता है, ऐसा कहनेपर असमानाधिकरणरूपमे निर्णीत गो और
अश्वमें भी सामानाधिकरण्यकी प्रसक्ति नहीं होती । इस प्रकार विरोध
न होने हुए भी अविरेकदृष्टान्तका स्थान कहीं दुर्लभ है ।

तथापि विशेषो चाच्य इति चेत्, अस्ति स्वाभाविको विशेषो यत् किञ्चिदेव केवचित् सम्बद्धं न सर्वं सर्वेषेति । तथाऽनुगमनियमोऽपि स्वभावादेव किं न स्पर्शदिति चेत्, एकस्यानेकसम्बन्धेऽनेकस्य चैकसम्बन्धेऽविरोधात्, एकानेकयोरनेकैकव्यवहारविरोधादिति ।

नापि ज्ञानतो वायकम्, तत्स्वरूपप्रतिक्षेपस्यानुभवव्याधितत्वात् । कारणप्रतिक्षेपस्य च जन्मनैवापास्तत्वात् । एकत्व-

"फिर भी परस्पर भिन्नोंमें भी कहीं सामानाधिकरण्य होता है और कहीं नहीं होता, इसका नियामकविशेष यताना चाहिये—तो स्वभाव यही वह नियामकचिक्षेप है, निससे कोई ही किसीसे सम्बद्ध होता है, सब सबसे नहीं ।

यदि कहो कि "वैमे अनुगत व्यवहारका नियम भी स्वभावप्रयुक्त ही क्यों न होगा ? अत उसके लिये सामान्य (जाति) माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है" तो यह कह सकते हो । क्योंकि एकका अनेकके साथ सम्बन्ध होनेमें या अनेकका एकके साथ सम्बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है । अर्थात् एक सामान्यका अनेक पिण्डोंके साथ और अनेक पिण्डोंका एक सामान्यके साथ सम्बन्ध होनेमें कोई भी विरोध नहीं है । विरोध केवल हसीमे है कि एकसे अनेक व्यवहार नहीं हो सकता और अनेकसे एक व्यवहार नहीं हो सकता । अर्थात् अनेक पिण्डसे एक अनुगत व्यवहार नहीं हो सकता है । अत जाति स्वीकार करना अनिवार्य है ।

एव सामान्यज्ञानका कोई वाधक भी नहीं है । क्योंकि वह ज्ञान-वाधक होगा, या उसके कारणका, अथवा उसके एकत्वका, या उसके प्रामाण्यका, अथवा प्रामाण्यव्यापक इन्द्रियज्ञवाना, या साक्षात्-कारित्वका वाधक होगा ?

इनमें सामान्यज्ञानके स्वरूपका निराकरण अनुभवव्याधित है । अर्थात् सामान्यज्ञान तो सर्वजनानुभव सिद्ध है । सामान्यज्ञानके कारणका निराकरण तो सामान्यज्ञानकी उत्पत्तिसे ही खण्डित है । क्योंकि कारणके बिना सामान्यज्ञानकी उत्पत्ति होती कैसे है ?

प्रतिक्षेपस्य च विरुद्धधर्माध्यासविरहप्रतिहतत्वात् । पारोक्ष्या-
पारोक्ष्यादेरसिद्धेः ।

विषयमप्रतिक्षिप्य तत्प्रामाण्यस्य प्रतिक्षेप्तुमशक्यत्वात् ,
तदप्रतिक्षेपस्य च दर्शितत्वात् ।

इन्द्रियजत्त्वप्रतिक्षेपस्य चेन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधान-
याधितत्वात् । साक्षात्कारित्वपिथान्ते च तदनुविधानस्या-

एव ज्ञानगत एकत्वका भी निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ
विरुद्धधर्माध्यासका अभाव होनेसे एकत्वमें कोई बाधा नहीं है । अर्थात्
यद्यपि "तदेवेदम्" यह विज्ञान तत्पदार्थ और इदपदार्थमें एक धर्म-
बन्धको सूचित करता हुआ सामान्यमें प्रमाण हो सकता है तथापि
तत्पदार्थ-प्राहृक और इदपदार्थ प्राहृक विज्ञान एक न होकर यदि परस्पर
भिन्न भिन्न हो तो सामान्यकी सिद्धि कैसे हो सकेगी ? इस प्रकार
ज्ञानमें एकत्वके बाधसे सामान्यका भी बाध हो जाता है ।

किन्तु उक्त ज्ञानमें एकत्वका बाध तब होता यदि ज्ञानमें विरुद्ध
धर्मोंका अध्यास होता । तत्त्वाशमें परोक्षत्व और इदमशमें अपरोक्षत्व
को लेकर तो ज्ञानमें विरुद्ध धर्माध्यास असिद्ध है । सर्वार या
स्मृतिके द्वारा उपनीत विशेषणाशमें भी विशिष्टज्ञान अपरोक्ष ही
होता है ।

एव, सामान्यज्ञानकी प्रामाणिकताका भी निराकरण नहीं हो सकता ।
क्योंकि सामान्य (जाति) रूप विषयका निराकरण किये बिना सामान्य-
ज्ञानके प्रामाण्यका निराकरण नहीं हो सकता और विषयनिराकरणकी
असम्भावयता पूर्वमें दिखाई जा चुकी है ।

यह भी नहीं कह सकते कि—जो ज्ञान प्रमाण होता है, वह इन्द्रिय-
जन्य होता है, सामान्यज्ञान तो इन्द्रियजन्य है नहीं । इसलिये उसमें
इन्द्रियजन्यत्वरूप व्यापकके अभावसे प्रामाण्यरूप व्याप्यका अभाव
सिद्ध हो जायगा—क्योंकि सामान्यज्ञान इन्द्रियके रहनेपर होता है और
इन्द्रियभावकी दशामें नहीं होता । इस प्रकार चूँकि सामान्यज्ञान
इन्द्रियके साथ अन्वय और व्यतिरेकका अनुविधायी होता है, इसका
कारण उसमें इन्द्रियजन्यत्वका निराकरण भी नहीं हो सकता है ।

चर्षभिचारात् । अन्यथा निर्विकल्पकस्य पृष्ठ्यनिन्द्रियजत्त्वप्रसङ्गात् । कामातुरकामिनीज्ञानस्य उदन्तरेणाप्युपपत्तेः । वाधकाभावाच दर्शनवगपार्गपाधिकत्वकल्पनानवकाशात् । अवकाशे वा वर्षयकल्पनाया अपि प्रसङ्गात् ।

इन्द्रियमनपेक्ष्य साक्षात्कारिसमनन्तरप्रत्ययमहिममात्रेण साक्षात्कारिविकल्पोपपत्तौ तद्विपरीतानुत्पत्तिप्रसङ्गात् । प्रथ-

यद्यपि इन्द्रियव्यापारके विना भी शशविषयाणादिविकल्पकी उत्पत्ति होती है, इसलिये सविकल्पक ज्ञानके प्रति इन्द्रियसञ्जिकर्यकी कारणता नहीं है। सथापि साक्षात्कारिव्यवच्छिन्न ज्ञानके प्रति तो इन्द्रियका अव्यवयतिरेकातुविधान नियमितरूपसे है ही। अन्यथा निर्विकल्पक ज्ञानके प्रति भी इन्द्रियकी कारणता लुप्त हो नायगी। क्योंकि जब कामातुरव्यक्तिको चिना इन्द्रियसञ्जिकर्यके ही वेचल भावनावशसे निर्विकल्पकका ही समानर्थमा एव अस्पष्ट अवभासरूप कामिनीज्ञान उत्पन्न होता है तो अस्पष्ट अवभासरूप निविकल्पक ज्ञान भी विना इन्द्रियसञ्जिकर्यके क्यों न हो जाय ?

सविकल्पकके सम्बन्धमें यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि वह स्वभावत साक्षात्कारी ज्ञान नहीं है तथा दर्शन (निर्विकल्पक) गत व्यापार (साक्षात्त्वधर्म) का उसमें आरोप होता है। क्योंकि सविकल्पकके स्वभावत साक्षात्कारी ज्ञान होनेमें कोई वाधक नहीं हैं। यदि उक्त कल्पनाको अवकाश दिया जाय तो उसके विपरीत भी कल्पना की जा सकती है कि सविकल्पक ही साक्षात्कारी ज्ञान है और उद्गत साक्षात्त्वधर्मका उसमें आरोप होता है।

यदि कहा कि—अठयव्यवहित पूर्वमें जो निर्विकल्पात्मक साक्षात्कारी ज्ञान होता है, उसीकी महिमासे आगे सविकल्पक ज्ञान होता है और वह उसीके समान साक्षात्कारी भी होता है—तो उक्त नियमानुसार उस साक्षात्कारी सविकल्पकके बाद उससे विपरीत असाक्षात्कारी ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये। कि तु सविकल्पकमात्रसे असाक्षात्कारी उत्पत्तिच्छायाही उत्पन्न थाए रख्य मानले हैं,

सविकल्पकके प्रति इन्द्रियकी कारणता होनेपर भी इन्द्रियके आपाव

ममनुत्पत्तेः पूर्वस्मरणादिसहकारिवैधुर्यादिनिबन्धनत्वादित्येषा दिक् ।

अस्तु तर्हि प्रयोजनानुरोधादपोहस्थीकारः, सर्वधर्मविचल्गत्वसिद्धिहिं परमं प्रयोजनम्, कल्पनाजालविधूननेत गम्भीरोदारसमाधिसमधिगमादिति चेत्, निष्प्रमाणमिदं कः श्रद्धदृष्ट्यात् ? प्रमाणं चात्र न प्रत्यक्षानुमने । आगमथ न किञ्चिद् वदतीति त्वयैव ग्राहितः शिष्यः ।

मात्रसे सविकल्पकी उत्पत्ति इसलिये नहीं होती, क्योंकि वह सहकारीके रूपमें पूर्ववर्ती निर्विकल्पको अपेक्षा करती है, तथा वही इन्द्रिय प्रत्यभिष्ठात्मक साक्षात्कारी ज्ञानको उत्पत्तिके लिये सहकारीके रूपमें तत्त्वाशके स्मरणकी अपेक्षा करती है, और इन्द्रियसम्पादक्षणमें उक्त सहकारियोंका अभाव रहता है । यहाँ सामान्यज्ञानके प्रामाण्यकी उपपत्तिके लिये उसके इन्द्रियजन्यत्वका साधन तो एक दिग्दर्शनमात्र है । वस्तुतस्तु विषय के अचार्यित होनेसे ही कोई ज्ञान प्रामाणिक होता है । इसीलिये इन्द्रियजन्य नहीं होनेपर भी अनुमित्यादि ज्ञान प्रमाण होता है ।

(पूर्वपक्ष) ‘‘तो प्रयोजनके अनुरोधसे ही अपोह स्थीकार करना चाहिये और गवादिशब्दोंके बाह्य गोत्य आदि धर्म नहीं हाते, यह सिद्ध करना ही यहाँ परम प्रयोजन है । क्योंकि अपोहस्थीकारद्वारा जात्यादि-कल्पनाजालका उन्मूलन होकर वासनासहित मिथ्याज्ञानके उन्मूलनमें समर्थ एव मुक्तिफलका प्रदान करनेवाले समाधिकी प्राप्ति हो जायगी । अर्थात् जात्यादिक जब पारमाधिक नहीं होंगे तो तुच्छ समझकर उसमें प्रवृत्यादि नहीं होगी । इस प्रकार वाद्यव्यापारसे उपरत होकर मन नैरात्म्यभावनामें समाहित होगा और मुक्त हो जायगा’’

(उत्तरपक्ष) इस प्रमाणशून्य कथनमें कौन अद्वा करेगा ? अर्थात् अपोहका स्थीकार समाधिप्राप्तिका कारण है, यह कथन अप्रामाणिक होनेसे अश्रद्धेय है । क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण नहीं हैं । यदि कहो कि इसमें बीढ़ आगम प्रमाण है, तो शब्दरूप होनेसे आगम भी किसी वस्तुको नहीं कह सकता यह बात तो तुमने ही अपने शिष्योंको सिखा दी है ।

न चैवं चेतनो ग्राहयितुमपि शक्यते, स्ववाग् विरोधस्यो-
द्धर्मत्वात् । तथा हि—

शब्दस्य कस्यचिदपि^१ वस्तुनि मानसिद्धा
याधा^२ विधिव्यवहृतिः क्षचिदस्ति नो वा ?

साथ ही इस प्रकारकी सीख किसी सचेतन व्यक्तिको नहीं दी जा सकती, क्योंकि उत्तर स्वचनविरोध हो जायगा । अर्थात् “आगमो न किञ्चिद् वक्ति” यह भी तो आगम ही है और कुछ विषयको भी कहता है । किर “आगम किसी वस्तुको नहीं कहता” ऐसा कहनेमें स्वचनविरोध क्यों न होगा ? एवं किसी शब्दद्वारा स्वलक्षणात्मक वस्तुमें प्रामाणिक विधि और निपेदक व्यवहार होता है या नहीं ? यदि होता है तो क्यों नहीं वे सम्पूर्ण दोष यहाँ भी हो जायेंगे ? जो तुम्हारे द्वारा मेरे प्रति दिये गये हैं । अर्थात् अननुगत होनेसे स्वलक्षणात्मक वस्तु शब्दसङ्केतका विषय नहीं हो सकता और शब्दज्ञानका भी विषय नहीं हो सकता । क्योंकि स्वलक्षणज्ञानको शब्दप्रयोगद्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है ।

एवं अतदूढ्यावृत्तिरूप अनुग्रहर्थको मान कर भी स्वलक्षण वस्तु शब्दका वाच्य नहीं हो सकती । क्योंकि वस्तुभूत स्वलक्षण अतदूढ्यावृत्तिरूप अलोक (मिथ्या) धर्मका आश्रय नहीं हो सकता है, इत्यादि दोष तुम्हारे पश्चमें भा हो जायेंगे ।

यदि कहो कि—स्वलक्षणात्मक वस्तुमें शब्दद्वारा विधि-निपेद व्यवहार नहीं होता—तो यहीं स्वचनविरोध स्पष्ट है । क्योंकि उक्त शब्दद्वारा भी वस्तुका ही व्यवहार किया गया है । इस प्रकार अवस्तुकी जगहपर वस्तुपदका सम्बिवेश कर तुम्हारे ही रूपोकको तुम्हारे विरोधमें पढ़ा जा सकता है । जैसे—

शब्दस्य कस्यचिदपि वस्तुनि मानसिद्धा
याधा विधिव्यवहृतिः क्षचिदस्ति नो वा ?

१ क्षचिदपि—इति वृत्तिविवित् पाठः ।

२ निपेदविविधयः ।

अस्त्येव चेत्, कथमियन्ति न दूषणानि ?
नास्त्येव चेत्, स्ववचनप्रतिरोधसिद्धिः ॥
इति तवैव^१ विषयसञ्चारमत्रेण इलोकः ।

न चास्माकमिव तवाप्यत्र मूकतैव शरणम् । सर्वया
वचनविरोधे द्युदासीनस्य सा शोभते, न चात्र विधौ विरोधः
कथित् । न च त्वं द्युदासीनः, प्रयोजने प्रवृत्तत्वात् । तस्मादल-
मङ्गुलीदीपिक्या ज्ञान्तर्ध्वं सविधिमनुष्टायेति ।

अस्त्येव चेत्, कथमियन्ति न दूषणानि ?
नास्त्येव चेत्, स्ववचनप्रतिरोधसिद्धिः ॥

हमने जैसे तुम्हारी गाथाके प्रति मूकता गृहीत कर ली, वैसे ही विषय
बदल कर पढ़ो गयी मेरी गाथाके प्रति तुम्हारी भी मूकता ही शरण नहीं
बन सकती । क्योंकि हर हालतमें वचनविरोध होनेपर उदासीन हुए
व्यक्तिके लिये ही वह मूकता शोभा देती है । यहाँ विधिवक्ष्यमें तो
कोई विरोध नहीं है और तुम उदासीन भी नहीं हो । क्योंकि अपोह-
सिद्धिद्वारा कल्पनाजालका ध्वंस कर समाधिप्राप्तिरूप प्रयोजनमें प्रवृत्त
हुए हो । इसलिये अङ्गुलीकी दीपिकासे अन्धकारको नष्ट करनेकी
चैष्टा न करो ।

अर्थात् ‘यत् सत् तत् क्षणिकम्’ इस अनुमानमें व्यतिरेकदृष्टान्तके
रूपमें तुमने कूर्मरोमका दृष्टान्त दिया है । उसका बदि मैं निषेध करूँ तो
कूर्मरोममें सद्वापत्ति हो जायगी, इस प्रकार उसे असत् माननेवाले
मुझे स्ववचनविरोध हो जायगा । अत मैंने मूकता स्थीकार कर ली ।
किन्तु तुम यहाँ मूकता का भ्रष्ट नहीं कर सकते । क्योंकि “अपोहसिद्धि-

? यही बोढ़ारिता यह है—

धर्मस्य शशदस्य कस्यविदवस्तुति मानसिद्धा ।

शाधाविधिवद्वृत्तिः वविदाति नो वा ?

अस्त्येव चेत्, कथमियन्ति न दूषणानि ?

नास्त्येव चेत्, स्ववचनप्रतिरोध एव (सिद्धि) ॥

२ न वा—इति गच्छुर्मिश्रसम्प्रतः पाठः ।

आगमस्य तत्त्वार्थपरिस्पर्शित्वविरोधे न स्वर्गापवर्गार्थिनां प्रवृत्तिः सिद्धतीति प्रयोजनमस्मद् विचारस्यैव परं सुन्दरम् ।

तस्मात्त्वद्वैः किं वाच्यमित्यनुयोगे किं प्रतिभासात् ? अथाध्यवसायात् ? यद्वा तत्त्वतः ? इति विकल्पे विकल्पस्थो-ज्ञ्यापोढाकारः, अन्यापोढस्वलक्षणं, न किञ्चिदिति यत् क्रमेण प्रत्युक्तम्—तत्र प्रथमे समयविपर्यासः, विकल्पाकारस्य समया-विपर्यत्वात् ।

द्वारा कल्पनाजालके ध्वसमे शब्दका विधितिषेधव्यवहार नहीं होता” ऐसा कहनेवाले तुम्हें स्ववचनविरोध होगा ही ।

मेरे मतमे तो आगमको तत्त्वार्थप्रतिपादक न माननेपर स्वर्गार्थियों और मोक्षार्थियोंकी प्रवृत्ति ही न हो सकेगी । इसप्रकार आगमको प्रमाण माननेका प्रयोजन मेरे विचारानुसार ही परम सुन्दर है । अर्थात् स्वर्ग और मोक्षमे प्रवृत्तिरूप प्रयोजनसिद्धिके लिये मैं तत्त्वप्रतिपादनमे आगमको प्रमाण मानता हूँ । किन्तु आगमको प्रमाण नहीं माननेवाले तुम्हें अपोहसिद्धिद्वारा समाधिप्राप्तिरूप प्रयोजनकी सिद्धि कैसे हो सकेगी ? क्योंकि अपोहमे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण हैं नहीं और आगमको तुम प्रमाण मानते नहीं ।

इसलिये, शब्दोंका वाच्य अर्थ क्या है ? जैयायिकद्वारा इस प्रश्नके किये जानेपर ज्ञानश्रीने तीन प्रकारके विकल्प किये हैं कि—१ शब्दजन्य ज्ञानका विषय क्या है ? यह प्रश्न है ? या २—शब्दजन्यप्रवृत्तिका विषय क्या है ? यह प्रश्न है ? अथवा ३—वस्तुत शब्दका वाच्य क्या है ? यह प्रश्न है । और तीनोंका ब्रमण उत्तर देते हुए कहा है कि—यदि प्रथम प्रश्न हो ‘तो उत्तर होगा कि सविकल्पकज्ञाननिष्ठ जो अन्यव्यापृत्त आकार, वही शब्दजन्य ज्ञानका विषय है । यदि द्वितीय प्रश्न हो तो उत्तर होगा कि अन्यापोढ स्वलक्षणात्मक वस्तुमें ही शब्दद्वारा प्रवृत्ति होती है । यदि तृतीय प्रश्न हो तो उत्तर होगा कि कोई भी वस्तु शब्दका वाच्य नहीं होती ।

किन्तु यहाँ ज्ञानश्रीके प्रथम उत्तरमें सङ्केतका विषय (अभाव) हो

द्वितीये तु प्रवृत्तिविपर्यासः, अद्वैते नियामकाभावात् ।
तृतीये स्ववाद्निरोधः, अस्यैवार्थस्यानेन तत्त्वतावचनात् ।
अवचने चा तत्त्वतोऽनुत्तरत्वादित्युपसंहारः । तत् सिद्धमेतत्,
न क्षणिकत्वमात्मनि वाधकमिति ॥

॥ इति क्षणभङ्गवादनिरासः ॥

जाता है । क्योंकि ज्ञानका आकार सङ्केतका विषय नहीं होता, किन्तु बाह्यवस्तु ही सङ्केतका विषय होती है । ऐसी स्थितिमें विकल्पगत आकार शब्दजन्य ज्ञानका विषय नहीं हो सकता है ।

द्वितीय उत्तरमें प्रवृत्तिका विषय (अभाव) हो जाता है । क्योंकि स्वलक्षणात्मक वस्तुओंके विकल्पका अविषय होनेके कारण विकल्पद्वारा किस स्वलक्षणमें प्रवृत्ति हो और विसमें न हो, इसका नियामक नहीं होनेसे कहीं भी प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी ।

तृतीय उत्तरमें स्वयचन विरोध हो जाता है । क्योंकि “वत्त्वत् कोई अर्थ शब्दका वाच्य नहीं होता है” इसी अर्थकी तात्त्विकताको “शब्दस्य किञ्चित् तत्त्वतो न वाच्यम्” यह आपका शब्द जब घटा रहा है, तब कोई भी शब्द किसी अर्थको नहीं बताता, ऐसा कहनेमें स्वयचन विरोध अवश्य होगा । इससे यथनेके लिये यदि तृतीय प्रत्यक्षका उत्तर ही न दो तो उत्तर न देनेसे अप्रतिभानामक निपद्वस्थानसे निषेधीत हो जावोगे । इस प्रकार अपोहनिराकरणका यह प्रसङ्ग समाप्त होता है ।

अतः यह बात सिद्ध हो गयी कि क्षणिकवाद आत्माकी सिद्धिमें वाधक नहीं हो सकता ।

इति क्षणभङ्गवादनिरास ।

अथ वाह्यार्थभङ्गवादः

विज्ञानवादिनि जागरुके वाह्यमेव नास्ति, कुत आत्मेति
चेत्, स तावदिदं पृष्ठो व्याचष्टाम्—किं ते ग्राह्यग्राहक-
भागयोः परमार्थसतोरेवाभेदो विवक्षितः ? उताहो अभिन्न-
जातीयत्वम् ? अथ ग्राह्यांशस्यालीकत्वमिति ?

तत्र प्रथमे साध्ये यः कथिद्युधेतुरुपादीयते सहोपलभ्म-
नियमो वा, ग्राह्यत्वं वा, प्रकाशमानत्वं वा, स व्यक्तमाभासः ।

योगाचारमतखण्डन

(पूर्वपक्ष) विज्ञानवादीके सज्जग रहते वाह्य कोई वस्तु ही सिद्ध
नहीं है, फिर तदन्तर्गत आत्माकी सच्चा कैसे हो सकती है ? अर्थात् एक
विज्ञान ही परमार्थ सत् है, उससे भिन्न सभी वाह्य असत् हैं । तथा
नेयायिकोंका आत्मा भी ज्ञानसे भिन्न होनेसे वाह्य और असत् है ।

(उत्तरपक्ष) ऐसा कहनेवाला विज्ञानवादी इन प्रश्नोंका उत्तर
कहे कि क्या उसे वस्तुभूत प्राह्य (विषय) और ग्राहक- (ज्ञान) भागोंका
अभेद विवक्षित है ? या उन दोनोंके एक जातिका होना प्रियक्षित है ?
अथवा प्राहाशा (विषयभाग) का मिथ्यात्व अभिप्रेत है ?

इनमें यदि प्रथम साध्य अभिप्रेत हो तो उसकी सिद्धिके लिये जो
कोई हेतु दिया जायगा, वह चाहे सहोपलभ्मनियम हो या प्राह्यत्व हो
अथवा प्रकाशमानत्व हो, वह स्पष्ट ही हेत्याभास है, हेतु नहीं है ।
अर्थात् ज्ञान और विषय अभिन्न है, क्योंकि विषयके साथ ही ज्ञानका
भी नियमतः भान विज्ञानवादी मानता है । एवं घटविषय घटज्ञानसे
अभिन्न है, क्योंकि वह वाह्य है । तथा घटज्ञान घटसे अभिन्न है,
क्योंकि ज्ञान स्वप्रकाशरू है । ये तीनों ही हेतु हेत्याभास हैं ।

क्योंकि आपके मतानुसार प्राह्य और ग्राहकमें अभेद होनेसे परामर्श
हेतु, पक्ष, साध्य और अनुभितिमें अभेद होगा, अत इनमें परस्पर

तथा हि नीलधवलादिपरस्परविरुद्धाकारनिकरावगाहि विज्ञान-
भनुभूयते, तदिदं तस्य स्ववधाय कृत्योत्थापनम् ।

यदि हि मिथः प्रत्यनीकधर्मानुलिखेत्, कथमेकं उत्
तदात्मकं भवेत् ? न चेदुलिखेत् कथं तदाकारं नाम ? स्व-
संवेदनस्यानुलिखितरूपाभावात् ।

वाद्यस्यैतम्बिविरुद्धधर्माध्यासाइ भयम्, तथात्वेऽप्यभेद-
र्थक्रियाचेतनप्रवृत्तीनां सङ्करप्रसङ्गात्, विवेचनानुपपत्तिप्रस-

हेतुदेवुमद्भाव कैसे हो सकता है ? एव नील, धबल, पीत आदि
परस्पर विरुद्ध आकारोंका अवगाहन करनेवाला चित्ररूपका शान सत्रको
अनुभूत होता है । जो उस ज्ञानके अपने ही वधके लिये छत्यारो
जगानेके समान है । अर्थात् परस्पर विरुद्ध अनेक आकारोंको विषय
करनेवाला एक चित्रज्ञान होता है । यहाँ यदि ग्राह-प्राहकमें अभेद
हो तो एक ज्ञान अनेक 'विरुद्धस्वरूपवाला कैसे हो सकता है ? ।
अत चित्रज्ञानको भी आकारभेदसे भिन्न मानना पड़ेगा । इसस्थितिमें
चित्राकार एकज्ञान नहीं रह जायगा और स्वयं उसका ही विलय
हो जायगा ।

क्योंकि चित्रज्ञान यदि परस्पर विरोधी धर्मोंका उल्लेख करता है, तो
चह ज्ञान एक होता हुआ उन अनेक विरोधी धर्मोंसे अभिन्न कैसे हो
सकता है ? और यदि उन विरोधी धर्मोंगत उल्लेख नहीं करता है, तो
यह नीलाकार धवलाकार आदि कैसे हो सकता है ?

यदि कहें कि—विना उल्लेख हुए ही नील धवल आदि विरोधी
धर्म चित्रज्ञानके विषय होंगे—तो यह नहीं हो सकता है । क्योंकि
स्वप्रकाशपक्षमें विषयोंका उल्लेख किये विना कोई ज्ञान ही नहीं
नहीं होता है ।

(पूर्वपक्ष) वाद्य वस्तुको ही विरुद्धधर्माध्याससे भय है । क्योंकि
विरुद्धधर्मोंका अध्यास होनेपर भी यदि अभेद हो तो वस्तुओंमें अर्थ-
क्रिया एवं उनमें चेतनप्रवृत्तिका सङ्कर हो जायगा । अर्थात् आगसे भी
ध्यासकी शान्ति और जलसे भी दाह होने लगेगा । इस प्रकार अर्थक्रिया

ज्ञाच, न तु विज्ञानस्य । न हि तस्यार्थक्रियाधीनं सत्त्वम्, अपितु प्रतिभाससमाव्याधीनम् । नापि तत्रार्थक्रियार्थिनः काचिर् प्रवृत्तिः, स्वरसवाहिविज्ञानप्रवाहातिरिक्ताया अर्थक्रियायास्तदर्थिनश्चाभावात् । विवेचनाभावश्च परमो निर्वाहः, स्वसंविदितरू (द्रू) पत्वादिति चेत्,

तत् किमङ्ग ! परिणतशान्तेराश्रमपदमिव विज्ञानमासाद्य च्यालनकुलादेरिव नीलध्वलादेः शाश्वतिकविरोधत्यागः ? निभृतवैराणां तत्कलत्यागां वा ?

का सद्गुर हो जायगा । एव दाहके लिये जलमें तथा प्यासकी शान्तिके लिये आगमें प्राणियोंकी प्रवृत्ति होने लगेगी । इस प्रकार प्रवृत्तिका भी सद्गुर हो जायगा । एवं, अभेद होनेपर नील और ध्वलका विवेचन (भेदज्ञान) नहीं हो सकेगा ।

विज्ञानको तो विरुद्धघर्षणाससे कोई भय नहीं है । क्योंकि अर्थक्रियाके अधीन विज्ञानकी सत्ता नहीं है, किन्तु स्वप्रकाश होनेसे प्रतीतिमात्रके अधीन ही उसकी सत्ता है । साथ ही किसी अर्थक्रियाको इच्छासे विज्ञानमें किसीकी प्रवृत्ति भी नहीं होती है, क्योंकि मेरे मरमें स्वरमयाही विज्ञानपाठाके अतिरिक्त कोई अर्थक्रिया या उसका अर्थव्यक्ति ही नहीं होता ।

यदि “विरुद्धघर्षका अध्यास होनेपर भी विज्ञानमें अभेद माननेमें नीलपीतादि विषयके भेदसे विज्ञानका विवेचन (भेदज्ञान) नहीं हो सकेगा” यह अनुरपत्ति विज्ञानयादीके ऊपर दिया जाय तो यह विज्ञानयादीको परम साधिका ही है, साधिका नहीं । क्योंकि विज्ञानपाठमें नीलपीतादि विषय और उसके विज्ञानमें भी अभेद ही है । परं विज्ञानको जाननेके लिये भी स्वभिन्न विज्ञानकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि स्वप्रकाश होनेसे विज्ञान अपने आप विदितरूप होता है ।

(उत्तरपट्ट) हो क्या ? उच्चादोषिकी गान्धिगाले मुनिके आश्रम-इयानको पाढ़र सर्व और नेपछके समान विज्ञानको पाढ़र नीलध्वलादि

न तावत् प्रथमः, परस्परनिषेधविधिनान्तरीयकविधि-
निषेधयोरविरोधे जगांत् विरोधोच्छेदप्रसङ्गात् । न चैवमस्त्व-
त्युच्चरेऽपि निवृतिः, कथमप्युक्तरूपताया अनिवृत्तेः, ताव-
न्मात्रशरीरत्वाच्च विरोधस्य । तत्साद्वरेव च भेदसिद्धिः ।
अतो न द्वितीयोऽपि ।

यस्तु वाह्ये विरोधपारेपालनाय विशेषो दर्शितः, स तेपा-
मेवास्तु । यदि र्वह विरुद्धधर्माध्यासस्य भेदसाधकत्वं प्रति

विरोधी धर्मोंका सदातन विरोध हट जाता है ? अथवा विरोधके रहते
हुए भी विरोधका फल हट जाता है ? अर्थात् नीलपयलादि विरोधी
विषयोंके कारण विज्ञानमें भेद नहीं आता ?

यहाँ प्रथम पक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि परस्परके निषेध और विधि
का व्याप्त्य जो परस्परका विधि और निषेध, उसमें यदि अविरोध हो जाय
तो जगत्मात्रसे विरोधका उच्छेद हो जायगा । अर्थात् नीलत्व यीतत्वाभा-
वका व्याप्त्य होता है और यीतत्व नीलत्वाभावका व्याप्त्य होता है ।
इस प्रकार परस्पर अत्यंत विरोधीं नील और यीतमें भी यदि विरोध
हट जाय तो संसारसे विरोधका नाम ही हट जायगा ।

(शंका) विज्ञानवादमें सभी वस्तुके प्रिज्ञानसे अभिन्न होनेके कारण
विरोधकी स्वतन्त्रसत्त्वाका उच्छेद हो जाना भी अभीष्ट ही है ।

(उत्तर) तुम्हारे इस उत्तरसे भी शान्ति नहीं मिल सकती है ।
क्योंकि नीलपीतादि में किसी भी प्रकारसे परस्परविरहव्याप्तता (विरुद्ध-
रूपता) की निवृत्ति नहीं हो सकती है । कारण, परस्पर विरह-
व्याप्तरूपता ही विरोधका स्वरूप है । एवं, नीलपीतादि के विरोधकी
सिद्धि ही नीलपीतविषयक विज्ञानके भेदकी भी सिद्धि है । इसलिये
“विरोधके रहते हुए भी विज्ञानमें भेद नहीं होता” यह द्वितीय पक्ष
भी ठीक नहीं है ।

जो तो बीद्वानें नीलपीतादि वाद्यवस्तुमें विरोधकी रक्षाके लिये अर्थ-
क्रियाप्रतिनियम (अर्थक्रियाकी व्यवस्था) को दर्शाया है, वह अर्थक्रिया-
प्रतिनियमरूप विद्योप उन्हींके यहाँ रहे । क्योंकि “विरुद्धधर्माध्यास

समाश्वासः, किमर्थक्रियाप्रतिनियमोपन्यासेन १ न चेत्, तथापि किं तेन ? सोऽपि द्वार्थक्रिययोर्विरुद्धधर्माध्यासेन भेदे सति स्यात् ।

अन्यच्च, यथा बाह्यर्थक्रियाप्रतिनियमो न स्यादिति दण्डस्तथा ज्ञानेऽपि प्रतिभासनियमो न स्यादिति दण्ड एव ।

क्षे प्रतिभासासाङ्कर्यनियमः, सहैव प्रतिभासोऽपि स्यादिति चेत्, न सहानुपलभ्मसाङ्कर्यं ब्रूमः, किन्तु नीलस्यैव

वस्तुभेदका साधक है” इस बातपर यदि विश्वास है तो भेदसिद्धिके लिये अर्थक्रियाके प्रतिनियमको उपस्थित करनेकी क्या आवश्यकता है ? यदि उक्त बातपर विश्वास नहीं है तो भी अर्थक्रियाप्रतिनियमको भेदसिद्धिके लिए उपस्थित करने की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि वस्तुओं में अर्थक्रियाकी व्यवस्था भी तभी हो सकती है, जबकि विरुद्धधर्माध्यास के कारण उनमें भेद हो । अर्थात् विरुद्धधर्माध्यास ही वस्तुत भेदका साधक होता है ।

दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार “बाह्यमे भेद न होनेपर उसमे अर्थक्रियाकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी” ऐसा विपक्षवाधक तर्क हो सकता है, वैसे ही ज्ञानके सम्बन्धमें भी तर्क दिया जा सकता है कि “ज्ञानमें यदि भेद न हो तो प्रतिभासकी भी व्यवस्था नहीं हो सकेगी” । अर्थात् नील-पीतज्ञानमें यदि भेद न हो तो नीलज्ञानमें पीतका भान और पीत-ज्ञानमें नीलका भान होने लगेगा ।

(शांता) प्रतिभासोंमें असाङ्कर्यका नियम ही कहो है ? क्योंकि कभी अकेले नीलका और कभी अकेले पीतका प्रतिभास होता है, तथा कभी नील-पीत दोनोंका साथ साथ सङ्कीर्णरूपसे भी प्रतिभास होता है । अत ज्ञानमें भेदसिद्धि करनेके लिये उक्त प्रकारसे प्रतिभासके असांकर्य-नियमको तर्कके रूपमें नहीं उपस्थित किया जा सकता है ।

(उत्तर) हमारे कथनानुसार प्रतिभासके असांकर्यका यह अर्थ नहीं है कि कई विपय एक साथ उपलब्ध (भासित) नहीं होते । किन्तु साथ भासित होनेवाला भी नील पीतरूपसे और पीत नीलरूपसे भासित

पीतत्वेन पीतस्यैव नीलत्वेनानुपलम्भम् । स एव मूलं सर्वविरोधानाम् । अन्यथोपलम्भानुपलम्भयोरप्यसिद्धिरेव ।

यदगि नोपलम्भते इत्युच्यते तदप्युपलम्भते एव । यदि-
दमश्चादिकमुपलम्भते तत्रोपलम्भते इत्युक्त्यैव निर्वृत्तेः । तेना-
त्मना नोपलम्भते इति चेत्, तद किं सहोपलम्भेऽपि नीला-
त्मना पीतमुपलम्भते यतो न विरोधः स्यात् ?

नहीं होता, इसे ही हम असाकर्य कहते हैं । और यही असाकर्य सभी
विरोधोंका (याहा बस्तुओंके विरोधका और ज्ञानके भी विरोधका)
मूल है ।

यदि केवल सहोपलम्भके कारण अविरोध होगा तो उपलम्भ और
अनुपलम्भमें भी विरोधकी सिद्धि नहीं हो सकेगी । क्योंकि उपलम्भ
और अनुपलम्भकी भी एक साथ प्रतीति होती है । क्योंकि जो गवादिकी
अनुपलब्धि कही जाती है, वह भी एक प्रकारसे उपलब्धि ही है । कारण,
जो यह अश्वादिकी उपलब्धि है, उसे ही हम गवादिकी अनुपलब्धि
कहकर अभिव्यक्त करते हैं । अथवा जो अश्वादिकी उपलब्धि कही
जाती है, वह भी एक प्रकारसे अनुपलब्धि ही है । क्योंकि गवादिकी
अनुपलब्धिको ही हम अश्वादि-उपलब्धिशब्दसे अभिव्यक्त करते हैं ।
इस प्रकार सहप्रतीतिके कारण उपलम्भ और अनुपलम्भ भी परस्पर
अविरोधी होने लगेंगे ।

यदि कहें कि—उपलम्भ और अनुपलम्भमें अविरोधका प्रसङ्ग देना
तब समुचित होता, जब कि जिसरूपसे अश्वकी उपलब्धि होती है,
उसीरूपसे उसकी अनुपलब्धि भी होती, किन्तु ऐसा न होकर अश्वत्व-
रूपसे अश्वकी उपलब्धि होती है और गोत्वरूपसे उसकी अनुपलब्धि
होती है । अतः उक्त विभिन्न प्रकारसे उपलम्भ और अनुपलम्भकी
सहप्रतीति दिखाकर उसमें विरोधकी असिद्धि नहीं कही जा सकती
है । अर्थात् एक ही रूपसे उपलम्भ और अनुपलम्भ दोनोंके होनेमें
परस्पर विरोध होगा ही—तो क्या नील और पीतका साथ-साथ उपलम्भ
होनेपर भी नीलरूपसे पीत उपलब्धि होता है कि उनमें परस्पर
विरोध न हो ?

तस्मादुभावपि विरोधौ समौ क्षमौ च। अभेदविसर्जने।
केवलमेकस्य ग्रौहिः सुभगाभिक्षुकन्यायेन यदि रथात्।

एतेन विवेचनाभावोऽपि निरस्तः, आकारयोरसम्भेदेन
वेदनस्येव विवेचनत्वान्।

अपि च क्षणिकतायामेकपुरुषपैक्याऽपि वाहस्यापि

इसलिए वाह्यवस्तुका पारस्परिक विरोध तथा नील-पीतादिविषयके विरोधसे नीलपीतादिविषयक उक्त समूहालम्बनात्मकज्ञानका विरोध भी समानरूपसे वाह्यवस्तुओंमें और उक्त ज्ञानमें भी अभेदको दूर करनेमें समर्थ होंगे। इनमें यदि कुछ अन्तर होगा तो यही कि सुभगाभिक्षुकन्यायसे तुम्हारेद्वारा भी वाह्यवस्तुओंका भेद सम्मत होनेके कारण वाह्यविरोधमें प्रौढ़ता है और उक्त प्रकारसे मेरे द्वारा आपादित ज्ञान-भेदके तुम्हारेद्वारा असम्मत होनेके कारण ज्ञानगत विरोध अप्रौढ़ है। अर्थात् जैसे, भिक्षुको पिदा करनेमें भी अभागिनीकी प्रधानतासो न सहकर कोई सुभगा स्वयं ही भिक्षुको पिदाकर अपनी प्रधानता दिखलाती है, वैसे ही तुम वाच्यमें अभेद दूर करनेमें वाह्यगत विरोधको प्रधानता देना चाहते हो और उक्त प्रकारसे ज्ञानमें अभेद दूर करनेके लिए आपादित ज्ञानगत विरोधसे मुख्य मोड़ते हो।

पूर्वोन्नत प्रकारसे विषय भेदमें प्रतिभास भेदके सिद्ध कर दिये जानेके बाद विवेचनाभाव स्त्रीकार करना भी यजिंडित हो जाता है। क्याकि नील पीत आदि आकारोंकी असर्कोर्णरूपसे प्रतीति ही तो नीलविज्ञान और पीतविज्ञानका विवेचन है। अर्थात् विज्ञानके नील और धबल आदि आकारोंमें जन पार्थक्य सिद्ध है, तब नील और धबल आकार-याले विज्ञानमें भी भेद सिद्ध होकर विवेचन सिद्ध हो हो जाता है।

एव क्षणिकगादमें एकपुरुषकी दृष्टि से वाह्यपदार्थका भी विवेचन कैसे हो सकेगा? अभिप्राय यह है कि क्षणिक होनेके कारण भेद-प्रदूकालमें वाह्यवस्तुका विनाश हो जानेसे नील-पीत आदि वाह्यपदार्थोंका विवेचन (भेदप्रद) यह पुरुष कैसे कर सकेगा?

यदि कहे कि—जिस नील पीतका जिस क्षणमें एक पुरुषके द्वारा

कुतो विवेचनन् ? नानापुरुपापेक्षयाऽपि सन्दिग्धम् । परेण परस्यावेदनात् क सन्देह इति चेत्, अभेदेनैव तत्त्वविवेचनं साध्यम्, तथा च किं तेनोपन्यस्तेन

तज्जातीयस्य तु वाह्यवद् विज्ञानस्यापि विवेचनमेवेति ।

सहोपलब्ध होगा, उसी नील-पीतका उसी क्षणमें दूसरे पुरुषके द्वारा विवेचन (भेदज्ञान) हो सकता है—तो भी “अन्य पुरुषद्वारा उस क्षणमें नील-पीतका विवेचन हुआ ही” ऐसा निश्चय नहीं होनेसे सन्देहास्पद है । और सन्देहात्मक विवेचन तो ज्ञानके सम्बन्धमें भी कहा जा सकता है । क्योंकि नील-पीतादि वाह्यके समान ही एक साध उपलब्ध होनेवाले नील और उसके ज्ञानमें भी अन्य पुरुषद्वारा विवेचन हो सकता है ।

यदि कहें कि—अन्यसे अन्यका ज्ञान नहीं हो सकनेसे ज्ञानमें विषयसे विवेचन (भिन्नत्व) का सन्देह भी कैसे हो सकता है ? एव ज्ञान यदि अपने विषयसे भिन्न होता तो वह ज्ञान उस विषयका प्रकाशक ही नहीं होता । क्योंकि परस्पर भिन्नमें प्रकाश्यप्रकाशकभाव माननेमें अश्व भी गौका प्रकाशक होने लगेगा । अतः प्रकाश्यप्रकाशकभाव होनेके कारण विषय और ज्ञानमें कथमपि विवेचन (भिन्नत्व) का सन्देह भी नहीं हो सकता है—तो आप अभेदके द्वारा ही नीलविषय और उसके ज्ञानमें अविवेचन सिद्ध करेंगे । ऐसी स्थितिमें ज्ञानका अपने ग्राह-विषयके साथ अभेद सिद्ध करनेके लिये विवेचनानुपपत्तिको हेतु बनानेसे भी क्या लाभ होगा ? अर्थात् ज्ञान और विषयमें पहले विवेचनानुपपत्ति सिद्ध हो तो अभेद सिद्ध होगा और पहले अभेद सिद्ध हो जाय तो अविवेचन सिद्ध हो । इस प्रकार अन्योऽयाश्रयदोष होनेसे ज्ञान और विषयका अभेद और अविवेचन नहीं सिद्ध हो सकेगा ।

यदि कहें कि—क्षणिक होनेके कारण भेदज्ञान होनेके कालमें नष्ट हो जानेसे एकसाथ उपलब्ध हुए नीलव्यक्ति और पीतव्यक्तिका उस पुरुष द्वारा परस्पर विवेचन (भेदप्रह) भले मत हो, फिर भी “नीलज्ञातीय पीतज्ञातीयसे भिन्न है” इस प्रकारसे वाह्यवस्तुका विवेचन तो उस पुरुष द्वारा हो सकता है—तो इस प्रकारसे विवेचन विज्ञानका भी हो ही

स्वसंवेदनवाधितोऽयं विरुद्धधर्माध्यासो न भेदसाधक इति
उद्गुणुडकम्, संवेदनेतैवात्म्य साधितत्वात् ।

हिनस्तु तहिं प्रकाशमानताऽनेकत्वं विरुद्धधर्माध्यासो-
अप्येकताम्, तथा प्येकत्वानेकत्वविकल्पीलाद्याकारप्रकाश-
स्वरूपे किमाग्रतमिति चेन, तदिदं भौतैः क्षेत्रनिलायनम् । नि-
यताकारत्वमेव हेकत्वमनियताकारत्वं चानेकता । तनि-
सकृता है । अर्थात् “नीलज्ञानजातीय पौत्रज्ञानजातीयसे भिन्न है” ऐसा
विवेचन विज्ञानमें भी ही जायगा, इसमें कोई वाधा नहीं है ।

यदि कहें कि—एक साथ नील और पीतको विषय बतानेवाले
समूहालम्बन ज्ञानके एकत्वमें अनुभव ही प्रमाण है । अतः नील-पीत
आदि विरुद्ध धर्मोंके अध्याससे उक्त समूहालम्बनात्मक ज्ञानमें भेद
साधन करना अनुभवसे वाधित है—तो यह वर्थन उद्गुणुडकन्यायका
ही अनुसरण करता है । क्योंकि अनुभव (सबेदन) ने ही नीलपीतका
भेद सिद्ध किया है, फिर वही भेदका वाधक कैसे हो सकता है ?
अर्थात् “कुरुपो हन्यताम्” यह सुनकर कुरुपको मानेके लिये जैसे (स्वयं
कुरुप) उट ही ढण्डा डठा ले, भेदको सिद्ध करनेवाले सबेदन (अनुभव)
को ही भेदका वाधक घताना चेतादी है ।

(शास्त्र) यद्यपि उक्त समूहालम्बनात्मक ज्ञान अनेक नहीं हो सकता,
क्योंकि विषयके भिन्न होनेपर भी अपने स्वरूपमें वह ज्ञान एक ही भासित
होता है । एवं नील-पीत आदि परस्पर विरोधी धर्मोंके अध्यासफे कारण
यह एक भी नहीं हो सकता है । तथापि एकत्व अनेकत्व दोनोंसे अलिप्त
रहते हुए नीलपीतादि आकारवाला ऐवल प्रकाशस्वरूप उक्त समूहालम्बन
ज्ञानको माननेमें क्या आपत्ति है ?

(उत्तर) आपका यह कथन यन्मोक्षके द्वारा धासके साथ साथ फसल
भी नष्ट कर देनेके समान है । अर्थात् प्रकाशस्वरूपकी रक्षार्थ लिये एकत्व-
अनेकत्वका निराकरण कर रहे हो । किन्तु एकत्व अनेकत्वके एण्डिव
पर दिये जानेपर प्रकाशस्वरूपकी भी सच्चा स्थायं विदीन हो जाती है ।
क्योंकि नियत आकारका होगा ही प्रकाशस्वरूपका एकत्व है और अनियत
आकारका होना ही उसका अनेकत्व है । इसलिये एकत्व-अनेकत्वकी

वृत्तौ च न नीलाकारं नापि नीलपीताद्याकारमित्यनकारमे-
वावशिष्यते ।

स्यादेतत्, पारमार्थिको विरुद्धधर्माध्यासो मेदहेतुरयं
काल्पनिक इति चेत्, एवं तर्हि सुतरामयत्नसिद्धं स्फटिकवद्
बोधस्य निराकारशुद्धत्वम् । आकारनिकरस्त्वनात्मेव स्फुर-
तीत्युभयथैव कालात्ययापदिष्टाः सहोपलम्भादयः ।

अपि च आत्मा तावद् विरुद्धधर्माध्यासचिन्ता । योऽयं

निवृत्ति हो जानेपर वह प्रकाशस्तरहूप ने नियतरूपसे नीलाकार ही हो
सकेगा और न नीलपीतादिरूप अनियत आकारवाला ही हो सकेगा ।
इस प्रकार निराकारता ही शेष रह जाती है । अतः उक्तसमूहलम्बन-
ज्ञानको नीलपीताद्याकार-प्रकाशस्तरहूप कहना च्याहत है ।

(पूर्वपक्ष) अस्तु, पारमार्थिक विरुद्धधर्माध्यास भेदका हेतु हो सकता
है, परन्तु यह तो काल्पनिक है । अर्थात् नीलपीतादि तो अवास्तविक
हैं, अतः उन्हें लेकर विरुद्धधर्माध्यास भी अवास्तविक ही है । इसलिये
अवास्तविक (काल्पनिक) विरुद्धधर्माध्याससे ज्ञानमे भेद कैसे सिद्ध
हो सकेगा ?

(उत्तरपक्ष) ऐसा कहो तो ज्ञानमे भी स्फटिकके समान विना
प्रयासके ही अच्छी तरहसे निराकार शुद्धत्व सिद्ध हो गया । क्योंकि
नीलपीतादि आकारसमूह तो ज्ञानसे बहिर्भूत ही स्फुरित होता है । इस
प्रकार नीलपीताद्याकार पारमार्थिक हो या काल्पनिक हो, दोनों ही
दराओंमे अभेदसाधक पूर्वोक्त सहोपलम्भ आदि हेतु वाधित हैं ।

अर्थात् नीलपीतादि आकार यदि पारमार्थिक है तो परमार्थतः विरोधी
नीलपीतादि धर्मोक्ता परस्परभेद, एव उन्हें अवग्रहन करनेवाले समूहा-
लम्बन ज्ञानके साथ उन धर्मोक्ता भेद, तथा उन विरोधी धर्मोक्ते कारण
समूहालम्बन ज्ञानमें भी स्वतः भेद सिद्ध हो जानेसे अभेद वाधित है ।
यदि नीलपीतादि अपारमार्थिक है तो पारमार्थिक ज्ञानके साथ अपार-
मार्थिक नीलपीतादिका अभेद सुतरा वाधित है ।

एवं पूर्वोक्त विरुद्धधर्माध्यासका विचार छोड़ भी दिया जाय, तो भी

ग्राह्यप्राहकमाग्नेदो ग्राह्यनीलादिभेदो वा चकास्ति, स किं सत्योऽसत्त्वे वा ? सत्यत्वे स एव दोषः । असत्यत्वे नाय-मात्पा विज्ञानस्येत्यनात्मन्यपि सहोपलम्भनियमादयोऽभ्यता इत्यनेकान्ताः ।

भेदो न प्रथत् एवेति चेत्, एव तर्हि अस्तु तत्त्वत् सर्व-जनीनप्रतीतिविरोधः स्ववाग्विरोधो वा । असिद्धास्तहिं हेतवः । न हि भेदाप्रथने सहार्थं तद्व्याप्तयां वा पश्यामः । तदस्फुरणेऽपि पक्षादिप्रविभागोऽपि कथम् ? किं च बोधयितुं

जो यह ग्राह्यभाग (विषय) और ग्राहकभाग (ज्ञान) का भेद तथा नीलादि विषयोंका पारस्परिक भेद भासित होता है, वह क्या सत्य है ? अथवा अमर्त्य है ? यदि भेद सत्य हो तो ग्राह्य-ग्राहकका तथा नील पीतादि ग्राह्योंका अभेद व्याधित ही हो गया । यदि यह भासमान भेद असत्य हो तो इस असत्य भेदका सत्य ज्ञानके साथ तादात्म्य (अभेद) नहीं हो सकता है । इस प्रकार तादात्म्यरूप (अभेद) साध्यके नहीं रहनेपर भी सहोपलम्भरूप हेतुके होनेसे पूर्वोक्त सहोपलम्भ हेतु अभिन्नारी है । अत विषय और ज्ञानका अभेद सिद्ध करनेमें यह हेतु सर्वथा अयोग्य है ।

यदि कहो कि—ग्राह्यग्राहकका भेद अथवा नीलशीतादिका भेद भासित ही नहीं होता है—तत तो सर्वजनीन प्रतीतिमा विरोध तथा स्वच्छनसा विरोध हो जायगा । अर्थात् सभीको ही उक्त भेदको प्रतीति होती है । इस प्रकार सर्वजनीन प्रतीतिका विरोध हो जाता है । एव भेदकी प्रतीति न होनेपर “भेदो न धृते” यह वचन भी तुम कैसे कह सकते हो ?

ऐसी स्थितिमें पूर्वोक्त सहोपलम्भ आदि हेतु भी स्वरूपासिद्ध हो जाते हैं । क्योंकि भेदकी प्रतीति न होनेपर सहोपलम्भिका कोई अर्थ ही नहीं है । कारण, अभिन्न वस्तुमें सादित्यका व्यवहार नहीं होता है तथा भेदकी प्रतीति न हो तो सहोपलम्भरूप हेतु अभेदहन साध्यका व्याप्त्य भी नहीं हो सकता है । क्योंकि भेदमें ही व्याप्त-व्यापकमात्र दोनों हैं ।

प्रवृत्तोऽसि किमर्थं च ? अन्वयव्यतिरेकाप्रतीती किं च हेतो-
र्थलम् ? कुतश्च प्रतिपत्तिः कीदृशे वेति ? सोऽयं विचार-
मारमते, भेदं तु सांवृतमपि नेछति, नूनमुन्मत्तोऽप्यनेन
जितः ।

निकल्पारूढ एव भेदो व्यवहाराङ्गं नानुभवारूढ इति
चेत्, सोऽपि सत्योऽसत्यो वा भाषते न वेति विकल्पान्
नातिवर्तते ।

एव भेदके अस्फुरणमे पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टान्त आदिका विभाग
नहीं हो सकनेसे अनुमानकी प्रवृत्ति भी कैसे हो सकेगी ? एव इसे
जनानेके लिये अनुमानमे प्रवृत्त हुए हो ? क्योंकि तुम्हारे मतमे वादि-
प्रतिवादीमे भी भेद नहीं है । एवं तत्त्वनिर्णय विजय आदि उद्देश्योंके
असत् होनेसे किस प्रयोजनके लिये अनुमानमे प्रवृत्ति दोगी ?

एव भेदके अभावमे अन्यथायतिरेककी भी प्रतीति नहीं हो सकनेसे
पक्षसत्त्व विपक्षव्यावृत्तत्व आदि हेतुका बल भी कैसे हो सकेगा ? एवं
विचार प्रवर्तक प्रतिपत्ति भी कैसे हो सकेगी ? क्योंकि भेदके विना
प्रतीतिशांसे भी विरोध नहीं हो सकेगा । विरुद्धा प्रतिपत्ति ही तो विप्रति-
पत्ति कहाती है । साथ ही भेदके अभावमे विप्रतिपत्तिके विषय भी
क्या होंगे ? इस प्रकार यह वादी विचार तो प्रारम्भ करता है किन्तु
विचारके लिये अपेक्षित भेद को प्रतीयमान भी नहीं मानता चाहता
है । निश्चित हो, इसने नैयायिकको छौन कहे उन्मत्तको भी जीत
लिया है ।

यदि कहो कि—सविकल्पकज्ञानका विषय (काल्पनिक) जो भेद,
यही पूर्णोक्त विविध व्यवहारोंके लिये अपेक्षित है । इसलिये व्यवहारों
की उपपत्तिके लिये भेदको निर्विकल्पकज्ञानका विषय (पारमार्थिक)
मनेको आवश्यकता नहीं है—तो वह सविकल्पकज्ञान का विषयभेद
भी सत्य है या असत्य है ? तथा भासित होता है या नहीं भासित होता,
इत्यादि विकल्पोंसे नहीं वच सकता है । अर्थात् भेद यदि सत्य है और
भासित होता है तो हमारा ही अभीष्ट सिद्ध हुआ । सत्य भी भेद यदि

असन्नेगास्फुरन्नेवाध्यवसीयत इति चेत्, अध्यवसीयत इति विवरणार्हमेतत् । तद्विषयव्यवहारजननमध्यवसायार्थ इति चेत्, व्यवहारोऽपि यद्व्यानरूपः कथमसंस्तेन जन्यताम् ॥ ज्ञानरूपश्चेत्, कथ नियामकं विना तद्विषयः ? स्वकारण-सामग्रीसामर्थ्यादिति चेत्, सोऽयं व्यवहृतिरूपज्ञानालीकभेद-योनियामकान्तराभावेऽपि कारणसामर्थ्यमाश्रित्य विषयविषयभावमिच्छति न तत्त्वानुभवानुभावयोरिति क्षीरं विहाय रुचि-ररोचकग्रस्तस्य सौबीरे ।

भासित न हो तो अभासमानका व्यवहार नहीं हो सकतेसे भेदका व्यवहार ही लुप्त हो जायगा । यदि असत्य भेदको भासित हुआ मानो तो तुम्हारे मतानुसार विषय और ज्ञानमें अभेद होनेसे असत्य ही हो जायगा । यदि उस भेदको असत्य मानते हुए अभासमान भी मानो तो भी पूर्ववत् भेद व्यवहार लुप्त हो जायगा । क्योंकि जो भासित ही नहीं होता उसका व्यवहार केसे हो सकेगा ?

यदि कहो कि—असत् होते हुए भी और निर्विकल्पकद्वारा अभास-मान होते हुए भी भेदका अध्यवसाय होता है—तो अध्यवसायका ही अर्थ यहाँ विचारणीय है । अर्थात् सविकल्पकद्वारा भेदाध्यवसाय होने का क्या अर्थ है ?

यदि कहो कि—भेदविषयक व्यवहार करना ही अध्यवसायका अर्थ है—तो आपके मतानुसार असत् होनेसे वह व्यवहार उस सविकल्पकसे कैसे उत्पन्न हो सकेगा ? यदि वह व्यवहार ज्ञानरूप हो तो किसी नियामकके बिना असत् और अभासमान भेद उसका विषय कैसे हो सकेगा ?

यदि कहो कि—व्यवहारस्तरूपज्ञान अपने कारणबलसे ऐसा ही उत्पन्न होता है कि अलीकभेदको भी अपना विषय बना लेता है—तो यह किसी अन्य नियामकके अभावमें भी कारणसामर्थ्यका आश्रयकर व्यवहाररूप ज्ञान और मिथ्याभेदमें तो परस्पर विषयविषयभाव (माहा-माहकभाव) चाहता है, किन्तु निर्विकल्पक और वस्तुभूत

मेदोऽपि विकल्पाकार, न तु वाद्य इति चेत्, यद्यसन्ने-
वासीं, कथं विकल्पाकारः ? तदाकारश्चेत्, कथमसन्निति
परिभावय ।

अस्तु तर्हि सन्नेवेति चेत्, नन्दद्वयदशिं चेद् विज्ञानम्
कथं भेदप्रथा ? आकारद्वयदशिं चेत्, कथमेकं सद्द्वयात्मकम् ?
चित्राकारमिति चेत्, चित्रमेकमनेकं वेति विकल्पगिलितमेव

नीलादिमें ग्राह्य-ग्राहकभाव नहीं चाहता । इस प्रकार अहविरोगसे
प्रस्त इस पादीकी रुचि दूध छोड़कर सौंधीर^१ (कांजी) में ही हो
रही है ।

यदि कहो कि—नील-पीतादिका भेद तथा स्वयं नील-पीतादि भी
सविकल्पकद्वारा भासित तो होता है किन्तु वह भी विकल्पका ही आकार
है, न कि उससे भिन्न वाद्य वस्तु है—तो यदि वह भेद असत् ही है
तो वह सतरूप विकल्पका आकार कैसे हो सकता है ? यदि वह
विकल्पका आकार है तो वह असत् कैसे हो सकता है ? यह
विचार करो ।

इन दोपोंसे बचनेके लिये यदि भेदको सत् ही मानो तो यदि वह
विज्ञान (सविकल्पक ज्ञान) नील-पीतरूप दोनों आकारोंको अपना
विषय न बनाये तो उनके भेदका ज्ञान कैसे करायेगा ? यदि वे दोनों
आकार सविकल्पक ज्ञानके विषय होते हों तो एक विज्ञान (विरूप)
नील-पीतरूप विरुद्ध दो आकार का कैसे होगा ?

यदि कहो कि—वह विज्ञान न एक आकारवाला है और न दो
आकारवाला, किन्तु इन दोनोंसे विलक्षण चित्राकार है—तो वह चित्र
भी एक है ? या अनेक है ? इस प्रकारके विकल्पद्वारा वह चित्राकार
भी तुम्हारे देखते ही निगल लिया गया । क्योंकि यदि वह चित्राकार
अनेक हो तो एक विज्ञानके साथ उसका तादात्म्य (अभेद) कहाँ हो
सकेगा ? यदि तादात्म्यकी उपपत्तिके लिये नील-पीतादि अनेक आकारोंके
समान विज्ञानको भी अनेक मानो तो चित्राकारका मान कहाँ हो

^१ सौंधीर=फटनेके काण दूधका निकला हुआ पानी ।

तत् पश्यतः । अनेकत्वे क्व एकविज्ञानतादात्म्यम् ? विज्ञानस्यापि यावदाकारमनेकत्वे क्व चित्राकारसम्बेदनम् ? स्वस्वमात्रमग्नत्वात् । एकत्वे क्व भेदप्रतीतिः ?

अनीलाद्यनेकव्यावृत्तिकृतोऽनेकत्वाध्यवसाय एवेति चेत्, अतादात्म्ये कथं व्यावृत्तीनामुल्लेष्टः ? तादात्म्ये कथमनेकत्वम् ? एकवेऽपि क्व तत्कृतोऽपि भेदाध्यवसायः ? उल्लेखोऽयमस्य विज्ञानस्य यदनेकत्वं नाम, न पुनस्तथान्तर

सकेगा ? क्योंकि प्रत्येक विज्ञान नोल पीत रक्त आदि अपन अपने आकारोंके साथ पृथक् पृथक् सम्बद्ध होनेके कारण सभी विज्ञान एकैका कार ही होंगे, चित्राकार कोई भी नहीं हो सकेगा । यदि वह चित्राकार एक हो तो उस विज्ञानद्वारा नील और पीत आदिकी तथा उनके भेदकी प्रतीति कहीं हो सकेगी ?

यदि कहो कि—जैसे न्यायमतमें नील पीतादिसे विलक्षण चित्ररूप माना गया है यैसे ही तुम्हारे मतमें भी समूहोलम्बन विज्ञानका नीलादि आकारोंसे विलक्षण एक चित्र कार माना गया है और उस चित्राकारक एक होनेपर भी अनीलादि अनेक व्यावृत्तियोंके कारण ही उस चित्राकार विज्ञानमें अनेकत्व (भेद) का उल्लेख होता है—तो वे व्यावृत्तियों यदि विज्ञानसे भिन्न हों तो विज्ञानद्वारा उनका प्रदृष्टि कैसे हो सकता है ? और प्रदृष्टि नहीं होनेपर व्यावृत्तियोंके कारण भेदका भी उल्लेख नहीं हो सकता है । व्यावृत्तियोंका यदि विज्ञानके साथ तादात्म्य हो तो विनानके एक होनेसे व्यावृत्तियोंमें भी अनेकत्व (भेद) कसे हो सकता है ? यदि विज्ञानके समान व्यावृत्तियोंमें भी एकत्व हो तो व्यावृत्तियोंके कारण विज्ञानद्वारा पूर्वोक्त भेदाध्यवसाय (अनेकत्वोल्लेख) भी कैसे हो सकेगा ?

यदि कहो कि—विज्ञानद्वारा भासित होनेवाला जो अनेकत्व है, वह काल्पनिक उल्लेखभर है न कि वास्तविक है । इसलिये उस काल्पनिक अनेकत्वसे विज्ञानके वास्तविक एकत्वमें कोई वापा नहीं आ सकती है—तो वह काल्पनिक अनेकत्व विज्ञानका रूप है अथवा अस्वरूप है ?

मिति चेत्, स्वरूपमस्वरूपं वेति वाच्यम् । आद्ये अनेक-
स्वरूपमेकमिति कोऽन्यो वदेदसुस्थात् । द्वितीयस्तिव्यष्यत
एवास्माभिः, किं तु त्येष्टताम् । आन्तिरसाविति चेत्,
तस्यादपि स्वरूपमस्वरूप वा प्रकाशेत, प्रकारान्तराभागादिति ।

स्यादेतत्, यथाऽतत् तत्त्वया परिस्फुरदपि न वस्तुगत्या
तदेव, तथा तदप्यतत्त्वया परिस्फुरदपि नातदेव । ततः स्वरू-
पस्यातत्त्वया प्रथनेऽपि न काचिद् ग्राहलक्षणचतिरिति चेत्,

यदि इसमें प्रथम पक्ष मानो हो अनेकत्वको विज्ञानमा स्वरूप बताते
हुए ‘विज्ञान एक है’ ऐसा प्रमाणके सिवाय दूसरा कौन कह सकता
है? द्वितीय पक्ष तो हमें इष्ट ही है। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें
भी इष्ट हो जाय। अर्थात् अनेकत्व यदि ज्ञानमा अरबरूप होता हुआ
ज्ञानमें उपरित हो तो भेदमें भी ग्राह्य प्राहृकभाव होनेसे मेरा अभीष्ट
सिद्ध ही हो गया और तुम्हारे लिये तो यह अत्यन्त अनिष्ट ही
हो गया।

यदि नहो कि—यह चित्राकार ज्ञान सविकल्पक होनेसे भ्रमात्मक
है, इसलिये उसमें अनेकत्व असत् ही प्रकाशित होता है। अत उससे
ज्ञानगत वास्तविक एकत्वको कोई विरोध नहीं है—तो भ्रान्ति भी ज्ञान
ही है, इसलिये उसमें भी “यह अनेकत्वस्वरूप होकर अथवा अस्वरूप
होकर प्रकाशित होगा” यह पूर्वोक्त विकल्प बना ही रहा। क्योंकि
स्वरूप और अस्वरूपके अविरिति कोई तीसरा प्रकार हो ही नहीं
सकता है।

(पूर्वपक्ष) अस्तु, जैसे असत् (अरजत) भी शुक्तिस्वरूप तद्रूप
(रजतस्वरूप) से इकुरित होता हुआ भी वस्तुत तत् (रजत) ही नहीं
हो जाता, वैसे ही चित्रस्थलमें तद् (एक) भी विज्ञान असत् (अनेक)
रूपसे इकुरित होता हुआ भी वस्तुतः अनेक नहीं हा जाता है। अतः
चित्रस्थलमें विज्ञानस्वरूपके नीढ़ पीतादि अनेक आकारसे भासित होनेपर
भी विज्ञानस्वरूपकी ग्राह्यतामें कोई क्षति नहीं होती है। अर्यात् जैसे
शुक्ति शुक्तिरूपमें गृहीत हो अथवा रजतरूपमें गृहीत हो, दोनों ही

यद्यतत्त्वाऽपि परिस्फुरन्ती स्वरूपमेवास्य स्यात्, स्यादप्य-
स्योपन्यासस्य प्रस्तुतोपयोगः । अस्वरूपस्य कथं प्रकाश इति
चेद्, यद्यपि तथा वक्ष्यामः, तथाप्यतत्ता कथं तस्य स्वरूप-
मितीतोऽपि दीयतां दृष्टिः । कथास्वरूपस्फुरणे दोपः १

नायं भिन्नयोर्बेद्यवेदकभावो व्यापारनिवन्धनः, निय-
तस्य तस्याभावात् । नापि तज्जातिनिवन्धनः, कश्चित् कश्चित्
दशाओंमें शुकिकी ग्राहातामें कोई औच नहीं आती है, वैसे ही विज्ञान
भी एक आकारमें या नील-पीतादि अनेक आकारोंमें गृहीत होनेपर भी
विज्ञानकी ग्राहाता अस्तुण्ण रहती है ।

(उत्तरपक्ष) इस कथनका भी तुम्हारे प्रस्तुत पक्षमें उपयोग तब
होता, जब कि स्फुरित होती हुई अतत्ता (अनेकता) भी विज्ञानका
स्वरूप ही होती । क्योंकि स्फुरित होनेवाली अनेकता यदि विज्ञानका
स्वरूप न हो तो “तत्ता या अतत्ता (एकता या अनेकता) हर दशामें
विज्ञानस्वरूपका ही स्फुरण होता है” यह तुम्हारा पक्ष ही गिर जायगा ।

यदि कहो कि—अनेकता भी विज्ञानका स्वरूप ही है, क्योंकि
अस्वरूपका (भिन्नका) प्रकाश (स्फुरण) ही कैसे हो सकता है ?—
तो यद्यपि इसके सम्बन्धमें हम आगे कहेंगे कि “अस्वरूपका ही प्रकाश
होता है”, फिर भी अतत्ता (अनेकता) उसका स्वरूप कैसे हो सकता
है ? इधर भी तुम्हें दृष्टि देनी चाहिये । अर्थात् एक विज्ञानका
स्वरूप अनेकता नहीं हो सकती है ।

एवं, अस्वरूप (ज्ञानभिन्न वाद) के स्फुरणमें बाधक ही क्या है ?
अर्थात् कोई बाधक नहीं है ।

(शङ्का) परस्पर भिन्नोंका यह ग्राहप्राहकभाव व्यापाराभीन नहीं
हो सकता । क्योंकि ज्ञानके द्वारा अतीतानागत विषयोंमें अथवा अतीता-
नागत विषयोंके द्वारा ज्ञानमें किसी नियत व्यापारका आधान ही नहीं
हो सकता है । वर्तमान विषयस्थलमें यद्यपि ज्ञान और विषयद्वारा
परस्परका आधान समय है, तथापि वह व्यापार यदि योग्य है, तो
योग्यानुपलब्धि ही उसकी बाधिका है । यदि अयोग्य है, तो उसकी
सत्तामें कोई प्रमाण नहीं है ।

प्रति विशेष इति व्यवस्थानुपपत्तिप्रसङ्गात् । न हि निसर्ग-
सिद्धानां गोत्वादीनामीदृशी रीतिरिति चेत्—

नन्वयमभेदेऽपि दोषस्तदवस्थ एव । तथाहि स्वस्य
चेदनमिति नायं व्यापारनिवन्धनो व्यवहारः, स्वात्मनि तद-
भावात् । नापि जातिनिवन्धनः, साधारण्यप्रसङ्गात् । न हि

एवं उक्त ग्राहाप्राहकभावके प्रति जाति भी नियामक नहीं हो सकती है । क्योंकि जातिको नियामक माननेसी स्थितिमें “कोई विशेष वरतु ही किसी विशेष ज्ञानका विषय होगी” यह व्यवस्था नहीं रह जायगी । कारण, गोत्वादि-जातिके सर्वसाधारण होनेसे ऐसी व्यवस्था नहीं अपनाई जा सकती है । गौ और गोज्ञानमें परस्पर ग्राहाप्राहकभाव (विषय-विषयिभाव) होनेमें यदि गोत्वजाति नियामक हो तो वह गौ सभी ज्ञानोंका विषय होने लगेगी । क्योंकि घट-पटादिज्ञानोंकी दशामें भी गौका गोत्व कायम हो रहता है, नष्ट नहीं हो जाता ।

एवं ग्राहाप्राहकभावके प्रति विषयगत गोत्वादि-जातिको नियामक न मानकर ज्ञानगत ज्ञानत्व-जातिको नियामक मानो तो ज्ञानत्व-जातिके भी सर्वसाधारण होनेसे सभी ज्ञान गोविषयक होने लगेंगे । क्योंकि घटज्ञान गोकी अपेक्षासे ज्ञानजातीय न हो, ऐसी बात नहीं है । अतः घटज्ञान जैसे घटविषयक है, वैसे गोविषयक भी होने लगेगा ।

(उत्तर) निश्चित ही यह दोष तुम्हारे ग्राहाप्राहकके अभेद-पक्षमें भी वैसे ही कायम है । क्योंकि “ज्ञान अपना ही प्राहक होता है, अपनेसे भिन्न किसी विषयका प्राहक नहीं होता” यह व्यवहार किसी व्यापारके अधीन नहीं होगा । क्योंकि अपनेद्वारा अपने ही में किसी व्यापारका आधान नहीं किया जा सकता है ।

अभेदमें ही उक्तग्राहाप्राहकभावके होनेमें जाति भी नियामक नहीं हो सकती है । क्योंकि, जातिके साधारण होनेसे ज्ञानत्व जाति किसी विशेषमें ग्राहाप्राहकभावकी नियमिका नहीं हो सकती है । क्योंकि गोका गोत्व सिर्फ गोज्ञानके प्रति ही है अन्य घटपटादिज्ञानोंके प्रति नहीं, ऐसा नियम नहीं देया जाता । ऐसे ही ज्ञानका ज्ञानत्व भी सबके प्रति साधारण है, इसलिये वह ज्ञान सर्वविषयक होने लगेगा ।

जात्यैव गौरुस्यात्मानं प्रति न तु परं प्रतीति नियमो दृष्टः ।
न च ज्ञानं स्वसुयेत् परस्पापि नेदनम्, सर्वसर्वज्ञत्वगापचेः ।

न तत् कस्यचित्, किन्तु वेदनमात्रमिति चेत्, तथाऽपि
स्यात्मन्यजडवत् परग्राप्यजडं स्याद्, परस्मिन्नन्थेत् स्यस्मि-
चर्यन्ध प्रसज्येत्, जात्यैव तद्रूपत्वात् ।

जात्यापि स्यकारणात् क्वचिन्नियतरूपमेव तदुत्पन्नमिति
चेत्, नैतमुच्चैव्र्याः, परैरपि कदाचिदेवं श्रूयेत् ।

यदि कहो कि—जात्या (स्वधावसे) ही सभी ज्ञान स्वविषयक ही
होंगे—तो यहाँ स्वका अर्थ एक विज्ञानठथक्ति लो तो सभी ज्ञान उस
विज्ञानठथक्तिविषयक हो जायगा । यदि स्वज्ञा अर्थ विज्ञानमात्र लो
तो सभी विज्ञान सभी विज्ञानोके ज्ञाता होने लगेंगे । यहाँ इष्टापति
नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे अपने भी ज्ञान अपना ही ज्ञाता होता
है, न कि दूसरेका भी ।

यदि कहो द्वि—प्रिज्ञान न परका प्रकाशक होता है और न अपना ।
फिरभी घटादि विषयोंसे विज्ञानमें यही विशेषता है कि विज्ञान वेदन-
मात्र अर्थात् अजडरूप है और घटादि जडरूप है—सो भी विज्ञान
जैसे अपने प्रति अजडरूप है, वैसे ही उसे दूसरोंके प्रति भी अजड
होना चाहिये । अध्यवा वह जैसे घटादिरोंके प्रति अन्ध है, वैसे उसे
अपने प्रति भी अन्ध होना चाहिये । क्योंकि ज्ञातिवरात् वह एक जागह
निसरूपसे होगा, दूसरी जागह भी स्वज्ञातिका परित्याग न होनेसे उसी-
रूपका होगा ।

यदि कहो कि—स्वज्ञातिका परित्याग न करनेपर भी अपने ज्ञानके
प्रभावसे वह कही नियतरूपमें ही दृष्टब्रह्म होगा न कि सर्वत्र । अर्थात्
प्रिज्ञान स्वकारणवलसे अपने प्रति ही अजडरूप होगा, घटादिके प्रति
नहीं—तो ऐसी जान उच्चे स्वरसे न वोलना, क्योंकि दूसरा भी कहीं इसे
मुन लेगा । अर्थात् भेदमें भी आद्यापाहकमात्र होनेमें स्वकारण ही
नियमित हो जायगा । अठ भेदप्रसूमें भी कोई अविभ्रसङ्गादि दोप
नहीं आ सकेगा ।

अभेदोऽस्तु मा वा, भेदं तु प्रकाशमानत्वेन व्यासेवाम
इति चेत्, न, वस्तु ने भेदनिष्टत्तेरेवाभेदरूपत्वात् ।

अस्तु तर्हि भेदभेदविद्युग्मेव चित्रम्, चेतोभेदे प्रकाश-
मानत्वायोगात्, अभेदं चित्रत्वानुपपत्तिरिति चेत्, न, मिथो-
विलद्व विद्यद्वयविविवर् तदुभयनिषेवस्याप्येकत्र विलद्वत्वात् ।
न च सोऽप्यस्तिवति वाच्यम्, स्याद्वादावतारे तवापि दिगम्ब-
रत्वप्रसङ्गात् ।

यदि कहो कि—विषयके साथ विज्ञानका अभेद हो या भेद हो विन्तु
विषयका प्रकाशक होनेके कारण उसमे ज्ञानके भेदका हम प्रतिषेध करते
हैं—तो वस्तुमे भेदकी निष्टत्ति ही तो अभेद है। इसलिये यह कथन
भी पूर्णकिके तुल्य ही हुआ। अत पूर्णक दोष ज्योंके त्यों स्थिर
रह गये।

(पूर्वपक्ष) यदि पूर्वकथन ठीक नहीं है तो भेद और अभेदसे
रहित ही चित्र माना जाय। क्योंकि यदि नील-पीतादि विषय विज्ञानसे
मिल हा लो वह विज्ञानद्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता है। और यदि
अभिन्न हो तो विज्ञानसे अभिन्न होनके कारण वे नील और पीतादि
आपसमे भी अ मिल हो हो जायेंगे। इससे उनकी चित्रता भग्न
हो जायगी।

(उत्तरपक्ष) इस प्रकारका प्रतिवादन भी ठीक नहीं है। क्योंकि
जैसे परस्पर विरोधी दो विधियोंका एकमे विधान नहीं हो सकता है,
वैसे ही परस्पर विरोधी दो विधियोंका एक जगह निषेध भी नहीं हो
सकता है। यहाँ यह नहीं कह सकते कि “विरोधी दो विधियोंका एक
जगह निषेध भी रहे और निषेधके रहनेमे जो विरोध आता है, वह
विरोध भी रहे, क्या हानि है ?” क्योंकि इरेक अनिष्टापत्तिसे यदि इष्ट
ही मानते जायो तो इस प्रकारके स्याद्वादका अहीकार करनेसे अपने
चौदृपनसे सन्यास लेकर तुझे भी दिगम्बर (जैन) बन जाना पड़ेगा।

यदि कहो कि—भेदविधि, अभेदविधि, भेदनिषेध और अभेदनिषेध
इन चारों कोटियोंसे विनिर्मुक्त ही चित्राकार हो। ऐसा होनेमें कोई

अस्तु तहि चतुःशिखरीशून्यमेव चित्रम्, आश्चर्यस्तुप-
त्तात्, एकानेकत्वविरहेऽपि सत्त्वमित्याश्रयार्थो हि चित्रशब्द
इति चेन्, अथ चतुःशिखरशेषयरभेव किं न स्यान्? आश्चर्य-
स्तुपतापुक्तेस्तुल्यत्तात्। एकेकपक्षानुपपत्तिश्च यथा तनिषेध-
पर्यवसायिनी तथा तदितरविधिपर्यवसायिन्यपि स्यादिति।

अपि चात्र वस्तुतश्चतुष्कोटिविरहे वेत्सो भाषान्तरेणे-
दमुक्तम्, यदनात्मान एवैताश्रतस्तः कोशो भासन्ते न वा
प्रतिभान्तीति। तत्र प्रतिभासनमनुचरम्। प्रतिभासने तु ग्राह-

वाधा भी नहीं है, क्योंकि इसे हम आश्चर्यस्तुप मानते हैं। कारण,
भेद और अभेदके अभावमें भी अस्तित्वका होनारूप आश्चर्य अर्थमें
ही यहाँपर चित्रशब्द प्रयुक्त है—तो पूर्वोक्त चतुष्कोटिकी प्रधानता ही
चित्रमें क्यों न होते। क्योंकि आश्चर्यस्तुपतावाली युक्त इस पक्षमें भी
समान ही है।

यदि कहो कि—एक एक कोटिके न हो सकनेसे सभी कोटियोंका
अभाव हो जाता है, इस प्रकार चित्रसे चतुष्कोटिशू-यता सिद्ध हो जाती
है—तो एक एक कोटिके न हो सकनेसे उससे भिन्न दूसरी दूसरी
कोटिकी सत्ता भी तो सिद्ध हो सकती है। इसप्रकार चारों कोटियों
की प्रधानता ही क्यों न सिद्ध हो सकती है?

एव चित्रज्ञानके वस्तुत उक्त चारों कोटियोंसे रहित होनेकी दशामें
दो तरहकी बातें कही जा सकती हैं कि चित्रज्ञानसे भिन्न चारों कोटियों
भासित होती हैं या नहीं भासित होती। यदि कहो कि—चित्रज्ञानमें
चतुष्कोटियोंका यदि भान नहीं होता है तो यहाँ चतुष्कोटिशब्दका
प्रयोग भी कैसे हो सकेगा? यदि चतुष्कोटियोंका भान मानो तो प्राण-
लक्षणके अभावमें भी उन्हें आहा मानते हो, यह एक द्वितीय चित्र हो
गया। अर्थात् तुम्हारे मतमें ज्ञानसे अभिन्नका ही भान होता है
और यहाँपर चतुष्कोटियोंके ज्ञानसे भिन्न होनेपर भी भान मान लिया;
अत यह द्वितीय चित्र है।

इसप्रकार तुम्हें चतुष्कोटियोंके भानके अनुरोधसे एकचित्रके बदले

लक्षणायोगेऽपि ग्राह्यमाव इति चित्रमेतत् । तथा च चित्रा-
द्वेताद्वरं चित्रद्वैतमस्तु प्रतिभासनानुरोधादिति ।

स्यादेतत्, वहिरन्तरुभयथापि ग्राह्यलक्षणक्षतिरस्तु ।
प्रकाशमानत्वे तु नीलादीनामशक्यायहृवप् । तामन्मात्रं
चास्माकमभिमतमिति चेत्, तदेतद् विक्रीतगवीरक्षणम् ।
किमिद(हि) प्रकाशमानत्वं यत् सर्वथा ग्राह्यलक्षणक्षतामपि न
क्षीणम् । न प्रकाशसम्बन्धः, नियमानुपपत्तेरित्युक्तम् । न
प्रकाशतादात्म्यम्, चित्रत्यानुपपत्तेरित्युक्तम् ।

दो चित्र मानने होंगे । एक यह कि अभेदरूप ग्राह्यलक्षणके अभावमें
भी चतुष्कोटियों को ग्राह्य माना । दूसरा चित्र यह हुआ कि वह प्रहृण
भी पूर्ववत् विषयके भेद और अभेद दोनोंसे रहित होगा ।

(शङ्का) अस्तु, ज्ञानसे भिन्न या अभिन्न दोनों ही रूपोंमें नील
पीतादि विषय ग्राह्यलक्षणसे रहित भले ही हो, फिरभी नीलादिकी प्रकाश-
मानता तो नहीं छिपायी जा सकती है, और उठना ही हमारा अभीष्ट भी
है । अर्थात् “नीलादि विषय प्रकाश (ज्ञान) स्पृहप है” यह बात उसके
प्रकाशमान होनेमात्रसे ही सिद्ध हो जाती है ।

(उत्तर) इसप्रकारका कथन वैच ही गयी गौको पुन रखनेके
समान है । अर्थात् नीलादिकमें ग्राह्यलक्षणका अमाव स्वीकार करते
हुए तुम ही उसमें प्रकाशमानत्वको समाप्त कर चुके हो और पुन
नीलादिको ज्ञानाभिन्न सिद्ध करनेके लिये तुम ही नीलादिमें प्रकाश-
मानत्वको हेतु बना रहे हो । अतः तुम्हारी यह प्रक्रिया विक्रीत-
गवीरक्षणके समान हुई । एव, यह कैसा प्रकाशमानत्व है, जो ग्राह्य-
लक्षणके अमावमें भी नीलादिमें कायम रहा । यदि कहो कि प्रकाशसे
सम्बन्ध होना ही प्रकाशमानत्व है, तो तुम ही कह चुके हो कि
“नीलादिका ही प्रकाशसे सम्बन्ध होगा पीतादिका नहीं” यह नियम
नहीं हो सकता । अतः नीलकालमें पीतको प्रतीति और पीतकालमें
नीलकी प्रतीति होने लगेगी ।

यदि कहो कि—प्रकाशके साथ तादात्म्य होना ही नीलादिका प्रकाश-
मान होना है—तो इसके सम्बन्धमें मैं कह चुका हूँ कि चित्रज्ञानकी

तस्मान्नीलादीनां प्रकाशमानत्वं परिपालयता ग्राह्यलक्षणे
यत्नः कर्तव्यः परिहर्तव्यं वा प्रकाशमानत्यम् । अन्यथा तप-
नीममपनीय वामसि ग्रन्थिर्नारमुपहससि, स्पर्यं च गगना-
श्वले ग्रन्थि करोपीति । सेयं सर्वप्रकारमसिद्धिः सर्वप्रकारश्वा-
नैकान्तिकत्वमिति ।

एकता भरा हो जायगी । अर्थात् चिग्रात्मक ज्ञान यद्यपि एक होता है
किन्तु नील पीत, हरित, श्वेत आदि विभिन्न विषयोंसे टाइट्स्य होनेके
कारण वह चित्रज्ञान एक न होकर विषयभेदसे भिन्न भिन्न अनेक ज्ञान
हो जायगा, जो अनुभव विरुद्ध है ।

अत नीलादिमे यदि प्रकाशमानत्व की रक्षा चाहते हो तो उसमे
ग्राह्यलक्षणे लिये यत्न करना पड़ेगा । अर्थात् भेदमे भी विषय-
विषयिभाव मानना होगा नहीं तो नीलादिमे प्रकाशमानत्वका परि-
स्थाग कर देना पड़ेगा । यदि ऐसा नहीं करते हो तो यही कहा
जायगा कि सुवर्ण फंककर खाली वस्त्रमे गठरी बौधनेयालेको तुम
हँस रहे हो और स्वयं फनह लेकर भी आकाशमें गाँठ बौधते हो ।
अर्थात् ज्ञानश्रीके भतानुसार नीलादिका ज्ञानाकार होना ही स्तर्ण है,
जिसे नैयायिक छोड़ देता है । तरा वाह्य वस्तुका स्त्रीकार करना ही
वस्त्रमें गाँठ देना है, जिसे नैयायिक अपनाता है । यही ज्ञानश्रीके
उपहासका अभिप्राय है । जिसका उच्चर नैयायिक भी उपहासके द्वारा
हो देता है कि अपने स्तर्ण को लेकर भी ज्ञानश्री वस्त्रमें गाँठ न बौधकर
आकाशमें ही गाँठ बौधता है । क्योंकि जैसे भेदमे ग्राह्यलक्षणका
अभाव है, वैसे ही अभेदमे भी ग्राह्यलक्षणका अभाव है, इसप्रकार
सर्वांग ग्राह्यलक्षणाभावमें भी नीलादिमे प्रकाशमानत्व मानना ही
आकाशमें गाँठ देनेके समान है, जिसे ज्ञानश्री अपनाये हुए है ।

इसप्रकार यहाँ बौद्धके अनुमानमें सभी प्रकारसे असिद्धि एव सभी
प्रकारसे व्यभिचार दोष आ जाता है अर्थात् “नील ज्ञानाभिन्न, प्रकाश-
मानत्वात्, सहोपलभ्माद् या” इस अनुमानमें नीलादि-बाह्यको नहीं
माननेके कारण नीलस्वरूप पक्षके असिद्ध होनेसे आश्रयासिद्धि हुई ।
भेद और अभेद दोनों ही स्थितियोंमें ग्राह्यलक्षणका अभाव होनेसे
प्रकाशमानत्व आदि हेतु असिद्ध है । अतः स्वरूपासिद्धि हुई ।

एतेन द्वितीयः पक्षः प्रत्युक्तः । न हि सजातीयत्वेन
ग्राहलक्षणवैधुर्यमुत्सार्यते, अतिप्रसङ्गस्य तादवस्थ्यात् ।
जडत्वे प्रकाशासम्भावनवैति चेत्, न, तुल्यत्वात् । यथा ।

यथा ज्ञानाभेदको साध्य करनेमें ज्ञानवृत्तिः 'यावद्दर्मवत्त्र उपाधि है,
इसलिए सोपाधिक होनेमें व्याप्त्याभिन्निद्वि हुई । एवं प्रकाशमानत्वादि
हेतुके अलीक भेदमें भी चले जानेके कारण साधारण व्यभिचार हुआ ।
अथवा पूर्वोक्त रीतिसे सप्तश्च विषय दोनों ही से प्रकाशमानत्व हेतुके
व्यावृत्त होनेके कारण असाधारण व्यभिचार हुआ । एवं सभी पदार्थको
पक्ष माननेके कारण अनुपसंहारीनामक व्यभिचार दोष हुआ ।

इससे द्वितीयपक्ष भी खण्डित हो जाता है । अर्थात् लक्षणका
अभाव होनेसे नीलादि विषय जैसे ज्ञानसे अभिन्न नहीं सिद्ध होता,
चैसे ही यह ज्ञान में अभिन्नजातीय भी नहीं सिद्ध हो सकता है ।
क्योंकि सजातीय माननेसे भी नीलादिमें ग्राहलक्षणका अभाव नहीं
हटता है । कारण, सजातीय ही यदि मात्र हो तो तुम्हारे मतानुसार
घटपट आदि सभी विषय एकसा ज्ञानके सजातीय हैं । इसलिये
जिस ज्ञानमें पठ विषय हो रहा है, उसमें घट भी अनिवार्यतः विषय
होने लगेगा । इसप्रकार अतिप्रसङ्ग दोष यथास्थित ही रह जाता है ।

यदि कहो कि ~नीलादि-विषयको ज्ञान-सजातीय न मानकर जड़
माना जाय तो उसका प्रकाश ही नहीं हो सकता है । अर्थात् नीलादि
चौंकि प्रकाशमान होता है, इसीलिये यह ज्ञान सजातीय सिद्ध हो

२. जो साध्यका व्य पक हो और साधनका अव्यापक हो, उसे उपाधि
कहते हैं । प्रहृतमें नीलादि-विषयमें ज्ञानाभिन्नत्व साध्य है और प्रकाश-
मानत्व हेतु है । जो जो ज्ञानाभिन्न होता है, उस उसमें ज्ञानवृत्तिः
यावद्दर्मवद्ध होता है । इसप्रकार ज्ञानवृत्तियावद्दर्मवत्त्र उपाधि साध्य-
व्यापक हुआ । तथा जो जो प्रकाशमान हैं, उस उसमें ज्ञानवृत्तिया-
वद्दर्मवत्त्र नहीं रहता, जैसे घटादिमें । अठः साधनाव्यापक भी हुआ ।
इसप्रकार प्रहृत अनुमानमें ज्ञानवृत्तियावद्दर्मवद्धके उपाधि होनेले
यहाँपा हेतु सोपाधिक होकर व्याप्त्यत्वासिद्ध हुआ ।

ज्ञानसंप्रेदनवादिनः परं प्रति प्रकाशमपि ज्ञानमात्मनि जड-
मेव, तथा स्पर्सवेदनरादिमोऽपि स्वात्मनि प्रकाशमपि ज्ञानं
परं प्रति जडमेव । कथश्चिद् युद्ध्यन्तरैऽप्यजड चेत्, वाहोऽपि
तथा कि न स्यादिति सन्दिग्धविपक्षवृत्तित्वम् ।

ननु वाह्ये सर्वथैव ग्राह्यलक्षणक्षतिः, इदं तु समानोपादान-
तानियमेन चित्राकाराणां परमार्थभिन्नानामेव व्यतिवेदन-
सिद्धिः न, मिथः प्रथानियमे हृष्टुपादानमुखेन सामान्यतो वा

ज्ञायगा-तो यह नहीं कह सकते हो । क्योंकि वह यात ज्ञानके सम्बन्धमें
भी समान ही है । क्योंकि जैसे ज्ञानके अस्तप्रकाश माननेवाले
नैयायिकोंके यद्दों विषयोंके प्रति प्रकाशात्मक भी ज्ञान अपने प्रति जड ही
होता है, वैसे ही ज्ञानको स्वप्रकाश माननेवाले चौदोंके यहाँ भी अपने
लिये प्रकाशात्मक भी ज्ञान अपनेसे भिन्न ज्ञानके प्रति जड ही होता है ।
अर्थात् स्वप्रकाश होनेके कारण ज्ञान अपनेको तो भासित कर देता है
किन्तु अन्य ज्ञानको भासित करनेमें तो वह भी जड ही है । अतः
जैसे जड होते हुए भी ज्ञानका प्रकाश (भान) असमय नहीं
है, वैसे ही जड होते हुए भी नीलादि-विषयका भी भान असमय
नहीं होगा ।

यदि फथश्चित् अन्य ज्ञानके प्रति भी वह ज्ञान अजड ही हो तो
नीलादि वाह्यविषयोंके प्रति भी वह अजड़ क्यों न होगा ? अर्थात्
अपनेसे भिन्न होते हुए भी नीलादि विषयको ज्ञान प्रकाशित कर
दे सकता है । इस पकार “नीलादिक ज्ञानसभातीय प्रकाशमान
त्वात्” इस अनुमानमें प्रकाशमानत्व हेतुमें विपक्षवृत्तित्वका सन्देह हो
जाता है ।

“वाह्यपक्षमें अर्थात् प्राण प्राहृकके भेदपक्षमें अतिव्रसङ्ग दोषसे
सर्वथा ही प्राणत्वका अभाव हो जाता है । चित्रप्रत्ययके अनुरोधसे
अभेदपक्ष भी असमय है । अत प्राण प्राहृकभावका नियमक यही
मानना चाहिये कि—जो परस्पर समानोपादानक हो अर्थात् जिनका
उपादानकारण समान हो, वे परस्पर प्राण प्राहृक होते हैं—इससे परस्पर

सामग्रीसामर्थ्यमेव वक्तव्यम्, अन्यथा तथापिधकार्यानुत्पत्तेः । तथा च वाद्यग्राह्यनियतस्वभावज्ञानोत्पत्तावपि सुलभमेतदिति पूर्वक एव दोषः ।

अस्तु तहि रतीयः, सर्वथा ग्राह्यलक्षणानुपत्तेः । तदभावे सामग्रीसामर्थ्यस्याप्याश्रयितुमशक्यत्वात् । विचारसिद्धेहि वस्तुनि कारणचिन्तनावसरो न त्वपिवेचित इति चेत्, कि

भिन्न भी नीलपीतादि चिकित्सारोंका पारस्परिक ज्ञान हो जायगा । कारण, नीलपीतादि आकारोंका उपाधान कारण एक ही ज्ञान है” ।

किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है । क्योंकि परमार्थत मिश्रोंका भी पारस्परिक ज्ञान होनेका नियामक सामग्रीगत अपनी सामर्थ्य ही माननी पड़ेगी । यह सामर्थ्य चाहे विशेष रूपसे उपादानकारणकी ही अथवा सामान्यरूपसे कारणमात्रकी हो । अर्थात् चित्रस्थलमें भेदमें भी प्राद्य ग्राहकभाव तुमने भी मान ही लिया । अतः यतना ही है कि तुम उसका नियामक समानोपादन मानते हो और मैं कारणगत सामर्थ्यविशेषको ही उसका नियामक मानता हूँ । ऐसा माने बिना नियतकार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ।

इसप्रकार वाद्यवस्तुको प्राद्य माननेमें भी उसका नियमित ज्ञान होनेमें उक्त सामग्रीसामर्थ्य नियामक हो सकता है । अत पूर्वांक प्रकारसे यहाँ भी सदिग्धविषयक्षमत्वरूप सन्दिग्धव्यभिचार दोष आ ही जाता है । इसतरह सजातीयत्वरूप द्वितीयपक्ष भी खण्डित हो जाता है ।

यदि कहो कि—पूर्वांक दोनों पक्षोंके असमय होनेसे तीसरा पक्ष ही मानन योग्य है । इस पक्षम प्राद्य अश अलीक है और प्राद्यकाश (ज्ञान) ही वास्तविक है । क्योंकि वाद्यवस्तुमें किसी भी प्रकारसे प्रदान कोई लक्षण नहीं बन सकता है । अर्थात् नीलादि प्राद्यपदार्थको पूर्वपद्धतिके अनुसार ज्ञानसे भिन्न या अभिन्न कुछ नहीं कह सकते । और प्राद्यलक्षणके नहीं होनसे प्राद्यरूप लक्ष्य असमय होगा । ऐसो परिस्थितिमें नियतवस्तुके प्रदृष्टके लिये सामग्रीगत सामर्थ्यग सहारा लेना भी अशक्य है । क्योंकि विचारद्वारा जो वस्तु सिद्ध है, उसी

ग्राह्यलक्षण । निर्वक्तव्यतया प्रकाशमानत्वमपीपां निवर्तते । सत्त्व वा ?

न प्रथम, न हि लक्षणापरिज्ञानमात्रेण स्पष्टदृष्टमपि लक्ष्यमपहोतु शस्यते, अपरिज्ञानस्य दुरुहत्येनाप्युपपत्ते । तेपामप्रतिभासे तन्निषेधस्यानुपपत्ते ।

न द्वितीय, तदा हि तब्लिकणानुपपत्तिं सत्त्वं निर्वर्तयेऽन्यद्यसत्त्वे लक्षणमुपपत्येत । उभयथाप्यनुपपत्तौ कोऽनुरागोऽ

के सम्बन्धमें करण (सामग्री) चित्ताका अवसर आता है, न कि इसके सम्बन्धम, जो वस्तु ही असिद्ध है—तो यहाँ में पूछता हूँ कि ग्राह्यलक्षणका निर्वचन नहीं हो सकतासे क्या वाह्य पदार्थका प्रकाश मानता (प्रतीति) खण्डित हो जाती है ? अथवा इनको सत्त्वा (अस्तित्व) का खण्डन हो न ता है ?

यहाँ प्रथमपक्ष नहीं हो सकता है । क्योंकि केवल लक्षणका ज्ञान नहीं हो सकनक कारणमात्रसे स्पष्टरूपसे दीख पड़ने वाले भी लक्ष्यका अपलाप नहीं किया जा सकता है । कारण वस्तुका अज्ञान तो उसकी दुर्ज्ञेयताके कारण भी हो सकता है । साथ ही यदि ग्राह्यवस्तुकी प्रतीति न हो तो उसमें प्रत्यक्षणका निषेध भा नहीं किया जा सकता है । इसलिय ग्राह्य लक्षणका निषेध करनके लिय भा अनुयोगाके रूपमें ग्राह्यवस्तुकी प्रतीति मानना पड़गया ।

दूसरा पक्ष भी नहीं हो सकता है । क्योंकि लक्षणकी अनुपपत्तिसे वस्तुसत्त्वाकी निवृत्ति तभी होती यदि उसकी असत्त हानसे लक्षण चन जाता । यदि सत्ता या असत्ता दोनों दशाओंमें लक्षण न बन सकता हो तो असत्ताके प्रति ही क्या अनुराग है ?

यदि कहो कि—असत्त ही ग्राह्यका लक्षण है—तो सत्त्व ही लक्षण क्यों न होगा ?

यदि कहो कि—सत्त्वको ग्राह्यका लक्षण माननेमें भी हो वही दोष दै । अर्थात् ऐसे, सत्त्वको ग्राह्य का लक्षण माननेपर किसी एक सदूचस्तुके

सखे । तदेव लक्षणमिति चेत्, सत्त्वमेव किं न स्यात् ? अतिप्रसङ्गादिति चेत्, तुल्यम् ।

वेदनाधीनच्यवहारगोचरत्वमिति चेत्, अस्तु तावदिदम्, तस्यैवेति तु नियमः कुतः ? सामग्रीतस्तथा वेदनोत्पत्तिरिति चेत्, तदेतत्, सम्भाव्यते सति, न त्वसतीति विशेषः । यथा हि सति ज्ञानेनाभिलापः, तेन यत्नः, तेन प्रवृत्तिः, तया तत्प्राप्तिः क्रियते, न तथाऽलीके, तस्य प्राप्तुमशक्यत्वात्, शक्यत्वे नाऽनलीकत्वात् ।

ब्यवहारोऽप्ययमलीक इति चेत्, तद्विसुतरा लक्षणाभावः, तद्वद्वारस्याप्यभावात् ।

ज्ञान होनेपर सत्त्वके नाते अन्य सभी सत्पदार्थोंका भान होने लगेगा, वैसे ही असत् को आद्यका लक्षण माननेपर भी किसी एक असत् का ज्ञान होनेपर असत् के नाते भी अन्य सभी असत् पदार्थोंका भी भान होने लगेगा । इसप्रकार दोनों ही पक्षोंमें समान न्याय है ।

यदि कहो कि—ज्ञानजन्यब्यवहारविषयत्व ही प्राद्यवा लक्षण है, अर्थात् ज्ञानके कारण ही जिसका ब्यवहार होता है, उसे प्राद्य कहते हैं—तो यह लक्षण भले ही हो, किन्तु घटज्ञानसे घटका ही ब्यवहार होगा, यह नियम कैसे रहेगा ? यदि कहो कि—सामग्रीगत सामर्थ्यका ही ऐसा प्रभाव है कि उस वस्तुके ज्ञानसे उसी वस्तुका ब्यवहार होगा दूसरे का नहीं—तो यह सामर्थ्य भी सन्तुदार्थमें ही समव है, न कि असत्में, यद्व विशेषता है ।

जैसे कि—सदूवस्तुमें ज्ञान होनेपर इच्छा होती है, इच्छासे प्रयत्न, प्रयत्नमें प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति होनेपर उस वस्तुकी प्राप्ति हो जाती है, वैसे अलीक (असत्) वस्तुमें नहीं होता । क्योंकि उसमें ज्ञान इच्छादिके होनेपर भी उस मिश्यावस्तुकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है । अर्थात् प्राप्त हो सकने वाली वस्तु सत् ही होगी ।

यदि कहो कि—यह ज्ञान-इच्छा-प्रयत्न-प्रवृत्ति और प्राप्तिरूप

अस्तु तहि सर्वथा विचारासहत्वमेव विश्वस्येति चेत्, तत् किमिदानीं तत्त्वोपप्लव एव ? काष्ठाशून्यता^१ वा ? न प्रथमः, इयतीं भूमिमाहृदस्यापि विचारस्य निश्चलताया प्रमाणाभावात् । भावे वा कथं तत्त्वोपप्लवः ? अस्यैव विचारस्यानुपप्लवात्, तत्समानन्यायस्यान्यस्यापि तथाभावप्राप्तेः,

व्यवहार भी अलोक ही है, इसलिय अलीक्षमें अलीक्ष्यव्यवहारक होनेमें कोई बाधा नहीं है—तर तो वही आसानीसे ग्राह्य लक्षणका अभाव हो गया । क्योंकि लक्षणघटकीभूत व्यवहार ही असिद्ध है । अर्थात् ज्ञानज्ञायव्यवहारविषयत्वरूप माहालभ्रणमें व्यवहार घटकीभूत (द्वारी भूत) है, अत व्यवहारके असिद्ध होनेसे तदूघटित सम्पूर्ण लक्षण असिद्ध हो गया ।

यदि कहो कि—सत्य, भिन्नत्व या अभिन्नत्व किसी भी रूपमें प्राप्य का लक्षण नहीं हो सकनेके कारण विश्वको विचारायोग्य ही क्यों न मान लिया जाय—तो क्या, इसप्रकार सम्पूर्ण विश्वको विचारके लिये अयोग्य माननेकी दशामें जगत्‌की तात्त्विकता ही लुप्त हो जाती है ? अथवा तात्त्विकता नष्ट होनेसे जगत्‌का शून्यतामें पर्यवसान हो जाता है ? अर्थात् जगत् शून्यरूप सिद्ध हो जाता है ? यहाँ यथमपक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि यदि सबकुछ अतात्त्विक है, तो अबतक इतनी सीढ़ी तक पहुँचे हुए इस विचारकी भी, जो सर्वान्तर्गत है, तात्त्विकतामें कोई प्रमाण नहीं है । यदि इस विचारकी तात्त्विकताका साधक कोई प्रमाण हो तो सब अतात्त्विक कैसे हुआ ? क्योंकि यह एक विचार ही तात्त्विक सिद्ध हो गया । और जिस न्यायसे यह विचार तात्त्विक सिद्ध हुआ, उसी न्यायसे विचारका विषय आत्मा तथा उसका ज्ञानसे भिन्न और नित्य विभु आदि होना भी सिद्ध ही हो गया ।

साथ ही आपका यह विचारारम्भ भी निष्कल है । क्योंकि अनियत रूपसे सर्वत्र प्रवृत्ति कराना इस विचारारम्भका फल नहीं हो सकता । कारण, अनियत प्रवृत्ति होनेमें गणनास्थादनमें भी प्रवृत्ति होने लगती । कि तु उससे तृप्तिरूप फल होता नहीं । एसे ही अनियत प्रवृत्तिपक्षमें

निष्फलत्वाच्च । न इस्पातिप्रवृत्तिः फलम्, गगनास्यादनेनावृत्तेः, ज्ञाला (अलीक) कलापालिङ्गनेन तापानपनोदनात् । नाप्यतिनिवृत्तिः, जडीभावमात्रेऽप्युपनिपातिदुःखा निवृत्तेः ।

न च दुःखमपि विचारासहमित्यहेयमेव, तथाविधस्य-

तापनिवृत्तिके उद्देश्यसे ज्ञालासमूहके आलिङ्गनमें भी प्रवृत्ति होने लगेगी । किन्तु उससे तापकी निवृत्ति हो नहीं सकती । यद्यों पूर्वपक्ष का अभिप्राय यह है कि जब तात्त्विकरूपादिसे सब अलीक हैं तो समाजरूप से अर्थात् अलीकत्वाविद्येपात् किसी भी उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये कहीं भी प्रवृत्ति हो सकती है । ऐसा नहीं कि तृतीय चाहनेवाला व्यक्ति नियत-रूपसे भोजनादिमें ही तथा दुरुपक्षी निवृत्ति चाहनेवाला मोक्षार्थी किसी स्थास साधनमें ही प्रवृत्त होवे । यही अतिप्रवृत्ति इस विचारारम्भका फल हुआ । यद्यों उत्तरपक्षका आशय तो स्पष्ट है । अतिनिवृत्ति भी विचारारम्भका फल नहीं हो सकता है । अर्थात् यह भी नहीं हो सकता कि इस विचारद्वारा सबको अतात्त्विक समझता हुआ सुखद-सद्वसे निवृत्त होकर दुरुपक्षे छुटकारा पा जायगा । क्योंकि सद्वसे निवृत्त होकर जडघन्तव्यन जानेपर भी देवान् आनेवाले दुःखोंसे पिण्ड नहीं छूट सकता है ।

यह भी नहीं कह सकते कि—दुःख भी अतात्त्विक है, अत वह अहेय (अत्याज्य) ही है । अर्थात् अतिनिवृत्ति ही विचारका फल है । तथा जडीभूतको दुरुपक्ष अनिष्ट होता, यदि वह तात्त्विक होनेसे हेय होता । किन्तु वह तो अतात्त्विक होनेसे हेय भी नहीं है—क्योंकि हेयोपादेयरहितव्यक्तिका विचारमें भी अधिकार नहीं है । अर्थात् सबकी प्रवृत्ति दुरुपक्षादिके लिये या सुखप्राप्तिके लिये होती है, और यह उसके लिये ही विचारमें प्रवृत्त होता है । जिसके लिये न कोई हेय है और न कोई उपादेय है, उसके लिये तो विचार भी निष्प्रयोजन ही है ।

यह भी नहीं कह सकते कि—लोकानुसार व्यग्रस्था ही विचारका फल है । अर्थात् लोकसिद्ध पदार्थोंके अलावे कोई तात्त्विक नहीं है—

विचारेऽप्यनधिकारात् । नापि यथालोकं व्यवस्थितिः,
विचारात् प्रागपि तस्याः पामरादिवदयत्नसिद्धेः ।

नापि परलोकमात्रान्निवृत्तिः, तस्यैहिकत्व्यत्वात् ।
द्विषयते हि तात्पदयमिति चेत्, यदि ज्ञानवचनो दशिस्तदा परो-
ऽपि तथा । साक्षात्कारवचनद्युत्तेन, इहेत्यानुमानादेवप्रवृत्ति-
प्रसङ्गः । तदपि प्रत्यक्षमिति चेत्, क्षेत्रामुष्मिकमपि प्रत्यक्षमेव,

क्योंकि पामरोंकी साहू तुम्हारे लिये भी विचारके पहले ही लौकिक
ठिक्करायें अनायास सिद्ध हैं ।

यह भी नहीं हो सकता कि—सर्वां चा नररूप परलोकमात्रमें
निवृत्तिं विचारका फल है । अर्थात् विचारद्वारा अनास्तिरक्तामा ज्ञान
होनेमें सर्वगे के लिये यागादिमें प्रवृत्ति तथा नरकसे उत्तरोत्तरे लिये हिसादि
से निवृत्ति नहीं होगी—क्योंकि पारलौकिक भी ऐहिकने ही तुल्य है ।
इसलिये सर्वगे और नरकके समान लोगोंसी चन्दन और इष्टप्रमें भी
प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं होनी चाहिये ।

यदि कहो कि—इस लोकका तथा इसके सुखदुःखका तो दर्शन होता
है, इसलिये ऐहलौकिक वातुओंमें प्रवृत्ति निवृत्ति होनेमें कोई वाधा
नहीं है—तो यहाँ दर्शनका अर्थ यदि ज्ञान मानते हो तो परलोकमा भी
ज्ञान होता ही है । यदि दर्शनसे साक्षात्कार अर्थ मानो तो इसी लोकमें
अनुमानादिसे प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये । विन्तु वहिना अनुमान
करके भी उसके आनयनमें प्रवृत्ति देखी जाती है ।

यदि कहो कि—लौकिक व्याधादि और उससे होनेवाला सुखदुःख
तो इन्द्रियसञ्चारपूर्णदशामें प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि सुखदत्त्वदुःखत्वरूप
लक्षण लौकिकपारलौकिक सभी सुखदुःखोंमें तुल्य है । अर्थात् एक जगह
सुखत्वादि जातिका प्रत्यक्ष होनेपर सामान्यलक्षणाप्रत्यासचिद्वारा उस
जातिसे युक्त सभी सुखदुःखोंका प्रत्यक्ष हो जाता है ।

क्षेत्रात्तिव्याप्तिरूपतानुसारेण सयाजितः, बहिःक्षामुद्रित-
पाठस्त्वत्प्रत्यो विशृङ्खल इति मन्त्रव्यम् ।

तुल्यलक्षणत्वात् । अरुचेरेव तत्र न प्रवृत्तिरिति चेत्, तथापि किं विचारेण १ तमन्तेरणापि तस्याः सुलभत्वात् । तामेवार्यं पुष्ट्यातीति चेत्, अविशेषादिहापि पुष्टीयादिति ॥

सोऽर्यं पवनतनयवार्तामुपश्रुत्य तत्सपदर्थया बालवानरः कियदपि दूरमुत्प्लुत्य महार्णवे पतितः प्राह—अपार एवायम-कृपारो मिथ्या रामायणमिति^१ ।

तत् किमनेन १ एवं हातुं निर्वक्तुं वा न शक्यते कीदृशं जगदित्येवावन्मात्रमपि पामरदशावनिष्कलमेव । न हि निष्कलत्वेऽपि श्रद्धेयमिदम्, तावत्परामर्शपाठवाभावेनाप्युप-

यदि कहो कि—स्नाभाविक अरुचिसे ही परलोकमें प्रवृत्ति नहीं होती है—तो किर विचारकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि विचार-के बिना भी वह अरुचि अनायास सिद्ध है।

यदि कहो कि—परलोकके प्रति स्वतःसिद्ध उस अरुचिको ही विचार पुष्ट करता है—तो विचारद्वारा समान्नरूपसे इहलोकमें भी अतात्त्वकता का ज्ञान होनेसे ऐहिक सुखसाधनोंके प्रति भी अरुचिको क्यों न पुष्ट करे? । इसप्रकार यह बाल-वानर महायली हनुमानका महासागर लक्ष्यनवृत्तान्त सुनकर स्वर्णवरा कुछ दूरतक उछलकर महासागरमें गिरा हुआ बोलता है कि यह समुद्र तो अपार है और रामायणकी कथा मिथ्या ही है, इसलिये यह महार्णव-लड्घन निरर्थक है । अर्थात् विचाराशक्त होनेके कारण यह बौद्ध प्रतिवादी उस बालवानरके समान है । इस प्रकार यह न जाना जा सकता है और न दूसरेके प्रति इसका निर्वचन ही किया जा सकता है कि कैसा यह जगत् है? इतना विचार भी पामरदशाके समान निष्कल ही है । यह भी नहीं कह सकते कि—निष्कल होनेपर भी इतना विचार तो श्रद्धेय ही है—कारण, मान या निर्वचन न कर सकना तो विचारमें अपटुत्तरके कारण

१ रामायणी व्या—इति ३ पु० पा०

पत्ते । न हि जात्यन्धो नीलं ज्ञातुं निर्वक्तुं वा न शक्त इत्य-
ज्ञेयानिर्वच्य एव तद्वलोक इति ।

माध्यमिकप्रकाशप्रणाली

अस्तु तद्विश्वात् शून्यतैव परम निर्वाणमिति चेत्, न, सा हि
यद्यसिद्धा, कथं तदपिशेषमपि^१ विश्वमभिधीयते ? वाहूमात्रस्य
सर्वत्र सुलभत्वात् । परतथेत् सिद्धा, परोऽप्यभ्युपगन्तव्यो
ग्राहात्तद्वलक्षणं चावर्जनीयमिति ।

भी हो सकता है । क्योंकि जन्मसे अन्धा व्यक्ति नीलरूपका ज्ञान
और निर्वचन करनेमें यदि अशक्त है तो ससारमें सबके लिये नीलरूप
अज्ञेय और अनिर्वचनीय ही नहीं है ।

शून्यवाद (माध्यमिकमत) निराकरण ।

यहा शून्यवादी माध्यमिक शाद्वा करता है कि—शून्यतामें ही परम-
शान्ति क्यों न मानी जाय ? अर्थात् हेयोपादेयरूप बाह्य जगत् और
ज्ञानका भी अभाव होनेसे द्वेष, भय और रागादिसे छुटकारा मिल
जायगा और परम शान्तिकी प्राप्ति हो जायगी—किन्तु ऐसी शाद्वा नहीं
हो सकती है । क्योंकि सर्वशून्यताप्रक्षमें शून्यताग्राहक प्रमाणके भी
शून्य हो जानेसे शून्यताकी सिद्धि नहीं हो सकती है । यदि प्रमाणद्वारा
शून्यताकी सिद्धि न मानो, अर्थात् प्रमाणके विना भी वाहूमात्रसे शून्यता
की सिद्धि मानो तो समानन्यायसे शून्यताके बदले चित्त (पूर्णता)
का ही स्वीकार क्यों न किया जाय ? क्योंकि वाहूमात्र तो सर्वत्र
सुलभ है ।

शून्यताको यदि परत अर्थात् प्रमाणान्तरसे सिद्ध कहो तो वह पर भी
तुम्हें स्वीकार करना पड़ा । ऐसी परिस्थितिमें सर्वशून्यता कहो सिद्ध
हुई ? साथ ही ग्राहास्वरूप भी अनिवार्यरूपसे स्वीकृत करना पड़ा ।
काँच, शूदरसा और प्रमाणमें हुमने विषयविषयिमात्रको अङ्गीकार कर
लिया । प्रमाणमुत्त पर भी काँच रात्मक न होकर सर्वत अर्थात्

^१ तदवचेष इति कलिकारामुद्रितपाठ ।

स च परो यदि संबृतिरेव, विश्वशून्यतयोर्कश्चिद् विशेषः, कथं तदप्यवशिष्येत् ? असंबृतिरूपश्चेत् परः, परत एव तस्य सिद्धावनस्था । स्वयमसिद्धश्चेत्, कथं शून्यत्वमपि साधयेत् ? स्वतः सिद्धश्चेत्, आयातोऽसि मार्गेण^१ ।

तथाहि—स्वतः सिद्धतया तदनुभवरूपम् । शून्यत्वादेव च न तस्य कालावच्छेद इति नित्यम् । अते एव च न देशावच्छेद इति व्यापकम् । अत एव तन्निधर्मकमिति विचारास्पृष्टम्, तस्य^२ धर्मधर्मिभावमुपादाय प्रवृत्तेः । अत उल्पनामात्र हो तो विश्व और शून्यतामें कोई विशेषवा नहीं रही । ऐसी परिस्थितिमें शून्यता भी कैसे बच पायेगी ?

यदि प्रमाणभूत वह पर असंबृतिरूप अर्थात् तात्त्विक हो तो उस प्रमाणकी सिद्धि किसी अन्य प्रमाणसे माननेपर उसकी भी किसी अन्यसे और उसकी भी किसी अन्यसे सिद्धि होगी, इस प्रकार अनवस्थादोष हो जायगा । यदि वह शून्यताका साधक प्रमाण स्वयं ही असिद्ध हो तो वह शून्यताको भी कैसे सिद्ध कर सकेगा ? यदि उस प्रमाणकी सिद्धिको अनवस्थाभयसे परतः न मानकर स्वतः मानो तो अब तुम रास्ते पर आगये । अर्थात् इस पद्धतिसे वेदान्तका स्वयप्रकाश ब्रह्माद्वैत पक्ष ही निर्दोष है ।

कारण, स्वतःसिद्ध (स्वप्रकाश) होनेसे वह (ब्रह्म) ज्ञानस्वरूप है । सम्पूर्ण प्रपञ्चके शून्यरूप होनेके कारण काल और कालोपाधियोंके भी असत् होनेसे वह कालविशेषसे अवच्छिन्न (सीमित) नहीं है, इसीलिये वह नित्य है । और प्रपञ्चशून्यताके कारण ही देशकृत परिच्छेद भी नहीं हो सकता है, इसीलिये वह व्यापक है । शून्यताके कारण ही वह निर्धर्मरूप (धर्मशून्य) होनेसे विचारका भी विषय नहीं है । क्योंकि जहाँ धर्मवर्मिभाव होता है, वहाँ विचारकी प्रवृत्ति होती है । निधमक होनेके कारण ही वैधर्म्यरूप विशेषका अभाव होनेसे कहीं

^१ वेदान्तनयेन इत्यर्थः ।

^२ तस्य=विचारस्य ।

एवं प्रिशेपाभाव इत्यद्वैतम्, प्रपञ्चस्यापारमाधिकत्वाच ।
निष्प्रतियोगिकमिति विधिरुपम् । अनिचारितप्रपञ्चप्रेक्षया
तु शून्यमिति व्यवहारः ।

तथापि प्रपञ्चशून्यस्यातुभवमात्रस्य प्रपञ्चेन सह क-
सम्बन्धः ? न च नायं प्रकाशत इति चेत्, वस्तुगत्या न
कवित । संवृत्या तु गगनगन्धर्वनगरयोराधारादेयभाव इव
प्रिपयविषयिभावः । स च यथा नैयायिकेः समर्थयिष्यते तथैव ।
वेदनिष्ठस्त्वसावस्मिन् दर्शन इति विशेषः । अपिद्येव हि

उसका अन्योन्याभाव नहीं है तथा वह अद्वैत ब्रह्मरूप है । जगत्प्रपञ्च
के अवास्तविक होनेके कारण ही उसका कोई प्रतियोगी नहीं है । इसी
लिये उसमें किसीका भेदरूप निषेध नहीं प्राप्त होनेसे वह अद्वैततत्त्व
निषेधात्मक न होकर विधिरूप है । “शून्यम्” यह व्यवहार तो सत्
या असतरूपसे अनिर्वचनीय घटपटादि प्रपञ्चकी हृषिसे है न कि
अद्वैतब्रह्मकी हृषिसे । अर्थात् अनुभवात्मक अद्वैततत्त्वके अतिरिक्त
कुछ नहीं है, यही शून्यताका अर्थ है ।

(प्रश्न) फिर भी जब प्रपञ्च कोई वस्तु ही नहीं है, तो प्रपञ्चसे
शून्य केवल अनुभवमात्रका प्रपञ्चसे क्या सम्बन्ध है ? यह बताना
होगा । क्योंकि यह प्रपञ्च नहीं भासित होता है, ऐसी बात नहीं है ।

(समाधान) ऐसे प्रश्नका यही उत्तर होगा कि प्रपञ्चके मिथ्यारूप
होनेके कारण उसके साथ अनुभवका वस्तुत कोई सम्बन्ध नहीं है ।
कालपनिक हृषिसे तो जैसे गगन और गन्धर्वनगरका परस्पर आधारादेय-
भाव सम्बन्ध होता है, वैसे ही प्रपञ्च और अनुभवका विषयविषयभाव
सम्बन्ध है । विषयविषयिभाव क्या है ? यह तो जैसा नैयायिकोंने
माना है, वैसाही है । किन्तु वह सम्बन्ध न्यायमतमे विषय और हानि
उभयनिष्ठ होता है, किन्तु इस (वेदान्त) दर्शनमें तो यद्य सम्बन्ध केवल
वेद (विषय) निष्प्र है और वेद विषयके साथ ही निवृत्त हो जाता
है । यही विशेषता है । अविद्या ही वैसे वैसे परिणत होती रहती
है, जैसे जैसे घटपटादि विषयोंका अनुभावरूपमें व्यवहार होता रहता

तथा तथा विवर्तते यथा यथाऽनुभाव्यतया^१ व्यवहिते । तचन्मायोपनीतोपाधिमेदाच्चानुभूतिरपि भिन्नेव व्यवहारपथम-वतरति गगनमिव स्वप्नदृष्टवटकटाहकोटरकुटीकोटिभिः । तदास्तां तावत्, किमार्द्धकवणिजो वहित्रचिन्तया ?

है । अर्थात् अनादि अविद्यावश घटपटादिकोंमें तथा घटज्ञान पटज्ञान आदिमें भेदकी प्रतीति होती है । एवं मायाद्वारा उपस्थापित उस उस उपाधिके भेदसे ही एक भी अनुभव भिन्न-भिन्नरूपमें व्यवहृत होता है । जैसे एक ही आकाश स्वप्नमें देखे गये घट कटाह कोटर कुटी आदि अनेक रूपोंमें भासित होता है ।

अब वेदान्तकी चर्चा स्थगित रहे । क्योंकि आदीके वनियाको जहाजकी चिन्तासे क्या लाभ ? अर्थात् शून्यवादके खण्डनके लिये न्यायदर्शन ही पर्याप्त होगा । अतः यहाँ वेदान्तके उपयोगकी आवश्यकता नहीं है ।

१ अनुभवनीयतया इति ३ पु० पा० ।

२ जिन युक्तियोंसे वेदान्त शून्यवादका खण्डन करेगा, उन्हीं युक्तियोंसे न्याय भी खण्डन कर सकता है । क्योंकि सर्वथा असिद्ध भी शून्यता यदि मात्र्य हो तो व्यवहारद्वारा सिद्ध पूर्णताने वया अपराध किया है कि वह न भानी जाय । यदि शून्यताको अनुभवबलसे मानो तो अनुभव उसके विपरीत ही बताता है । क्योंकि स्वप्नमें भी शून्यताका अनुभव हिस्तीको नहीं होता है । एवं शून्यता वया वस्तु है ? यह बताओ । यदि कहो कि अभाव ही शून्यता है, तो सामान्यतः भावके साथ उसका कोई विरोध नहीं है ।

यदि सार्वकालिक अभावको शून्यता कहो तो भी विरोध नहीं है । क्योंकि हमेशा किसी न किसीका कही न कही अभाव न्याय स्थि मानता है । यदि वहों कि सर्वत्र अभाव शून्यता है, तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि एक सम्बन्धसे सत्ता होनेपर भी अन्य सम्बन्धसे उसकी बसत्ता मानी ही जाती है । यदि कहो कि सभी सम्बन्धोंसे सर्वदा सर्वत्र अभाव शून्यता है, तो विसका अभाव है, यह बताओ । यदि सबका सर्वदा सर्वत्र अभाव शून्यता मानो तो सब काल, देश, सम्बन्ध

तस्मादनुभवव्यवस्थितौ अनात्माऽपि स्फुरतीत्यवर्जनीय-
मेतत् । तत्सिद्धौ तद्वक्षणमपि किञ्चिदस्त्येव । तथा बाह्या-
विरोधे ज्ञानानित्यतायां तन्निष्टुभयनिष्टुं वा, बाह्यविरोधे ज्ञान-
निष्टुमेव । तन्नित्यतायां तु ग्राहनिष्टुमेतेति ।

तथाहि, लक्ष्यस्तावदत्र विषयविषयिभावः । स च प्रका-

इसलिये अनुभवबलसे यह अनिवार्य है कि ज्ञानभिन्न भी भासित होता है । अर्थात् कोई अनुभव “इदं नीलम्” ऐसा होता है और कोई अनुभव तो “इमे नीलपीते परस्पर भिन्ने” ऐसा होता है । इस प्रकारकी विभिन्न अनुभवकी व्यवस्था वेचल विज्ञानवादसे नहीं हो सकती है । अतः ज्ञानसे भिन्न विषयका भी भान मानना आवश्यक है ।

एव बाह्यार्थकी प्राप्तता सिद्ध होनेपर उसका नियामक भी कुछ (विषयविषयिभाव सम्बन्ध) होगा ही । और वह नियामक बाणवस्तु की पारमार्थिकताकी दशामे तथा ज्ञानकी अनित्यतापक्षमे ज्ञाननिष्टु अथवा ज्ञान-अर्थ सम्बन्धिष्ट होगा । बाह्यार्थके निषेधकी दशामे योगा चारमतानुसार ज्ञाननिष्टु ही होगा तथा वेदान्तमतानुसार ज्ञाननित्यत्व-पक्षमे तो बाणवस्तुनिष्ट ही होगा । क्योंकि उस नियामकके आविद्यक होनेसे वह परमार्थभूत ज्ञानात्मक ग्रन्थमें स्थित नहीं हो सकता । साथ ही ज्ञानके नित्य होनेके कारण सदेव “अह घट ज्ञानामि” ऐसा अनुव्यवस्थाय होने लगेगा ।

इस न्यायमे विषयविषयिभाव ही वह नियामक है । और वह एक प्रकारका स्वभावविशेष है, जो सद्भूत प्रकाश (ज्ञान) में विषय-सम्बन्धित्वमात्रहूप है । अभिप्राय यह हुआ कि ज्ञानके निराकार होनेसे विषयके द्वारा ही ज्ञानका निरूपण सम्भव है । अतः विषयनिरूपणीयता ही ज्ञानगत तदीयता अर्थात् विषयसम्बन्धिता है, और वही न्यायानुसार विषयविषयिभाव है, जो ज्ञाननिष्टु माना गया है ।

तथा प्रतियोगियोंको मानते हुए भी शून्यना बताना यह बहुत बड़ा बाध्यर्थ है । ज्ञानगत विषयसम्बन्धिताके स्वागाविक होनेके कारण ही उसके लिये भी स्वभाव ही नियामक है, किसी अन्यकारणकी व्येक्षा नहीं है ।

शस्य सतस्तदीयतामात्ररूपः स्वभावविशेषः । स्वभावत्वादेव च नोपकारान्तरमपेक्षते, तन्मात्रीयत्वादेव च नान्यदीयः ।

किमस्य कलमिति प्रदनग्रसङ्गेऽपि बहिस्तदूगोचरव्यवहार-
प्रवृत्तिरान्तरमपि तेन ज्ञाननिरूपणम् । कुतोऽयमीद्वित्यनु-
योगेऽपि सामग्रीशक्तिरेवोत्तरं कार्यकारणवत् । अन्यथा
तत्र अप्युपकारान्तरापेक्षायामनवस्था, तदनपेक्षायां (वा) साधा-

एवं तज्ज्ञानमे तन्मात्रका सम्बन्ध हानेसे हो उस ज्ञानमे विषया-
न्तरके सम्बन्धका आपादन भी नहीं किया जा सकता है । अर्थात्
“प्रकाशस्य सत् तदीयतामात्ररूप स्वभावविशेषो विषयविषयिभाव”
इस निर्वचनमे प्रकाश (ज्ञान) को सत् कहनेसे उसकी शून्यताका
निराकरण होकर भावरूपता सिद्ध होती है । तदीयतापदसे छःप्रत्यय-
द्वारा घटज्ञान पटज्ञान यहाँपर ज्ञानमे घटपटादिका विषयितारूप सम्बन्ध
सूचित होता है । तदीयतामात्र यहाँ मात्रपदसे घटज्ञानमे पटविषयिता
तथा पटज्ञानमे घटविषयिताके प्रसङ्गका निवारण होता है । एवं “स्वभा-
वविशेषः” यहाँ स्वभावपदसे सूचित होता है कि ज्ञानगत विषयकी
विषयिता किसी कारणके अधीन नहीं है किन्तु स्वाभाविक है । इसी
प्रकार विशेषपदसे “ज्ञानाभाव तथा ज्ञानसमवाय” यहाँ पर अभावके
साथ तथा समवायके साथ ज्ञानका स्वरूपसम्बन्ध होनेपर भी विषय-
विषयिभावका बारण किया जाता है ।

इस विषयविषयिभाव सम्बन्धका फल क्या है ? ऐसे प्रश्नके प्रसङ्गमे
भी यही उत्तर होगा कि बाहरमें उस विषयसे सम्बद्ध प्रहृष्टपरित्यागादि
व्यवहारोंमे प्रवृत्त कराना और देहके अन्दर उसके द्वारा ज्ञानका निरूपण
कराना । अर्थात् ज्ञानके निराकार होनेके कारण विषयके सम्बन्धसे ही
उसके स्वरूपका निरूपण संभव है ।

ज्ञानका नियतविषयसम्बन्धितारूप यह स्वभाव भी कैसे होता
है ? ऐसा प्रश्न होनेपर भी सामग्रीकी स्वाभाविक शक्ति ही उत्तर होगा ।
जैसे कि कार्यकारणभावस्थलमें होता है । अन्यथा नियत कार्य पैदा
करनेमें कारणगत स्वाभाविक शक्ति न मानकर किसी अन्य नियामककी
आपेक्षा करनेपर उसका भी कोई अन्य नियामक तथा उसका भी कोई

रण्यं केन वार्यम्^१ । तेन तदेव क्रियते, अनेनाप्येतदेव विषयी-
क्रियत इति विवेचनीयम् ।

प्रिययोक्रियत इति कोऽर्थः १ क्रियत इत्यपि कोऽर्थः १
इति विचारणीयम् । कार्योत्पादनमेव करणम्, तदीयतयोत्प-
त्तिरेव विषयीकरणमिति विवेचनीयम् । उपकारस्तु यथाऽन्न
विज्ञानस्वरूपातिरिक्तो नास्ति, तथाऽन्नापि कार्यस्वरूपाति-
रिक्तो नास्तीति प्रतिसन्धेयमिति ।

अतएव कार्यकारणभावोऽप्युपेक्षितव्य इति तु महत् साह-

अन्य नियामक भानना पड़ेगा । इस प्रकारकी परम्परामें अनवश्यादोष
आ जायगा । एव यदि स्वभाविक शक्ति भी न भानो तो और कोई
नियामक भी न भानो तो अन्य कारणोंसे अन्यकार्योंको उत्पत्ति कैसे
रोकी जा सकती है ?

यदि कहो कि—उस कारणद्वारा वही कार्य किया जाता है, जब
साधारणदोष नहीं आ सकता—तो इस ज्ञानद्वारा भी यही अपना विषय
बनाया जाता है, यह भी समझना चाहिये । अर्थात् ज्ञानविशेषके द्वारा
विषयविशेषका ही विषयीकरण होता है, जब एकविषयके ज्ञानमें
विषयान्तरसम्बन्धिताका प्रसङ्ग नहीं आ सकता । यदि पूछो कि—
विषयीकरणका क्या अर्थ है ? तो करणका भी क्या अर्थ है ? यह
विचारणीय है । यदि कहो कि—कार्यका उत्पादन ही करण है—सो
ज्ञानमें तदीयताकी उत्पत्ति ही विषयीकरण, यह समझना चाहिये ।
साथ ही विषयकृत ज्ञानगतविषयितारूप उपकार भी जैसे यहाँपर ज्ञान-
स्वरूपसे अतिरिक्त वस्तु नहीं है, वैसे वहाँ भी कारणकृत कार्यगत करण
रूप (उत्पादनरूप) उपकार भी कार्यस्वरूपसे अतिरिक्त वस्तु नहीं है,
यह ध्यान देने की जीव है ।

इसीलिये विषयविषयभावके समान कार्यकारणभाव भी उपेक्षणीय
है—यद कथन भी बहुत बड़ा साहस है । अर्थात् ‘नियतकार्यके उत्पादन

सम् । तथा सति हि स्यादेव न स्यादेवेत्याद्यापद्येत् । तथा च प्रकाशतमसोरन्यतरस्य कौटस्थ्यप्रसङ्गः । सांशुतोऽस्तिवति^१ चेत्, विषयविषयिभावोऽप्येवमस्तु । यदि विषयकार्ययोर्बलवती वाधेति सांशुतः, नो चेदेव^२ मिति द्वयी गतिः ।

तदत्र तत्त्वम्—न तावदुभयनिष्ठं लक्षणम्, सतोऽसतो वा स्थिरस्यापि स्फुरणात् । न च ज्ञाननित्यतायां पारमार्थिक-

के लिये कारणप्रगत उपकारान्तर (प्रयोजकान्तर) की अपेक्षा होनेपर अनवस्था और उसकी अनपेक्षा माननेपर साधारण्यदोषके कारण ही कार्यकारणभाव भी नहीं मानना चाहिए^३ इस प्रकारका कथन तो दुःसाहस है । क्योंकि कार्यकारणभावका बहिष्कार देनेपर तो कार्य या तो नित्य ही होता रहे अथवा विलकुल न होवे । अर्थात् संसारके सभी पदार्थ नित्य होंगे या मिथ्या होने चाहिये । ऐसे ही विषयविषयिभावका बहिष्कार करनेपर प्रकाश और अन्धकारमें कोई एक कूटस्थ नित्य होने लगेगा । अर्थात् ज्ञानको यदि विषयनिरपेक्ष होनेसे अनादि मानो तो ज्ञानमें कूटस्थत्य (सदातनत्य) आजायगा तथा यदि मिथ्या मानो तो ज्ञानका अभाव ही कूटस्थ हो जायगा । इस प्रकार क्षणिकविज्ञानवाद उभयथा ध्वस्त हो जाता है ।

यदि कहो कि—कार्यकारणभावका सर्वथा अपलाप नहीं किया जा रहा है विन्तु वह सांशुत (व्यावहारिक) मात्र है—तो विषयविषयिभाव भी वैसे ही व्यावहारिक होवे । इसलिये विषयविषयिभावमें और कार्यकारणभावमें यदि धलवान् धाधक होगा तो वोनो ही सांशुतिक होंगे, अन्यथा दोनों ही वास्तविक होंगे ।

यदौं यह निष्कर्ष है कि विषयविषयिभावरूप नियामक घौढ़मगानुसार विषय और ज्ञान उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है । क्योंकि भाव या अभावभूत स्थिर पदार्थका भी मान होनेसे उभयनिष्ठताकी दशामें विषय के स्थिर होनेसे तत्सद्भूत ज्ञान भी स्थिर होने लगेगा । “ज्ञानके नित्य होनेके कारण विषयविषयिभावको ज्ञाननिष्ठ माननेपर सदा व्यवहारका

^१ सांशुतोऽस्तु कार्यकारणभाव इत्यर्थः ।

^२ वास्तवमित्यर्थः ।

वाद्यनिष्टुम् सत्कार्यवादव्यावृत्तेः साख्यप्रक्रियाविध्वंसात् ।
न यत्तु पूर्वापर (पूर्व) तिरोभावाविभावाग्न्तरेण विचारस्या-
प्यवसरः । नाप्यलीकग्राधतया क्षणिकज्ञाननिष्ठमिति, तुच्छस्य
विशेषाभावात्, ज्ञानस्य च निराकारत्वात्, अन्यत्राप्य (प्र)
मिद्देरारोपयितुमशक्यत्वात् ।

असन्त एत प्रिशेषकाथकासत्त्वोति चेत्त, असन्त इति
यतत्काला अतदेशा इति वा ? अकिञ्चिदरूपा इति वा ?

प्रसङ्ग होने लगेगा । अत आविभाव और तिरोभाव स्वभाववाले विषय
में ही स्थित विषयविषयभाव होगा” यह साख्यमत भी ठीक नहीं है ।
क्योंकि सत्कार्यादय निराकरण हो जानेसे साख्यकी यह प्रक्रिया भी
ध्वस्त है । क्योंकि पूर्वके विनाश और उत्तरको उत्पत्तिके बिना प्रस्तुत
विचारका भी अवसर नहीं आ सकता है । अर्थात् ज्ञानके नित्य मानने
पर उसका उत्पाद और विनाश नहीं हो सकेगा । अत विपरीत पूर्व
ज्ञानकी निवृत्ति और यथार्थ उत्तरज्ञान को उत्पत्तिके लिये किया जाने
याला यह विचार भी निष्कल हो जायगा ।

ग्राह्यविषयोंके अलीक हानसे क्षणिकविज्ञाननिष्ठ भी विषयविषय-
भाव नहीं हो सकता । क्योंकि विषयके तुच्छ होनेसे विषयकृत तथा
ज्ञानके निराकार होनेसे आकारहृत विशेषता ज्ञानोंमें नहीं आ सकती ।
जब नीलज्ञान और पीतज्ञानमें परस्पर विशेषताकी प्रतीति नहीं हो
सकेगी । साथ ही जो अन्यत्र कहीं प्रसिद्ध नहीं हैं, उसका आरोप भी
नहीं हो सकता । अत आरोपित नीलपीतादिके द्वारा भी ज्ञानोंमें
विशेषता नहीं आ सकती है ।

यदि कहो कि—असतत्त्वातिवादके अनुसार नीलपीतादि असत् होते
हुए भी ज्ञानोंमें विशेषाधायक होंगे । जैसे, अतीत और अनागत वस्तु
वर्तमानमें असत् होती हुई ही ज्ञानकी विशेषिका होती है—वो एसा
नहीं कह सकते हो । क्योंकि असत्का क्या अर्थ है ? क्या जो तत्का
लीन और तदेशीयसे भिन्नरूप है, उसे असत् कहते हो ? या जो
अकिञ्चिद्रूप है, वह असत् है ? अथवा कोई नियत व्यावृत्तिमात्रवस्तुरूप

नियतव्यावृच्चिमात्ररूपा इति वा ? प्रथमे कालदेशान्तरयोः सत्त्वप्रसङ्गः । द्वितीये त्वविशेषता । उत्तीये नीलस्यालीकस्या- नीलव्यावृच्चिरूपतापामनीलाना पारमार्थिकत्वप्रसङ्गः । तेषा- मलीकत्वे तदव्यावृत्त्यात्मनो नीलस्यानलीकत्वापत्ति । तथा- अप्यलीकत्वेऽप्यिशेषत्वम् ।

तेन रूपेणाविशेषत्वमेवेति चेत्, अथ विशेषः केन ? नीलपीतादिनेति चेत्, तन् किं ततोऽधिकम् ? अनलीकं तहिं स्यात् । अनधिकं चेत्. कुतस्तेनापीति ।

वासनावशाद् विशेषाः स्फुरन्तीति चेत्, स्फुरन्तु, कः कारणे विप्रतिपद्यते ? ते तु नीलादयो यद्यकिञ्चिद्रूपाः कथं

हे ? यदि प्रथम अर्थ लो तो प्रतियोगीभूत कालान्तर और देशान्तरकी सत्ता सिद्ध हो जाती है । द्वितीय अर्थमें उससे ज्ञानमें कोई विशेषता नहीं आ सकती है । तृतीय अर्थमें अलीकभूत नील यदि अनीलोंकी व्यावृच्चिरूप हो तो अनीलोंमें पारमार्थिकता आज्ञायगी । यदि वे अनील मिथ्या हों तो उनकी व्यावृच्चिरूप नीलमें पारमार्थिकत्वका प्रसङ्ग हो जायगा । यदि वे अनील और उनकी व्यावृच्चिरूप नील सभी अलीक हों तो पुन वे ज्ञानमें विशेषाधार्यक नहीं हो सकते हैं ।

यदि कहो कि—अलीकत्वरूपसे नीलादि ज्ञानके अविशेषक ही हैं तो फिर वे ज्ञानमें विशेषता किसरूपमें छाते हैं ? यदि कहो कि—नीलत्व-पीतत्वादिरूपसे, तो वह क्या जलीकसे भिन्न है ? यदि भिन्न हो तो वह नीलत्वादि अनलीक अर्थात् सत् हो जायगा । यदि वह नीलत्वपीतत्वादि अलीकसे अभिन्न हो तो फिर उसरूपसे भी नीलपीतादि ज्ञानके विशेषरूप किसे हो सकते हैं ?

यदि कहो कि—वासनावशसे ज्ञानगत विशेषताओंका स्फुरण होता है । अर्थात् वासनाविशेषसे असत् भी नीलादिका स्फुरण होता है और वे ही ज्ञानके विशेषक होते हैं—तो वे भले ही स्फुरित होवें । क्योंकि स्फुरणके कारणके सम्बन्धमें किसे मतभेद है ? किन्तु वे नीलादि यदि अकिञ्चिद्रूप (तुच्छ) हैं तो वे ज्ञानमें विशेषक किसे हो सकते हैं ?

विशेषाः १ तदितररूपेणाकिञ्चिद्रूपत्वे तेन रूपेण किञ्चिद्रूपा
एवेति ब्रूमः ।

विचारासहतामात्रमलीकत्वमिति चेत् तथापि भाषापरि-
चर्तनमात्रम्, विचारासहतायाः किञ्चिद्रूपत्वविरोधित्वात् ।
अविरोधे वा त्वद्विचारासहना अपि किञ्चिद्रूपा एव नीलादय
इति विचारस्य दुर्विचारत्वप्रसङ्गः । तेन नीलादीनां छाया-
मात्रस्याप्यनाक्रान्तेः प्रगिशा वा अनिर्वचनीयरूपातिकुक्षिम्,
तिष्ठ वा मतिकर्दममपहाय न्यायनयानुसारेण नीलादीनां
पारमार्थिकत्वे । तस्मात्—

न ग्राह्यभेदमनधूय धियोऽस्ति वृत्तिस्—

यदि यह कहो कि—नीलत्वसे इतर जो पीतत्वादि उस रूपसे वे नीलादि
अकिञ्चिद्रूप हैं—तो नीलत्वरूपसे वे किञ्चिद्रूप (वास्तविक) ही हैं,
ऐसा हम कह सकते हैं ।

यदि कहो कि—विचारासहत्व ही अलीकत्व है । अर्थात् नीलादि-
के स्फुरित होनेमें तथा ज्ञानोंका विशेषक होनेमें कोई बाधा नहीं है ।
किन्तु वे विचारकी कसौटीपर टिक नहीं पाते, अतएव अलीक कहे जाते
हैं—तथापि इस कथनमें भाषाका ही बेवल भेद है, वस्तुमें कोई अन्तर
नहीं आता । अर्थात् नीलादिविषयको विचारासह कहते हुए उसे अकि-
ञ्चिद्रूप (तुच्छ) ही कह रहे हो । क्योंकि विचारासहत्व किञ्चिद्रूपत्वका
विरोधी है । यदि विरोधी न हो तो तुम्हारे लिये विचार सहनेके
अधोग्य भी नीलादि किञ्चिद्रूप (वास्तविक) ही बने रहे । इस प्रकार
तुम्हारा विचार ही दुर्विचार बन गया । क्योंकि उस विचारसे नीलादि
विषयोंकी छायामात्र भी नहीं लाधी जा सकी, उन्हें तुच्छ सिद्ध करना
तो दूर रहा । अत असत् ख्यातिवादको छोड़कर वेदान्तकी अनिर्वचनीय
रूपातिकी शरण प्रहण करो अथवा बुद्धिकी सहीर्णता हटाकर न्यायमत्ता-
नुसार नीलादि विषयोंकी वास्तविकता स्वीकार करो । अत—

वाह्यार्थभेदोंके बिना ज्ञानस्थ भेद न सिद्ध है,

तद्राघने वलिनि वेदनये जयश्रीः ।
नो चेदनिन्यमिदमीदशमेव विश्वं
तथ्यं तथागतमतस्य तु कोऽवकाशः ? ॥ १ ॥

तच्छाठीकं विचारासहमनिर्वचनीयं वा यमाश्रित्य जग-
दुद्गीयते, स एव विचारश्चिन्त्यतां कोऽसौ कीदृशश्वेति ।
सतकं प्रमाणमेव वाक्यारूढमिति चेत्, तच्चेद् विचारासहम्,
किं तेन भौतविचारकल्पेन ।

तथाहि, केनचिद्गौतेन राजद्वारि द्विरदमवलोक्य विक-
लिपतम्—किमपमन्धकारो मूलकमत्ति ? आहोस्वित् जलवाहो
वलाकान् वर्षति गर्जति च ? यद्वा वान्धवोऽयम् “राजद्वारे
शमशाने च यस्तिष्ठति स वान्धवः” इति परमाचार्यवचनात्,

वाक्षार्थवादे विजयश्चवि वेदान्तकी ही सिद्ध है ।

यदि यों नहीं, तो विश्व ऐसा ही यथार्थप्रकाश है,

फिर क्या सुपरवतका यहाँ कुछ भी वचा अथकाश है ?

एवं जिसके द्वारा जगत् को विचारासहके रूपमें अथवा अनिर्वचनीय
के रूपमें अलीक कहते हो, उस विचारका ही चिन्तन करो कि वह क्या
है और कैसा है ? यदि—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन-
रूप पञ्चावयववाक्योपपत्र तर्कसहित प्रमाण ही वह विचार है—तो वह
प्रमाणरूप विचार भी यदि नीलादिके समान ही विचारासह है तो भूता-
विष्टोंके विचारके समान वह विचार भी निष्कल ही है । अर्थात् उसके
द्वारा सिद्ध किया हुआ जगत् का अलीकत्व भी स्वयं मिथ्या ही गया
और फलतः जगत् सत्य ही सिद्ध हो गया ।

लैसे, किसी भूताविष्टने राजाके द्वारपर हाथीको देखकर कल्पना की
कि—क्या यह अन्धकार मूली खा रहा है ? या भेघ घगुलोंकी वर्षा कर
रहा है, और गरज रहा है ? या यह कोई वान्धव है ? क्योंकि श्रेष्ठ
आचार्योंका वचन है कि राजाके द्वारपर और शमशानपर जो रहता है
वह वान्धव है । अथवा जो यह जमीनपर दिखाई देता है, उसीकी

अथवा योऽयं भूमौ दृश्यते तस्यच्छायेति ?

दूषितश्च—तत्र नाथः, शूर्पयुगलप्रस्फोटनानुपपत्तेः । न द्वितीयः, तस्य स्वभूचतुष्ट्याभावात् । न तृतीयः, तस्य लगुट्टमणाभावात् । न चतुर्थः, तस्य नरशिरशरोद्गरणाभावात् । ततो न किञ्चिद्दिदमिति ।

किमेतावता द्विरदस्वरूपं निवर्तताम् । यद्वा वरमेतस्माद् योऽयं सोऽयमिति वादो द्वितीयो भौतः । तद्विचारसहमिति चेत्, एव तद्विषयमेव पिलीनभलीकादिवादैः, नोत्तरप्रतीक्षणमपि ।

ऊपरकी तरफ खड़ी हुई छाया है ? (यहाँ जमीनपर पड़ी छायामें विस्वभावका भ्रम तथा वास्तविक विस्वमें छायाका भ्रम कर रहा है ।

पुन उसीने इन कल्पनाओंका खण्डन भी कर दिया कि प्रथमपक्ष नहीं हो सकता । क्योंकि यह अन्धकार होता तो सूर्योंका फळपङ्कजाना नहीं हो सकता । दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह मेघ होता तो उसके चार खम्बे नहीं होते । तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह बान्धव होता तो वृष्णि नहीं धुमाता । चतुर्थ पक्ष भी नहीं हो सकता है क्योंकि वह भूमिस्थ वस्तुकी छाया होती तो उसमेंसे मनुष्योंके बहुत से शिर नहीं निकलते । इसलिये यह कुछ भी नहीं है । (यहाँ ज्ञानोंमें सूपका, चारों पैरोंमें स्तम्भका, पूँछमें छण्डेका तथा पुरीपरिणामोंमें शिरका भ्रम कर रहा है) यहाँ पूर्व और उत्तर दोनों ही कथन भ्रम हैं ।

तो क्या इस भौतिकियासे हाथीकी सत्ता समाप्त हो जाती है ? इससे वह दूसरा भौत (भूतप्रस्त) हा अच्छा है, जो “योऽयं सोऽम्” कहता हुआ अनिर्वचनीय बताता है ।

यदि तर्कसहित पञ्चाषयवाक्योपपत्र प्रमाणरूप विचारको विचारसह (विचारसिद्ध) मानो तो यहीं पर तुम्हारा अलाकवाद विना उत्तरकी प्रतीक्षा किये अपने आप विलीन हो गया । अथात् तक प्रमाण और पञ्चाषयव वाक्य यदि पारमार्थिक हैं तो इनका विषय बक्ता और

लोकसिद्धमिति चेत्, तद्विं तस्य परिकरशुद्धिरपि तथैव ग्राह्या, अन्यथा लोकस्यापि व्यतिक्रमे विचारस्य यादच्छिकवाङ्मात्रत्वापत्तेः । लोके चाकाङ्गायोग्यतासत्तिमत्तया प्रतिसंहृतमश्लिष्टार्थं प्रमाणान्तराप्रतिहृतं स्वबचनस्वक्रियास्वज्ञानव्याघातादिदोपरहितं स्वार्थप्रतिक्षेपक्युक्तेरनाक्षेपकं वाक्यमर्थप्रतिपत्तेरज्ञम्, यथा पर्वतोऽयं वह्निमानिति ।

अनङ्गमितरत्—यथाऽयं पर्वतो देवदत्तो गौर इति, जलहदो वह्निमानिति, गिरिर्देवदत्तेन भुक्तमग्निमानिति, श्वेतो डित्यो धावतीति, शशो विपाणीति, माता चन्द्र्येति, प्रयोजन आदि भी पारमार्थिक ही दोंगे ! इसप्रकार जगत्का मिथ्यात्व कहां सिद्ध हुआ ?

यदि कहो कि—लोकप्रसिद्धिके आधारपर ही पञ्चावयव वाक्यारुद्ध प्रमाणरूप विचारका प्रहण होगा, अतः विचारको लोकसिद्ध माननेमात्रसे उसके अलीकत्वमें कोई बाधा नहीं होती है—तो उसके सहकारी कारणोंकी शुद्धता (निरोपता) भी लोकसिद्ध ही माननी पड़ेगी । अन्यथा लौकिक विषयका भी उल्लङ्घन कर देनेपर आपका यह तत्त्वविचार भी एक भनमाना वाग्जालमात्र बन जायगा । क्योंकि लोकमें आकाशा, योग्यता और आसन्ति से युक्त होकर जाना गया, अशिष्यार्थक (अनेकार्थक पदोंसे रहित), दूसरे प्रमाणोंसे अवाधित, स्वबचनव्याघात रखक्रियाव्याघात स्वज्ञानव्याघात आदि दोषोंसे रहित तथा अपने ही अर्थका खण्डनकर देनेवाली युक्तिका जो उपस्थापक न हो, ऐसा ही वाक्य अर्थबोधक कारण होता है । जैसे, “पर्वतोऽयं वह्निमान्” यह वाक्य अर्थवाधक होता है । इससे भिज प्रकारका वाक्य अर्थबोधक नहीं होता । जैसे, आकाशारहित होनेके कारण “अयं पर्वतो देवदत्तो गौरः” यह वाक्य, योग्यतारहित होनेके कारण “जलहदो वह्निमान्” यह वाक्य, आसन्तिरहित होनेके कारण “गिरिर्देवदत्तेन भुक्तमग्निमान्” यह वाक्य, श्वेत, पदके शिष्टार्थक होनेसे “श्वेतो डित्यो धावति” यह वाक्य प्रत्यक्ष

अहं मूरु इति, इमं न जानामीति, मम कर्णे प्रविश्य गजो
गर्जति भेषजमुच्यतामिति ।

तदथश्च साधनं दृष्टं च । तत्र साधनं व्याप्तिपक्षधर्म-
तौपयिकरूपपञ्चकोपेतं लिङ्गम्, यथा विणिष्टपूमवत्त्वादिति ।
लिङ्गाभासमितरत्, यथा जलाशयत्प्रादिति ।

तत्परिकरश्च तत्कारः । सोऽपि व्याप्तिभेलमालम्ब्यानिष्टप्रसङ्ग-
रूपः । अनिष्टं च द्विविधं प्रामाणिकपरित्यागोऽप्रामाणिकपरि ।-

प्रमाणसे वाचित होनेके कारण “शशो विपाणी” यह वाक्य, स्वयचन-
व्याधातदोपसे “माता यम्भ्या” यह वाक्य, उच्चारणरूप कियासे व्या-
धात होनेके कारण “अहं मूरुः” यह वाक्य, स्वज्ञानव्याधात होनेसे
“इमं न जानामि” यह वाक्य (क्योंकि ज्ञात विषयको ही “इमम्” शब्द
से व्यवहृत किया जा सकता है, अतः “इमं न जानामि” कहना स्वज्ञान-
व्याहृत है), तथा स्वार्थप्रतिक्षेपक युक्तिया उपस्थापक होनेके कारण
“मम कर्णे प्रविश्य गजो गर्जति, भेषजमुच्यताम्” इत्यादि वाक्य अर्थके
बोधक नहीं होते हैं । यहाँ अन्तिम वाक्यमें कानमें प्रविष्ट हाथीकी
गर्जनाके निवारणार्थ औपधकी जिहासा की गयी है । किन्तु कर्णमें
गजगजनरूप निवारणीय वस्तु ही अत्यन्त असत् है । अतः उसके
लिए औपधारिधान सर्वथा अयोग्य है । अत यह वाक्य अर्थबोधक
नहीं हो सकता है ।

एवं उक्त पञ्चवाचय वाक्यका अर्थ (प्रयोजन) है ‘स्वक्षका साधन
तथा परपक्षका दृष्टण’ । इनमें व्याप्ति पक्षधर्मताके सम्पादक पक्षसत्त्व,
सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यापूत्तत्व, असत्प्रतिपक्षितत्व और अवाचितत्व नामक
पञ्चरूपोंसे युक्त हेतु ही साधन है, जैसे वहिको सिद्ध करनेमें अविच्छिन्न-
नमूलवाला धूम हेतु । किन्तु उक्त पञ्चरूपोंसे जो रहित होगा, वह
हेतु न होकर हेत्वाभास होगा जैसे वहिको सिद्ध करनेमें जलाशयत्व
हेत्वाभास होगा न कि हेतु । तथा उसका सदृकारी कारण सर्क होता
है । वह सर्क भी व्याप्तिवल्लके आधारपर अनिष्टप्रादनस्वरूप है ।

ग्रहश् । यथा यद्यदकं पिपासादुःखं न शमयेत्, न पीयेत् । यदि च तदेव परमन्तर्दहेतु, तदाऽविशिष्टं मामपि दहेत् ।

इतरस्तु तर्काभासः । यथा यदि जलं पिपासादुखं नाशमयिष्यत् रूपवदपि नाभविष्यत्, यथाऽऽकाशम् । यदि च तदेव परमधृत्यत् मामपि सुरभिमकरिष्यदिति ।

दूषणमपि स्वप्रतिक्षेपक्युक्तेरनाक्षेपकं दूष्या अधकत्वाविनाभूतं सिद्धं च । यथाऽग्निमर्त्तं साध्ये प्रमेयत्वमनेकान्ति-

और वह अनिष्ट दो प्रकारका होता है, प्रामाणिकका परित्यागरूप तथा अप्रामाणिकका प्रहणरूप । जैसे—यदि पानी व्यासके कष्टको नहीं मिटाता तो उसका पान नहीं किया जाता । यहाँ पानीका बीया जाना प्रामाणिक है, अतः प्रामाणिकका परित्यागरूप अनिष्टापादन किया गया है । एवं वही यदि भीतर दाह पैदा करता तो समानन्यायसे मुक्तमें भी दाह पैदा करता । यहाँ पानीका दाह पैदा करना अप्रामाणिक है । अतः अप्रामाणिकका प्रहणरूप अनिष्टका आपादन किया गया है । यहाँ प्रामाणिकका परित्याग तथा अप्रामाणिकका प्रहणरूप दोनों ही तरहका अनिष्टापादन व्याप्तिके आधारपर हैं, अस यह तर्क है ।

मिन्तु व्याप्तिवलके बिना ही किया जाने वाला अनिष्टापादन तर्काभास है । जैसे—यदि जल व्यासके कष्टको नहीं शान्त करता तो वह रूपवान् भी नहीं होता, जैसे आकाश । और यदि वही भीतर दाह पैदा करता तो मुझे भी मुग्धित कर देता । यहाँ विपासा शान्त करनेका रूपवान् होनेके साथ तथा दाह पैदा करनेका मुग्धित करनेके साथ काई व्याप्ति सम्बन्ध नहीं है । अत यह तर्कमास है ।

एव परपक्षका दूषण करनेवाला भी वही होता है, जो स्वार्थप्रतिक्षेपक युक्तिका उपस्थापक न हो, दूषणीय विषयका निश्चित रूपसे असाधक हो तथा स्वयं सिद्ध हो अर्थात् असिद्धियस्त न हो । जैसे, अभिसाध्यके प्रति व्यभिचारी होनेसे प्रमेयत्व देतु नहीं होता । अर्थात् यहो दिया गया व्यभिचाररूप दूषण स्वार्थपर आधात करनेवाली युक्तिको उपस्थित नहीं करता और न दूषणीय वहिरूप साध्यका साधक ही है तथा वहिसाध्यके प्रति प्रमेयत्वहेतुमे व्यभिचारदोष सिद्ध भी है ।

कल्यादहेतुरिति । अन्यथा तु तदामासम्, यथाऽयं धूमो
नामिनसाधकः सर्वथानुपलभ्यमानोपाधिशङ्काप्रस्तवात् प्रमेय-
त्वात् विरुद्धत्वाचेति ।

इतरदपि प्रमाणमनुमानच्छाययैव विचाराह्नम्, तर्क-
मन्यथासिद्धिं च पुरस्कृत्य प्रवृत्तेः । ततस्तत्राप्येषैव रीतिरनु-
गत्वयेति ।

एवं व्यवस्थिते लोकब्यवहारे साधनोपक्रमेण यदि
विचारयसि, प्रतिष्ठेव तत्त्वाङ्गं धारयति । तथाहि—न
किञ्चिदस्ति, न किञ्चित् सत्यम्, न किञ्चित् कारकम्, न

इसके विपरीत जो दृष्टि उक्त तीनों लक्षणोंसे रहित होता है वह
तो दृष्टि न होकर दृष्टिभास होता है । जैसे कोई कहे कि “यह धूम
अग्निका साधक नहीं है, क्योंकि सर्वथा अनुपलभ्यमान उपाधियोंकी
शङ्कासे प्रस्त है, प्रमेय है तथा अग्निसाध्यके प्रति विरुद्ध है । अर्थात्
यहोंका दृष्टि अपना ही व्याधातक है । क्योंकि यदि धूम हेतुको सर्वथा
अनुपलभ्यमान उपाधियोंकी आशङ्कासे प्रस्त माना जाय तो दृष्टिभूत
तुम्हारा यह सर्वथा अनुपलभ्यमानोपाधिशङ्काप्रस्तवरूप हेतु भी स्वयं
सर्वथा अनुपलभ्यमानोपाधिशङ्कासे प्रस्त हो जायगा । एवं जो प्रमेय
होता है वह अग्निका असाधक नहीं होता, क्योंकि धूम प्रमेय होता
हुआ भी तुम्हारे लिये दृष्टिभूत अग्निका साधक ही होता है । तथा
वाहूरूप साध्यके प्रति धूमहेतुको विरुद्ध कहना असिद्ध है ।

प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी अनुमानके समान ही विचारका अङ्ग होते
हैं । क्योंकि तर्क और अन्यथासिद्धि (व्याप्ति) को लेकर ही उनकी
भी प्रवृत्ति होती है । इसलिये उनमें भी अनुमानकी ही रीतिका अनु-
सरण करना होगा ।

इस प्रकार तर्करूप परिकरकी शुद्धिसहित साधन और दूषणद्वारा
ही सोकब्यवहार होता है, ऐसी व्यवस्था ही जानेपर यदि स्वपक्ष-
साधनके रूपमें विचार करते हो तो तुम्हारी प्रतिज्ञा ही अपने स्वरूपको
कायम नहीं रख सकती है । क्योंकि कोई वर्तु नहो है, जैसे रज्जुसर्प,

किञ्चिद् विचारसहम्, न किञ्चित् सालम्बनम्, न किञ्चिद् दर्शनम्, न कथित् सिद्धान्तं इत्यादौ स्वार्थप्रतिष्ठेपस्ताऽद्दुरुद्धरः । प्रतिज्ञापि हि न स्यान् सत्या, न कारिका, न विचारसहा, तद्विज्ञानमपि न सालम्बनम्, तत्कलमपि न दर्शनम्, तदर्थोऽपि न सिद्धान्तं इत्यापयेत् ।

इत्यत एतेदमिति चेत्, इच्छामात्रेण व्याघातं निवृत्तेः । यदि हि न (ज्ञातं) किञ्चिदस्तीत्यादिप्रतिज्ञार्थः प्रतिज्ञां स्पृशेत्, कथमयमर्थः प्रत्येतव्यः ? न चेत्, कथं सानुपपत्त्वा ?

काई ज्ञान सत्य नहा है, जैसे रञ्जुसप्तज्ञान, कुछ भी अर्थक्रियाकारक नहीं है, जैसे रशशृङ्ग; कुछ भी विचारकी कस्तीपर स्थिर रहनेवाला नहीं है; जैसे प्रतिविम्ब; काई भी ज्ञान सालम्बन (सविषयक) नहीं है, जैसे स्वाध्यज्ञान, दृश्यरूप वस्तुके अभावमें कोई दर्शनरूप किया भी नहीं है; जल और अग्निके समान परस्पर व्याघातक होनेके कारण कोई सिद्धान्त भी नहीं है; इत्यादि प्रकारकी प्रतिज्ञाओंमें स्वार्थप्रतिष्ठेपका वारण अशक्य है । अर्थात् इस प्रकारकी प्रतिज्ञासे उक्तप्रतिज्ञाके ही स्वरूपपर आघात पहुँच जाता है । क्योंकि जब कुछ नहीं है, तब यह प्रतिज्ञा भी नहीं है । यदि कोई ज्ञान सत्य नहीं है तो प्रतिज्ञार्थका ज्ञान भी सत्य नहीं होगा एवं पूर्वोक्त प्रकारसे प्रतिज्ञा भी अर्थक्रियाकारिका नहीं होगी, विचारसह नहीं होगी, उसका ज्ञान सविषयक नहीं होगा, उसका फल भी काई बाध नहीं हो सकता तथा उसका अर्थ भी कोई सिद्धान्त नहीं हो सकता; इत्यादि आपत्तिया स्वयं प्रतिज्ञाके ऊपर आ पड़ती हैं ।

यदि कहो कि—उक्त सारी वाँतें इष्ट ही हैं—तो सुम्हारी इच्छामात्रसे व्याघातही निवृत्ति नहीं हो सकती है । क्योंकि “न किञ्चिदस्ति” इत्यादि प्रतिज्ञाओंका अर्थ यदि स्वयं इन प्रतिज्ञाओंपर भी लागू होता हो तो इनके द्वारा धताये जानेवाले आपके अभीष्ट अर्थकी भी प्रतीति क्षेत्रे हो सकती ? यदि उक्त प्रतिज्ञाओंमा अर्थ इन प्रतिज्ञाओंको न छुता हो

तदनुपपन्नते च कथ पुनः प्रतिज्ञार्थं उपपद्येत् ? तदिदमा-
यातम्, स्वविप्रमूर्छिता भुजङ्गी आत्मानमेव^१ दशतीति ।

तत्त्वत् इति विशेषणादयमदोप इति चेत्, तद्विचारो वा
स्यात् लोकमर्यादातिकमो वा । प्रथमः पूर्वमेव निरस्तः;
तस्य प्रतिज्ञारूपतया बुलीरस्येव स्वप्रदृष्टयुक्त्यपत्येनैव प्रतिहृत-
त्त्वात् । द्वितीये तु स्वच्छायातिक्रमवत् स एव व्याघातः । यदि
हि लोकमर्यादातिक्रमः, न विचारस्वरूपस्थितिः । तत्स्वरूप-
स्थितिश्चेत्, न तदतिक्रम^२ इत्यर्थः ।

तो सब्य इनका ही अस्तित्व सिद्ध हो गया, फिर सबका असत्य कहाँ
सिद्ध हुआ ? यदि तो सबके साथ इन प्रतिज्ञाओंका भी अस्तित्व न हो
तो इनके द्वारा बताये जानेवाले सर्वासत्यत्व आदि आपका अभीष्ट
प्रतिज्ञार्थ भी कैसे सिद्ध हो सकेगा ? अर्थात् आपकी प्रतिज्ञायें अपने ही
स्वार्थकी घातिका बन जाती हैं । इससे यही आया कि अपने ही विषसे
मूर्छित हुई प्रतिज्ञासंगी अपने आपको डैंस रही है ।

यदि कहो कि—उक्त प्रतिज्ञावाक्योंमें “तत्त्वत्” ऐसा विशेषण
देनेसे यह दोष नहीं आ सकता । अर्थात् तत्त्वरूपसे कुछ नहीं है,
यही उन प्रतिज्ञाओंका अर्थ है । इसलिए वस्तुओंकी और इन
प्रतिज्ञायाक्योंकी भी व्यावहारिक सत्ता मानते हैं—तो बताओ, तत्त्वका
अर्थ विचार है या अतात्त्विक लोकमर्यादाका अतिक्रमण ही तत्त्व
है ? प्रथम पक्ष तो पहले ही खण्डित हो चुका है । क्योंकि विचार
तो पूर्वोक्त प्रतिज्ञारूप ही है, जो केकड़ेके समान सब्य पैदा की गयी
युक्तिरूपी सन्ततिक ही द्वारा विनष्ट हो चुका है । दूसरे पक्षमें तो
अपनी छायाको लौधनेके समान फिर वही व्याघात दोष आ जाता है ।
क्योंकि यदि लोकमर्यादाका अतिक्रमण होगा तो विचारका स्वरूप
ही नष्ट हो जायगा और वह दुर्विचार हो जायगा । यदि विचार
स्वरूपको कायम मानो तो लोकमर्यादाका अतिक्रमण नहीं हुआ ।

१ स्वा भानमति इति २ पु० पा०

२ इति प्रतिपेद्यसिद्ध्यसिद्धिम्या व्याघातात् इति १ पु० पा०

प्रतिपेध्यसिद्ध्यसिद्धिव्यापातश्च । यदि हि प्रतिपेध्यं सिद्धं नात्यन्ताय प्रतिपेधः । न चेन्नवराम् । लोकव्यवहारसिद्धमिति चेत्, सिद्धमेव हि तर्हि, नद्यन्यतोऽपि किञ्चित् सिद्धति । नायमवाच्यो व्यवहार इति चेत्, न, यदि नैकत्र, अन्यत्रापि^१ तथाभाप्रसङ्गात् ।

सर्वत्र वाच्यत इति चेत्, तदपेक्षसिद्धिना व्यवहारेण ?

यदि कहो कि तत्त्वका अथ परमार्थ है, इसलिए उक्त प्रतिज्ञाओंका अर्थ है कि परमार्थत कुछ भी सत् नहीं है इत्यादि—तो भी प्रतिपेध्यकी सिद्धि या असिद्धि उभय दशाओंमें व्यापात दोष आ जाता है । क्योंकि जिस पदार्थका प्रतिपेध कर रहे हो वह प्रतिपेध्य यदि सिद्ध है, तो उसका आत्यन्तिरु प्रतिपेध नहीं हो सकता है । और यदि वह प्रतिपेध्य वस्तु असिद्ध है, तब तो सुतराम् प्रतिपेध नहीं हो सकता है । क्योंकि निषेधके प्रति निषेधरूप प्रतियोगीका ज्ञान कारण होता है यदि कहो कि— प्रतिपेध्य वस्तु लोकव्यवहारसे सिद्ध है, अत उसका प्रतिपेध होनेमें कोई वाधा नहीं है—तब तो वह वस्तु सिद्ध ही हो गयी । क्योंकि किसी भी वस्तुकी सिद्धि लोकव्यवहारसे ही होती है, अन्य प्रकारसे नहीं ।

यदि कहो कि—प्रतियोगीभूत प्रतिपेध्य वस्तु लोकव्यवहारसे सिद्ध तो है, किन्तु वह लोकव्यवहार अवाच्य नहीं है । अर्थात् प्रतिपेधके लिए प्रतियोगीके ग्रमात्मक ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु भगवान् प्रतियोगीज्ञानसे प्रतिपेध हो सकता है—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि वह लोकव्यवहार यदि एक जगह अवाच्य नहीं है, अर्थात् किसी एक ही जगह वाच्य है, तो अन्य जगहोंपर उसका अवाच्य होना मानो । तात्पर्य यह है कि शुक्लमें रजतत्रय यदि अवाच्य नहीं है, तो वाजारमें वर्तमान रजत अवश्य अवाच्य है । यदि कहो कि—वह लोकव्यवहार सिर्फ एक जगह नहीं किन्तु सर्वत्र वाचित है—तो क्या वाच्यभूत वर्तु की अपेक्षाकर निसकी सिद्धि है, ऐसे व्यवहारप्रमाणसे वह वाचित

^१ मूळे 'अपि' शब्द स्वीकृतिसूचक ।

अनपेक्षेण वा ? अव्यवहारेणैर रेति ? यस्तापत्तदपेक्षसिद्धिः, स कथं तमेव वाधेत ? न ह्यनुष्णत्वानुमानेनोष्णत्वशाहित्यक्ष-
गाधो लोके । द्वितीयस्त्वसम्भवी, न हि निषेधर्कं प्रमाण निषेध्यसिद्धिनिरपेक्षं भरितुं क्षमते । तृतीये तु तद्विपरीतापचिः, विचारवाध्यत्वमुपक्रम्याविचारेण मुद्रणाद् ।

न चैतदपि निर्व्युद्यम् । स ह्यत्वसिद्धमध्यक्षं वा स्यात्, अनिष्टिमात्र वा । आद्य विरोधोऽसिद्धिश्च । द्वितीये लोकाति-

होता है ? या वाध्यभूतवस्तुनिरपेक्ष सिद्धिवाले व्यवहारप्रमाणसे ? अथवा अव्यवहारसे ही वाधित होता है ? यहाँ प्रथम पक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि जिस व्यवहारकी सिद्धि वाध्यभूत वस्तुके ही अधीन है, वह व्यवहार उसी वस्तुको कैसे वाधित कर सकता है ? क्योंकि लोकमे अग्निमें अनुष्णत्वानुमानद्वारा उष्णत्वप्राहक प्रत्यक्षका वाध नहीं होता है । अर्थात् प्रत्यक्षगृहीत व्याप्तिके आधारपर ही अनुमानकी प्रवृत्ति होती है । इसीलिये अनुमानप्रमाण प्रत्यक्षका वाध नहीं करता है । वैसे ही वस्तुसापेक्ष व्यवहार उसी वस्तुका वाध नहीं कर सकता है ।

दूसरा पक्ष तो असम्भव है । क्योंकि निषेध करनेवाला व्यवहारप्रमाण निषेध्यवस्तुकी सिद्धिकी अपेक्षा किये गिना हो ही नहीं सकता है । तृतीय पक्षमें तुम्हारे पूर्वकथनसे विपरीती आपत्ति हो जाती है । क्योंकि विचारद्वारा सबके वाधित होनेका उपक्रम करके अविचार (अव्यवहार) द्वारा वाधित होनेमें पर्यवसान करते हो । जब कि उपक्रमानुसार ही उपसहार होना चाहिये ।

साथ ही वस्तुमें अव्यवहारद्वारा वाध्यता सिद्ध भी नहीं है । क्योंकि अव्यवहारसे क्या अर्थ अभीष्ट है ? अयत्नसिद्ध प्रत्यक्ष ? अथवा अनिच्छामात्र ? आद्य पक्षमें विरोध हो जाता है । क्योंकि प्रत्यक्षकी ही सत्ता तुम्हें स्वीकार करनी पड़ती है । एव असिद्ध भी हो जाती है । कारण, प्रत्यक्ष वो वस्तुको वाधित नहीं करता प्रत्युत उसकी सत्ता को ही ज्ञापित करता है । द्वितीय अर्थके पक्षमें लोकनियमका अति-

क्रमः, परानिष्ट्या त्वदनिष्टिवाधप्रसङ्गश्चेति ।

एतेन हेतवो निरस्ताः । ते हि ज्ञेयत्वान् ज्ञानत्वात् अस-
च्चात् विकल्पानुपपत्तेः प्रत्ययत्वात् कर्मानुपपत्तेः मिथोव्याघा-
तादित्यादयः । एते हि सर्वं एव स्वार्थक्रियाग्रतिक्षेपिकां
युक्तिमादिपन्ति निषेधसिद्धिचापेक्षन्ते । अनैकान्तिकौ च
प्रथमद्वितीयौ, स्वफल एव व्यभिचारात् । असिद्धौ तृतीय-
क्रमण हो जाता है । अर्थात् अनिच्छामात्रसे किसी वस्तुका वाध नहीं
होता, यह लोकसिद्ध नियम है । साथ ही यदि अनिच्छामात्रसे
किसीका वाध हो तो दूसरेको अनिच्छामात्रसे तुम्हारी इस अनिच्छाका
भी वाध हो जायगा ।

इससे अपना ही व्याघातक युक्तियोंके उपस्थापक होनेके कारण
आपके हेतु भी खण्डित हो जाते हैं । क्योंकि ज्ञेयत्व, ज्ञानत्व, असत्त्व,
विकल्पानुपपत्ति, प्रत्ययत्व, कर्मानुपपत्ति और मिथोव्याघात आदि ही
वे हेतु हैं, जिन्हें आपने अपने अभीष्ट साध्योंकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त
किया है । ये सभी हेतु अपनी अर्थसिद्धिकी व्याघातिका युक्ति
उपस्थित कर देन हैं और निषेधसिद्धुकी सिद्धि भी करा देते हैं ।
अर्थात् सबको असत् सिद्ध करनेवाला आपका ज्ञेयत्व हेतु स्वयं ज्ञेय
है या नहीं ? यदि ज्ञेय है, तब तो स्वयं वह हेतु भी असत् हो जायगा,
फिर दूसरेको कैसे असत् सिद्ध कर सकेगा ? यदि वह हेतु अज्ञेय हो
तो वह हेतु ही नहीं हो सकता । क्योंकि अज्ञात हाकर काहे हेतु नहीं
होता है । इस प्रकार सभी हेतु अपना ही व्याघातक हो जाते हैं ।
तथा आपकी प्रतिज्ञाओंमें निषेधनीय तो सत्त्व, सत्यत्व, सालम्बनत्व,
छारकत्व, दर्शनत्व और सिद्धान्तत्व आदि हैं, वे यदि कहीं भी सिद्ध
नहीं हैं, तो उनका अभाव भी सिद्ध नहीं हो सकता है । क्योंकि अभाव
युक्तिके प्रति प्रतियोगियुक्ति कारण होती है । यदि वे कहीं सिद्ध हैं, ता
वे ही सत्, सत्य, सालम्बन आदि सिद्ध हो गये । फिर 'कुछ भी सत्
नहीं है' इत्यादि आपको प्रतिज्ञायें हो भग्न हो जाती हैं ।

एव, उक्त हेतुओंमें प्रथम ज्ञेयत्वहेतु और द्वितीय ज्ञानत्वहेतु
अनैकान्तिक हो जाते हैं । कारण, अनुमितिहप अपने फलमें ही उनका

चतुर्थीं। अनैकान्तिकश पञ्चमः, पूर्ववत्। असिद्धां व्याधातेनानैकान्तिकश पष्ठः। असिद्धोऽनैकान्तिकश सप्तमः।

व्यभिचार हो जाता है। अर्थात् उक दोनों हेतुओंका फल है—आपकी अभीष्ट अनुमिति, जिसे इय मानते हुए सत् मानोगे और ज्ञान मानते हुए सत्य मानोगे। यदि अपनी अनुमितिकी भी सत्ता और सत्यता तुम न मानो तो, हमारा ही अभीष्ट सिद्ध हो जायगा। क्योंकि मैं चाहता ही हूँ कि तुम्हारी उक अनुमिति ही गलत सिद्ध हो जाय।

एव, दृतीय असत्त्व और चतुर्थ विकल्पानुपपत्तिरूप हेतु असिद्ध हैं। क्योंकि पूर्वोक्त प्रमाणोंसे हमने बाह्य सत्त्वको सिद्ध कर दिया है। साथ ही अबाध्य होनेसे बाह्यवस्तुओंका सत्त्वरूपसे विकल्प भी सम्भव है।

एव पौँचवाँ प्रत्ययत्व हेतु भी अनैकान्तिक है। क्योंकि आपकी अनुमिति ही प्रत्यय होती हुई भी हेतु आदि आलम्बनोंसे युक्त है। एव छठा हेतु भी असिद्ध तथा व्याघातके साथ साथ अनैकान्तिक भी है। अर्थात् प्राण्यत्वरूप कर्मत्व सिद्ध किया जा चुका है, अतः कर्मत्वानुपपत्तिरूप हेतु असिद्ध है। तथा “कर्मका अभाव होनेसे कोई भी दर्शन (ज्ञान) नहीं है” इस उक्तिमें व्याघात दोष आ जाता है। क्योंकि ‘न किञ्चिद् दर्शनम्’ यह एक तुम्हारा साध्य ही है, जो तुम्हारे दर्शन (ज्ञान) का कर्म है। इस प्रकार तुम्हारा प्रतिज्ञायाक्य स्वयं न्यायात्मोष से अस्त है। साथ ही यह कर्मत्वानुपपत्तिरूप हेतु व्यभिचारी भी है। क्योंकि फलीभूत प्रकृत अनुमिति ही स्वयं एक दर्शन (ज्ञान) है, जो “न किञ्चिद् दर्शनम्” इस साध्यको विषय बनाती है तथा तुम्हारे मतानुसार कर्मत्वानुपपत्तिरूप हेतु वहों भी है।

एव, “न कश्चित् सिद्धान्तो मिथोव्याघातात्” इस अनुमानमें मिथोव्याघातरूप सातवाँ हेतु भी असिद्ध है तथा अनैकान्तिक है। असिद्ध इसलिए कि एक ही सिद्धान्त प्रामाणिक होता है और उसका विरोधी दूसरा सिद्धान्त तो अप्रामाणिक होता है। जब दोनों विरोधी सिद्धान्तोंको प्रामाणिक माना जाता, तभी मिथोव्याघात होता। अत मिथोव्याघात ही असिद्ध है। अनैकान्तिक इसलिये है कि “न कश्चित् सिद्धान्तः” यह भी तो एक सिद्धान्त ही है।

सर्वं एव कालात्ययापदिष्टा इति ।

एतेन दृष्टान्ता अपि विसर्जनीयाः । ते हि रज्जुसर्पवन् तज्ज्ञानवत् शशविपाणवत् दर्पणमुखवत् स्वप्नप्रत्ययवत् छेद्यानुपपत्तौ छिदावत् मिथः शोपकनिर्वापिकानलसलिलवदित्यादयः । येन च तत्र पपस्यासन्वं, तज्ज्ञानस्य मिथ्यात्वं, शशविपाणस्याकासन्वं, दर्पणमुखस्य विचारासहत्वं, स्वप्नज्ञानस्य निरालम्बनत्वं, छेद्यानुपपत्तौ छिदानुपपत्तिश्चावधारितानि; तेनैव तत्र रज्जोः सन्वम्, असर्पज्ञानस्य सत्यत्वं, शशस्यान्यत्र गवादेविपाण एव कारकत्वं, दर्पणस्य विचारसहत्वम्, अस्वप्नज्ञानस्य सालम्बनत्वं, छेद्यनिष्ठा छिदा, सिद्धौ ज्ञानं कर्म चोपगादि-

एवं, उक्त सभी हेतु वाधित भी हैं । क्योंकि प्रमाणद्वारा सर्वासत्य-सर्वासत्यत्व आदि तुम्हारे साध्योंका अभाव सर्वासत्त्व और सर्वासत्यत्व ही आदि सिद्ध हैं ।

पूर्वोक्त दोषोंसे तुम्हें अपने अनुमानमें दिये दृष्टान्तोंका भी परित्याग कर देना पड़ेगा । क्योंकि वे दृष्टान्त क्रमशः रज्जुसर्प, उसका ज्ञान, शशविपाण, दर्पणमुख, स्वप्नज्ञान, छेद्यवस्तुके अभावमें छेदनक्रिया, तथा परस्परका शोपक और निर्यापक (बुझा देनेवाला) अग्नि एवं जल आदि हैं । अर्थात् इन्हीं दृष्टान्तोंसे तुम कमराः सबको असत्, सभी ज्ञानको मिथ्या, सबमें अकारकत्व, सबको विचारायोग्य, सबको अनालम्बन (निर्विपयक), सबको अदर्शनहृप तथा सबकी असिद्धान्तरूपता आदि साध्य सिद्ध करते हो । किन्तु उक्त सभी दृष्टान्त दृष्टान्तभास होनेसे प्रकृत अनुमानमें उपयोगी नहीं हो सकते हैं ।

कारण, जिस प्रमाणसे रज्जुसर्पको असत्, उसके ज्ञानको मिथ्या, शशविपाणको अकारक, दर्पणगुखको विचारासह, स्वप्नज्ञानको निरालम्बन, छेद्यवस्तुकी अनुपपत्तिमें छेदनक्रियाकी अनुपपत्ति आदिका निश्चय करते हो), उसी प्रमाणद्वारा रज्जुमें सत्त्व, असर्पज्ञानमें सत्यता, शशके लोम आदिमें तथा गीकी तो सीगमें ही कारकत्व, दर्पणमें विचार-सहत्व, स्वप्नमित्र ज्ञानमें सालम्बनत्व (सविपयकत्व), छेद्य घस्तुमें

तानि । तदनुपपत्तौ वा साध्यविकलतया सर्वं एवैते दृष्टान्ताभासाः । अन्तिमस्तु साधनविकल । सिद्धान्तानां व्याघातः परस्परविरहरूपत्वलक्षणः । जलानलयोऽस्तु वध्यघातकस्थमावत्पलक्षणः, न च शब्दसाम्येनानुमानमित्येषा दिक् ।

अस्तु तहि दूषणोपक्रमेण विचार इति चेत्, तमपि पश्याम् कीदृशोऽसाविति । नेदं स्थूलं विरुद्धधर्मसंसर्गद्विदाक्रिया तथा सिद्धिके प्रति ज्ञानको कर्म सिद्ध करते हो । अर्थात् वाह्यवस्तु सिद्धिका कर्म तुम्हारी दृष्टिमें भले ही न हो सके किन्तु ज्ञानको सिद्धिका कर्म तुम भी बताते हो । यदि वैसा न हो अर्थात् कहीं सत्त्व आदिकी प्रसिद्धि न हो तो सत्त्व आदिका अभावरूप साध्य भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता है । इस प्रकार साध्योंकी अप्रसिद्धिके कारण तुम्हारे सभी दृष्टान्त साध्यविकल (साध्यशून्य) होनेसे दृष्टान्ताभास हो जाते हैं । अर्थात् दृष्टान्त वे ही हो सकते हैं, जहाँ साध्यका निश्चय हो । जल और अग्निरूप अन्तिम दृष्टान्त तो हेतुसे ही रहित हैं । क्योंकि पक्षभूत सिद्धान्तमें जिस प्रकारका व्याघात है, उस प्रकारका व्याघात दृष्टान्तभूत जलानलमें नहीं है । कारण, सिद्धान्तोंका व्याघात परस्पर अभावरूप है, जैसे शब्दनित्यत्व-सिद्धान्त और शब्दानित्यत्व-सिद्धान्त का । किन्तु जलानलरूप दृष्टान्तमें तो वध्यघातकभावरूप व्याघात है । अर्थात् जल अग्निका या अग्नि जलका अभावरूप नहीं है, किन्तु एक दूसरेका व्यष्य और घातकरूप है । इस प्रकार दृष्टान्तभूत जलानलमें सिद्धान्तोंवाला व्याघात है ही नहीं । अत यह दृष्टान्त साधनसे शून्य हो गया । केवल व्याघातशब्दके साम्यमात्रसे वह दृष्टान्त अनुमानों पर्योगी नहीं हो सकता है । इस तरह स्थापनापक्षमें दूषणोंका दिग्दर्शन कराया गया ।

अवधिविनियोगधका खण्डन

यदि कहो कि—परपक्षदूषणके रूपमें ही विचार किया जाय—तो उस विचार को भी देखते हैं कि वह कैसा है ? जैसे—घटादि वाह्य स्थूल नहीं है, क्योंकि यदि स्थूल होता तो उसमें विरुद्ध धर्मोंका संसर्ग नहीं होता । किन्तु घटादिमें एकभागावच्छेदेन प्रहृण और अन्यभागावच्छेदेन अग्रहणरूप विरुद्धधर्म देखे जाते हैं । अत वह स्थूल एक

प्रसङ्गात्, नास्थूलं तथा प्रतिभासप्रसङ्गात्, न परापेक्षं सदसद्-
व्यतिरेकप्रसङ्गात्, नैकं तथा प्रतिभासप्रसङ्गात्, नानेकं
भेदव्यवस्थितिप्रसङ्गात्, न च व्यापकं निष्क्रियत्वप्रसङ्गात्,
नाव्यापकम् अविदेयत्वप्रसङ्गादित्यादिरिति चेत्, न, मिथो-

अवयवीरूप नहीं हो सकता है। एव, यह घटादि अस्थूल भी नहीं है, क्योंकि यदि यह अस्थूल हो तो अस्थूलरूपसे प्रतीति होनी चाहिये, किन्तु नहीं होती है। अर्थात् घटादि-बाह्य स्थूल भी नहीं है और अस्थूल भी नहीं है तथा इन दोनोंसे विलक्षण कोई प्रकार भी नहीं है। इसलिये आगत्या सिद्ध छो जाता है कि वह शून्यरूप है।

एवं, यह घटादि परापेक्ष अर्थात् अहेतुक नहीं है, क्योंकि यदि यह अहेतुक होता तो यह आकाशके समान सदातन होता अथवा शशविषयाणके समान सदा असत् ही होता। एव, यह परापेक्ष अर्थात् अपने होनेके लिये हेतुकी अपेक्षा करनेवाला भी नहीं है, क्योंकि वैसा होता तो यह सत् और असत् दोनोंसे भिन्न होता। अर्थात् कारण-व्यापारके पूर्व घट सत् होकर नहीं पैदा होता है एव असत् होकर भी नहीं पैदा होता है, क्योंकि असत् घटकी उत्पत्ति हो तो घटकारणसे पटझी भी उत्पत्ति होनी चाहिये। कारण, पूर्वमें जैसे घट असत् है, वैसे ही पट भी असत् है।

एवं, यह घट एक नहीं है, क्योंकि एक होनेपर वैसी प्रतीति होनी चाहिये। अर्थात् रूपस्पर्शादिका समुदाय ही घट है। वह यदि एउ होता तो रूपादिका निना भान किये केवल घटमात्रमा भान होना चाहिये। घट अनेक भी नहीं है, क्योंकि अनेक होनेमें भेद व्यवस्थित होने लगेगा, किन्तु भेद को आगे दूषित किया जाने वाला है। एवं घट व्यापक नहीं है, क्योंकि व्यापकमें किया नहीं होनेसे वह भी निष्क्रिय होने लगेगा। घट अव्यापकभी नहीं है, क्योंकि उसमें अविदेयत्वको प्रसक्ति होने लगेगी। अर्थात् अव्यापकत्वका अर्थ है, कहीं असत् होना और केवल सत्त्व ही विदेशत्वका झगड़क है। अत अव्यापक (कहीं असत्) होनेपर घटमें विदेयत्वका अभाव हो जायगा। इत्यादि पूर्वोक्त प्रकारका तुम्हारा परपश्चदूपणरूप विचार नहीं हो सकता है—क्योंकि मिथोविरोध,

विरोधमूलशैथिल्येष्टपादनानुकूलत्वविपर्ययापर्यवसानैस्तर्काभी-
सत्त्वात् ।

यथा हि नायं पर्वतो निरग्निः निर्धूमत्वप्रसङ्गात्, नाप्य-
ग्निमान् तथोपलब्धिप्रसङ्गात् इत्यनयोऽप्य आभासः, परस्परा-
र्थप्रतिक्षेपकयोरुभयोरनाभासत्वानुपपत्ते, तथाऽप्यापि । न
ष्टास्थूलतादिनिषेधादन्यः स्थूलतादिविधिः, तनिषेधाद्वाऽन्योऽ-
स्थूलतादिविधिरिति ।

मूलशैथिल्य, इष्टपादन, अनुकूलत्व तथा विपर्ययापर्यवसानके कारण
तुम्हारे सभी तर्क तर्काभासरूप हैं । यहाँ मूलशैथिल्यका अर्थ है—तर्कके
मूलभूत जो आपाद्यापादकका व्याप्तिनिश्चय तथा आपादकका अभ्युपगम
है, उनमें दोनोंका अथवा किसी एकका अभाव होना । इष्टपादनका
अर्थ है—वादिस्वीकृत अर्थका ही आपादन करना । अनुकूलत्वका
अर्थ है—वादिस्वीकृत अर्थकी सिद्धिके ही अनुकूल होना । विपर्यया-
पर्यवसानका अर्थ है—व्यतिरेकव्याप्तिका न होना । मिथोविरोधका
अर्थ तो स्पष्ट है ।

जैसे कि—यह पर्वत निरग्नि नहीं है, क्योंकि वैसा होनेपर यह
निर्धूम (धूमरहित) होन लगेगा । एव यह अग्निमान् भी नहीं है,
क्योंकि यदि अग्निमान् हो तो वैसी उपलब्धि होनी चाहिये । इन दोनों
अनुमानोंमें एक अवश्य आभास है । क्योंकि एक दूसरेका विरोधी
होनेके कारण दोनों अनाभास (सदनुमान) नहीं हो सकते । वैसे ही
यहाँ भी स्थूलत्वनिषेधका अनुमान तथा अस्थूलत्वनिषेधका अनुमान
इन दोनोंमें एक अवश्य आभास है और एक सही है । क्योंकि
अस्थूलतानिषेधसे भिन्न वस्तु स्थूलताकी विधि नहीं है तथा स्थूलता
निषेधसे भिन्न अस्थूलताकी विधि भी नहीं है । अर्थात् यदि अस्थूल-
त्वका निषेध करोगे तो स्थूलत्वका विधान स्वत हो जायगा तथा
स्थूलत्वका निषेध करोगे तो अस्थूलत्वका विधान अवश्य हो जायगा ।
परन्तु एक साथ दोनोंका निषेध परस्पर विरोधी होनेके कारण कथमपि
सम्भव नहीं है ।

शिथिलमूलाश्रैते, प्रतिवन्धस्यासिद्धेः । सिद्धौ वा व्याप्य-
व्यापकतदधिकरणानां सिद्धौ विवादनिवृत्तेः । इष्टापादनं च
प्रथमे, अनुभूतागस्ति स्थूले विरुद्धधर्मासंसर्गस्येष्टत्वात् । तथा
च वक्ष्यामः ।

अनुकूलश्च द्वितीयः, अस्थूलताप्रतिक्षेपस्य स्थूलतोपलम्भा-
नुग्राहक्त्वात् तद्रूपताव्यवहारस्य तथाप्रतिभासव्याप्तत्वाच ।
एवं तृतीयोऽपि, अनपेक्षत्वप्रतिक्षेपस्य सापेक्षत्वोपलम्भानुग्राह-
क्त्वात् अनपेक्षत्वविधेः सदातनत्वव्याप्तत्वाच ।

एव, वहाँ के सभी हेतु शिथिलमूल हैं, क्योंकि अनुमानका मूलभूत
साध्यसाधनकी व्याप्ति ही असिद्ध है । कारण, यदि व्याप्ति सिद्ध हो तो
व्याप्तिके प्रयोजक व्याप्य, व्यापक और उनके अधिकरणकी भी सिद्धिध
अनायास हो जानेसे सर्वशून्यत्ववाद स्वतः खण्डित हो जाता है । इस
प्रकार हमलोगोंका विवाद ही समाप्त हो जाता है ।

एवं, प्रथम “नेदं स्थूलम्” इस अनुमानमे तो मुझे इष्टापत्ति ही है ;
क्योंकि निविद्धलपात्मक अनुभव और सविकल्पात्मक अनुव्यवसायके
द्वारा प्रत्यक्षसिद्ध स्थूलमे विरुद्ध धर्मोंका असंसर्ग तो इष्ट ही है । इस
वातको आगे कहेंगे ।

“न अस्थूलम्” यह द्वितीय अनुमान तो मेरे अभीष्टकी सिद्धिके ही
अनुकूल है । क्योंकि अस्थूलताका खण्डन स्थूलतासिद्धिका ही पोपक
है । तथा अस्थूलताका व्यवहार अस्थूलताप्रतीतिसे व्याप्त ही है ।
अर्थात् वहाँ वस्तुत अस्थूलता है, वहाँ अस्थूलताकी प्रतीति होती है,
इसमे आपत्ति क्या है ?

ऐसा ही “न परानपेक्षम्” यह रुतीय अनुमान भी अनुकूल ही
है । क्योंकि अनपेक्षत्वका खण्डन सापेक्षत्वसिद्धिका ही पोपक है ।
तथा अनपेक्षत्वका विधान सदातनत्वसे व्याप्त ही है । अर्थात् जो
यस्तुतः हेत्वनपेक्ष है, वह सदातन भी होता ही है, इसमे भी कोई
आपत्ति नहीं है ।

चतुर्थस्त्वप्रसिद्धव्यापकः, सदसत्त्वस्य विरोधेनैकत्र निपि-
यन्नियेष्याप्यनुपपत्तेः । पञ्चमस्त्वनुकूल एव, अनेकत्वाभिमते
वस्तुन्येकताप्रतिक्षेपस्यानेकतोपलम्भापटम्भकत्वात् तद्रूप-
व्यवहारस्य तथाप्रतिभासव्याप्तत्वान्वेति । पष्ठस्त्वपट
एवास्माकम् ।

ननु भेदः स्वरूपं वा स्यात्, इतरेतराभावो या, धर्मान्तरं
वा । न पूर्वः, घटो मिन्न इति सहप्रयोगानुपपत्तेः । नापरः,

“न परापेक्षम्” इस चतुर्थ अनुमानमें आपाद्यभूत ह्यापक ही
अप्रसिद्ध है । क्योंकि परापेक्ष माननेमें सदसद्वितिरेक (नियेष) का आपादन किया गया है, जो अनुपपत्त नहीं है । कारण, सत्त्व-असत्त्वका परस्परमें विरोध होनेमें, जैसे एक जगह उनका विधान नहीं हो सकता,
जैसे ही उन दोनोंका एक जगह नियेष भी नहीं रह सका है ।

“न एकम्” यह पञ्चम अनुमान भी अनुकूल ही है । क्योंकि जो
वस्तु अनेकरूपमें अभिमत है, उसमें एकताका खण्डन उसकी अनेकता
सिद्धिका ही पोषक है, तथा एकताका व्यवहार एकताप्रतीतिसे ज्यात्रा भी
है । अथोत् जहाँ वस्तुत एकता है, वहाँ एकताकी प्रतीति हानेमें
आपत्ति भी नहीं है ।

“नानेक भेदव्यवस्थितिप्रसङ्गात्” यह पष्ठ अनुमान भी तो हमे
इष्ट ही है । क्योंकि जो वस्तु अनेक मानी गया है, उसमें भेद भी
व्यवस्थित ही है ।

यदि कहो कि—भेद ही नहीं है तो उसकी व्यवस्था कैसे हो सकेगी ?
क्योंकि भेद प्रतियोगीस्वरूप होगा या इतरेतराभावरूप होगा ? अथवा
कोई धर्मान्तर होगा ? इनमें पूर्वमत ठीक नहीं है । क्योंकि भेद यदि
घटादिप्रतियोगीस्वरूप हो तो पुनरुक्तिदोषक कारण ‘घटो मिश्र’ ऐसा
घट और भेदका सहप्रयोग नहीं हो सकता । साथ ही इसमें भेद घटका
विशेषण भा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वय ही कोई अपना विशेषण
नहीं होता है ।

प्रतीताभात्माश्रयप्रसङ्गात्, भिन्नप्रतियोगिनिरूपणाद्वि तद-
भावो निरूप्यस्तन्निरूपणमेव च भेदनिरूपणम् । नोचरः, अनव-
स्थाप्रसङ्गात् । तत् कथमसौ व्यवतिष्ठतामिति चेत्—

तत् किं भेदज्ञानमेव नास्ति ? सदपि वा नित्यम् ?
अनित्यमपि^१ वा निहेतुकम् ? सहेतुकमपि वा निविष्यकम् ?
सविष्यकमपि वा वाद्यमानविष्यकमिति ? तत्र प्रथमः

दूसरा मत भी ठीक नहीं है । कारण, प्रतीतिको लेकर आत्माश्रय
दोषका प्रसङ्ग हो जाता है । क्योंकि परस्पर भिन्नरूपमें प्रतियोगियोंका
ज्ञान होनेपर ही भेदस्वरूप इतरेतराभावका ज्ञान होगा और भेदात्मक
अभावका ज्ञान होनेपर ही भिन्नरूपमें प्रतियोगियोंका ज्ञान हो सकेगा ।
इसप्रकार द्वितीयमतमें अन्योन्याश्रगदोष आ जाता है ।

तीसरा मत भी ठीक नहीं है । क्योंकि घटपटगत पारस्परिक
भेद यदि कोई धर्मान्तररूप हो तो उभयगत वह धर्मान्तर अभिन्न
है या भिन्न भिन्न है ? यदि अभिन्न है तो उसके योगसे उसका
आश्रयीभूत घटपट परस्पर भिन्न कैसे हो सकते हैं ? यदि वह धर्मा-
न्तर (वैधर्म्य) उभयमें भिन्न भिन्न हो तो उस धर्मान्तररूप भेदमें
एक दूसरा भेद मानना पड़ेगा । इस प्रकार उसमें भी तीसरा और
तीसरेमें भी चौथा आदि भेद मानना पड़ जानेसे अनवस्थादोष आ
जायगा । अत जब भेद ही असिद्ध है तो पूर्वोक्त पष्ठ अनुमानमें
भेदको व्यवस्थित कहते हुए इष्टापात्ति कैसे ही जा सकती है ?—तो मैं
पूछता हूँ कि क्या भेदज्ञान ही नहीं है ? अथवा होता हुआ भी वह
नित्य है ? या अनित्य होता हुआ भी वह अहेतुक है ? या सहेतुक
होता हुआ भी निविष्यक है ? अथवा सविष्यक होता हुआ भी वह
भेदज्ञान वाद्यमानविष्यक है ?

यहाँ सर्वतः विवेद हो जानेसे प्रथमपक्ष ठीक नहीं है । अर्थात्
जो भेदज्ञान सर्वजनानुभवसिद्ध है, उसका निषेध नहीं किया जासकता
है । एव भेदज्ञानका निषेध भी तभी किया जा सकता है, जबकि

सर्वतो विरोधादनुचरः । द्वितीयः सुप्त्यवस्थानुरोधादुप-
क्षणीयः । तृतीयोऽपि विरोधादेयः । चतुर्थस्तु भेदोल्ले-
खादेव त्यज्यः ।

पश्चमस्तु चिन्त्यते—किमेतेष्वन्यतमात्मा तस्य विषयः ?
तदन्यो चा ? तत्र यथन्य एव, किमेताभिर्ज्ञधिकरणानुपपत्ति-
भिस्तस्य धाच्येत । एवं हि चौरापराधेन व्यक्तमयं माण्डव्य-
निग्रहः स्यात् ।

अथान्यतमात्मा^१, तत्रापि यदि धर्मान्तरमेवेति तत्त्वम्,

प्रतियोगीरूपमें भेदज्ञानकी सत्ता मानी जाय । साथ ही “भेदज्ञान
नहीं है” इस कथनमें स्ववचनविरोध भी है । एव भेदज्ञानके
यिना चादिप्रतिवादियोंकी कथा भी नहीं चल सकती है । अत प्रथम
पक्ष असङ्गत है ।

सुपुस्ति के अनुरोधसे द्वितीयपक्ष उपेक्षणीय है । अर्थात् यदि भेद-
ज्ञान नित्य होता तो सुपुस्ति अवस्था होती ही नहीं । तो सरा पक्ष भी
विरोधके कारण त्याज्य है । अर्थात् जो अनित्य होगा, वह अहेतुक
हो नहीं सकता । चौथा पक्ष भी त्याज्य है, क्योंकि भेदज्ञानमें भेदरूप
विषयका उल्लेख ही है । अतः वह निर्विषयक कहाँ हुआ ? पश्चम पक्ष
तो विचारणोय है कि भेदज्ञानका विषय पूर्वोक्त स्वरूप, इतरेतराभाव
तथा धर्मान्तर इन तीनोंमें कोई एक है जिसे बाध्यमान बताते हो ? अथवा
इन तीनोंसे अन्य है ? यदि अन्य हो तो अन्यगत पूर्वोक्त सहप्रयोगा-
नुपपत्ति, आत्माश्रय तथा अनवस्थारूप दोषोंसे इन तीनोंका बाध कैसे
हो सकेगा ? क्योंकि सहप्रयोगानुपपत्ति आदि दोष अन्यमें हों और
ये तीनों वाधित किये जायें तो स्पष्ट ही ओरके अपराधसे निरपराध
माण्डव्यको दण्ड देनेके समान यह हो जायगा ।

यदि मानो कि—भेदज्ञानका विषय भेदके पूर्वोक्त तीनों स्वरूपोंमें
ही कोई एक है और वही बाध्यमान है । एव उनमें भी धर्मान्तर

तदाऽनवस्थाभिया तदधिक एव प्रवाहस्त्यज्यताम्, तस्य कुरु-
स्त्यागः । न हनवस्था प्रतिभासमानमर्थं निवर्तयति, किन्तु
प्रवाहं परिहापयति, गन्धे गन्धान्तरवत् ।

अथेतरे तराभावमेव भेदज्ञानमबलम्भत् इति तत्त्वम्,
तत्रापि कात्माश्रय ? तेन हि भेदज्ञानमेव न स्यात् । अस्ति
च तत्, ततो हेत्वन्तरमाक्षिपेत्, न तु स्यात्तनि स्यमहेतुत्वे
स्वयमेव निवर्तते । अविद्यावशादिति चेत्, किञ्चातः ? न

नामक जो तीसरा पक्ष है वहो भेदका स्वरूप विवक्षित है तथा
आध्यमान है—तो अनवस्थाके डरस उम धर्मान्तर (वैधर्म्य) से
अतिरिक्त दृसरे वैधर्म्योंके प्रवाहसा पारत्याग भल ही कर दिया जाय,
किन्तु उस भासमान वैधर्म्यका त्याग करोकर हाँगा ? क्योंकि अनवस्थाके
द्वारा भासमान अर्थकी नित्तिं नहीं हो जाता है, किन्तु उसके प्रवाहका
परित्याग हो जाता है । जैसे, जलादिस पृथगीका भेदक पृथिवीमें गन्ध
गुण माना गया है । किन्तु गन्धका भिन्न करनके लिय पुन गन्धमें
दृसरे गन्धगुणका अनवस्थादोपसे परित्याग कर दिया जाता है, न कि
प्रत्यक्षभूत पृथिवीमें गन्धका भी परित्याग हो जाता है ।

अथवा यह मानो कि—भेदज्ञान इतरेतराभावसा ही यस्तु उपना
आलम्बन (विषय) यनाता है । अर्थात् भेदज्ञानसा विषयमूल भेद
इतरेतराभावरूप है और वह आध्यमान हानस अनात्मरूप है—ता
उस पक्षमें भी आत्माश्रयदोष दढ़ा है ? क्याकि इतरेतराभावस्वयं भेद-
घनित है । इसलिये भेदज्ञान यदि इतरेतराभावस ज्ञानरूप । ज अति
रहता तो आत्माश्रयके कारण भेदज्ञान होता हा नहीं, किन्तु यह ता होता
है । अत यह भेदज्ञान अपनी इत्तात्मर विषय दिना अन्य दृतुका
भले ही आक्षेप करले पर एसा नहीं हा सकता कि अपने प्रति सद्ग्रहेतु
न हो यसके कारण उससा अपनी सत्ता ही निवृत्त हो जाय ।

यदि कहो कि—अविद्यावशसे भेदज्ञानकी उत्पत्ति होता है । अर्थात्
भेदज्ञान अविद्याकृत है—तो यहाँ अविद्यावशादा क्या अभिप्राय है ?
क्या अविद्याके प्रभावसे भेदज्ञान अपने आप हो जाता है, यदि अभिप्राय

द्विविद्येत्येवा त्मात्रयनिवृत्तिः, तथा सति घटादयोऽपि हुला-
लादिनिरपेत्तुः स्थयमेष भवेयुः ।

अथात्मात्रयदोषोपहततया तच्च स्वस्त्यैव कारणम्, उत्तो
यतः कुतश्चित् तस्य जन्म, तच्च दुर्निरूपमतोऽविद्येत्युच्यते
इति विचारार्थः, नाम्न तहिं विवादः । न च तदपि
दुर्निरूपम्, प्रतियोगिरूपत्वेनाप्रतीतागधिकरणप्रतीतिरिधिकर-
णस्वभावत्वेनास्मृतां प्रतियोगिस्मृतिचेतरेतराभावग्रहणकारण-
मिति निरूपणात् ।

है ? अथवा अविद्यारूप कारणसे भेदज्ञानकी उत्पत्ति होनी है, यह
अभिप्राय है ? इनमें यदि प्रथम पन्थ मानो तो इससे क्या लाभ हुआ ?
क्योंकि अविद्याका प्रभाव मान लेनेमात्रसे आत्माश्रयकी निवृत्ति नहीं
होती है । क्योंकि अविद्या माननेपर भी उसे अनें आप ही होना पड़ता
है । यदि अविद्याका प्रभावमात्र मान लेनेसे आत्माश्रयकी निवृत्ति हो
जाती हो तो घटादिक भी कुम्हार आदिकी विना अपेक्षा किये अपने
आप ही पैदा हो जाय ।

यदि दूसरे पक्षका आश्रय लेते हुए कहो कि—आत्मात्रयदोषसे
उपहत होनेके कारण भेदज्ञान अपना ही कारण नहीं है, किन्तु जिस किसी
कारणसे उस भेदज्ञानकी उत्पत्ति होती है, वह हुनिरूप है । अर्थात् उस
कारणका स्वरूपनिरूपण नहीं किया जा सकता है, यही अभिप्राय है—
तो कारणके नाममात्रमें विवाद है । क्योंकि कारणकी सत्ता तो तुमन भी
स्वीकार कर ही ली । अत भेदकी व्यवस्थामें क्षोई वाधा नहीं है ।

साथ ही कारणका निरूपण भी अशक्य नहीं है । क्योंकि प्रतियोगि
तावच्छेदकरूपसे अप्रतीतिके साथ जो अधिकरणकी प्रतीति और
अधिकरणतावच्छेदकरूपसे अप्रतीतिके साथ जो प्रतियोगीकी प्रतीति, ये
दोनों ही प्रतीतियाँ इतरेतराभावग्रहणके कारण हैं । इस प्रकार कारणका
निरूपण इया जा सकता है । अथात् भिन्न भिन्न रूपोंमें प्रतियोगी
और अधिकरणका ज्ञान ही उनमें इतरेतराभावग्रहणका कारण है ।

अथ स्वरूपमेव भेदप्रतिभासस्य विषय इति तत्त्वम्, तथापि सहप्रयोग एवानुपपन्नस्त्यज्यताम्, भेदेन तु किमपराद्धम्। सोऽपि दृश्यत इति चेत्, नैमित्तिकस्तु स्यात्, न स्वरूपतः। न हि घटमानय पटमवलोकयेत्यादौ भेदपदमपि प्रेक्षावानुपादत्ते। व्याख्यायां तु मूढप्रबोधनाय घटः कुम्भ इतिवत् सहप्रयोगेऽपि न दोषः।

तथापि कः परमार्थः? यथायर्थं त्रयमपि। पटस्य हि घटात्मनाऽप्रतीतिरघटात्मना च प्रतीतिस्ततो वैशिष्ट्यप्रतीति-
तथा अधिकरणतावच्छेदकसे युक्त अनुयोगीमें प्रतियोगितावच्छेदकका प्रह-
द्वी उस प्रत्यक्षका प्रतिपन्थरु है।

यदि कहो कि—स्वरूप ही भेदप्रतीतिका वस्तुतः विषय है—तो भी अनुपपन्न होनेसे “घटो भिन्नः” ऐसा घट और भेदका सहप्रयोग भले ही त्याज्य हो, किन्तु भेदने क्या अपराध किया है? अर्थात् भेद तो तुम भी स्वीकार करते ही हो। अब केवल उसमें आनेवाले वाधकका ही निरास दृम दोनों को करना है, और वह इस प्रकार होगा कि सहप्रयोगका ही त्याग किया जाय। यदि कहो—सहप्रयोग भी देखा जाता है, इसलिये स्वरूपात्मक भेद ही त्याज्य क्यों न माना जाय?—तो ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि स्वरूपतः भेदका घटादिके साथ प्रयोग नहीं देखा जाता है किन्तु किसी निमित्तपरात् ही सहप्रयोग होता है। अर्थात् “घटो भेदः” ऐसा स्वरूपतः प्रयोग नहीं होता किन्तु घटमे वैधर्म्य या अन्योन्याभावका वैशिष्ट्य सूचित करनेके लिये “घटो भिन्नः” यही प्रयोग होता है। अतः इस प्रकारके नैमित्तिक सहप्रयोगमें तो कोई आधा नहीं है। क्योंकि “घटमानय, पटमानय” इन प्रयोगोंमें कोई शुद्धिप्रमाण घट-पटपदोंके साथ भेदपदका भी प्रयोग नहीं किया करता है। व्याख्याके रूपमें तो मूर्खोंको समझानेके लिये “घटः कुम्भः” के समान घट और भेदका भी साथ प्रयोग करनेमें कोई दाप नहीं है।

फिर भी पूछो कि—भेद वस्तुत किं स्वरूप है?—तो यही उत्तर होगा कि यथायोग्य तीनों ही स्वरूप होगा। क्योंकि पटकी घटरूपमें

इचेत्यनुभवसिद्धम् । तत्राभावस्य प्रथममात्रम्, अभावान्तर-धर्मान्तरयोरभावात् । सामान्यादिषु प्रिपु द्वयम्, धर्मान्तराभावात् । द्रव्यादिषु प्रिपु प्रयम्, प्रयस्यापि संभवात् । भवति पटोऽयं न घटस्तन्तुभयश्चेति, गन्धोऽयं न रूपं सुरभिश्चेति, गतिरियं नोत्क्षेपणं निर्यक् चेति ।

लक्षणं च स्वरूपभेदस्य तादृष्येणाप्रतीतां प्रतीतिः, इतरेतराभावस्य त्वाधितः समानाधिकरणो निषेधप्रत्ययः, वैध-

अप्रतीति होना, एव अबटरूपम प्रतीति होना तथा घटकी अपेक्षा पटमें वैशिष्ट्य (धर्मान्तर) का प्रतीति होना ये तीनों ही अनुभवसिद्ध हैं । अर्थात् उक्तप्रतीतियोंमें प्रथम प्रतीतिसे स्वरूपात्मकभेद, द्वितीय प्रतीतिसे अन्योऽयाभावात्मक भेद तथा तृतीय प्रतीतिसे धर्मान्तरस्वरूप भेद सूचित होता है । इसलिये तीनों ही भेदके स्वरूप हैं । उक्त तीनों भेदोंके अलगत प्रथम भेद ही अभावमें है अर्थात् स्वरूपात्मक भेद । यद्यकि अभावम अनवस्थादोपसे दूसरा अभाव और सामान्यशूल्य हानसे सामान्यरूप दूसरा धर्म नहीं रहता है । अर्थात् अन्योऽयाभावादिकामे भेदव्यवहार स्वरूपत ही होगा । जस उसमें अविरिक्त अन्योऽयाभाव या कोई वैधम्य मानना अयुक्त है ।

सामान्य, विशेष और समवायमें स्वरूपात्मक और अन्योऽया भावात्मक एव भेद होते हैं, क्योंकि इनम भी जातिवृप्त काई वैधम्य नहीं रहता । तथा द्रूप, गुण और वर्मस स्वरूपात्मक, अन्योऽयाभावात्मक तथा वैधम्यी मरु तीर्णों ही प्रकारके भेद होते हैं । क्योंकि इनम हीनों ही सम्भव है । इसलिये एसे प्रयोग होते हैं कि—यह पट है घट नहै तथा तत्रमय है, एव यह गृह है रूप नहीं तथा सुरभि है, एव यह गति है उत्क्षेपण नहीं तथा निर्यक है ।

इनम स्वरूपभेदका लक्षण यह होगा कि—तादृष्येण अप्रतीत होते हुए प्रतीत होना । अर्थात् पटका घटरूपसे अप्रतीत होते हुए प्रतीत होना । इतरेतराभावसा तो लक्षण यह होगा कि—नहीं वाधित हानेवाली समानाधिकरणनिषेधकी बुद्धि । अर्थात् प्रतियोगिसमानकालीन

मर्यस्य तु विरोधः, स चैकधर्म्यसमावेशा इत्येषा दिक् ।

सप्तमोऽप्यनुकूल एव, घटादौ व्यापकताप्रतिक्षेपस्या-
व्यापकतोपलम्भोपष्टम्भकत्वात् व्यापकत्वस्य निष्क्रियत्वव्या-
सत्वाच ।

अष्टमस्तु क्वचिदिष्ट एव । यत एव हि क्वचिदिष्ट-
धेयोऽत एव क्वचिद् पिधेयोऽव्यापक इति व्यवहियते । सर्वत्रे-
ति चेन्न, व्याप्त्यसिद्धेः विरोधाच । न हि यदव्यापकं तत्

और प्रतियोगिसमानाधिकरण जो प्रनीयमान निषेध, वह इतरेतराभाव
कहाता है । वैधर्म्यका लक्षण तो विरोध है, और वह विरोध भी एक
धर्मीनि असमावेशरूप है । अर्थात् घट्यपट्यका एक नगह अवस्थित
न रहना ही घटपटका परस्पर वैधर्म्यरूपभेद है । यही सक्षेपमे भे॒के
स्वरूपोंका दिग्दर्शन है ।

“घटादिक न व्यापक, निष्क्रियत्वप्रसङ्गात्” यह सप्तम पक्ष भी मेरे
अनुकूल ही है । क्योंकि घटादिमे व्यापकताका सण्डन उसमे अव्यापकता
ज्ञानका ही सहायक है । एव यह पक्ष मुझे इसलिय भी अनुकूल है,
क्योंकि व्यापकत्व निष्क्रियत्वका व्याप्त्य होता ही है । अर्थात् जो
व्यापक होता है वह निष्क्रिय होता ही है । अत निष्क्रियत्वप्रसङ्गके
भयसे घटका व्यापक न हाना मुझे इष्ट ही है ।

‘न अव्यापकम्, अविधेयत्वप्रसङ्गात्’ यह अष्टम पक्ष भी कहीं इष्ट
ही है । अर्थात् अव्यापकत्व द्वारा यदि इसी देशविशेषमे अविधेयत्व-
का आपादन करा तो वह इष्ट ही है । क्योंकि घटाभावस्थलमे घटका
विधान नहीं हाता है । चूँकि घट कहीं (अपने अभावस्थलमे)
अविधेय है इसीसे सिद्ध है कि वह कहीं (घटाधिकरणस्थलमे) विधेय
है । इसीकारणसे घटको अव्यापकरूपमे व्यवहृत किया जाता है ।

यदि कहो कि—अव्यापकत्वके द्वारा सर्वत्र अविधेयत्वका आपादन
किया जा रहा है—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि अव्यापकत्व और
सार्वत्रिक अविधेयत्वमे व्याप्ति ही असिद्ध है तथा दोनामें परस्पर विरोध
भी है । क्योंकि जो अव्यापक होता है वह सर्वत्र अविधेय होता है,

सर्वत्रापिधेयमिति प्रतिग्रन्थः । कगचिदस्तीत्यब्यापकार्थः, सर्वत्र नास्तीति चाविधेयार्थस्तवाभिमतस्तदनयोर्सिरोधोर्जपि स्यात् ।

यद् विधेयस्त्वभाव तत् कथ प्रतिपेध्यमिति चेन्न, प्रतिपेध-स्वभावता हि विधेयस्य विरुद्धा न तु प्रतिपेधप्रतियोगिताऽपि । अथ योजस्ति कथ तस्य प्रतिपेधोऽन्यस्तीति चै, को दोपः १ अनयोररिरोधप्रसङ्गं इति चेन्, प्रकारभेदेन प्रसङ्गो (ज्ञो) ऽपि न दोपमात्रहति । तदभेदेन तु विधिनिषेधो केन

ऐसी व्याप्ति नहीं है । साथ ही कहीं अस्तित्वयात्मा होना अब्यापकका अर्थ है तथा सर्वत्र न होना अविधेयत्वका अर्थ है, यही तुम्हारा अभि मत है । अत इन दातोंम विरोध भी होगा । अगत् जो कहा स्थलविशेषमें है उसे कैसे कहा जा सकता है कि वह सर्वत्र ही नहीं है । इस प्रकार आपका आपाद्य आपादक परस्परका ही विरोधा है ।

यदि कहो कि—जो विधेयस्त्वभाव है, वह प्रात्येक्य केसे हा सकता है?—तो एसा नहीं कह सकते । क्योंकि विद्यवस्तुकी प्रतिपेवलपता विरुद्ध है, न कि प्रतिपेधका प्रतियोगी (प्रतिपेक्ष्य) हाना भी । अथात् भावात्मक वस्तु अभावात्मक नहीं हा सकती है पर अभावका प्रतियोगा क्यों नहीं हो सकती है? यदि कहो कि—जो है, उसका प्रतिवेद भा केसे हो सकता है?—तो इसमें क्या दोप है? यदि कहो कि—अस्तित्व और निषेध इन दोनाम अविरोधका प्रसङ्ग हा जायगा, यही दोप है—तो प्रकारभेदसे (अन्तर्छेदकभेदसे) एसहीमें अस्तित्व और निषेधका प्रसङ्ग भी दापानह नहीं हायगा । अथात् एक हा वृक्षम शाखावच्छेदेन वानरका सशोग भी रहता है और मूलदरावच्छेदेन उसके सशोगका अभाव भी । इस प्रकार एक ही जगह प्रकारभेदसे अस्तित्व और निषेध दोनोंके होनेमें कोई विरोध नहीं है । भिन्न भिन्न जगहोंमें अस्तित्व और निषेध होनेमें तो विरोधकी गाव भी नहीं है ।

किंतु अन्तर्छेदको (प्रकारको) अभिन्नताकी अनस्थाम एक ही जगह विधि और निषेधको कौन मातता है ॥ ३१ ॥

स्वीकृतौ यं प्रत्यविरोधः प्रसज्जेतेति । एतेन कालमेदादिना
प्रत्यविरोधो द्रष्टव्यः ।

अस्तु तहि स्थूलघाती विरुद्धवर्माध्यासो ग्रहणाग्रहणादिः
पञ्चविरोधः, न, असिद्धेः ।

तथाहि, यो येन यत्रैव यदैवोपलभ्यते स तेन तत्रैव तदैव
नोपलभ्यते इति नानुभवः, नाप्यभ्युपगमः । एकावयव-
सहितस्योपलभ्येऽन्यावयवसहितस्यानुपलभ्यम् इति चेत्, एवं

प्रसङ्गः दिया जा सके । इसीप्रकार देशभेद या अवन्नेदकभेदके नहीं
रहनेपर भी केवल कालभेदसे भी एक ही वस्तुके विधि और निषेधभेद
कोई विरोध नहीं होता, ऐसा जानना चाहिये । जैसे, घटादिकार्यका
एक ही कागजमें उत्पत्तिकालके अनन्तर अस्तित्व रहता है तथा प्रागभाव
या प्रथ्वंसकालमें नास्तित्व रहता है ।

यदि कहो कि—पूर्वोक्त युक्तियोंसे अवश्यकीका निषेध भले ही न हो
सके, परन्तु ग्रहणाप्रहण, आवृत्तवानावृत्तव्य, कम्पाकम्प, रक्तारक्त तथा
संयुक्तासंयुक्तरूप विरुद्धभर्मोक्ता पञ्चविधि अध्यास ही अवश्यकी विरोधी
होगा । अर्थात् यदि अवश्यकोंसे भिन्न कोई एक अवश्यकी होता तो एक ही
क्षणमें एक ही वस्तु गृहीत अगृहीत, आवृत अनावृत, कम्पमान-अकम्पमान
रक्त अरक्त तथा मंयुक्त असंयुक्त नहीं होती, किन्तु हाती है, इससे
सिद्ध होता है कि अध्यवातिरिक्त एवं अवश्यकी नहीं हाता—तो ऐसा
नहीं कह सकते । क्योंकि जो विरुद्ध है, उनका अध्यास ही असिद्ध है,
तथा जिनका अध्यास है, उनमें विरोध नहीं है । क्योंकि जो वस्तु
जिम व्यक्तिके द्वारा जिस स्थलमें जिस क्षण उपलब्ध होती है, घृणी
वस्तु उसी व्यक्तिके द्वारा उसी स्थलमें उसी क्षण अनुपलब्ध रहती है,
ऐसा न अनुभव है और न ऐसी किसीकी मान्यता है ।

यदि कहो कि—एकावयवके साथ उस वस्तुकी उपलब्धिदशामें ही
अन्यावयवोंसे साथ उसकी अनुपलब्धि भी होती है । अर्थात् एक ही
घट एकही क्षणमें एकही व्यक्तिके द्वारा एक भागमें दियाई पड़ता है
और दूसरे भागमें नहीं दियाई देता । अतः ग्रहणाग्रहणरूप विरुद्ध

तद्देवयचिन्युपलम्यमाने कथिदवयव उपलम्यते कथिन्नेवि
याक्यार्थः, सविशेषणे हि पिधिनिषेधी चिशेषणमुपसङ्क्रामत
इति न्यायान् । तथा चावयवानामुपलम्यानुपलम्या-
चवयविनि सञ्चार्यं प्रसङ्गं स्तदलभनेन ।

एतनावृतत्वानावृतत्वं व्याप्त्यात् । अनावरणदशान्त्
कतिपयावयवावरणेऽपि तथाविधस्थील्योपलम्भः किं न
स्यादिति त्वविशिष्यते । तदप्यसत् । तस्य परिमाणगत-

धमोंका अध्यास असिद्ध नहीं है—तो ऐसी परिस्थितिमें आपके कथनका
यही अर्थ होता है कि अवयवीकी उपलब्धिदशामें कोई अवयव उपलब्ध
होता है और कोई नहीं उपलब्ध होता । क्योंकि विशेषणमहित विशेषण
में होनेवाले विधिनिषेध विशेषणमें ही उपसङ्क्रान्त होते हैं । अर्थात्
वहाँ फलत विशेषणका ही विधि या निषेध होता है । इस प्रकार
वस्तुन अवयवगत उपलब्धिं और अनुपलब्धिका आपने अवयवीमें
सञ्चारित कर अवयवी निषेधरे लिये उक्त प्रकारका प्रसङ्ग दिया है,
किन्तु ऐसा प्रसङ्ग न है ।

इससे अवयवीका एकही कालमें आवृत्तव और अनावृत्तवसम्बन्धी
अध्यासका भी व्याख्यान हो जाता है । अर्थात् कुछ अवयव ही आवृत्त
होते हैं और कुछ अनावृत्त । अवयवी तो अनावृत ही रहता है । अत
अवयवीमें जावृतत्व अनावृतत्व उभयका एक कालमें समावेश नहीं
होनेसे विरोध कहा होता है ? जो अवयवीका धावक हो ।

यहा एक शब्दा अवश्य चढ़ जाती है कि जिस प्रकार सम्पूर्णरूपमें
अवयवीकी अनावरणदशामें उसकी द्विहस्तत्व प्रिहस्तत्वादिरूप स्थूलता
को उपलब्धि होती है, वसो प्रकार कुछ अवयवोंका व्यावरण हो जानपर
भी उसके द्विहस्तत्व प्रिहस्तत्वादिरूप परिमाणकी उपलब्धि हानी
च हिये । क्योंकि अवयविद्यादीके मतानुसार वह अवयवी अनावृत ही है ।
किन्तु यह शब्दा भी ठीक नहीं है । क्योंकि परिमाणगत उस द्विहस्तत्व
प्रिहस्तत्वादिरूप जातिविशेषस्त्री—जो उस अवयवीसे भिन्न वस्तु है
तथा किसी नियत सामग्रासे ही जाना जाता है, उस नियत सामग्राक
अकावमें, अवयवीकी और उसके सामान्यपरिमाणकी उपलब्धि होनेपर

सामान्यविशेषस्य ततोऽन्यस्य नियतसामग्रीवेद्यस्य तदभावे
तदुपलम्भेऽप्यनुपलम्भात् ।

एतेन कम्पाकम्पसंसंगां निरस्तः । सामग्रीमेदेनावयव-
नियतकम्पोत्पादे तस्यां दशायामवयविनो निथलत्वात् । एवं
तहिं कम्पाकम्पयोरवयवयोर्विभागान् संयोगनाशे द्रव्यनाशः
स्यादिति चेत्, ततः किम् ? अपसिद्धान्त इति चेत्र, एवमपि
कच्चिदभ्युपगमात् । सर्वत्रैव' प्रसङ्ग इति चेत्, तथाप्यवयविनः
किमत्याहितम् ? न चेत्वमपि, कर्मणो द्रव्यारम्भकसंयोगप्रती-

भी—प्रतीति नहीं होती है । अर्थात् कुछ अवयवोंके आवरणकालमें भी
चह अवयवी तथा उसका सामान्यपरिमाण उपलब्ध होता है । किन्तु यह
अवयवी दो हाथका है या तीन हाथका है, इसप्रकारके विशेष परिमाण-
को उपलब्धिं इसलिये नहीं होती है कि उस विशेषपरिमाणकी भी
उपलब्धिका कारण एक निश्चित सामग्री है, जो अवयवोंकी आवरण-
दशामें नहीं है ।

असिद्ध होनेके कारण अवयवोंमें एक कालमें कम्प और अकम्परूप
विनष्ट घर्मोंका समावेश भी खण्डन हो गया । क्योंकि सामग्रीविशेषसे
कहित्रय अवयवमात्रमें कम्पोत्पाद होनेपर भी उस दशामें अवयवी सो
निष्कम्प (निरचल) ही रहता है ।

यदि कहो कि—कुछ अवयवोंमें कम्पन और कुछ अवयवोंमें अक-
म्पनके माननेपर उन अवयवोंमें परस्पर विभाग होनेसे संयोगका नाश
हो जायगा और संयोगनाश होनेसे द्रव्यका नाश हो जाना चाहिये—
तो इससे क्या हुआ ? यदि कहो—अपसिद्धान्त होगा—तो ऐसा नहीं
हो सकता । क्योंकि ऐसा भी पहीं स्थलविशेषमें माना ही जाता है ।
यदि कहो—सर्वत्र ही अवयवी द्रव्यका नाश होने लगेगा—तो इससे
अवयविनाशको प्रसक्ति भले ही हो जाय किन्तु अवयवी को सिद्ध हो ही
गया । साथ ही अवयविनाशको प्रसक्ति भी नहीं है । क्योंकि अप-
यवगत कर्मसे द्रव्यारम्भक संयोगका विरोधीभूत अवयवविभाग अवश्य

द्वन्द्वविभागजनननियमानभ्युपगमात् । कारणविशेषात् कस्य-
चिदेव कर्मणस्तथाभूतविदोपीपलब्धेः ।

एतेन पाणी चलति तन्मूलभूतः परमाणुरपि चलेत्,
ततोऽचलत्तद्भुजपरमाणोविभागः, ततो यो येन संपुञ्जते
विभव्यते वा स तत्कार्यद्रव्येणापीति न्यायेन भुजपाण्पोरपि
विभागः, ततः संयोगनाशः, ततः शरीरनाश इति
निरस्तम् । न हि पाणिपरमाणु क्रिया भुजपरमाणुविभाग-
मारमते नियमेन ।

पैदा हो जायगा, यह नियम अमात्य है : अर्थात् अवयवोंके जिन
संयोगोंसे द्रव्यका आरम्भ (उत्पत्ति) होता है, अवयवमें क्रिया होनेपर
उन संयोगोंदे विरोधी (अवयवीको नष्ट कर देनेवाले) विभागकी
उत्पत्ति होती ही है, ऐसा नियम मात्य नहीं है । ऐसा माननेपर रिकास
होनेपर कमलका नाश होता भानना पड़ जायगा और यह बही कमल
है, ऐसी प्रत्यभिद्धा नहीं होती चाहिये । हाँ, विरोपकारणपर कुछ ही
कर्म द्रव्यारम्भक संयोग के विरोधीभूत विभागको पैदा करते हुए पाये
जाते हैं, न कि नियमित्वपरसे सभी कर्म ।

सभी अवयवकर्मोंमें द्रव्यारम्भसंस्योगविरोधी—विभागजनकत्वका
नियम नहीं माननेसे यह आशङ्का भी खण्डित हो जाता है कि—हाथके
चल होनेपर उसका मूलभूत परमाणु भी चल हो जाएगा, उसके बाद उस
क्रियारील हस्तपरमाणुसा अचल भुजपरमाणुके साथ विभाग हो जायगा ।
तदनन्तर “जो निससे सयुक्त होता है, या विभक्त होता है, वह उसके
कार्यद्रव्यसे भी सयुक्त या विभक्त हो जाता है” इस नियमके अनुसार
द्रव्यणुकादि-विभागके कर्मसे हाथ और भुजासे भी विभाग हो जायगा ।
उसके बाद शरीरका आरम्भ करनेवाले हाथ और भुजासा सयाग नष्ट हो
जायगा तथा उसके बाद शरीरका भी नाश हो जायगा—कारण, हाथ
और उसके परमाणुमें क्रिया होनेसे गुज़ा और उसके परमाणुके साथ
विभाग पैदा हो जायगा, ऐसा नियम नहीं है ।

तदनारम्भकत्वे कर्मलक्षणक्षुरिरिति चेन्न, आकाशा-
दिदेशनिभागजननादपि तदुपपत्तेः, नुयकर्मवत् । कुतोऽयं
विशेष इति चेत्, कारणविशेषपादित्युक्तम् ।

एवं तहि यद्यन्यवकम्पेऽप्यकम्प्य एवावयवी, हन्तावयव-
संयोगिभिराग्निभ्यामाकाशादिदेशाभ्यां न संयुज्येत न
विभज्येतेति चेन्न, अवयवसंयोगविभागाभ्यामेव तत्सिद्धे ।
एतच सम्यगवव्योदयुं वैशेषिकमनुसन्धेयम् । तहि चलदर-
यवसमाधितोऽप्यचलन्नेगावयव्युपलभ्येतेति चेत्, नेदमनिष्टम्,

यदि कहो कि—उक्तविद्या यदि उक्त विभागको पैदा न करे तो
“संयोगविभागयोरनपेक्ष कारण कर्म” इस कर्मलक्षणकी ही उस कियामें
अव्याप्ति हा जायगी—ता ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि आकाशादि-
देशके साथ विभाग पैदा करनेसे भी उसमें कर्मलक्षणकी सगति हा
जाती है । जैसे, नुय (ठेली जाती हुई) वस्तुमें हानेवाली कियासे
नोदक (ठेलनेवाले व्यक्ति) वे साथ विभाग नहीं पैदा होनेपर भी
आकाशादिके साथ विभाग पैदा करनेके कारण ही उस नुयनिष्ट कर्ममें
कर्मका लक्षण सगत हो जाता है । यदि पूछो कि—कुछ कर्म द्रव्या-
रम्भक संयोगजा विरोधी विभाग पैदा करता है और कुछ कर्म नहीं,
इस प्रसारकी विशेषता कर्ममें वहाँसे आती है ? तो पहल ही बता चुना
हूँ मि कारणगत विशेषतासे उक्त विशेषता आती है ।

गहाँ यह शङ्खा भी नहीं हा सकती है कि—इस प्रकार यदि अवयवमें
कम्प होनेपर भी अवयवा निष्टकम्प ही रहे, तब तो हाय ! आपका
अवयवी अवयवसंयुक्त आकाशसे न तो संयुक्त ही हागा और न अव-
यवके साथ विभक्त आकाशसे विभक्त ही हागा—क्योंकि अवयवीके
निष्टकम्प माननेपर भी आकाशके साथ हुए अवयवके ही संयोग और
विभागद्वारा अवयवीका भी संयोग और विभाग सिद्ध हो जायगा ।
अर्थात् कारणके संयोग और विभागसे कार्यका भी संयोग और विभाग
हो जाता है । इस तत्त्वजा अच्छी तरह ज्ञान करनेके लिए वैज्ञेयिक-
शास्त्रका अनुशीलन करना होगा ।

पाणी कम्पमाने शरीरं न कम्पत् इति प्रत्ययात् ।

अथवा यो यदाश्रितवयोपलभ्यते स तस्मिंश्चलत्पचलोऽपि चल एव विभाव्यते दर्पणमुखवत् जलचन्द्रवचेत्यपि द्रष्टव्यम् ।

कृतं प्रतीतिकलहेन, एवमपि सर्वत्र चल एवोपलभ्येतेति चेन्, चलत्प्रत्ययवे सर्वत्र तथैवेति न किञ्चिदनुपपन्नम् । अचले तु कथं तथोपलभ्यताम् ?

तथापि चलाचलाश्रयस्य चलाचलतया प्रतीतौ चलाचल-जलचन्द्रवत् द्वैतप्रत्ययोऽपि स्यादिति चेन्, स्यादपि यदाश्रय-विच्छेदः स्यात् । न श्वेकस्मन्देव जलेऽविच्छिन्नावयवभेदेन

“तब तो किवाशील अवयवोंपर आधित भी अवयवी स्वयं निश्चिक्य ही मालूम होना चाहिये” ऐसा दोष दो तो यह भेरे लिये अनिष्ट नहीं है । क्योंकि हाथ कॅपनेपर भी शरीर नहीं कॅपता है, यह सबको अनुभव है । अथवा, जो जिसके आधित होकर उपलब्ध होता है, वह उसके चलते समय अचल होते हुए भी चल ही मालूम होता है । जैसे, चञ्चल दर्पणमें प्रतिविम्बित मुख एव चञ्चल जलम प्रतिविम्बित चन्द्रमा स्वयं अचल होते हुए भी चलता हुआ मालूम होता है, यह भा देखना चाहिये ।

“कहीं चल और कहीं अचल, इस प्रारकी विभिन्न प्रतीतियोंका कलह क्यों हो ? सर्वत्र चल ही क्यों न प्रतीत हो ?” यदि ऐसा कहो तो यही उत्तर हांगा कि जो जो अवयव चलते हैं, वहाँ वहाँ सर्वत्र ही वह अवयवी चल ही प्रतीत होता है इसमें कोई अनुपन्नति नहीं है । किन्तु अचल अवयवोंमें वह चल क्योंकर प्रतीत होगा ?

‘तो भी चल-आश्रयमें चल और अचल आश्रयमें अचलरूपमें अवयवीकी प्रतीति मानी जाय तो, जैसे चञ्चल जलमें चल प्रतीत होते हुए और निश्चल जलमें निश्चल प्रतीत होते हुए चन्द्रमामें द्वैतबुद्धि होती है अर्थात् चन्द्रमा दो मालूम देता है, जैसे ही चल और अचल अव-

द्विचन्द्रभ्रमो नाम । किन्तु स एवैकथले चल उपलभ्यतेऽचले
स्थचल इति । वीचिषु सोऽपि सहस्रनिभ इति चेत्, एव-
मेतत्, तासां विच्छेदेनाकलनात् ।

अस्तु तर्हि चलाचलयोर्धुर्तसिद्धिप्रसङ्ग इति चेत्, स्वयं
प्रतिबन्धासिद्धेः । न च प्रसङ्गे व्याप्तावपि पराभ्युपगमः
शरणम् । न चैवं पराभ्युपगमोऽपि । वस्त्रोदकादौ दृश्यते
तावदयमिति चेत्, तन्तुवस्त्रादौ विपर्ययस्यापि दर्शनात् ।

यद्योमे आधित अवयवी भी दो मालूम होना “चाहिये” ऐसा कहो तो,
यह हो भी सकता है, यदि आश्रयोंका परस्पर विच्छेद हो जाय ।
क्योंकि जिसका अवयव विच्छिन्न नहीं हुआ है, ऐसे एक ही जलमे
दो चन्द्रमारू भ्रम वभी नहीं होता । किन्तु एक ही चन्द्रमा चल
जलमे चल प्रतीत होता है और अचल जलमे तो अचल । यदि कहो
कि—तरङ्गोमे तो वह भी हजारके समान मालूम देता है—तो हाँ,
ऐसा ही होता है । क्योंकि वहाँ तरङ्गे भी हजाररूपमे विच्छिन्न हुई
मिलती हैं ।

यदि कहो कि—हाथको चलावस्थामे शरीर यदि अचल ही रहे तो
हाथ और शरीर दोनोंकी युत्सिद्धि होने लगेगी । अर्थात् हाथ और
शरीर दोनों परस्पर असम्बद्ध होते हुए भी कायम रहें—तो इस प्रकारका
आपादन क्षणिकगादी नहीं कर सकता है । क्योंकि स्वयं क्षणिकवादके
अनुसार चलाचलत्व और युत्सिद्धत्वमे व्याप्ति ही असिद्ध है । अर्थात्
हाथ और शरीरमे युत्सिद्धत्वकी सिद्धिके लिए दोनोंको कम से कम
तान क्षण तक स्थायी मानना पड़ेगा । ऐसे, प्रथम क्षणमे दोनोंका
परस्पर सम्बद्ध होकर रहना, द्वितीय क्षणमे हाथका चल होकर शरीरसे
अलग होना और तीसरे क्षणमे दोनोंका असम्बद्ध होकर कायम रहना ।
किन्तु क्षणिकवादमे एक क्षणसे अधिक किसी घस्तुकी सत्ता ही नहीं
रहना, फिर तदनुसार युत्सिद्धत्वका आपादन क्षणिकवादो कैसे कर
सकता है ?

यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि—प्रसङ्ग दैनेगे व्याप्तिके धारेमें भी

इदं मिथ्येति चेत्, तत् कर्थं सत्यम्? अपाधादिति चेत्, इह तर्हि वाधकान्तरं वाच्यम्। चलाचलत्वमेवेति चेत्, युत-सिद्धान्तिं किमिति नेदं वाधकमिति पिपर्ययस्यापि वक्तुं शक्यत्वादिति ।

दूसरोंकी स्वीकृति से ही काम चल जायगा । अर्थात् चलाचलत्वरूप आपादकद्वारा युतसिद्धतत्त्व आपादक का प्रसङ्ग देनेमें क्षणिकवादी उक्त आपादक और आपादकमें स्वयं व्याप्तिको न मानते हुए भी नैयायिकद्वारा स्वीकृत व्याप्तिकी ही शरण लेकर आपादन कर देगा—स्योंकि प्रसङ्गहूप तरफ्में दूसरेद्वारा सिफ आपादककी ही स्वीकृति अपेक्षित होती है, न कि आपादक और आपादककी व्याप्तिकी भी । अतः व्याप्तिके बारेमें नैयायिकढ़ी स्वीकृतिसे काम नहीं चलेगा । क्षणिकवादीको स्वयं व्याप्तिकी सिद्धि चाहिये । किन्तु क्षणिकवादमें वह असम्भव है । साथ ही जो चलाचल होता है, वह युतसिद्ध (असम्भद्ध होते हुए भी विद्यमान) होता है, इस व्याप्तिको नैयायिक भी नहीं मानता, किर उसकी शरण ली भी कैसे जा सकती है?

यदि कहो कि—वस्त्र और जलमें से युतसिद्धि देखी जाती है । अर्थात् वस्त्रसे जड़के इखलित ही जानेपर भी दोनों असम्बद्ध होते हुए विद्यमान रहते हैं, अत उक्त व्याप्तिको अवश्य स्वीकार करना होगा—तो ऐसा नहीं हो सकता । क्योंकि तन्तु और वस्त्रमें विपरीत भी देखा जाता है । अर्थात् तन्तु और वस्त्रके चलाचल होनेपर भी उनमें असम्बद्ध-विद्यमानता नहीं होनी है ।

यदि कहो कि—बहाँ तन्तु और वस्त्रमें सम्बद्धताकी अनुभूति मिथ्या है—तो यहाँ वस्त्र और जलकी असम्बद्धताकी अनुभूति कैसे सत्य है ? यदि कहो, अधिकत होनेसे सत्य है—तो तन्तुवस्त्रस्थलमें कोई वाधक दियाना चाहिये । यदि कहो कि—तन्तु और वस्त्रका चल अचल होना ही उनकी सम्बद्धतानुभूतिका वाधक है—तो यहाँ चलाचलत्व तन्तु और वस्त्रके असम्बद्धविद्यमानताका ही वाधक क्यों न होगा ? ऐसा विपरीत भी वहा ही जा सकता है । अर्थात् विपक्षमें वाधक दिये जिना केवल

रक्तारक्तविरोध इति चेन्, आन्तत्वात् । तन्मूलरागि-
द्रव्यसंयोगासंयोगविरोधोऽस्त्वति चेन्, परमाणुवादिनं प्रति
प्रागेव परिहृतत्वात् । इतर प्रति का वार्तेति चेत्, सैव तावत्,
तथैवाविरोधात् । प्रकारभेदेनापि विरोधाभ्युपगमे व्याप्ते-
सिद्धेः, संयोगतदभावयोरेवासिद्धेः ।

महाचार्मावस चलाचलत्व आर युतसिद्धत्व (असम्बद्ध-विद्यमानत्व) मे व्याप्ति निश्चय नहीं हो सकता है ।

यदि कहो कि—रक्त और अरक्तसा विरोध अवयवोंमा बाधक होगा । अर्थात् जहाँ पटका कुछ भाग रक्त हो और कुछ भाग अरक्त हो, यहाँ यदि एक अवयवी माना जाय तो एक ही वस्तुमें रक्त और अरक्त दो विरोधी स्वरूपकी प्रतीति नहीं होनी चाहिये, किन्तु होती है । अतः एक अवयवी मानना असंगत है—वो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि यहाँ “रक्तः पटः” यह प्रतीति ही आन्त है । अर्थात् पट वस्तुतः अरक्त ही है । उसके अवयवोंमें ही कुछ रक्त होते हैं और कुछ अरक्त । अतः विरोध कहाँ है ?

यदि कहो कि—पटमें रक्तत्वभ्रमका मूल जो रहद्रव्यका संयोग है, उसीको लेकर विरोध होगा । अर्थात् उसी पटमें रक्तका संयोग भी है, जिससे वह रक्त मालूम पड़ता है । तथा रक्तका संयोगभाव भी है, जिससे कुछ दिस्तोंमें अरक्त भी है । इस प्रकार एक ही वस्तुमें रक्त-संयोग और रक्तसंयोगभावके भी होनेमें विरोध होनेसे अवयवीकी सिद्धि नहीं हो सकती है—तो ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञानातिरिक्त-परमाणुवादीके प्रति क्षणभद्र ट्रण्डनके अवसरपर ही इस आश्वेषका परिहार किया जा चुका है ।

यदि पूछो कि—विज्ञानवादी (परमाणुओं भी विज्ञानस्वरूप ही माननेवाले) के प्रति क्या वात है ?—तो उसके प्रति भी वही वात है । क्योंकि प्रकारभेदसे अविरोधकी उपपादिका युक्ति यहाँ भी समान ही है । यदि प्रकारभेदसे भी संयोग और संयोगाभावके होनेमें विरोध मानो, तो स्वयं संयोग और संयोगाभावनामकी वस्तु ही सिद्ध नहीं होगी । फिर यह तुम्हारी व्याप्ति कैसे सिद्ध हो सकेगी कि “पटमें यदि

सिद्धौ वा प्रकारभेदा विरुद्धस्वाभावसादेश्यापरित्यागात् ।
न चैवं पदार्थान्तरवैधम्येण संयोग एव निराकर्तव्यः, तद्वै-
धम्येण तेषामेव निराकरणप्रसङ्गात् ।

न चैवमेव न्यायम्, नियमवता हि सत्यवैधम्येणोत्तर-
निराक्रियते, असत्यवैधम्येण सत्यत्वस्यैव निर्वाहात्, निपेद्य-

सयोग और सयोगाभाव दोनों होंगे तो पट एक अभिन्न अवयवी न होकर
विभिन्न अवयवोंका समुदायरूप हो जायगा । अर्थात् सयोग और
सयोगाभाव दोनों तभी सिद्ध होंगे जब प्रकारभेदसे दोनोंके रहनेमें कोई
विरोध न हो । निन्तु प्रकारभेदसे भी उन दोनोंके रहनेमें यदि विरोध
ही हो, तो वे स्वयं असिद्ध हो जायेंगे और आपकी उक्त व्याप्ति भी
असिद्ध हो जायगी ।

यदि तो प्रकारभेदमें सयोग और सयोगाभावको सिद्ध मानते हों तो
प्रकारभेदसे सयोगका अविरोधी जो सयोगाभाव, उसका सयोगके साथ
समानदेशमें रहना भी कहाँ हृटा ? अर्थात् पटको एक अवयवी मानते
हुए उसमें प्रकारभेदसे (अवयवभेदसे) रहसयोग और रहसयोगाभाव
दोनोंके रहनेमें काही वाधा नहीं है ।

यहाँ ऐसा भी नहीं कह सकते कि—यद्यपि सत्याग सयोगाभावका
विरोधी नहीं है किंतु सयोगाभावका विभर्मी अवश्य है, इसलिये पटमें
सयोगका ही निराकरण कर दना होगा—क्योंकि उसी न्यायसे सयोगका
विभर्मी होनेसे सयोगाभावका ही निराकरण क्यों न होना चाहिये ?
अर्थात् वैधम्यके कारण वस्तुओंके तात्पर्यरा निराकरण हाता है न कि
उनके स्वरूपका ही । क्योंकि ऐसा होनपर सभा वस्तुओंमें परत्तर
वैधम्य होनेसे सभी पदार्थका निराकरण होकर सर्वशून्यत्वका प्रसङ्ग
हो जायगा ।

यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि—सभ पदार्थका निराकरण एव सर्व
शून्यता ही न्यायसगत है—कारण, जहा सत्यके साथ विलक्षुल साधम्य
न हो किन्तु नियतरूपसे सत्यना वैधम्य ही रहे, वहीं सत्यसे इतर
असत्यका निराकरण हो जाता है । असत्यका वैधम्य होनेपर तो
सत्यता ही सिद्ध हो जाती है । अर्थात् सयोगमें सत्ता, गुणत्व,

प्रतीतिनान्तरीयकत्वाच निषेधसिद्धेः । शशविपाणादौ
कल्पितेन निषेधयेन निषेधसिद्धिरिति चेन्न, निराकृतत्वात्,
संयोगस्य वाङ्मात्रेण काल्पनिकत्वसिद्धावतिप्रसङ्गाच ।
शशशृङ्गन्यायस्य च योग्यानुपलम्बाभावेनासिद्धेः । इत एव
वाधकात् तत्सिद्धावितरेतरात्रयत्वम् ।

अभिषेयत्व, प्रेमयत्व आदि सत्यसाधर्म्य भी हैं, अतः नियमतः सत्य-
पैधर्म्य नहीं होनेसे संयोगका स्वरूपतः निराकरण नहीं हो सकता है ।
तथा उसमें यदि असत्यका वैधर्म्य मानो तो सुतरां सत्यत्व सिद्ध हो
जायगा ।

एवं, निषेध्यवस्तुकी प्रतीतिके बिना निषेधकी प्रतीति नहीं हो सकती,
इसलिये भी संयोगका निषेध करनेके लिये निषेधरूपमें संयोगकी सत्ता
माननी ही पड़ेगी ।

यदि कहो कि—शशशृङ्गके निषेधस्थलमें शशशृङ्गरूप निषेधके
कल्पित होनेपर भी निषेधकी प्रतीति हो जाती है, वेसे ही संयोगको
कल्पित मानते हुए भी उसका निषेव सिद्ध हो सकता है—तो ऐसा नहीं
कह सकते । क्योंकि पूर्वमें शृणिस्त्वसिद्धिके लिये दिये गये व्यक्तिरेकी
अनुपानके खण्डनप्रकरणमें यह धात खण्डित हो चुकी है । एवं, बिना
प्रमाणके केवल वचनमात्रसे यदि संयोग काल्पनिक हो जाय तो सर्वा-
तुभूत नीलपीतादि भी काल्पनिक हो जायेंगे । साथ ही योग्यानुपलम्ब
नहीं होनेसे शशशृङ्गका न्याय यहाँ नहीं लागू हो सकता है । अर्थात्
शृङ्ग तो महिपादिमें प्रत्यक्षयोग्य है, अत शशमें उसका अनुपलम्ब
होनेसे शृङ्गका अभाव सिद्ध हो जाता है । किंतु प्रत्यक्षयोग्य जो
पटादिका संयोग, उसका अनुपलम्ब नहीं होने पर संयोगाभावकी
सिद्धि नहीं हो सकती है । तथा जो संयोग प्रत्यक्षके अयोग्य है, जिसे
परमाणु आदिका संयोग, उसका अनुपलम्ब दोनेपर भी योग्यतारूप
विशेषणके नहीं रहनेसे योग्यानुपलम्ब वहाँ भी नहीं हुआ, इसलिये उस
संयोगका भी अभाव नहीं सिद्ध हो सकता है ।

यदि कहो कि—संयोगके काल्पनिक होनेसे संयोगाभाव सिद्ध है
और इसीसे संयोगका योग्यानुपलम्ब भी सिद्ध हो जायगा—तो यहाँ

शब्दप्रत्यभिज्ञानवत् सयोगप्रतीतेरन्यथोपपत्तिमात्रेण वा-
धकप्रवृत्तिरिति चेन्न, अनुभवस्य तदनुरूपमुपाधिमुखपिण्डम-
दत्त्वा भ्रान्तत्वेनान्यथोपपत्तौ तद्विपरीतानुमानप्रवर्तनेऽग्नार-
नुष्णात्वानुमाने प्रवृत्तिप्रसङ्गात् । न च प्रत्यभिज्ञानस्य
सामान्यवत् संयोगप्रत्ययस्य तदनुरूपमुपाध्यन्तरमस्ति ।

अन्योन्याश्रयदोष आ जायगा । क्योंकि सयोगाभाव सिद्ध होनपर
योग्यानुपलभ्म सिद्ध होगा और योग्यानुपलभ्मके सिद्ध हो चुक्नेपर ही
सयोभाव सिद्ध हो सकेगा ।

यदि कहो कि—शब्दप्रत्यभिज्ञाके जात्यालभ्वन होनेके कारण जैसे
शब्दनित्यत्वद्वाधक प्रमाणकी प्रवृत्ति हो जाती है, वैसे ही सयोगप्रतीतिकी
भी आय प्रकारसे उपपत्ति हो जानेके कारण सयोगाभावक प्रमाणकी
प्रवृत्ति हो जायगी । अर्थात् ‘स एवायग्नकार’ यह प्रतीति गत्वजाति
विषयक होनेसे गकारोंकी अभिज्ञताको यिप्य नहीं बनाता है, इसीलिए
शब्दनित्यत्व नहीं सिद्ध हो पाता है, वैसे ही दो द्रूगोंकी अव्यरहित
देशमें उपपत्ति ही सयोगप्रतीतिका कारण है । अत सयोगकी भी सिद्धि
नहीं हो सकती है—तो एसा नहीं कह सकते । क्योंकि अनुभवके
अनुरूप किसी उपाधिरूप मुखपिण्डको बिना उपस्थित किये उस अनुभव
को भ्रमात्मक बताकर उसकी अन्यथा उपपत्ति की जाय और अनुभवके
विपरात अनुमानकी प्रवृत्ति की जाय तो अग्निके उष्णतानुभवको भी
भ्रमात्मक बताकर उसमें अनुभवविरुद्ध अनुष्णात्वका भी अनुमान होने
लगेगा । अर्थात् वही अनुभव भ्रान्त समझा जाता है, जिसका प्रचार
रातरसे उपपादक कोई उपाधि हो । ‘स एवाय गकार’ इस शब्दाभेद
विषयक प्रत्यभिज्ञाका उपपादक उपाधि गत्वादि जाति है । अर्थात्
गकारव्यक्तिके भिन्न होनेपर भी उसकी गत्व जाति अभिज्ञ है और वह
जाति ही उस प्रत्यभिज्ञामें भासित होती है । इसीलिये वह प्रत्यभिज्ञा
भ्रमात्मक मानी जाती है, तथा शब्दनित्यत्व नहीं सिद्ध हो पाता है ।
किंतु उसके समान सयोगप्रतीतिका उपपादक उसक अनुरूप कोई
उपाधि है, नहीं निससे सयोगप्रतीतिको भ्रमात्मक समझा जाय और
सयोगकी सिद्धि न हो सके ।

एवम्भूतमर्यादातिक्रमे तु त्वदभिप्रेतप्रतिबन्धप्रत्ययस्यापि
आन्तत्वेनान्यथासिद्धिप्रसङ्गः कथं वार्यः ? तदवारणे शिथिल-
मूलस्तर्कः कथं प्रवर्तेत ?

यथा लोकव्यवस्थानं चाध्यकान्वरवत् संयोगस्यापि
शब्दपाकजार्थक्रिया^१ स्थितेस्तदध्यक्षस्यापि प्रामाण्यसिद्धेन्त
आन्तत्वशङ्कावकाश इति ।

अस्तु तद्देशत्वातद्देशत्वरूपो विरोधः, न, विरोधल-

इस प्रकारकी मर्यादाका उल्लङ्घन करनेपर तो तुम्हारा अभिमत व्याप्ति-
शान भी अनुमानक हो जायगा तथा उसमे अन्यथासिद्धिदोषके प्रसारका
चारण कैसे हो सकेगा ? उस दोषका बारण नहीं होनेपर तो व्याप्ति-
रूपमूलके शिथिल हो जानेसे तुम्हारा तर्क भी कैसे प्रवृत्त हो सकेगा ?
अर्थात् जो विरुद्ध धर्मोंसे युक्त होता है, वह एक नहीं होता, जैसे गौ,
अश, अहि, नकुल आदि । चूँकि धट संयोग और असंयोगरूप विरुद्ध
धर्मोंसे युक्त है, इसलिए एक (अवयवी) नहीं हो सकता है—यह
तुम्हारा अभीष्ट व्याप्तिशान भी भ्रन्त हो जायगा और व्याप्तिके शिथिल
होनेसे तुम्हारे अनुमानका पोषक यद्य तर्क भी, कि “धट यदि एक
होता तो विरुद्ध धर्मोंसे युक्त नहीं होता, जैसे, क्षणिक परमाणु” लागू
नहीं हो सकेगा । लोकव्यवस्थाके अनुसार नीलपीतादिप्रत्यक्षरे समान
संयोगके प्रत्यक्षमें भी प्रामाण्यकी सिद्धि हो जायगी तथा उसमें भ्रमा-
शक्ताकी शकाका अवसर ही नहीं आ सकेगा । कारण, जैसे अर्थ-
क्रियाकारी होनेके कारण नीलपीतादि सत्य हैं तथा उनका प्रत्यक्ष प्रामा-
णिक है, वैसे ही दण्डसंयोगद्वारा भेरीमें शब्दात्मक तथा अग्निसंयोग-
द्वारा घटादिमें पाकज्ञगत्मक अर्थक्रियाके क्रिये जानेके कारण संयोग
भी सत्य और उसका प्रत्यक्ष भी प्रामाणिक ही होगा ।

“पूर्वोक्त वाचकोंके अभावमें तदेशत्व और अतद्देशत्वरूप विरोध
ही अवयवीका वाचक हो” ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि तदेशत्व

१. सिद्धः इति वृ० पा०

क्षणामावात् । न हि तदेशसंसर्गविधौ नियमेन देशान्तरसंसर्ग-
नियेधः । तदेशत्वतदेशत्वयोस्तु स्यात्, तत्संसर्गस्तु केनेष्यते ।

अध्यक्षमेवैकसंसर्गपरिच्छेदकं तदमायव्यवच्छेदमुखेन
तदन्यव्यवच्छेदफलभिं विरोधमुद्गरतीति चेत्, स्यादप्येतम्,
यदि नियमेनैकससृष्टस्यान्यसंसर्गं प्रतिक्षिपदध्यक्षमुदियात्,

और अतदूदेशत्वमें विरोध ही नहीं है । कारण, अतदूदेशत्वपदका
नव यदि पर्युदासवाचक हो तो उसका अर्थ होगा “उस देशसे भिन्न
देशमें रहना” । किन्तु अतदूदेशके साथ अवयवीका ससंग होनेपर
नियमितरूपसे उससे भिन्न देशके साथ संसर्गका नियेध ही जाता
है, ऐसी बात नहीं है । अर्थात् एक ही लम्बे पटात्मक अवयवीका
एकदेशके साथ संसर्ग और उससे भिन्न दूसरे देशके साथ भी संसर्ग
रहता ही है, विरोध कहाँ है ?

यदि अतदूदेशत्वपदका नव प्रसंजयप्रतियेध अर्थमें हो तो अतदूदेशत्वका अर्थ ही जायगा “उस देशके साथ संसर्गमा अभाव” ऐसी
स्थितिमें तदेशसंसर्ग और तदेशसंसर्गभावमें विरोध हो सकता है ।
किन्तु उस देशके साथ संसर्गभावपदशामें उस देशके साथ संसर्ग मानता
ही बोन है कि विरोध होगा । अर्थात् एक ही अवयवीमें एक ही कालमें
तदेशत्व और तदेशभावका सम्बन्ध में भी नहीं मानता, फिर प्रसंजय
पक्षमें भी विरोध कैसा ?

यदि कहो कि—एकदेशके साथ अवयवीके संसर्गका अवगाहन
करनेवाला प्रत्यक्ष उस देशमें संसर्गभावका व्यवच्छेद इरता हुआ फलतः
देशान्तर संसर्गका भी व्यवच्छेद कर ही देगा । इस प्रकार तदेशत्व
और आत्मेशत्वका विरोध सूचित करता है—तो ऐसा तभी हो सकता
है यदि एकके साथ सम्बद्ध वस्तुका प्रत्यक्ष नियमत दूसरेके साथ
संसर्गको नियिद्ध करता हुआ पैदा हो, किन्तु ऐसा नहीं होता है ।
प्रत्युत एकसाथ एकका अनेकके साथ संसर्गका अवगाहन करनेवाला
प्रत्यक्ष होता है, जैसे “तन्तुषु पट” ।

यह प्रत्यक्ष यदि एक रात्मुखें उस पटके संसर्गका अवगाहन करनेके
कारण अर्थ रात्मुओंमें उस पटसंसर्गका नियेध कर दे तो समानन्यायस

नत्वेतदस्ति । युगपदेकस्थानेकसंसर्गप्रवृत्तमध्यक्षमविशेषात् सर्व-
संसर्गं वा प्रतिक्षिपेत्, न वा कमपि, स्वात्मानमेव वा, सर्वथा
न विरोधं दीपयेत् । अन्ततः परमाणोरप्येकस्थानेकैः परमा-
णुभिः संयुग्मस्वीकाराचेति ।

एतेन वृत्तिविकल्पो निरस्तः, परमाणुवृत्त्याऽवयविवृत्तेस्तु-
त्ययोगक्षेमत्वात् ।

सभी तनुओंसे पटसंसर्गका निषेध करेगा । अथवा वह प्रत्यक्ष भी
अनेकविषयक होनेसे अनेकसंसर्गी हुआ, अत अवयवीके समान
छपना भी निषेध कर देगा, किन्तु सदृदेशत्व और अवदृदेशत्वमें किसी
भी हालतमें विरोध नहीं आने देगा । एव, अन्ततः एक परमाणुका
अनेक परमाणुओंके साथ संसर्गको हुम भी मानते ही हो । जैसी
कि तुम्हारी उक्ति है—“पटकेन युगपद् योगात् परमाणोः पडशात्” ।
अर्थात् किसी एक परमाणुका चारों तरफ (आगे, पीछे, दोनों बगल
तथा नीचे और ऊपर) छः परमाणुओंके साथ युगपत् संयोग होनेसे एक
परमाणुका छ भाग सिद्ध होता है ।

इससे वृत्तिसम्बन्धी विकल्प भी यण्डित हो गया । अर्थात् “अवयवी
अपने प्रत्येक अवयवोंमें कृत्स्न (सम्पूर्ण) रूपसे वर्तमान रहे तो एक ही
में उस अवयवीकी सम्पूर्णसत्ताकी परिसमाप्ति हो जानेसे अन्य अवयवोंमें
वह नहीं रह सकेगा । यदि एकदेशरूपसे रहे तो अवयवोंसे अविरक्त
कोन सा एकदेश अवयवी का वचा है, जिस रूपसे अवयवी उन अवयवों-
में रहेगा ? अत कृत्स्न या एकदेश दोनों रूपसे अवर्तमान होनेके
कारण अवयवी है ही नहीं” ऐसा कहना भी यण्डित हो जाता है ।
वर्णोंकि परमाणुकी वर्तमानताके समान ही अवयवीकी भी वर्तमानताका
योगक्षेम है । अर्थात् यही प्रश्न एक परमाणुका अन्य परमाणुओंके साथ
संयोग होनेके बारेमें भी फिया जा सकता है कि “परमाणु सम्पूर्णरूपसे
सम्पद्ध होता है या एकदेशरूपसे ? यहाँ यदि उत्तर दो कि एक परमाणु-
में कृत्स्न और एकदेशका विकल्प ही नहीं सम्भव है, तो वैसे ही एक
अवयवीमें भी कृत्स्न और एकदेशका विकल्प नहीं कर सकते ।

अस्तु तदिं चित्रे नीलानीलादिविरोधः । न हि तदेकं रूपम्, चित्रत्वविरोधात् । नाप्यनेकम्, एकावयविसमवायविरोधात् । न चानेकं व्यापकम्, तथानुपलभ्वविरोधात् । न चाण्डापकम्, स्वामावग्निदेशजातीयत्वविरोधात् । अन्यथा विरोधादिरोधव्यवस्थाविरोधात् । न चारूप एवामयवी, चाकुपत्त्वविरोधादिति चेत्त—

चित्रत्व हि नानात्वं वा मिथोविरुद्धनानाजातिसमवायं

पूर्वपक्ष—विभिन्न वर्णवाले त तुओंसे घने चित्रपटमें तो नीलअनील आदि विरुद्ध धर्मोंका समावेश होनेसे वह एक अवयवी नहीं सिद्ध हो सकता^१ है । कारण, उस पटमें एक रूप नहीं है । क्योंकि नानारूप ही चित्रपदार्थ है । एकरूप होनेपर वह चित्र नहीं हो सकेगा । उस चित्रपटमें अनेकरूप भी नहीं मान सकते, क्योंकि एक अवयवीमें नानारूपों का समवाय (सम्बन्धविशेष) नहीं हो सकता है । यह भी नहीं हो सकता कि उसमें अनेकरूप हैं और वे सभी व्याप्यवृत्ति हैं । अर्थात् सभी अवयवोंमें व्याप्त होकर रहते हैं । क्योंकि वहा अवयवीके सभी अवयवोंमें विजातीयरूपों की उपलब्धि नहीं होती है । यह भी नहीं हो सकता कि उसमें रहनेवाले अनेक रूप अव्याप्यवृत्ति हों । क्योंकि रूप उस वस्तुकी जातिके हैं, जो वस्तु अपने अभाववाले देशसे भिन्न देशमें रहती है । अर्थात् रूप और रूपाभाव दोनों एकत्र नहीं रह सकते इसलिये वह अव्याप्यवृत्ति नहीं हो सकता है । यदि अव्याप्यवृत्ति मानकर रूपाभावके साथ रूपको वर्तमान माना जाय तो सासारमें विरोध और अविरोधकी व्यवस्था ही विलीन हो जायगी । यह भी नहीं हो सकता कि जैसे गुणविरोधके कारण हरीतकी नीरस ही होती है, वैसे ही गुणविरोध होनेसे चित्रपट भी नीरूप ही हो । क्योंकि चित्रपट यदि नीरूप हो तो उसका चाकुप प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकेगा ।

समाधान—यह आक्षेप नहीं हो सकता है । क्योंकि 'चित्र पट.'

^१ सामाधरूपसे अवयवीमात्रके स्वरूपनके लिए दिये गये सूर्योत्त पौन विरोधीका परिवार, वर, डिग्रे, जातेश्वर, पनु, गूप्तश्वी, त्रिपापुरात्मिश्वान अवयवीके सम्बन्धमें आक्षेप करता है ।

वाऽमिप्रेत्य यदि एकत्वाभ्युपगमे विरोध उद्भाव्यते, तदैवमेतत्, न तु तथाऽभ्युपगमः । न सखनेकत्वं चित्रत्वम्, शुक्लेष्य-प्यनेकेणु चित्रप्रत्ययप्रसङ्गात् । नाप्येकस्मिन् विस्फूलानेक-जातिसमवायः, विरोधेनैव निराकृतत्वात् । अपि तु नील-त्वादिवत् चित्रत्वमपि जातिविशेष एव । स चाययवचृत्तिवि-जातीयरूपसमाहाराभिव्यङ्ग्यत्वाद्यैकरूपावयवसहितस्यावय-विन उपलभ्मेऽप्युपलभ्यते । अत एव ज्यगुके चित्रेऽपि चित्र-प्रत्ययो न कदापि ।

यह प्रतीति नानारूपोंको विषय करती है, यह मानकर, अथवा नीलत्व-पीतत्व आदि परस्पर विरुद्ध नाना जातियोंसे युक्त एक रूपको विषय करती है, यह मानकर यदि मैं एक अवयवीसिद्ध करता और विरोधकी उद्भवना की जाती, तर उक्त आक्षेप हो सकता था । किन्तु मैं वैसा मानता नहीं । अर्थात् मेरी मान्यताके अनुसार चित्रत्व एक स्वयं जाति है । उससे युक्त चित्ररूपगले अवयवी को ही वह प्रतीति विषय करती है । अतः उसमें विरोधकी गन्व भी नहीं है । कारण अनेक रूपका होना चित्रत्व नहीं है । वैसा होनेपर केवल अनेक शुक्रोंके रहनेपर भी चित्रप्रतीति होने लगेगी ।

एसरूपमें नीलत्वपीतत्व आदि अनेक विरुद्ध जातियोंका समवाय भी चित्रत्व नहीं है । क्योंकि विरोधके कारण ही यह घण्ठित है । किन्तु नीलत्व पीतत्व आदिकी तरह चित्रत्व भी एक जातिविशेष है, और वह जाति अवयवीमें वर्तमान विजातीयरूपोंके सम्मेलनसे व्यद्यय होती है । इसीलिये जिस अवयवीमें उपलब्धि केवल घबलरूपव्याने एकभागके साथ होती है, यहा उस अवयवीमें चित्रत्वकी उपलब्धि नहीं होती है । कारण, घबलसे विजातीयरूपवाले परभागके अवयवकी भी साथ साथ उपलब्धि नहीं होनेसे उस अवयवीमें चित्रत्वजातिकी अभिध्यक्ति ही नहीं हो पाती है । इसीलिये ज्यगुके चित्र होनेपर भी उसमें चित्रत्व-प्रतीति कभी नहीं होती है । क्योंकि विजातीयरूपव्याले उसके अवयव-भूत द्वयगुक स्वयं अटरय हैं ।

तथाप्यचिन्ते पार्थें चित्रप्रत्ययो मा भृत्, धबलप्रत्ययस्तु कुरु इति चेत्, अवयवरूपसञ्चारेणावयविनोऽपि तथा प्रत्ययात्। अत एव यत्रावयवरूपं न प्रत्यक्षं तत्र त्रसरेणावेतदपि नास्ति, हश्यमेव (वा) हालोकरूपमारोप्य पिञ्जरस्त्रसरेणु-रालोक्यते।

स्यादेतत्, यदि चित्रत्व नाम जातिविशेषः, वर्थं तद्विविद्यजातीयरूपसमाहारमात्रे चित्रत्वप्रत्यय^१ इति चेत्, न वै नीलधनलालुणेषु पटेषु क्षचिदपि कार्युरार्थ^२ शित्रप्रत्ययः

पूर्वपक्ष—फिर भी जिस अवयवीका एक पार्थ अचित्र है अर्थात् धबल है, वहा अवयवीमें चित्रकी प्रतीति भले ही न हो परन्तु उसमें धवलत्वकी प्रतीति भा किसे होगी?

समाधान—इस शब्दाका यही उत्तर होगा कि वहाँ एकभागीय धबल अवयवके धबलत्वसा ही सम्पूर्ण अवयवीमें आरोप हो जानेसे एक भागसे देखनेवालेको सम्पूर्ण अवयवी ही धबल मालूम पड़ता है। इसी लिये जहाँ अवयवरूपकी विलक्षण ही प्रतीति नहीं होती, वहा त्रसरेणुमें अवयवगत धबलरूपका आरोप भी नहीं होता। त्रसरेणुमें जो भूरापन की प्रतीति होती है, वह अवयवगतरूपके आरोपसे नहीं होती, क्योंकि अवयवगतरूप स्थय अदृश्य है। किन्तु हश्यमूल आलोकके रूपका ही त्रसरेणुमें आरोप होनेसे वह भूरा मालूम पड़ता है।

‘अत्तु, विभिन्नरूपवाले अवयवोंसे उत्तम अवयवीम अभिष्ठयक्त चित्रत्व यदि एक जातिविशेष है, तो नहीं किसी अवयवीकी उत्पत्ति नहीं होती है, किन्तु विहङ्गजातीय रूपोंका समाहार भर है वहाँ चित्रत्वकी प्रतीति किसे हाती है’^१। एसा यदि प्रश्न करो तो यही उत्तर होगा कि नाल, धबल और अरण पटोंकी ढार जहा इकट्ठी है, वहाँ कही भी किसी को भी कद्युर अर्थमें चित्रशब्दका व्यवहार या चित्रकी प्रतीति नहीं ही

^१ चित्रप्रत्यय इति २ पु० पा०

^२ वा ये याये इति ३ पु० पा०

कस्यापि । वैधर्म्यनिमित्तस्तु केन वार्यते ? चित्रशब्दस्याक्षादिपदवदनेकार्थतात् ।

नीलपीतादिपु मिथः संसुष्टेष्वनारव्यद्रव्येष्वपि कर्तुरप्रत्ययो भवतीति चेत्, सत्यम्, द्रव्यान्तरोत्पादाभिमानात् स्थौर्यातिशयप्रत्ययवदुपपत्तेरिति ।

अस्तु तदिं परमाणुनिष्ठत्वे सर्वविलोपः । तथादि,
यहुमिः परमाणुभिः संसृज्यमानः परमाणुः प्रत्येकं किमेक-
देशेन संयुज्यते ? कात्स्त्वयेन वा ? प्रकारान्तराभावात् ।

होती है । यहां पर वैलक्षण्य-अर्थमें चित्रशब्दका प्रयोग या चित्रप्रतीति को कौन रोकता है ? क्योंकि अक्ष आदि पदोंके समान चित्रशब्द भी अनेकार्थक हैं ।

यदि कहो कि—नीलपीतादि जहां परस्परमें मिले भर हैं किन्तु किसी द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं हुई है, वहांपर भी कर्तुरपदका प्रयोग तथा कर्तुरकी प्रतीति भी होती ही है—तो ठीक है, यहां द्रव्यान्तरकी उत्पत्तिके भ्रमसे ही ऐसा होता है । जैसे, धानकी राशिमें किसी द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति नहीं होनेपर भी उसमें स्थूलताका व्यवहार और अतीति अन्य स्थूलद्रव्यकी उत्पत्तिके भ्रमसे हो जाती है । अर्थात् उक्त स्थूलमें कर्तुरप्रतीति भ्रमात्मक है, यथार्थ नहीं ॥

परमाणुनिराकरणप्रणाली

यदि कहो कि—उक्त प्रकारसे अवयवीका निराकरण न हो सकतेपर भी परमाणु निराकरणसे ही अवयवी आदि सभी बाह्यपदार्थोंका खण्डन हो जायगा । अर्थात् अवयवी तभी सिद्ध होगा, यदि उसका मूल कारण परमाणु सिद्ध हो । किन्तु परमाणु ही असिद्ध है । क्योंकि अवयवीके निर्माणार्थ परमाणुओंको परस्परमें संस्पर्श मानना पड़ेगा । ऐसी परिस्थिति में यहुत परमाणुओंसे सम्बद्ध होना हुआ एक परमाणु क्या प्रत्येकके साथ अपने एक मांगसे संयुक्त होता है ? अथवा सम्पूर्णरूपसे ? कारण,

न प्रथमः, तस्यैकदेशाभावात्, भावे वा परमाणुत्वव्याधात्। न द्वितीयः, परमाण्वन्तरेणासंसर्गप्रसङ्गात्। न इस्ति सम्भवः, एकत्रैव परिसमाप्तवृत्तिरन्यत्र एषि वर्तते हैं।

न, बुद्ध्या समानयोगलेमत्वात्। तथाहि, बुद्धिरपि सन्तमसन्तं वाऽनेकं विषयमालम्बमानाऽत्तमारं वा विभ्रती कात्स्येन वा ? एकदेशेन वा ? न प्रथमः, पीतादिविषया कारविलोपप्रसङ्गात्। न इस्ति सम्भवो नील एव विषय आः एव वा परिसमाप्ताऽत्मा पीतादिसम्पृक्ताऽत्मा चेति।

न द्वितीयः, तदभावात्। एवमनाकारत्वमविषयत्वं च

इन दोनों प्रकारोंसे अतिरिक्त तीसरा प्रकार नहीं हो सकता। इनमें प्रथम पक्ष नहीं हो सकता है। क्योंकि परमाणुमें भाग होता ही नहीं है। यदि उसमें भी भाग हो तो वह परमाणु ही नहीं हो सकता है। द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है। क्योंकि एक परमाणुके साथ उसका संसर्ग नहीं हो सकेगा। कारण, यह सम्भव नहीं है कि एक ही जगह जिसकी वृत्ति (रहना) परिसमाप्त हो चुकी हो, वह दूसरी जगह भी रहे। अर्थात् उक्त युक्तिसे परमाणु भी असिद्ध ही है और विज्ञानमात्र ही वत्त्व है—

तो ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि विज्ञानके समान ही इसका भी योगदेश है। क्योंकि बुद्धि भी सत् या असत् अनेक विषयको अपना आलम्बन बनाती हुई अथवा अनेक आकारको धारण करती हुई अपने सम्पूर्णरूपसे वैसा करती है ? अथवा अपने एक भागसे ? यहाँ प्रथम पक्ष नहीं हो सकता है। क्योंकि नीलावगाहिनी बुद्धि यदि सम्पूर्ण रूपसे नीलालम्बन हो अथवा नीलाकारको धारण करे तो पीतादिविषयरूप आकारोंका विलोप हो जायगा। कारण, यह कथमपि सम्भव नहीं है कि नील आदि विषय या आकारमें बुद्धिका स्वरूप समाप्त भी हो जाय तथा पीतादि विषयोंसे सम्पूर्ण भी रहे।

दूसरा पक्ष भी नहीं हो सकता है। क्योंकि बुद्धिके निरवयव होने-से उसका पक्षदेश ही असंभव है। यदि कहो कि—उक्त प्रकारसे

बुद्धेरिष्यत् एवेति चेत्, तत् किं यत् प्रतिभासते तदसत् ? आहोस्त्वित् न प्रतिभासत एव किञ्चित् ? नायः, असत्यपि नीलपीतादौ ज्ञानवृत्तिविकल्पस्य तदवस्थत्वात् । नहि कृत्स्नमेव विज्ञानं नीलोल्लेखि, पीताद्यनुल्लेख॑ प्रसङ्गात् । नायि तदेकदेशः, तदभावादित्युक्तत्वात् । न द्वितीयः, वाह्येऽपि वृत्तिविकल्पस्यानुपदत्तेरिति ।

स्यादेतत्, निःशेषसमुदायी कृत्स्नशब्दस्यार्थः समुदाये कथिदेव समुदायेकदेशपदार्थः, न च बुद्धिः समुदायस्वभावा,

बुद्धिमें आपादित आकारहीनत्व या विषयशून्यत्व इष्ट ही है—तो वताओ कि बुद्धिमें जो भासित हुआ करता है, वह असत् है ? या कुछ भासित ही नहीं होता है ? यहाँ प्रथम पक्ष नहीं हो सकता । क्योंकि नीलपीतादि विषय यदि असत् भी हो, तो भी उसके साथ ज्ञानके सम्बन्धके बारेमें दिया गया उक्त विकल्प यथापूर्व ही रह जाता है । कारण, सम्पूर्णरूपसे विज्ञान (बुद्धि) नीलविषयका उल्लेख नहीं कर सकता है । क्योंकि विज्ञान नीलका भान करानेमें ही परिसमाप्त रहेगा, अतः पीतादि विषयका भान नहीं हो सकेगा ।

यह भी नहीं हो सकता कि—विज्ञान अपने एक भागसे नीलको भासित करे और दूसरे भागसे पीतादिको, क्योंकि निरवय होनेसे उसमें एक देश ही नहीं होता, यह कहा जा चुका है । विज्ञानमें कुछ भासित ही नहीं होता, यह दूसरा पक्ष भी नहीं हो सकता है । क्योंकि अवयवीरूप वादके बारेमें भी पूर्वोक्त वृत्तिका विकल्प नहीं वे सकोगे । अर्थात् जब वाद्य यस्तु ही असिद्ध है तो “यह सम्पूर्णरूपसे परमाणुमें रहेगा या अपने एक अशासे ? इस प्रकारका पूर्वमें दिया गया विकल्प ही अनुपपत्त होगा ।

पूर्वपक्ष—अस्तु, कृत्स्नशब्दका अर्थ है “समुदायान्तर्गत सभी समुदायी” तथा एकदेशपद का अर्थ है “समुदायान्तर्गत कोई एक ही समुदायी” । प्रकृतमें बुद्धि तो समुदायरूप है, कारण, वह एकात्मक

तस्या एकरूपत्वात्, तत्^१ कुतः कृत्स्नैकदेशविकल्पोत्थानम् । कथं तहि वद्विषयिणी तदाकारवर्ती चा ? प्रकारान्तराभावादिति यदि, तदा स्मरुपेणेति व्रूपं हति चेद्—स्फुटं निरटक्षि तार्किकनेदिकाविटक्षेन केवलमस्मभ्यभाव्यसूयता दूरमन्तरेति ।

एतेन तदत्तदेशत्वं निरस्तम् । तथाहि बुद्धिर्लिकारता परिच्छिन्ददध्यक्षं तदभावव्यवच्छेदमुखेन तदग्निभूतां पीताद्याकारतामपि व्यवच्छिन्द्याद् । तथा च कथमेका बुद्धिर्लि-

है । अत बुद्धिके सम्बन्धमें पूर्वोक्त प्रकारसे कृत्स्न (सम्पूर्ण) या एकदेशका विकल्प किसे उठ सकता है ? । यदि पूर्वोक्त—कृत्स्न या एकदेशके अतिरिक्त किसी तत्त्वीय प्रकारके नहीं होने से इन दोनोंके अभावमें बुद्धिघ नीलादिको अपना विषय किसे बता सकेगी ? अथवा यह नीलादि आकारवाली किसे हो सकेगी ? तो यही कहाँग कि सम्पूर्ण या एकदेश विकल्पके विना ही स्वरूपसे ही बुद्धिघ नीलादि विषयिणी चा नीलादि आकारवाली होगी ।

बत्तरपक्ष—इस प्रकारसे वौद्य यदि बुद्धिसम्बन्धी विकल्पका समाधान करे तो निश्चय ही ताकिकोके स्थानपर पहुँचा हुआ बोद्धधूर्तने हमारे साथ केवल असूयावश दूर जाकर अर्थात् अपने ऊपर आये दोषके निराकरणके अवसरपर यह बात कही । अर्थात् हमारा अवयवी भी कृत्स्न या एकदेश विकल्पके विना ही स्वरूपसे ही अवयवोंमें रहेगा, इस बातको पहले नहीं समझते हुए यहुत बाद तब समझा, जबकि उसकी बुद्धिके बारेमें भी यही कृत्स्न या एकदेशका विकल्प नैयायिकोंकी ओरसे उपस्थित किया गया ।

इससे (पूर्वोक्त बुद्धिरूप प्रतिवन्दिके द्वारा) परमाणु तथा अवयवीमें भी तददेशत्व और अतददेशत्वका विरोध स्पष्टित हो गया । क्योंकि एकदेशमें सम्बद्ध परमाणु थीं अवयवीका देशान्तरमें सम्बन्ध होनेमें यदि विरोध हो तो बुद्धिमे नीलाकारताका अनुभव करतेवाला प्रत्यक्ष उसके नीलाभावासारताके निषेधद्वारा नीलाभावसे नियमत सम्बद्ध

पीताद्याकारा स्यादिति तुल्योऽनुयोगः ।

भवेदेवं यदि नीलाद्याकारतायाः पीताद्याकारत्वाचिनाभावः स्पात्, स एव तु कुतः ? नीलपीताद्याकाराया बुद्धेरैऽत्म्येनैव निश्चयाद् । प्रत्याकारनियतत्वे चित्रप्रतिपत्तेष्ट्वप्यनुपत्तिरिति चेत्, वदेतत् तुल्यं परमाणवयव्यादिष्वपि । न हि तत्राप्यनेकपरमाणुसंसृष्टस्य परमाणोरनेकार्थयवसंसृष्टस्याद्यविनो वा नैकात्मताऽनुभूयते, तथात्वे वा एकस्यानेकसंसर्गप्रतिपत्तिः कदापि न स्यादिति तुल्यैवार्थगतिः । वाचि वैचित्रं तु कोपयुज्यत इति ।

पीताद्याकारताको भी बुद्धिमें नहीं होने देगा । ऐसी परिस्थितिमें एक बुद्धि नील-पीत आदि अनेक आकारवाली कैसे हो सकेगी ? इस प्रकार परमाणु और अवयवीके ऊपर दिया गया दोष मुल्यहृपसे आपकी बुद्धि पर भी आ ही जाता है ।

यदि वहो कि—बुद्धिमें यह दोष तत्र आता यदि बुद्धि प्रत्येक आकारके साथ अलग अलग नियत रहती तथा नीलाकारताका पीताकारताके अभावके साथ नियत सम्बन्ध रहता । किन्तु उक्त दोनों ही वार्ते यहाँ वहाँ हैं ? क्योंकि नीलपीत आदि अनेक आकारको एकत्राथ घारण करनेवाली बुद्धिमें नील-पीतके भिन्न होनेसे भिन्नता नहीं मानते किन्तु उसमें एकात्मता (एकत्रूपता) ही मानते हैं । कारण, नीलपीत आदि प्रत्येक आकारके साथ अलग अलग यदि बुद्धिको नियत माना जाय तो चित्राकारप्रतीति ही नहीं हो सकेगी—तो यह थात परमाणु और अवयवीमें भी समान ही है । क्योंकि वहाँ भी अनेक परमाणुओंसे संयुक्त परमाणुमें या अनेक अवयवोंमें आकृति अवयवीमें एकात्मताका अनुभव न होता हो ऐसी वात नहीं है । यदि उक्त स्थलोंरर परमाणु और अवयवीमें एकात्मताका अनुभव न हो तो एकमें अनेकके साथ संसर्गकी प्रतीति कभी न हो सकेगी । अर्थात् एक सपक्षमें साध्य-साधनरूप अनेकका संसर्ग (सामानाधिकरण्य) भी न हो सकेगा तथा अनुमानमात्रका वर्णणेद् हो जायगा । इस प्रकार बुद्धिय और परमाणु तथा अवयवी आदिकी समान ही गति है । केवल

सयोगव्यवस्थापनेनैव पट्केन युगपद्योगात् दिग्देशभेदा-
च्छायावृतिभ्याभित्यादयो निरस्ता ।

कथनमें ही वैचिच्छा है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। अर्थात् कथन मात्र को विचित्रतासे दोनोंकी तुल्यगति होनमें कोई वाधा नहीं है।

बुद्धिके समान परमाणुका भी स्वरूपसे ही अनेक परमाणुओंके साथ सयोगकी उपस्थिति कर दनेसे ही—

‘पट्केन युगपद्योगात् परमाणो पदशता ।

दिग्देशभेदतरच्छायावृतिभ्यां चापि चाशता’ ॥

इस कारिकाके अनुसार बौद्धोद्वारा उपस्थित किये गये परमाणुबाधक प्रमाण भी खण्डित हो जाते हैं ।

१ एक परमाणुका अपने पूर्व, पश्च, उत्तर, दक्षिण, ऊपर तथा नीचे रहने वाले ही परमाणुओंके साथ एकसाथ ही सयोग होनेसे उस परमाणु-मध्य मांग चिढ़ होते हैं। एव यह पूर्वीय परमाणु है, यह पश्चिमीय परमाणु है इस प्रकारका दिशाभेद भी परमाणुकी सावयव सिद्ध करता है। वयोंकि सधन सावयव घटपटादिमें ही पूर्वीय पश्चिमीय आदिका व्यवहार होता है। एव परमाणुके मूर्तिगान हनेसे उसके द्वारा छाया तथा आवरण अवश्य पदा होगे, इसलिये भी परमाणु सावयव सिद्ध होता है। वयोंकि लोकमें सावयव द्राय ही छाया और आवरण पदा करते हैं। अत इन पूर्वोक्त हेतुओंसे परमाणुको भी अवयव होना सिद्ध होता है।

किन्तु बौद्धोद्वारा दी गयी यह परमाणुबाधक युक्तियाँ ठीक नहीं हैं। वयोंकि परमाणुका सयोग अनेक परमाणुओंके साथ नहीं होता किन्तु परमाणुके इहगिर अनेक दिशाओंके साथ ही होता है। अत अनेक सयोगके आधारपद परमाणुके सावयव होनेका कोई प्रश्न ही नहीं है। एव पूर्वीय पश्चिमीय आदि व्यवहार भी दिशाभेदोंके कारण होता है न कि परमाणुके सावयव होनेके कारण। वयोंहि इसी बड़े दण्ड आदिने, उसके सावयव होनेपर भी उसके मध्यभागकी अपेक्षा करके, पूर्वीय पश्चिमीय आदि व्यवहार नहीं होते हैं। इसी प्रकार परमाणु द्वारा छाया और आवरणका होना भी उसके सावयव होनेसे नहीं किन्तु

परमाणुसिद्ध्यसिद्धिभ्या मेव मूर्त्त्वादयो निरवकाशिताः।
आकाशब्यतिभेदादयस्त्वसमाविता एव ।

सर्वत्र चात्र हेतुदशायां प्रतिज्ञापदयोर्व्याघातः, कालात्य-

नैश्यायिकाभिमतं परमाणुको भी सावयव सिद्ध करनेवाले मूर्त्त्व आदि हेतु भी परमाणुकी सिद्धि या असिद्धि दोनों ही स्थितियोंमें अनु-पयुक्त हैं। अर्थात् “परमाणवः सावयवा, मूर्त्त्वात्, रूपवर्त्वात्, स्पर्शवर्त्वात्-घटादिवत्” इस अनुमानद्वारा परमाणुको भी सावयव सिद्ध करनेका यही अभिप्राय है कि निरवयवात्मक परमाणु होता ही नहीं है। किन्तु यदि परमाणु असिद्ध है, तो उक्त अनुमानका पक्ष ही असिद्ध हो गया। अतः आश्रयासिद्धिरूप दोपसे प्रस्तु होनेके कारण मूर्त्त्वादि हेतु सावयत्वके साधक नहीं हो सकते। और यदि आश्रयासिद्धिरूपदोपसे बचनेके लिये परमाणुको पक्षरूपमें सिद्ध माना जाय तो लाघव तथा अनवस्थाप्रसङ्गरूप तर्कोंके आधारपर वह निरवयव भी सिद्ध हो जाता है।

परमाणुके भीतर आकाशका सम्बन्ध मानते हुए परमाणुको सावयव सिद्ध करना तो अत्यन्त असम्भव है। अर्थात् “परमाणुके भीतर आकाश है? या नहीं? यदि है तो परमाणु सावयव सिद्ध हो गया। यदि नहीं है तो आकाशकी व्यापकता खण्डित हो जाती है।” यह आज्ञेप तो बिलकुल असम्भव है। क्योंकि परमाणुके निरवयव द्वोनेसे उसमें अभ्यन्तर होता ही नहीं, अतः उसके भीतर आकाश कैसे रह सकता है? इससे आकाशकी व्यापकतामें भी कोई क्षति नहीं आती है। क्योंकि ‘सर्वमूर्त्त्वसंयोगित्वं व्यापकत्वम्’ इस लक्षणके अनुसार सभी मूर्त्त द्रव्योंके साथ सयोग होनेके कारण आकाश व्यापक फूहाता है। परमाणुमें मध्यमांग नहीं होनेपर भी उसके साथ आकाशका संयोग है ही।

एव, पूर्वोक्त सभी अनुमानोंकी दशामें “परमाणुः सावयव” इस प्रतिज्ञावाक्यान्तर्गत परमाणुपद और सावयवपदमें परस्पर विरोध हो

मूर्त्त होनेके कारण ही है। अतः उक्त हेतु परमाणुको सावयव सिद्ध करनेमें सुर्वेषा अपुर्याप्त है।

यापदेशश्च । प्रसङ्गदशायामाथ्र्यासिद्धिर्व्यप्त्यसिद्धिश्च दृष्टा-
न्तासिद्धेः । अनवस्थालक्षणविपरीततर्कस्य तदुपष्टम्भकर्तया
त्रुटेरप्रमेयत्वप्रसङ्गस्य च विद्यमानत्तान् ।

न च प्रलयः परमाणोः, असच्चसाधकस्य प्रमाणस्याभा-
वात्, सावयवत्यापादकानां च हेतुनामनवस्थोत्थापकत्वा

जाता है । क्योंकि यदि परमाणु है तो उसे सावयव कहना विरुद्ध होगा,
और सावयव हो तो उसे परमाणुरद्देश नहीं कहा जा सकता है । तथा
उक्त अनुमानोंमें कालात्ययापदेश (बाध) दोप भी है । क्योंकि पक्षके
रूपमें परमाणुको मानना आवश्यक होगा । अतः धनिमाहक मानके
बलसे ही उसका निरवयवत्व भी सिद्ध ही है । इसलिये सावयवत्व सिद्ध
करनेवाला अनुमान बाधित है ।

एव प्रसङ्गदशामें आश्रयासिद्धि और व्याप्त्यसिद्धि भी होगी ।
अर्थात् यह प्रसङ्ग (आपत्ति) दो कि “यदि परमाणु निरवयव हो तो
मूर्त नहीं होगा, अनेक परमाणुओंसे एक साथ सयुक्त नहीं हो सकेगा
तथा उसकी छाया नहीं हो सकेगी या आवरण नहीं कर सकेगा
इत्यादि” तो यदै परमाणुरूप आश्रयके नहीं माननेपर उक्त प्रकारके
प्रसङ्ग आश्रयासिद्धिदोपसे प्रस्त हो जाते हैं । एव दृष्टान्तके सिद्ध
न हो सकनेसे व्याप्तिभी भी असिद्धि है । अर्थात् विज्ञानवादीके
मतानुसार परमाणुकी असिद्धिके साथ साथ सभी बाह्य वस्तु भी असिद्ध
है, किर सावयव क्षत्रुके रूपमें कोई अन्वयी दृष्टान्त तथा निरवयव
वस्तुके रूपमें कोई व्यतिरेकी दृष्टान्त क्या होगा ? और दृष्टान्त के
अभावमें व्याप्तिका ज्ञान कहाँ हो सकेगा ?

एव अनवस्थालक्षण प्रतिकूल तकके सहारे त्रसरेणमें भी अनन्त
अवयवकी सिद्धि हो जानेसे त्रसरेणु और मेह पर्वत दोनों समान
परिमाणवाले हो जायेंगे तथा मेरुके समान त्रसरेणु भी अमेय अर्थात्
मापके बाहर ही जायेंगे ।

यह भी नहीं कह सकते कि—अवयवधाराकी विश्रान्ति मेहसर्वपके
साम्यप्रसङ्गरूप दोपके कारण, निरवधि भले ही न हो, किन्तु परमाणुमें
भी उसकी अन्तिम विश्रान्ति नहीं हो सकती है, तथा परमाणुका विनाश

दिति । तदन्य एवायं परमाणु रक्तबीजो यस्य भागा^१
युक्तिचामुण्डोदरमपि भित्त्वा निष्पतन्तीति ।

न च कल्पिताश्रयाः कल्पितप्रतिबन्धाश्च ग्रसङ्गा भविष्य-
न्तीति युक्तम्, इ(स्ते)च्छाकल्पितेन च्यवहारेण सर्वेविधिनिषेध-

ही अवयवधाराको अन्तिम अवधि है । इस प्रकार परमाणुके विनाशी
होनेसे भी जैवायिकोंका अभिमत नित्य परमाणु नहीं सिद्ध हो सकेगा—
वारण, परमाणुका विनाश सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है । क्योंकि
ज्वसके व्रति समवायिकारण और असमवायिकारणना नाश निमित्त होता
है । यहाँ परमाणुका कोई समवायिकारण ही नहीं होता, जिसके नाशसे
परमाणुका नाश हो जाय । समवायिकारण नहीं होनेसे तत्सम्बन्धरूप
असमवायिकारण भी सुवर्ण नहीं हो सकता । अतः असमवायिकारणके
नाशद्वारा भी परमाणुका नाश नहीं हो सकता । इसलिये नित्य परमाणु
के होनेमे कोई वाधा नहीं है ।

यदि कहो कि—मूर्त्तिं आदि हतुओंके द्वारा परमाणु सावयव सिद्ध
होगा तथा सावयव होनेके कारण परमाणुमे विनाशित्य सिद्ध हो
जायगा—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि सावयवस्थको सिद्ध करने
याले हेतु अनवस्थाके उत्थापक हो जाते हैं । अर्थात् मूर्त्तिं आदि हेतु
अनवरिथतरूपसे परमाणुमे अनन्त अवयवकी धारा सिद्ध करेंगे न कि
परमाणुका विनाश । इस प्रकार यह एक विलक्षण ही परमाणुरूपी रक्त-
बीज है, जो तुम्हारी युक्तिरूपी चामुण्डाके उदरका भी भेदन करके पुनः
परमाणुरूपमे निकल पड़ता है; अर्थात् चामुण्डादेवीके द्वारा रक्तबीज
नामक असुरके निगल लिये जानेपर भी पुनः नहीं पैदा हो सकता । किन्तु
यह परमणुरूपी रक्तबीज तो उससे बढ़कर है, जिसका उष्णहन करनेके
लिये तुम्हारी युक्तियों जैसे जैसे सावयवस्थ सिद्ध करती है, वैसे वैसे
उन युक्तियोंद्वारा सिद्ध किया हुआ अवयव ही परमाणु बन बैठता है ।

यहाँ यह कहना भी उचित नहीं है कि—असत्त्वातिसे उपनीत
काल्पनिक परमाणु ही उक्त प्रसङ्गोंमें आश्रय होगा तथा काल्पनिक बाह्य
पदार्थ ही उक्त प्रसङ्गोंमें अन्वयी एवं व्यतिरेकी दृष्टान्त होंगे । इसलिये

१. भेदा इति २ पु० पा० ।

व्यवहारविलोप' प्रसङ्गात् । लोकव्यवस्थापेक्षणे तु चद्वि-
रोधेनोत्तरस्य निषेध (क) स्यात्मलाभाभावादित्यसकृदविव-
दितत्वात् ।

अन्यथा सर्वमेतद् बुद्धिपि समानम् । सापि हि पट्केन
युगपद्योगादिभिः सावयवा प्रसज्येत । तस्यामसिद्धास्त इति
चेत्र, अनुमानमिद्वत्तरात् ।

तथाहि, बुद्धिः पट्केन युगपद्योगिनी मूर्तिमती च,

आश्रयासिद्धि या व्याप्त्यसिद्धि दोष नहीं आ सकता है—क्योंकि अपनी
इच्छाद्वारा कल्पित मनमाने अनुमानव्यवहारसे तो सभी विधि तथा
निषेधव्यवहारोंका लोप होने लग जायगा ।

यदि कहो कि—विधिनिषेधव्यवहारका भी आधार लौकिक व्यवस्था
है, अत वास्तविकता नहीं होनेपर भी लोकव्यवस्थासे नियन्त्रित होनेके
कारण विधि-निषेधव्यवहारोंमें कोई गडबडी नहीं होगी—तब तो लौकिक
व्यवस्थासे विरुद्ध होनेके कारण परमाणु अवयवी आदि वाह्यवस्तुओंका
भी निषेध नहीं हो सकेगा, यह बात अनेक बार बता दी जा चुकी है ।
अन्यथा अर्थात् लोकव्यवस्थाकी उपेक्षा करते हुए यदि वाह्यवस्तुओंका
निषेध करो तो उक्त सभी प्रसङ्ग तुम्हारी बुद्धि (विज्ञान) के बारेमें भी
समानहृतसे दिये जा सकते हैं । क्योंकि वह भी “पट्केन युगपद्योगात्”
इत्यादि हेतुओंसे परमाणुके समान ही सावयव होने लगेगी ।

यदि कहो कि—उक्त हेतु बुद्धिमे असिद्धि (स्वरूपासिद्धि) है—
तो ऐसा नहीं वह सकते । क्योंकि अनुमानद्वारा वे बुद्धिमे सिद्धि हैं ।
जैसे “बुद्धिध छः” के साथ एक साथ सम्बद्ध है तथा मूर्तिमती भी है,
क्योंकि उसमें सच्चा है या वह व्यवहारका विषय है, जैसे, “बोध्यपदार्थ”
इस प्रकारका अनुमान किया जा सकता है ।

यदि कहो कि—बुद्धिरूप धर्मीका ग्रहण करानेवाला जो प्रमाण है,
वही बुद्धिमी सिद्धिधके साथ साथ उसके पट्क्योगित्व और मूर्तिमत्वके

सत्त्वाद् च्यवहर्तव्यत्वाद् वा, बोद्धवदिति शक्यते । विपर्यय-
स्यापि धर्मिग्राहकमानसाधित्वादनवकाशमिदमिति चेत्, एव-
मन्यत्र । पि प्रतिसन्दधीथा इत्येषा दिक् ॥

अन्यस्तु चक्षुपी निमीलय निर्भयीभवितु मिञ्छन्नाह-अस्तु
तद्विद्वेरपि विलोप इति ।

अब तु कि वक्तव्यं यत्र हेत्वादिव्यवहारो नास्ति ।
अस्तु, परं सांख्यत इति चेत्, भवेदेवं यदि संवृतिरपि परमार्थ-

अभावकी भी सिद्धिं करा देगा । अबः बुद्धिमें पट्कसम्बन्ध और
मूर्तिमत्ताका यह अनुमान निरुपयोगी होगा—तो इसी प्रकार परमाणु और
अवयवीके वारेमें भी समझो । अर्थात् धर्मिग्राहक मानसे परमाणु
सिद्ध है । क्योंकि परमाणुरूप धर्मी न हो तो हुम सावयवत्वका अनुमान
किस पक्षमें कर सकोगे । इसी प्रकार परमाणुका निरवयत्व भी लाघव
और अनवस्थाप्रसङ्गरूप सर्वके आधारपर साथ ही सिद्ध है । यह
परमाणुसम्बन्धी विचारका दिग्दर्शनमात्र हुआ ।

शून्यवादका खण्डन

दूसरा बीद्व माध्यमिक तो ओरें मूँदकर भयसे मुक्त होना चाहता
हुआ कहता है कि—बुद्धिरूप प्रतिविनिदिका सदाचार लेकर परमाणु और
अवयवीके सम्बन्धमें दिये गये विकल्पोंका उच्चार नैयायिक नहीं कर
सकता है । क्योंकि सर्वशून्यत्ववादके अनुसार बुद्धिकी भी (विज्ञानकी
भी) सत्ताजा लुप्त होना ही अभीष्ट है । अर्थात् चाहारस्तुओंके समान
विज्ञान भी असत् ही है—किन्तु इस मतके सम्बन्धमें क्या कहना है,
जहाँ हेतु पक्ष, दृष्टान्त आदिका व्यवहार भी असत् है । अर्थात् सभी
प्रकारके व्यवहारोंका मूल है बुद्धि । इसलिए जब बुद्धि ही असत्
होगी तो उसके अधीन होनेवाला हेतु आदिका व्यवहार भी स्वतः असत्
हो जायगा । ऐसी स्थितिमें हेतु आदिके अभावमें सुदिधका भी लोप
कैसे सिद्ध हो सकेगा ? यदि बुद्धिं लोपका साधक हेत्वादिव्यवहार
सत् माना जाय तो शून्यवाद खण्डित हो जायगा ।

यदि यहो कि—सर्वशून्यत्वका साधक जो हेत्वादिका व्यवहार है,
वह सत् हो है, पर चास्तविक सत् न होकर साधृत (फाल्पनिक) सत्

सरी स्यात् । अन्यथा तु यथा न पास्तवस्तथा न सावृतोऽपि । सदृशिरपि संवृतिसरीति चेत्, अस्यासत्त्वे न विशिदधिरुमुक्तम् । परसंबृतेस्तु परमार्थसत्त्वस्वीकारे सेव बुद्धिरपरिहैयैति । सरी च वाधकवती चेति संवृतिसरी चेति चेत्, सत्येषयदि तत् फर्थं वाधकम् १ तथा चेत्, फर्थं तदालीढस्प सत्यमिति १

इत्यते तारदेव मिति चेत्, सत्त्वैकार्धसमवायिनो वाधकत्वमेव तहिं हेयम् । वाधकैकार्धसमवायिन्. सत्यमेव कि न

है—तो हेत्वादिव्यवहारका सावृतत्व भी तभी सम्भव है, जब कि सवृति भी स्वयं परमार्थ सत् हो । ऐसा नहीं होनेपर हेत्वादि व्यवहार जैसे वास्तव नहीं है, वैसे सावृत भी नहीं हो सकेगा । यदि कहो कि—सवृति भी परमार्थ सत् न होकर सावृत सत् ही है—तो यह दूसरी सवृति भी यदि सत् हो तो उसीसे शूयवाद खण्डित हो गया । इस दूसरी सवृतिके भी असत् होनेपर तो कोई नयी वात नहीं कही गयी । अर्थात् हेत्वादिव्यवहारके समान सवृतिका भी सावृतत्व नहीं सिद्ध हो सकेगा । अतिम सवृतिको यदि परमार्थसत् स्वीकार करो तो उसी (सवृतिरूप) बुद्धिके पारमार्थिक होनेसे सर्वशूल्यत्व किर भी नहीं सिद्ध हो सका ।

यदि कहो कि—अतिम सवृति भी सत् है, किन्तु वाधकयुक्त होनेसे वाधित है, तथा परमार्थ सत् न होकर सावृत सत् है—तो यदि वह सत् है तो उसका वाधक कैसे होगा ? क्योंकि सत् अवाध्य होता है । यदि उसका वाधक हो तो वाधकाकात होनेके कारण वह सत् कैसे होगी ?

यदि कहो कि—सत्त्व और वाधक दोनों ही साथ साथ देखे जाते हैं, इसलिये दोनोंमें एक भी निश्चयात्मक नहीं हो सकता । अर्थात् दोनों ही मेरे मतानुसार सावृतिक (कालपनिक) हैं—तो सत्त्वके साथ रहनेके कारण उसका वाधकत्व ही छोड़ देना । १३६८ । अर्थात् वह वाधक ही नहीं होगा जो सत्त्वके साथ रहे । यदि कहो कि—वाधकके

हीयत इति चेत्, न वाधकस्यापि त्यागप्रसङ्गात् । उभमध्य-
चर्जनोयमेव तर्हि, एवमेतत् । मिथो विरोधस्तु हेयः । न हि
पिरुद्योरेकार्थसमवायस्तथाभूतयोर्वा विरोधः शक्य उपपाद-
यितुमृते स्वसमयात् । न च पिचारावसरे स्वसमयावतार
इति । यथा यथा च बुद्धिनिवारणाय यत्नस्तथा तथोज्ज्ञलः
प्रकाशः, तन्निवारणमपि बोद्धव्यमेवेति । तदेतदायातम्, प्रदी-
साथ रहनेके बारण सत्त्वका ही त्याग क्यों न कर दिया जाय—तो
ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि शून्यवादके अतुसार सधकी सत्त्वका
त्याग कर देनेपर वाधकका भी त्याग कर देना पड़ेगा । ऐसी स्थितिमें
वाधकके नहीं रहनेसे सर्वशून्यत्व कैसे सिद्ध हो सकेगा ?

तर यह कहना कि सत्त्व और वाधक दोनोंमें फिसीका परित्याग
न किया जाय, वलिक दोनों ही मान लिये जाय—तो ऐसा हो, किन्तु
इन दोनोंमें पारस्परिक विरोधका मानना छोड़ देना पड़ेगा । क्योंकि
पारस्पर विरुद्धोंकी एकत्र स्थिति युक्तिद्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती,
ऐसे ही एकत्र रहनेवालोंमें पारस्पर विरोध भी युक्ति-सङ्गत नहीं हो
सकता, सिवा इसके कि अपनी परिभाषाका आश्रय लिया जाय । अर्थात्
उक्त धात दीदूध अपनी मनगढ़न्त परिभाषाके बलसे ही मान सकता है,
युक्तिद्वारा सिद्ध नहीं कर सकता । किन्तु यह भी ध्यान रखना है
कि प्रतिगादीके साथ विचारके अवसरपर मनगढ़न्त परिभाषा काम नहीं
देती है । इस प्रकार शून्यवादका आश्रय लेफर जैसे-जैसे बुद्धिका भी
लोपकर देनेके लिये यहन करते हो, वैसे-वैसे और उज्ज्वल प्रकाश होता
जाता है । अर्थात् बुद्धिकी सिद्धि होती ही जाती है । क्योंकि
बुद्धिनिराकरण भी वाधकज्ञानाधीन है । इसलिये वाधकज्ञानकी सत्ता
स्त्रीकार करनी पड़ेगी । अथवा बुद्धिनिराकरणको भी असत् होनेसे
ज्ञानरूप ही जानोगे । अतः वाध्य होकर ज्ञानकी सत्ता माननी
ही पड़ेगी ।

इस प्रकार आपका बुद्धिविलोपका प्रयास ऐसा ही हुआ, जैसे
कोई दूसरे प्रदीपके द्वारा पूर्वप्रदीपको बुझाऊ अन्धकार लानेकी चेष्टा
करे । वहाँ जैसे-जैसे पूर्वप्रकाशको नष्टकर देनेके विचारसे दूसरा

पान्तरेण प्रदीपं निर्वाप्य तिमिरापादनमिति ।

एतेन हेतुफलभागानुपपत्तेः सर्वविलोप इति निरस्तम् । तन्निराकरणप्रयासस्य साफल्यवैकल्यम्यां तन्निराकरणानुपपत्तेः, सत्कार्यदूषणस्येष्टत्वात्, असत्कार्यदूषणस्य च प्रत्यक्षवा-

दूसरा प्रदीप लाता जायगा, वैसे-वैसे और उज्ज्वल प्रकाश होता जायगा, अन्धकार लाना तो दूर रहा । यही स्थिति बुद्धिनिराकरण की भी है ।

इस बुद्धिनिराकरणकी व्यवस्थाके अनुसार यह कथन भी खण्डित हो गया कि—हेतुफलभाव (कार्यकारणभाव) के अनुपपत्त होनेसे सर्वविलोप (सर्वशून्यत्व) सिद्ध हो जायगा । अर्थात् कार्यकारणभाव यदि प्रामाणिक हो तो अवयविहूर कार्य तथा उसके मूलकारणभूत परमाणुकी सिद्धि हो सके । किन्तु कार्यकारणभाव ही अयुक्त है । इस लिये अवयवी तथा परमाणु आदि की सत्ता तथा कारणके अधीन होनेवाली बुद्धिकी भी सत्ता काल्पनिक ही होगी । इस प्रकार सर्वविलोप सुवरा सिद्ध है—क्योंकि आपका हेतुफलभावनिराकरणका प्रयास सफल है या निष्फल है ? यदि सफल है तो इसीसे हेतुफलभाव सिद्ध हो गया । यदि आपका उक्त प्रयास निष्फल है तो निष्फल होनेसे ही वह हेतुफलभावका निराकरण नहीं कर सकेगा ।

कार्यकारणभावके दूषणसे यदि आपका अभिप्राय यह हो कि—घटादिकार्य सत् है, इसोलिये उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती—तो यह मुझे इष्ट ही है । क्योंकि सत्कार्यकी उत्पत्ति में भी नहीं मानता । यदि आपका यह अभिप्राय हो कि—असत् कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती—तो यह कथन प्रत्यक्षवाधित है । क्योंकि घटोउत्पत्तिके पूर्व घटकी उपलब्धि किसे होती है ? अर्थात् उत्पत्तिके पूर्व घट असत् ही रहता है और उत्पत्त होकर सत् बनता है ।

एव, “घटो जोउत्पत्तेऽसत्त्वात्” इस दूषणका प्रतिपादन तथा तुम्हारे द्वारा किया जानेवाला कार्यकारणभावनिराकरणका प्रतिपादन यदि पूर्वमें असत् होकर बादमें उत्पत्त हुआ है तो “असत्की उत्पत्ति नहीं हो

धितत्वात्, तत्प्रतिपादनस्यासते एवोत्पचावनैकान्तिकत्वात्, सत्त्वे वा प्रयास वै 'फल्यादिति ।

स्यादेतत्, मा भूवन्नेतानि दूषणान्यवयविनि', अनुपलभ्मस्तु स्यात्, न हि परमाणुसञ्चयादपरं किञ्चिदुपलभ्यत इति चेत्, वैलक्ष्यविटम्भिकेयम्', स्थूलैकानुभवस्य सर्वजनसिद्धत्वाद् ।

विकल्पमात्रं तदिति चेत्, स्पष्टप्रतिभासत्वात् । औपा धिकमस्य स्पष्टत्वमिति चेत्, तथाभूतानुभवमन्तरेणोपाधेरप्य-

सक्ती है" यह तुम्हारा नियम यही व्यभिचरित हो गया । यदि तो उक्तदूषण तथा हेतुफलभावनिराकरणका प्रतिपादन भी पूर्वसे ही सत् है तो इस समय प्रतिपादनका तुम्हारा प्रयास व्यर्थ ही है ।

अवयवीके सम्बन्धमें अनुपलभ्मका निराकरण ।

शङ्खा—अस्तु, अवयवीका खण्डन करनेके लिये दिये गये दूषण भले ही न हों, किन्तु अनुपलभ्म तो दूषण हो सकता है । क्योंकि परमाणुसमूहसे भिन्न अवयवी नामकी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती है ।

समाधान—उक्त कथन भी युक्तिके अभावमें पराजयसे उत्पन्न लड्जाका ही विजृम्भण है । क्योंकि रथूलात्मक एक वस्तुका अनुभव सर्वजनसिद्ध है । अर्थात् "इदं स्थूलम्" इस प्रत्यक्षसे ही अवयवीकी उपलब्धि सबको होती है । क्योंकि घटादिको अवयवी न मानकर परमाणुका मुञ्ज माना जाय तो परमाणुओंके अनेक होनेसे "एकम्" तथा अणुरूप होनेसे "स्थूलम्" ये दोनों ही व्यवहार नहीं हो सकते । अतः इस प्रत्यक्ष व्यवहारसे ही अवयवी की उपलब्धि माननी होगी ।

यदि कहो कि—"एक स्थूलम्" यह प्रतीति अनुभवरूप (निर्विकल्पक) नहीं है, किन्तु सविकल्पात्मक है, अतः प्रमाण नहीं है । क्योंकि बीद्रनयानुसार निर्विकल्पात्मक ज्ञान ही अनुभव होता है और

१. वैयर्थ्यादिति ३ पृ० १० २. दाषकाग्यवपविनि इति १ पृ० १०

३. विजृम्भिकेयम् इति १ पृ० १०

भावात् । अन्यथा नीलादिविकल्पानामपि तथैव स्पष्टत्वोप-
पत्तौ मर्वप्रत्यक्षोच्छेदप्रसङ्गात्, गृहीतनिश्चित एवार्थं प्रत्यक्ष-
प्रामाण्यत्, निश्चयोपपत्तये तस्याप्युपलग्नादिति ।

न च परमाणुर एव स्थूला', तत्त्वव्याधातात् । न च

प्रमाण होता है—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि उक्त प्रवाचि
साक्षात्कारात्मक है, अत अवश्य अनुभवहृप द्वागी और प्रमाण होगी ।
यदि कहो कि—उक्त प्रतीति स्पृश्य साक्षात्कारात्मक नहीं है इन्तु
उपाधिकृत उसकी साक्षात्कारात्मकता है अत वह प्रमाण नहीं हो
सकती—तो यहाँ उस प्रतीतिके समानाकार निर्विकल्पगत्वमक अनुभवके
सिवाय दूसरी उपाधि भी नहीं हो सकती है । अर्थात् “एक स्थूलम्”
इस सविकल्पक ज्ञानके साक्षात्कारात्मक होनेमें उसका मूलभूत समाना-
कार निर्विकल्पक अनुभव ही उपाधि है । एसी अवस्थामें यदि उक्त
सविकल्पक प्रतीतिको अवयवीयी सिद्धिमें प्रमाण न भी मानो तो भी
उपाधिभूत उस निर्विकल्पक अनुभवसे ही एक स्थूल अवयवीयीकी सिद्धि
हो जायगी । अन्यथा नीलादिप्रतीतियोंकी भी साक्षात्कारात्मता इसी
प्रकार उपाधिकृत हा जायगी और वे प्रमाण न हो सकेंगी । इस प्रकार
सभी प्रत्यक्षोंकी प्रामाणिकता उन्नित्रित हो जायगी और प्रत्यक्षके प्रति
लोगोंकी आस्था ही उठ जायगी ।

एव, निर्विकल्पकद्वारा गृहीत वथा सविकल्पकद्वारा निश्चित किये
गये विषयमें ही प्रत्यक्षकी प्रमाणता है । अत, सविकल्पकके अप्रामाणिक
होनेपर निर्विकल्पक भी आस्थाके योग्य नहीं रह सकेगा । क्योंकि
निर्विकल्पकज्ञानके अतीन्द्रिय होनेसे सविकल्पक ज्ञान ही उसके प्रामाण्य
का तथा उसकी नियत विषयताका उपपादक है ।

यह नहीं कह सकते कि—स्थूलताप्रतीतिके विषय परमाणु ही हैं न
कि कोई अवयवी—क्योंकि परमाणुको यदि स्थूल माना जाय तो उसका
परमाणुत्व ही खण्डित हो जायगा । अर्थात् वह परमाणु (परम = अणु)
नहीं कहा जा सकेगा ।

तत्समुदायस्तथा, तस्य समुदितस्थानस्य त्वयाऽनभ्युपगमात्, अभ्युपगमे वाऽवयविना किमपराद्भूम् । न च समुदिता एव तथा प्रतिभासितुमर्हन्ति, तेषां^१ प्रत्येकमस्थूलत्वात् । न च नानादिग्देशब्यापितैव स्थौल्यम्, परमाणुषु प्रत्येकमसम्भवात् । न च नानात्वैकार्थसमवायिन्येव सा स्थौल्यमिति साम्प्रतम्, स्थूल एक इति प्रत्ययनियमात् ।

यह भी नहीं हो सकता कि—परमाणुओंके समुदायमें ही रथूलताका व्यवहार होता है, क्योंकि समुदित परमाणु ही हैं स्थान (आश्रय) जिसका, ऐसे समुदायको तुम मानते ही नहीं हो। यदि मानो तो अवयवीने क्या अपराध किया है कि वैसे ही अनेक परमाणुरूप अवयवोंमें आश्रित उसे (अवयवीको) नहीं मानते। अर्थात् उक्त प्रकारका समुदाय ही तो अवयवी है ।

यह नहीं कह सकते कि—समुदित परमाणु ही स्थूलरूपसे भासित होते हैं—क्योंकि वै प्रत्येक परमाणु अरथूल हैं । वहा यह नहीं कह सकते कि—स्थूलता कोई परिमाणविद्योप नहीं है, जो अवयवीमें या समुदायमें रहता हो, किन्तु नानादिग्देशमें व्याप्त रहना ही स्थूलता है । अर्थात् नाना दिग्देशमें सम्बद्ध परमाणुओंमें भी स्थूलताका व्यवहार हो सकता है—क्योंकि परमाणुओंमें कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है, जो नाना दिग्देशमें व्याप्त हो सके । यह भी कहना युक्त नहीं है कि—प्रत्येक परमाणुके नाना दिग्देशब्यापी न हो सकनेपर भी परस्परमें सटकर अवस्थित नाना परमाणु तो नानादिग्देशब्यापी हो ही सकते हैं । अर्थात् उक्त रूपमें अवस्थित नाना परमाणुओंके लिये ही रथूलता की प्रतीति होती है—क्योंकि “एक स्थूल” यही प्रतीति होती है । अर्थात् उक्तरूपमें अवस्थित नाना परमाणुओंके रथूलता मानो तो उसे “एक!” कहना असङ्गत होगा । तात्पर्य यह है कि एक परमाणुके लिये स्थूलताका व्यवहार असङ्गत होगा तथा अनेक परमाणुके लिये एकताका व्यवहार असङ्गत होगा । अत अनेक अवयवोंसे उत्पन्न एक अवयवी मानना आवश्यक है, जिसके लिये “एक स्थूलः” ऐसा लोकमें व्यवहार हुआ करता है ।

न च भागेव रोपितेनैकत्वेनेदमुपपत्तिमत्, तदसंभवात्। न हि करचरणचित्तुकनासिकादिपरमाणूनामैवयं कथित् क्वचिदारोपयति । न च^१ तेषु भेदेन प्रथमानेषु न स्थूलप्रत्ययः । न च तत्त्वे स्फुरत्त्वेव^२ तद्विपरीतात्त्वसमा रोपसम्भवः ।

अपि चैवमेकपरमाण्यात्मना परमाणुकोटिरप्यारोपिता परमाणुमात्रतयैव परिस्फुरेत्, न स्थूलतया ।

यह भी नहीं कह सकते कि—भागी (अबयवी) को स्वीकृत नहीं करनेपर भी भागों (अबयवों) में ही एकत्वका आरोप होनेसे “एक” प्रतीति बन सकती है—क्योंकि वैसा आरोप असमव है । अर्थात् परस्पर भिन्नरूपसे प्रतीत होने वाले अबयवोंमें एकत्वारोप कैसे होगा ? क्योंकि परस्पर भिन्न हाथ, पैर, चित्तुक (ओष्ठके नीचेका भाग) और नासिका आदिके परमाणुओंमें कोई भी कभी एकत्वका आरोप नहीं करता है । किर भी ऐसा नहीं होता कि परस्पर भिन्नरूपसे भासित होनेवाले उन करचरणादिकोंमें एकत्वारोप नहीं होनेके कारण स्थूलत्वकी प्रतीति न होती हो । और यह भी समव नहीं है कि करचरणादिकोंमें अनेकत्वके रुक्तणकालमें ही उसके विपरीत एकत्वका आरोप हो सके ।

एव, एक परमाणुके रूपमें यदि करोड़ों भी परमाणु आरोपित हो तो वह परमाणुमात्ररूपसे ही रुक्तिहोगा न कि स्थूलरूपसे । अर्थात् दस बीस परमाणुओं कौन कहे करोड़ों परमाणुओंमें भी यदि एकत्वका आरोप होगा तो अन्तत वह परमाणु ही रहेगा स्थूल कैसे हो जायगा ? तात्पर्य यह है कि परमाणु समुदायमें एकत्वारोप होनेसे “एक” यह प्रतीति भले ही बन जाय किन्तु परमाणु (परम + अणु) में “स्थूल” यह प्रतीति कैसे हो सकेगी ?

^१ कथिदारोपयेत् इति १ पु० पा०

^२ न च तेष्वभेदेन प्रथमानेषु स्थूलप्रत्यय इति २ पु० पा०

^३ परिस्फुरत्वेव इति ३ पु० पा०

न च नानादिग्देशब्यापित्वस्येव महिमेति सम्प्रतम्, विरोधाद् । यदि हि नानादिक्षाः परमाणुवो देशतयाऽऽभासेरन् नैकतया देशितया चारोप्येरन् । तथा च कस्य नानादिग्देशब्यापिता ? देशिनोऽपरिस्फूर्तेः ।

अथ तथात्तेनारोप्येरन्, न नानात्वेन देशत्वेन वाऽवभासरेन्, तथा च कस्य नानादिग्देशब्यापिता ? देशिनोऽप-

यह भी कहना समुचित नहीं है कि—परमाणुसमूहके नानादिग्देशमें व्याप्त होनेकी ही यह महिमा है कि वह परमाणुरूपमें न भासित होकर एक स्थूलरूपमें भासित होने लगता है—क्योंकि नानादिग्देशब्यापित्व और स्थूलत्वमें भी परस्पर विरोध ही है । कारण, आधारभूत दिग्देश भी आपके मवानुसार परमाणुसमूह ही है । ऐसी परिस्थितिमें आधारभूत वे नाना दिग्देशात्मक परमाणु यदि अपने नानात्वके साथ देशरूपमें भासित हों तो उनमें एकत्व और स्थूलात्मक देशित्वना आरोप हो नहीं सकता । तथा वहाँ देशीके रूपमें अर्थात् उस नाना दिग्देशरूप आधारमें व्याप्त रहनेवाले आधेयके रूपमें किसी अन्यका भान होता नहीं है । इसलिए नानादिग्देशब्यापित्वकी प्रतीति किसमें होती ?

यदि आधारभूत नानादिग्देशात्मक परमाणुओंमें ही एकत्व और स्थूलात्मक देशित्व (आधेयत्व) का आरोप हो तो भी नानादिग्देशब्यापित्व किसमें गृहीत हो सकेगा ? क्योंकि वहाँ नानादेशरूपमें किसीका मान ही नहीं होता है । कारण, देश तो देशीके रूपमें भासित हो रहा है । इसलिए परमाणुसमुदायमें एकत्वारोप करनेवर भी उसमें

१. देशानामपरि इति २ पु० पा०

जै यहाँ पटादि परमाणुको देशी और मूलादि परमाणुको देश नहीं वह सहते, क्योंकि मूलादिमें भी तो एकत्व और स्थूलत्वकी प्रतीति घटके समान ही होती है । अत उसके लिए पृष्ठकृ देश देशीकी कल्पना आवश्यक हो जायगी । यदि उक्त दीप्तके कारण नानादिग्देशब्यापित्वको एक परिमाणविशेष मानो तो वह परिमाणविशेष एक परमाणुमें नहीं रह सकता । अत उसका आवश्यक अवश्यकी चिन्ह ही हो गया ।

परिस्फूर्तेः । तस्मादेकत्वारोपे परमाणुमात्रा^१ वभास एव स्यादिति ।

एवं तर्जनारब्धद्रव्यराशिषु का वार्तेति चेत्, न तावदेश-व्याप्तिः साम्येन तावत्परिमाणद्रव्यत्वाः^२ रोपः । न चेहापि तथा स्यात्, अन्यत्राप्यसिद्धेः । न चासन्नेवैकः स्थूलः परिस्फुरति, वाधकानामपास्तत्त्वान् ।

एतेन प्रतिभासघमोऽपि निरस्तः । सोऽपि द्वासन् वौद्वा-

परमाणुमात्रत्वका ही भान हो सकेगा न कि रथूलत्वका । अर्थात् विना अवयवी माने “एक स्थूल यह प्रतीति असम्भव है ।

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि—जहाँ किसी अवयवीका आरम्भ नहीं होता, ऐसी धा यादि राशियोंमें ‘एको महान् धान्यराशि’ ऐसी एकत्व और स्थूलत्वकी प्रतीति कैसे होती है?—किन्तु ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते । क्योंकि कोई अवयवी द्रव्य जितनी जगह घेरता है, उतनी ही जगहमें व्याप्त होनेके कारण उतने ही परिमाणधाले द्रव्यका वहाँ आरोप होता है । इसलिए वहाँ वास्तविक अवयवीके न होनेपर भी “एक रथूलो राशि” यह आरोपात्मक प्रतीति होती है, न कि वास्तविक ।

यह नहीं कह सकते कि—यहाँ भी अर्थात् परमाणु समूहमें भी आरोपात्मक ही “एक स्थूल” प्रतीति हो जायगी—क्योंकि आरोपके लिए आरोप्य वस्तुकी कही अन्यत्र प्रसिद्धि होनी चाहिये । तुम्हारे मतमें हो कहाँ भी स्थूल अवयवी प्रसिद्ध ही नहीं है । यह भी नहीं कह सकते कि—असत् ख्यातिके अनुसार असत् ही एकत्व और स्थूलत्व भासित होता है—क्योंकि अवयवीके सत् होनेमें जितने भी वाधक दिये जा सकते हैं, उन सभीका निराकरण पूर्वमें किया जा चुका है । साथ ही असत् ख्यातिवाद भी घण्ठित हो चुका है ।

अवयवीके वारेमें वाधकोंका निराकरण कर दिये जानेके कारण यह

^१ परमाणुमात्रत्वावभास इति २ पु० पा०

^२ तावदेशव्याप्तिवसाम्येन इति २ पु० पा०

^३ द्रव्यव... रोप २ पा०

वास्तवो वति त्रयीं गति नातिवर्तत इति । अतीन्द्रियाश्च परमाणुः कथं मिलिता अपि इद्येरन् ? अतीन्द्रियसमूहस्या प्यतीन्द्रियत्वात् । विशिष्टोत्पादादैन्द्रियकत्वमिति चेत्, किम् द्यापि स्यज्ञे हस्तं प्रसारयसि ।

अस्तु वैवम्, तथापि क्षणमेदाज्ञातिभेदो निराकृतः,

मान्यता भी खण्डित हो जाती है कि—ज्ञानका ही धर्म एकत्व और स्थूलत्व है । अर्थात् ज्ञान ही स्थूलरूपसे भासित होता है, अथवा नहीं । तात्पर्य यह है कि स्थूलत्वादि ज्ञानका ही एक आकारविशेष है—क्योंकि वह आकार भी असत् है ? या बौद्ध है ? अथवा वास्तव है ? इन तीनके सिवाय अन्य गति नहीं हो सकता । यदि असत् हो तो उसकी प्रतीति नहीं हो सकेगी । यदि वह भी बौद्ध अर्थात् बुद्धिधर्म हो हो तो अनवस्थादोष आ जाता है, यदि वास्तव हो तो आकारके वास्तव होनेसे उसका विषय स्थूलत्व भी अपने आप वास्तव सिद्ध हो जायगा । और स्थूलत्वके वास्तव होनेसे अथवा भी अनायास सिद्ध हो जायगा ।

एव, जब कि प्रत्येक परमाणु अतीन्द्रिय है, तब वे मिलितरूपमें भी कैसे दियाई पड़ेंगे ? क्योंकि अतीन्द्रियका समूह भी अतीन्द्रिय ही होगा । यदि कहो कि—समुदित अवस्थामें वे इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होने योग्य पैदा होते हैं, इसलिए उनका प्रत्यक्ष होता है—तो क्यों अभी भी स्वप्नमें हाथ फैला रहे हो । अर्थात् अतीन्द्रिय परमाणुओंसे ऐन्द्रियक परमाणु समूह तभी पैदा हो सकता है, यदि पदार्थ क्षणिक हों । किन्तु क्षणिकवाद तो खण्डित हो चुका है । अतः ऐसा कहना सपनेमें मिथ्या द्रव्य लेनेके लिए हाथ फैलानेके समान है ।

अथवा क्षणिकत्व रहे, फिर भी वह परमाणुसमूह अभिम क्षणमें प्रत्यक्ष होनेके योग्य कुर्वद्रूपत्व नामक जातिविशेषसे विशिष्ट होकर पैदा होगा—ऐसा नहीं हो सकता है । क्योंकि जातिसाङ्कर्यदोषसे कुर्वद्रूपत्व जातिज्ञा पूर्वमें निराकरण हो चुका है । यदि तो उक (कुर्वद्रूपत्व) जातिविशिष्ट पैदा न होकर अभिन्नरूपसे पैदा हो, तो भी वही पैदा हो अथवा उसके सटरा पैदा हो, इसमें तस्वीरितिसे कोई अन्तर नहीं है ।

जातिसकरप्रसङ्गात् । तदभेदेन^१ तृत्यादेऽपि तदा तादग्येति
तत्त्वदृशा न कथिद् विशेषः ।

भवतु वा जातिविशेषोऽपि, तथापि स्थूलत्वमेवैन्द्रियक्त्वं
प्रति प्रयोजक मन्त्रव्यम्^२ । अन्यथा स्थूलतामनाप्नुवन्नेको
अपि परमाणुः कदापि तथोत्पन्नः प्रत्यक्षतामियात् । नियमेन
तु तद्रिपरीतस्य प्रत्यक्षता तथाविधस्या^३ प्रत्यक्षतायामेव
विश्राम्यति, अन्वयव्यतिरेक^४ फलत्वाद्घेतुफलभावस्य ।

न च सञ्चिता अपि स्थूलतयोत्पन्ना । न च यहुत्वमेव

अर्थात् अतीन्द्रिय परमाणुसमूहसे पुन अग्रिम क्षणमें वही पैदा हो तो
वह अतीन्द्रिय ही रहेगा । अथवा यदि उससे उसीके समान पैदा होता
हो तो भी अतीन्द्रिय ही रहेगा, कोई अतर नहीं आ सकता है ।

अबवा कुर्वद्रूपत्वनामक जातिविशेष भी भले ही हो, फिर भी
ऐन्द्रियक (प्रत्यक्ष) होनेके लिये स्थूलत्व ही प्रयोजक है । नहीं तो
स्थूलता (महत्व) को नहीं प्राप्त किया हुआ एक परमाणु भी कदाचित्
कुर्वद्रूपत्वजातिसे विशिष्ट पैदा हुआ प्रत्यक्ष हो जाय । नियमपूर्वक
परमाणु अवस्थासे विपरीत स्थूलावस्थामें प्रत्यक्ष होना इसी निष्कर्षपर
पहुँचाता है कि परमाणु अवस्थामें कथमपि प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है ।
क्योंकि कहीं भी कार्यकारणभावका ज्ञान अन्वयव्यतिरेकके द्वारा ही
होता है । अथात् जहाँ स्थूलता है, वहाँ प्रत्यक्षत्व है—यह अन्वय
हुआ । तथा जहाँ स्थूलता नहीं है वहाँ प्रत्यक्षत्व भी नहीं है—यह
व्यतिरेक हुआ । इससे सिद्ध होता है कि प्रत्यक्षत्वके प्रति स्थूलत्व ही
कारण है । एकत्र सञ्चित होनेपर भी वे परमाणु स्थूलरूपमें तो उत्पन्न
नहीं हुए, जिससे कि उनका प्रत्यक्ष हो सके ।

यह भी नहीं कह सकते कि—परमाणुओंका बहुत होना ही स्थूलता

१ तदभेदेऽपि तत्त्वदृशा न कथिद् विशेष इति २ पु० पा०

२ प्रयोजकमास्थेयम् इति १ पु० पा०

३ तथाविधस्य प्रत्यक्षता(यां)म् इति १ पु० पा०

४ अन्वयव्यतिरेकम्यादिष्टुफलभावस्य इति १ पु० पा०

स्थौल्यं तद्विपर्यय एव सूक्ष्मता, वितरदेशानामपि ग्रत्यक्षत्व-
प्रसङ्गात् । नैरन्तर्यमपि विवचितमिति चेन, तस्य प्रकृतेऽप्य-
संभवात्, रूपपरमाणुनां रसादिपरमाणुभिरन्तरितत्वात् । न
चारोप्येत नैरन्तर्यम्, इतरेतराश्रयप्रसङ्गात्, नैरन्तर्यारोपे तेषां
स्थूलानां प्रहणं तद्ग्रहणे च सति नैरन्तर्यारोप इति ।

तस्मादैन्द्रिपक्तवे स्थूलतायाः प्रयोजकत्वात्, अप्रयोज-
कत्वे वितरदेशानामपि ग्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्, तेषां च ग्रत्येक-
मस्थूलत्वादतीन्द्रिया एव परमाणवः । तथा च सर्वग्रहणमव-
यव्यसिद्धेरिति ।

है और बहुत्वका विपर्यय ही सूक्ष्मता है—क्योंकि तत्र छिटपुट जगहों-
में फैले हुए भी परमाणुओंका प्रत्यक्ष होने लगेगा । यदि कहो कि—
प्रत्यक्षके लिये परमाणुओंका नैरन्तर्य भी (दिना व्यवधानके परस्पर
सटे रहना भी) अपेक्षित है—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि
प्रकृतमें वैसा होना भी असम्भव है । कारण, रूपके परमाणु अवश्य
ही रसादिके परमाणुओंसे अन्तरित (व्यवहित) होंगे । एवं उनमें
नैरन्तर्यका आरोप भी नहीं हो सकता है । क्योंकि तत्र अन्योन्याश्रय-
दोषका प्रसङ्ग हो जायगा । जैसे—नैरन्तर्यसा आरोप हो तो उनमें
स्थूलताका प्रहण हो और स्थूलताका प्रहण होनेपर ही नैरन्तर्यका आरोप
हो सकेगा ।

इसलिये ऐन्द्रियक होनेमें स्थूलता प्रयोजक है । यदि स्थूलता
प्रयोजक न हो तो छिटपुट जगहोंमें फैले हुये भी परमाणुओंका प्रत्यक्ष
होने लगेगा । वे ग्रत्येक परमाणु अरथूल हैं, इसलिये वे अतीन्द्रिय ही
हैं । इसी वातको परमपर्याप्ततमने न्यायदर्शनके “सर्वग्रहणपूर्व-अव-
यव्यसिद्धेः” इस सूत्रसे दृढ़ किया है । इस सूत्रका अभिप्राय यह है
कि—यदि अवश्यकी न माना जाय तो संसारकी सभी चस्तु आप्रत्यक्ष ही
जायगी और जगत्‌में आन्ध्र फैल जायगा ।

अस्तु तर्हि क्षणमात्रस्थायी स्थूलोऽर्धं हृति चेन्, भाग-
भागिनोर्युगपदुपलभ्मवाधितत्वात्, घटपटादिभज्ञे तन्तुकपा-
लादीनामुत्पाद समानोपादानतया सप्रतिघत्यव्याघातात्त्वेति ।
सोऽयमधिकरणसिद्धान्तन्यायेन स्थूलत्वसिद्धौ क्षण-
भज्ञभज्ञः ।

यदि कहो कि—प्रत्यक्षत्वकी उपपत्तिरे लिये स्थूल वस्तु रहे किन्तु यह भी क्षणिक ही होगी—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि अवयव और अवयवी दोनोंकी एककालमें उपलब्धिरे होनेसे क्षणिकत्वका बाध हो जाता है । अर्थात् जिस कालमें स्थूल अवयवीका प्रत्यक्ष होगा, उस काल तक उसका अवयव भी साथ साथ विद्यमान रहेगा, अतः दो क्षणवर्येन्त उस अवयवके अनुवर्तमान रहनेके कारण क्षणिकत्वाद वही खण्डित हो गया । एव उपपत्तिके अभिमानमें ही जो घटपटादि नष्ट हो गया उसका उपादान कारण तन्तु और कपालादि है । तथा वही तन्तुकपालादि घटपटादिकी भक्षावस्थामें उत्पन्न तन्तुकपालादिका भी उपादानकारण है, क्योंकि तुम्हारे मतमें विसदृश सम्बान और सदृश सम्बान दोनों ही मान्य हैं । ऐसी स्थितिमें एक ही तन्तुकपालादिमाला घटपटादिका और भज्ञावस्थामें उत्पन्न होनेवाली तन्तुकपालादिमालाका भी उपादानकारण होगी, किन्तु यह अनुचित है । क्योंकि समानदेशमें दो मूर्तीका रहना ब्याहत है ।

इस प्रकार स्थूलत्वकी सिद्धिरे हो जानेपर अधिकरणसिद्धान्तके न्यायसे क्षणभज्ञ (क्षणिकत्व) का भी अनायास भज्ञ (खण्डन) हो जाता है । अर्थात् स्थूलत्व सिद्ध होता हुआ स्थैर्यको लेकर ही सिद्ध होता है । क्योंकि पूर्वोक्तीतिसे अवयव और अवयवीकी एक साथ उपलब्धिकी दशामें जो स्थूलत्वकी उपलब्धिरे है, वही स्थिरत्व सिद्धिमें पर्यवसित हो जाती है । यद्यपि जहाँ अनुमानद्वारा किसी वस्तुकी सिद्धिरे करते समय पक्ष्यधर्मतात्पत्तिसे अन्य वस्तुओं सिद्धिरे हो जाती है, वही अधिकरणसिद्धान्त लागू होता है, यहाँपर तो स्थूलत्वका प्रत्यक्षद्वारा व्यवस्थापन किया गया है, अत यहाँ अधिकरणसिद्धान्त नहीं लागू होगा । फिर भी उसके तुल्य तो इसे कहा ही जा सकता

एतेन यत् सत् तच्चिरवयवं यथा विज्ञानम्, संथ विवादा-स्पदीभूतो घटादिरिति निरस्तम् । विपर्यये वाधकाभावेन व्याप्त्यसिद्धेः । यत् सत् तत्सावयवं यथा घटः, सच्च विज्ञान-मिति चार्याकपरिवर्तस्याप्यवकाशाच्च । समो वा समाधिः ।

ननु निरवयवमेव विज्ञानं स्वसंविदितरूपम्, घटस्य च सावयवतायामवायि विवाद एव, तत्कर्थं परिवर्ते ? कर्थं वा समः समाधिरिति चेत्, शुष्कविनादस्य विज्ञानेऽपि दुर्वारत्वात् । न हि कश्चित् कण्ठौष्णपार्श्वजठरादिपरिहीनं पिठरमनुभवति ।

है । इसीलिये आचार्यने मूलमे ‘अधिकरणसिद्धान्तन्यायेन’ यहों न्यायशब्दका प्रयोग तुल्यता सूचित करनेके लिये किया है ।

इस स्थूलत्व व्यवस्थापनके द्वारा—जो सत् है वह निरवयव होगा है, जैसे विज्ञान, प्रश्नतमे विवादका विपर्य घटादि भी सत् है इसलिये वह भी निरवयव होगा । अर्थात् अवयवहीन होनेसे अवयवी नहीं हो सकेगा—यह अनुमान भी स्पष्ट हो गया । क्योंकि विपर्ययमें कोई वाधक नहीं होनेसे “जो सत् है वह निरवयव है” यह व्याप्ति ही असिद्ध है । अर्थात् सत् होते हुए भी निरवयव नहीं होगा किन्तु सावयव हो सकता है, इसमे कोई वाधक नहीं है ।

एव, जो सत् है वह सावयव है, जैसे घट, विज्ञान भी सत् है, इसलिये वह भी सावयव होगा—इस प्रकार चार्याक भी परिवर्त (करवट) बदल सकता है । यदि चार्याक का यह अनुमान अनुकूल तर्कके अभावमें असाधक है, तो तुम्हारा अनुमान भी अनुकूल तर्क नहीं रहनेसे साधक नहीं होगा । इस प्रकार दोनों अनुमानोंकी समान गति है ।

यदि कहो कि—स्वयप्रकाशरूप विज्ञान तो निरवयव ही है, और घटके सावयव होनेमें तो अभी भी विवाद ही है । अत उक्त प्रकारका चार्याकका उलटा अनुमान कैसे हो सकेगा ? और दोनों अनुमानोंकी समान गति कैसे होगी ?—इसपर मेरा कहना है कि उक्त प्रकारका शुष्क विवाद विज्ञानके बारेमें भी वेरोक होगा । कोई भी कण्ठ, ओष्ठ पार्श्व

स्तु वा सत्त्वात् सप्रतिवत्त्वसिद्धिरुद्धावप्रतिवत्त्वं वा घटाविति ।

अपि च स्वतन्त्रसाधनमिदं प्रसङ्गो वा ? न प्रथमः, घटादिशब्देन स्थलेतरणां रूपादीना परमाणुनां वा पक्षीकरणे सिद्धसाधनात्, स्थलमेकमभ्युपगम्य पक्षविधी कालात्ययापदेशात्, अनभ्युपगमे त्वाश्रयासिद्धेरिति ।

ननु प्रामाणिकेभ्युपगमे वाधः स्यात्, सर्वथाऽनभ्युपगमे च श्रयासिद्धिः स्यात् । नचैवमत्रेति चेत्, तदेतत्रम् स्थलकमलपरिमलसाधनस्यापि साश्रयतामापादयदश्रयासिद्धिदोपमोपायेत्यलमनेन ।

(पसली) तथा जठर आदि अवयवोंसे रहित पिठर (दंहपिण्ड) का अनुभव नहीं करता है । अर्थात् देहादिके समान घटादि भी सावयव ही है, इसमें कोई भी विवाद नहीं है । अन्यथा उसी सत्त्व हेतुसे बुद्धिमें (विज्ञानमें) मूर्तत्वकी सिद्धि या घटमें अमूर्तत्वकी सिद्धि हो जाय ।

एव 'घट निरवयव है, सत् होनेसे, जैसे विज्ञान' यह स्वतन्त्र अनुमान है ? अथवा 'घट यदि सत् होता तो निरवयव होता, जैसे विज्ञान' इस प्रकारका तर्क है ? इसमें प्रथम पक्ष नहीं हो सकता है । क्योंकि घट आदि शब्दोंसे यदि स्थूलमें इतर रूपादि गुण या परमाणुओंको पक्ष करो तो सिद्धसाधन दोष हो जायगा । क्योंकि रूपादिहो या परमाणुको हम भी निरवयव मानते ही हैं । यदि घट शब्दसे किसी स्थूलका पक्ष बनाओ तो वाध दोष हो जायगा । क्योंकि जो स्थूल होगा, उसमें निरवयवत्त्व वाधित है । यदि घटरूप पक्षको स्थूल भी न मानो तो इसका अर्थ होगा—वह कुछ नहीं है । ऐसी परिस्थितमें आश्रयासिद्धि (पक्षासिद्ध) दोषसे आपका अनुमान ग्रस्त हो जायगा ।

यदि कहो कि—घटादिकी स्थूलताको प्रामाणिक मानेंगे तभी वाध होगा तथा घटादिको सर्वथा न मानें तभी आश्रयासिद्धि होगी । यहाँ तो ऐसा मानते नहीं, अतः उक्त अनुमान निर्दोष है—तब तो इस

पर्वतादिवल्लोकप्रसिद्धिसिद्धान् घटादीनुपादाय निरवयव-
त्वानुमानं स्यात्, अन्यथा ब्रह्मविवर्तादिविप्रतिपत्तिविहततया
दहनानुमानमपि पर्वतादौ न स्यादिति चेन्, नैवम्, अविरोधात् । न हि ब्रह्मविवर्तादिसिद्धधावप्याश्रयादयोऽन्यप्रकाराः
सम्भवन्ति ।

तथा हि, सर्वत्रैव स्वप्नपर्वते स्वप्नधूमेन स्वप्नवह्निरेव
साध्यते, केवलं सांगृतेऽपि व्यवहारे सत्यानृतव्यवस्थाऽस्तीति
तस्यां निर्भरः कर्तव्यः । इह तु घटादिव्यपदेशेन स्थूल एव
यदि पक्षीकृतः, कथं निरवयवत्त्वेन साध्येन न विरोधः ?

रीतिसे आकाशकमलमें सुगन्धका अनुमान भी साध्य हो जायगा ।
और संसारसे आश्रयासिद्धिनामक दोष ही उठ जायगा । अतः
ऐसा न कहो ।

यदि कहो कि—जैसे, लोकव्यवहारसे सिद्ध पर्वतादिको लेकर उसमें
अविनका अनुमान होता है, वैसे ही लोकव्यवहारसे सिद्ध घटादिको
लेकर उसमें निरवयवत्वका अनुमान होगा । नहीं तो ब्रह्मविवर्तवाद
आदि विभिन्न मान्यताओंसे प्रतिहत होनेके कारण पर्वत भी गगन कमलके
समान ही हो जायगा और उसमें अग्निका अनुमान भी न हो सकेगा—
तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि पर्वतादिके ब्रह्मविवर्तादिरूप होने-
पर भी अग्निरूप साध्यके साथ कोई विरोध नहीं है । कारण, ब्रह्म
विवर्त आदि पक्षमें भी आश्रय (पक्ष) दूसरे प्रकारका हो और साध्य
तथा साधनादि दूसरे प्रकारके हों, ऐसा नहीं होता । अर्थात् ब्रह्मविवर्त-
रूप पर्वतमें ब्रह्मविवर्तरूप ही अग्निका अनुमान किया जाता है । अतः
पक्ष और साध्यादिमें कोई विरोध नहीं है ।

जैसे, स्वाप्न-पर्वतमें स्वाप्न-धूमसे स्वाप्न-अग्निका ही साधन किया
जाता है । इस प्रकार केवल सर्वित (काल्पनिक) व्यवहारमें भी सत्य
और अनुनकी व्यवस्था ही ही । अतः उस व्यवस्थाका आश्रय लेना
ही चाहिए । तुम्हारे अनुमानमें तो यदि घटादि-शब्दसे रथूल

अथ परमाणुरेव^१, कथं न सिद्धसाधनम् ? विप्रतिपद्म प्रति न तथेति चेत्, न वै कथित् परमाणुनां निरवयवत्वे विप्रतिपद्मते । लोकब्यामोहनिवर्हणाय साधनमिति चेत्, तथापि यं लोकः स्थूलमेकमुपलब्धवान् तस्य पक्षत्वे विरोध एव, ततोऽन्यस्य पक्षत्वे सिद्धसाधनमेव । एकः स्थूलोऽयमिति मिथ्येति चेत्, एतदेव तर्हि साध्यताम्, किमनेनाजागलस्तनकलपेन सर्वेन । न च तत्रेवेदं शक्यमुपसंहर्तुम्, व्यधिकरण

पक्ष करते हो तो निरवयवत्व साध्यके साथ क्यों न विरोध होगा ? यदि घट शब्दसे परमाणु ही पक्ष हो तो सिद्धसाधन दोष क्यों न होगा ?

यदि कहो कि—घटपदवाच्य (परमाणु) के निरवयव होनेमें जिसको विप्रतिपत्ति है, उसके प्रति सिद्धसाधन नहीं होगा—तो परमाणुओंके निरवयव होनेमें किसीको भी विप्रतिपत्ति नहीं है । अत उहै निरवयव सिद्ध करनमें सिद्धसाधन होगा ही । यदि कहो—परिक्षकोंशी भले ही विप्रतिपत्ति न हो, कि तु लौकिकोंको तो है ही । अत घटपदवाच्यके सावयव होनका जो व्यापाद लौकिकोंमें है, उसे मिटानके लिये यह निरवयवत्वका साधन किया जा रहा है । इसलिये सिद्धसाधन नहीं होगा—तो भी लोकन जिसे (घटको) एक स्थूलके रूपमें जाना है, उसे यदि पक्ष करो तो निरवयव सिद्ध करनेमें विरोध ही (बाध ही) होगा । यदि स्थूलसे भिन्न (परमाणु) को पक्ष करो तो सिद्धसाधन होगा ही ।

यदि कहो—लौकिकोंका “एक स्थूलोऽयम्” यह ज्ञान भ्रम है । अत प्रमात्मक नहीं होनेके कारण उसके द्वारा निरवयवत्वानुमान वाधित नहीं होगा—तो उस लौकिकज्ञानका मिथ्यात्व ही सिद्ध करो । अर्थात् मिथ्यात्वका साधक जो हेतु हो उसीका उपन्यास करो । अजागलस्तनके तुल्य निर्थक इस सत्त्व-हेतुसे क्या लाभ ? यदि कहो—‘स्थूलपत्ययो मिथ्या सत्त्वात्’ इस अनुमानद्वारा लौकिक स्थूल प्रतीकिको मिथ्या सिद्ध करनेमें हो सत्त्व हेतुका उपयोग कर लिया जा सकता है—तो यह

त्वात् । तस्माद् येन रूपेण यस्य पक्षत्वं विवक्षितम् तेन सिपाध्यिपितर्थम् विरोधविधादाभ्यां तत्रानुमानप्रवृत्तिर्नातोऽन्यथेति ।

नापि द्वितीयः, विपर्ययापर्यवसानात् । न च विवादविषयो निरवयवस्तस्मान् सन्निति विपर्ययः, न चैवं सावयवत्वं पक्षस्यानिच्छता प्रवरयितुं शक्यते । न च तत् त्वयेष्यते । न च तस्येष्टी तेनासर्वं शक्यसाधनम्, आथयासिद्धेविरो-

भी नहीं हो सकता । क्योंकि तुम्हारे द्वारा प्रमा माने गये निर्विकल्पक ज्ञानमें भी सत्त्व-हेतुके रहनेसे यह हेतु व्यभिचारी है । इसलिये जिस रूपसे जो पक्ष हो, उस रूपसे जहाँ सिपाधचिपित धर्म (साध्य) का बाध न हो तथा संशय हो, वही अनुमानकी प्रवृत्ति हो सकती है अन्यथा नहीं ।

प्रसङ्गरूप (तर्करूप) द्वितीय पक्ष भी नहीं हो सकता है । क्योंकि तर्कमें विपर्ययमें पर्यवसान होना आवश्यक है, किन्तु यहां विपर्ययमें पर्यवसान नहीं हो सकता है । जैसे, “पट यदि सत् हो तो निरवयव हो” इस तर्कका पर्यवसान इसी विपर्ययमें होगा कि—विवादका विषय घट निरवयव नहीं है, इसलिये सत् भी नहीं है । किन्तु जो बौद्ध घटरूप पक्षको सावयव नहीं चाहता, वह इस प्रकारके विपर्ययको नहीं प्रवृत्त कर सकता है । तुझे तो घटका सावयवत्व इष्ट नहीं है । यदि इष्ट भी हो तो उससे (सावयवत्वके द्वारा) उसमें (घटमें) असत्त्वका साधन भी नहीं हो सकता है । क्योंकि यहां आश्रयासिद्धि, विरोध और असाधारण्य दोष उपस्थित हो जायेंगे ।

अर्थात् “घटः असन् सावयवत्वात्” इस विपर्ययसिद्धिमें सावयवत्व-हेतुका आश्रय ही तुम्हारे मतसे असत् है, अतः आश्रयासिद्धि दोष हुआ । यदि उस दोषसे बचनेके लिये आश्रयको सत् मानो तो “असन्” इस साध्यके साथ विरोध हो जाता है । साथ ही सावयवत्व-हेतुके असत्-रूपमें प्रसिद्ध रशमङ्गलादिरूप सपक्ष और सत्-रूपसे प्रसिद्ध विज्ञान, परमाणु आदि विषक्ष, दोनों ही से व्याकृत होने तथा घटादिरूप पक्ष-मात्रमें वर्तमान होनेके कारण असाधारण्य दोष हो जाता है । एवं,

घादसाधारण्याद्वा । न च विषययोऽपि परेष्या प्रवर्तते इति ।

कः पुनरवयविनि न्यायः ? तत् कि प्रत्यक्षान्त्यायो गरीयान् ? यद्येवम्, युद्धावेष^१ कोऽसौ ? तस्मादसारमेतत् ।

तथापि, यन्निरस्तसमस्तविरुद्धधर्माध्यासं तदेकमेव व्यवहर्तव्यं, यथा विज्ञानम् । तथा च विवादाध्यासित एकस्थूलोऽनुभवगोचर इति स्वभावहेतुः, तावन्मात्रानुभवनिधत्वादेकताव्यवहारस्य । न ह्यमेकव्यवहारो निनिमित्तोऽनियमप्रसं

घटको में सावयव मानता हूँ, इस आधारपर भी तुम विषययका उपन्यास नहीं कर सकते । क्योंकि दूसरेकी मान्यताके आधारपर विषययकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती है ।

अवयवीक्षी सिद्धिमें न्यायप्रदर्शन

प्रश्न—अवयवीके सम्बन्धमें प्रत्यक्ष अनुभव प्रमाणके रहनेपर भी उसमें अनुमान प्रमाण क्या है ? बताओ ।

उत्तर—क्या प्रत्यक्षसे अनुमान श्रेष्ठ है ? यदि है तो तुम्हारे विज्ञानमें भी क्या अनुमान है ? क्योंकि विज्ञानको तुम अनुमानके चिना ही स्वसरेदा मानते हो । अतः उक्त प्रश्न सारहीन है । अर्थात् अवयवीके वारेमें प्रत्यक्ष-अनुभवको सर्वथा दोषरहित सिद्ध कर चुका हूँ । साथ ही अनुमानका अङ्गभूत व्याप्तिका प्राहक प्रत्यक्ष ही है । इसलिये अवयवीमें प्रत्यक्ष अनुभव प्रमाणके रहते अनुमान प्रमाणकी जिज्ञासाका कोई महत्त्व नहीं है ।

तथापि इसमें अनुमान भी यह है कि—जो समस्त विरुद्ध वर्तोंके अध्याससे रहित है वह एक ही है, ऐसा व्यवहार करना चाहिये, जैसे तुम्हारा विज्ञान । वैसे ही विवादका विषय तथा एक स्थूलके रूपमें अनुभवका गोचर (विषय) घट भी विरुद्धधर्माध्याससे रहित है । इस प्रकार घटमें विरुद्धधर्माध्याससरहितत्व देतु स्वभावतः है । क्योंकि एकत्थका व्यवहार विरुद्धधर्माध्याससरहित्यमात्रको अपेक्षा करता है । कारण,

१. युद्धावेष कोऽसौ इति २ पु० पा०

ज्ञात् । नाप्यन्यनिमित्तः, द्रवकठिनशीतोष्णादावपि तथाव्यवहारप्रसङ्गात् ।

अस्तु तर्हि याहेष्वयेषु नित्यसन्देहः तथात्यविभागस्याशक्यत्वादिति चेत्, न ताप्त सर्वस्य यथार्थत्वादेव विभागोऽनुपपत्तिः, उत्तरविरोधात् । तथाहि, विपरीतमवगतं मयेति लौकिकी प्रतिपत्तिः, अन्यथारुयातिरिति च वैनयिकी यथार्था न वा ? उभयथाऽप्युच्चरेण न सर्वथाथार्थसिद्धिः ।

घटमे यह एकत्व व्यवहार बिना निमित्तरा नहीं है । क्योंकि निर्निमित्त होनेपर अनियमका प्रसङ्ग हो जायगा । अर्थात् सर्वत्र एकत्व-व्यवहार होने लगेगा । साथ ही एकत्व व्यवहारमें विस्तृधर्मराहित्यके सिवा कोई दूसरा निमित्त हो भी नहीं सकता । क्योंकि तथा परस्पर विरुद्ध द्रव और कठिन तथा शीत और उष्ण आदिमें भी एकत्व व्यवहार होने लगेगा । अर्थात् जब यह सिद्ध है कि घटादिमे एकत्व व्यवहारका कारण विस्तृधर्मका राहित्य ही है, तो इसीसे दह भी सिद्ध हो गया कि घट नाता परमाणुरूप नहीं है, किन्तु एक अवयवीरूप है ।

यदि वहो कि—वाहा विषयोंके बारेमें नित्य सन्देहात्मक ही ज्ञान रहे । क्योंकि ज्ञानके प्रभात्व और अप्रभात्वका विभाग तथा विज्ञानके प्रामाणिकत्व और अप्रामाणिकत्वका विभाग ही नहीं किया जा सकता है—तो यहाँ यह नहीं कह सकते कि सभी ज्ञान यथार्थ ही होते हैं, इसलिये यथार्थ अयथार्थरा विभाग अनुपपत्त है । क्योंकि मेरे प्रश्नका जो उत्तर दोगे, उसीसे तुम्हारे इस कथनका विरोध हो जायगा । जैसे—विपरीतमवगत मया (मिने विपरीत समझ लिया) यह लौकिकज्ञान (अपने ज्ञानकी विपरीतताका ज्ञान) अन्यथारुयाति (भ्रम) रूप है ? अथवा शास्त्राध्ययनसे उत्पन्न जो विजय अर्थात् विवेक, उसपर व्यवस्थित होनेसे यथार्थ है ? इस प्रश्नका दोनोंमें कोई भी उत्तर दो तो उससे सब ज्ञानकी यथार्थता नहीं सिद्ध हो सकेगी । अर्थात् “विपरीतमवगत मया” यह ज्ञान यदि मिथ्या हो तो सुतरा सिद्ध हो गया कि सभी ज्ञान यथार्थ नहीं है, यदि यह ज्ञान यथार्थ हो और पूर्ववाला ज्ञान

शब्दसंलापमात्रमेतन्न प्रतीतिरिति चेत्र, विवादानुपपत्तेः । न हि व्यवहारमात्रे परीक्षकाणां विवादः, न च नायम्-स्तीति । शब्दार्थे विवाद इति चेत्, एवं सत्यप्रतीतस्य निषेद्धुभग्नयत्वात् पराभिप्राप्यनिषेधार्थत्वाच विवादस्य, अभ्युपगन्तुप्रतिषेद्धयोः प्रतिषेध्यप्रतीतिः कर्थं नास्तीति ।

न चान्यज्ञानादन्यत्र प्रवृत्तिसम्मरोऽतिप्रसङ्गात् । न च

सचमुच ही विपरीत हो तो भी सुतरा सिद्ध हो गया कि अयथार्थ ज्ञान भी होता है । ऐसी स्थितिमें सभी ज्ञानहो यथार्थ मानकर तुम्हारा तथ्यात्मके विभागको असभव बताना असगत है ।

यदि कहो कि—“विपरीतमयत्वमया” यह बाह्यमात्र है, कोई प्रतीति नहीं है । अतः उसके यथार्थत्व—अयथार्थत्वका विकल्प नहीं किया जा सकता है । अर्थात् विपरीतात्मगति (अन्यथाख्याति) यह शान्तिक व्यवहारमात्र है, न कि कोई प्रतीतिरूप है—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि तब ख्यातियोंके सम्बन्धमें वादियोंका परस्पर विवाद ही अनुपपत्त हो जायगा । कारण, शान्तिक व्यवहारमात्रमें तो परीक्षकोंको कोई विवाद नहीं है । ऐसा भी नहीं है कि ख्यातिसम्बन्धी विवाद परीक्षकोंमें है ही नहीं ।

यदि कहो—‘अन्यथाख्याति’ शब्दमें तो सचमुच ही कोई विवाद नहीं है, केवल उसके अर्थमें प्रियाद है । अर्थात् कोई उसे विशिष्टज्ञान (रजतत्वविशिष्ट शुक्लज्ञान) मानता हुआ भ्रमरूप बताता है, तथा कोई अगृहीत है भेद जिसमें ऐसा दो ज्ञान मानता है, एक पुरोवर्तीका (शुक्रिका) अनुभवात्मक और दूसरा रजतका स्मरणात्मक तो ऐसी स्थितिमें जिसकी प्रतीति नहीं होगी उसका निषेध नहीं किया जा सकता । और दूसरेके अभिप्राप्यज्ञानका निषेध करना ही विवादका प्रयोजन है । अत भ्रमरूप विशिष्टज्ञानका समर्थन करनेवाले नेयायिक तथा प्रतिषेध करने वाले भीमात्मक, दोनोंको ही विशिष्टज्ञानकी प्रतीति क्यों नहीं है ? अर्थात् विना ज्ञान हुए उसका निषेध नहीं किया जा सकता । अतः प्रतिषेधरूपमें भ्रमात्मक विशिष्टज्ञान मानना ही पड़ेगा ।

एवं, अन्यज्ञानसे अन्यमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वैसा होनेपर

तज्ज्ञानसान्निध्यं नियामकमतिप्रसङ्गादेव । न च तत्सहितो
भेदाग्रहः, अग्रहप्राधान्ये भेदाविवक्षायां निवृत्तेरपि प्रसङ्गात् ,
तद्वधेतोरभेदाग्रहस्यापि विद्यमानत्वात् । नासौ निवर्तकाः,
अपि तु भेदाग्रह इति चेत्न, रजत एव नेदं रजतमिति कृत्वा न
निवर्तेत, भेदाग्रहस्य तत्कारणस्याभावात् । भावे वा विपरीत-

घटज्ञानसे पटमे प्रवृत्ति हीने लगेगी । अतः प्रकृतमे रजतज्ञानसे
पुरोकर्ता शुक्तिमें होनेवाली प्रवृत्ति तभी उपपन्न होगी, जबकि वहाँ केवल
रजतज्ञान न मानकर रजतत्वविशिष्ट शुक्तिज्ञान माना जाय । इसप्रकार
अन्यथाख्याति (भ्रम) सिद्ध ही हो गयी । यदि कहो—वहा शुक्तिमे
प्रवृत्तिरूप कारण है रजतज्ञानका शुक्तिज्ञानके सन्निहित होना । अर्थात्
रजतार्थी व्यक्ति शुक्तिमे इस कारण प्रवृत्त हो जाता है कि वहाँ रजतज्ञान
शुक्तिज्ञानके सहित है—तो अतिप्रसङ्गदोष हो जायगा । क्योंकि
कदाचित् पटज्ञानके सहित घटज्ञान हो तो घटार्थी व्यक्तिरूप पटमे प्रवृत्ति
होने लगेगी ।

यदि कहो कि—रजतज्ञानसे शुक्तिमे प्रवृत्तिका कारण केवल शुक्ति-
ज्ञानका सान्निध्य ही नहीं है, किन्तु उसके साथ साथ शुक्तिमे रजतका
भेदाग्रह भी नियामक है । इसीलिये पटमे घटका भेदाग्रह रहनेसे
घटार्थी व्यक्ति पटमे नहीं प्रवृत्त होगा—तो भेदाग्रहमे यदि अग्रह ही
मुख्य हो और भेद गौण हो तो वहा भेदकी जगह अभेदका अग्रह
मानकर रजतार्थीकी वहासे निवृत्ति भी होने लगेगी । क्योंकि निवृत्ति
का कारण है, शुक्तिमे रजतका अभेदाग्रह, सो वहा अभेदका भी
अग्रह है ही । इस प्रकार शुक्तिरजत स्वलमे भेदका अग्रह होनेसे
यदि प्रवृत्ति गानो तो अभेदका भी अग्रह होनेसे निवृत्ति भी गाननी
पड़ेगी ।

यदि यहो कि—अभेदका अग्रह निवृत्तिका कारण नहीं है, किन्तु
भेदका ग्रह निवृत्तिका कारण है—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि
रजतमे ही ‘भेद रजतम्’ इस ज्ञानके कारण जो निवृत्ति होती है, वह
नहीं हो सकेगी । क्योंकि निवृत्तिका कारण जो रजतभेदाग्रह, उसका
वहाँ अभाव है । यदि वहाँ रजतमे रजतभेदाग्रहका भाव मानो तो

ख्यातिरमिन्ने भेदप्रत्ययात् । तस्मात् प्रवर्तकविजियर्तकोऽप्य-
ग्रह एव तेषां स्वीकर्तुमुचितः । तथा च स दोपस्तदवस्थ एव ।

अय मेदः प्रधानम्, अङ्गमग्रहः, तदा सत्यरजतज्ञानाद्
रजते न प्रवर्तेत्, इदमंशरजताशयोभेदाभावादिति स्वप-
मूहनीयम् ।

प्रदृचिवत् प्रतिपत्तावप्युभयाग्रहस्तुल्य इति नेत्र, अग्र-
हस्याविविक्षितत्वात्, सामग्रीविशेषादेव तत्सिद्धेः । तत्वे-

विवरीतख्याति आ ही गयी । क्योंकि अभिज्ञमें भेदकी प्रतीति हुई है ।
इसलिये प्रवर्तकके समान निवर्तक भी अग्रहको ही मानना उचित है ।
अर्थात् जैसे, भेदके अग्रहको प्रवर्तक मानते हैं, वैसे ही अभेदके अग्रहको
निवर्तक भी मानना चाहिए । इस प्रकार शुक्ल रजतस्थलमें उत्त दोप
पूर्ववत् रह ही गया । अत भेदके अग्रहके साथ अभेदका भी अग्रह
होनेसे प्रवृत्तिके साथ ही निवृत्ति भी होने लगेगी ।

यदि कहो कि—भेदाग्रहमें भी भेद ही मुख्य है और उसका अग्रह
गौण है और ऐसा ही भेदाग्रह प्रवृत्तिका कारण है । अर्थात् जहा
वास्तविक भेद हो वहाँ उसके अग्रहसे प्रवृत्ति होगी, जैसे शुक्ल रजत
स्थलमें । अत पूर्वमें दिया गया निवृत्तिका प्रसङ्ग नहीं होगा, क्योंकि
अग्रहकी प्रधानता है नहीं—तो इस पक्षमें सत्य रजतज्ञानसे रजतमें
प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये । क्योंकि वहाँ इदमरा और रजताशमें
वास्तविक भेद कहाँ है, कि उसके अग्रहसे प्रवृत्ति हो सकेगी । यह तो
स्वयं विचार कर सकते हो ।

यदि कहो कि—भेदके अग्रहसे होनेवाली प्रवृत्तिके साथ ही जैसे
अभेदके अग्रहके कारण निवृत्तिका भी प्रसङ्ग दिया जा रहा है, वैसे ही
उत्त दोनों अग्रहोंके कारण परस्पर विरोधी आरोपात्मक ज्ञान भी एक
साथ होना चाहिये । अर्थात् जैसे भेदका अग्रह होनेसे शुक्ल रजतमें
अभेदका आरोप हो जाता है, वैसे ही उसी कालमें अभेदका भी अग्रह
होनेसे भेदारोप भी होने लगेगा और वहाँ प्रवृत्ति भी नहीं हो सकेगी—
तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि आरोपका कारण भेदका अग्रह नहीं
है किंतु सामग्रीविशेषसे ही आरोप होता है । अर्थात् शुक्ल रजतमें

अपरिस्फुरतीति हु नियमः । न च क्वचिदपि भेदाभेदाव्यावपि
तत्त्वं यतस्तथा स्यादित्येषा दिक् ।

नापि सर्वस्यायथार्थत्वात्, तद्ग्राहकस्य यथार्थत्वा-
यथार्थत्वाभ्यामुत्तरविरोधात् । तत् किञ्चित् प्रमाणं किञ्चिद-
प्रमाणमिति विभाग एव वस्तुगतिः । न चासौ प्रतीतिगति-
मग्रथूय व्यवहारगोचरः ॥

अभेदारोपके प्रति दोष कारण है तथा उनमें भेदज्ञानके प्रति दोषाभाव
कारण है । अत जब दोष और दोषाभावरूप कारण एक साथ नहीं
रह सकते तो अभेदारोप और भेदज्ञानरूप कार्य भी युगपत् कैसे होने
लगेंगे ? हा, आरोपके लिये यह नियम अवश्य है कि दोषके साथ साथ
वहाँ वस्तुतत्वका अस्फुरण भी रहना चाहिये । इसोलिये जहाँ शुक्तित्व
का ज्ञान रहेगा, वहाँ व्याकुचिक्यादि-दोषके रहनेपर भी अभेदारोप नहीं
होगा । एव शुक्ति-रजतका भेद तात्त्विक है, इसलिये भेदका अस्फुरण
(अप्रह) भी अभेदारोपके लिये अपेक्षित है । किन्तु शुक्ति रजतका
अभेद तो अवाचिक है, इसलिये उसका अस्फुरण (अप्रह) भेदज्ञानके
लिये सर्वथा अनुपयोगी है । अब अभेदका अप्रह होनेसे पूर्वोक्त भेद-
ज्ञान (भेदारोप) का प्रसङ्ग नहीं दे सकते । क्योंकि कहीं भी भेद
और अभेद दोनों तात्त्विक नहीं होते, जिससे कि वैसा प्रसङ्ग दिया जा
सके । इसका दिङ्मान निर्देश किया गया ।

“सभी ज्ञान अयथार्थ होते हैं, इसलिये तथ्यात्थवका विभाग अनुपयन
है” यह भी नहीं कह सकते । क्योंकि अयथार्थत्वका आहक जो ज्ञान
है, वह स्वयं यथार्थ है या अयथार्थ है ? इन प्रश्नोंका जो भी उत्तर दीगे
उससे तुम्हारे उक्त कथनका विरोध हो जायगा । अर्थात् अयथार्थत्वका
आहक ज्ञान यदि स्वयं यथार्थ हो तो वही एकज्ञान यथार्थ हो गया, किर
सभी ज्ञान अयथार्थ कहो हुए ? यदि अयथार्थत्वका आहक ज्ञान स्वयं
अयथार्थ है तो उसका विषयभूत पूर्वज्ञान यथार्थ सिद्ध हो गया । इस
प्रकार सभी ज्ञान अयथार्थ कहा हुए । इसलिए कुछ ज्ञान प्रमाण (यथार्थ)
होते हैं और कुछ अप्रमाण (अयथार्थ) होते हैं, यही वस्तुस्थिति
है । साथ ही इस प्रकारका प्रमाण अप्रमाणका विभाग वैसी प्रतीकिके

कथन्ता तु निरूप्यते स्वतः परतो वेति । आद्ये स्वयं स्वग्राहकेणेति^१ वा । तत्र न प्रथमः, स्वसंवेदनस्यासिद्धेः, प्रकाशत्त्वस्यासाधारणत्वात्, शब्दसाम्येनानुमानाप्रवृत्तेः । न विना व्यवहारका विषय नहीं हो सकता । इसलिये यह पूर्वोक्त कथन खण्डित हो गया कि—तथ्यायथ्य विभाग नहीं होनेसे वाचावस्तु नित्य सदिग्ध है ।

ज्ञानप्रामाण्यका स्वतस्त्वनिराकरण

अब ज्ञानप्रामाण्यकी कथाताना विचार किया जाता है कि ज्ञानका प्रामाण्य कैसे गृहीत होता है? स्वत या परत । स्वत पक्षमें भी उस ज्ञानका प्रामाण्य स्वय उस ज्ञानके द्वारा गृहीत होता है? या उस ज्ञानकी प्राहिका सामग्रीके द्वारा? उसमें प्रथम कल्प नहीं हो सकता । क्योंकि स्वका संवेदन ही असिद्ध है । अर्थात् ज्ञान अपना ही ग्रहण नहीं कर सकता, स्वगत प्रामाण्यका ग्रहण तो दूरकी बात है । आशय यह है कि धर्मिग्रहके बिना उसके धर्मका ग्रहण असम्भव है । यदि अपना ग्रहण करे भी तथापि स्वधर्म (प्रामाण्य) का ग्रहण सर्वथा असम्भव है । यदि स्वमें और स्वधर्ममें अभेद मानकर स्वग्रहणसे स्वधर्मका भी ग्रहण हो तो प्रामाण्यके समान अप्रामाण्य भी स्वतोग्राह्य होने लगेगा । किन्तु अप्रामाण्यको परतोग्राह्य मानते हो ।

यदि अनुमानसे सिद्ध करो कि—ज्ञान स्वप्रकाश प्रकाशत्वात्, प्रदीपवत्—तो यहा प्रकाशत्व-हेतुका अर्थ तजस्त्व मानो तो ज्ञानरूप पक्षमें उसके नहीं होनेसे वह हेतु स्वरूपासिद्ध हो जायगा । यदि प्रकाशत्वका अर्थ ज्ञानत्व लो तो वह पक्ष (ज्ञान) मात्रम् रहनेके कारण असाधारण हेत्याभास हो जायगा । यदि प्रकाशत्वका अर्थ प्रकाशशब्द वाच्यत्व लो तो उस शब्दसे गोपदवाच्य होनेके कारण गौके समान वाणी भी विषाणी (सौंगवारी) हो जायगी । इसलिए शब्दके साम्यके आधारपर अनुमान नहीं हो सकेगा ।

यदि कहो कि—‘ज्ञानवानह जानामि’ इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञानके प्रकाश होनेमें प्रमाण है । क्योंकि उक्त अनुभवमें ज्ञान विषय

^१ स्वप्राहकेण वेति १ पु० पा०

चार्यक्षमेवात्र प्रमाणम् , सन्दिग्धमेदत्वात् ।

अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थदृष्टिः ग्रसिद्ध्यति, परेण परवेदने
ज्ञवस्था स्यात् । न च किया स्वसजातीयक्रियाकर्मभाव-
मश्नुते छिद्रावदिति तर्कपुरस्कारान्वैप दोप इति चेन्न—

उपलम्भापरपर्यायाया दृष्टेः सिद्धिर्निष्पत्तिर्वा स्यात् प्रती-
तिर्वा । आद्येऽनागतोपलम्भवेदनप्रगङ्गः, अनुपलब्धस्यानि-

रूपमें भासित होता है—तो उक्त अनुभव भ्रातृज्ञानसे भिन्नरूप है? या
भ्रातृज्ञान ही है? यह सन्दिग्ध होनेसे ज्ञानका स्वप्रकाशत्व भी सन्दिग्ध
ही है। अर्थात् “घटोऽयम्” इस ज्ञानसे उसका ग्राहक “जानामि”
यह ज्ञान भिन्न है, इसलिये “घटोऽयम्” इत्यादि ज्ञान स्वतोभ्रातृ न
सिद्ध होकर परतोभ्रातृ ही सिद्ध होता है।

यदि कहो कि—ज्ञानका प्रत्यक्ष नहीं होनेसे अर्थदृष्टि ही (विषय-
ज्ञान) असिद्ध हो जायगी और विषयमें प्रवृत्ति-निवृत्ति नहीं हो सकेगी।
यदि दूसरे ज्ञानके द्वारा ज्ञानकी प्रतीति मानी जाय तो उस दूसरे ज्ञान-
की प्रतीति किसी तीसरे ज्ञानसे और तीसरेकी किसी चौथेसे, इस
प्रकार अनुवस्था-दोप होनेसे वह प्रथम भी ज्ञान (घटोऽयम् इत्यादि)
सर्वथा असिद्ध हो जायगा और ज्ञानके विना विषयकी ओर प्रवृत्ति नहीं
हो सकेगी। एवं कोई भी किया अपनी सजातीय क्रियाका कर्म नहीं
होती है। जैसे, छिद्राक्रियाका कर्म छिद्रा किया नहीं होती किन्तु काष्ठ ही
कर्म होता है। क्योंकि “छिद्रां छिनति” यह व्यवहार नहीं होता है।
इस तर्कके आधारपर ज्ञानकिया भी किसी अन्य ज्ञानकियाका अर्थात्
अनुव्यवसायादिका कर्म नहीं हो सकेगी। इसलिये “जानामि” यह अनु-
भव भ्रातृज्ञानसे अभिन्न ही है, ऐसा मानना चाहिये। अतः पूर्वमें जो
“जानामि” अनुभव तथा भ्रातृज्ञानमें भेदको सन्दिग्ध बताकर दोप दिया
गया था, अर्थात् ज्ञानको परतोभ्रातृ सिद्ध किया था, वह दोप नहीं है—

तो ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि अर्थदृष्टिका मानी है—अर्थका
उपलम्भ। अतः अर्थदृष्टिकी सिद्धिसे आपका क्या अभिप्राय है?
अर्थोपलम्भकी उत्पत्ति या अर्थोपलम्भकी प्रतीति। प्रथम अभिप्राय

ध्यते । न चाविद्यमनेनाविद्यमानस्योपलभ्म^१ इति स्वसंविचावसंवित्तिरेवेति ।

द्वितीये तु सिद्धसाधनम् । न ह्यनुपलब्ध उपलब्धो भवति । न चैव सत्यर्थोऽपि नोपलभ्येत । न ह्युपलभ्मप्रतीतिरथेवेदनमपि तूपलभ्मनिष्पत्तिः । उपलभ्मभाद्याहुपलभ्मनिष्पलेनेपर जो उपलभ्म अभी अनागत है (अभी उत्पन्न नहीं हुआ है), उसका भी प्रत्यक्ष होने लगेगा । क्योंकि आपके अभिप्रायानुसार उपलभ्मका प्रत्यक्ष हुए विना उपलभ्मकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है । अर्थात् विषयज्ञानकी उत्पत्तिके लिये पूर्वमें विषयज्ञानका प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, जो सर्वथा असंगत बात है । क्योंकि जो ह्यान अभी पैदा ही नहीं हुआ है, उसका पहले ही प्रत्यक्ष कैसे हो सकेगा ? कारण, जिस ह्यानका प्रत्यक्ष करना है, वह ह्यान अभी अविद्यमान है तथा स्वतोप्राद्यत्ववादीके मतानुसार वस अविद्यमान ह्यानका प्रादृक भी स्वयं बही है । अत अविद्यमान (स्वयं) से अविद्यमान (स्वयं) का ह्यान नहीं हो सकता है । इसलिए स्वतोप्राद्य माननेमें सर्वथा अप्राप्य हो जानेकी स्थिति आ जाती है ।

द्वितीय अभिप्रायमें तो सिद्धसाधनदोष हो जायगा । अर्थात् अर्थदृष्टिकी सिद्धिसे आपका अभिप्राय अर्थोपलभ्मकी प्रतीतिसे हो तो “अप्रत्यक्षोपलभ्मस्य” इस कथनका यह अर्थ होगा कि—जब तक उपलभ्मका प्रत्यक्ष (प्रतीति) नहीं होगा, तब तक अर्थोपलभ्मकी प्रतीति नहीं होगी—तो इसे मैं भी मानता ही हूँ । इस प्रकार सिद्धसाधनदोष आ जाता है । क्योंकि अनुपलब्ध को हम भी उपलब्ध नहीं बताते हैं । अर्थात् प्रतीतिकी दशामें ही हम भी प्रतीति मानते हैं, न कि अप्रतीतिकी दशा में । यहाँ यह नहीं कह सकते कि—अर्थज्ञानका ह्यान हुए विना अर्थका भी ह्यान नहीं हो सकेगा—क्योंकि ह्यानका ह्यान होना अर्थज्ञान नहीं है, किन्तु ह्यानकी निष्पत्ति (उत्पत्ति) होना अर्थह्यान है ।

यदि कहो कि—ह्यानका ह्यान हुए विना ह्यानोत्पत्ति हुई है, यह बयवहार ही कैसे होगा ?—तो ह्यानकी उत्पत्तिका जो व्यवहार होना है,

त्तिरित्येव व्यवहारः कुत इति चेत्, मा भूत्, न खब्यवहारा-
देव निष्पन्नस्य वस्तुनो निष्टिः । तथा च तन्त्रवन्धनोऽर्थ-
व्यवहारो दुर्बार एव^१ ।

न चानवस्था, अवश्यवेद्यत्वानभ्युपगमात्, निश्चयत् ।
अन्यथा त्वनिश्चितनिश्चपस्यार्थनिश्चयोऽपि न सिध्येत् । न

यह भले ही मत हो, उससे कोई हरनि नहीं है । क्योंकि केवल अव्यव-
हारके कारण उत्पन्न वस्तुकी निष्टिनि नहीं हो जाती है । अर्थात् ज्ञानका
ज्ञान नहीं होनेसे उस ज्ञानकी उत्पन्नत्वमें कोई रुकावट नहीं आती तथा
अर्थज्ञान उत्पन्न होनेके बाद होनेवाले अर्थसम्बन्धी ग्रहण या परित्यागरूप
व्यवहारमें भी कोई रुकावट नहीं हो सकती है । अर्थात् अर्थसम्बन्धी
व्यवहारके लिए भी अर्थज्ञान ही अपेक्षित है न कि अर्थज्ञानकी प्रतीति ।
यदि ज्ञात ज्ञान ही अर्थसम्बन्धी व्यवहारके योग्य माना जाय तो भी
ईश्वरहारा ज्ञात होनेसे ही काम चल जायगा, हम लोगोंके द्वारा ज्ञानका
ज्ञात होना व्यवहारके लिये आवश्यक नहीं है ।

ज्ञानको परतो प्राप्त माननेमें जो अनवस्था दोष दिये हो, वह भी
दोष नहीं हो सकता है । क्योंकि "समी ज्ञान अवश्य वेद्य ही है"
यह मैं नहीं मानता ।^२ एवं ज्ञानका ज्ञान हुए विना यदि अर्थका ज्ञान
भी असिद्ध हो जाय तो निश्चयका निश्चय नहीं होनेसे अर्थका भी
निश्चय नहीं हो सकेगा । क्योंकि स्वप्रकाशवादीके मतमें भी निश्चया-
त्मक ज्ञान अपने निश्चयत्वका निश्चय नहीं करता है । अर्थात् स्थाणु-
पुरुषादिके सन्देहस्थलमें स्थाणुत्व सूचक विशेषका दर्शन होनेपर जो
निश्चयात्मक ज्ञान होता है, वह अपने निश्चयत्वका निश्चय नहीं करता

१. दृष्टि इति २ पृ०, पा०

२. यद्यपि स्वप्नपुरुसमवायरूप-प्रत्यासति के रहनेसे ज्ञानके अवश्य वेद्य होनेमें
कोई वादा नहीं है, किर भी सुखादि-धारामीरोंके बलवती होनेसे सदा
ज्ञानका ज्ञान नहीं हो सकेगा । यदि हो तो सुखादिवा अनुभव ही
कभी न हो पायेगा । एवं, जैसे स्थाणि विशेषगुण उद्भूत और अनुद्भूत
दोनों होते हैं, वैसे ही ज्ञान भी विशेषगुण होनेके कारण उद्भूत (ज्ञात)
और अनुद्भूत (अज्ञात) दोनों ही होगा ।

चासौ स्वात्मन्यपि निश्चय इति वधूमापमापनवृत्तान्त-
मनुहरति ।

छिद्रादिवदिति तु दृष्टान्तमात्रेण नास्मदवधानम् । “ज्ञानं
न ज्ञानान्वरकर्म, तज्जातीयक्रियात्वात्, या यज्जातीया क्रिया
नासौ तत्क्रियाकर्म, यथा छिद्रा छिद्रान्तरस्ये” ति तु न्याय-
विष्णुः । छिद्रापत् सर्वथा सज्जातीयाकर्मत्वे साध्ये वाधित-
विषयत्वात्, पुरुषान्तरज्ञानस्य च पुरुषान्तरज्ञानवेद्यत्वात्,

है, यह बात स्वप्रकाशशाकी भी मानता है । ऐसो परिस्थितिमें यहाँ
ज्ञानके दृष्टान्तसे अर्थनिश्चय भी नहीं हो सकेगा । यह बात स्वतो
प्राध्यत्वबादीको नहीं सूझती है । इस प्रकार यह उड्ड भाषणेवाली वधूके
वृत्तान्तके तुल्य है । अर्थात् जैसे उड्ड तीलनेमें डगम कोई वधू अपने
गुमाह्नको ढकने का ख्याल न रखे वैसे तुम भी ज्ञानको स्वप्रकाश सिद्ध
करनेकी व्यवस्थामें अपने ऊर आनेवाले दोपाके समाधानका भी ख्याल
नहीं रखते हो ।

जो तो छिद्रा क्रियाका दृष्टान्त दिये हो, उस दृष्टान्तमात्रसे हमें
सन्तोष नहीं हो सकता है । क्योंकि जिना हेतु दिये केवल दृष्टान्तमात्रसे
कुछ सिद्ध नहीं होता ।

यदि कहो कि—ज्ञान अन्यज्ञानका कर्म नहीं हो सकता है, उसी
जातिकी क्रिया होनेके कारण, जो जिस जातिकी क्रिया होती वह उस
क्रियाका कर्म नहीं होती, जैसे छिद्राक्रिया अन्य छिद्राक्रियाका कर्म नहीं
होती है—तो यह न्याय नहीं है, न्यायाभास है । क्योंकि छिद्राक्रियाये
दृष्टान्तसे ज्ञानमें भी सर्वथा सज्जातीय (ज्ञान) क्रियाका अकर्मत्व सिद्ध
करनेमें वाध नामक हेत्वाभास हो जाता है । क्योंकि अन्य पुरुषका
ज्ञान अन्यपुरुषीय ज्ञानका विषय होता है तथा अपना ज्ञान भी अपने
ही स्मरणात्मक आदि ज्ञानका विषय होता है । अर्थात् पूर्वमें उत्पन्न
अपने ही ज्ञानका बाइमें अपनेको ही स्मरण आदि होता है । अत
ज्ञानके परतोपाहा होनेमें कोई अनुपरिक्ति नहीं है ।

यदि ज्ञानमें स्वकर्मत्व (स्वविषयत्व) सिद्ध करो तो छिद्रा आदि
सभी दृष्टान्तभूत क्रियायें स्वविषयत्वरूप साध्यमें रहिए ॥ - ८१

स्वयमपि स्मृत्युदिगोचरत्वाच् । स्वकर्मत्वे साध्ये दृष्टान्तस्य
साध्यविकलतया हेतोविरुद्धत्वादिति ।

नापि स्वग्राहकेण, विवेचनानुपपत्तेः । न हि प्रमाण-
अहर्णं यथार्थत्वैकनियतम्, अप्रमाणेऽपि प्रमाणाभिमानान् ।
अन्यथा विपर्ययज्ञानादप्रवृत्तिप्रसङ्गाच्च ।

ततो यदि प्रामाण्यमापाततः स्फुरेदपि, तथापि नियम-
हेतोरभावात् प्रमाणमेवेदमिति निश्चयः कुतः ? स च मृग्यते,

इसलिये वहाँका हेतु विरुद्धनामक हेत्वाभास हो जायगा । अर्थात् यह
ज्ञान उसी ज्ञानका विषय है, किया होनेसे, छिद्राके समान । इस
अनुमानमें दिया गया 'क्रियात्व' हेतु साध्यके विहङ्ग है । क्योंकि कोई
भी क्रिया अपना ही कर्म (विषय) नहीं होती है । जैसे, अर्ने ही
कर्त्त्वेर कोई नहीं चढ़ सकता । इसलिये ज्ञान स्वप्रकाश (स्वतोप्र ह्य)
नहीं हो सकता है ।

यदि कहो कि—ज्ञानका प्राहक जो अनुब्यवसाय या ज्ञाततारूप
लिङ्ग है, उसीके द्वारा ज्ञानगत प्रामाण्यका भी प्रहण होता है—तो यह भी
नहीं कह सकते । क्योंकि अनुब्यवसायके द्वारा अथवा ज्ञाततारूप लिङ्ग
के द्वारा ज्ञानका प्रहण होनेपर भी “वह ज्ञान प्रमाण ही है” ऐसा
निश्चयात्मक विवेचन नहीं हो सकता है । यदि कहो कि—अनुब्यवसाय
या ज्ञाततारूप हेतुसे उत्पन्न होनेवाली अनुमिति ही ज्ञानको प्रमाणके रूपमें
भासित करायेगी—तो यह कोई नियम नहीं है कि जिस ज्ञानलो हम प्रमा-
रूपमें समझेंगे, वह वस्तुतः यथार्थ ही हो, क्योंकि अप्रमाणमें भी प्रमाणका
अभिमान हो जाया करता है । यदि ऐसा न होता तो भ्रमात्मक ज्ञानसे
कभी भी प्रवृत्ति नहीं होती । अर्थात् भ्रमात्मक ज्ञानमें जब प्रमाण्यका
निश्चय हो जाता है वब वहाँ प्रवृत्ति देती जाती है । यदि अप्रमाणमें
प्रमाण्यका अभिमान असंभव होता तो उक्त भ्रमरथलमें प्रवृत्ति होती ही
नहीं । अतः ज्ञानप्राहक सामग्रीके द्वारा प्रामाण्यका निश्चय नहीं ही
सकता है ।

यदि ज्ञानप्राहक सामग्रीसे प्रामाण्यका आपाततः भुरण हो भी जाय

पारलौकिकब्यवहाराङ्गत्वात् । शङ्कनिवर्तनेन तदप्रत्यूहं निश्चितमेवेति चेत्, तन्निवृत्तिरेव कुरुः ? प्रमाणान्तरादिति चेत्, तदपि निश्चयफलमन्यथा चेति । अन्यथात्त्वे न शङ्कादिच्छेदो निश्चयसाध्यत्वात्त्वस्य । निश्चयफलत्वे तु यो मृग्यते नासी स्वत इति ।

स्फुरणमात्रमपि तावदस्तु स्वत इति चेत्, किं तेन ? न चैतुदपि, अननुसंहितोपाधेष्टप्रत्प्रस्थोमाद् । न च

तो भी प्रामाण्य नियामक हेतुके विना “यह प्रमात्मक ही है” यह निश्चय कैसे होगा ? और प्रामाण्य निश्चयकी ही अपेक्षा है । क्योंकि प्रामाण्य-निश्चय ही पारलौकिक डृश्यहारोंका अद्वा है । अर्थात् लौकिक प्रवृत्ति जैसे तैसे (प्रामाण्य सन्देहमें भी) भले ही हो जाय, किन्तु पारलौकिक प्रवृत्ति, जो यहुत व्यय और आयाससे साध्य है, प्रामाण्य निश्चयके विना कैसे हो सकेगी ?

यदि कहो कि—ज्ञानप्रादक सामग्रीसे ही प्रामाण्यका ज्ञान होगा, तथा जिस किसी प्रकारसे अप्रामाण्यशङ्काकी भी निवृत्ति हो जानेसे निर्विद्धरूपसे प्रामाण्य भी निश्चित ही हो जायगा—तो बताओ, अप्रामाण्य शङ्का की निवृत्ति ही कैसे होगी ? यदि वहो—दूसरे प्रमाणसे—तो वह शङ्कानिवर्तक प्रमाणान्तर प्रमाणाण्यका निश्चय करायेगा या नहीं ? यदि नहीं कराये तो शङ्काकी निवृत्ति भी नहीं हो सकेगी । क्योंकि प्रामाण्य-निश्चय होनेपर ही अप्रामाण्य शङ्का निवृत्त हो सकती है । यदि तो वह प्रमाणान्तर ज्ञान प्रामाण्यका निश्चय कराये तो स्पष्ट ही है कि जिस प्रामाण्य निश्चयकी अपेक्षा है, वह स्वतः (ज्ञानप्रादक सामग्री, अनुव्यवसाय या ज्ञातवालिङ्गक अनुमानसे) न होकर प्रमाणान्तरसे होता है ।

यदि कहो कि—प्रामाण्यका निश्चय न हो सकनेपर भी प्रामाण्यका स्फुरणमात्र भी स्वत छुआ, उतनेसे ही प्रामाण्यमें स्वतोप्राहाय सिद्ध हो गया—तो उस प्रामाण्य स्फुरणसे व्यय लाभ है ? जब कि उससे निष्क्रम्प प्रवृत्ति नहीं होती है । साथ ही यह स्फुरण भी नहीं हो सकता है ।

विषयोपधानमात्रं प्रामाण्यम्, तदामाससाधारण्यात्, अपि स्वनुभवस्य सतो भूतार्थानुसन्धानम्। न चार्थानुसन्धानेऽपि तस्य भूतत्वमनुसन्धीयते, आरोपितत्वव्यावर्तकमिशेषणाननु-सन्धानात्, अननुसंहितस्य चारोपसाधारण्यात्।

क्वचिद् विशेषोऽप्यनुसन्धीयत इति चेत्, न कापि प्राथ-
मिकेन। अन्यथाऽनभ्यासदशायां तत्रापि संशयो न स्यात्।
अभ्यासदशोत्पन्ने तु अनुसन्धानं व्याप्तिग्रहजनितसस्कार-

क्योंकि ज्ञानके प्रमात्रम् होनेमें विशेष्यावृत्त्यप्रकारकत्व (विशेष्यमे नहीं रहने वाला जो धर्म, उसका ज्ञानमें प्रकार नहीं होना) उपाधि है। अतः उस व्याधिका भान हुए विना प्रामाण्योपहित ज्ञानका भान नहीं हो सकता है। केवल विषयका भान हो जाना ही प्रमाण्य नहीं है, क्योंकि विषयके अभावमें भी विषयका भान हो जाया करता है। किन्तु अनुभव होते हुए यथार्थभान होना ही प्रामाण्य है। केवल अर्थ का (विषयका) भान होनेपर उसके घटनविकल्पका भान तक तक नहीं होता है, जर तक कि उसकी अवास्तविकताको दूर करने वाले विशेषणों (विशेष्यावृत्त्यप्रकारकत्व आदि) का भान नहीं हो जाता। विशेषणका भान हुए विना तो यह आरोपात्मक मिथ्याज्ञानके तुल्य है।

यदि कहो कि—कहीं करतलादिज्ञानमें विशेष (वास्तविकत्व) भी भासित ही हो जाता है—तो कहीं भी प्राथमिक ज्ञानके द्वारा अर्थात् अनुव्यवसाय या ज्ञातता लिङ्गक अनुभानके द्वारा नहीं भासित होता। अन्यथा (प्राथमिकज्ञानसे ही यदि प्रामाण्यका भान हो तो) अनभ्यास दशामें (पहले पहल) उत्पन्न ज्ञानमें भी प्रामाण्यका सशय नहीं होना चाहिये। अर्थात् जिस हयकिको अग्निका परिचय विलुप्त न है, उसको किसीके कहनेपर जब अग्निज्ञान होता है, तब उसे उस ज्ञानके प्रामाण्यका भी स्वयं ज्ञान हो जाना चाहिये। तथा उसे “यह ज्ञान प्रमा है या अप्रमा है” ऐसा सराय नहीं होना चाहिये।

यदि कहो कि—अभ्यासदशामें उत्पन्न जो करतलादि उसमें से प्रामाण्यका स्वतः ही निश्चय हो जाता है न कि प्रमाण्यका सशय होता

समुद्रवस्मरणवलेन भवन् प्रमाणान्तररारीर एव प्रविशतीति
परते एवायश्चिष्यते ।

तत्राप्यनवस्थेति चेत्, न तावदसौ दृष्टान्तद्वारिका,
प्रागेव तनिश्चयात् । फलद्वारिका तु स्यादपि, यदि प्रामाण्य-

है— तो वहाँ भी बार-धार सद्व्याकरणसे उत्पन्न जो व्याप्तिशान, उससे
उत्पन्न जो संस्कार, उसके द्वारा होने वाले व्याप्तिशरणके घटसे ही
प्रामाण्यका निश्चय होता है अर्थात् वहाँ भी दृष्टान्तीयत्व-टेतुसे ही
प्रामाण्यका प्रहण होता है । जैसे, अव्यं पूर्खिवीत्वेनानुभवः, पूर्खिवीत्ववति
पूर्खिवीत्वप्रकारक, गन्धवद्विशेषयपूर्खिवीत्वप्रकारकनिश्चयजातीयत्व-
त्वात्, पूर्वपूर्खिवीत्वप्रकारकनिश्चयवत्, इत्यादि । क्योंकि तदुत्पत्ति
प्रकारक अनुभव ही तो प्रमाण है । अत यह भी अनुमानप्रमाणमें ही
अन्तर्भूत हो जाता है । इससे यही निष्कर्ष आता है कि प्रामाण्य
परतोपाद्य ही है, स्वतोप्राद्य नहीं ।

यदि कहो कि— दृष्टान्तीयत्वरूप लिङ्गसे प्रामाण्यका ज्ञान (अनुमान)
करनेमें भी तो अनवस्थानामक दोष आ जाता है—तो क्या यहाँ दृष्टान्तवे
द्वारा कारणमुखी अनवस्था होगी ? या अनुमितिरूप फलके द्वारा फल
मुखी ? यहाँ दृष्टान्तको लेकर अनवस्था नहीं हो सकती है । क्योंकि
दृष्टान्तमें हो प्रामाण्यका निश्चय वर्तमान अनुमितिसे पूर्व ही हो चुका
है । तभी तो वह दृष्टान्त बना है । अतः पक्षभूत ज्ञानमें प्रमाणकी
अनुमिति करनेके समय दृष्टान्तभूत ज्ञानमें प्रामाण्यानुमितिकी अपेक्षा
ही नहीं रहती है कि उसमें भी प्रामाण्यानुमिति करनी पड़े और उसके
लिये जो दूसरा दृष्टान्त दिया जाय, उसमें भी प्रामाण्यानुमिति करनी
पड़े । तथा ऐसे ही अनवस्थितरूपसे जो जो दृष्टान्त बनता जाय, उन
सभीमें प्रामाण्यानुमिति करनी पड़े जाय । अर्थात् दृष्टान्तभूत ज्ञानमें
पूर्वसे ही प्रामाण्यज्ञान हुए रहनेसे दृष्टान्तकृत अनवस्था नहीं हो
सकती है ।

अनुमितिरूप फलको लेकर तो तभी अनवस्था होती यदि जिस अनु-
मितिसे वर्तमान ज्ञानमें प्रामाण्यका निश्चय करते हैं, उस अनुमितिमें भी
प्रामाण्यका निश्चय करना आवश्यक माना जाय । अर्थात् अनुमिति-

मवश्यनिश्चयमभ्युपेयते । अज्ञातप्रामाण्येन कर्थं परग्रामाण्य-
वेदननिति चेत्, यथा विषयसंवेदनम् ।

अस्तु तहिं धमिलिङ्गद्वारिका, ताम्यामनिश्चिताभ्याम-
ननुमानात्, तनिश्चयस्य च प्रामाण्यनिश्चयमन्तरेणानुपपत्तेः,

द्वारा वर्तमान ज्ञानमें प्रामाण्य निश्चय कर लेनेपर पुनः उस अनुमितिमें
प्रामाण्य-निश्चय करने के लिये अनुमानान्तर करना कोई आवश्यक
नहीं है ।

यदि कहो मि—उस अनुमितिमें प्रामाण्यका ज्ञान हुए विना उसके
द्वारा वर्तमान ज्ञानमें प्रामाण्यका कैसे निश्चय हो सकता है ? क्योंकि
जो स्वयं अप्रभाण है वह दूसरेको प्रमाण कैसे सिद्ध कर सकता है ? तो
इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार “अय घट” यह व्यवसायात्मक
ज्ञान अपना प्रामाण्य निश्चय हुए विना ही घटघरतुका निश्चय करा देता
है, वेसे ही अनुमिति भी अपना प्रामाण्य निश्चय हुए विना ही पक्षभूत
ज्ञानमें प्रामाण्यका निश्चय करा देती है ।

यदि कहो कि—हष्टान्तको या पल्को लेकर भले ही अनवस्था न हो
विन्तु धर्मी और लिङ्ग (हेतु) को लेकर तो अनवस्था होगी ही ।
क्योंकि धर्मी (पक्ष) का तथा लिङ्ग (हेतु) का निश्चय हुए विना
प्रामाण्यानुमिति नहीं हो सकती है । एव धर्मी और लिङ्गका निश्चय
तभी होगा जबकि धमिविषयक और लिङ्गविषयक ज्ञानमें भी प्रामाण्य
का निश्चय हो जाय । और वह प्रामाण्य निश्चय भी न्यायमतानुसार
स्वत न होकर अनुमानान्तरसे होगा । तथा उस अनुमानान्तरमें भी
जो पक्ष और हेतु होगा, उसके निश्चयके लिये उसके ज्ञानमें भी
प्रामाण्यका निश्चय उसे अपेक्षित होगा तथा उस प्रामाण्यके निश्चयार्थ
भी नैयायिकको पुनः अनुमानान्तरकी शरण लेनी पड़ेगी । इस प्रकार
पक्ष और हेतुके निश्चयहो ही लेकर अनवस्थादोष पहुँच जाता है—
यह आक्षेप नहीं दे सकते । क्योंकि प्रामाण्यानुमितिमें हर जगह ज्ञान ही
पक्ष और हेतु रहता है तथा उस ज्ञानका ज्ञान अनुव्यवसायरूप है और
अनुव्यवसायमें प्रामाण्य-अप्रामाण्यका द्वैत होता ही नहीं है । अर्थात्
अनुव्यवसाय सदा प्रमाण ही होता है । अत उस अनुव्यवसायमें

न, द्वैताभावात् । यत्र हि लिङ्गज्ञाने घर्मिज्ञाने वा तथ्यात्तथ्यभावेन द्वैतमुपलभ्यते तत्र तयात्त्वानिथये लिङ्गमाभासशङ्काक्रान्तरया न निश्चीयते । यत्र तु रज्जानं रदेकनियतं तत्र तावतैः लिङ्गनिश्चयः, रदाभासशङ्कानुत्थानात् । एककोटिनियतो धनुभवो निश्चयः । ज्ञानतद्वर्मग्राहिणि च ज्ञाने न द्वैतमिति व्यवस्थितिरेव । प्रामाण्यनिश्चयस्तु तस्यापि परा एवेति न्यायसंप्रदायः । इत एव विशेषात् रात्मस्य स्वत एवेति तात्पर्याचार्याः ।

अप्रामाण्यकी आशङ्का ही नहीं रहती है । इसीलिये उसमें न प्रामाण्यमहकी अपेक्षा होती है और न उसके लिये अनुमानान्तर करनेकी ही आवश्यकता पड़ती है । अतः अनवस्थादोष नहीं है ।

जहाँपर लिङ्गज्ञानं या घर्मिज्ञानमें प्रामाण्य-अप्रामाण्यका द्वैत होता है, जैसे धूमादिज्ञानसे अग्निविषयक अनुमानस्थलमें, यहीं पर लिङ्गादिज्ञानमें प्रामाण्यका निश्चय नहीं रहने पर अप्रामाण्यकी शङ्कासे प्रस्त होनेके कारण यहाँ लिङ्गका निश्चय नहीं हो पाता है । अतः यहाँ लिङ्गादिके निश्चयार्थ प्रामाण्यानुमिति करनी पड़ती । किन्तु जहाँपरां लिङ्गादिज्ञान नियतरूपसे प्रमाण ही रहता है, जैसे, ज्ञानपक्षक प्रामाण्यानुमिति स्थलमें ज्ञानविषयकज्ञानरूप अनुव्यवसाय सदा प्रमाण ही रहत है, यहाँपर उस अनुव्यवसायसे ही लिङ्गका निश्चय हो जाता है, क्योंकि वहाँपर अप्रामाण्यकी शङ्का ही नहीं उठती है । कारण, एक कोटिसे नियत जो अनुभव, वही तो निश्चय है । ज्ञानको और उसके धर्म (प्रस्त्यक्षत्व, अनुमितित्व, शास्त्रदृत्व, स्थृतित्व आदि) को अहण करने वाले अनुव्यवसायात्मक ज्ञान (प्रस्त्यक्षयामि, अनुमिनोमि, शास्त्रदयामि, समरामि इत्यादि) में प्रामाण्य-अप्रामाण्यरूप दो कोटियां नहीं होती हैं, यह व्यवस्थिति ही है । यहाँ भी यदि हठात् प्रामाण्यका निश्चय करना चाहे तो परतः ही अर्थात् अनुमानके द्वारा ही होगा न कि स्वतः, यह न्यायका सिद्धान्त है । न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकाकार श्रीबाचस्पतिमित्रने जो अनुमानको स्वतः प्रमाण कहा है, उसका भी यही आशय है कि

स्यान्मतम्, एतदेव तु कथं निश्चयं यदेवम्भूतमेक-
कोटिनियतमेव, यावता तत्राप्यनगस्थितिरिति वेद, व्यासि
ज्ञानस्य साक्षादात्मन्यप्रवृत्तावपि सर्वोपसहारेण यसुपाधिमा-
दाय प्रवृत्तिस्वद्धर्मवर्त्तात् । तजातीयत्वं हि तत्रोपाधिस्तत्त्वं
तत्राप्यविशिष्टमनुव्यवसायत्वात् ।

जहाँ अप्रामाण्यकी आशङ्का ही न रहे, वहाँ प्रामाण्यानुमित्तिकी आव-
श्यकता नहीं है ।

यदि कहो कि उक्त सिद्धान्त रहे, किन्तु यही कैसे निश्चय है कि
अनुव्यवसायमें एकमात्र प्रमाणज्ञोटि ही नियत रूपसे है, उसमें अप्रा-
माण्य कभी नहीं रहता । इसलिए अनुव्यवसाय सदा प्रमाण ही होता
है, इस व्यासितिकी सिद्धि भी किसी अन्य अनुमानसे ही करनी होती ।
तथा उस अनुमानके लिए पुन व्यासिज्ञान लिङ्गज्ञानादिकी आवश्यकता
पड़ेगी । एव उस व्यासिज्ञान आदिमें भी बिना प्रामाण्यानुमित्ति निये
काम नहीं चल सकता, इस प्रकार पुन अनवस्थादोष आ ही जाता है—
वो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि व्यासिज्ञानमें साक्षात् (सीधे)
अपने धारैमें प्रवृत्ति नहीं होनेपर भी सधको सगृहीत करनेवाले जिस
धर्मको लेकर प्रवृत्ति होती है, वह धर्म स्वयं उस व्यासिज्ञानमें भी है ।
तज्जातीयत्व ही तो वहाँ उपाधि (धर्म) है और वह उसमें भी समान
ही है । क्योंकि अन्य अनुव्यवसायोंमें रहनेवाला अनुव्यवसायत्व धर्म
उस व्यासिज्ञानमें भी है । इस प्रकार अन्य अनुव्यवसायोंमें नियतरूपसे
एकमात्र प्रामाण्यकोटिको सिद्ध वराता हुआ अनुव्यवसायत्व धर्म अनु-
व्यवसाय होनेरे नाते अपनेमें भी वह नियम लागू कर लेगा । अर्थात्
जो जो अनुव्यवसाय होता है वह सर प्रमाण ही होता है, ऐसी व्यासि
अनुव्यवसायत्वायच्छेदन^१ गृहीत है । तथा वह अनुव्यवसायत्व जाति
इवय इस व्यासिज्ञानमें भी है, अत अन्य अनुव्यवसायोंमें प्रामाण्यानुमित्ति
कराता हुआ अपनेमें भी प्रामाण्यप्रह करा ही लेगा, उसके लिए अति
रिक्त अनुमित्तिकी आवश्यकता नहीं है । अत अनवस्थादोष नहीं आता ।

न च सामान्यतो नियमनिश्चये तदालिङ्गिते विशेषे द्वैत-
शङ्खापकाशः । यथा वाचकः शब्द इति स्वात्मनो वाचकत्वं
न साराद् विद्वते वृत्तिविरोधात्, तथापि सामान्येन यमु-
पाधिमधिकृत्य प्रवृत्तः शब्दस्तद्व्यात् शब्दशब्दो वाचको न
वेति शङ्खया न परिभूयते, नाप्यनवस्थेत्येव मिहापीति ।

तर्काङ्कार भवन्ति—यदि धर्मज्ञानं व्यभिचरेत्, निरा-
लभ्यन्तमसदालभ्यन्तं वा भवेत्, निषिद्धं च तत् । यद्यनुव्यव-
सायो व्यभिचरेत्, तदार्थकर्मकोऽपि न स्यात्, ज्ञानेवरस्यार्थ-

सामान्यरूपसे प्राप्ताण्यकी व्याप्रिया निरचय हो जानेपर सामान्या-
न्वर्गात् विशेषमे प्राप्ताण्य अप्राप्तरूप द्वैतकी शङ्खाका अवसर ही नहीं
रहता है । जैसे, 'शब्द वाचक होता है' यह नियम अपने ('शब्द') इस
शब्दके) वाचकत्वे परेमे साक्षात् विद्वान् नहीं करता है, क्योंकि
अपनेमे अपनी वृत्ति (स्थिति) पा होना विरुद्ध है । पिर भी सामान्य-
'रूपसे जिस उपाधिको (शब्दत्वको) लेकर पटपटादिशब्द वाचक
होता है, वही शब्दत्वरूप उपाधि स्वयं शब्दशब्दमें भी है, इसलिये
"शब्दशब्द वाचक है या नहीं" यह शङ्खा नहीं उठती और न अन-
वस्था ही आती है । वैसे ही सभी अनुव्यवसाय प्रमाण ही होता है, इस
नियममें भी अप्राप्ताण्य की शङ्खा नहीं होगी तथा इस नियमकी सिद्धिके
लिये अलग व्याप्रिया और अनुभितिकी अपेक्षा नहीं होनेसे अनवस्था
भी नहीं होगी ।

यहाँ उक्त व्याप्रियोंके पोषक तर्क भी हैं । अर्थात् धर्मज्ञान
(ज्ञानरूप पक्षका हान) प्रमाण ही है, अनुव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण
ही है तथा सज्ञातीयज्ञान भी प्रमाण ही है, इन व्याप्रियोंके अनुकूल तर्क
भी है । जैसे, यदि धर्मज्ञान व्यभिचारी (अप्रमाण) हो तो वह
निविषयक (विना विषयक) होगा या असदविषयक होगा । किन्तु ये
दोनों ही प्रकार पूर्वमें खण्डित हो चुके हैं । क्योंकि विना विषयकका
कोई ज्ञान होता ही नहीं है । तथा सर्वथा अलीकविषयक भी हान
नहीं होता । अन्यथा शशशङ्खका भी ज्ञान होने लगेगा ।

एव, अनुव्यवसाय यदि व्यभिचारी (अप्रमाण) हो तो वह अर्थ-

आवण्याभावात् । यदि तज्जातीयं व्यभिचरेत्, अव्यभिचारो
न क्षचिद् व्यवतिष्ठेत् । तदव्यवस्थितौ व्यभिचारोऽपि न
स्यात्, अन्यथाख्यातिरूपत्वात्तरम् । तत्वस्थितौ च न्यथ त्वं
स्यात्, तदवधिकत्वात् ।

एतेन स्वप्नजागरावस्थयोरविशेष इति निरस्तम् । असत्-
ख्यातेश निराकृतत्वात्, अन्यथाख्यातेश तत्वख्यातिव्यव-

कर्मक भी नहीं हो सकेगा । अर्थात् वह घट आदि वाहिपियोंको
मासित नहीं कर सकेगा । क्योंकि अनुव्यवसायात्मक ज्ञान मानस है
और व्यवसायात्मक ज्ञानके विना मनकी सीधी पहुँच वाला विषयतक
नहीं है । अर्थात् इन्द्रियसञ्जिकर्षसे उत्पन्न व्यवसायात्मक ज्ञान अर्थको
विषय बनाना है और उस व्यवसायात्मक ज्ञानको विषय करनेके कारण
ही अनुव्यवसाय भी अर्थविषयक हो जाता है । अन्यथा अनुव्यवसाय
में अर्थमान होता ही नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि अनुव्यवसाय ज्ञान
व्यवसायात्मक ज्ञानको अपना विषय बनानेके सम्बन्धमें सर्वथा अव्यभि-
चारी है । एवं, सज्जातीय ज्ञान भी यदि व्यभिचारी (अप्रमाण) हो जाय
तो अव्यभिचारनामकी वस्तु ही ससारसे उठ जायगी । और अव्यभि-
चारके अव्यवस्थित हो जाने पर व्यभिचार भी समाप्त हो जायगा ।
क्योंकि अन्यथाख्याति ही तो व्यभिचार है । अत जब तक कहीं
तात्त्विकता (अव्यभिचार) नहीं होगी, तब तक अन्यथात्वरूप व्यभि-
चारका भी व्यवहार नहीं हो सकता । क्योंकि अन्यथात्व तत्त्वसापेक्ष
होता है ।

इस पूर्वोक्त तथ्यात्मक विभागके व्यवस्थापनसे—स्वप्न और जागर
अवस्थाओंमें कोई भेद नहीं है—यह कथन भी खण्डित हो गया । अर्थात्
“जागरज्ञान भ्रान्त ज्ञानत्वात् स्वप्नज्ञानवत्” यह अनुमान भी खण्डित
हो गया । क्योंकि असत्-ख्याति और आत्म-ख्यातिका निराकरण किया
जा चुका है । अत अन्यथाख्याति ही वच जाती है । तथा वह भी तत्त्व-
ख्यातिकी व्यवस्थाके विना अनुपपत्त है । इसलिये तत्त्वख्याति (तथ्यज्ञान)

स्थामन्तरेणानुपपत्तेरिति । सा च यदि जागरेऽपि न रथाद्, न स्यादेवेति ।

तथापि कथमनयोरत्वस्थयोर्विभागः कर्तव्य इति चेन्न, लोकसिद्धत्वात् । किमनयोर्लक्षणमिति चेन्, कर्तुकर्मकरण-कालप्रबन्धवाघः काकतालीयसंवादवान् स्वप्नस्य, प्रबन्धे

को भी मानना आवश्यक है । अत यदि वह तत्त्वख्याति जागर-अवस्था में भी न हो तो वह कभी होगी ही नहीं । अर्थात् अन्यथाख्यातिकी उपपत्तिके लिये जागरदशामें तत्त्वख्यातिका होना आवश्यक है । एवं उक्त अनुमानके द्वारा क्या कुछ जागर-ज्ञानको भावन्त सिद्ध कर रहे हो ? या सभी जागर-ज्ञानको ? यदि कुछको भावन्त सिद्ध करो तो ऐसा हम भी मानते हैं । अतः उक्त अनुमानमें सिद्धसाधनदोष आ जाता है । यदि सभी जागर-ज्ञानोंको भावन्त सिद्ध करो तो सब यह तुम्हारी अनुमिति ही जागरकालीन होनेसे भ्रमातिमिका हो जायगी । ऐसी स्थितिमें जो अनुमिति स्वयं अत्याकृत है, वह जागर-ज्ञानोंको भावन्त कैसे सिद्ध कर सकेगी ?

यदि कहो कि—यह अनुमिति भावन्त नहीं है—तो भी तुम्हारी यह प्रतिक्षा कि “सभी जागर-ज्ञान भावन्त ही होते हैं” इसीसे समाप्त हो गयी ।

फिर भी यदि पूछो कि—इन स्वप्न-जागर अवस्थाओंमें भेद कैसे किया जा सकेगा ?—तो यह नहीं पूछ सकते । क्योंकि स्वप्न-जागरका भेद तो लोकसे ही सिद्ध है । यदि पूछो कि—इन दोनोंका लक्षण क्या है ?—तो सुनो, कर्ता कर्म करण देश-काल आदि प्रबन्धों (उपकरणों) का बाध होना और काकतालीय न्यायसे कुछका सही हो जाना यह स्वप्नका लक्षण है । यहाँ काकतालीय इसलिये कहा कि सबका बाध हो जाय तो स्वप्नदालमें निर्विषयक ज्ञान कैसे होगा ? उसके लिये कोई विषय चाहिये । अन्यथाख्याति कैसे होगी ? उसके लिये कोई तत्त्व भी चाहिये । आरोप कैसे होगा ? कोई आधार चाहिये । तथा जानने पर कहीं कुछ सही भी क्यों निकल आता है ? इसी आशयसे काकतालीय कहा ।

काकतालीयः कस्यचिदेव विपयस्य वाधो जागरस्येति ।

एतेन बाध्यप्रबन्धोऽवस्थाविशेषः स्वप्नः, प्रबन्धवाधका-
दिवाध्यमानप्रबन्धान्तो जागरितमित्यपि द्रष्टव्यमित्येषा दिक् ।

तस्मात् तथ्यमेव विश्वपूर्व, मन्दप्रयोजनत्वात् सत्त्वरैर्मु-
मुक्षुभिरुपेक्षितमिति युक्तमुत्पद्धतिः ।

तहिं नैयायिकानां जगत्परिक्षणे कोऽयमभिनिरेशाति-
शय इति चेत्, सहसैव तदुपेक्षायां न्यायाभासावकाशे प्रमाण-

एवं, प्रायः सभी युक्ति सही होना और काकतालीयन्यायसे कर्ता-कर्म आदि उपकरणोंमें किसीका कभी वाध हो जाना—यह जागर-अवस्थाका लक्षण है। यहां भी काकतालीयपद शुक्ति-रजत रजु-सर्प आदि भ्रमों के अभिप्रायसे कहा।

इसी प्रकार—जिसमे कर्ता-कर्म आदि प्रबन्ध वाधित हों, ऐसी विशेष अवस्था स्वप्न है। और पूर्व स्वप्नोपकरणोंका वाधक है आदिमें जिसके, तथा भावी स्वप्नोंका प्रबन्ध बाध्यमानरूपसे है अन्तमें जिसके, ऐसी विशेष अवस्था जागरित है—यह भी लक्षण समझना चाहिये। इस प्रकार यह दिमात्र निर्देश किया गया। (किसी किसी के मतानुसार नाड़ी और मनके संयोगसे उत्पन्न ह्वान स्वप्न है तथा उससे भिन्न ह्वान जागर है। अथवा स्वप्नत्व मानसत्व व्याप्ति एक जाति है, ऐसे ही जागरत्व भी एक जाति-विशेष है।)

इसलिये निष्कर्ष यही हुआ कि संसार तथ्य ही है। उपनिषद्भ्यास-
के द्वारा जिन्हें आत्मतत्त्वका साक्षात्कार हो गया है, ऐसे वेदान्ती तो
मोक्षकी शीघ्रतामें प्रपञ्चविचारको मन्द-प्रयोजन मानते हुए उससे
उदासीन हो गये—यह हम उचित समझते हैं। यदि पूछो कि—
नैयायिक भी मोक्षाभिलाषी हैं, फिर उनका जगत्की वास्तविकता सिद्ध
करनेमें यह विशेष आग्रह क्यों है?—तो यह आग्रह इस भयसे है कि
एक य एक विश्वकी उपेक्षा कर देनेपर असत् न्यायोंको अवसर मिल

मात्र विष्णुरो भवेत् । सथा च न्यायरुचिः प्रेक्षायान् न
तत्त्वमधिगच्छेदिति मिथेति ॥

॥ इति वाह्यार्थभक्तवादः ॥

जायरा और मननका आधारभूत प्रमाणमात्र ही विलुप्त हो जायगा ।
तथा श्रवणके बाद मनन करनेकी इच्छायाते बुद्धिमान् जन तत्त्वज्ञानको
नहीं प्राप्त कर सकेंगे ।

। इति वाह्यार्थभक्तवादनिरास ।

अथ गुणगुणिभेदभङ्गवादः

अस्तु तहि गुणगुणिनोरभेदान्नेरात्म्यम्, क्षणिकज्ञान-
मात्रपरिशेपादिति चेत्, उत्त्यते । अस्ति तावदिह दर्शन-
स्पर्शनाभ्यामेकार्थानुसन्धानम् । तदिदमेकैकविषयं वा स्यात् ॥

गुणगुणिभेदभङ्गवाद खण्डन

पूर्ववक्षः—यदि क्षणभङ्गवादके आधारपर अथवा बाह्यार्थभङ्गवादके आधारपर नैरात्म्य नहीं हो सकता तो गुण और गुणीमें अभेदके कारण ही नैरात्म्यकी सिद्धि हो जायेगी । अर्थात् गुणसे अतिरिक्त गुणीकी सत्ता ही नहीं है । अतः ज्ञानरूप गुणसे भिन्न कोई गुणी भूत आत्मा नहीं है । यही नैरात्म्यवादका अभिप्राय है । एव, स्वचंप्रकाश क्षणिक विज्ञानोंके अलावे वेदान्तियोंके निष्यविज्ञानमें भी कोई प्रमाण नहीं है । इसलिये क्षणिकविज्ञानको ही आत्मा यह सकते हैं । उससे अतिरिक्त ज्ञानादिका आधारभूत आत्मा नहीं है, यह पर्यावसित हुआ ।

समाधान—दर्शनक्रिया और स्पर्शनक्रियाके द्वारा एक ही वस्तुकी व्यपत्तिविध होती है, यह बात हम व्यवहारमें पाते हैं । जैसे, पहले देखकर हम कहते हैं “यह घट है” वैसे ही बादमें छू कर भी कहते हैं कि “यह घट है” । इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानरूप-गुणसे भिन्न दर्शन स्पर्शन-रूप उभयविध ज्ञानोंका आत्मयभूत एक अतिरिक्त आत्मा है । क्योंकि यदि ज्ञान ही आत्मा होता तो वहाँ दो प्रकारका ज्ञान होनेसे आत्मा भी दो होता । क्योंकि वहाँ एक आत्माने देखा और दूसरेने स्पर्श किया । ऐसी स्थितिमें दूसरेके देखनेका प्रतिसन्धान दूसरेको नहीं हो सकता । अत “जिसे मैंने देखा उसे ही मैं छू रहा हूँ” इस प्रकारका वस्तुकी एकताका भान यहाँ नहीं होता । अतिरिक्त आत्मा माननेपर ही ज्ञानोंमें भेद होनेपर भी चूँकि स्थायी आत्मा एक है, इसलिये वही दर्शनकालमें भी या और स्पर्शनकालमें भी है । अत उसे यह प्रतिसन्धान (प्रत्यभिज्ञा) ही सकता है कि जिसे देखा था उमे अभी छू रहा हूँ ।

यह जो दर्शन-स्पर्शनरूप भिन्न क्रियाओंके द्वारा एक वस्तुका भ्रष्ट

समुदायविषयं वा १ तदतिरिक्तविषयं वा २ वस्त्वनुरोध्याकार-
विषयं वा ३ अलीकविषयं वा ?

न तावदायः, न हि यदेव रूपं तदेव स्पर्शं इति । न
च रूपं त्वगिन्द्रियग्राह्यम्, अन्धस्यापि नीलादिप्रत्ययप्रस-
ङ्गात् । न चैकमेव वस्तु करणभेदेनान्यथा प्रथत इति युक्तम्,
अनात्मकल्पप्रसङ्गात्, भेदभेदव्यवस्थानुपपत्तेऽथ ।

होता है, उसके सम्बन्धमें पूछना है कि यह चाक्षुप और स्पार्शन प्रत्यक्ष
केवल रूपको या केवल स्पर्शको विषय बनाता है ? अथवा रूप और स्पर्श
दोनोंके समुदायको ? अथवा इन दोनोंसे अतिरिक्त अवयवी को ? अथवा
वस्तुसे रहित ज्ञानका आकारविशेष वहा भासित होता है ? या शश-
शृङ्खला अलीकको विषय बनाता है ?

इनमें प्रथम कल्प नहीं हो सकता है । क्योंकि जो ही रूप है, वही
स्पर्श नहीं है, जिससे कि चाक्षुप और स्पार्शन उभयविध प्रत्यक्षावस्था-
में केवलरूपका ही या केवल स्पर्शका ही भान हो सके । क्योंकि रूप
त्वगिन्द्रियका विषय नहीं है और स्पर्श चक्षुरिन्द्रियको विषय नहीं है ।
यदि वैसा होता तो अन्धेको भी नील पीतादिका ज्ञान हो जाता और
दूरसे किसी वस्तुके शुश्लादिरूपके महणकालमें विना हृये नेत्रसे ही
उसके उत्तम आदि का भी ज्ञान हो जाता ।

यह भी ठीक नहीं है कि—एक ही वस्तु इन्द्रियभेदसे भिन्न स्वरूपमें
भासित होती है । अर्थात् एक ही वस्तु चक्षुरिन्द्रियके द्वारा रूपत्वेन
और त्वगिन्द्रियके द्वारा स्पर्शत्वेन भासित होती है—क्योंकि रूपत्व और
स्पर्शत्व परस्पर विरोधी धर्म हैं, वे एक वस्तुमें साथ रह नहीं सकते,
बारी बारीसे रहेंगे—इसका कोई नियामक नहीं है । इसप्रकार उभय-
स्वरूपसे रहित होकर वह वस्तु शून्यात्मक हो जायगी । एवं, यदि
परस्पर विरोधी धर्म एक जगह रहे तो वह धर्मी भी भिन्न हो जायगा ।
फिर भी यदि धर्मी अभिन्न ही रहे तो ससारसे भेदमात्रका उच्छेद हो
जायगा और भेद-अभेदकी व्यवस्था ही समाप्त हो जायगी ।

नापि द्वितीयः, स हि एकदेशतया वा ? एककालतया चा ? एककार्यतया वा ? एककारणतया वेति ?

न तावदुपादानरूपैकदेशसंभव, तयोः प्रतिनियतोपादानत्वात् । संभवे वा तदेव द्रव्यमिति पर्यवसितं विवादेन । नाप्यधिकरणीभूतभूतलाद्याधारतया तत्संभवः, चक्षुपा द्युपलभ्यमाने भूतले रूपविशेषे घटोऽपि चक्षुपैवोपलभ्यमानो रूपविशेषस्तदाधार इति शक्यते निश्चेतुम्, तयोरधरोचरभावे-

यह भी नहीं हो सकता कि—उक्त दर्शन-स्पर्शन कियाद्वारा एक अर्थ के ग्रहणका अभिप्राय है “रूप और स्पर्शके समुदायका प्रइण” अर्थात् उक्त प्रतीतियोंमें रूप और स्पर्शका समुदाय ही विषय बन रहा है—कारण, यहाँ रूप और स्पर्शका समुदाय बन ही नहीं सकता है । क्योंकि वह समुदाय उपादानरूप एकदेशके कारण होगा ? या एक कालके कारण ? या उपादेयरूप एक कार्यके कारण होगा ? अथवा एक समुदाय इसलिये होगा कि रूप और स्पर्श दोनोंका एक ही कारण है ।

इन कल्पोंमें प्रथम कल्प कि—उपादानरूप एकदेशके कारण रूप-स्पर्शका एक समूह बन जायगा—नहीं हो सकता । क्योंकि दोनोंके भिन्न भिन्न उपादान नियत हैं । अर्थात् तुम्हारे मरमें रूपका रूप ही और स्पर्शका स्पर्श ही उपादान होता है, अत दोनोंका एक उपादान असंभव है । यदि दोनोंका एक उपादान मेरे ही समान तुम्हारे मरमें भी हो तो किर वही गुणी द्रव्य सिद्ध हो गया । इस प्रकार गुणातिरिक्त गुणी होनेसे विवाद ही समाप्त हो गया ।

यदि कहो कि—एक उपादानके कारण नहीं, किन्तु भूतलादिस्थरूप एक अधिकरणके कारण रूप और स्पर्शका एक समुदाय बन जायगा—तो यह भी नहीं सम्भव है । क्योंकि तुम्हारे मरमें गुणातिरिक्त गुणी नहीं होनेसे चक्षुद्वारा उपलभ्यमान भूतल पृथक् गुणी न होकर रूपविशेष है, और उसपर चक्षुद्वारा उपलभ्यमान घट भी पृथक् गुणी न होकर रूपविशेष ही है । इसप्रकार “रूपविशेषात्मक भूतलमें रूपविशेषात्मक घट आश्रित है” इसका निश्चय चक्षुद्वारा कर सकते हैं, क्योंकि आश्रयाभयि-

नैकज्ञानसंसर्गित्वात्, तदधिकरणः स्पर्शादियोऽपीति हु इस्य
प्रमाणस्य विषयः । न हि स्पर्शादियशब्दाक्षुपे चेतसि चकासति ।
त्यचोऽय व्यापार इत्यपि नास्ति, तथापि भूतलघटस्पर्शयो
राधाराधेयभागप्रतीते ।

न च समुदाययोस्तत्संभवः, परस्पराश्रयत्वप्रसङ्गात् ।
एकाधारतायां हि समुदायानुसन्धान समुदायानुसन्धाने
चैकाधारतानुसन्धानसम्भव इति । अनवस्थाप्रसङ्गाच, भूतल

भाष्यसे दोनों ही एक चाक्षुप ज्ञानमें सम्पूर्ण हैं। किंतु "उमी भूतल-
रूप अधिकरणमें स्पर्शादिभी है" यह किस प्रमाणसे जान सकोगे ?
क्योंकि चाक्षुपज्ञानमें स्पर्शादिका भान हो ही नहीं सकता है। अत
भूतलरूप एकाधिकरणको लेकर रूप स्पर्शका एक समुदाय नहीं बन
सकता है ।

यदि कहो कि—स्पर्शका भान त्वचाका व्यापार है—तो इससे भी
काम नहीं चलेगा । क्योंकि त्वचाके द्वारा भी भूतल और घटके स्पर्शा
का ही अर्थात् स्पर्शविशेषात्मक भूतल और स्पर्शविशेषात्मक घटक ही
परस्पर आधाराधेयभाव प्रतीत होगा, न कि उसके रूपोंका भी । क्योंकि
रूपघटणमें त्वचा असमर्थ है । इसप्रकार पुनरपि रूप स्पर्शका एक
समुदाय नहीं बन सका ।

यदि कहो कि—रूप स्पर्शादिका समुदायात्मक भूतल एवं रूप
स्पर्शादिका समुदायात्मक घटमें परस्पर आधाराधेयभाव बन जायगा—
तो यह भी सम्भव नहीं है । क्योंकि तब अ योन्याश्रवणोपका प्रसङ्ग हो
जायगा । कारण, एकाधारताकी प्रतीति होनेपर ही रूप स्पर्शका समुदाय
हो प्रतीत संवेग और उक्त कथनानुसार जब रूप स्पर्शका समुदाय प्रतीत
हो जाएगा तभी एकाधारताकी प्रतीति होगी, इस प्रकार अन्योन्याश्रवणोपका
जाता है । साथ ही अनवस्थादोषका भी प्रसङ्ग हो जाता है । क्योंकि
जिस प्रकार भूतलात्मक एक आधारके कारण आधेयभूत घटकों रूप
स्पर्शादिका समुदायात्मक सिद्ध करते हो, उसी प्रकार भूतलको भी रूप
स्पर्शादिका एक समुदाय मानते हो, सो किस आधारको लेकर वह (भूतल)

स्यापि समुदायत्वं किञ्चुतमित्यनुयोगानिवृत्तेः ।

अत एव नैककान्तयाऽपि, तयोरेककालतायां प्रमाणा-
भावात् । भावे वा रासभकरभयोरप्येककालतया समुदायत्व-
प्रसङ्गः, भेदाग्रहस्य प्रकृतेऽप्यसंभवात् ।

अतएव नैककार्यतयाऽपि, उपादेयरूपस्यैककार्यस्थाभा-
वात् । एकोदकाहरणलक्षणार्थक्रियेत्याद्यपि न युक्तम्, रूपा

समुदायात्मक बनेगा ? यह प्रश्न रह ही जाता है । इसी प्रकार उस
आधारको भी रूप स्पर्शादिका एक समुदाय होनेके लिये पुनः किसी अन्य
आधारकी अपेक्षा होगी । इस प्रकार आधार-बल्पनामा कहीं अन्त न
होनेसे अनवस्थादोष हो जायगा ।

इसीलिये एककाल होनेते कारण भी रूप-स्पर्शका समुदाय नहीं बन
सकेगा, क्योंकि रूप स्पर्शादिके एककालिक होनेमे कोई प्रमाण नहीं है ।
यदि वे कदाचित् एककालिक हों भी तथापि एककालिक होनेके कारण
समुदाय माननेपर रासभ और करभको भी एककालिक होनेके कारण
समुदायात्मक मानना पड़ेगा । यदि कहो कि—समुदायात्मक होनेके
लिये भेदाग्रह अपेक्षित है, परन्तु रासभ और करभमे भेदग्रह रहनेसे वे
समुदायात्मक नहीं हो सकते—तो रूप-रसादिमें भी भेदका अग्रह नहीं
है, इसलिये उनका भी समुदाय नहीं सिद्ध हो सकता । अर्थात् वे समु-
दायात्मक नहीं हो सकते हैं ।

इसीलिये एक कार्यताके कारण भी रूप रसादिका समुदाय असंभव
है । क्योंकि रूप-रस स्पर्शादिका कोई एक कार्य (उपादेय) तुम्हारे
या मेरे मतमे नहीं होता । अर्थात् रूपादिको उपादान मानकर इनसे
कोई एक उपादेय (कार्य) नहीं उत्पन्न होता है । यदि कहो कि—
रूपादिका कोई एक उपादेयरूप कार्य भले ही न हो किन्तु घटके रूपमे
समुदित जो रूपरसादिक हैं, उनको निमित्त मानकर उनसे पानीका
लानारूप एक कार्य हो जाता ही है—तो यह भी युक्त नहीं है । क्योंकि
तुम्हारे मतमें उदक (पानी) भी रूपादिसे अतिरिक्त कोई एक घस्तु
नहीं है । यदि कहो कि—इसीलिये रूप रस-गन्ध-स्पर्शात्मक जल ही

यतिरिक्तस्योदकस्यानभ्युपगमात्, एकैकस्यानेकाहार्यत्वे
प्रमाणाभावात्, समुदायस्य चासिद्धेः ।

अतएव नैककारणतयाऽपीति । निमित्तमन्तरेण तु समु-
दायब्यवहारेऽतिप्रसङ्गः । तृतीये न विवादः ।

नापि चतुर्थः, स हि विज्ञाननयमाश्रित्य वा स्यात् ?
द्विचन्द्रादिवद् विसंवादाद् वा ? आये तु रूपादिषु कः
पक्षपातः ?

रूपाद्यात्मक घटके द्वारा लाया जाता है—तो यहों एक कर अर्थात्
केवलरूपात्मक जल या केवल रसात्मक, गन्धात्मक अथवा स्पर्शात्मक
जल रूप रस स्पर्शाद्यनेकात्मक घटका आहार्य (आनेय) नहीं हो सकता
है । क्योंकि जो रूपका कार्य है वह स्पर्शादिका कार्य कैसे हो सकता
है ? यदि कहो कि—एक कर नहीं किन्तु रूपादिसमुदायात्मक
जल रूपादिसमुदायात्मक घटका आहार्य होगा—तो यह भी नहीं हो
सकता । क्योंकि इसी समुदायकी सिद्धिवे लिये तुम्हारा सारा प्रयास
चल रहा है और वह अभी सिद्ध ही नहीं हो सका है ।

इसीलिये एक कारणकी बजहसे भी रूपरसादिकोंका एक समुदाय
नहीं बन सकता है । क्योंकि रूप आदि चारोंका कोई एक कारण ही
नहीं है । उक परिस्थितियोंमें यदि विना किसी निमित्तके ही रूपादिका
समुदाय ब्यवहार मानो तो अतिप्रसङ्गदोष हो जायगा । अर्थात् भिन्न-
कालीनों और भिन्नदेशीयोंमें भी समुदायब्यवहार होने लगेगा ।

यदि तृतीयपक्षका आश्रयण करते हुए दर्शन स्पर्शनके द्वारा रूपादि
गुणोंसे अतिरिक्त घस्तुका महण मानो तो उसमें मुझे कोई विवाद नहीं
है । क्योंकि वह घस्तु ही तो गुणातिरिक्त गुणी है ।

यदि चतुर्थ पक्षका आश्रयण करते हुए घस्तुरहित ज्ञानके आकार
विशेषको ही उक चाक्षुप एव स्पार्शन प्रत्यक्षोंका विषय मानो तो वह
भी नहीं हो सकता है । क्योंकि वह भी क्या विज्ञानधारको लेकर होगा ?
या द्विचकादिके समान विसवादी (अर्थशूल्य) ज्ञान मानकर होगा ?

यदि प्रथम (विज्ञानधार) को स्वीकार करो तो रूपादिगुणोंके प्रति

प्राप्तेर्थक्रियास्थितेश न द्वितीयोऽपि । ते द्वे रूपादीनामिति चेत्, न तेषाम्, किन्तु तस्यैवेति किं न स्यात् ? वाधकादिति चेत्, न तावद् क्रमयौगपद्यविरोधो रक्तारक्तविरोधो वा वाधकम्, निषिद्धत्वात्, क्षणिकपरमाणुरूपद्रव्येणाकान्तेश्च । सम्बन्धाभाव इति चेत्, असम्बन्धस्तावदस्तु । कथं तद्वत् प्रतीयत इति चेत्, तेषां तथोत्पादादिति परिहारोऽस्तु, तत्रैव यथा शरीरं चेतनावदिति ।

क्यों पक्षपात है ? अर्थात् जैसे गुणी कोई वस्तु नहीं है, वैसे रूपादि गुण भी कोई वस्तु नहीं हैं । इस प्रकार गुणोंके साथ-साथ गुणोंका भी विलोप ही तुम्हें मानना पड़ेगा ।

वस्तुकी प्राप्ति और उससे अर्थक्रिया (प्रयोजनसिद्धि) के होनेके कारण द्विनीय पक्ष भी नहीं हो सकता है । यदि कहो कि—प्राप्ति और अर्थक्रिया रूपादिगुणोंकी ही होती है—तो यहाँ यही क्यों न माना जाय कि प्राप्ति और अर्थक्रिया रूपादिगुणोंकी नहीं होती है, किन्तु गुणी द्रव्यकी ही होती है । यदि कहो कि—वाधकके कारण प्राप्ति और अर्थक्रिया द्रव्यकी नहीं हो सकती—तो वह वाधक क्रमयौगपद्यका विरोधरूप या रक्त-अरक्तका विरोधरूप नहीं हो सकता । क्योंकि इन दोनों वाधकोंका पहले ही खण्डन किया जा चुका है । साथ ही जो स्थिर है, उसमें क्रमयौगपद्यका विरोध तथा जो अवयवी होगा, उसमें रक्त अरक्तका विरोध भले ही सम्भव हो किन्तु क्षणिक और निरवयव रूपादिगुण यान् परमाणुमें ये दोनों ही वाधक नहीं हो सकते हैं ।

यदि कहो कि—गुणी तभी होगा, जब कि उसमें रूपादिगुण सम्बन्ध सम्बन्धसे रहे । किन्तु यहाँ समवाय सम्बन्धका अभाव है । असः यही गुणी-द्रव्य होनेमें वाधक है—तो यहाँ सम्बन्धाभाव भले ही रहे, इससे कोई क्षति नहीं है । यदि कहो कि—सम्बन्धके अभावमें रूपादिविशिष्टकी प्रतीति कैसे होगी ?—तो इसका उत्तर यही होगा कि रूपादिगुणोंकी वैसी ही उत्पत्ति होती है, जिसमें सम्बन्धके बिना ही रूपादिविशिष्ट बुद्धि हो जाती है । जैसे, तुम्हें ही शरीरमें चैतन्यका समवाय नहीं रहनेपर भी “शरीर चेतनावत्” यह प्रतीति होती है ।

रूपादिमिरेव समस्तार्थक्रियासिद्धेः किं तदतिरित्तद्रव्य-
कल्पनयेति चेन्, तारन्मात्रैणैव समस्तार्थक्रियासिद्धेः किं
रूपोदिकल्पनयेत्यस्यापि वाचाटवचसोऽवकाशप्रसङ्गात् । प्रती-
यमानत्वादिति चेन्, तुल्यम् ।

एतेनालीकविषयतापि निरस्ता ।

अभेदसाधनं वाधकमिति चेन्, कि तत् ? सहोपलम्भ-
नियम इति चेन्, समसहोपलम्भनियमस्यासिद्धेः, पीतशहोप-
लम्भादौ श्वेत्यानुपलम्भेऽपि शहोपलम्भात् ।

यदि कहो कि—रूपादिगुणोंसे ही सम्पूर्ण अर्थक्रियायें (प्रयोजन)
सिद्ध हो जायेगी, अत उनसे अतिरिक्त गुणी द्रव्यकी कल्पनाकी क्या
आवश्यकता है ? —तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि गुणातिरिक्त
द्रव्यसे ही समस्त अर्थक्रियायें सिद्ध हो जायेगी, अतः रूपादिगुणोंकी
कल्पनाकी क्या आवश्यकता है ? ऐसा भी किसी वाचालसे कहनेका
अवसर मिलने लगेगा । अर्थात् रूपादिगुणोंकी सत्ता भी लुप्त हो जायगी ।
यदि कहो कि—गुणोंकी सत्ता तो उनकी प्रतीति होनेके कारण सिद्ध है—
तो वैसे ही गुणी द्रव्यको भी प्रतीति होती ही है, इसलिए द्रव्यकी भी
सत्ता सिद्ध ही है ।

इससे पूर्वोक्त पञ्चम पक्ष भी सम्बिद्ध हो गया । अर्थात् उक्त चालुप
और स्वार्थान प्रत्यक्ष यदि शशशृङ्खके समान अलीक (अत्यन्तासत्)
को विषय करें तो द्रव्यके समान ही रूपादिगुण भी अलीक ही हो
जायेंगे और गुणोंके साथ-साथ गुणोंकी भी सत्ता लुप्त हो जायगी ।

यदि कहो कि—अभेदका साधन ही गुणगुणभेदका वाधक है—
तो वह (अभेदसाधन) क्या वस्तु है ? यदि कहो—गुण और गुणोंकी
नियमत एक साथ उपलब्ध ही उनके अभेदका साधन है—तो यह नहीं
कह सकते । कारण, समानरूपसे नियमतः सहोपलब्धिः असिद्ध है ।
क्योंकि दोषवशात् जब पीतके रूपमें शहोपलब्धि दोषवशात् होती है,
तो वहाँ श्वेतगुणकी अनुपलब्धि होनेपर भी शहोपलब्धिः उपलम्भ

नासौ शहूः, किन्तु शहू इव, तैमिरिककेशवदिति चेत् ,
अहो गुणवद्विदेषः । यत् तैमिरिककेशः करतलपरामर्शनिय-
तार्थक्रिययोरपायान्न सम्भवन्तीति व्यवस्थापयति, इह तु
तत्सम्भवेऽपि शुभ्रतामात्रानुपलम्भादिति ।

व्यापकत्वादिति चेत् , वस्तुनोव्याप्तिः ? उपलम्भयोर्वा ?
आद्ये न विप्रतिपत्तिः । न च व्यापकानुपलब्धिमात्रेण व्याप्त-
तदुपलब्धी निवर्तते, दहनानुपलब्धौ धूमतदुपलब्ध्योरपि
निवृत्तिप्रसङ्गात् । तत्रापि किं न परिकल्पयसि ‘धूम इवासौ

होता है । इस प्रकार गुण और गुणीकी समनियत रूपसे सहोपलब्धिका
नियम कहाँ रहा ?

यदि कहो कि—पीतताकी प्रतीसिद्धशास्त्रमें वह शहू ही नहीं है, किन्तु
शहूजैसा है, जैसे कि तैमिरिक केश वास्तविक केश नहीं रहता है, किन्तु
तिमिर ही केशजैसा प्रतीत होता है—तो यह कैसा तुम्हारा गुणवान्से
विद्वेष है कि तैमिरिक केशोंकी सत्ता इसलिए नहीं है कि वे करतलसे
पकड़े नहीं जाते और केशों द्वारा होनेवाली प्रतिनियत अर्थक्रिया उससे
नहीं होती है, ऐसी व्यवस्था तुम्हीं करते हो तथा यहाँपर उस शहूका
करतलसे परामर्श एव उससे अर्थक्रियाके होनेपर भी केवल श्वेतराकी
उपलब्धि नहीं होनेके कारण शहूसे असत् कह रहे हो ।

यदि कहो—शुभ्रता शहूकी व्यापिका है । अर्थात् शहूमें शुभ्रता
अवश्य रहेगी, इसलिये दोषवशान् या जैसे भी हो शुभ्रताकी अनुपलब्धि
होनेपर शहूकी भी निवृत्ति हो जायगी, तो यहाँ व्याप्ति-सम्बन्ध शुभ्रता
- और शहू इन दोनों वस्तुओं में मानते हो अथवा शुभ्रताकी उपलब्धि
और शहूकी उपलब्धिमें ? पहले पक्षमें तो हमें कोई विवाद नहीं है ।
अतः व्यापककी निवृत्तिसे व्याप्तकी निवृत्ति भले ही हो किन्तु व्यापककी
अनुपलब्धि मात्रसे व्याप्तकी और उसकी उपलब्धिकी निवृत्ति नहीं हो
दो सकेगी । क्योंकि वैसा होनेपर अग्निकी अनुपलब्धि होनेपर धूमकी
और उसकी उपलब्धिकी निवृत्ति होने लगेगी । अथवा शहूके समान
वहाँ भी व्यों नहीं कल्पना करते हो कि अग्निके नहीं दीखनेपर भी जो

न धूम' इति, पावकवतानुपलब्धेरिति ।

तस्मान् व्यापकानुपलब्धेव्याप्यनिवृत्तिः, किन्तु व्यापक-
निवृत्तेः । सा चात्रासिद्धेति वाच्यम्, तदेतत्त्वये प्रकृतेऽपि ।
उपलब्धेस्तु व्याप्तिरिहैव भग्ना, इच्छेत्यानुपलम्भेऽपि शब्दोप-
लम्भादित्युक्तम् ।

स्पादेतत्, पीत एव शब्दं उत्पन्नं इति चेत्त, पुरुषान्तर-
रेण श्वेतप्सस्पैवोपलब्धेः । नाप्यसम एव सहोपलम्भनियमो

धूम दिखाई पड़ता है, वह धूमजैसा है न कि धात्विक धूम है ।
क्योंकि वहां अग्निमत्ताकी उपलब्धि नहीं हो रही है ।

इसलिये तुम्हें यही कहना होगा कि “व्यापककी अनुपलब्धि होनेसे
व्याप्तिकी निवृत्ति नहीं हो जाती है, किन्तु व्यापककी निवृत्ति होनेसे ही
व्याप्तिकी निवृत्ति हो सकती है । किन्तु यहां अग्निकी अनुपलब्धि भर
है, उसकी निवृत्ति (अभाव) से असिद्ध है । अतः अग्निकी अनुप-
लब्धिमात्रसे धूमकी निवृत्ति नहीं होगी” तो यही बात शब्दके सम्बन्धमें
भी समझो । अर्थात् श्वेतताकी अप्रतीहिमात्रसे शब्दकी निवृत्ति नहीं हो
जायगी । यदि द्वितीय पक्षके अनुसार व्यापक और व्याप्तिकी
उपलब्धियोंमें व्याप्ति सम्बन्ध कहो, तो यह व्याप्ति भी यही ढूट गयी ।
क्योंकि श्वेतताकी उपलब्धि नहीं होनेपर भी शब्दकी उपलब्धि होती
है । यह बात पहले कही जा चुकी है ।

यदि कहो कि—यही हो कि पाण्डुरोगकी दशामें श्वेत शब्दकी
सचमुच ही निवृत्ति हो जाती है और वहाँ नथा हो पीला शब्द उत्पन्न
हो जाता है—तो यह नहीं हो सकता । क्योंकि दूसरे पुरुषको,
जिसे कि पाण्डुरोग नहीं हुआ है, वह उजला ही शब्द उपलब्ध
होता है ।

यह भी नहीं ही सकता कि—गुण गुणीका समनियतरूपमें नहीं
किन्तु असमनियतरूपमें ही साथ साथ उपलब्धिका लो नियम है, वही
गुण गुणीमें अभेद-सिद्धिका हेतु है—क्योंकि यह नियम भी क्यमिचरित

हेतुः, अनैकान्तात् । अभास्वरं रूपं मास्वरेण सह नियमे-
नोपलभ्यते भिन्नं चेति ।

देशाविच्छेद इति चेत्त, असिद्धेः देहदेहिभ्यामनैका-
न्ताच । न तथोरविच्छेदस्वदनुपलभ्येऽप्युपलभ्यादिति चेत्,
तु तुल्यम्, रूपाद्यनुपलभ्येऽपि तद्रतामुपलभ्येः ।

है । जैसे, घटका अभास्वर (नहीं चमकनेवाला) रूप आलोकके
भास्वर (चमकनेवाले) रूपके साथ ही नियमत उपलब्ध होता है,
फिर भी घटका रूप और आलोकका रूप परस्परमें अभिन्न नहीं बल्कि
मिल ही है ।

यदि कहो कि—सहोपलभ्य के साथ साथ देशका भी विच्छेद नहीं
होना चाहिये । इसलिये घटरूप और आलोकरूपका सहोपलभ्य होनेपर
भी उनका देश भिन्न भिन्न है । अर्थात् घटरूपका देश (आश्रय) घट
है और आलोकरूपका देश आलोक है । अत भिन्न देश होनेके कारण
सहोपलभ्य होनेपर भी घटरूप और आलोकरूप परस्पर अभिन्न नहीं
होते । गुण गुणीका तो सहोपलभ्यके साथ साथ देश भी एक है, इस
लिये इनके अभेदमें कोई वाधा नहीं है—तो देशाविच्छेद भी यहाँ
असिद्ध है । क्योंकि गुणका देश (आश्रय) द्रव्य है और गुणीका
(द्रव्यका) देश उसका अवयव है । इस प्रकार देशका विच्छेद (भेद)
होनेके कारण गुण गुणीमें अभेद नहीं सिद्ध हो सकेगा । एव, देशावि-
च्छेद हेतु भी देह देहीमें व्यभिचरित है । अर्थात् देह और देहीकी
एक देशमें प्रतीति होनेपर भी अप्रकाशात्मक देह भिन्न है और स्वप्रकाश-
ज्ञानात्मक देही भिन्न बनते हैं । इस प्रकार देशाविच्छेद होनेसे अभिन्न
होनेका नियम यहीं व्यभिचरित हो गया ।

यदि कहो कि—देह देहीको लेकर उक्त नियम व्यभिचरित नहीं
होगा, क्योंकि देह देहीमें अविच्छेद ही नहीं है । कारण, देहका
अनुपलभ्य होनेपर भी “अहम्” रूपमें स्वप्रकाशज्ञानात्मक देहीका
उपलभ्य होता रहता है, इसलिये इनमें भेद होनेपर भी हमारे पूर्वोक्त
नियममें व्यभिचार नहीं है—तो यह बात गुण गुणीके लिये भी तुल्य
है । क्योंकि रूपादिकी अनुपलभ्य होनेपर भी आधारभूत गणीकी

तथापि न विपर्ययः कदापीति वेद, तुल्यम् । न हि देहाद्यनुपलम्भे देहुपलम्भभद्रं देहनुपलम्भेऽपि देहस्योपलम्भ-सम्भवस्तु दर्शने । प्रतिपत्तिनिष्पत्तिसामग्रीसाहित्यनियमेन सहोपलम्भो वा देशाविच्छेदो चास्यात्, नियमेन विरुद्धधर्माध्यासाद् भेदश्चेति को विरोधः ।

उपलब्धि होती है । जैसे, शहूके खेतहृषकी उपलब्धि नहीं होनेपर भी शहूकी उपलब्धि होती है । अर्थात् गुण गुणीमें अविच्छेद नहीं हुआ, अत उनका अभेद नहीं सिद्ध हो सकता ।

यदि कहो कि—यद्यपि गुणकी अनुपलब्धि होनेपर भी गुणीकी (शाहूकी) उपलब्धि होती है, तथापि उसका विपर्यय कदापि नहीं होता है । अर्थात् गुणीकी अनुपलब्धि होनेपर गुणकी उपलब्धि तो कदापि नहीं होती है । अत इस दृष्टिसे गुण गुणीमें अविच्छेद रहनेसे अभेद में कोई बाधा नहीं है—तो यह बात देह देहीके लिये भी तुल्य ही है, किर देह देहीमें अभेद क्यों नहीं मानते हो ? क्योंकि वेहका अनुपलम्भ होनेपर भी जैसे नेहीकी उपलब्धि होती है, वैसे देहीकी अनुपलम्भ होनेपर भी देहकी उपलब्धि हो, यह तुम्हारे दर्शनमें सम्भव नहीं है । कारण तुम्हारे दर्शनमें देही (आत्मा) ज्ञान ही है, और ज्ञान स्वप्रकाश है । इसलिये जब देहज्ञान (देहोपलम्भ) होगा तो वह स्वप्रकाश होनेके कारण अपनेको भी, जो ज्ञानरूप होनेसे आत्मा ही है, लेकर ही देहको विषय करेगा, अन्यथा नहीं । अर्थात् दृष्ट्य तरसे देह देहीमें भी अविच्छेद होनेसे इनमें भी तुम्हें अभेद मानना चाहिये । नहीं तो तुल्यन्यायसे गुण गुणीमें भी अभेद नहीं सिद्ध हो सकेगा ।

एवं जहा प्रतीतिकी सामग्री नियमत एक साथ होगी, वहा वस्तुओंका सहोपलम्भ भले ही हो, तथा जहा वस्तुओंकी उत्पत्तिकी सामग्री नियमत एक साथ होगी, वहा वस्तुओंमें देशाविच्छेद (समानदेशता) भले ही हो, फिर भी नियमत विरुद्ध धर्मोंकी स्थितिसे वे ही वस्तु परस्पर मिल भी रहेगी, इसमें विरोध क्या है ? अर्थात् गुण गुणीका सहोपलम्भ एवं देशाविच्छेद कथञ्चित् मान भी लिया जाय, तो भी विरोधी धर्मोंके कारण गुण गुणी परस्पर मिल ही होंगे ।

धर्मविरोध एव कोज्ज्रेति चेत्, तदुपलम्भेऽप्यतुपलम्भः, तदभिधानेऽप्यनभिधानं, तन्निषेधेऽप्यनिषेध इत्यादि । नील-मुत्पलं चलतीत्यादौ च व्यावृत्तिभेदनिराकरणे पूर्वक एव न्यायोऽनुसन्धेयः, अन्यत्रोपाधिभेदात् ।

अमेदे च धर्मधर्मिणोर्दरादूरतया ग्रहणे पट्टवपटुनी कुतः ?

यदि पूछो कि गुण गुणीमे विरोधी धर्म ही कहाँ हैं ? तो यही उत्तर होगा कि इनमे एकका उपलम्भ होनेपर भी दूसरेका अनुपलम्भ होना, एकका कथन होनेपर भी दूसरेका अकृथन होना तथा एकका निषेध होनेपर भी दूसरेका अनिषेध होना आदि ही विरोधी धर्म हैं । अर्थात् रूपगुणका ग्रहण नहीं होनेपर भी शहूका प्रहण होता है, शहू कहनेपर भी उसका रूप नहीं कहा जाता तथा रूपका निषेध होनेपर भी शहूका निषेध नहीं होता । ये सब बातें गुण गुणीके भेदपक्षमें ही बन सकती हैं ।

एवं, “नीलमुत्पल चलति” यह व्यवहार होता है । इसमें गुण, जाति और क्रियाका सामानाधिकरण सूचित होता है, और वह समान अधिकरण द्रव्य ही है । इस प्रकार गुणसे पृथक् गुणी द्रव्यकी सत्ता सिद्ध होती है । यह नहीं कह सकते कि—उस व्यवहारमें अनीलादि-व्यावृत्ति ही सूचित होती है—क्योंकि व्यावृत्तिविशेषके सण्डनमें पहले ही बहुतसे न्याय दिये जा चुके हैं, उन्हें ही स्मरण करना चाहिये । हाँ, जहाँ उपाधिविशेषसे विशिष्ट व्यवहार होता है, वहाँ अतदृश्यावृत्तिका निराकरण नहीं करते । जैसे, कार्यत्व-उपाधिसे अवश्य ही अकार्यकी व्यावृत्ति समझी जाती है तथा नित्यत्व उपाधिसे अवश्य ही अनित्यकी व्यावृत्ति समझी जाती है ।

एवं, धर्म और धर्मी यदि परस्पर अभेद हैं तो दूरसे किया गया प्रत्यक्ष अपटु (अस्पष्ट) होता है तथा निष्ठसे किया गया प्रत्यक्ष पटु (स्पष्ट) क्यों होता है ? अर्थात् धर्मके अधिकारा धर्मोंका ग्रहण पटुत्व है तथा अल्प धर्मोंका ग्रहण अपटुत्व है । यदि धर्म और धर्म अभिन्न ही हैं तो धर्मोंका ग्रहण तो दूर और निष्ठ दोनों दशाओंमें

न च पुरुषभेदेन तथैवान्यस्योत्पादा, एकस्य द्वैरुत्प्याभावात् ।
न चान्यान्य एवासौ, एकदेशरुया तत्त्वेन प्रतिसन्धानात् ।
न च सा ग्रान्ता, मिन्नदेशस्य तथाभूतस्य प्रत्यासीदत्वाऽप्यनु-
पलम्भात् । न च निरालम्बं एव तदुपलम्भः, वृक्षादिदेश-
प्रतिनियमानुपपत्तेः ।

होता ही है, इसलिये उससे अभिन्न सभी धर्मोंका प्रहण भी हो ही जायगा । ऐसी स्थितिमें शान्तोंमें पटुत्व-अपटुत्वका भेद नहीं होना चाहिये ।

यदि कहो कि—पुरुषभेदसे वृक्षादि वस्तु (धर्म) ही किसी व्यक्ति के लिये पटुरुपमें तथा किसी व्यक्तिके लिये अपटुरुपमें उत्पन्न हो जाती है । अर्थात् पटुत्व-अपटुत्व वस्तुका धर्म है और उसका प्राइक होनेसे शान्तोंमें भी पटुत्व-अपटुत्वका व्यवहार हो जाता है । इसलिये एक ही वस्तु निकटवर्ती पुरुषके प्रति पटरुपमें तथा दूरवर्ती पुरुषके प्रति अपटुरुपमें उत्पन्न होती है । अतः पटुत्वअपटुत्वका कारण धर्म-धर्मोंका भेद नहीं है—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि एक वस्तु पुरुषभेदसे भी दो नहीं हो सकती ।

यदि कहो कि—एक ही दो नहीं हो जाता, किन्तु एक पटु और दूसरा अपटु, इसप्रकार भिन्न भिन्न दो वृक्ष ही पैदा होते हैं—तो यह भी नहीं हो सकता । क्योंकि एक ही जगह पर अभिन्नरुपमें उस वृक्षकी प्रत्यभिज्ञा होती है । अर्थात् निकट जनेपर जिसे दूरसे देखा था, वही यह वृक्ष है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा निकटस्थ व्यक्तिको होती है । यह बात भी नहीं है कि एकदेशरुया को और अभिन्नरुया की प्रतीति भ्रमात्मिका हो, क्योंकि दूरी और नजदीकीके कारण अपटु और पटु मालूम पड़ने वाला भी वह वृक्ष निकटस्थ होनेपर भी भिन्न देशस्थ नहीं मालूम पड़ता किन्तु उसी स्थानमें और वही मालूम पड़ता है । यह भी नहीं हो सकता कि पटुत्व-अपटुत्वकी उपलब्धि निर्विषयक (शशविषयाणज्ञानके समान असद्विषयक) हो, क्योंकि वेसा होनेपर वृक्षादि-देशके साथ पटुत्व-अपटुत्वका कोई प्रतिनियम नहीं बन सकेगा । अर्थात् नियतहृपसे वृक्षादिमें ही पटुत्व-अपटुत्वकी प्रतीति होती है । सर्वथा निर्विषयक

न चाधिपतिप्रत्ययत्वात्स्येति युक्तम्, अनुभवानां तद्-
देशोल्लेखाननुरोधात् । उल्लेखे वा स एवालम्बनप्रत्ययः,
तावन्मात्रानुवन्धित्वादवलम्बनव्यवहारस्य । न च देशोऽ-
स्त्वालम्बनं न तु वृक्षादिरिति साम्रातम्, अनुपलब्धविशेषवत्या
देशदेशिनोरविशेषपात् ।

शासाविषयाणादि प्रतीतिमे तो पटुत्व अपटुत्वका कभी मान ही नहीं
होता है ।

यदि कहो कि—वृक्षादिदेशके साथ नियतरूपसे होनेवाला पटुत्व-
अपटुत्वका उपलम्ब अनादिवासनारूप अधिपतिके कारण होता है ।
सभी विकल्पोंका कारण होनेसे अनादिवासना ही अधिपति कही गयी
है । इसलिये वही प्रतिनियत देशमे पटुत्व-अपटुत्वके उपलम्बका प्रत्यय
अर्थात् कारण है—तो यह कथन भी युक्त नहीं है । क्योंकि अनुभवों
मे जब तुम प्रतिनियत देशका उल्लेख नहीं मानते हुए उन्हें निरालम्बन
कहते हो तो उससे होनेवाली वासनामे भी देशका उल्लेख नहीं हो
सकेगा । यदि अनुभवोंमें देशका उल्लेख मानो तो फिर वही आलम्बन-
प्रत्यय (विषय) सिद्ध हो गया । इसप्रकार वृक्षादि देश और उसमें
पटुत्व अपटुत्वका ग्रहण सिद्ध हो जाता है । अत पटुत्व-अपटुत्वज्ञान
को निरालम्बन (निविषयक) नहीं बता सकते हो । क्योंकि अनुभव-
का विषय होनेसे ही वस्तुमे आलम्बनगत्व छ्यवहार होता है ।

यह भी कथन उचित नहीं है कि—पटु अपटु महणका विषय देश
ही है, वृक्षादि नहीं है—क्योंकि पटु अपटु महण वृक्षादिके समान ही
उस देशमे भी उसके विशेषधर्मोंकी उपलब्धि और अनुपलब्धिके कारण
ही होता है । अर्थात् देशमें भी दूरवर्ती व्यक्तिको विशेषधर्मोंकी
अनुपलब्धिके कारण अपटु (अस्पष्ट) तथा निकटवर्तीको विशेषधर्मोंकी
उपलब्धिके कारण पटु (स्पष्ट) महण होता है । यह बात भी तभी हो
हो सकती है, जब धर्म धर्ममि भेद होगा । इस प्रकार देश
(भूतलादि) और देशी (वृक्षादि) दोनोंकी अविशेष (समान) ही
हो है ।

न च दीर्घांसोऽपि विशेषाः स्फुरन्त्येव न तु निश्चीयन्त
इति युक्तम्, न हि योगलिमलाङ्गनघौतटेऽन्यस्य वाराव्यूह-
गतयः प्रतिभान्तीति शक्यं प्रतिपादयितुम्।

अनिश्चयानुपपत्तेश्च । अनुभूतो आत्मा न निश्चीयत
इत्यत्र हेतुर्वाच्यः । वासनानुद्रभर इति चेन्न, निःशेषविशेष-
वन्तं धर्मिणमुपलभ्य विद्वत्तिनस्वदखिलस्मरणेऽपि अनुभव-
च्यापारानुसारिनिश्चयानुदयात् ।

यह भी कथन युक्त नहीं है कि—अतिदूरस्थ भी विशेषधर्म स्फुरित
(निर्विकल्पकद्वानके विषय) होते ही हैं विन्तु निश्चय (सविकल्पकज्ञान)
भर नहीं हो पाता । अर्थात् प्रहणोंमें पदु अपदुका विरोध नहीं है ।
क्योंकि अपदु प्रहण होता ही नहीं है । विन्तु सभी प्रहण पदु (स्पष्ट)
ही होते हैं । इसलिये पदु अपदु प्रहणके विरोधके आवारपर धर्म
(गुण) और धर्मी (गुणी) में भेदका साधन नहीं हो सकता है—
क्योंकि पेसा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है कि योगीरूपी निर्मल
अद्वजनसे जितकी हाप्ति पवित्र हो चुकी है, ऐसे योगियोंके अतिरिक्त
दूसरे व्यक्तिको भी वारासमूहकी गतियोंका ज्ञान होता हो, केवल
निश्चय भरन होता हो । अर्थात् दूरवर्द्धको विशेषधर्मोंका अप्रहण
होता ही है और वह ज्ञान भी अस्पष्ट होता ही है, इसमें सन्देह
नहीं है ।

यह जो बहा कि—निर्विकल्पक ज्ञान तो होता है, किन्तु उस विषयका
सविकल्पात्मक निश्चय नहीं होता—तो यह अनिश्चय कहना भी अनुप
पत्र है । क्योंकि सूक्ष्म आत्माका अनुभव तो तुम्हें हो रहा है, किन्तु
उसका निश्चय नहीं होता, इसका कारण तुम्हें कहना चाहिये । यदि
कहो कि—सरकारका उद्युद्धन होना ही अनिश्चयका कारण है—तो
यह नहीं कह सकते । क्योंकि सम्पूर्ण विशेषधर्मोंके साथ धर्मोंको
जान लेनेके बाद जब कोई व्यक्ति विशेष दूर चला जाता है, उस
अवस्थामें उसके सम्पूर्ण विशेष धर्मोंका स्मरण करा देने वाली वासनाके
उद्युद्ध रहने पर भी पूर्वोत्तम अनुभव-व्यापारके अनुसार निश्चय

तथापि चानुभवकल्पनायां सर्वः सर्वदा सर्वं जानाति न।
तु निश्चिनोतीति कि न स्यात् ? आन्तिवशात् तद्विपरीत-
विशेषनिश्चयेऽनुभूतविशेषानिश्चय इति चेन, अनुभवैपरीत्ये
निश्चयस्य सर्वत्रानाथासप्रसङ्गात् । यत्र च विपरीतस्याप्य-
निश्चयस्तत्र का वार्ता ? यथा पराचीनैर्भागैरर्वाचीनानां संयोग-
(साक्षात्कारी ज्ञान) नहीं होता है । अत चासनाका उद्भव निश्चयका
हेतु नहीं हो सकता ।

एव अनुभवानुह्य निश्चय नहीं होनेपर भी यदि अनुभवकी कल्पना
की जाय तो यह भी क्यों न हो जाय कि—सभी सर्वदा सबसे जानते
हैं, कि तु उसका केवल निश्चय भर नहीं करते । अर्थात् सभी सर्वत्र
हो जायेंगे । यदि कहो कि—अनुभवके बाद निश्चय होता ही है, यह
नियम नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभवके अनन्तर भ्रमगत जहाँ विपरीत
निश्चय हो जाता है, वहाँ अनुभूत विषयका निश्चय नहीं होता है । जैसे,
शुक्तिविषयक निर्विकल्पक अनुभवके बाद रजतका भ्रमात्मक निश्चय
हो जानेपर शुक्तिविषयक सर्विकल्पक निश्चय नहीं होता—तो यह भी
नहीं कह सकते । क्योंकि अनुभव कुछ और निश्चय कुछ, इस प्रकार
निविरुद्धक अनुभवके विपरीत भी सर्विकल्पक निश्चय हुआ करे तो
सर्वत्र निर्विकल्पक अनुभवोंके प्रति अविद्यास हो जायगा । क्योंकि
निर्विरुद्धके स्वय अतीन्द्रिय होनेसे उसकी कल्पनाका एकमात्र सवि-
कल्पक ही आधार होता है । इसलिये ज्ञापक ही ज्य विपरीत हो
जायगा तज उसके आधारपर अतीन्द्रिय निविरुद्धकका ज्ञान किसे हो
सकेगा ? अपने पक्षमें जो शुक्ति-रजतका दृष्टान्त दिये हो, वह उपयुक्त
नहीं है । क्योंकि रजतभ्रमस्थलमें शुचिका निर्विकल्पक अनुभव
पढ़ाते हुआ ही नहीं रहता है, विक धर्मी—इन्द्रियके सञ्चिर्ण होते
ही समर्थमाण रजतका एक थ एक विपरीत निश्चय ही उत्पन्न हो
जाता है ।

एव, जहाँ अनुभवानन्तर विपरीतका भी निश्चय नहीं हुआ, वहाँपर
अनुभवानुह्य निश्चयके नहीं उत्पन्न होनेका क्या हेतु बताओगे । जैसे,

विभागयोरिति ॥

॥ इति गुणगुणिभेदभङ्गवादः ॥

किसी पदार्थके परवर्ती भागोंके साथ अवौग्वर्ती भागोंका जो सयोग विभाग होता है, वह प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष वस्तुशृङ्खि होनेके कारण वायु चन्द्रसप्तिके सयोग-विभागके समान अप्रत्यक्ष होता है तथा उसका निविकल्पक ग्रहण सुम मानते हो, साथ ही वहाँ कोई विपरीत निश्चय भी नहीं होता है। ऐसी परिस्थितिमें उस सयोग विभागका अनुभवानु रूप निश्चय क्यों नहीं होता है? अत पूर्वोक्त अनुभवोंके द्वारा गुण गुणिभेदके निश्चित हो जानेसे गुण गुणिभेदभङ्गके आधारपर आत्माकी सत्ताका खण्डन नहीं किया जा सकता है ॥

इति गुण-गुणिभेदभङ्गवादनिरास

अथानुपलभ्मवादः

अस्तु तर्हि नैरात्म्यम्, अनुपलब्धेरिति चेत्र—

सर्वाद्येत्वं सन्देहात् स्वाद्येत्यमिचारतः ।

दृश्यत्वविशेषणान्वै वमिति चेत्र तदसिद्धेः । परोपगम-

अनुपलभ्मवादका खण्डन

आशङ्का—पूर्वोक्त तीनों हेतुओंसे आत्माका अभाव भले ही सिद्ध न हो सके फिर भी अनुपलब्धि हेतुसे ही आत्माका अभाव सिद्ध हो जायगा । अर्थात् आत्मा नहीं है, क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं होती है, जैसे उपलब्धिय नहीं होनेसे शाश्विषणका अभाव होता है ।

समाचारन—अनुपलब्धिसे भी आत्माका अभाव नहीं सिद्ध हो सकता है । क्योंकि यहाँ अनुपलब्धिसे सत्र व्यक्तियोंकी अनुपलब्धि विद्युत है । अथवा पुरुषविशेष (वौद्वादि) की ? यदि प्रथमकल्प हो तो अनुपलब्धि हेतु सन्दिग्धासिद्ध हो जायगा । क्योंकि सभीको आत्माकी अनुपलब्धि है—यह निश्चय केसे हो सकेगा ? कारण, दूसरेके ज्ञान अज्ञानको दूसरा नहीं समझ सकता है । यदि दूसरा कल्प हो तो वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि, पुरुषविशेषकी अनुपलब्धि व्यभिचारी है । अर्थात् व्यक्तिविशेषको अनुपलब्ध होनेसे भी वस्तुका अभाव नहीं हो जाता है । कारण, सम्बन्ध है, इन्द्रिय दोषादिके कारण उसे उपलब्धि नहीं होती है ।

यदि कहो कि—दृश्यत्व विशेषणके साथ अनुपलब्धिको हेतु माननेसे उक व्यभिचारदोष नहीं होगा । अर्थात् प्रत्यक्षद्वारा देखने योग्य होनेपर भी जिस वस्तुकी उपलब्धि नहीं होती है, उसका निश्चित ही अभाव होता है—वो यह नहीं कह सकते । क्योंकि तुम्हारे मतमें आत्माका दृश्यत्व असिद्ध है । अर्थात् तुम आत्माको दृश्य नहीं मानते हो । यदि दृश्य मानो तो वह सिद्ध ही हो गया, उसका अभाव कहाँ हुआ ?

सिद्धेरदोप इति चेन्न, स्पतन्त्रसारनत्वात् । यदि परः सहसैरं
नैवमभ्युपगच्छेत्, नूनं साधनमिदं मूँछेत् । यदि च परो
दृष्टिमवधूय दृश्यं तमभ्युपगच्छेत्, एवमपि सम्भवेत् । न चैव
शक्यम्, तस्य तदुपहितरपत्वादिति सक्षेप । विस्तरस्त्व-
सन्तोऽक्षणिका इतिवद्दूनीयम् ।

यदि कहो कि—नैयायिक आत्माको दृश्य मानने हैं इसलिये उनके
अभ्युपगमको हैकर दृश्यत्व विशेषण हीनेसे कोई दोप नहीं है—तो यह
नहीं कह सकते । क्योंकि अनुमान एक दृश्यत्व साधन है, अतः
दूसरेके अभ्युपगमरे आधारपर उसकी प्रयूचि नहीं हुआ करती । तर्कं
ही ऐसी वस्तु है, जो दूसरेके अभ्युपगमके आधार पर प्रवृत्त होता है ।
क्योंकि उसके द्वारा दूसरेके अभ्युपगममें अनिष्टका आपादान (प्रसङ्ग)
किया जाता है । इसका कारण यह है कि यदि दूसरेके अभ्युपगमके
आधारपर अनुमान किया जाय तो कदाचित् यह दूसरा व्यक्ति वैसा
अभ्युपगम ही न करे तो निश्चय ही यह हेतु मूच्छित हो जायगा, अर्थात्
स्वरूपसिद्ध हो जायगा ।

एव, यदि दूसरा (नैयायिक) दृष्टिके (उपलब्धिके) अभावमें भी
आत्माको दृश्य माने तो “दृश्यत्वे सति अनुपलब्धे” इस हेतुझो
नैयायिकके अभ्युपगमके आधारपर ही सिद्ध मानकर उक्त अनुमान
समय होता । फिर्तु नैयायिक भी दृष्टि (उपलब्धि) के अभावमें अर्थात्
अनुपलब्धिकी दशामें तो आत्माको दृश्य मान ही नहीं सकता है ।
क्योंकि दृश्य वही है जो दृष्टिसे उपहित हो । अर्थात् जिसका दर्शन
(उपलभ्म) होगा, वही दृश्य कहा जा सकता है । इसलिये यदि आत्मा
दृश्य होगा तो उसकी अनुपलब्धि नहीं हो सकती और यदि अनुपलब्धि
होगी तो उसमें दृश्यत्व विशेषण नहीं सिद्ध हो सकता । इस प्रकार
'दृश्यत्वे सति अनुपलब्धे' यह हेतु सर्वथा असिद्ध है । यह सक्षेपमें
कहा गया । विशेष विस्तारको तो पूर्वमें कहे गये 'जो क्षणिक नहीं है
अर्थात् स्थिर है, वह असत् है' इस अनुमानके समान ही स्वयं समझ
लेना चाहिये । अर्थात् जिस प्रकार वहा कहा गया है कि 'यदि स्थिर-
वस्तुरूप पञ्च सिद्ध है, तो उसमें असह्य साध्यका वाघ हो जायगा,

अथात्मसद्भावे किं प्रमाणम् ? प्रत्यक्षमेव तावत्, अहमिति विकल्पस्य प्राणभृत्मात्रसिद्धत्वात् । न चायमवस्तुकः सन्दिग्धवस्तुको वा, अशब्दत्वादप्रतिक्षेपाच्च । न च लैङ्गिकः, अननुसंहितलिङ्गस्यापि स्मग्रत्ययात् । न च स्मृतिरियम्, अननुभूते तदनुपपत्तेः ।

यदि असिद्ध है तो आश्रयासिद्धि हो जायगी” ऐसे ही यहाँ भी समझना चाहिये कि “आत्मा नास्ति, अनुपलब्धे.” इस अनुमानमें आत्मारूप पक्ष यदि सिद्ध है तो आत्माका अस्तित्व ही सिद्ध हो जाता है, इससे “नास्ति” इस साध्यका वाध हो गया । यदि आत्मारूप पक्ष सिद्ध नहीं है तो पक्षके असिद्ध होनेसे उक्त अनुमान ही नहीं हो सकेगा ॥

आत्माके सद्भावमें साधक प्रमाण

इसके बाद प्रश्न उठता है कि—आत्माके सद्भावमें पूर्वोक्त बाधक भले ही न हो सके, किन्तु उसके सद्भावका (अस्तित्वका) साधक प्रमाण क्या है ? अर्थात् आत्माके अस्तित्वमें प्रमाण नहीं होनेसे भी नैरात्म्यधाव रवत सिद्ध हो जायगा—तो इसका उत्तर यदी है कि आत्माकी सत्तामें प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । क्योंकि “अहम्” ऐसा सविकल्पक प्रत्यक्ष प्राणीमात्रको होता है, जिसमें विपर्यप्तमें आत्मा ही भासित होता है । यह नहीं कह सकते कि—उक्त “अहम्” यह प्रतीति वस्तुके बिना ही होती है, अथवा सन्दिग्ध वस्तु ही उसका विपर्य बनता है—क्योंकि “अहम्” यह प्रतीति न तो शाब्द ही है और न तो आगे चल कर कभी वाधित ही होती है, जिससे यह प्रतीति अवस्तुक हो या सन्दिग्धवस्तुक हो । अर्थात् यदि अवाधित होनेपर भी “अह-प्रत्यय” अवस्तुक हो तो सभी नीलादि प्रत्यय अवस्तुक होने लगेंगे ।

“अह-प्रत्यय” लैङ्गिक (अनुमान) भी नहीं है, क्योंकि लिङ्ग (व्याप्ति) का अनुसन्धान हुए बिना भी “अहम्” ऐसी अपनी प्रतीति सघको हुआ करती है । अहम् प्रतीति स्मृतिरूप भी नहीं है, क्योंकि पूर्वमें अनुभव हुए बिना स्मृति नहीं हो सकती है ।

यदि कहो कि—आधुनिक यासनाके प्रभाषसे जो स्मृति होती है,

अनादिवासनावशादनादिरथमवस्तुको विकल्प इत्यपि न युक्तम्, नीलादिविकल्पसाधारण्यात् । इह वासनामुपादायानाश्वासे प्रमाणान्तरेऽपि कः समाश्वासो यतो नीलादिविकल्पेषु समाश्वासः स्यात् ।

तस्माद् वासनामात्रवादं विद्यायागन्तुकमपि किञ्चित् कारणं वाच्यम्, तच्चासानामृशब्दौ वा लिङ्गवदाभासौ वा प्रत्यक्षरुदाभासौ वेति । तत्र यथा प्रथममष्टमप्रकाराभावानीलविकल्पथरम् कल्पमालम्भते, उथाऽहमिति विकल्पोऽपि ।

इसके लिये मूलभूत अनुभवकी अपेक्षा है । किन्तु अनादिवासनाके कारण होनेवाला “अहम्” यह विकल्प अनादि है और यस्तुशून्य है— तो यह कथन भी युक्त नहीं है । क्योंकि अनादि वासनाको मानकर यदि “अहम्” प्रतीतिको वस्तुशून्य और अविश्वसनीय माना जाय तो और प्रमाणोंका भी क्या विश्वास कि उनके द्वारा होनेवाली नीलादि-प्रतीतियों पर विश्वास किया जा सके । अर्थात् प्राणीमात्रको होने वाली “अहम्” इस प्रत्यक्ष प्रतीतिको अविश्वसनीय माननेपर नीलादिविषयरु सभी प्रतीतियों अविश्वसनीय हो जायेंगी और हमारा सम्पूर्ण व्यवहार लुप्त हो जायगा ।

इसलिये “उक्त प्रतीतियोंका कारण वासनामात्र है” । इस बातको छोड़कर कुछ आगन्तुक भी कारण मानना होगा । और वह आगन्तुक कारण आप और अनाम शब्द हो या लिङ्ग और लिङ्गाभास हो अथवा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षाभास हो । इन आगन्तुक कारणोंमें जैसे प्रथम और द्वितीय प्रकारोंको छोड़कर नीलादि-प्रतीतिका आधार प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षाभासरूप अन्तिम प्रकार है, जैसे ही “अहम्” प्रतीतिका भी अधार निर्विकल्पात्मक प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षाभास होगा । इन दोनोंमें भी यदि “अहम्” प्रतीतिको निर्विकल्पक प्रत्यक्षके अवश्यवहित उत्तरकालमें उद्यत माना जाय तो उस निर्विकल्पके समान ही “अहम्” यह सविकल्पक प्रतीति भी साक्षात् ही सवस्तुक सिद्ध हो जाती है । यदि तो “अहम्” प्रतीतिका मूल निर्विकल्पक प्रत्यक्षको न मानकर प्रत्यक्षा-

तत्रायं प्रत्यक्षपृष्ठमावित्वे साक्षादेव सवस्तुकः, तदामासे तु मूलेऽस्य पारम्पर्यात् सवस्तुतेति ।

न च बाह्यप्रत्यक्षनिवृत्तावेव निर्मूलत्वम्, बुद्धिविकल्पस्यापि तथात्वप्रसङ्गात् । तत्र स्वसंगेदनं मूलमिहापि मानस-प्रत्यक्षमिति न कथिद् विशेषः ।

शरीरादिवस्तुको भविष्यतीति चेच, निरूपाधिशरीरेन्द्रिय-

भासको माना जाय तो भी परम्परया “अहम्” प्रतीति सवस्तुक सिद्ध हो जाती है । क्योंकि किसी भी भ्रमात्मक ज्ञानके मूलमें प्रमात्मक ज्ञान भी अवश्य होता है । जैसे, मिथ्यासर्पका ज्ञान तभी होता है, जबकि चास्तविक सर्पज्ञान भी कदो है ।

यह भी नहीं कह सकते कि—यदि आत्मा होता तो नीलादिके समान बहिरन्द्रियोंके द्वारा जाना जाता । किन्तु आत्मविषयक बाह्यप्रत्यक्षकी निवृत्ति होनेसे ही यह समझा जाता है कि “अहम्” यह विकल्प सर्वथा निर्मूल है । अर्थात् परम्परया भी कोई निर्विकल्पकज्ञान इसका मूल नहीं है । अतः मूलभूत निर्विकल्पकके अभावमें ‘अहम्’ प्रतीति वस्तुशून्य है—क्योंकि आपका बुद्धि-विकल्प (बुद्धिकी प्रतीति) भी सब निर्मूल हो जायगा और बुद्धिकी भी सत्ता नहीं सिद्ध हो सकेगी । कारण, उसका भी बाह्य-प्रत्यक्ष नहीं होता है ।

यदि कहो कि—बुद्धि स्वप्रकाश है, इसलिये अपनी सत्तामें वह स्वयं प्रमाण है । आत्मा तो जड़ होनेसे अपनी सत्तामें अपने आप प्रमाण नहीं हो सकता, अतः बुद्धि-प्रतीतिका मूल है उसका स्वप्रकाश होना—तो “अहम्” प्रतीतिका भी मूल आत्माका मानस-प्रत्यक्ष ही है । इस प्रकार दोनोंके समूल होनेमें कोई अन्तर नहीं है । अर्थात् आत्माकी सत्तामें मानस प्रत्यक्ष ही प्रमाण है ।

यदि कहो कि—‘अहम्’ प्रतीतिका विषय शरीर आदि होगा न कि अतिरिक्त चेतन आत्मा—तो यह नहीं कह सकते । क्योंकि विना किसी उपाधि (विशेषण) के शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि या इनका समुदाय यदि “अहम्” प्रतीतिका विषय हो तो अतिव्याप्ति हो जायगी । अर्थात् दूसरे

युद्धितसमुदायालम्बनत्वेऽतिप्रसङ्गात् स्वसम्बन्धिशरीरादाप्यं
स्यादिति वाच्यम्, तत्र कः स्वार्थं इति वचनीयम्। अन-
न्यत्वं म्बन्धं मर्वभावानाम्, तथा च यदा तेनैव तदलुभूयते
यदा प्रत्येतुः प्रत्येतव्यादव्यतिरेकादहमिति स्यात्। अतएव
घटादयो न कदाचिदनन्यानुभवितुका इति न कदाप्यहमासपद-
मिति चेत्, एवन्तर्हिं त्वन्मतेऽप्यहंग्रत्ययः शरीरादावारोपरूप एव,
ततः प्रत्येतुरन्यत्वात् ।

के शरीरादिके लिये भी “अहौरं काणः” आदि प्रतीतिहोने लगेगी। अतः इस दोपसे पचनेके लिये स्वसम्बन्धी जो शरीरादि, उसे ही इस ‘अहम्’ प्रत्ययका विषय कहना होगा। अत उसमे स्वशब्दका क्या अर्थ है?—यह कहना चाहिये। अर्थात् वहां स्वशब्दका अर्थ आत्मा ही कहना होगा। इसलिए जिस आत्मा का जो शरीर सम्बन्धी होगा, उस आत्माको उस शरीरमें “अहौरं” यह प्रतीति होगी। इस प्रश्नार शरीरसे अतिरिक्त आत्माकी सिद्धि हो गयी।

यदि कहो कि—अनन्य (अभिन्न) होना ही सभी भाव-पदार्थोंका स्वत्व है। अर्थात् अभिन्नमें स्वशब्दका प्रयोग होता है। यद्यपि सामान्यत अभिन्न कहनेमें भी अतिप्रसङ्गदोषसे छुटकारा नहीं होता पाता है, फिर भी विशेषरूपसे यों कहा जायगा कि जब उसीके द्वारा उसीका अनुभव होता है, तब अनुभविता और अनुभूयमानके अभिन्न होनेसे उस अनुभविताके लिये वह अनुभूयमान पदार्थ ‘स्व’ कहा जायगा तथा उसमें ‘अह’ की प्रतीति होगी। यही कारण है कि घट आदि कभी भी अनन्यसे अर्थात् अपने आप अनुभूयमान नहीं होते, इसीलिये कभी भी वे अह-प्रतीतिके आसपद (विषय) नहीं होते हैं—तो इस प्रकार तुम्हारे मतमें भी शरीरादिमें अहंग्रत्यय आरोपात्मक ही है, चास्तचिक नहीं। क्योंकि घटादिके समान शरीरादिका भी अनुभविता दूसरा ही है, स्वयं शरीर नहीं है। इसलिये अह-प्रतीतिका विषय शरीर आदि को कहना असङ्गत है।

बुद्धौ मुख्य एवेति चेत्र, तस्याः कियत्वेनानुभूयमानाया
भिन्नस्य कर्तुरहं छिनचीतिवत् अहं जानामीत्यनुभवात् । नीलादि-
प्रत्येतव्याकारवत् प्रतिपत्त्या^१कारोऽपि प्रतिपत्तेरेवागमात्मा तथा
मासत् इति चेत्, तर्हि प्रत्येतव्यप्रतिपत्त्या^१कारयोस्तुल्ययोगज्ञेत्-
त्वात् पिद्धं नः समीहितम् ।

अस्तु स्वोपादानमात्रमिति चेत्र, तत्प्रतिभाषने तदाकार-
स्यापि प्रतिभाषप्रपञ्चात्, आकारमन्तरेणामारिणोऽनवभाषात् ।

यदि कहो कि—बुद्धिरूपविषयमें ‘अहं’ प्रत्यय मुख्य ही है ।
अर्थात् ‘अहं’ प्रत्ययका विषय बुद्धि है, अनः अतिप्रसङ्गदोष भी नहीं
होगा—तो यह नहीं कह सकते । क्योंकि बुद्धि तो छिदा आदिके
समान कियारूपमें ही अनुभूयमान होती है । इसलिये जैसे ‘छिनदिम्’
इस व्यवहारमें छिदा कियासे भिन्न कर्त्ता का अनुभव होता है, वसे ही
“जानामि” इस व्यवहारमें भी ज्ञानकियासे भिन्न कर्त्ता का अनुभव होता
है, और वही ज्ञानका आधारभूत आत्मा है ।

यदि कहो कि—जैसे, नीलादिरूप प्रत्येतव्यका आकार प्रतिपत्ति
(ज्ञान) का ही आत्मा है, उसी प्रकार प्रतिपत्त्याका आकारभूत अहन्त्व
भी प्रतिपत्तिका ही आत्मा होता हुआ “जानामि” इति व्यवहारमें
भासित होता है—तब तो नीलादि प्रत्येतव्य-आकार और अहंरूप प्रति-
पत्ति-आकार इन दोनोंका तुल्य योगज्ञेय होनेसे हमारा अभीष्ट सिद्ध ही
हो गया । अर्थात् जैसे, नीलादि विषय प्रतीतिसे भिन्न है, वैसे ही
प्रतिपत्ति (आत्मा) भी प्रतीतिसे भिन्न ही प्रतीतिका आकार भासित
होता है, यह सिद्ध हो गया । नोलका प्रतीतिसे भिन्नत्व द्वितीय प्रकरणमें
सिद्ध किया जा चुका है ।

यदि कहो कि—अहमाकार प्रतिपत्तिका उपादानकारणभूत जो
प्रतिपत्त्यन्तर है, वही अहंरूपसे भासित होता है, अतिरिक्त आत्मा नहीं—
तो यह नहीं कह सकते । क्योंकि उपादानभूत उस प्रतिपत्तिके भासित
होनेपर उसके नीलादि-आकारका भी अहं-प्रतीतिमें भान होने लगेगा ।

^१ प्रतिपत्तिकार इति पाठ उवित् ।

प्रवृत्तिसन्तानान्यो बुद्धिमन्तानः प्रतिपत्ता, वयं तमालयविज्ञान-
माचरमह इति चेत्, अस्तु तर्हि प्रवृत्तिविज्ञानोपादानमनादि-
निधनः प्रतिपत्ता । स किं सन्तन्यमानज्ञानरूपस्तद्विपर्हातो वेति
चिन्ताऽवशिष्यते, निःशेषिता चामौ प्रागिति ॥

कः पुनरत्र न्यायः ? प्रतिसन्धानम् ॥

क्योंकि आकारको छोड़कर आकारीका भान नहीं होता है । अर्थात् अहमाकार प्रतिपत्तिका उपादानकारणभूत प्रतिपत्त्यन्तर यदि नीलादि-विज्ञान हो और वही अह प्रतीति मे भासित होता हो तो नीलादि-विज्ञान-के साथ साथ नीलादि-विषयका भी अह-प्रतीतिमे नियमत उल्लेख होना चाहिये ।

यदि कहो कि—नीलादि-विज्ञान प्रवृत्तिविज्ञान है, अत प्रवृत्ति-विज्ञानकी धारासे भिन्न जो विज्ञानधारा है, वही अह-प्रत्ययका उपादानकारण है तथा वही 'प्रतिपत्ताके रूपमें अह-प्रतीतिमे भासित होता है । उस विज्ञानधाराको हम आलयविज्ञानकी धारा कहते हैं । एव उस आलयविज्ञानका आकार अहन्त्वमात्र होनेसे अह-प्रतीतिमे नीलाकारका भानप्रसङ्ग नहीं होगा—तो जिस प्रकार प्रवृत्तिविज्ञान अनादि अनन्त होता है, वैसे ही उसका उपादानकारणभूत आलयविज्ञानसन्तान भी अनादि अनन्त ही होगा । ऐसी स्थितिमें वह आलयविज्ञानका सन्तान (धारा) सन्तन्यमान-विज्ञानरूप होगा या उससे भिन्न होगा ? यह चिन्ता शेष रह जाती है और उसे भी क्षणभङ्गका निराकरण करते समय प्रथम प्रकरणमें ही दूर कर चुका हूँ । अर्थात् आत्माका ह्यानरूपत्व और क्षणिकत्व खण्डित किया जा चुका है, इसी लिये सन्तन्यमान ज्ञानसे अतिरिक्त अनादि-अनन्त स्थिर आत्माकी सिद्धि हो जाती है ॥

आत्मसिद्धिमे अनुमानप्रमाण

(प्रश्न)—क्षणभङ्ग सिद्ध हो या नहीं, स्थिर आत्माकी सिद्धिमें अनुमान क्या है ?

(उत्तर)—प्रतिसन्धान (प्रत्यभिज्ञा) ही वह अनुमान प्रमाण है,

तथ्यमिदप्रित्यमिदूपतथ्यज्ञ विरुद्धम्, अविशिष्टमनैरान्ति-
कमिति चेत्प, हेत्वर्थानवयोधात् । न हि प्रत्यमिज्ञानमात्रमत्र
विवक्षितम् । तत् किं कार्यकारणयोरेकसन्तानप्रतिनियमः ?
सोऽपि विरुद्ध इति चेत्, एषोऽपि न विवितो नः । कस्तद्विः ?
जिसके द्वारा स्थिर आत्माकी सिद्धि होती है । अर्थात् प्रतिसन्धान भी
थथ्यमि प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, किं भी उसका प्रयोग अनुमानकी छायासे
ही करना चाहिये । जैसे, 'योऽहं रूपमद्राक्षं स एवाहमधुता सूर्शामि'
इस अहम् प्रतीतिमा विषय कोई स्थिर आत्मा है, क्योंकि पूर्वकाल और
परकालमें "अहम्" यह प्रत्यमिज्ञा होती है । जिस प्रकार "बही यह
घट है, जिसे कल देखा था" इस प्रत्यमिज्ञाका विषय घट स्थिर होता
है । इस प्रकार प्रत्यमिज्ञारूप हेतुसे अनुमानद्वारा भी स्थिर आत्माकी
सिद्धि हो जाती है ।

यदि यह कहो कि—तथ्य (प्रमात्मक) प्रत्यमिज्ञाको हेतु माना
जाय तो वह स्वरूपासिद्ध होगा । क्योंकि ध्यानिकविज्ञानको आत्मा
मानने वालेकी दृष्टिमें आत्माविषयक उक्त प्रतिसन्धान (प्रत्यमिज्ञा)
उच्यते नहीं है । कारण, उक्त प्रतिसन्धानद्वारा आत्माका स्थिरत्व प्रति-
पादित हो जाता है, जो उसे अमान्य है । यदि उक्त प्रतिसन्धान अवश्य
हो तो वह विरुद्ध हेतु होगा । कारण, जो प्रतिसन्धान स्वयं अतथ्य
(भ्रम) है, उससे स्थिर आत्मा कैसे सिद्ध होगा ? यदि उक्त प्रति-
सन्धान न यथार्थ हो और न भ्रम ही हो, किन्तु अविशिष्ट अर्थात् भ्रम-
प्रमा उभय साधारण हो तो वह व्यभिचारी हेतु होगा । अर्थात् जैसे,
"सेवेयं दीपकलिका" यह प्रत्यमिज्ञा क्षण क्षणमें परिवर्तनशील
हीपञ्चालाके स्थिरत्वमें प्रमाण नहीं होती है, वैसे ही उक्त प्रत्यमिज्ञा भी
आत्माके स्थिरत्वमें प्रमाण नहीं हो सकती है—तो ऐसा नहीं कह
सकते । क्योंकि तुम हमारे प्रत्यमिज्ञारूप हेतुमा अर्थ नहीं समझ सके
हो । कारण, यहा हेतुके रूपमें प्रत्यमिज्ञानमात्र नहीं विवक्षित है
किन्तु "योहं रूपमुपलब्धयान सोऽहं सूर्शामि" इन पूर्वापर प्रतीतियोगा
एक सन्तान (धारा) गत होना ही विवक्षित है । अर्थात् इससे एक-
धारागाही स्थिर वस्तुका नियमत रहना सूचित होता है ।

यदि कहो कि—यह भी हेतु विरुद्ध हो है । अर्थात् पूर्व प्रतीतिसे पर-

पूर्वोपरविधियामेकर्तुरया पिनिश्चयः । एषोऽपि तामामुपादानोपादेयभागेनाप्युपपद्यत इति चेन्न, स्थैर्गस्थितौ तदभागात् । चण्डिकत्वेऽपि नैकजातीयत्वे सति तदुत्पात्तरेतोपादानोपादेयभावः, शिष्याचार्यधियामपि तथाभावप्रमङ्गात् ।

भेदाग्रहे सतीति चेन्न, प्रकृतेऽपि तदभागात् । शरीरभेदाग्रह-

प्रतीति नियमत भिन्न होती है । इसलिये पूर्वोपर प्रतीतियोंके सन्वानसे भी एक अभिन्न स्थिर आत्मा सिद्ध नहीं हो सकता है—तो वह भी मेरा विवश्वित नहीं है । किन्तु “योऽह रूपमद्राक्ष सोऽह सृशामि, योऽह घटमन्वभव सोऽह स्मरामि” इत्यादि व्यवहारोंमें पूर्वोपर प्रतीतियोंका एककर्त्तव्य निश्चय ही स्थिर आत्माकी सिद्धिमें हेतु है । अर्थात् उक्त पूर्वोपर प्रतीतियोंका विषय एक स्थिर आत्मा है, क्योंकि उनका अनेक कर्ता नहीं होनेसे एक ही कर्ता निश्चित होता है । कारण, चैत्रके अनुभवसे मैत्रको कहापि स्मरण नहीं होता ।

यदि कहो कि—वह भी उन प्रतीतियोंमें परस्पर उपादानोपादयभाव होनेसे भी वन सकता है । अर्थात् पूर्वोपर ज्ञानोंमें जो एककर्त्तव्यका निश्चय होता है वह इसलिये भी हो सकता है कि उत्तरज्ञानके प्रति पूर्वज्ञान नियमत उपादानकारण होता है । इसलिये पूर्वोपर ज्ञानोंका आश्रयभूत एकस्थिर आत्माकी कल्पना करना वयर्थ है—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि भावोंका स्थिरत्व सिद्ध किया जा चुका है । अत स्थिर-पक्षमें पूर्वज्ञान उत्तरज्ञानका उपादान कारण नहीं हो सकता है, बल्कि स्थिर आत्मा ही पूर्वोपरज्ञानोंका उपादान होगा । क्षणिकवादमें भी यह नहीं कहा जा सकता कि “सजातीयसे सजातीयकी उत्पत्तिका होना ही उपादानोपादेयभाव है” क्योंकि तब शिष्य और आचार्यके ज्ञानोंमें भी उपादानोपादेयभाव होने लगेगा । कारण, आचार्यके ज्ञानसे शिष्यका ज्ञान उत्पन्न होता है और वह उससे सजातीय भी होता है ।

यदि कहो कि—भेदाग्रहके साथ साथ सजातीयसे सजातीयकी उत्पत्ति जहा होती है, वही उपादानोपादेयभाव होता है । शिष्याचार्य ये दो भेदका प्रदृश होनेसे उनके ज्ञानोंमें सजातीय होनेपर भी उपादानोपादेयभावका प्रसङ्ग नहीं होगा—तो यह भी नहीं कह सकते । क्योंकि

स्तावदस्तीति चेन्न, भिक्षजन्मज्ञानाव्याप्तेः । अनुपलब्धपित्रकेणा-
पि वालेनातिप्रमङ्गात्, घटफपालवण्योरतथाभारप्रमङ्गाच्च ।
एकाधारतया नियमः इति चेन्न, तस्य वास्तवस्य विषिक्त्वपद्धे-

पूर्वोपर प्रतीतियोंमें भी भेदका अप्रह नहीं रहता किन्तु भेदका प्रह ही रहता है । इसलिए उनमें भी आपका अभिमत उपादानोपादेयभाव नहीं था उन सकेगा । यदि कहो कि—बुद्धि सन्तानमें भी शरीरभेदका तो अप्रह है ही । अर्थात् बुद्धियोंमें भेदप्रह होनेपर भी उपाधिभूत शरीर तो अभिज्ञ ही रहता है । अत पूर्वोपर प्रतीतियोंमें उपादानोपादेयभाव होनेमें कोई आपत्ति नहीं है । शिष्याचार्यमें ऐसी वात नहीं है, क्योंकि यहाँ उपाधिभूत शरीर भिन्न भिन्न हैं, अत उनकी बुद्धियोंमें उपादानो-पादेयभावका प्रसङ्ग नहीं हो सकेगा—तो यह भी नहीं कह सकते हो । क्योंकि भिन्न जन्मकी ज्ञानधारामें उपादानोपादेयभावकी अव्याप्ति हो जायगी । अर्थात् जातिस्मरताके अनुरोधसे अन्य जन्मकी ज्ञानसन्ततिमें भी हुम उपादानोपादेयभाव मानते हो किन्तु यहाँ पूर्वजन्मके शरीरका इस जन्मके शरीरके साथ भेदका प्रह होनेसे उन बुद्धियोंमें उपादानो-पादेयभाव नहीं हो सकेगा ।

एव, जिम बालकरे पिताका प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, यहा पिता-पुत्रके शरीरोंमें भेदका अप्रह सुवरा सिद्ध है । फिर भी पिता पुत्रके ज्ञानोंमें उपादानोपादेयभाव नहीं होता है, किन्तु तुम्हारे नियमानुसार शरीरमें भेदसा अप्रह रहनेसे वहाँ भी उपादानोपादेयभाव होने लगेगा । यदि वहाँ उपादानोपादेयभाव इष्ट मानो तो पिता के अनुभवसे पुत्रको स्मरण होने लगेगा । एव, सज्जातीयमें ही उपादयोपादेयभाव माननेपर घट और कपालमें साजात्य नहीं होनेसे यहाँ उपादानोपादेयभावकी अव्याप्ति भी हो जायगी ।

यदि कहो कि—एकाधारताके साथ साथ यहा कार्यकारणभाव हो, वहीं उपादानोपादेयभावका नियम है । इसके अनुसार घट कपालका तथा अपनी बुद्धिधाराका एक आधार होते हुए कार्यकारणभाव होनेसे उनमें तो उपादानोपादेयभाव होगा । किन्तु शिष्याचार्य एव विता पुत्रकी

अपि विषमसमयाना वशानामभावात्, काल्पनिकम्य त्वतिप्रसन्ज-
कल्पात्, शरीरबुद्ध्योरपि समानदेशताभिमानात् । एतेन—

“अभ्रान्तमस्तैरावमायः प्रकृतिविक्रिये ।

ततौ हेतुफलस्योपादग्नोपादेयलवशम् ॥”

इति निरस्तम् ।

बुद्धियोंका एक आधार नहीं होनेसे उनमें उपादानोपादेयभावका प्रसङ्ग नहीं हो सकेगा—तो यह भी नहीं कह सकते । क्योंकि क्षणिकवादमें असमानकालिक वरन्तुओंका वास्तविक एक आधार नहीं हो सकता । अर्थात् घट कपालमें देशकृत एकाधारता नहीं हो सकती तथा कालकृत भी एकाधारता नहीं हो सकती है । क्योंकि तुम्हारे मतमें देशकालके क्षणिक होनेसे घट कपालमें कपालका देश और काल दोनों ही नष्ट हो गया रहेगा । ऐसी स्थितिमें दैशिक और कालिक दोनों प्रकारकी एकाधारता नहीं होनेसे घट कपालमें भी उपादानोपादेयभाव नहीं उन सकेगा ।

यदि घटकपालमें काल्पनिक एकाधारता भानो तो अतिप्रसङ्गदोष हो जायगा । अर्थात् तन्तु घट और कपाल पटमें भी कदाचित् एकाधारताका भ्रम हो सकनेसे तन्तु और घटमें तथा कपाल और पटमें भी उपादानोपादेयभाव होने लगेगा । इसी प्रकार शरीर और बुद्धिमें भी एकदेशताका भ्रम होनेसे शरीर बुद्धिमें भी उपादानोपादेयभाव होने लगेगा । क्योंकि शरीरके अवयवमें शरीर और बुद्धि दोनोंके आश्रित होनेका भ्रम हो सकता है ।

उक्त दोषके कारण यह कथन भी खण्डित हो गया कि—कारण और कार्यकी सत्ततिमें (परम्परामें) दो प्रकारका उपादानोपादेयभाव होता है । प्रथम, कारण और कार्यमें समानताके कारण अभ्यासत्मक एकाधारताकी प्रतीति और दूसरा, प्रकृतिविकृतिभाव । अर्थात् जहाँ प्रकृतिविकृतिभाव होता है वहाँ कारण कार्यमें उपादानोपादेयभाव होता है । जैसे, काष्ठ और अङ्गारमें । एवं, समानरूपसे होनेवाली भ्रम रहित नीलाद्याकार बुद्धिकी सत्तति (धारा) में भी उपादानोपादेयभाव होता है—क्योंकि घट कपालमें एकाधारताकी प्रतीति नहीं होनेसे तथा

काष्ठ्य तु^१ प्रकृतेर्विकृतिरङ्गार इति कुतो निश्चितं भवता,
यावता बह्वरेवायं विमारः किं न स्यात् ? बह्विसम्बन्धिकाष्ठादेव
तदुत्पत्तेरिति वेन्न, काष्ठमग्नधेन बह्वरेव तदुत्पत्तिरित्यपि किं
न कल्प्येत् ? पार्थिवं पार्थिवोपादानकमिति निश्चयादिति चेत्,
हुत एतत् ? सभागेषु स्वदणेषु^२ तथा दर्शनादिति चेत्, एतदपि
कुतः ?

अश्रान्तसमरैरावसायादिति चेत्, अथ केर्यं गमता नाम ?

विज्ञानसन्ततिमें प्रकृति विकृतिभाव नहीं होनेसे उक्त दोनों ही लक्षण एक दूसरेके लक्ष्यमें अव्याप्त हैं। एव, समस्त लक्ष्यमें वर्तमान नहीं होनेसे उक्त दोनों लक्षण अननुगत भी हैं। लक्षणका लक्ष्यमात्रमें अनुगत होना आवश्यक है।

अननुगतमें साथ साथ दूसरा दोप यह भी है कि—काष्ठरूप प्रकृतिका अङ्गार विकार है—यही आपने कैसे निश्चय कर लिया है ? यदि किं अग्निका ही विकार अङ्गार क्यों न हो सकता है ? यदि कहें कि—अग्निसम्बद्ध काष्ठसे ही अङ्गारकी उत्पत्ति होती है, इसलिये काष्ठका ही विकार अङ्गार है—तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि काष्ठसम्बद्ध अग्निसे ही अङ्गारकी उत्पत्ति होती है, यही कल्पना क्यों न कर ली जाय ? यदि कहें कि—पार्थिव वस्तुका उपादान पार्थिव ही वस्तु होती है, यह निश्चित है। अत अङ्गारके पार्थिव होनेसे वह पार्थिव काष्ठसे ही उत्पन्न हो सकता है, न कि तेज (अग्नि) से—तो यह भी क्यों है ? अर्थात् सजातीयका सजातीय ही उपादान कारण होता है, यह निश्चय भी आपको कैसे है ? यदि नहें कि—सजातीय वस्तुओंमें वैसा ही देरखा जाता है। इसलिये काष्ठ-अङ्गार आदि स्थलमें साजात्य ही उपादानोपादेयभावका नियामक है—तो वैसा देखे जानेसा भी क्या कारण है ?

यदि कहें कि—सजातीय कारण-कार्यकी सन्ततिमें समताके कारण अभ्यमात्रक एकाकारताकी प्रतीति होनेसे ही वैसा देखा जाता है—

यदि साजात्य गुणेश्यं वा, तत् प्राटनिरस्तम् । एकसत्तानत्यं
चेत्, तदपि उद्यत्तित्तिमार्गं चेत्, निमित्तनैमित्तिक्योरपि उथाभास-
प्रमङ्गः^१ । उपादानोपादेयभावश्चेत्, कथं तेनैव उद्यत्तस्था-
प्येत् ? इनेषु उत्प्रतिसन्धानमेवोपादानोपादेयलक्षणमिति चेत्,
आत्माशयप्रमङ्गाद् ।

तो बतावें कि यह समता क्या वस्तु है ? यदि कहें कि—साजात्य या
समानदेशत्व ही समता है—तो यह दोनों पूर्वमें खण्डित हो चुका है ।
अर्थात् यदि साजात्य समता है तो साजात्यसे ही साजात्यका निरूपण
किये जानेसे आरम्भात्य दोष हो जायगा । एवं, यदि समानदेशत्व समता
हो तो पूर्वोक्त एशाधारताके खण्डनसे ही खण्डित है ।

यदि कहो कि—एक सत्तान (एकवारा) रूप होना ही समता है—
तो उसका भी अभिप्राय यदि उस कारणसे उस कार्यका उत्पन्न होना हो
तो निमित्तनैमित्तिक्यमें भी उपादानोपादेयभाव होने लगेगा । अर्थात्
निमित्तकारणते भी कार्यकी उत्पत्ति होती है, इसलिये निमित्त भी उपा-
दान होने लगेगा । यदि कहें कि—एक सत्तानका अभिप्राय उत्पत्तिमात्र
नहीं है किन्तु उससे उपादानोपादेयभाव विषयित है—ही उपादानोपा-
देयभावसे ही उपादानोपादेयभाविका व्यवस्थापन कैसे हो सकेगा ?

यदि कहें कि—ज्ञानोंके सम्बन्धमें उनका प्रतिसन्धान ही उपादानो-
पादेयभाव है । अर्थात् घट-कराणादिके सम्बन्धमें जैसा भी उपादानो
पादेयभाव हो किन्तु ज्ञानोंके सम्बन्धमें तो उन्हीं ज्ञानोंमें उपादानोपादेय
भाव होगा, जिनमें एकमी प्रथमिका (प्रतिसन्धान) अन्य ज्ञानके द्वारा
होती है । क्योंकि क्षणिकविज्ञानवादके अनुसार क्षणिक विज्ञानधाराओंमें
पूर्वविज्ञानका प्रतिसन्धान उससे उत्पन्न होने वाले उत्तरविज्ञानके द्वारा
ही होता है । इसलिये पूर्वविज्ञान और उत्तरविज्ञानमें उपादानोपादेय-
भाव होता है—तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि तब आत्माशय
दोष हो जायगा । अर्थात् प्रतिसन्धानका नियमक उपादानोपादेयभाव
को मानते हो और उपादानोपादेयभावका स्वरूप प्रतिसन्धानको बताते

^१ प्रष्ठान्त इति २ पृ० १० ।

तद्योग्यतेति चेत्, सैव केति चिन्त्यम् । शक्तिविशेष इति चेत्, स तावन्न प्रतिक्षणनियतः । यथा हि तेन तत्कर्तव्यं तथा तादृशापि तत्कर्तव्यमित्यपि नियम एव । अन्यथा तेन तत्कर्तव्यमित्यपि न निश्चीयेत्, क्षणस्य दुरुन्मेयत्वात् । तथा च निरीहं

हो । इस प्रकार स्वयं स्वयका ज्ञापक होनेसे आत्माधय दोष सम्भूतः हो जाता है ।

यदि कहें कि—प्रतिसन्धानकी योग्यता उपादानोपादेयभावका लक्षण है—तो प्रतिसन्धानकी योग्यता ही तो विचारणीय है कि वह क्या वस्तु है? अर्थात् जो स्वयं विचारकोटि में है, वह छिसीका लक्षण (परिचायक) कैसे हो सकता है? यदि कहें कि—बुद्धियोंकी विशेषप्रकारकी शक्ति ही प्रतिसन्धान योग्यता है । अर्थात् बुद्धियोंमें एक विशेष शक्ति होती है, जिससे कार्यरूपाणामावप्न बुद्धियोंमें प्रतिसन्धानका नियम रहता है । किन्तु शिद्धाचार्यकी बुद्धियोंमें या पिता-पुत्रकी बुद्धियोंमें वह शक्तिविशेष नहीं रहता है, इसीलिये वहा प्रतिसन्धान नहीं होता है—तो वह शक्तिविशेष प्रतिक्षण नियत नहीं हो सकता है । क्योंकि शक्तिविशेष कारणत्वरूप ही है तथा उसके अननुगत होनेसे प्रत्येक क्षणिक-व्यक्तिमें उसका ज्ञान होना असम्भव है ।

एवं, जैसे उस व्यक्तिके द्वारा वह कार्य होता है, ऐसे ही उस व्यक्ति-की जातिके द्वारा भी वह कार्य होता है—यह भी नियम ही है । अर्थात् जो व्यक्तिविशेष कारण होता है, उस जातिका दूसरा व्यक्तिविशेष भी कारण होता ही है—यह भी नियम ही है । अतः शक्तिविशेष (कारणता) प्रतिव्यक्ति नियत ही होता है—यह कथन असगत है । क्योंकि उक्त रीतिसे कारणता व्यक्तिके समान जातिसे भी नियत दोवी है । यदि कारणता जातिनियत न मानी जाय, अर्थात् कारणवाचच्छेदक कोई जाति न मानी जाय, तो “अमुक कार्य अमुक व्यक्तिके द्वारा किया गया है” यह भी निश्चय करना असंभव हो जायगा । क्योंकि क्षणका या अनागतादि क्षणिकव्यक्तिका ज्ञान ही कठिन है । ऐसी स्थितिमें सम्पूर्ण जगत् चेष्टारहित हो जायगा । क्योंकि कारणताका ज्ञान नहीं होनेसे वस्तुओंमें इष्ट-साधनता या अनिष्टसाधनताका ज्ञान नहीं होगा तथा उसके बिना प्रवृत्ति-

जगज्जायेत् आकस्मिकश्च कार्यस्य तादृशलभ्यमापद्येत् । तथा च
न नियम उपलभ्येत् । नापि प्रतिसन्ताननियतः (शक्तिविशेषः),
प्रियेषाभागात् ।

अस्तु वैज्ञात्यमिति चेत्र, अनुपलब्धिवाधितत्वात् । न हि

या निवृत्ति कुछ भी नहीं हो सकेगी । एव कारणकी नियत जाति नहीं
माननेपर कार्यकी नियतजातीयता भी आकस्मिक (निर्मूल) हो जायगी ।
ऐसी स्थितिमें “धूमजातीय वहि जातीयका कार्य (जन्य) है” यह नियम
नहीं बन सकेगा । आशय यह है कि कारण और कार्यकी नियत-
जाति अवश्य माननी होगी । अतः प्रतिसन्धानके प्रति भी बुद्धित्वरूप
से ही कारणका माननी पड़ेगी । इसप्रकार शिष्याचार्यके बुद्धियोंमें
भी बुद्धित्वजातिके होनेसे परस्पर प्रतिसन्धारू-प्रतिसन्धेयभाव होने
लगेगा ।

यह भी नहीं कहा जा सकता कि—उक्त शक्तिविशेष प्रतिसन्तान-
नियत है । अर्थात् कार्यकारणभाव (उपादानोपादेयभाव) अथवा
प्रतिसन्धारू-प्रतिसन्धेयभाव न प्रतिशूल (प्रतिलिप्ति) नियत है और न
जातिनियत है, किन्तु प्रत्येक बुद्धि-सन्तान (बुद्धिधारा) में अलग अलग
है । इसलिये आचार्यके नीलविषयक बुद्धिसन्तानसे शिष्यका नील-
विषयक बुद्धिसन्तान दूसरा ही है । अतः शिष्याचार्यके बुद्धिसन्तानोंमें
न उपादेयोपादानभावक; और न प्रतिसन्धारू-प्रतिसन्धेयभावका ही प्रसङ्ग
होगा—क्योंकि आचार्यके नीलबुद्धिसन्तानसे शिष्यके नीलबुद्धिसन्तानमें
पार्थक्यकी नियामिका कोई भी विशेषता नहीं है । ज्ञानत्व या सन्तानत्व
तो दोनोंकी बुद्धियोंमें समान ही है । इसप्रकार आचार्यबुद्धिका प्रति-
सन्धान शिष्यको भी होना चाहिये—यह आपत्ति क्षणिकविज्ञानवादमें
यथापूर्व स्थिर ही रह गयी ।

यदि कहो कि—वैज्ञात्य ही दोनोंमें विशेषताके रूपमें है । अर्थात्
वैज्ञात्य एक जातिविशेष है, जो भिन्न भिन्न बुद्धिसन्तानोंमें भिन्न भिन्न
है—तो यह भी नहीं कह सकते । क्योंकि उस प्रकारकी कोई जाति

शिष्याचार्यनीलधियोर्मत्रियाऽपि जातिकृतं मिशेषमुपलभामहे । अदृश्यत्वादयमदोप इति चेत्न, दृश्यसमवायिन्या जातेरदृश्यत्वानुपत्तेः । उपपत्तौ वा धूमादावपि अवकाशप्रयज्ञात् । तथा चावान्तरसच्चवद्योन्तरधूम एव यद्हेः कार्यः स्यात् इति शङ्काक्लिङ्गतत्वात् न (च) धूमसामान्यमग्निं गमयेत् ।

एवमेतत्, आद्यस्यैव तथाभावादिति चेत्न, तत्रापि शङ्काया-

उपलब्ध नहीं होती है । कारण, शिष्य और आचार्यकी नोलविषयस्तु द्विधयोंमें लेशमात्र भी जातिकृत-विशेषता अर्थात् वैज्ञान्यको हम नहीं पाते हैं । यदि कहो कि—दृश्य वस्तु ही अनुपलब्धिके कारण वाधित हो जाती है । यद्हीपर शिष्याचार्य द्विधयोंमें जो वैज्ञात्य है, वह अदृश्य है, इसलिये अनुपलब्धिके कारण वह वाधित नहीं हो सकता है—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि दृश्यमें समरायसम्बन्धसे रहने वाली जाति कभी भी अदृश्य नहीं हो सकती है । कारण, दृश्यवर्ती जाति यदि अदृश्य हो तो धूम आदिभैं भी अदृश्यजाति रहने लगेगी । ऐसी स्थितिमें क्षणिकविज्ञानरूप अवान्तर आत्माके समान कोई अवान्तर धूम ही वहिंचा कार्य होगा—ऐसी आशङ्का उठ जानेसे धूमसामान्यसे अग्निसामान्यको अनुमिति नहीं हो सकेगी । अर्थात् जैसे, कारणभूत दृश्यज्ञानोंमें प्रतिसन्धानकी प्रयोजिका अदृश्यभूत अवान्तर जाति मानते हो, वैसे ही धूमादि दृश्यकार्योंमें भी वहिंजन्यतावच्छेदिगा किसी अवान्तरज्ञातिकी संभावना होनेके कारण धूमसामान्य वहिंसामान्यका कार्य नहीं हो सकेगा और उस धूमसामान्यसे वहिंसामान्यका अनुमान भी नहीं हो सकेगा ।

यदि कहो कि—ऐसी ही वात है । अर्थात् अवान्तर-जातिविशेषसे युक्त धूमविशेषसे ही अग्निका अनुमान होता है न कि धूमसामान्यसे । क्योंकि आद्यक्षणवाला धूम ही अग्निसे जन्य है न कि सभी धूम । उत्तरक्षणवर्ती धूम तो बीदृशमतमें धूमजन्य ही माना गया है—तो धूममें भी वह शङ्का वैसे ही अवस्थित रहेगी । अर्थात् उसमें भी किसी अवान्तर जातिकी शङ्का होनेसे वह भी अग्निका अनुमापक नहीं हो सकेगा ।

स्तदवस्थत्वात् । तस्मात् कारणस्य वैजात्ये प्रमाणमिदे कार्यस्प सौमादृश्येऽप्यवान्तरजातिभेदः कर्त्त्यते, हेतुवैजात्यस्य फलवैजात्यं प्रति प्रयोजकत्वात्, अप्रयोजमत्वे तस्याकस्मिन्त्वप्रमङ्गात् । कारणमाजात्येऽपि कार्यस्य वैजात्य महर्शिर्वैनात्ये पर्यन्तस्यतीति युक्तमुत्परयामः ।

अन्यथा प्रकृते परलोकोऽपि न मिध्येत् । अचेतनोपादानकमपि ज्ञानमवान्तरजातीयं स्यात्, अचेतनमप्यवान्तरजातीय

इसलिये यदि कारणमे वैजात्य प्रमाणद्वारा सिद्ध हो तो कायमे पूर्ण साहश्य रहनेपर भी अवान्तरजातिभेदकी कल्पना की जाती है । क्योंकि कारणगत वैजात्य कार्यगत वैजात्यके प्रति प्रयोजक होता है । यदि कारणवैजात्यको कार्यवैजात्यका प्रयोजक न माना जाय तो कार्यगत वैजात्य आकस्मिक हो जायगा, जो ठीक नहीं है । यदि तो कारणमे साजात्य होनेपर भी कायमें वैजात्य दीख पड़े अर्थात् सजातीय कारणसे भी विजातीय कार्य उत्पन्न हो तो वहा सहकारियोंके वैजात्यके कारण बैसा होता है, यह भेरी कल्पना विशुल्ल ठीक है ।

अन्यथा, कारणवैजात्य होनेपर ही यदि कार्यवैजात्यकी कल्पना न की जाय तथा कायवैजात्यके प्रति कारणवैजात्यको प्रयोजक न माना जाय तो परलोककी भी सिद्धि न हो सकेगी । अर्थात् प्रमाणके बिना ही यदि वैजात्यकी कल्पना करके कार्यकारणभाव माना जाय ही जन्मान्तर इवरूप परलोक भी सिद्ध न हो सकेगा । क्योंकि अनियमके कारण इसी जन्ममें अकस्मात् ज्ञान सत्तान (ज्ञानधारा) का विश्राम हो जा सकता है । ऐसी स्थितिमें अविच्छिन्नरूपसे ज्ञानधाराको परम्पराके भविष्यमें भी जारी रहनेके कारण आपके द्वारा माना गया जन्मान्तर-प्रहणस्वरूप परलोक भी कैसे सिद्ध हो सकेगा ? मूलोक 'अपि' शब्दसे सामान्यव्याप्तिके आधारपर होनेवाले अनुमानकी भी असिद्धि सूचित होती है ।

एव, उक्त अनियमकी दशामें कोई ऐसा भी विलक्षण ज्ञान सम्बन्ध होने लगेगा, जो ज्ञानरूप उपादानकारणसे न उत्पन्न होकर अचेतनघटादिरूप उपादानकारणसे उत्पन्न होता हो । इसी प्रकार अचेतन कोई

ज्ञानोपादानं भवेत्, दृश्यजात्प्रभेदेऽपि किञ्चिदेव निगितं मविष्ट-
तीति; शक्तायाः समुत्थापयितुं शक्यत्वादिति ।

अस्तु तहिं सहकारिभेदाभियम इति चेत्, स एवैकः कर्त्तेति
गीयते । अथैक एव कर्ता न तु ताद्वक्यहकारिपरम्परेति कुतो
विशेषादिति नेत्, (न,) तत्कर्त्तुकर्त्तवं भिन्नमर्तुकेष्यो व्यापर्तते न तु
ताद्वक्यसहकारित्वमित्यतो विशेषात् । कुतश्चिदेवमपि स्यादिति
विजातीय घटादि भी कपालरूप उपादानकारणसे न पैदा होकर ज्ञान-
रूप उपादानकारणसे पैदा होने लगेगा । एव, दृश्यमान धूमत्व-जातिके
एक होनेपर भी कोई धूम अग्निसे होगा और कोई किसी अन्यसे
होगा—ऐसी आशङ्का यरापर ठठायी जा सकती है, तथा कभी भी पूमसे
घहिका अनुमान नहीं हो सकेगा ।

यदि कहो कि—सहकारि-विशेष ही प्रतिसन्धानका नियमक रहे
तथा हिष्याचार्यकी बुद्धियोंमें उस सहकारि-विशेषके नहीं रहनेके कारण
अतिप्रसङ्ग भी नहीं होगा—तो वह सहकारि-विशेष ही वो एक कर्ता
(आत्मा) कहा जाता है । अर्थात् वह सहकारि-विशेष ही पूर्वापर
बुद्धियोंका एक प्रतिसन्धानकारण (प्रत्यभिज्ञान करनेवाला) आत्मा है ।
यदि पूछो कि—ऐसा क्यों माना जाय कि एक ही कर्ता पूर्वसे लेरु
अन्तरुक प्रतिसन्धानकर्ताके रूपमें स्थित रहता है; न कि वैसे सहकारियों
की परम्परा जारी रहती है—तो यह इस कारण माना जाता है कि
पूर्वापर बुद्धियोंका एक कर्ता माननेपर ही भिन्न कर्त्ताओंकी व्यावृत्ति हो
सकती न कि वैसे सहकारियोंकी परम्पराको कर्ता माननेपर । अर्थात्
यदि भिन्न-भिन्न सहकारियोंकी परम्परा ही पूर्वापर बुद्धियोंका कर्ता
होकर उनका प्रतिसन्धान (समरण) करनेवाली हो तो चैतने जिसे
देखा है, उसका समरण मैत्रको भी हो जाय । किन्तु ऐसा नहीं होता
है । इसीकारण एक ही कर्ता माना गया है, सहकारियोंकी परम्परा-
को नहीं ।

यदि कहो कि—एक कर्ताके न माननेपर भी किसी विशेषताके कारण
ही तथाविषय सहकारियोंकी परम्पराको प्रतिसन्धानका नियमक मानने-

चेत्, ननु स एव विशेषदिवचन्त्यते । -

स चै तत्स्वभावत्वं वा, तज्जातीयत्वं वा, तत्सहकारित्वं वा, ताद्वक्महकारित्वं वेत्यतो नातिरिच्यते । तत्र प्रथमोऽमंभरी । द्वितीयोऽतिप्रमद्भजकः । चतुर्थे नियामकाभावः । ततस्तृतीय एव परिशिष्यते, गत्यन्तराभावादिति ।

अथवा सम्मानपि नायमुपाधिः, तत्र तामन्मात्रस्यानिवन्ध-

पर भी शिष्याचार्य बुद्धियोंमें या चैत्रमैत्रकी बुद्धियोंमें अतिप्रसङ्ग नहीं होगा—तो उस विशेषताका ही यहाँ विचार किया जा रहा है कि वह विशेषता क्या वस्तु है ?

क्या पूर्वापर बुद्धियोंका एकस्वभावका होना विशेषता है ? या एक जातीय होना विशेषता है ? या बुद्धिसञ्चानके साथ साथ एक एक सहकारिकी अपेक्षा होना विशेषता है ? अथवा उस निश्चित सहकारीकी जातिरूप होना वह विशेषता है ? क्योंकि इससे अतिरिक्त कोई विशेषता नहीं हो सकती है ।

इनमें प्रथमपक्ष असम्भव है । क्योंकि अत्यन्त मित्र पूर्वापर-बुद्धियोंका एक स्वभाव नहीं हो सकता है । द्वितीयपक्षमें अतिप्रसङ्ग दोष आ जायगा । क्योंकि शिष्य और आचार्यकी बुद्धिया भी एक जातिकी हैं इसलिये आचार्यकी बुद्धिका स्मरण शिष्यको भी होने लगेगा । चतुर्थपक्षमें कोई नियामक नहीं है । अर्थात् जिस सहकारिके कारण चैत्रको अपनी पूर्वापर बुद्धियोंका प्रतिसन्धान होता है, उस जातिका सहकारी मैत्रको भी सम्भव है, इसलिये चैत्रके दखेका मैत्रको भी स्मरण होने लगेगा । इसलिये तृतीय ही पक्ष बच जाता है । क्योंकि उसके सिद्धाय अन्यगति नहीं है । अर्थात् प्रतिसन्धानके नियामकके रूपमें बुद्धिसञ्चानोंसे मित्र एक सहकारी मानना होगा, जो मेरे मवानुसार प्रतिसन्धानकर्ता आत्मा है ।

अथवा यदि बुद्धिसञ्चानोंमें परस्पर उपादानोपादेयभाव सम्भव भी हो तो भी यह प्रतिसन्धानका प्रयोजक नहीं हो सकता है । क्योंकि

नत्वात् । तथा हि मर्ज्जः स्वप्रत्ययानेऽकर्तृतया प्रतिमन्धते न वा ? आद्ये तत्प्रतिमन्धानादेव प्रतिन्धातुरेकत्वं मिदं शानाद् भेदश्च, धियामस्यैर्यस्थ मर्यैरेव प्रतीतेः, प्रतिसन्धातुः क्षणिकवायाः मर्वज्जेनाप्यनाकलनात् ।

अथ न प्रतिमन्धते, न तहिं कार्यकारणमायमात्रनिवन्धनं प्रतिमन्धानपृ । न इति सम्मवो, यदन्वयेऽयि यस्यानन्वयस्तत्त्वाचन्मात्रनिवन्धनमिति ।

प्रतिसन्धानके प्रति इतरनिरपेक्ष केवल उपादानोपादेयमाव कारण नहीं है । कारण, आपका सर्वज्ञ अपने पूर्वापर विभिन्न प्रत्ययोंको एककर्तृकरूपमें प्रतिसन्धान करता है या नहीं ?

आधपक्षमें उस प्रतिसन्धानसे ही प्रतिसन्धाताका एकत्व सिद्ध हो गया । साथ ही इनसे उस प्रतिसन्धाताका (आत्माका) भेद भी सिद्ध हो गया । क्योंकि “जो मैं पूर्वमें अनुभव करनेवाला था, वही मैं अब स्मरण कर रहा हूँ” इस प्रतीतिमें अनुभव और स्मरणज्ञानसे भिन्नहैमें ही अहमासपृ प्रतिसन्धाताका स्फुरण होता है । ज्ञानोंका अस्थिरत्व एवं पारापरिक भेद तो सबको प्रतीत होता है । क्योंकि उक्त प्रतीतिमें अनुभवको अवीत और स्मरणको वर्तमान समझता हुआ ज्ञानोंको अवश्य ही अस्थिर एवं परस्पर भिन्न समझता है । किन्तु प्रतिसन्धाता (अहमासपृ) तो वही का वही स्थिर रह जाता है । तथा प्रतिसन्धाता (आत्मा) की क्षणिकता तो सर्वज्ञ भी नहीं समझ सकता है । क्योंकि प्रतिसन्धाता यदि क्षणिक होता तो “योऽहमनुभूतवान् सोऽहं स्मरामि” यह प्रतिसन्धान ही नहीं यन सकता ।

यदि द्वितीयपक्ष कहो कि—प्रतिसन्धाता व्यक्ति पूर्वापर-ज्ञानोंको एककर्तृक नहीं प्रतिसन्धान करता है—तो हुम्हारा पूर्वकथन खत्त दर्शित हो गया कि केवल कार्यकारणमाव (बुद्धिसन्तानोंका परस्पर उपादानोपादेयमाव) होनेसे ही “योऽहं दृष्टवान् सोऽहं स्पृशामि” इत्यादि प्रतिसन्धान हो जाता है । क्योंकि यह कथमपि संभव नहीं कि जिसका अन्तर्य (सत्ता) होनेपर भी जिसमा अन्तर्य न हो, उसीके कारण वह येदा होता हो ।

प्रतिसन्धते, न तु सत्यं तत्प्रतिसन्धानमतो, न तावन्मात्रा-देहैकर्तृकत्वसिद्धिरिति चेत्, तत् किं सर्वज्ञस्यापि ? आहार्यो न दोषामह इति चेत्, न, नियन्धनाभेदेऽपि कथमेव आहार्योऽन्यस्तु स्वरसवाहीति वाच्यम् ।

भेददर्शनादर्शनाभ्यामिति चेत्, प्रवृत्तिपिज्ञानाना भेदस्यामर्ज्जीरपि दर्शनात् । विषया एतमित्ताः प्रतिभान्ति न युद्धय इति चेत्, तासामपि भेदनिश्चयात्, विषयभेदाप्रथनेऽपि ज्ञाना-

यदि कहो कि—सर्वज्ञ अपने पूर्वापर ज्ञानोंमें एकरूपकत्वका प्रति सन्धान तो अवश्य करता है, किन्तु यह प्रतिसन्धान वास्तविक नहीं है । अत केवल प्रतिसन्धानके आधारपर एक स्थिर कर्ताकी सिद्धिध नहीं हो सकती है—तो क्या सर्वज्ञको भी विपर्यय (मिथ्याज्ञान) होता है ? यदि कहो कि—सर्वज्ञको अन्य लोगोंके समान स्वाभाविक भ्रमात्मक ज्ञान नहीं होता है किन्तु आहार्य (इच्छापूर्वक) विपर्ययज्ञान होनेमें कोई दोष नहीं है—तो यह नहीं कह सकते । क्योंकि समान प्रयोजक होनेपर भी क्यों किसी का प्रतिसन्धान आहार्य होगा और दूसरेका स्वभावत भ्रमात्मक होगा ? यह तुम्हें बताना चाहिये ।

यदि कहो कि—असर्वज्ञ व्यक्ति बुद्धियोंका भेद नहीं जानता है, इसलिये उसका प्रतिसन्धान भ्रमात्मक है तथा सर्वज्ञ व्यक्ति बुद्धियोंका भेद समझता है, इसलिये उसका अभेद प्रतिसन्धान जानबूझकर होनेके कारण आहार्य होता है—तो यह नहीं कह सकते । क्योंकि नीलपीतादि विषयक प्रवृत्तिपिज्ञानोंवा भेद तो असर्वज्ञ व्यक्ति भी जानते हैं ।

यदि कहें कि—असर्वज्ञोंको नीलपीतादि विषयोंमें हो भेदका भान होता है, बुद्धियोंमें नहीं—तो ऐसी बात नहीं है । क्योंकि बुद्धियोंमें भी भेदका निश्चय होता ही है । अन्यथा “अज्ञासिध्म् ज्ञानामि ज्ञास्यामि” इसप्रकार कोई बुद्धिध असीत, कोई वर्तमान, तथा कोई अनागत नहीं प्रतीत होती । बैलिक धारावाहिक बुद्धिध स्थलमें विषय भेदकी प्रतीति नहीं होनेपर भी ज्ञानोंमें भेदकी प्रतीति होती है । ऐसे ही “प्रभाद्वारा जिसका अनुमान किया था, वसीष्ठो वैद्युत रहा, हूँ और

स्यांसदर्शनात् । यदि च भेदग्रहेऽपि बुद्धिवामत्रेण तदग्रहोऽ-
भेदारोप उपगच्छते,^१ पर्यिवतथा हृत्वात् काष्ठं, काष्ठादङ्गारस्ततो^२
भस्माप्यभेदेन प्रतिसन्धीयेत, न चैरम् ।

स्यादेतत्, आलयभेदग्रहात् प्रतिसन्धानमिति चेत्, न, म
हाहमास्पदं प्रवृत्तिमन्तानादन्प एव वा स्यात् ? तदन्तःप्राति-
कादाचित्कानेकाहंप्रत्ययरूपो वा ? न तावदाद्यः, न हाहमह-
प्रिक्या प्रियः स्वतन्त्रं सन्वानद्वयमनुभूयते । सत्यपि वा परस्पर-
मनुपादोपादेयभावात् परस्परं प्रत्याक्लितार्थानुसन्धानवन्धः ।

“ऐख्यूँगा” इत्यादि स्थलोंमें विषयभेद तो नहीं भासित होता किन्तु
शानोंका भेद स्वष्ट ही भासित होता है ।

यदि कहो कि—उक्त बुद्धियोंमें भेदग्रह होनेपर भी बुद्धित्वेन
रूपेण भेद अगृहीत है, इसीलिये वहाँ असर्वज्ञोंको होता हुआ अभेद-
प्रतिसन्धान आरोपित अर्थात् भ्रमात्मक है—तो यदि बुद्धित्व-सामान्यके
कारण बुद्धियोंमें अभेदारोप हो तो पर्यिवत्य-सामान्यके कारण बुद्धिसे
काठ, काठसे अङ्गार तथा अङ्गारसे भस्म भी अभिज्ञरूपमें भासित होना
चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता है ।

अस्तु, विषयभेदसे प्रवृत्तिविज्ञानोंमें भेदग्रह भले ही हो किन्तु
“अहम्” इत्याकारक निर्विषयक आलयविज्ञानोंमें भेदका अप्रद होनेसे
भ्रमात्मक अभेद-प्रतिसन्धान हो जायगा—तो ऐसा भी नहीं कह सकते ।
क्योंकि अहमाइन् वह आलयविज्ञानसन्तान प्रवृत्तिविज्ञानसे भिन्न ही
है ? या प्रवृत्तिविज्ञानसन्तानके अन्तर्गत ही कदाचित् होनेवाला अनेक
अहमित्याकारक-प्रत्यय (प्रतीति) रूप है ? इन दोनों पक्षोंमें आद्य पक्ष
नहीं हो सकता । क्योंकि स्वधर्मके साथ आपसमें स्वतन्त्र द्विविध विज्ञान-
सन्तानोंका अनुभव नहीं होता है । यदि स्वतन्त्ररूपसे दो विज्ञानसन्तान
(आलयविज्ञानसन्धान और प्रवृत्तिविज्ञानसन्धान) हों भी तथापि उन
दोनोंमें परस्पर उपायोपादेयभाव नहीं होनेसे एक दूसरेके द्वारा ज्ञात-
विषयका अनुसन्धान (प्रतिसन्धान या स्मरण) एक दूसरेको नहीं हो

१. उपग्रुज्यठ इति १ पृ० पा०

२. तस्मादिति भणोत्परम्भतः पाठः ।

तथात्वेऽपि या चैत्रमैत्रादिष्पि प्रसङ्गः । उभयोर्बा उभयोगादानत्वे एकमप्यनेनाथ्रयमिति किमपराद्वयमवयविमंयोगादिभिः ।

न चालयविज्ञानोपात्तं प्रवृत्तिविज्ञानं न किञ्चिदुपादत्तं इति युक्तम्, तथात्वे निमित्ततामपि न यायात्, उपादानत्वव्यग्रस्तकता । यदि हो तो चैत्र-मैत्रादिमें भी अतिप्रसङ्ग हो जायगा । अर्थात् चैत्रद्वारा दृष्ट पदार्थका मैत्रको भी स्मरण होने लगेगा ।

एक अनुसन्धानकी उपयत्तिके लिये यदि दोनों विज्ञानोंमें परस्पर उपादानोपादेयमाध्य मानो अर्थात् प्रवृत्तिविज्ञान आलयविज्ञानका उपादान कारण हो और आलयविज्ञान भी प्रवृत्तिविज्ञानका उपादानकारण हो तो एकको भी यहाँ अनेकमें आधिक मान ही दिया तो किर अवयवीने और संयोगने क्या अपराध किया है कि अवयवीको अनेक अवयवोंमें तथा संयोगको अनेक संयोगी-द्रव्यमें तुम आश्रित नहीं मानते । क्योंकि उक्त मान्यताके अनुसार प्रवृत्तिविज्ञानसन्तानके प्रति प्रवृत्तिविज्ञान तो उपादानकारण है ही, आलयविज्ञानको भी उपादानकारण मान रहे हो । इस प्रकार एक प्रवृत्तिविज्ञानसन्तान प्रवृत्तिविज्ञान और आलयविज्ञान उभयपर आश्रित हो गया । ऐसे ही आलयविज्ञान भी आलयविज्ञान और प्रवृत्तिविज्ञान उभयपर आश्रित हो जाता है ।

यह भी कहना युक्त नहीं है कि—आलयविज्ञानका उपादेय (कार्य) प्रवृत्तिविज्ञान किसीके प्रति उपादान कारण नहीं होता है । अर्थात् प्रवृत्तिविज्ञान आलय-विज्ञानका उपादेय ही होता है, उपादानकारण तो किसीका भी नहीं होता, न प्रवृत्तिसन्तानका और न आलयसन्तानका । अतः एक असेकाश्रित नहीं हुआ—तो वैसा होनेपर वह निमित्तकारण भी नहीं हो सकेगा । क्योंकि तुम्हारे मतानुसार उपादान ही निमित्त हो सकता है ।

यदि विना उपादान द्वापर भी निमित्तकारण रहे तो केवल निमित्तविमात्रका अनुभव करके विना किसी उपादेयको पैदा किये ही कोई प्रवृत्तिविज्ञान निवृत्त (नष्ट) हो जायगा और उसी दृष्टान्तसे सभी प्रवृत्तिविज्ञान विना कुछ पैदा किये ही नष्ट हो जायेंगे । इस प्रकार सभी

त्वान्निमित्ततायाः । अन्यथा निमित्ततामात्रमुपगम्य एकस्य निवृत्तौ सर्वसन्तानोच्छेदः, अविशेषात् । ओमिति प्रवृत्तशरमद्वणानाम् किञ्चित्करणे शक्तिविहतेरसन्वप्रसङ्गः । तथा च पूर्वद्वणानापीत्यनेन पर्यायेणाकिञ्चित्करं जगदापद्येते इति साधु कार्यकारणभावः प्रतिसन्धाननिवृत्तनं समर्थितः स्यात् । तस्मादन्यदेव निमित्तं किञ्चिदुपाददीत, तथा च न प्रतिसन्धानमपूर्वानन्तसन्तान-

विज्ञान-सन्तानोंका उच्छेद हो जायगा । क्योंकि कोई नियामक नहीं है । एवं, इसका भी कोई नियामक नहीं है कि केवल प्रवृत्तिविज्ञान ही निमित्तमात्र बनाहर रह जायगा अन्य उपादानज्ञातीय क्षणादि वस्तु विना कुछ पैदा किये ही केवल निमित्ततामात्रका अनुभव करके नहीं हो जायेगे, जैसे कि आपका प्रवृत्तिविज्ञान विना कुछ पैदा किये ही केवल निमित्त बनकर ही नहीं हो जाता है । इसप्रकार विज्ञान ही नहीं, सभी कार्यसन्तानोंका उच्छेद हो जायगा । क्योंकि निरुपादनक कार्योत्ताद असम्भव है ।

इसे यदि 'ओम्' कहते हुए स्वीकार करो तो अन्तिम क्षण कुछ पैदा नहीं करनेके कारण अर्थक्रियाशक्तिसे रहित होकर असत् हो जायगा । अर्थात् अन्तिम क्षण उपादान से नहीं ही हुआ, निमित्त भी नहीं हो सकेगा । क्योंकि उपादानसे उत्पन्न होनेवाले कार्यमें ही निमित्तकी अपेक्षा होती है । इसलिये अन्तिम-क्षण उपादानत्व निमित्तत्व उभय-विहीन होनेसे सर्वथा अर्थक्रियाशक्तिरहित होकर असत् हो गया । और उसी दृष्टान्तसे उसके पूर्व-पूर्व क्षण भी अर्थक्रियाशक्तिसे रहित होकर असत् हो जायेगे । इस प्रकार एक-एक कर सर्पणं जगत् अकिञ्चित्कर (कुछ न करनेवाला) बन जायगा । अर्थात् संसारसे कार्यकारणभाव ही उठ जायगा । इसप्रकार आपने कार्यकारणभावको प्रतिसन्धानके प्रति अच्छा नियामक सिद्ध किया ।

इसलिये निमित्तताके अनुरोधसे प्रवृत्तिविज्ञानसे अविरिक्त किसी दूसरे ही ज्ञानको आलेयविज्ञान अपना उपादेय बनायेगा । इस तरह पुनः प्रतिसन्धान नहीं बन सकेगा । अर्थात् प्रवृत्तिविज्ञानके साथ

प्रवृत्तिश्च प्रमजयेतेति ।

एवं—

शर्शकरनुपादानादन्यादानादनन्तता ।

मिथो न प्रतिसन्धिश्च सङ्गरेऽनेऽसंश्लिष्टिः ॥

इति संग्रहः ।

नापि द्वितीयः, तस्यापि भेदाग्रहः स्वरूपतो वा स्थात् ।
प्रिपथतो वा ? आद्ये पूर्वाहमिति प्रत्ययमात्रादा ? प्रवृत्तिविज्ञाने-
भ्योऽपि वा ? न प्रथमः, अहमित्यज्ञामिपमहमिति जानाम्यहमिति

आलयविज्ञानका उपादानोपादेयमात्र नहीं होनेसे प्रवृत्तिविज्ञानके विषय-
का आलयविज्ञानद्वारा प्रतिसंधान (स्मरण) नहीं हो सकेगा । एवं,
सभी आलयविज्ञान निमित्तताके अनुरोधसे दूसरे-दूसरे ज्ञानोंको ही
अपना उपादेय (कार्य) बनायेगा और वे भी प्रत्येक दूसरे ही दूसरेको ।
इस प्रकार नये नये अनन्त संतानोंकी प्रवृत्ति भी होने लगेगी ।

ऐसी दरामे आये दोषोंका सङ्ख्यम् यों है—प्रथम दोष अशक्ति है ।
अर्थात् प्रवृत्तिविज्ञान यदि किसीका उपादान न हो तो निमित्त भी नहीं
हो सकेगा तथा अर्थक्रियासामर्थ्यके अभावमें यह असत् दो जायगा ।
यदि वह अन्य (विजातीय) सन्तानका उपादान हो तो वह भी किसी
अन्य का होगा, इस प्रमाण अनन्त संतानोंका प्रसङ्ग हो जायगा ।
प्रवृत्तिविज्ञान एव आलयविज्ञानका परस्परमे उपादानोपादेयमात्र नहीं
होनेपर परस्परद्वारा जात-विषयका स्मरण भी नहीं हो सकेगा । यदि
दोनोंमें उपादानोपादेयमात्र हो तो उद्धर होनेसे एक अनेकाक्षित
(अनेकोशीराद्य) हो जायगा, जिससे अवश्यकी ओर संयोग आदि भी
मानने पड़ जायेगे ।

¹ प्रवृत्तिविज्ञानसम्बन्धिके अन्त पाठी कादाखित्क (दमी-कमी होनेवाला)
अट्टपत्त्य ही आलयविज्ञान है " यह द्वितीयपक्ष मी नहीं हो सकता है ।
वयोंकि उपादान भी भेदाग्रह स्वरूपत होगा ? या विषयकी रहिसे ?
आपका अप्यमें पूर्वमें उतास " अहम् " इस प्रतीक्षिभावसे भेदाग्रह होगा ?

ज्ञास्यामीति ग्रैकाख्योल्लेखस्य मेदनिश्चयमन्तरेणानुपपत्तेः । कथश्चिदुपपत्ती तदर्थस्यैव प्रतिमन्धरुचितो न प्रवृत्तिविज्ञानार्थानामपि, न च तेभ्योऽपि भेदाग्रह इति चोक्तमेव ।

नापि विषयतः, स हि आकारो वा ? वस्त्वन्तरं वा ?

या प्रवृत्तिविज्ञानसे भी ? इसमें प्रथम विकल्प नहीं हो सकता । क्योंकि “मैंने यह जाना था, मैं यह जानता हूँ, मैं यह जानूँगा” इस प्रकारका त्रिकालका उल्लेख पूर्वापरज्ञानोंमें भेदनिश्चयके बिना हो नहीं सकता । अर्थात् अतीतत्व, बर्तमानत्व और भविष्यत्व आदि विरुद्ध घर्मोंका प्रह ही तो भेदमह है । अतः उनका प्रह होनेपर कभी भी अभेदका प्रह नहीं हो सकता है । एवं किया और कर्ताके स्वरूपसे भी भेदप्रह है ।

पूर्वोक्त तीनों प्रतीतियाँ अहमास्पद हैं, इसलिए अहमास्पदत्वेन रूपेण अभेदप्रह यदि हो भी जाय तो भी उस अहमर्थका ही स्मरण होना चाहिये न कि प्रवृत्तिविज्ञानके अर्थों (विषयों) का भी । यद्यपि यहाँ प्रवृत्तिविज्ञानके विषय-घटपटादिके प्रतिसन्धानकी बात नहीं उठी है, किन्तु विभिन्न ज्ञानोंके एककर्तृकत्वप्रतिसन्धानकी ही बात पूर्यमें उठी है । अत पूर्यकथनके साथ “न प्रवृत्तिविज्ञानार्थानामपि” इस घणकाविषेध प्रतीत होता है—तथापि यहाँ प्रवृत्तिविज्ञानसे अभिप्रेत है उसका अन्त पाती आलयविज्ञान । और उसका विषय स्वयं वही है, क्योंकि आलयविज्ञान स्वप्रकाश होनेसे अपने आपको ही विषय यनाता है । अतः यहाँ सिद्धान्तीके कथनका यह अभिप्राय है कि जिसमें भेदका अप्रह होगा उसीका प्रतिसन्धान होना चाहिये । इसलिए “अहमज्ञासिपम्” इत्यादि विभिन्न प्रतीतियोंमें अहमर्थमें ही भेदका अप्रह होनेसे अहमर्थका ही प्रतिसन्धान होना चाहिये न कि पूर्वापर-विभिन्न आलयविज्ञानोंमें एककर्तृकत्वका प्रतिसन्धान होगा ।

यहाँ यह नहीं कह सकते कि—विज्ञानोंमें भी भेदका अप्रह है—क्योंकि भेदनिश्चयके बिना ग्रैकाल्यका उल्लेख नहीं हो सकता है, यह बात कह ही दी गई है ।

विषयकी दृष्टिसे भी भेदाप्रह तथा उसके द्वारा प्रतिसन्धानका उपयादन नहीं होगा । क्योंकि यह विषय उक्त आलयविज्ञानका आकार

अलीकं वेति । नाथो, दृपितत्वात् । न द्वितीयः, स्वयमनभ्युप-
गमात् । योऽप्यभ्युपगच्छेत् सोऽपि विरुद्धधर्माभ्यासां द्वे भेद-
मिच्छेत्, तन्निवृत्तौ च तन्निवृत्तिम् ।

न तृतीयः, अहमिति विवर्त्पस्य सबस्तुकतायाः प्रागेव प्रमा-
धनात् । अस्तुकत्वेऽपि न तत्र प्रकृतोपयोगिमेदाऽग्रहमंजवः,
सदसदारोपितमन्नारोपितासपव्यधिकरणाव्यपदेश्यभेदेन पद्धिध-

है, या उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है, अध्यात्मालीक (मिथ्या) है । इनमें आदायक्ष नहीं ही सकता । क्योंकि विज्ञानवादका खण्डन करते हुए पूर्वमें उसका भी खण्डन किया जा चुका है । द्वितीय भी नहीं होगा । क्योंकि विज्ञानसे अतिरिक्त वस्तुकी सत्ता तुम स्वयं नहीं मानते हो । यदि मानो तो विज्ञानसे अतिरिक्त एव विज्ञानका विषय-भूत वह यथात् ही आत्मा सिद्ध हो जाती है । जो भी विज्ञानसे अतिरिक्त विषयकी सत्ता मानता है, वह भी उस विषयमें विरुद्ध धर्मोक्ता अध्यास होनेपर ही भेद ईश्वीकार कर सकता है और अध्यासके अभावमें अभेद । अर्थात् उक्त अहमप्रतीतियोंका विषय जो विज्ञानातिरिक्त अहमर्थ है, उसमें विन्दु धर्मोक्ती प्रवीनि नहीं होनेसे वही एक पूर्वापरमें अभिन्न आत्मा सिद्ध हो जाता है ।

विषयटटियाणा तीसरा अलीकृपक्ष भी नहीं हो सकता है । क्योंकि "अहम्" इस विकल्पकी सबस्तुकता पहले ही अर्थात् "प्रत्यक्षपृष्ठमा-
वित्ये साक्षात्ैव सत्यस्तुक्" इत्यादि वचनसे ही सिद्ध की जा चुकी है । यदि यह विकल्प अवस्तुविषयक हो तो भी वहाँ अभेद-प्रतिसंवानमें उपयोगी जो भेदका अप्रह, यह नहीं हो सकेगा । क्योंहि सत् भेद,
असत् भेद, जिसमें सत्ता आशयित है एसा भेद जिसमें असत्ता
आरोपित है ऐसा भेद, व्यधिकरण भेद तथा अव्यपदेश्य भेद ये
दो प्रकारसे भेदका अप्रह नहीं हो सकेगा, जो कि अभेदारोप करा
मये । यह वात मी द्वितीय परिच्छेदमें ही कही जा चुकी है ।
अर्थात् सत्-भेदका अप्रह नहीं हो सकता, क्योंकि जो अलीक है, उसमें
सत्-भेद रह ही नहीं सकता जिसका अप्रह हो । यदि भेद्यो असत्
मानो तो असत्-भेदके अप्रहसे अभेदका मह माननेपर अतिन्या-
सित्रोप आ जायगा । अर्थात् जही अभेदप्रह नहीं होता चाहिये वहाँ

स्यापि भेदस्याग्रहोऽभेदारोपीपयिकतया तत्र न समवतीत्युक्तत्वा-
दिति ॥

अथवा इहानुभवः^१ कालान्तरभाविनीं स्मृतिं जनयेत् ।
तज्जनितो वा संस्कारः । सोऽप्यतीन्द्रियः । प्रत्यक्षमिद्वो वा ?
अतीन्द्रियोऽपि तावत्कालावस्थायी^२ ? सन्तन्यमानो वा ?
अध्यवसिद्धोऽपि तदुच्चरयुद्धारारूपः । तदन्यो वा ? तद्विशेषे

भी अभेदग्रह होने लगेगा । यदि भेदमें सत्त्व आरोपित हो तो उसका
अग्रह नहीं हो सकता । क्योंकि जब आरोप है तो अग्रह कैसा ? भेदमें
असत्त्वका आरोप रहते हुए उसका अग्रह कहो तो भेदमें पारमार्थिकत्व
आ जायगा, क्योंकि उसमें असत्त्वको आरोपित मानते हो । इस प्रकार
वह अलीक नहीं हो सकता ।

यदि व्यधिकरण अर्थात् दूसरेके भेदके अग्रहसे अभेदका आरोप
मानो तो जिस किसीके भेदके अग्रहसे घटपटादिमें भी अभेदारोप
होने लगेगा । एव सत्-असत् आदि कोटियोंसे रहित अनिवर्जनीय
भेदके अग्रहसे अभेदारोप माननेमें सर्वत्र अभेदारोपका प्रसङ्ग होने
लगेगा ॥

स्थिर-आत्मसाधनमें अन्य प्रकार

अथवा यह बताओ कि कालान्तरमें होनेवाली स्मृतिके प्रति अनुभव
कारण है ? या अनुभवसे उत्पन्न संस्कार ? वह संस्कार भी अतीन्द्रिय
है ? या प्रत्यक्ष-सिद्ध है ? यदि अतीन्द्रिय हो तो स्मृति उत्पन्न होनेके
समय तक स्थायी है ? अथवा क्षणिक होनेके कारण सन्तन्यमान अर्थात्
धारारूप है ? यदि प्रत्यक्ष-सिद्ध वह संस्कार हो तो यह अनुभवके बाद
होने वाली बुद्धियोंकी धारारूप है ? या उससे भिन्न है ? अथवा
अनुभवोत्तरकालिक बुद्धिधारागत कोई विशेष (धर्म) है ? वह
विशेष भी अनुभवप्रमयत्वमात्र है ? या अनुभवितुसन्तानगत वैज्ञात्य
है ? अर्थात् नीलानुभवके धारा जिन बुद्धियोंका सन्तान जारी रहता
है, सान्तानिकभूत उन बुद्धियोंमें ही रहने वाला वैज्ञात्य अभिप्रेत

१. कि म् इत्यपि वैचित्र पाठः । २. तत्कानां इस्यायी इति वैचित्र पाठः ।

वा ? विशेषोऽप्यनुभवप्रभवत्वमात्रं वा ? अनुभवितु सन्तान-
वैज्ञात्यं वा ?

तत्र न प्रथमः, अनुत्पन्नानन्यध्वस्तयोरविशेषात् । नापि
दृश्योऽन्यः, तस्यानुपलब्धिवाधितत्वात् । नाप्यनुभवप्रभवत्व-
मात्रं विशेषः, न हि कर्मकरकरोपनीतमेव वीजं चितिमासाद्याङ्गुरं
कुरुते न तु प्रमादपतिवम् । तथा नीलाद्यनुभवप्रभवमन्तानः^१

है । इसीलिये जिस सम्भानसे पहले नीलानुभव नहीं हुआ है, उससे
चैज्ञात्य यहाँ विवक्षित है । अतः जो अननुभूत है, उसका समरण-
प्रसङ्ग यहाँ नहीं होगा । यह अन्तिम विकल्पका अभिप्राय है ।

उपर्युक्त पक्षोंमें प्रथमपक्ष नहीं हो सकता है । क्योंकि नहीं उत्तम
होना या निरन्वयध्वस्त हो जाना, इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है ।
अर्थात् चिरकाल पूर्वमें उत्पन्न होकर नष्ट हुआ अनुभव यहुत कालके
घाद होनेवाली स्मृतिका कारण नहीं हो सकता, जो वस्तु अपना प्रति-
निधिस्वरूप कोई दूसरी वस्तु पैदा किये विना ही विलीन हो जाती है,
यह स्वयं भी नहीं पैदा हुएके समान है । अतः पूर्वोत्पन्न नीलानुभवका
निरन्वयध्वस्त हो जानेके कारण नहीं उत्पन्न हुएके बराबर होनेसे यह
कालान्तरमें नीलकी स्मृति नहीं करा सकेगा । अनुभवके घाद होने-
वाली चुदिधपारासे अन्य दरयमूल संस्कार भी स्मृतिका कारण
नहीं हो सकता है । क्योंकि उपलब्धिव नहीं होनेसे उक्त संस्कार ही
वाधित है ।

“अनुभवोचरकालिक चुदिधपारागत जो अनुभवप्रभवत्वमात्रस्थरूप
पिशेष है, यही संस्कार है, जो भावी स्मृतिका अनुक है” यह पक्ष भी
ठीक नहीं है । क्योंकि यह नियम नहीं है कि अमिकृके द्वाधसे समझ
यूक्तर दाता हुआ वीज ही पृथ्वीमें पूँछसर अङ्गुर पैदा करता हो और
प्रमादसे गिरा हुआ न करता हो । ये से ही नीलानुभव सन्तान (नील-
चुदिधपारा) पीलानुभवसे ही उपनीत हो या नीलानुभवसे ही उपनीत,
इममें स्मृति पैदा करनेके समवन्धमें कोई पिशेषता नहीं है । अर्थात् जैसे

१. नीलाद्यनुभवमन्तानः दृष्टि वरपित् पाठ ।

पीताद्यनुभवेनैवोपपद्यतां नीलाद्यनुभवेनैव वेति न कश्चिद् विशेषः । एवं चाऽननुभूतेऽपि स्मरणप्रमङ्गो न नानुभूतेऽपीति ।

शालिप्रभवस्य वीजस्य शालित्वं प्रतिसन्धानविनियम इति चेत्, न, चीर-जम्बूरसपायिनील-धबलकलरवजनितविपरीतपारावतवदनियमदर्शनेन तस्याप्रयोजकत्वात् । वैजात्यं तु विशेषो भवेत्, यथा चीरावसेमादम्लत्वं परिहृत्य माधुर्यमुषादायानुवर्त-

अङ्कुर पैदा कलेमें वीजत्वमात्र प्रयोजक है, और वह किसी भी प्रकार पुष्टियोंमें पहुँचकर अङ्कुर पैदा कर देता है, वैसे ही नीलादिविषयकी स्मृतिमें भी अनुभवप्रभवत्वमात्र ही प्रयोजक है, जसे नील या पीत विषयविशेषकी अपेक्षा नहीं है । अहः नीलादिविषयक या पीतादिविषयक जिस किसी अनुभवसे उपनीत होनेमात्रसे ही स्मृतिका प्रयोजक हो जायगा । ऐसी स्थितिमें नीलविषयक अनुभवके न होनेपर भी नीलविषयकी स्मृति होने छगेगी । क्योंकि आप उस स्मृति-प्रयोजक अनुभवमें विषयविशेषकी अपेक्षा मानते नहीं हैं । यदि रसृतिके प्रति अनुभवप्रभवत्वको प्रयोजक न मानें तो अनुभूत विषयकी भी स्मृति नहीं होनी चाहिये ।

यहि कहो कि—वैसे, शालि (धान) प्रभव ही वीज शालि उत्पन्न करता है, न कि दूसरे यवादिसे उत्पन्न वीज शालि उत्पन्न करता, वैसे ही नीलानुभवप्रभव ही नीलानुभवसन्तान नीलस्मरणका कारण होगा न कि पीतानुभवप्रभव भी अनुभवसन्तान कारण होगा । अतः पूर्वोक्त अतिप्रसङ्ग या अप्रसङ्ग-दोष नहीं होगा—तो ऐसा नहीं कह सकते हो । क्योंकि “तत्प्रभवत्वं तादृशं प्रतिसन्धानका जनक है” यह नियम व्यभिचरित है । कारण, क्षीरपान करनेवाले नीले कवृतरसे भी धबल कवृतरका तथा जामुनरस रस वीनेवाले धबल ववृतरसे भी नीलरसके कवृतरका उत्पन्न होना देखा जाता है । अतः तत्प्रभवत्वमात्र तादृशं प्रतिसन्धानका प्रयोजक नहीं हो सकता है ।

अनुभवित्वसन्तानगत वैज्ञात्यनामक विशेष तो प्रतिसन्धानका नियमक हो सकता है । अर्थात् जिस सन्तानमें नीलानुभव पहले नहीं हुआ

मानाऽऽमलकी कालान्तरेऽपि फले माधुर्यमुन्मीलयति, लादार-
सावसेकादृ वा धर्वलिमानमपहाय रक्ताभनुरत्नमान कार्पास-
दीज कुमुमेषु रक्तराम् । न चैत्र प्रकृतेऽपि, जपा^१ कुमुमाद्यु-
पथानसन्निधानेऽपि^२ तद्रूपतामनादाय धर्वलिमानमेव सन्दधानस्य
स्फटिकस्थेव विज्ञानस्य प्रियोपधानमपगम्य^३ चिद्रूपतामात्रेणातु-
चृतेः ।

सर्वाकारत्वमेव सर्वज्ञानानां, मिन्तु दश्चिदाकारः पठरन्ये

है, उससे वैज्ञान्य ही नीलस्मरणका नियामक होगा । पीतानुभवसन्तान ऐसा ही सन्तान है, जिसमें पहले नीलानुभव नहीं हुआ रहता है । अत उसका विज्ञातीय सातान नीलानुभवसन्तान ही होगा । इस लिये पीतानुभवे वाद नीलस्मरणका प्रसङ्ग नहीं होगा । जैसे कि दूसरे सीचनके वारण अस्त्रिता (रट्टापन) को छोड़कर मधुरताको लिये हुई आमलही (आँखढ़ा) वादमें होनेवाले फलमें भी मधुरताकी अभिव्यक्ति करती है तथा लाक्षा (लाह) रससे सीचनेके कारण उज्ज्वलापनको छोड़कर लालिमाको महण किया हुआ कपासका दीज वादमें होनेवाले फूलोंमें भी लालिमाको अभिव्यक्त करता है, अर्थात् वादमें होनेवाले फूल लाल उत्तम होते हैं ।

किन्तु प्रकृतमें ऐसी यात नहीं है । क्योंकि, जैसे जपाकुमुमका साम्रिन्य होनेपर भी स्फटिकपत्थर मुमुक्षुको लालिमाको नहीं महण करता यद्यपि अपने स्वाभाविक उज्ज्वलापनको ही धारण किये रहता है, येसे ही विज्ञानमें भी स्थृपत वैज्ञान्य नहीं होता है । क्योंकि विषयका साम्रिन्य हटनेपर सभी विज्ञान चिद्रूपसे ही अनुरर्तमान रहते हैं । अत स्थृपत ज्ञानोंमें यैज्ञान नहीं कह सकते, जिससे अति प्रसङ्गशा निपारण दो सके ।

यह पहों कि—यदि ज्ञानोंकी नीलादि विषयाकारता औपाधिक होती तो विषयका साम्रिन्य हट जाता और विज्ञानही चिद्रूपमात्रसे अनुरूपता

१. उद्याकुमुम ईति वर्णितू पाठ । २. कुमुमाद्युपाने ईति वर्णितू पाठ ।

३. उद्यगमा ईति वर्णितू पाठ ।

त्वपटम् इति स्वदर्शनश्रद्धावतो विरुद्धधर्माच्छायादपि न भीः ।
न हि स एव पदुरपदुश्चेति सम्भवति । न च स्वसंविदितरूपस्या-
याट्यार्थं पद्गमः ।

निराकारपदेऽपि यावानर्थो चुद्रेपिष्यस्तापति स्फुटैर् सा । यत्र
चास्फुटा, नासौ तस्य (तस्या) विषयः । तथात्वे वा प्रिष्येतरव्यवस्था

होनेसे उसमें वैज्ञात्य नहीं होता । किंतु एसी बात नहीं है । यद्यकि
सभी ज्ञान स्वभावसे ही सर्वविषयकार होते हैं । और उनमें किसी
आकारके पटु होनेसे स्पष्टरूपसे उस आकारका उल्लेख होता है तथा
किसीके अपदु होनेसे उल्लेख नहीं होता है । अर्थात् ज्ञानोमे विषयकृत
ही वैज्ञात्य हाता है । इसीलिये पीतानुभवसे नीलप्रतिसन्धान तथा नीला
नुभवसे पीतप्रतिसन्धानका प्रसङ्ग भी नहीं होगा—तो एसा नहीं कह
सकते । क्योंकि यदि सभी ज्ञान सर्वविषयकार हों तो प्रत्येक अनुभवमें
नीलादिका उल्लेख होना चाहिये । इसके समाधानके लिये अनुभवको
नीलपीतादि विषयभेदसे पटु और अपटु (विषयोल्लेख करनेमें असमर्थ)
कहनेको तो यही कहा जायगा कि अपने दर्शनके प्रति अन्पशद्वा रखने
यातेको विरुद्ध पर्मां के प्रसङ्गसे भी भय नहीं है । क्योंकि यही पटु भी
हा और अपटु भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है । एव, तुम्हारे मतमें
सभी ज्ञानके साकार एव स्वप्रकाश होनेसे सदा वह अपनेको नील
पीतादि आकारोंसे युक्त ही प्रकाशित करेगा । ऐसी स्थितिमें उसे अपटु
कहनेका कोई अर्थ हम नहीं देखते हैं ।

जो (नैयायिक) ज्ञानको निराकार मानते हैं, उनके मतमें भी दूरसे
देखनेपर जितनी वस्तु ज्ञानका विषय बनती है, उतनी वस्तुकी दृष्टिसे
वह ज्ञान रफुट (पटु) ही होता है तथा जिस वस्तुके सम्बन्धमें वह
अस्फुट होती है, वह वस्तु उसका विषय भी नहीं बनती है । अत
ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही ज्ञान एक ही विषयके सम्बन्धमें स्फुट
भी हो और अस्फुट भी हो । यदि अस्फुटकी दशामें भी वस्तु ज्ञानका
विषय बने हो विषय और अविषयकी व्यवस्था ही नहीं रहेगी । अर्थात्
सब ज्ञान सर्वविषयक होने लगेगा । जो वस्तु साशा (सावयव) है,
उसमें एक अवयवका स्फुट रहना तथा एक अवयवका अस्फुट रहना

न स्यात् । सर्शे एवं युक्तमेतदिति दर्शिते प्राक् । तस्मादितीन्द्रियः संस्कारः परिशिष्टते । ॥ स च न सन्तन्यमानः ॥ तत्रैव स्मृत्योदिते प्रसङ्गे प्रवृत्तिसन्ताने पलानवकाशप्रमङ्गात् । अन्यत्र संस्कारं रेत्यत्र फलेऽतिप्रसङ्गात् । ॥ परम्परयैकोपादनर्तया ॥ नियमे संस्कारान्तरमन्तानेऽपि स्मृतिः प्रसङ्गात् । ॥ ॥ ॥ ॥

युक्त है। क्योंकि उस वर्णनको इस सावधान मानते हैं। साथ ही अवधयवोंमें परम्पर ऐद होनेसे भैरे भूतमें चिरहृष्टभूमिका संसर्ग दोप भी नहीं होगा। क्योंकि भिन्न अवधयवको स्फुट कहा जाता है और भिन्न अवधयवको अस्फुट कहा जाता है, न कि एक ही अवधयवको स्फुट और अस्फुट बहते हैं।

अतः अनुभवसे उत्पन्न जो अतीनिदिय संस्कार, वही स्मृतिके नियमके रूपमें बच जाता है। किन्तु उस सन्तन्यमान (अरथात्) संस्कारको अर्थात् संस्कारके सन्तानको रमृतिनियामक नहीं मान सकते। क्योंकि तब संस्कारोंके सन्तानमें ही स्मृति और रमृतिजन्य इच्छा आदि फल ही सकेगा तथा प्रवृत्तिविद्वानके सन्तानमें धूमत्यादिरूप फल नहीं ही सकेगा। ऐसी स्थितिमें “अह पट् स्मरामि” इत्यादि प्रतीति नहीं ही सकेगी। क्योंकि प्रवृत्तिविद्वानधाराका अन्तःपाती ज्ञान ही अहमापद होता है, संस्कार नहीं।

यदि यित्त सन्तानोंमें संस्कार मानो और भिन्न सन्तान (प्रवृत्तिविद्वानसन्तान)में स्मृतिरूप फल मानो तो अतिप्रसङ्गरूप दोप ही जायगा। अर्थात् नीटसंस्कारसे भी पीतस्मरण होने लगेगा।

यदि यह नियम करो कि—परम्परया समान उपादानकारणसे उत्पन्न संस्कार ही स्मृत्यादि फल उत्पन्न कर सकेगा, अत अतिप्रसङ्ग दोप नहीं होता। अर्थात् एक ही नीटानुभवरूप उपादानकारणसे संस्कारोंका भी सन्तान उत्पन्न होता है और प्रवृत्तिविद्वानोंका भी सन्तान उत्पन्न होता है। अब यहाँ संस्कार अपने समान उपादान कारणसे उत्पन्न होने वाले प्रवृत्तिविद्वानसन्तानमें स्मृति पैदा करेगा, दूसरे सन्तानमें १. वदृत्यतिप्रसङ्गादिति वर्वित पाठः ।

तस्मात् स्वोपादान एव स्मृतिं करोतीति गत्यन्तराभावा-
दापात्तिकमप्युपेयमेव । तथा च स्मृतेः कालान्तरमन्वन्धान्
संस्कारतदुपादानयोः स्थैर्यमयत्नमिद्व मवर्जनीयश्वेति ।

एतेन धर्मधर्मरूपः^३ संस्कारो व्याख्यातः । तथा च यो यः
संस्कारः कवचित् नन्तान आहितः^४ स तत्रैव फलाधानयोग्यो
नहीं । अतः यहाँ कोई अनुपरत्ति या आपत्ति नहीं होगी—तो यह भी
नहीं हो सकता । क्योंकि पीतसंस्कारसन्तानका उपादानकारण जो पीतानु-
भव है, वह परम्परया पीतानुभवके बाद कदाचित् होनेवाले नीलानुभव-
जन्यनीलसंस्कारसन्तानका भी उपादानकारण होगा । अत नीलसंस्कार-
सन्तानमें भी पीतस्मरण होने लगेगा ।

इसलिए संस्कार अपने उपादानमें ही स्मृति पैदा करेगा—यह बात
आपातत कुछ होनेपर भी दूसरा चारा नहीं होनेके कारण माननी ही
पड़ेगी और वह उपादान ही आत्मा है । तथा स्मृतिका, संस्कारके यहुत
बाद, कालान्तरसे सम्बन्ध होनेके कारण संस्कार और उसके उपादानपा-
स्थैर्य (स्थायित्व) भी मिना प्रयासके ही सिद्ध हो गया और वह
अनिवार्य भी है । अर्थात् अनुभवके अनन्तर वर्षों बाद भी होती हुई
स्मृति संस्कारकी और उसके उपादानकारण आत्माकी स्थिरतामें
पक्षधर्मतात्रलसे स्वतः सिद्ध कर देती है ।

इसीसे धर्माधर्मरूप संस्कारकी भी व्याख्या हो गयी । अर्थात् यह
और हिसा आदिसे उत्पन्न जो धर्म-अधर्मरूप संस्कार, वे भी स्वयं के
और अपने उपादानकारण (आत्मा) के स्थिरत्वके बिना कालान्तरमें होने
वाले स्वर्ग-नरकादि फलके जनक नहीं हो सकते हैं । अतः उस दृष्टिसे
भी स्थिर आत्माकी सिद्धि होती है ।

इसी प्रकार “जो जो संस्कार जिस किसी सन्तानमें आभित रहता
है, वह उसीमें स्मृतिरूप फलको उत्पन्न करनेके शेष्य होता है, अन्यत्र
नहीं” इत्यादि कथन भी सम्भित हो गया । क्योंकि बुद्धिधारासे अति-

^३ अप्युपेक्षिति बवचित् पाठः ^२ च इति कवचित् पाठः

^४ धर्माधर्मनक्षण इति २ पु० पा० ^४ संतानेनोपहित इति २ पु० पा०

नान्यत्रेत्याद्यपि निरस्तम् । अतिरिक्तसंस्कारपक्षे हेतोर्ज्यधि-
करणत्वात्, विशेषलक्षणस्य च स्वरूपामिद्वत्वात्, अविशिष्टोत्तर-
कार्यप्रवाहमात्रस्य च विरुद्धत्वादिति ।

न चातीन्द्रियोऽपि संस्कारः सौगतनये संभवति । तस्य ज्ञान-
त्वे परोत्त्वानुपत्तेः, अज्ञानत्वे ज्ञानोपादानक्त्वायोगात्,
सन्तानान्तरत्वे ज्ञानस्यापि पारोदये तदन्तःपातिनः स्मृतिसुषादे-

रिक् संस्कारपक्षमें संस्कारत्व-हेतु व्यधिकरण (आश्रयासिद्ध) हो
जायगा । अर्थात् “संस्कारः, स्वसन्ताने स्मृतिजनकः, संस्कारत्वात्” इस
अनुमानमें संस्काररूप आश्रय (पक्ष) असिद्ध है । क्योंकि तुम
संस्कारको मानते नहीं हो । अथवा यहा हेतुके व्यधिकरण होनेका
अभिप्राय यह है कि स्वसन्तानगत संस्कार स्वसन्तानमें ही स्मृति उत्तम
कर सकता है, न कि प्रवृत्तिविज्ञानसन्तानमें, क्योंकि प्रवृत्तिविज्ञानसन्तान
संस्कारका अधिकरण नहीं है ।

यदि संस्कारत्वको ज्ञानगत-जातिविशेषस्वरूप मानो तो संस्कारत्वहेतु
स्वरूपासिद्ध हो जायगा । क्योंकि तुम्हारे मरमें कोई भी जाति होती ही
नहीं है और मेरे मरमें भी ज्ञानमें संस्कारत्व-जाति नहीं होती है । यदि
संस्कारका अर्थ अनुभवके बाद होनेवाला अविशिष्ट (सामान्यत) कार्य-
प्रशाहमात्र लो तो यह विरुद्ध होगा । अर्थात् नीलानुभवोत्तरकार्यप्रवाहके
अंतर्गत नीलानुभवके बाद होनेवाला घटपटादिका सन्तान भी गृहीत
होने लगेगा, किन्तु घटपटादिका सन्तान स्मृतिरूप फल उत्पन्न करता नहीं
है । अतः उक्त प्रकारका संस्कार स्मृतिरूप फलके विरुद्ध है ।

एवं बीद्रुमत्वमें अतीन्द्रिय स्थिर संस्कार प्रतिसन्धानका नियामक
नहीं हो सकता है । क्योंकि उस संस्कारको ज्ञानस्वरूप मानें तो यह
परोद्ध (अतीन्द्रिय) नहीं हो सकता है । कारण, बीद्रुमत्वमें सभी
ज्ञान इत्यक्षात् होनेसे प्रत्यक्ष होते हैं । यदि उस संस्कारको ज्ञानसे
भिन्न मानें हो उसका उत्तरान-कारण ज्ञान नहीं हो सकेगा ।

यदि उस संस्कारको ज्ञानका सन्वानहूप मानें तथा उस ज्ञानको भी
परोद्ध मानें, अर्थात् यह में “ज्ञान” हो तो उस अन्तिम

रपि तथाभावप्रसङ्गादिति । तदिदमुक्तरूपं प्रतिसन्धानं निमित्त-
वत्तया व्याप्तम्, अनिमित्तवत्त्वे नियमानुपपत्तेः । तच्चानेककर्तुं-
कत्वे नास्तीति व्यापकानुपलब्ध्या विष्णाशिवर्तमानं निमित्तव-
त्येककर्तुंकत्वे विश्वाम्यतीति प्रतिसन्धमिद्धिः ।

एवज्ञ सति अन्योऽपि नर्तकीभ्रूलताज्ञेपादौ द्रष्टव्यः ।
सैन हि भ्रूलता, त एव वा परमाणवः प्रतिसन्धीयमाना नाना-
ज्ञाननिमित्तत्वेऽवस्थिताः । विरुद्धधर्मविरहिष्वप्यत्वेन तु विशेष-

ज्ञानसंवानके अन्तःपाती स्मृति-सुख भावि भी अतीन्द्रिय होने लगेगा
और उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा ।

इस प्रकार पूर्वापर प्रतीतियोंके एकाश्रयत्वका अवगाहन करनेवाला
तथा पूर्वानुभूत अर्थका अवगाहन करने वाला प्रतिसन्धान (प्रत्यभिज्ञा
तथा स्मरण) निमित्तवत्त्वासे व्याप्त है अर्थात् उक्त प्रतिसन्धानका अवश्य
कोई निमित्त है । दिना निमित्तका हो तो प्रतिसन्धानका कोई नियम
नहीं रह जायगा । और घट प्रतिसन्धान अनेक कर्ता (अनेक आश्रय)
होनेपर नहीं संभव है, इसलिये वह व्यापकीभूत निमित्तके अभावमें
अनेककर्तुंकर्तवरूप विषयसे नियुक्त होता हुआ निमित्ताले एककर्तुंकर्त्य-
में ही विश्वान्त होता है, इस प्रकार प्रतिसन्धान और एककर्तुंकर्त्यमें
व्यतिरेकव्याप्तिकी सिद्धि होती है । अर्थात् वह निमित्त स्थिर संस्कार
का आश्रयभूत स्थिर आत्मा ही है ।

इसी तरह नर्तकीभ्रूलताज्ञेप आदिमे अन्वयवशसि भी जाननी
चाहिये । क्योंकि रहस्य पुरुषोंको अपने-अपने नाना ज्ञानोंमें “यद्
यद्दी भ्रूलता है, या ये वे ही परमाणु है” इस प्रकारका प्रतिसन्धान होता
है । अर्थात् जैसे एक ही भ्रूलताज्ञेप विषयरूपमें नाना ज्ञानोंका निमित्त
माना जाता है, वैसे ही एक ही स्त्रिर आत्मा आश्रयरूपमें नाना ज्ञानोंमें
एकाश्रयत्वप्रतिसन्धानका तथा पूर्वकालिक अनुभव एवं परकालिक
स्मृतिज्ञानोंमा भी निमित्त है ।

अमेद प्रतिसन्धान ही विषय या स्वाश्रयीभूत आत्माके अभिन्न होने
में प्रमाण है । किन्तु जहाँ विरुद्ध धर्म होगा, वहाँ उस प्रतिसन्धानसे

गीयमत्र प्रतिष्ठानम् । अन्यथा य एव वालस्त्वया दृष्टः, स एव युवा मया दृश्यत इत्यनेनानेकान्तात् ।

‘न चामिद्धमिदं विशेषणं देहस्यैन चेतनत्वात् । मैरं । देहत्वमूर्तत्वभूतत्वरूपादिमत्त्वादिभ्यः । न च भूताना समुदाये पर्यवमिते चेतन्यम्, प्रतिदिनं तस्यान्यत्वे पूर्वपूर्वदिवसानुभूत-स्यास्मरणप्रसङ्गात् ।

अभेदकी सिद्धि नहीं होगी । अतः अभेदसाधक प्रतिस धानमें विरुद्ध धर्मरहितविषयकत्वरूप विशेषण देना चाहिये । यदि ऐसा विशेषण नहीं दिया जायगा तो—जिसे तूने बालक देखा था, उसे ही मैं युवा देख रहा हूँ—यहाँ भी अभेद प्रतिसन्धान होनेसे विषय तथा दोनों आत्माओं में अभेद सिद्धि होने लगेगी । अर्थात् यहाँ दृश्याशमें बालत्व और युवत्वरूप विरुद्धधर्मका अध्यास होनेसे विषयाशमें अभेद नहीं होता है तथा दृष्टाके अशमें भी त्वया और मयाके रूपमें विरुद्ध धर्मका अध्यास होनेसे दृष्टाके अशमें भी अभेद नहीं होता है । रात्पर्य यह है कि “योऽह घटमद्राक्षम् सोऽह स्पृशामि” यह प्रतिसन्धान ही स्थिर आत्मा-की सत्तामें प्रमाण है, क्योंकि यहाँ विरुद्ध धर्म आदि कोई वाधक नहीं है ।

यदि वहो कि—विरुद्धधर्मरहितविषयत्वरूप विशेषण आत्माके सम्बन्धमें असिद्ध है, क्योंकि देह ही चेतन आत्मा है, और उसमें परिमाणभेदसे प्रतिदिन विरुद्धधर्मवा अध्यास हुआ करता है—तो ऐसा नहीं कह सकते हो । क्योंकि देहत्व, मूर्तत्व भूतत्व तथा रूपतत्व आदि इत्यादि अनुमानोंसे शरीर अचेतन ही सिद्ध होता है । अर्थात् ‘दहो न चेतन, मूर्तत्वात्, भूतत्वात्, रूपतत्वात्, रसवत्त्वात् पृथिव्यादिवत्’ इत्यादि अनुमानोंसे शरीर अचेतन ही सिद्ध होता है । अत देहको चेतन आत्मा नहीं कह सकते ।

पय देहको चेतन माननेम दहाट भूतसमुदायमें चेतन्य नहीं हो सकता, क्योंकि देहगत भूतसमुदायके प्रतिदिन बदलते रहनेके कारण दूर्जिदिनमें अनुभूत यत्कुका दूसरे दिन रमरण नहीं हो सकेगा । क्योंकि

नापि प्रत्येकपर्यवसितम्, करचरणाद्यव्यविशेषे तदनुभू-
तस्य स्मरणायोगात् । देहस्य चेतन्ये वालस्य प्रथमप्रवृत्ति-
प्रमद्भावं, इच्छाद्वेषावन्तरेण प्रयत्नानुपपत्तेः । इष्टाभ्युगायता-
प्रतिपन्धानं विना चेच्छानुपपत्तेः । इह जन्मन्यननुभूतस्य
प्रतिबन्धस्यास्मृती प्रतिपन्धानायोगात्, जन्मान्तरानुभूते चानु-
भवितरि भस्मसाद्भूतेऽन्येन स्मरणायोगात्, अनुभवादीनां च

अनुभव करनेवाला समुदाय दूसरा था और स्मरणके समय अब दूसरा
समुदाय उत्तम हो गया है ।

देहगत प्रत्येक अवयवमें भी चेतन्य नहीं कह सकते । क्योंकि
हाथपैर आदि किसी अवयवके देहसे अलग हो जानेवार हाथपैद्वारा
अनुभूत वस्तुओं स्मरण नहीं हो सकेगा । कारण, अनुभव करनेवाला
अवयव अब है नहीं । एव देहको चेतन माननेमें जन्मके बाद प्रथम
स्तम्यपान आदिमें बालककी प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । क्योंकि इच्छा या
द्वेषके विना प्रवृत्ति नहीं होती और इष्टसाधनताका ज्ञान हुए विना इच्छा
नहीं हो सकती, तथा इष्टसाधनताका ज्ञान अनुमानद्वारा होगा । किन्तु
वह अनुमान भी व्याप्तिरूप स्मरण हुए विना नहीं हो सकता । और वह
व्याप्तिस्मरण भी बालको इसलिये नहीं हो सकता कि उसे इस जन्ममें
भूयोदर्शनद्वारा व्याप्तिरूप अनुभव नहीं होनेसे व्याप्तिस्मरणका हेतुभूत
संस्कार नहीं पैदा हुआ है । इसप्रकार स्तम्यपानमें प्रवृत्तिरूप हेतु इष्ट-
साधनताका प्रतिसन्धान कथमपि नहीं हो सकता है ।

यदि दूसरे जन्ममें बालको व्याप्तिरूप अनुभव हुआ मानो तो
तुम्हारे मतानुमार पूर्वजन्मका शरीर ही चेतन अनुभवकर्ता था ।
किन्तु वह तो उसी जन्ममें भस्म हो चुका था, अतः उसकेद्वारा
अनुभूत स्तम्यपानमें इष्टसाधनताका स्मरण वर्तमान भिन्न शरीरके
द्वारा हो नहीं सकता । क्योंकि अनुभव और संस्कार तथा व्याप्ति
स्मरण, व्याप्तिस्मरण और इष्टसाधनताज्ञान, इष्टसाधनताज्ञान और
इच्छा, तथा इच्छा और प्रवृत्तिमें कार्यकारणभावका निश्चय इसी जन्म-
में संबद्ध है । अतः वचन् कारणके अभावमें वत्तत् कर्वण भी
अभाव होना स्वयः सिद्ध है । अर्थात् व्याप्तिके अनुभवके अभावमें

प्रबृत्यन्तानां कार्यकारणभावस्य इहैव जन्मनि निश्चितत्वात्, तथा च तदगावे तदभावस्य सुलभत्वात् । अन्यथा त्वतिप्रसङ्गात् ।

अतएव नेन्द्रियाणि^१ चेतयन्ते, दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकार्थ-
ग्रहणात्तच ।

न च मनस्तथा, तस्य करणत्वेनैवानुमानादिति प्रतिबन्ध-

सस्कारका अभाव, उसके अभावमें व्याप्तिस्मरणका अभाव, उसके अभावमें इष्टसाधनतानुमितिका अभाव, उसके अभावमें स्तन्यपानकी इच्छाका अभाव, तथा इच्छाके अभावमें प्रवृत्तिका अभाव न्यायसिद्ध है । यदि कारणके अभावमें भी कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो सर्वत्र कार्यात्मत्त्वात् होने लगेगी तथा सभी कार्य आकस्मिक होने लगेगे ।

उक्त प्राथमिक प्रवृत्तिकी अनुपपत्तिसे ही इन्द्रिया भी चेतन आत्मा नहीं हो सकती हैं । अर्थात् इन्द्रियोंको चेतन माननेपर जन्म होनेके बाद प्रथम-प्रथम देखने, सुनने, दूने या कुछ पकड़ने आदिमें जो बालक की प्रवृत्ति होती है, वह नहीं हो सकेगी । क्योंकि इस जन्ममें उस इन्द्रियको कुछ अनुभव नहीं होनेसे प्रवृत्तिका हेतु इष्टसाधनताज्ञान अभी हुआ नहीं है । एव दर्शन और स्पर्शनकेद्वारा एक ही वस्तुका ज्ञान होनेसे भी सिद्ध होता है कि इन्द्रियों चेतन नहीं हैं, किन्तु उनसे अतिरिक्त नित्य आत्मा ही चेतन है । अर्थात् जिसे मैंने देखा था, उसे दूर रहा हूँ, अथवा जिसे दूर आ था, उसे देख रहा हूँ—इस प्रकार नेत्रसे दृष्ट वस्तुका त्वचासे और त्वचासे दूर ही गयी वस्तुका नेत्रसे प्रतिसन्धान होता है, यह प्रतिसन्धान इन्द्रियोंसे अतिरिक्त स्थिर चेतन माने जिना समय नहीं है । कारण, दूसरेसे दृष्टका दूसरेद्वारा प्रति सन्धान नहीं हो सकनेसे नेत्रसे दृष्टका त्वचासे कथमपि प्रतिसन्धान नहीं हो सकेगा । स्थिर चेतन आत्मा माननेपर तो नेत्रसे देखनेवाला भी वही है और त्वचासे दूरनेवाला भी यही है । इसलिये उक्त प्रति सन्धानके होनेमें कोई अनुपरत्ति नहीं है ।

एवं मनको भी चेतन (ज्ञानका कर्त्ता) नहीं कह सकते । क्योंकि

^१ इन्द्रियाणि न चेतयते इति वृत्तिपाठ ।

मिद्धिः, परलोक्यात्मपिद्धिश्च । अनादिशामी वीतरागजन्मा-
दर्शनात् ।

अनन्तश्च मतोऽनादित्वात् । द्रव्यं च समवायिकारणत्वात् ।
विभूत्य नित्यद्रव्यत्वे मत्यमूर्तत्वात् । अमूर्तश्च निष्क्रियत्वात् ।
निष्क्रियश्च नित्यत्वे सति अस्मदादिप्रत्यवत्यात्, प्रत्यक्षधर्माश्रय-
त्वाच्चेति ।

अनुमानद्वारा मनकी सिद्धि ज्ञानके प्रति करणके रूपमें ही होती है न कि ज्ञानके कर्ताके रूपमें, इसप्रकार देहत्व, इन्द्रियत्व और मनस्त्वमें अचैतन्यकी व्याप्ति सिद्ध हो जाती है । साथ ही पूर्वजन्मके अनुभवके बिना प्रथम प्रगतिकी अनुपत्तिके कारण पूर्वजन्ममें रहनेवाले परलोकी आत्माकी भी सिद्ध हो जाती है । एव वह चेतन आत्मा अनादि भी सिद्ध होता है । क्योंकि रागशून्य कोई भी प्राणी उत्पन्न नहीं होता है । अर्थात् जन्मते ही विषयमें राग पूर्वजन्मके अनुभवके कारण होता है और उस जन्ममें जन्मते ही जो राग होता है, वह उससे भी पूर्वजन्मके अनुभवके कारण होता है । इस प्रकार पूर्व-पूर्व जन्ममें अ त्माकी सत्ता सिद्ध होनेसे वह अनादि भी सिद्ध हो जाता है ।

एव, वह चेतन आत्मा अनन्त भी है । क्योंकि वह भाव वस्तु होते हुए अनादि है । और वह ज्ञान इच्छा आदिका समवायिकारण होने से द्रव्य भी है । क्योंकि द्रव्य ही किसी जा समवायिकारण होता है । वह चेतन आत्मा विभु (व्यापक) भी है । क्योंकि वह नित्य द्रव्य होते हुए अमूर्त है । और वह अमूर्त भी इसलिये है कि वह किया रहित है । क्योंकि जिसमें किया होतो है, वही मूर्त होता है । और निष्क्रिय भी इसलिये है कि वह नित्य होते हुए हम लोगोंके प्रत्यक्षज्ञाविषय है तथा प्रत्यक्षगुणोंका आश्रय है । अर्थात् आत्माका और उसमें रहनेवाले ज्ञान सुखादि गुणोंका हमलोगोंको प्रत्यक्ष होता रहता है और वह आत्मा नित्य भी है । क्योंकि नो नित्य होता है और जिसका तथा जिसके गुणोंका प्रत्यक्ष होता है, वह निष्क्रिय होता है—ऐसा नियम है ॥

तर्फाशाप भवन्ति—आदिमस्ते प्रथमप्रवृत्त्यनुपपत्तौ सर्वथै-
वाप्रवृत्तिप्रमङ्गः । सान्तत्वेऽनादेः सञ्चातुपपत्तिप्रमङ्गः । अद-
व्यत्वे निर्गुणत्वप्रमङ्गः । अपिभुत्वे दहनपरनादेः क्रियातुपपत्ति-
प्रमङ्गः^१ ।

न च संयुक्तमयोगात्तदुत्पत्तिः, साक्षात् क्रियावद्द्वारकस्य
तस्यामाशात् । अतयाभूतस्य च तदुधेतुत्वेऽतिप्रमङ्गात् ।

बक्त अनुमानोंमें विपक्षवाधक तर्क

बक्त अनुमानोंमें विपक्षवाधक तर्क भी हैं । जैसे, आत्मा यदि
आदिमान् हो तो जन्मकालिन प्रथम प्रवृत्ति नहीं हो सकनेके कारण उसमें
सर्वथा ही प्रवृत्तिका अभाव होने लगेगा । आत्मा यदि सान्त हो तो
अनादि होते हुए सामृत होनेके कारण वह भाव चक्षु नहीं हो सकेगा,
जैसे प्रागभाव । आत्मा यदि द्रव्य न हो तो वह निर्गुण हो जायगा ।
यदि अव्यापक हो तो अग्नि-पवन आदिमे क्रियाका उत्पत्ति नहीं हो
सकेगी । अर्थात् नानादिग्रन्थर्ती पवनादिमें अदृष्टवाले आत्माके सयोगसे
ही एकसाथ क्रियाकी उत्पत्ति होती है । आत्मा के अव्यापक होनेपर
न सबमें एक साथ आत्माका सयोग हो सकेगा और न उनमें एक साथ
क्रियाकी उत्पत्ति हो सकेगी । किन्तु देखा यह जाता है कि एक ही
साथ अग्नि, पवन, जल आदिमें क्रिया होती रहती है । अत सबमें
एक साथ सयोग होनेके लिये आत्माका व्यापर होना अनिवार्य है ।

यदि कहो कि—साक्षात् सयोग नहीं होनेपर भी संयुक्तसयोगसे
पवनादिमें क्रियाकी उत्पत्ति हो जायगी । अर्थात् शारीरखृत्ति अविभु
आत्मासे संयुक्त आकाश और उससे संयुक्त होनेसे पवनादिमें क्रिया
होगी—तो ऐसा नहीं हो सकता । क्योंकि साक्षात् क्रियावानके द्वारा
वह क्रिया नहीं हो रही है । अर्थात् संयुक्त सयोगसे जहा क्रिया होती
है, वहाँ क्रियावानके द्वारा ही होती है । जैसे, सैडसीको क्रियासे टोहे
में क्रिया होती है । देहसंयुक्त होनेपर भी पवनादिमें क्रिया नहीं हो
सकेगी । क्रिया रहितके साथ सयोग भी यदि क्रियाका जनक हो तो
शारीरसंयुक्त आकाशके सयोगसे जहाँ तहाँ क्रिया होने लगेगी ।

^१ क्रियानुरक्तिरसङ्ग इति कवचित् पाठ ।

मूर्तत्वे नित्यस्यासमदादिप्रत्यक्षधर्मानाथारत्वप्रसङ्गः, विशेष-
गुणवत्तापारम्भकत्वप्रसङ्गश्च । सक्रियत्वे मूर्तत्वप्रसङ्गं इति
शास्त्रार्थमंग्रहः ।

अणुरेवामौ, विज्ञानासमवायिकारणसंयोगाधारत्वान्मनोवत् ।
अणीयासमणोरपीति वाधप्रतिरोधाप्रिति^१ कथित् । उदयुकम्,
आत्मन्यविमौ मनमोऽणुत्तमासिद्धेः, तत्संयोगक्रमादेव क्रियाक्रमो-
पपत्तेः । आगमस्तु 'महतोऽपि महीयांमम्' इति प्रथमपादमप-

एव आत्मा यदि मूर्त हो तो नित्य होते हुए मूर्त होनेके कारण हम
खोगेंसे प्रत्यक्ष होने योग्य सुख ज्ञान आदि गुणोंका वह आश्रय नहीं हो
सकेगा । जैसे नित्य एव मूर्त परमाणुओंके गुणोंका प्रत्यक्ष नहीं होता
है । साथ ही मूर्त होते हुए विशेषगुणत्वान् होनेके कारण द्रव्यका
आरम्भक भी होने लगेगा । जैसे, पृथिवी आदिका परमाणु द्वयणु-
कादिका आरम्भक होता है ।

किसीका मत है कि—वह आत्मा अणु है, न कि विभु । क्योंकि
ज्ञानका असमवायिकारण जो सयोग, उसका बहु आधार है, जैसे मन ।
अर्थात् ज्ञानका असमवायिकारण आत्म मन सयोग होता है, अदः उस
सयोगका आश्रयभूत मन जैसे अणु है, पैसे ही उसका आश्रयभूत
आत्मा भी अणु ही है । इस अनुमानसे विभुत्वानुमानका प्रतिरोध
हो जायगा । एवं "अणीयासमग्रोरपि" इस अनुद्वारा वाध भी हो
जायगा—किन्तु उक्त मत अयुक्त है । क्योंकि आत्मा यदि विभु न हो
तो मनका अणुत्व ही नहीं सिद्ध हो सकेगा । कारण, आत्माके विभु
होनेके कारण युगपत् अनेह ज्ञानोंकी चतुर्ति होने लगेगी, वैसा न हो,
इसीलिये मनकी सिद्धि की जाती है, वाकि अणु-मनके क्रमिक सयोगके
कारण ज्ञान भी क्रमसे ही हो है । यदि आत्मा ही अणु हो तो आत्माके
क्रमिक-सयोगसे ही क्रमिक ज्ञान क्रियाकी उपर्याति हो जायगी, फिर मन
को अणु सिद्ध करना ही असंभव हो जायगा । एव उक्त आगमका जो
प्रमाणके रूपमें उपन्यास किये हो वह भी "महतोऽपि महीयांसम्" इस

^१ 'वाधप्रतिरोधाप्रिति' इति ववित्त शाठः ।

हायोपन्यस्तस्तदलमनेन ।

स्यादेतत्, मिद्वोऽप्ययमीदशो हेय एव । आत्मदर्शी हि तदुपकारिणि रज्यते, तदपकारिणं च द्वेष्टि । रागद्वेषौ च मूलं संपारस्य । यस्तु न तं पश्येत्, नामौ तदुपकारापकारिणमपि । ततो न रज्येत्, न द्विष्णात्, न संमरेदिति जाङ्गलिकेन (विष-मिद्यापता) नैर्पिष्ठवत् मुमुक्षुणापि नैरात्म्यमेव भावनीयमिति चेत्—न, अनात्मदर्शिनो मुमुक्षुत्वव्याधातात् । न ह्यात्मानम-प्रतिमन्धाय कथिद् दुःख हातुमिच्छेत् सुरं वाऽवाप्तुम् । मया
१स्वर्गापिगर्गफलभागिना भवितव्यमित्यभिप्रायस्य यावदभियोगमनु-

प्रथमपादको छोडकर किये हो, किन्तु ऐसा न करो । अर्थात् प्रथम-पादस्थ आगमसे विरोध होनेके कारण अगुत्त्वप्रतिपादक आगम आत्मा की हुर्वेषता सूचित करनेके लिये है ॥

आत्माका उपादैयत्वनिरूपण

(पूर्वपक्ष) अस्तु, प्रमाणोंसे सिद्ध हुआ भी इस तरहका आत्मा हेय (त्याज्य) ही है । क्योंकि आत्माका ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति उसके उपकारीके प्रति राग रखेगा और उसके अपकारीके प्रति द्वेष करेगा और ये राग और द्वेष ही समारके मूल हैं । जो तो ऐसे आत्माका ज्ञान नहीं करेगा, वह उसके उपकारी और अपकारीको भी नहीं जानेगा और न उसमें राग करेगा, या न द्वेष करेगा और न आवागममरुप समारम्भ में बैंधेगा । अत जिस प्रकार विषवैद्य विषमे भी नैर्विद्य (औपद) की भावनासे ही चिह्नित्सा करता है, वैसे ही मोक्षकी कामनावाले व्यक्तिको भी नैरात्म्य (आत्माका अभाव) की ही भावना करनी चाहिये ।

समाधान—इस तरहकी वात नहीं कह सकते । क्योंकि जो आत्म-दर्शी नहीं होगा वह मुमुक्षु (मोक्षाभिलापी) भी नहीं हो सकता है । अर्थात् जो दु खयुक आत्माको जानेगा, वही उसके हु यनाशरूप मोक्षकी इच्छा करेगा । आत्माका प्रतिसर्वधान हिये विना न कोई हुएको

१. स्वर्गापदगर्गफलभागिना भवितव्यमित्यभिप्रायस्य यावदभियोगमनु-

धृतेः । अननुवृत्तावभियोगनिवृत्तौ फलासिद्धेः ।

इत्थक्षं नैरात्म्यदण्डिनास्तिकर्यं द्रढयेत् । तच्च प्रथलविषय-
कृष्णानिष्णात् मनर्थमनन्तं प्रसुवीत् । न चेदेवम्, कुतो “याव-
ज्जीवेदि”त्पादयो निःशङ्कमुद्भापाः^३ ।

यदुक्तमुपकारिणि रज्येत अपकारिणं द्विष्णादिति, तदेवमे-
तत् । यो हि मोक्षमुपकारं मनुते, स तद्विषेतौ रक्तः, तमुपाददानः
तत्परिपन्थिनं द्वेषादलंग्रत्ययाद्वा परिहरन्नेव समीहितं समामाद-

बोडनेकी इच्छा करेगा और न सुखको पानेकी । मैं स्वर्ग और अपवर्ग
फलका भागी बनूँ यह इच्छा तबतक बनी रहती है, जबतक कि सुख
पाने और दुःख बोडने का प्रयत्न जारी रहता है । उक्त इच्छाकी
अनुवृत्ति नहीं रहनेपर प्रयत्न की भी निवृत्ति हो जायगी और प्रयत्नके
अभावमें स्वर्गादि फल भी नहीं सिद्ध हो सकेगा । अर्थात् उक्त फलेच्छा
से सिद्ध होता है कि आत्मतत्त्वका ज्ञान अनिवार्य है ।

एवं, यह नैरात्म्यबुद्धि नास्तिक्यको अर्थात् ‘न परलोक है और न
कर्मफल होता है’ इस तरहके निश्चयको और दृढ़ करेगा । तथा यह
नास्तिक्य प्रथल विषय-कृष्णासे भरे हुए अनन्त अनर्थोंको उत्पन्न करेगा ।
यदि ऐसा न करता हो क्यों—

“यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा धृतं पिवेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।”

इत्यादि जि शङ्क प्रलाप होते ? अर्थात् नास्तिक्यके कारण उपन्न
विषय कृष्णाकी बजहसे ही उक्त प्रलाप नास्तिकोंकी ओरसे किये
जाते हैं ।

और जो यह कहा कि—आत्माका प्रतिसन्धान करनेवाला व्यक्ति
आत्माके उपकारीके प्रति राग करेगा और अपकारीके प्रति द्वेष करेगा—
तो यह ऐसा ही है । अर्थात् उक्त कथन टीक ही है । क्योंकि जो
मोक्षको उपकारके रूपमें मानता है, वह मोक्षके हेतुमें रागबान् होकर
उसे द्वेष करता हुआ तथा उसके बाधकको (भोगेच्छाको) द्वेषबुद्धि

१. सम्प्लुतिः १ पु० पा० । २. निःशङ्कप्रलापः इति १ पु० पा०

येत्, न तु विपर्यात् । यस्तु भोगम्, सोऽपि तथा, इत्यनुकूल-
मेव प्रतिकूलत्वेन गृहीतं मन्दैः । अन्यत्रानुरज्येत्, अन्यत्रापि
द्विष्यादिति न दृष्टं गोवैद्यकेऽपीति ।

तथापि दुःखहेतुत्थादिन्द्रियादिवदसौ हीयतामिति चेत्,
यादशो दुःखहेतुस्तादशो हेय एव, सोपाधित्र तथा । निरूपाधि-
रपि हीयतामिति चेत्, न, अशुक्यत्वात्, निष्प्रयोजनत्वाच्च । त

या अलंबुद्धिसे दूर करता हुआ अपने अभीष्ट (मोक्ष) को प्राप्त कर सकता है, न कि इसके विपरीत भोगोंके सेवनसे ।

एवं, जो वो भोगको अपने उपकारके रूपमें मानता है, वह भी
यैसा ही फ़रता है । अर्थात् भोगानुकूलमें राग करता हुआ तथा भोगमें
वाधकका परिहार करता हुआ ही अपने अभीष्ट भोगको प्राप्त कर सकता
है । अत यह राग और द्वेष वो अभीष्टके ही साधक हैं । किन्तु
मन्दबुद्धियोने अनुकूलको ही प्रतिकूलके रूपमें समझ लिया है । अन्यत्र
अर्थात् जो अभीष्ट नहीं है उसमें यदि राग हो तथा जो अभीष्ट हो
उसीमें द्वेष हो तो वह राग और द्वेष प्रतिकूल हो सकता है । किन्तु
ऐसा वो गोचिकित्सकमें भी नहीं देखा जाता है । क्योंकि गौका चीरना
फाढ़ना महान् अनर्थका कारण है, फिर भी चिकित्सक उसे रोगसे मुक्त
करनेके उद्देश्यसे उसकी शल्य-चिकित्सा करता ही है और उसका पाप
उस चिकित्सको नहीं लगता है । उसी प्रकार राग-द्वेष भी स्वरूपतः
अनर्थका हेतु नहीं होता है, यदि उसका उद्देश्य क्लयाणमय हो ।
अतः मुखिमें राग करना और उसके प्रतिबन्धकमें द्वेष करना उचित
ही है ।

किंतु भी दुर्यक्ष देतु होनेके कारण इन्द्रिय विषय तथा देहादिके
समान घट आत्मा रथाभ्य होगा, ऐसा यदि कहो तो जिस तरहका आत्मा
दुःखका हेतु है, यैसा तथाभ्य ही है । और शारीर-इन्द्रिय आदि उपाधिसे
मुक्त हो आत्मा दुर्यक्ष हेतु है । यदि कहो कि—उपाधि विहीन शुद्ध
आत्मा भी तथाभ्य होगा—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि उपाधि-
रहित आत्माका तथाभ्य असंभव है और निष्प्रयोजन भी है । क्योंकि

हि तस्य हानं विनाशो, नित्यत्वात् । नापि विप्रयोगो, व्यापक-
त्वात् । नाष्टप्रतिपत्तिः, यथा यथा तदर्थं यत्नः, तथा तथा
प्रतिपत्तेः । उपेक्षात् इति चेत्, कृतैर्वैतावन्तं कालमुपेक्षा,
तथापि तद्वानासिद्धेः ।

निष्प्रयोजनं चैतत्, सोपाधेहिं त्यागो दुःखहानाय, निरु-
पाधेस्तु किमर्थम् ? पुनः सोपाधित्वशङ्क्या इति चेत्, न, वीजा-
भावादिति । कुतः पुनरुपादेयः ? तथा मति भावनाकर्मण

उसके त्यागका अर्थ उसका विनाश नहीं है, क्योंकि वह नित्य है । त्याग
का अर्थ दूर हो जाना या व्यवहित हो जाना भी नहीं है, क्योंकि आत्मा
व्यापक है । अप्रतीतिको भी आत्माका त्याग नहीं कहा जा सकता ।
क्योंकि अप्रतीतिरूप त्यागके लिये जैसे जैसे यत्न किया जायगा, वैसे
जैसे उसकी प्रतीति ही होती जायगी । यदि कहो कि—उपेक्षासे अप्रतीति
की सिद्धि हो जायगी, अर्थात् आत्माकी प्रतीतिके लिये कोई यत्न ही
नहीं किया जायगा, अतः उसकी अप्रतीति स्वतः हो जायगी— तो आपने
इतने समय तक आत्मज्ञानके प्रति उपेक्षा की ही, फिर भी आत्माका हान
(अप्रतीति) नहीं सिद्ध हुआ । अर्थात् “अहं गौरः अहं सुखी” इत्यादि
ज्ञानकी धारा चलती ही रहती है । अतः आत्माका त्याग किया जाना
प्रत्येक दृष्टिसे अशक्य है ।

एवं निरुपाधिक आत्माका हान निष्प्रयोजन सी है । क्योंकि
सोपाधिक आत्माका त्याग दुःखसे छुटकारा पानेके लिये अपेक्षित है,
किन्तु निरुपाधिक आत्माका त्याग किसलिये अपेक्षित है ? यदि कहो
कि—सोपाधिककी आशङ्कासे अर्थात् शरीर-इन्द्रिय आदि दृष्टिका
भवित्यमें पुनः सप्तर्ग हो जानेकी आशङ्कासे निरुपाधिक आत्माका भी
त्याग अपेक्षित है—तो यह नहीं कह सकते । धर्माधर्म या मिथ्याज्ञान-
रूप वीजाव भभाव हो जानेसे ही आत्माको पुनः शरीरमहणकी आशङ्का
नहीं रहेगी ।

यदि यह पूछो कि—आत्मा यदि हेय नहीं है तो उपादेय (प्राण)
भी क्यों है ?—तो इसका उत्तर यह है कि न्यायके अनुसार आत्माका

निःश्रेयससिद्धेः । किमस्योपादानम् ? विनेकः । कुतः ?
अनात्मनः शरीरादेः ।

किं पुनरत्र प्रमोणम् ? न्यायः, आम्नायथ । शरीरमेव
हि तामन्मध्याभिप्रिक्तमनात्मान मन्यमानस्य तदुपादाय तदनुकूल-
त्रैलोक्यविषया तुष्णा मिजूम्भते, तथा तत्प्रतिकूलप्रियो द्वेषः ।
न चैतत् केवलात्मदर्शिनः सम्भवति, निरुपाधेः पुत्रविचलोभा-
भागात्, तैरनुपकार्यत्वात्, छेदक्लेददाहशोपाद्यनुपपत्तेः विधि-

मनन कर लेनेपर निदिध्यासनद्वारा शरीरादिसे भिन्न आत्मतत्त्वका
साक्षात्कार होनेसे मोक्षकी सिद्धि होगी । इसीलिये आत्मा उपादेय है ।
यदि पूछो कि-आत्माके उपादानका क्या अभिप्राय है ? तो उत्तर होगा—
विवेठ अर्थात् भिन्नरूपमें ज्ञान । यदि पूछो—किससे ? तो कहूँगा,
अनात्मभूत शरीर इन्द्रिय आदिसे । अर्थात् शरीर, इन्द्रिय, मन वथा
विषय आदिसे भिन्नरूपमें आत्माका ज्ञान ही उसका उपादान है ।

यदि पूछो कि-शरीरादिसे भिन्नरूपमें आत्माका ज्ञान करना चाहिये,
इसमें क्या प्रमाण है ?—तो यही उत्तर है कि न्याय और आम्नाय (श्रुति)
दोनों ही प्रमाण हैं । क्योंकि शरीरको ही, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं
पूर्णरूपसे अनात्मा है, आत्मा माननेवाले व्यक्तिको शरीर पाकर उसके
अनुकूल संसारविषयक तुष्णा जगती है तथा शरीरके प्रतिकूल विषयके
प्रति द्वेष जगता है । इसप्रकारकी तुष्णा और द्वेष निरुपाधिक आत्म-
ज्ञानीको नहीं हो सकता है । क्योंकि उपाधिविहीन आत्माको पुन धन
आदिका लोभ नहीं होता है । कारण, उपधि हीन आत्माका पुत्रविचलन
से कोई उपचार नहीं है । एवं निरुपाधि आत्माको छेदन, क्लेदन,
दाह या शोण आदिका कुश भी अनुभव नहीं होता है । इसलिये
ऐतनारिके देवतुओंके प्रति द्वेष भी नहीं होता ।

एवं विधि-निषेधोंमें निरुपाधि आत्माका अधिकार भी नहीं है ।
अर्थात् वेदिक यज्ञादि विषयोंमें तथा दिसादि निषेधोंमें शरीरयान् आत्मा
ही अधिकारी है । अत निरुपाधि आत्माको विद्वानुप्राप्त या निपिद्ध-
परित्यागकी उष्टिमें भी गृह्णा या द्वेषकी समावना नहीं है । क्योंकि

निषेधानधिकाराच्च । जन्मज्ञातिवयोविज्ञमंसकाराद्युपग्रहेण
तत्प्रवृत्तेः ।

ततोऽनात्मन्यात्मग्रहो निदानं संसारस्य, मिथ्याज्ञानं च
तत्त्वज्ञानान्विर्भूते । तच्च श्रवणमननादिक्रमेणोत्पद्यते । कारण-
निवृत्ती च कार्यं न जायते । उत्पन्नं धर्माधर्मप्रचयो भोगेन
क्षीयते इति न्यायार्थपारमंशेषः । आम्नायसारसंक्षेपस्त्वशरीरं
चाव सन्तमित्यादि ।

जन्म (शारीरप्रहण), ब्राह्मणत्वादि-जाति, दीर्घायुपूरुष वय, यज्ञसम्पादनके
लिये समुचित द्रव्य तथा उपनयन-संस्कार आदि होनेपर ही विधि-निषेध-
शास्त्रमें अधिकार होता है, अन्यथा नहीं । अर्थात् उक्त जन्म-जाति आदि
का उपग्रह धीतराग आत्मतत्त्वदर्शीको नहीं होनेसे उसका विधि-निषेधोंमें
अधिकार नहीं होता ।

अतः शारीर-इन्द्रियादि अनात्मवस्तुमें आत्मत्वका प्रहणरूप मिथ्या-
ज्ञान ही संसारका हेतु है, और वह मिथ्याज्ञान तत्त्वज्ञानसे दूर होता
है । तथा वह तत्त्वज्ञान भी श्रवण मनन निदिध्यासनक्रमसे पैदा होता
है । इसप्रकार आत्मतत्त्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानरूप संसारहेतुकी निवृत्ति
हो जानेसे संसाररूप कार्यकी भी निवृत्ति हो जाती है । अर्थात् मिथ्या-
ज्ञानकी निवृत्तिसे रागद्वेषरूप दोषकी निवृत्ति होती है । दोषकी निवृत्ति
से प्रवृत्तिकी निवृत्ति होती है । तथा प्रवृत्तिकी निवृत्तिसे जन्मकी
निवृत्ति हो जाती है । जन्मकी निवृत्ति हो जानेसे पुनः दुःखोत्पत्ति नहीं
होती है, यही अपवर्ग है ॥

एवं पूर्वोत्पन्न धर्माधर्मका समूह भोगद्वारा क्षीण हो जाता है । अतः
उस कारणसे भी पुनः संसारकी समाचरणा नहीं रह जाती है । यही
न्यायसिद्धान्तके रहस्यका सक्षेप है । वैदिकरहस्यका संक्षेप तो “अशारीरं
चाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्तुशातः” इत्यादि है । अर्थात् शारीर-इन्द्रिय
आदि उपाधियोंका विगम होनेपर आत्मामें संसारकी निवृत्ति हो
जाती है ॥

१. ‘दु खजन्मप्रदृतिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गं’
(न्या० ८० ११२ ।)

तदप्रापाण्यं प्रपञ्चमिथ्यात्वन्मिदान्तभेद-तत्त्वोपदेशपौनः-
पुन्येषु अनृत-व्याघात-पुनरुक्तदोषेभ्य इति चेन, न, मतात्पर्य-
त्वात् । निष्प्रपञ्च आत्मा ज्ञेयो मुमुक्षुभिरिति हि तात्पर्य
प्रपञ्चमिथ्यात्वश्रुतीनाम् । आत्मन एहस्य ज्ञानमपवर्गमाधन-
नित्यद्वैतश्रुतीनाम् । दुर्लभोऽयमिति पौनःपुन्यश्रुतीनाम् । वहिः
संकल्पत्यागो निर्मनस्त्रुतीनाम् । आत्मैरोपादेय इत्यानन्द-
श्रुतीनाम् । गारुडगदनुष्टाने तात्पर्यं प्रकृत्यादिश्रुतीनाम् ,
तन्मूलानां साहृच्यादिश्रुतीनां चेति नेयम् । अन्यथा “जैमिनि-

आमनायमें अप्रामाण्यका खण्डन

यदि कहो कि—आमनाय (वेद) अप्रमाण है । क्योंकि प्रत्यक्ष
सिद्ध प्रपञ्चको मिथ्या बतानेके कारण वह अनृतदोषसे ग्रस्त है । एवं
“सदेव सोम्येदमप्य आसीत्” इत्यादि श्रुतियोंमें अद्वैतका प्रतिपादन किया
गया है और अन्यत्र श्रुतियोंमें द्वैतका प्रतिपादन किया गया है, इस
प्रकार सिद्धान्तभेद मिलनेसे व्याघातदोषसे ग्रस्त है । तथा एक ही
प्रधाका वारचार उपदेश होनेके कारण पुनरुक्तदोषसे ग्रस्त है—तो ऐसा
नहीं कह सकते हैं । क्योंकि उक्त कथनोंमा अभिप्राय दूसरा है । जैसे,
“मोक्षाधियोंके लिये निष्प्रपञ्च आत्मा होय है” इसमें प्रपञ्चको मिथ्या
बतानेवाली श्रुतियोंका तात्पर्य है । ‘एकमात्र आत्माका ही ज्ञान मोक्ष
का साधन है’ इसमें अद्वैत श्रुतियोंका तात्पर्य है । आत्माको अमना
बतानेवाली श्रुतियोंका तात्पर्य वाह्यसङ्कल्पोंका त्याग करनेमें है । आत्मा
को आन दस्वरूप बतानेवाली श्रुतियोंका तात्पर्य “आत्मा ही उपादेय है”
इस अर्थमें है । प्रकृतिको चेतनसघर्गसे स्फुटिकर्ता बतानेवाली श्रुतियों
तथा तन्मूलक साख्यादि दर्शनोंका तात्पर्य गारुडविद्याके समान अनुष्टान
में है । अर्थात् गरुडविद्या जाननेवाले जाङ्गलिक सौंपके काटनेसे अचेतन
हुए व्यक्तियोंमें परिश्रमद्वारा चैतन्य उत्पन्न कर देता है । उसी प्रकार
अचेतन भी प्रकृतिमें वैदन्यका उपराग बताया गया है । इसका तात्पर्य
यह है कि शरीरादिसे भिन्न अपने तत्त्वको नहीं जाननेवाले अचेतनतुल्य
आत्माको तत्त्वज्ञानके लिये प्रणिधान (समाधि) का उपदेश देनेके लिये
सार्वस्यमतका प्रनिपादन हुआ है । यदि इसप्रकारका तात्पर्य न हो तो

—यदि वेदज्ञः अपिलो नेति का प्रमा।

तावुभौ यदि वेदज्ञौ व्याख्याभेदस्तु किं कृतः ? ॥” इति ।

प्रामाण्यं तु तस्य कुत इति चेत्, आसोक्तत्वात् । तदमिद्ध-
मेति चेत्, न, विरस्य कर्तुरनुमानमिद्धत्वात् । निवादाध्यामित-
र्गुंकं मर्कर्तुक कार्यत्वादिति ।

पिशेषविरुद्धोऽयं हेतुरिति चेत्, न, विरोधिविशेषाप्रतीतौ
वेरोधस्य प्रत्येतुमशक्यत्वात्, तत्प्रतीतौ वा सहोपलम्भनियमेन
समे क्या प्रमाण है कि जैमिनिमुनि वेदज्ञाता हैं और कपिलमुनि
ही हैं। यदि दोनों ही महायि वेदज्ञाता हैं, तो दोनोंकी व्याख्या
यों मिन्ने मिन्न हो जायगी ? अर्थात् तात्त्व्यभेदसे दोनोंकी व्याख्या
झूत है ॥

वेदप्रमाण्यका स्थापन

यदि कहो कि—वेदमे अप्रामाण्य भले ही न हो, किन्तु उसमे प्रामाण्य
तो सिद्धि कैसे होगी ?—तो यही कहाँगा कि आसद्वारा उक होनेके
उरण वेद प्रमाण हैं। यदि कहो कि वेदमे आसोक्त्व असिद्ध है—
तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि सासारका कर्ता (ईश्वर) अनुमानसे
संदर्भ है । यहों अनुमानका स्पर्हण यों है—विवादास्पद है कर्ता जिसका,
सा यह विश्व, कर्तासे उत्पन्न है, क्योंकि यह कार्य (उत्पत्तिमान)
। जो जो कार्यवस्तु है, उसका अवश्य कोई कर्ता होता है, जैसे
टर्लपकार्यका कर्ता कुम्भकार होता है, इत्यादि ।

यदि कहो कि—ईश्वरको सिद्ध करनेवाला कार्यत्व हेतु पक्षधर्मता-
उसे सिद्ध द्वारानेवाले अशारीरी कर्तारूप विशेषके प्रिरुद्ध है । अर्थात्
क अनुमानद्वारा जो ईश्वर सिद्ध द्वारा है, वह पक्षधर्मताधलसे
नेत्य सर्वज्ञ एव अशारीरी सिद्ध द्वारा है । किन्तु कार्यत्व हेतु उसके
बेहद्वध है । क्योंकि लोकमे जो भी कार्य देसा जाता है, जैसे
टाटा पटादि वह सभी शरीरी कर्तासे उत्पन्न है । अत कार्य होना
शारीरी कर्ताके प्रिरुद्ध है—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि पक्ष
धर्मतावलसे अशारीरी कर्तारूप विरोधीभूत विशेषकी प्रतीति है ? या नहीं

विरोधस्य वाधितत्वात् ।

सर्वथैवाग्रतीतस्याभिप्रायगोचरत्तमपि कथमिति चेत्, न, स्वार्थानुमानमिदृत्यात् । ततोऽपि कथं सिद्ध्यत्विति चेत्, अप्रतीतप्रत्यायकं प्रमाणम्, न त्प्रतीतेन विरोधः शक्यनिश्चय इत्यतो भिशेषात् ।

का पुनरनुमानस्यैग्मभूतप्रत्यायने शक्तिरस्तीति चेत्,

है ? यदि उसकी प्रतीति ही नहीं है तो विरोधीकी प्रतीतिके अभावमें विरोधकी प्रतीति ही नहीं हो सकेगी । यदि अशारीरी कर्ताकी प्रतीति है तो अशारीरिकर्तृत्व और कार्यत्वकी साथ-साथ उपलब्धि होनेके कारण उनका विरोध वाधित है । अर्थात् जिसका साथ साथ उपलब्ध होता है, उसमें विरोध बताना अग्निको शीत बतानेके बराबर है ।

यदि कहो कि—क्षित्यादिके कर्ता ईश्वरके जो नित्यत्व सर्वज्ञत्व-अशारीरित्व आदि विशेष हैं, वे सर्वथा ही अप्रतीत हैं, अत वे तुम्हारे तात्पर्यके विषय भी कैसे हो सकते हैं ? तथा अशारीरिकर्तृत्वकी सिद्धि-के लिये न्यायप्रयोग भी कैसे हो सकेगा ?—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि विशेषकी स्वार्थानुमानसे सिद्धि है । अर्थात् स्वार्थानुमानस उसकी प्रथम प्रतीति करके पश्चात् दूसरेको बतानेके लिये परार्थानुमानका प्रयोग किया जाता है । यदि पूछो कि—स्वार्थानुमानसे भी उस विशेषकी कैसे सिद्धि हो सकती है, जो सर्वथा ही अप्रतीत है । क्योंकि पक्षधर्मता भी व्याप्तिशब्दसे आनीत अर्थको ही पक्षमें सिद्ध करती है, न कि जो सर्वथा ही अप्रतीत है उसको । अशारीरी कर्ता तो सर्वथा ही अप्रतीत है—तो यहाँ विशेषकी सिद्धि इसलिये हो सकेगी कि अप्रतीत वस्तुकी प्रतीति कराना ही तो प्रमाणका काम है । अर्थात् प्रमाणकी महिमासे उसकी प्रतीति हो जाती है । क्योंकि जबतक प्रतीति नहीं हुई रहती है तबतक उसका हेतुभूत प्रमाणके साथ विरोधका निश्चय भी कैसे हो सकता है ? प्रतीतिकी दशामें तो उस विशेष और प्रमाणकी साथ साथ उपलब्धि होनेसे ही अविरोध सिद्ध हो जाता है ।

अनुमानकी वह कौनसी शक्ति है, जो इस प्रकारकी अप्रतीत वस्तुकी प्रतीति करा देती है ?—तो इसका उत्तर यह होगा कि आकाशा (अन्वय

आकाङ्क्षानुपपत्तिनियममेडेन त्रिविधः सम्बन्धः । तत्रा-
काङ्क्षानियमाभ्यामन्वयी, अनुपत्तिनियमाभ्यां व्यतिरेकीति
विभागः ।

अस्तु तहिं सत्प्रतिपक्षत्वं शरीराजन्यत्वादिति चेत्, न,
असमर्थविशेषणत्वेनासिद्धमेदस्यातुल्यवलत्वात् ।

सहचार) और अनुपपत्ति (व्यतिरेक-सहचार) से प्राप्ति जो नियम
विशेष अर्थात् अन्वयव्याप्ति, व्यतिरेकव्याप्ति और अन्वय-व्यतिरेक
व्याप्ति है, तत्सबरूप जो हेतुमें रहनेवाला तीन प्रकारका सम्बन्ध होता
है, वही अनुमानकी शक्ति है। इनमें अन्वयसहचार एवं अन्वय-
व्याप्तिसे अन्वयी हेतु है, तथा व्यतिरेकसहचार एवं व्यतिरेकव्याप्तिसे
व्यतिरेकी हेतु होता है, तथा अन्वय-व्यतिरेक उभय सहचारसे प्रतीत
होनेवाली व्याप्तिमें अन्वय व्यतिरेकी हेतु होता है। यह त्रिविध
हेतुभौका विभाग है। अर्थात् प्रतीतिका अपयवसानरूप आकाशा तथा
प्रतीतवस्तुका अपर्यवसानरूप अनुपपत्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक अनु-
मितिमें अधरय रहती है। अतः “क्षितिः सकर्तुंका, कार्यत्वात् घटवन्”
यह अन्वयि अनुमान तत्रतक पर्यवसित नहीं हो सकता, जबतक कि
कर्तामें सर्वज्ञत्वका भान उस अनुमितिमें न हो। व्योक्ति उपादानभूत
परमाण्यादिविषयक अपरोक्षज्ञानकी सत्ता ही कर्तृत्व है। तथा इसप्रकार-
का कर्तृत्व होनेके लिये कर्ताको परमाणु आदिका प्रत्यक्षज्ञान करनेवाला
सर्वज्ञ होना चाहिये। एवं, वह नित्य और अशरीरी भी इसीसे सिद्ध
हो जाता है।

यदि कहो कि—पूर्वोक्त दोपन होनेपर भी जन्यत्व हेतु शरीरा-
जन्यत्व हेतुके साथ सत्प्रतिपक्षित हो जाय। अर्थात् “क्षित्यादिकं
सकर्तुंकं जन्यत्वात्” इस अनुमानका प्रतिपक्षी अनुमान होगा ‘क्षित्या-
दिक न सकर्तुं, शरीराजन्यत्वात्’। अत शरीरसे उत्पन्न नहीं होनेके
कारण पृथिवी आदिका कोई कर्ता नहीं है—तो ऐसा नहीं कह सकते।
व्योक्ति उक्त प्रतिपक्षी अनुमानके शरीराजन्यत्व हेतुमें शरीरविशेषण
असमर्थ है अर्थात् व्यमिचारका निवारक नहीं है। अतः शरीराजन्यत्व
हेतु व्याख्यत्वासिद्ध है। कारण, हेतुमें कोई भी विशेषण देनेका प्रयोजन

असिद्धिपरिहारे विशेषणं समर्थमिति चेत्, न, एकाम-
सिद्धि परिहरतो द्वितोयापचेः । अन्यथा विवादाध्यासितं
नादृष्टहेतुकं शरीराजन्यत्वादित्यनेनापि जन्यत्वस्य सत्प्रतिपक्ष-
प्रसङ्गान्विति ।

तर्कापरिशुद्धिरस्तु दूषणम्, शरीरनिवृत्तौ बुद्धिनिवृत्तेः ।
बुद्धिनित्यत्वे शरीरानुपयोगवत्, प्रयत्ननित्यतायां ज्ञानेच्छा-
नुपयोगादिति चेत्, न, प्रयत्नस्य दिधर्मकत्वात् । स हि

है व्यभिचारका वारण । किन्तु यहाँका शरीर विशेषण व्यभिचारवरके
नहीं होनेसे व्याध्यत्वासिद्धिके अन्तर्गत आ जाता है । अत यह असिद्ध-
हेतु कर्तृसाधक पूर्वोक्त अनुमानके तुल्यबलवाला नहीं है । तुल्यबल
होनेपर ही सत्प्रतिपक्ष होता है ।

यदि कहो कि—केवल अजन्यत्वको हेतु बनानेमें यह हेतु स्वरूपा-
सिद्ध हो जायगा । क्योंकि क्षित्यादिक अजन्य नहीं है किन्तु जन्य है ।
अत स्वरूपासिद्धिका वारण करनेके कारण शरीर-विशेषण समर्थ
(सार्थक) है । क्योंकि क्षित्यादिक शरीरसे तो अजन्य है ही—तो यह
भी नहीं कह सकते । क्योंकि एक असिद्धिका परिहार करनेमें पुनः
दूसरी असिद्धि (व्याध्यत्वासिद्धि) की आपत्ति हो जाती है । यदि
असमर्थ विशेषणकी दशामें भी सत्प्रतिपक्ष हो तो “क्षित्यादिकम् अदृष्ट-
हेतुक, जन्यत्वात्” यह अनुमान भी ‘क्षित्यादिक न अदृष्टहेतुकम्,
शरीराजन्यत्वात्’ इस प्रतिपक्षी अनुमानके द्वारा सत्प्रतिपक्षित होने
लगेगा ।

यदि कहो कि—ईश्वर साधक अनुमानमें विस्तृत्यदोष या सत्प्रति-
पक्षत्वदोष भले न हो फिर भी तर्कापरिशुद्धिदोष होगा । अर्थात्
चक्र अनुमान प्रतिकूल तर्कोंसे उपहृत हो जायगा । जैसे—जगत्का
कर्ता यदि अशारीरी होगा तो शरीरके बिना उसमें बुद्धि भी नहीं हो
सकेगी । ईश्वरीयज्ञानके नित्य होनेसे उसके लिये यदि शरीरकी कोई
उपयोगिता न हो तो उसी तरह ईश्वरीय प्रयत्नके भी नित्य होनेसे उसके
लिये ज्ञान और इच्छाकी भी उपयोगिता समाप्त हो जायगी और ईश्वर

ज्ञानकार्यो ज्ञानैरुविषयश्च कर्तृत्वम् । तत्र कार्यत्वनिष्ठृत्तौ कारण-
तथा ज्ञानं मा पेक्षिष्ट, विषयाथं तु तदपेक्षा केन वार्यते ? न
चास्य स्परूपेणैव विषयप्रवणत्व, ज्ञानत्वप्रसङ्गात् । अयमेव हि
ज्ञानात् प्रयत्नस्य भेदो यदयमर्थप्रवण इति ।

न च निर्विषय एवास्त्वति वाच्यम्, अकारणत्वप्रस-
ङ्गात् । तथा च सोऽप्येकः कथं सिध्येत् ? मा सैत्सीदिति
चेत्, न, तत्र साधनस्य निर्दोषत्वात् । दोषे चा स एव

ज्ञानरहित भी सिद्ध हो जायगा । अर्थात् जैसे शरीरके बिना भी ईश्वरीय
ज्ञानकी सत्ता मानते हो उसी प्रकार ज्ञान और इच्छाके बिना भी
ईश्वरीय प्रयत्न मानना पड़ेगा, जो कि “ज्ञानाति, इच्छाति, यतते” इस
नियमके विरुद्ध है—तो ऐसा नहीं वह सकते । क्योंकि प्रयत्नके दो धर्म
हैं—एक यह कि वह कर्तृत्वरूप प्रयत्न ज्ञानका कार्य है । दूसरा यह कि
वह प्रयत्न ज्ञानसमानविषयक होता है, अर्थात् यद्विषयक ज्ञान होता
है, तद्विषयक ही प्रयत्न भी होता है । अत ईश्वरीय प्रयत्नमें कार्यत्व-
धर्मका अभाव होनेसे कारणके रूपमें ज्ञानकी अपेक्षा भले ही न हो
फिर भी विषयके लिये प्रयत्नको ज्ञानकी अपेक्षा होगी, इसे कौन रोक
सकता है । अर्थात् ईश्वरके नित्य भी इच्छा और प्रयत्न विषयलाभके
लिये ज्ञानकी अपेक्षा करते हैं । प्रयत्नको बिना ज्ञानकी अपेक्षा किये
ही सीधे विषयोन्मुख नहीं माना जा सकता, क्योंकि तब वह प्रयत्न न
होकर ज्ञान हो जायगा । कारण, ज्ञानसे प्रयत्न का यही भेद है कि
प्रयत्न सीधे विषयोन्मुख नहीं होता किन्तु ज्ञानके द्वारा ही होता है ।
अर्थात् ज्ञानोय विषयमें ही प्रयत्न भी होता है ।

यद्यों यह नहीं कह सकते कि—प्रयत्नको सविषयक माननेमें
ही ज्ञानकी अपेक्षा होगी, अत प्रयत्न निर्विषयक ही माना जाय—क्योंकि
तब उसमें कारणता भी नहीं हो सकती है । क्योंकि प्रयत्न कारण इसी
लिये बहाता है कि वह विषयमें व्यापार उत्पन्न करता है । अत,
निर्विषयक होनेके कारण प्रयत्न जन कारण ही नहीं हो सकेगा तो केवल
“को कैसे सिद्ध हो सकेगा ? अर्थात् कार्यत्वद्वेतुके बलसे

बाधः । सर्वविषयत्वात्तस्य किं विषयनियमार्थेन ज्ञानेनेति-
चेत्, न, तस्य स्वरूपेणार्थप्रबणत्वाभावात्, भावे वा ज्ञानत्व-
प्रसङ्गादित्युक्तम् ।

जीवनयोनिप्रयत्नवद् विषयव्यवस्था मविष्यतीति चेत्,
न, जात्यन्तरत्वात् । एकजातीयत्वे तस्यापीच्छापूर्वकत्वप्रस-
ङ्गात् । इच्छाया वा तत्कारणत्वं न स्यात्, तामन्तरेणापि

ज्ञान-इच्छा आदि भले ही सिद्ध न हो किन्तु प्रयत्नके अकारण हो
जानेसे कार्यत्व हेतुसे प्रयत्न-पूर्वकत्व भी नहीं सिद्ध हो सकेगा । और
ज्ञान इच्छाके साथ साथ प्रयत्न भी जगत्के मूलरूपसे बहिष्कृत
हो जायगा ।

यदि कहो कि—प्रयत्न भी मत सिद्ध हो, क्या हानि है ?—तो ऐसा
नहीं कह सकते । क्योंकि सूष्टिमे प्रयत्न-पूर्वकत्व सिद्ध करनेवाला
कार्यत्व-हेतु सर्वथा दोपरहित है । यदि उसे भी सदोष मानो तो फिर
वही बाध-दोष आ जाता है । अर्थात् कार्यवस्तुका विना प्रयत्नके होना
प्रत्यक्षव्याधित है । यदि कहो कि—ईश्वरीय प्रयत्नके सर्वविषयक होनेसे
उसमें विषय नियमार्थ ज्ञानकी सत्ता मानना व्यर्थ है—तो ऐसा नहीं
कह सकते । क्योंकि प्रयत्नमें स्वत (सीधे) विषय प्रबणता (विषयो-
न्मुखता) नहीं होती है । यदि हो तो विषयसे सीधा सम्बन्ध
होनेके कारण वह प्रयत्न न होकर ज्ञान हो जायगा । क्योंकि
ज्ञानका ही विषयसे सीधा सम्बन्ध होता है । यह बात पूर्वमें कही
जा चुकी है ।

यदि कहो कि—जीवनयोनि प्रयत्नके समान ही अन्य प्रयत्नमें भी
विषयकी व्यवस्था हो जायगी । अर्थात् जीवनयोनि प्रयत्न विना ज्ञानके
ही प्राणविषयक होता है और अचेतावस्थामें भी प्राणी उसीके कारण
श्वास प्रश्वास किया करता रहता है, वैसे ही अन्य प्रयत्न भी विना ज्ञान
के ही सविषयक होगा—तो वह नहीं हो सकता । क्योंकि जीवनयोनि-
प्रयत्न एक दूसरी ही जातिका प्रयत्न है । यदि एक ही जातिका हो तो
वह भी अन्य प्रयत्नोंके समान इच्छा पूर्वक होने लगेगा । अर्थात्
इस्त्रा होते रहे ।

तस्मातीयस्योत्पत्तेः । तस्मात् कृतिजातीयस्य ज्ञानेच्छाम्यमेव सविषयव्यवस्था । स च साधयितुमिष्ट इति ।

तार्किकर्गर्वबाहस्त्वाह—ननु सप्तश्चिपक्षयोर्दर्शनादर्शन-मात्रस्य शतशः प्रवृत्तावपि व्यभिचारोपलम्भात्, तज्ज्ञाणस्यात् तुपलब्धव्यभिचारस्यापि तथाभावसम्भावनाक्रान्तत्वात् लक्षणान्तरं प्रतिवन्धस्य वक्तुमुचितम् । तच्चोपाधिविरहो वा स्यात्, तदुत्पत्तिर्वा, विपक्षे वाधकं वेति संक्षेपः । तत्र न प्रथमः, अदृश्योपाध्यमावनिइच्योपायाभावात् । दृश्येनैवोपाधिना भवितव्यमिति च नियमानुपपत्तेः ।

प्रयत्न विना इच्छाके होता है, वैसे ही अन्य प्रयत्नमें भी इच्छाकी कारणता नहीं हो सकेगी । क्योंकि इच्छाके विना भी उसी जातिका दूसरा प्रयत्न (जीवनयोनि प्रयत्न) उत्पन्न होता है । इसलिये उस प्रयत्नमें, जो इच्छाके अधीन उत्पन्न होता है, ज्ञान और इच्छाके द्वारा ही सविषयत्वकी व्यवस्था होती है । और वही प्रयत्न यहीं सिद्ध करनेके लिये मेरा अभीष्ट भी है । अर्थात् कार्यत्व हेतुसे क्षित्यादिके प्रति उक्त कृति (प्रयत्न) मान् कर्ता ही सिद्ध करना मेरा अभीष्ट है ।

- अपनी तार्किकताका अभिमान रखनेवाले बीद्रका पूर्वपक्ष—सप्तश्चमें देशसत्त्वज्ञान तथा विपक्षमें हेतुव्यावृत्तत्वज्ञानकी सेकड़ों बार प्रवृत्ति होनेपर भी व्यभिचार देखा जाता है । अत सप्तश्चसत्त्व-विपक्षव्यावृत्तत्वरूप व्याप्तिलक्षणमें तत्काल व्यभिचारकी उपलब्धि न होनेपर भी उसमें व्यभिचारकी संभावना चर्नी रहती है । इसलिये व्याप्तिका दूसरा लक्षण करना चाहिये । और वह लक्षण उपाधिका अभावरूप है, या तदुपत्तिरूप है अथवा विपक्षमें धारकरूप है—यहीं संक्षेपसे कहा जाता है । इनमें प्रथम नहीं हो सकता । क्योंकि जो उपाधि प्रत्यक्ष-योग्य नहीं है, उसके अभावके निष्ठ्यका कोई उपाय नहीं है । अथा दृश्य ही उपाधि होगा, ऐसा नियम भी नहीं हो सकता ।

नापि द्वितीयः सा दृश्यपव्यतिरेकाभ्यां निश्चीयते, तो
च दृश्यशरीरवच्चेतननिष्ठौ वा स्यात् । उपाधिविषुरदृश्या-
दृश्यसाधारणचेतनमात्रनिष्ठौ वा ? न प्रथमः, ग्रिट्पादो
व्यभिन्नारात्, प्रकृतासिद्धेऽच ।

न द्वितीय, घटादिकार्यव्यतिरेकमये तत्प्रयोजककुलाल-
व्यतिरेकम् दृश्य'चेतनमात्रव्यतिरेकस्य निश्चेतुमशक्यत्वात् ।

दूसरा तदुत्पत्तिपक्ष भी व्यापिके लक्षणके रूपमें नहीं माना जा
सकता है। क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसमा व्याप्त होता
है—यही तदुत्पत्तिरूप व्यापिका अभिप्राय है। किन्तु तदुत्पत्तिका
निश्चय अन्वयव्यतिरेकसे होगा। अर्थात् 'तत्सत्त्वे तत्सत्त्वमन्वय,
तदभावे तदभावो व्यतिरेक' इसके अनुसार अग्निवे रहनेपर धूम होता
है और अग्निके अभावमें धूम नहीं होता है, इसलिये अग्निद्वारा
धूमोत्पत्तिका निणय होता है तथा तदुत्पत्तिके कारण धूममें अग्निकी
व्यापिका निश्चय होता है। किन्तु प्रकृतमें वे अन्वय और व्यतिरेक
दृश्यशरीरसे युक्त चेतनमें स्थित होंगे ? या उपाधिसे रहित दृश्या
दृश्यसाधारण चेतनमात्रमें स्थित होंगे ? इसमें प्रथमपक्ष नहीं हो
सकता। क्योंकि वृक्षादिमें इसका व्यभिचार पाया जाता है। अर्थात्
शरीरी चेतनके बिना भी अद्वृतादिकी उत्पत्ति होती है। अतः
अद्वृतादिके साथ शरीरी चेतनमें अन्वयव्यतिरेक नहीं होनेसे व्यभि-
चार स्पष्ट है। एव अन्वयव्यतिरेकको दृश्यशरीरात् माननेपर
नैयायिकोंका अभीष्ट अशारीरी चेतन कर्ता भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है।

शरीर आदि उपाधिसे रहित दृश्य अदृश्य साधारण चेतन
मात्रवृच्छरूप द्वितीयपक्ष भी अन्वयव्यभिरेकके लिये नहीं माना जा
सकता है। क्योंकि जैसे घटादि कायके अभावकालमें उसे उत्पन्न
करनेवाले कुम्भकारका अभाव माना जाता है, वैसे चेतनमात्रके
अभावका निश्चय नहीं किया जा सकता। किन्तु जो दृश्यादृश्य सभी
चेतनके साथ घटादिकार्यका अन्वयव्यतिरेक निश्चय मानता है, उसके
मानानुसार कुम्भकारका अभावनिर्णय होनेपर चेतनमात्रका अभाव माना

१ दृश्यादृश्य इति पाठो युक्तो भाति ।

न हि कुलालादिदृश्यव्यतिरेके तस्यावश्यं व्यतिरेको, विटपादावपि तथाभावप्रसङ्गात् ।

तहिं सन्तानान्तरानुमानमपि कथम् ? कुम्भकारव्यतिरेके दृश्यादृश्यचिन्मात्रव्यतिरेकासिद्धिवत् स्वचित्तव्यतिरेकेऽपि कम्पं प्रति चिन्मात्रव्यतिरेकासिद्धेरिति चेत्, न, वाद न्तरत्वात् । यदापि तत्प्रस्तावः, तदपि स्वदेहे स्वपरसन्तानसाजाना चाहिये, पर ऐसा नहीं होता । क्योंकि कुम्भकार आदि दृश्यस्त्वाच्चाका अभाव होनेपर अदृश्यकर्त्ताका भी अभाव नहीं होता । यदि वैसा हो तो वृक्षादिमे भी अदृश्यस्त्वाका अभाव होने लगेगा । अर्थात् वृक्षादिकी उत्तरत्तिकर्त्ताकेरूपमें कुम्भकारका अभाव होनेसे उसके अदृश्यकर्त्ता (ईश्वर) का भी अभाव नैयायिकको मानना पड़ जायगा । यदि वैसा माने तो कार्यस्त्व-हेतु वहीपर सर्वरूपत्वका व्यभिचारी हो जायगा । अतः कार्यकारणभावका नियमक जो अन्वयव्यतिरेक है, उसे दृश्यादृश्यसाधारणचेतनमात्रमें बर्तमान नहीं मान सकते ।

यहाँ यदि नैयायिक यह प्रश्न करे कि—परचित्तसन्तानोंका अनुमान चौदू कैसे कर सकेंगा ? क्योंकि जैसे घटादिकार्यस्थलमें अन्वयके गृहीत होनेपर भी कुम्भकारका व्यतिरेक होनेपर दृश्यादृश्यचेतन कर्त्तामात्रका व्यतिरेक सिद्ध नहीं होनेसे व्यतिरेकसहचार नहीं सिद्ध हो पाता, वैसे ही परशारीरमें होनेवाली चेष्टाके प्रति परचित्तसन्तानकी कारणता कैसे सिद्ध होगी ? क्यांकि वहाँ अपने चित्तसन्तानका व्यतिरेक सिद्ध होनेपर भी चिन्मात्रसन्तानका व्यतिरेक नहीं सिद्ध होनेसे चेष्टा और चित्तसन्तानमें अन्वय-सहचार होनेपर भी व्यतिरेक-सहचारकी सिद्धिध नहीं हो सकेगी—तो ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता है । क्योंकि यह अर्थात् इस प्रश्नके उठानेसे नैयायिकके कार्यस्त्व और सर्वरूपत्वके उभयविधि सहचारमें कोई लाभ नहीं होता है । किर भी यदि इस अर्थात् रविपयक प्रश्नको नैयायिक उठावे, क्योंकि परचेष्टासे परचित्तसन्तानकी अनुमिति करनेके लिये परचेष्टामें तदुत्तिरूप डगामिना प्रहण अवश्य अपेक्षित होगा तथा उक्त व्यासिप्रदके लिये उन दोनोंका अन्वय-व्यतिरेकप्रह भी अपेक्षित होगा—तो भी अपने शारीरमें

धारणचिन्मात्राविनिर्माणाद्यचिद्दपदेहमात्रस्यैव प्रत्यक्षात्मुपलभ्याभ्यां कर्म्मं प्रति कारणतयप्रतीतेः परचित्तस्यापि कारणत्वं प्रतीयत इति ।

नापि त्रुतीयः, विपक्षेऽपि वाधकामाग्रात् । देशकालनियमादीनां स्वकारणायातसञ्चिन्ता कादाचिन्केन प्रतिनियतशक्तिना कारणेनाचेतनेनाप्युपपत्तेरिति ।

उत्तानोद्घापितमेहत्—विकल्पनपत्याप्युपपत्तेः । तथादि,

ही चेष्टाके प्रति इत्यरसन्तानसाधारण चिन्तमात्रसे नियमतः सम्बद्ध दृश्य देहमाग्रकी ही कारणताकी प्रबोति सामान्यत अन्वय व्यतिरेकमहाद्वारा होकर तदनन्तर सामान्यान्तपाती परचित्तसन्तानमें भी परचेष्टाके प्रति कारणताकी प्रतीति ही जाती है ।

एव विपक्षमें वाधकरूप त्रुतीयपक्ष मी नहीं हो सकता । अर्थात् विपक्षमें वाधक भी व्याप्तिका लक्षण नहीं हो सकता है । क्योंकि विपक्ष में भी कोई वाधक नहीं है । अर्थात् क्षित्यादिके चेतनद्वारा निर्मित नहीं होनेपर भी कार्यत्वमें कोई वाधक नहीं है । क्योंकि “वटि चेतनकर्ता न हो तो यहाँ इस समय हिति अङ्गुरादिकार्य भी नहीं हो सकेगा” इस विपक्ष वाधकके द्वारा ही चेतनपूर्वकत्व और कार्यत्वमें क्याएष व्यापकभावका ग्रहण करना होगा । अर्थात् कार्यमें देशका, कालका तथा कारणका नियम तत्रतक नहीं हो सकता जनतक कि कार्यका कोई स्वतन्त्र बुद्धिमान वर्ती न हो । किन्तु उक्त देश, काल और कारणका नियम चेतन कर्ताको माने गिना ही अपने कारण कलापके अनुरूप नियत शक्तिको धारण करनेवाले अचेतन कारणसे भी हो सकता है । अर्थात् चेतनकर्ताके अन्वयसे कार्यका अन्वय तथा उसके व्यतिरेक से कार्यका व्यतिरेक नहीं होता, किन्तु कारणान्तरके अन्वय व्यतिरेकसे ही कार्यका अन्वय व्यतिरेक होता है । अतः कार्यत्वहेतुसे चेतनकर्ता (ईश्वर) की सिद्धिं नहीं हो सकती है ।

(उत्तरपक्ष) पूर्वोक्त कथन गवोक्तिमात्र है । क्योंकि व्याप्तिग्रहके

चत्वारो जगति भावा भवन्ति—विरोधी, वहिर्वृत्तिः, सहवृत्तिः रन्तर्वृत्तिश्चेति । न च पश्चमः, प्रकारः काङ्क्षितुमपि शक्यते, विरोधाविरोधयोः साहित्यासाहित्ययोः आधिक्यानाधिक्ययोः परस्परनिषेधरूपत्वात् । तत्र द्रव्यमत्र नोपाधित्वेन शङ्खनीयम्, अकार्यस्यैवाकार्यस्यापि वा सकर्तृकत्वप्रसङ्गात् । न चेद-मिष्टम्, अकार्यस्य कारणवत्तामात्रेण सहजविरोधे कारक-विशेषस्य कर्तुरनवकाशात् ।

क्षीनों ही पक्ष युक्तियुक्त हैं । कारण, जगत्मे चार प्रकारके भाव (धर्म) होते हैं । १—साधनविरोधी, २—साधनवहिर्वृत्तिः (साधन-व्यापक), ३—साधनसहवृत्तिः (साधनसमन्वयत) तथा ४—साधन-नवृत्तिः (साधनव्याप्त) । इनसे अतिरिक्त पञ्चम प्रकारकी कामना भी नहीं की जा सकती है । क्योंकि विरोध अविरोध, साहित्य-असाहित्य और आधिक्य अनाधिक्य ये परस्परके निषेध स्वरूप हैं । इनमें आधिक्यानाधिक्यके परस्पर विरोधका प्रदर्शन वहिर्वृत्ति और अन्तवृत्ति पक्षके अभिप्रायसे है तथा शेष दो विरोधी और सहवृत्तिके अभिप्रायसे हैं ।

इनमें साधनविरोधी और साधनवहिर्वृत्तिको उपाधिके रूपमें नहीं माना जा सकता है । क्योंकि साधनका विरोधी यदि उपाधि हो तो चूँकि प्रकृतमें कार्यत्व साधन (हेतु) है, इसलिये अकार्य ही सकर्तृक होने लगेगा और कार्यमें अकर्तृकत्वका प्रसङ्ग हो जायगा । यदि साधन-वहिर्वृत्ति अर्थात् साधनका व्यापक उपाधि हो तो कार्यके साथ माथ अकार्य भी सकर्तृक होने लगेगा । अर्थात् उपाधि कार्यत्वसमानाधिकरण होते हुए कार्यत्वाभावसमानाधिकरण भी होगा, तभी वह साधन-व्यापक होगा । अतः उक्त उपाधिवलसे कार्य भी सकर्तृक होगा और अकार्य (गागनादि) भी सकर्तृक होने लगेगा । इसमें इष्टापत्ति नहीं पर सकते । क्योंकि जो अकार्य (नित्य) है, उसे तो कारणमात्रसे स्थानाविक विरोध है, अत कारणका ही एकमात्र कर्ताङ्क भी अवसर कैसे असकेगा ? अर्थात् अकार्यका तो कोई भी कारण नहीं होता, तो कारणविशेषरूप क्या ? कैसे सिद्ध हो सकेगा ? अत अकार्यमें सकर्तृकत्वप्रसङ्गकी इष्टापत्ति नहीं कर सकते ।

नापि तृतीयः, तुल्ययोगक्षेमयोरविशेषाद् व्यभिचार-
शङ्खानापादकत्वाच ।

चतुर्थस्तु स्यात् । सोऽपि न शरीरान्तर्भूवृत्तिः, चेष्टान-
शरीरहेतुकस्यापि कस्यचिदचेतनपूर्वकत्वप्रसङ्गात् । न चेद-
मिष्टम्, चेष्टाचेतनयोरपिनामावभज्ञप्रसङ्गात् । नापि सहवृत्तिः,

साधनसहवृत्तिरूप तृतीयपक्ष भी नहीं हो सकता । क्योंकि उपाधि
को साधनसमन्वित माननेपर दोनोंके तुल्ययोगक्षेम होनेके कारण
साधन और उपाधिमें कोई विशेषता नहीं होगी । ऐसी स्थितिमें कायत्व-
ईतुसे सकर्तृकत्वका अनुमान किया जाय या तुम्हारेद्वारा उद्भावित
साधनसमन्वित उपाधिसे सकर्तृकत्वका अनुमान किया जाय, इसमें
कोई अन्तर नहीं है । क्योंकि दोनों हो दशाओंमें क्षित्यादिके प्रति
कर्त्ता (ईश्वर) की सिद्धिहो जाती है । एव, इस प्रकारके साधन
समन्वित उपाधिकेद्वारा व्यभिचार शङ्खाकी उत्पत्ति नहीं होनेके कारण
वह उपाधि ही नहीं हो सकता । क्याकि जो साध्यका व्यापक और
साधनका अव्यापक होता है, वही व्यभिचारशङ्खाका उत्पादक होनेके
कारण उपाधि कहाता है ।

साधना वृत्तिं (साधनव्याप्य) रूप चतुर्थपक्ष तो होगा, किन्तु वह
उपाधि भी शरीरिकर्तृकत्वकी अपेक्षा यूनवृत्तिकुलालकर्तृकत्व आदि
हो तो उस कुलालकर्तृकत्व उपाधिको चेतनकर्तृकत्वरूप साध्यका व्यापक
होना होगा । ऐसी स्थितिमें व्यापकका अभाव होनेसे व्याप्यका भी
अभाव हो जाता है, अत जहाँ कुलालकर्तृकत्वरूप साध्यव्यापकका
अभाव होगा, जैसे पटादिकार्यमें, वहाँ चेतनकर्तृकत्वरूप साध्यका भी
अभाव होने लगेगा । यद्यपि वह पटादिकार्य कुलालकर्तृक न होते
हुए भी चेष्टायुक्त शरीरसे ही उत्पन्न होता है, अत वह वस्तुत चेतनकर्ता
से उत्पन्न होता ही है । यहाँ कुलालकर्तृकत्वका अभाव होनेके कारण
पटादिमें जो अचेतनकर्तृकत्वका (चेतनकर्तृकत्वाभावका) प्रसङ्ग
दिया गया है, उसमें इष्टापत्ति नहीं कह सकते । क्योंकि तब चेष्टा
और चेतनमें परस्पर जो अविनाभाव सम्बन्ध (व्यवस्थापकभाव) है,

देहस्यानुपाधित्वे तस्याप्यनुपाधित्वात्, तयोस्तुत्ययोगक्षेम-
त्वात् । अतथाभावे वा सहवृत्तिनियमानुपत्तेः ।

शरीरस्य च नोपाधित्वम्, कर्त्रव्यापकत्वात् । तत्कार्य-
त्वस्योपाधेनियमानत्वात् । नाप्यापतततया तथाभावो,
भोगोपाधित्वात् । नाप्युपकरणप्रापकतया, साक्षात् प्रयत्ना-
नधिष्ठेयतोपाधित्वात् । अन्यथापि तत्प्राप्तेरिति ।

यदि वह उपाधि शारीरिकत्व कत्वसे न्यूनवृत्ति न हो, किन्तु शरीरसह-
वृत्ति हो तो वह भी नहीं हो सकता है । क्योंकि देहके उपाधि नहीं
होनेके कारण उसका सहवृत्ति भी उपाधि नहीं हो सकेगा । कारण, देह
और वह उपाधि दोनों ही तुल्ययोगक्षेम हैं । यदि वे तुल्ययोगक्षेम न
हों तो उन दोनोंमें सहवृत्तिताका नियम नहीं रह जायगा ।

उक्त आपत्तिके भयसे यदि कहो कि—शरीरघटित शरीरजन्यत्व ही
उपाधि होगा—तो वैसा नहीं हो सकता है । क्योंकि शरीरजन्यत्व
सकर्तृत्वरूप साध्यका व्यापक नहीं है । कारण सभी सकर्तृक शरीर-
जन्य ही नहीं होता, जैसे वृक्षादिक ही । यदि कहो कि—हुलाल आदि
कर्ता शरीरसापेक्ष ही घटादि-कार्य करता हुआ पाया जाता है, अतः
अवश्य ही सभी सकर्तृक शरीरजन्य होंगे—तो यह भी नहीं हो सकता ।
क्योंकि शरीरसापेक्षहासी शरीरकार्यत्वरूप उपाधि विद्यमान है ।
अर्थात् उसी कार्यके लिये कर्ता को शरीरकी अपेक्षा है, जो कार्य शरीरसे
उत्पन्न होता है । वृक्ष अकुर आदि कार्य जो शरीरसे उत्पन्न होता नहीं,
अत उसके कर्ता (ईश्वर) को शरीरकी अपेक्षा नहीं है ।

एवं ईश्वर भोगावतनके रूपमें शरीरकी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि
वैसा करनेमें भोग उपाधि है । अर्थात् ईश्वरमें भोग ही नहीं होता है
कि भोगावतन (भोगका माध्यम) रूपमें वह शरीरकी अपेक्षा करेगा ।
उपकरणोंकी प्राप्ति करनेके लिये भी ईश्वरको शरीरकी अपेक्षा नहीं
है । क्योंकि वैसा वही होता है, जहाँका उपकरण साक्षात् कर्ता के
प्रयत्नसा विषय नहीं होता । जैसे, हुलाल शरीरके विना दण्डचकादिका
सञ्चालन नहीं कर सकता और घटकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । विन्दु
ईश्वर तो शरीररूपमाध्यमके विना ही सीधे ही अपने प्रयत्नसे पर-

नाप्यधिकवृत्तिः, शरीरविनाकृतस्य कर्तुः स्वयमनभ्युप गमात् । अस्तु पाक्षिकोऽभ्युपगम । तेन न तत्कार्यत्वमात्रात् कर्त्तमत्त्वसिद्धिः, शङ्कितोपाधित्वात् । न चोपाधेरेव तत्सिद्धिः, तस्य स्वय सदिग्धासिद्धत्वादिति चेत्, न, उभयथाऽप्यशरीरिकर्त्तव्यवस्थितिनियमात् ।

माणुओंमें गति उत्पन्न कर सकता है और वदन-तर पृथिवी जलादिकी उत्तरति कर सकता है ।

शरीरकी अपेक्षा अधिक सीमामें रहनेवाला भी उपाधि नहीं हो सकता । अर्थात् जो कार्यं शरीरकर्तुक नहीं है उसमें रहनेवाला धर्म भी उपाधि नहीं हो सकता । क्याकि तर शरीरके बिना भी कर्त्तव्य सिद्ध हो जायगा जो तुम्हारे लिए अपसिद्धा त है । इसका यदि यह समाधान करो कि—शरीररहित कर्त्तव्यरूप शरीराधिकवृत्ति उपाधिका निश्चयात्मक अभ्युपगम होनेपर ही निरीश्वरवादोंके लिये अपसिद्धात्म होता, पर वैसा नहीं है, किंतु उक्त उपाधिका पाक्षिक (सद्देहात्मक) अभ्युपगम है । अत कार्यतः हेतुमात्रसे सकर्त्तव्यको सिद्ध नहीं होगी क्योंकि वहाँ शङ्कितोपाधि है अर्थात् सोपाधिकत्वकी आशङ्कासे हेतुमें व्यभिचारको आशङ्का हो जाती है और व्याप्तिज्ञानका प्रतिव ध होकर अनुमिति भी ढक जाती है । अत मेर लिये अपसिद्धात्म नहीं होता है । यहाँ नैयायिक यह नहीं कह सकता कि—‘शरीराधिकवृत्ति उस उपाधिके सकर्त्तव्यरूप साध्यका व्यापक होनेके साथ साथ व्याप्ति भी होनेके कारण उस उपाधिसे ही सकर्त्तव्यरूप साध्यकी सिद्धि हो जायगी’ क्योंकि उक्त उपाधि स्वय ही सदिग्धासिद्ध है । अर्थात् न्यायमत्तमें उसका उपाधित्व ही सदिग्ध है । अथवा उसमें सकर्त्तव्यरूप साध्यका व्याप्तित्व ही असिद्ध है । अतः उपाधिवलसे न्यायमत्तमें सकर्त्तव्यकी सिद्धि नहीं की जा सकती है—तो एसा समाधान नहीं कर सकते हो । क्योंकि शरीराधिकवृत्ति उपाधि हो या न हो, दोनों ही दशाओंमें अरारीरी कर्त्ताकी सिद्धि हो जायगी । अर्थात् यदि शरीरातिरिच्चवृत्ति उपाधि हो तो उस उपाधिके बलसे हो अशरीरी कर्त्ता (ईश्वर) की सिद्धि हो जाती है । यदि उक्त उपाधि न हो तो उपाधि

किन्तु कथश्चिदुपाधिमादाय स व्यवतिष्ठताम् । यदा
कार्यत्वमेवेति सन्देहः परिशिष्टते, गत्यन्तरामात्रादिति सोऽपि
निवार्यते । न तावद् देहव्यतिरेकेऽनित्यज्ञानरम्भवः,
तयो व्याप्तिरेकेऽनित्यज्ञानरम्भवः, तयो व्याप्तिरेकेऽनित्यज्ञानरम्भवः;
तत्रो व्याप्तिरेकेऽनित्यज्ञानरम्भवः, तत्रो व्याप्तिरेकेऽनित्यज्ञानरम्भवः;

रहित होनेके कारण कार्यत्व-हेतुसे ही क्षित्यादिके प्रस्ति अशरीरी कर्ता
सिद्ध हो जाता है ।

अब यहाँपर केवल यही सन्देह बच जाता है कि उक्त अशरीरि-
कर्तुंकर्तव्य कथश्चित् अर्थात् शरीराधिकवृत्तिं उपाधिके बलको लेफत सिद्ध
होगा या कार्यत्व हेतुको क्षेत्र सिद्ध होगा । इन दोने अलावे अश-
रीरिकर्तुंकर्तव्यसिद्धिके लिये कोई हीसरी गति नहीं है । अत इस
सन्देहका भी अब निवारण किया जा रहा है ।

जैसे—यदि क्षित्यादिका कर्ता शरीररहित है तो उसका ज्ञान अनित्य
नहीं हो सकता है । क्योंकि अनित्यज्ञान और देहमें कार्यकारणभावका
नियम होनेसे देहरूपकारणके अभावमें अनित्यज्ञानका भी अभाव हो
जायगा । इसलिये उसका ज्ञान नित्य होगा और सर्वविषयक भी
दौरा देगा । क्योंकि तियत्रविषयता अनित्यस्वसे ब्याप्त है । अर्थात् अनित्य
ज्ञान ही विर्यारित (सीमित) विषयक होता है । नित्यज्ञान तो अनित्य-
विषयक होनेसे सर्वविषयक ही होगा । कारण, ज्ञानमें विषयविशेषका
नियमन ज्ञानसामग्रीशक्तिकी उपस्थितिके अधीन है । अत नित्यज्ञानसे
स्वयं नियृत्त होती हुई ज्ञानोत्पादक सामग्रीशक्ति अपने व्याप्त्यग्रूप
विषयनियमको भी नियृत्त करती हुई अनित्यज्ञानमें ही व्यवस्थित होती
है । अर्थात् नित्यज्ञानमें सामग्रीकी अधीनता नहीं रहनेसे विषयका
नियम भी नहीं रहता । प्रत्युत अनित्यज्ञान ही सामग्रीके अधीन व्यवस्था
होता है और निवारविषयक होता है । अत नित्यज्ञान सर्वविषयक
ही होगा ।

सर्वगोचरे च ज्ञाने चिकीप्रियत्तनयोरपि तथाभावं, तदेकप्रियत्त्वात्तयोः । तथा च कञ्चिद्वापाधिमादायाशरीर-पूर्वकमपि किञ्चिदेव कार्यं कर्तुपूर्यकं भविष्यतीति अश्वापिशाच्याः कामकाशः ।

एवमन्यत्राप्यनया दिशा उपाधिशङ्का निराकरणीयेति निरूपाधिसम्बन्धसिद्धिः । विषष्टसम्भवे च साधनप्रयुक्तसाध्य-

एव ज्ञानके सर्वविषयक होनेपर चिकीर्षा और प्रयत्न भी सर्वविषयक होंगे । क्योंकि ज्ञानका जो विषय होता है, वही चिकीर्षा और प्रयत्न का भी विषय होता है । अर्थात् यद्विषयक ज्ञान होता है, तद्विषयक ही चिकीर्षा और प्रयत्न भी होते हैं । अत सर्वविषयक नित्यज्ञान-चिकीर्षा तथा प्रयत्नबाला ईश्वररूप अशरीरी कर्ता सिद्ध हो जाता है । इस तरह—‘किसी शङ्कित उपाधिको लेफर शरीरके विना भी उत्तम होनेवाला कुछ ही कार्य कर्तुजन्य होगा न कि सभी कार्य’ इस राङ्का पिशाचीको भी बहा मौका है ? अर्थात् उपाधि ही आशङ्का ‘अशरीर पूर्वक भी कुछ ही कार्य सकर्तुक होगा’ इस राङ्काका आपादन नहीं कर सकेगी । क्योंकि विना शरीरके भी कर्ता सिद्ध हो जानेपर पूर्वोक्त युक्तिसे उस अशरीरी कर्ताके ज्ञान इच्छा और प्रयत्न नित्य तथा सर्वविषयक मानने होंगे । ऐसी स्थितिमें जिस कार्यमें तुम अकर्तुकत्वकी आशङ्का करते हो, उसका भी उपादानकारण अवश्य ही उस नित्य तथा सर्वविषयक ज्ञान इच्छा और प्रयत्नका विषय होगा । तथा उपादानविषयक अपरोक्षज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्त्व ही तो कर्तुत्व है । अत जिस कार्यमें तुम अकर्तुकत्वकी आशङ्का कर रहे हो उसमें भी अकर्तुकत्वकी आशङ्का कैसे हो सकेगी ? तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य विना कर्ता के नहीं हो सकेगा । अत अशरीरिकर्तुक सभी क्षित्यादिकार्य सकर्तुक सिद्ध होते हुए ईश्वररूप सर्वज्ञ कर्ताको उपस्थित करते हैं ।

इस प्रकार अन्य अनुमानोंमें भी इसी रीतिसे अर्थात् पूर्वोक्त चार विकल्पोंके द्वारा उपाधिशङ्काका निवारण करना चाहिये । इस तरह कार्यत्व और सत्त्वकत्वमें निरूपाधिसम्बन्धरूप व्याप्तिकी सिद्धि हो जाती है ।

सद्गावसिद्धौ साध्याभावप्रयुक्तसाधनाभावलक्षणस्य व्यतिरेक-
स्यापि सिद्धैः न तदर्थं पृथगपेक्षेति ।

द्वितीयेऽपि श्रवणसम्पूटमवधाय कलबलस्त्यज्यताम् ।
तथा हि दण्डादिपूदासीनेषु दृश्योऽदृश्यो वा (नाना) कारक-
व्यापाराविनिर्भागवृत्तिश्चेतनो निवृत्तो न वेति त्वमेव प्रष्टव्यः ।
न चेत्, कुतः कारणान्युदासते ? निवृत्तश्चेत्, कथमदृश्य-
व्यतिरेकसंशयः ?

तथापि यादृशस्यान्यस्तादृशस्य व्यतिरेकोऽपि उपयुज्यत

एव जहों साध्यका विपक्ष (निवृत्तसाध्याभाववान्) सम्भव है,
यहों, जैसे पक्षमे साधन (हेतु) के रहनेके कारण साध्यकी सत्ता सिद्ध
होती है, वैसे ही विपक्षमे साध्यका अभाव होनेसे साधनाभावहृप
व्यतिरेक भी स्थत् सिद्ध हो जाता है । उसकेलिये पृथक् यत्नकी अपेक्षा
नहीं होती है । अर्थात् आकाशादिमें सरवृक्त्यका अभाव होनेसे
कार्यत्वका भी अभाव होता है । आशय यह है कि पूर्वोक्त रीतिसे
अन्वयव्याप्तिके निरुपाधिक सिद्ध होनेसे व्यतिरेकव्याप्ति भी स्थतः
निरुपाधिक सिद्ध हो जाती है । अत इसमे पृथक्से उपाधिनिवारणकी
अपेक्षा नहीं पड़ती है ।

द्वितीयपक्षके विपक्षमे भी कर्णपुटको सावधानकर कोलाहलको
छोड़ो । अर्थात् तदुत्पत्तिहृप कार्यकारणभावत्मक व्याप्तिप्रदमे भी कोई
वाधक नहीं है । क्योंकि कार्यके प्रति दण्डादि कारणोंकी विमुखताकी
दरामे कारकव्यापारसे नियन दृश्य या अदृश्य चेतनरूपोंको निवृत्ति
रहती है या नहीं ? यद मैं तुमसे ही पृथक्ता हूँ ।

यदि कहो कि—निवृत्ति नहीं रहती है, अर्थात् कर्णी प्रयत्नशील ही
रहता है—तो दण्डादिकारणोंके अपने कार्यसे उदासीन रहनेका क्या
कारण है ? यदि कहो कि—चेतन कर्ता निवृत्त हो जाता है—तो उस
अदृश्य चेतनके अभावमें सराय क्यों है ? अर्थात् दृश्यादृश्यसापारण
चेतनरूपोंका व्यतिरेक (अभाव) सुप्रद होनेसे अन्यथ और व्यति-
रेकप्रदके द्वारा कार्यकारणभावहृप व्याप्तिका प्रद सुतरां सिद्ध हो गया ।

यदि कहो कि—जिस दफ्तरके कर्ताओं कार्यके साथ अन्यथ होता है,

इति चेतु, कोऽप्य प्रिप्रतिपद्यते । कारकप्रयोक्तुरुमपयनापि तु अ-
त्त्वात् । देही तादृशा इति चेतु, कोऽस्यार्थः । किं देह-(देह-
व्यापारमपादन-) द्वारैव सर्वाणि कारकाणि प्रयुक्ते चेतनः ।
आहो देह प्रयुज्नान एवेति । न पूर्वः, देहस्यापि कारकतया
देहान्तरप्रयोज्यतायामनवस्थानात् । न द्वितीय, प्रिप्रशस्त्राया-
लनादीं व्यभिचारात् ।

देह धारयन्निति चेतु, सोऽप्य देहो धार्यः किं कारकतया
तत्कारकान्तरप्रयागार्थम् ? अथ स्वकर्मोपात्ततामात्रेण ? प्रथमे
उसी द्वारके कर्त्ताका व्यतिरेकप्रह भी व्याप्तिश्वानमें उपयोगी होता है—
तो इसमें किसको विप्रविष्टि है ? क्योंकि कारकोंको कार्यमें प्रयुक्त
करनेवाला कर्ता दोनों जगह (अ-व्यय-व्यतिरेक दोनोंमें) समाज है ।

यदि कहो कि—वह देही कर्ता है, जिसका कार्यके साथ अ-व्यय
एशीत है, अत व्याप्तिश्वानकेतिये उसीका व्यतिरेकप्रह भी उपयोगी
होगा । इसलिये वक्त अन्धव्य व्यतिरेकद्वारा शरीरी चेतन ही कर्त्ता
विद्यम होता है अशरीरी नहीं—तो शरीरीको कर्ता माननेका क्या
अभिप्राय है ? क्या देहके द्वारा ही चेतन सभी कारकोंको प्रयुक्त करता
है सीधे नहीं ? अथवा देहको प्रयुक्त करता हुआ ही वह कारकोंको प्रयुक्त
करता है ? इसमें प्रथम पक्ष नहीं ही सकता । क्योंकि जैसे, अ-व्यय कारकों
को प्रयुक्त करनेमें देह द्वारभूत है जैसे देह भी कारक ही है, अत उसे
भी प्रयुक्त करनेके लिये प्रयोजकके रूपमें दूसरी देहकी अपेक्षा होनेसे
अनवस्थादोष हो जायेगा ।

‘देहको प्रयुक्त (सञ्चालित) करता हुआ ही आ-व्ययकारकों को प्रयुक्त
करता है’ यह द्वितीयपक्ष भी नहीं हो सकता है । क्योंकि कमलनालके
डुकड़ेको जादूगर अपनी देहको चालिन किये बिना ही ध्यानमात्रसे
सञ्चालित कर देता है । अत इस द्वितीयपक्षमें व्यभिचार दोष आ
जाता है ।

यदि कहो कि—देहको धारण करता हुआ कर्ता फलोत्पादनमें सभी
कारकोंको प्रयुक्त करता है एवं अ—है—है—है—

न विरोधः । देहस्य व्यचित् कार्यकारकतया अधिष्ठाननियमात् । यत्र तु न तद् कारकं तत्रापि तदधिष्ठेयमिति कथंतनोऽभिदृशात् ?

द्वितीयेऽपि यः साक्षादधिष्ठातुपशकः स साक्षादधिष्ठेयमुपादाय तत् प्रयुज्जीत, न त्वेकस्य साक्षादधिष्ठानायोग्यमन्यस्यापि तथेति नियमः, देह एव व्यभिचारात् । तृतीये त्वजागलस्तनकल्पः कायो नोपयुक्तांशविवेचने स्तं निवेशयति, यथा धूममात्रं प्रति तर्णदहनान्वयम्भवतिरेकयोरालोक्यत्तेति ।

उसके कारक होनेके नाते करता है ? या उससे अन्यकारकोंको प्रयुक्त करनेके लिये देह-धारण आवश्यक है ? अथवा निजरूपाधीन प्राप्त होनेमात्रसे कर्ताकेलिये शरीर धारण आवश्यक है ? इनमें प्रथमपक्षमें मुझे कोई विरोध नहीं है । क्योंकि कहीं कार्यके प्रति देह भी कारक होता है, अन वहाँ उसका कर्ताद्वारा अधिष्ठित होना अपेक्षित है । जहाँ तो वह (देह) कारक नहीं होता, वहाँ भी वह कर्ताद्वारा अधिष्ठेय होगा, इसे कौन चेतन व्यक्ति कह सकता है ।

द्वितीयपक्षमें भी जो (मनुष्यादि) साक्षात् (सीधे) कारकोंको अधिष्ठित करनेमें असमर्थ है, वह सीधे अविष्टित किये जाने योग्य देहको लेकर उत कारकोंको फलोत्पादनके लिये प्रयुक्त करेगा । ऐसा नियम नहीं है कि जो (कारकसमूह) एक (मनुष्य) के द्वारा साक्षात् अधिष्ठानके योग्य नहीं है, वह दूसरे (सर्वशक्तिमान् ईश्वर) के द्वारा भी अधिष्ठेय नहीं है । क्योंकि देहमें ही व्यभिचार हो जाता है । जैसे चैत्रदेह मैत्रके द्वारा अधिष्ठेय नहीं है, फिर भी वह चैत्रके द्वारा अधिष्ठेय होता है ।

हृतीयपक्षमें तो बकरीके पलेमें लटकते हुए इनके समान देह भी अपनेको उपयोगिताकोटिये विचारमें नहीं रख सकता है । अर्थात् कारकोंका व्यापार जैसे ही देहके विना निरुपयोगी होता है, जैसे धूममात्रके प्रति तृणजन्य अग्निके अन्वय-व्यतिरेकमें आलोककी सचात्पयोगिताके विचारमें अनपेक्षित है । अर्थात् कारक व्यापारमात्रके प्रति देह और धूममात्रके प्रति आलोक समानरूपसे अन्यथासिद्ध है ।

यदि चाकारकस्याप्यतत्प्रयोज (गद्वार) कैस्यापि अवश्य-
मपेहा स्यात्, य एव कुलालकायन् घटस्य वर्ता स एव करभ-
शरीरधानपि दण्डादीन् प्रयुज्ञीत । न यत्तु स्वर्मोपात्तामात्रेण
करभकारशरीरयोः विश्वदुष्टेषः । कार्यप्रिशेषे कायविशेषो-
ऽनुपयोग्यपेक्षणीय इति चेत्, तत्र कायेऽनुपयुक्तशावश्यापेक्षणी-
यश्वेति ध्याधातः । अव्याधाते वा कुम्भे वर्तव्ये करभशरीरमप्य-
वश्यमपेक्षणीयमपिशेषादिति ।

तस्मात् सन्दंशवद्यःपिण्डवत्^१ कारकतत्प्रयोजकतयैर्पै
शरीरधिष्ठाननियमो न तु शरीरस्त्वेनैव । न च शरीरस्य सर्वत्र

यदि कारक न होते हुएकी भी या कारकोंका प्रबर्तक न होते हुएकी भी
अवश्य अपेक्षा हो तो जो आत्मा कुलालशरीरधारी होकर घटका कर्ता
होता है, वही करभ (हस्तिशावक) शरीरधारी होकर भी दण्डचक्रादि-
का प्रयोजक होते । क्योंकि स्वर्मोपात्तामात्रकी दृष्टिसे करभशरीर
और कुम्भकारशरीरमें कोई अन्तर नहीं है ।

यदि कहो कि—कार्यविशेषमें शरीरविशेष अनुपयोगी होते हुए भी
अपेक्षणीय है—तो कार्यमें अनुपयुक्त भी है और अपेक्षणीय भी है,
यह कथन वदतोव्याधात है । यदि व्याधातदोष न हो तो घट निर्माण
करनेमें करभ शरीर भी अवश्य अपेक्षणीय होना चाहिये । क्योंकि
अनुपयुक्तनाकी दृष्टिसे कुम्भकारशरीर और करभशरीरमें कोई अन्तर
नहीं है ।

इसलिये सँडसीके समान या लोह विण्डके समान कारकके रूपमें
या कारकव्यापारके आश्रयके रूपमें ही शरीरका अधिष्ठान आवश्यक है,
न कि शरीरके ही रूपमें । अर्थात् जिस कार्यमें जो शरीर कारक या
प्रयोजक होता है, उसी कार्यमें शरीर आत्माद्वारा अधिष्ठित होगा ।
यही नियम है, न कि शरीर होनेमात्रसे आत्माद्वारा अधिष्ठित होना

१. नस्तापि देहस्येति २ प० पा० २. व्य पिण्डे इति १ प० पा०
३. कारकप्रयोजकतयैव इति २ प० पा०

कार्यं कारकत्वं तत्प्रयोजनस्त्वं वेति । एवं तद्हि न ग्रतिनियन्-
देहाधिष्ठात्रसिद्धिः, अङ्कुरादिकारकाधिष्ठात्राऽपि तत्पिद्वेरिति
चेत्, न, वादान्तरत्वात् ।

यदापि तत्प्रस्तावः, तदापि न कार्यमात्रेण कारकाधिष्ठान-
मात्रेण वा तदनुमानम्, ततः कर्तुमात्रमिद्देः । किन्तु हर्षभय-
शोरस्मितादिलिङ्गैस्तानुबोधं तैर्भोक्तुरनुमानमिति न फिद्विदेतत् ।

तृतीयेऽपीर्ष्याकिपाये चक्षुषी निपील्य न्यायानुपारः श्रूयताम् ।
इह जगति नास्त्वयेत तत् कार्यं नाम, यत् कारकचक्रमवधीर्यात्मा-

आवश्यक है । और यह भी नियम नहीं है कि सभी क्षित्यङ्कुरादि
कार्यमें शारीर कारण या प्रयोजक होते ही ।

यदि कहो कि—ऐसा होनेपर अलग अलग देहोंके अधिष्ठात्राकी भी
सिद्धि नहीं हो सकेगी । क्योंकि अङ्कुरादि कारकोंके अधिष्ठाता (ईश्वर)
से घट आदिकी सिद्धि हो जायगी । अर्थात् कुम्भकार आदिकी क्या
आवश्यक्ता है ? ईश्वरसे ही घटादिकार्यका निर्धारण हो जायगा—तो
ऐसा नहीं कह सकते हो । क्योंकि तत् यह दूसरा विचार प्रस्तुत हो
गया । अर्थात् मेरा ईश्वर हो सिद्ध ही हो गया और उसे ही सिद्ध करने
के लिये मैं प्रत्यक्ष हूँ । अतः अभी कुम्भकारको कर्ता सिद्ध करनेकी
क्या आवश्यकता है ?

फिर भी यदि कुलालको भी कर्ता सिद्ध करनेका विचार प्रस्तुत करो तो
भी कार्यमात्रसे या कारकोंके अधिष्ठानमात्रसे कुलालनामधारीका अनुमान
नहीं होता है । क्योंकि उससे तो कर्ता मात्र सिद्ध होता है । किन्तु
हर्ष, भय, शोर, स्मित आदिके सूचक लिङ्गोंसे हर्षादिका अनुमानकर
मुनः उनके आधारके रूपमें पृथक् पृथक् कुलाल आदिके आत्माकी सिद्धि
होती है । अतः यह दूसरा प्रस्ताव भी कुत्र नहीं है ।

"विषक्षमे बाधकमा होना ही व्याप्ति है" इस तृतीयरक्षमें भी
ईर्ष्यादेके कलु विन लिङ्गोंको हटाकर न्यायका अनुमोदन मुनो । इस संसार-
में कोई भी यह कार्य नहीं है, जो कारकचक्रकी अवहंलना कर अपने

नमामाद्येदित्यविगादम् । तत्र च मर्त्ये चेतनोपहितमर्थादम् ।
अन्यथा तल्लक्षणव्यवस्थानुपत्तेः ।

तथाहि, आधेयकारकोपहितमर्थादमधिकरणस्य रूपम्,
आधारत्वात् । अपनेयापगन्तुकारकोपहितं च स्वरूपमशादानस्य,
तदवधित्वात् । करणीभूतरूपोपहितं च रूपं सम्प्रदानस्य,
तदमिप्रेयत्वात् । करणोपहितं च रूपं कर्मणः, तदुच्चाप्यत्वात् ।
कर्तुपहितं च रूपं वरणस्य, साचात् तत्त्वव्यापाररिप्रयत्वात् ।
समस्तकाररूपहितं च रूपं कर्तुः, तत्प्रयोजकत्वात् ।

शानचिरीप्रियत्वाधारत्पव्यवस्थितेऽन चक्रकेतरताथ्य-

स्वरूपको प्रत्यक्ष कर सके । यह विविचार है । और उन सभी कार्योंकी
मर्थादा अर्थात् स्वरूपव्यवस्था साक्षात् या परम्परया चेतनसे उपहित है ।
अन्यथा उनके स्वरूपकी व्यवस्था ही नहीं हो सकेगी । जैसे—कर्ता
और कर्मरूप आधेयभूतकारकोंसे उपहित है मर्थादा निसकी, उसे
अधिकरणकारक बड़ते हैं । क्योंकि यह आपारभूत है । अर्थात्
“कर्तुकर्मव्यवहितामसाक्षात् घारयत् क्रियाम् । उष्णकुर्मत् क्रियासिद्धी
साप्रेऽधिकरणे स्वतम् ।” इस प्रचनके अनुसार कर्ता और कर्मके द्वारा
यह क्रियाका आधय है । अपनेय (त्याज्य) भूत शृश्नादि एव अपारभूत-
भूत (द्वोहनेयात्) स्वागतिकारकोंसे उपहित अपारानवारकका स्वरूप
है । क्योंकि स्वागतिकीभूत विमाका यह अवधि है । अर्थात् यहाँ
भी यह कर्ता है और उसकी क्रियाका सम्बन्ध अवधिके रूपमें यत्प्राप्त
पृथक्कर अपारानवारकमें है । कारणहाताका प्राप्त ह्रूप कर्मसे उपहित
सम्प्रदानकारकका स्वरूप है । क्योंकि द्वाताका गौ धारि कर्मभूत सूय-
द्रुठयके द्वारा ही साधु प्राप्तगादि अभिप्रेत है । अर्थात् करणीभूत कर्मसे
उपहित सम्प्रदान होता है । कर्म करने से उपहित होता है, क्योंकि यह
करणस्वारका विषय होता है । तथा करणका स्वरूप साक्षात् कर्मसे
उपहित होता है । क्योंकि यह मायागुणीकृते अपारका विषय होता
है । एव कामा व्यरहा ममत वारकोंसे उपहित (निस्पर्यीय) होता
है । क्योंकि ममत वारका प्रभेश्वर है ।

दोपः । एवं सति कर्तुं व्यावृत्तेस्तदुपहितमीमममस्तकारककार्यो-
त्पत्तिप्रसङ्ग इति स्थूलः प्रमादः ।

भगवेदेवं, यदि कर्ता कारकमात्रस्य व्याप्तिः स्यात्, सैव तु
कुत इति चेत्, कुतः पुनरव्याप्तिः ? न हि पद्म्योऽन्यत कर्तुं-
पहितं कारकमस्ति, न चैषामेव कर्तुं पधानशून्यं लक्षणमस्ति,
एकैकमपोद्य शेषतः कार्यमम्भावनायां मर्यापोहमम्भावनाप्रसङ्गात् ।

यहाँ यह नहीं कह सकते कि—साक्षात् कर्तुंव्यापारका विषय करण,
करणव्यापारका विषय कर्म, तथा कर्मका प्रयोजक वही कर्ता होता है,
अत चक्रदोप आ जाता है । एव साक्षात् कर्तुंव्यापारका विषय करण
होता है और उस करणका प्रयोजक वही कर्ता होता है, इस प्रकार
अन्योन्याश्रयदोप आ जाता है—क्योंकि उपादानविषयक ज्ञान, चिकिपीं
और प्रयत्नस्ता आधार होना ही कर्ता का स्वतन्त्र लक्षण होनेसे कर्तुंलक्षण-
का निरूपण करणादिकोंके अधीन नहीं है । अतः चक्रक और अन्योन्या-
श्रयदोप नहीं होंगे ।

ऐसी स्थितिमें यदि कर्ता न हो तो कर्तासे उपहित मर्यादावाले सम्पूर्ण-
कारकोंकी भी व्यावृत्ति हो जायगी और यिना कारकके ही कार्योंकी
उत्पत्तिका प्रसङ्ग होने लगेगा । यही सकर्तुंकत्व और कार्यत्वमें व्याप्तिका
निश्चय करानेवाला विषय वाधक तर्क है । अत कर्ताके बिना कार्यकी
उत्पत्ति माननेवाले पूर्वपक्षीका यह भारी प्रमाद है ।

यदि कहो कि—उक्त प्रसङ्ग तब होता जब कि कर्ताके साथ कारक-
मात्रकी व्याप्ति होती, किन्तु वह व्याप्ति ही कैसे है ?—तो फिर अव्याप्ति
भी कैसे है ? क्योंकि कर्तासे उपहित स्वरूपवाले पूर्वोक्त छै कारकोंसे
भिन्न कर्तासे अनुपहित स्वरूपवाला कोई दूसरा कारक है, नहीं कि वहीं
सकर्तुंकत्व और कार्यत्वकी अव्याप्ति हो जायगी । यह भी नहीं
हो सकता कि—इन्हीं छै कारकोंके अन्तर्गत कुछ कारक कर्तुंव्यापारके
अविषय होंगे और उहीसे शित्यकुरादि कार्यकी उत्पत्ति उपपत्ति हो
जायगी—क्योंकि एक एक कारकको छोड़कर भी यदि शेष कारकसे
कार्यकी संभावना की जाय तो उस न्यायसे सभी कारकोंको छोड़ देनेकी
सम्भावना होने लगेगी । एव सम्पूर्ण कारकविशेषोंकी निवृत्ति हो ज ने

न च समस्तविशेषापोहे मामान्यस्थितिः, यतः पटुकारकग्याहृता-
चपि कारकमात्रतः कार्यप्रत्याशा स्यात् । एकप्रवृत्तौ तु सर्वप्रवृत्ति-
रप्रत्यूहेति शृद्धलापन्धेन व्यवस्थिते ।

अथ मत तर्तुरैष प्रक्रिया, अस्माकं तु कायेणानुविहितमाग-
भाप चेतनमचेतनं वा कारणमुच्यते । सहवौ तु सर्वं स्प्रयथानम् ।

पर सामा यरूपसे भी कारककी स्थिति नहीं रह पायगी, जिसके आधार
पर प्रसिद्ध हो कारकोंसी व्यावृत्ति हो जानेपर भी सामान्यकारकसे कार्य
की आशा की जाय । यदि स मा यन कारककी स्थितिके लिये किसी
एक कारककी प्रवृत्तिका आश्रय लो तो सभी कारकोंकी प्रवृत्ति निविद्धन
हो जायगी । क्योंकि वारक्त्व धर्म सभी कारकोंमें समान है । इस
प्रकार कारकोंकी परस्पर वैधा हुइ शृद्धलासे विपक्षनाथकी व्यवस्था हो
जाती है ।

यदि मानो कि—उक्त सारी प्रक्रिया तुम्हारे (नैयायिकके) यहाँ ही
है हमारे (बौद्धके) यहाँ लो कार्यके साथ जिसका अवय व्यतिरेक
वैग्य हुआ है एसा चेतन या अचेतन ही कारण कहा जाता है । जहाँ
तो चेतन अचेतनका समुदाय कारण होता है वहाँ सरकी अपनी अपनी
प्रधानता होती है । एसा नहीं कि कोई कारक प्रधान (कर्ता) होता है
और कोई अप्रधान (अकर्ता) । अर्थात् “स्वच्छापारे च कर्तृत्वं सर्वजैवा
स्ति कारके” इस घननरे अनुसार सभी व्यापक अवन अपने व्यापारमें
स्वतन्त्र (करा) हैं । उगादान (समन यि) और इवर (असमयायि
तथा निमित्त) इन तीनोंकी अपेक्षा कथश्चित् है अर्थात् नियत नहीं है ।
अभिप्राय यह है कि कार्यका न्यत्तिमें सभी कारकोंप समयधानका कोई
नियम नहीं है । नहीं समयधानक विना कार्य नहीं होता, वही कठीं
आदि कारकाक समयधानरा नियम होता है । तथा वहाँ भी सभी
अपन अवन व्यापारमें प्रधान होते हैं । कोई प्रधान और कोई
वप्रधान नहीं होता । तथा एमेंय, वरणत्र आदिका लक्षण भी उक्त
प्रधानका नहीं है । किन्तु व्यापारधान द्वात हुए असाधारण कारणका
करण कहते हैं आर आयात कियासे न्यत्तम फलशालीका कर्म वहते
हैं इयादि—ता एसा नहीं हो सकता । क्याकि वैसा हानपर विना

उपादानेतरव्यवस्था तु कथचिदिति चेत्, न, तथापि निरुपादानत्वप्रमङ्गात् ।

जातिप्रतिनियतहेतुत्वेन तददशमभ्युपेयम्, तस्य प्रमाण-
सिद्धतयाऽप्होतुमशक्यत्वादिति चेत्, न, उपादानमात्रस्य तद्वेतुत्वे
निमित्तवैचित्र्येऽप्येकज्ञातीयत्वप्रसङ्गात् । निर्निमित्तं या प्रसञ्ज्येत,
उपादानादेव तथाविद्याचदुपपत्तेः ।

उपादान कारणके भी कार्य होने लगेगा । अर्थात् कर्तविशेष और
कार्यविशेषमें अन्धय अन्धनिरेकके द्वारा सामान्यतः कर्ता और कार्यमें
कार्यकारणभाव सिद्ध हो जाता है । यदि कर्ताके विना भी कोई कार्य
हो तो उपादानकारणके विना भी कार्य हीने लगेगा ।

यदि कहो कि—पृथक् पृथक् जातिके कार्यके प्रति हेतुता नियत होने
के कारण अपरद्य ही प्रत्येक कार्यका कोई उपादानकारण मानना होगा ।
क्योंकि प्रमाणद्वारा सिद्ध होनेके कारण उपादानकारणका अपलाप नहीं
किया जा सकता है । अर्थात् कार्य यदि विना उपादानके होता तो
“पृथिवीज्ञातिका कार्य पृथिवीज्ञातिके समवायिकारण (उपादानकारण)
से ही उत्पन्न होता है” यह व्यवस्था नहीं होती । अत इस व्यवस्थासे
ही सिद्ध होता है कि प्रत्येक कार्यका कोई उपादान अपरद्य होता है—तो
ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि नियतज्ञातिका कार्य उत्पन्न होनेमें
यदि उपादानमात्र प्रयोजन होता तो उपादान एक रहनेपर निमित्तकारण
के विचित्र होनेपर भी कार्यमें विचित्रता नहीं हो सकेगी, बल्कि
उसी जातिका कार्य उत्पन्न होने लगेगा । अर्थात् उपादानमात्रहो कार्य-
का प्रयोजक माननेपर निमित्तकारण असिद्धित्वकर हो जायगा और
दण्ड वेमा आदि निमित्तकी विचित्रता होनेपर भी पटवटादि कार्यमें
विचित्रता नहीं हो सकेगी और उनमें एक जादीयत्वका प्रसङ्ग हो जायगा ।
यदि निमित्तात विचित्रताके होनेपर भी उपादानगत विचित्रताको ही
कार्य वैचित्रियका प्रयोजन मानो हो कार्यमात्र विना निमित्तका हो
जायगा । क्योंकि उपादानगत वैज्ञान्यसे ही विज्ञातीय कार्यकी उपस्थिति
हो जायगी ।

न किञ्चिदेस्मेकस्मात्, सामग्र्याः सर्वमभग इति चेत्, कुत्
एतत्? निमित्तसहितस्यैरोपादानस्य प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्या कार-
णत्वानधारणादिति चेत्, न, दृश्यमाप्तविषयत्वात्योः। दृश्यत्व
तस्य ऋचिद्विगचितमिति चेत्, न, चेतनेऽपि तथा किं न स्या-
दिति। तस्मादुपादाननिमित्तयोर्यथा परस्परसहितयोरेव कार्य-
शक्तिस्तथा चेतनाचेतनयोरपीत्येऽनिवृत्तपितरनिवृत्तिप्रसङ्गः।

यदि कहो कि—कोई भी कार्य किसी एक कारणसे नहीं होता किंतु
सामग्रीसे ही सब कार्य होता है। तथा कारणसामग्रीमें निमित्त भी
समाविष्ट है। अत कार्यमें निनिमित्तत्वका प्रसङ्ग न होगा—तो ऐसा
क्यों है? यदि कहो कि—ऐसा इसलिये है कि अन्वय व्यतिरेकके
द्वारा निमित्तसहित ही उपादानमें कारणत्वका निरचय होता है—तो
ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि अन्वयव्यतिरेकका विषय केवल दृश्य
ही निमित्त होगा। अर्थात् अन्वय व्यतिरेकके बलसे दृश्यनिमित्तका
ही उपादानके साथ साहित्य गृहीत होगा, न कि अदृश्य निमित्तका।
अत अदृश्य निमित्तकी हृषिसे कार्यमें निनिमित्तत्वका प्रसङ्ग रह ही
जाता है।

यदि कहो कि—दृश्यमाप्तमें अन्वय व्यतिरेक गृहीत होनेपर भी उसके
द्वारा कारणत्वका निरचय करनम दृश्यतर अविवक्षित रहता है। अथात्
दृश्यविषयक अवयव्यतिरेकव्यहसे दृश्य अदृश्य सभी निमित्तोंमें कारण
तावा निरचय हो जायगा—तो यह नहीं कह सकते। क्योंकि तब
चेतन कर्ताक विषयमें भी दृश्यत्वकी अविवक्षा क्यों न हो? अर्थात्
सामान्यत चेतनकर्ता और कार्यमें ही कार्यकारणभाव गृहीत होगा। यह
अनिवार्य नहीं है कि कार्यका उत्पादक दृश्य ही कर्ता होगा। अत
विल्यकुरादि कार्यका दृश्य वर्ता नहीं होनेसे अदृश्य (ईश्वर) स्वतं
सिद्ध हो जाता है।

इसलिए वैसे परस्पर सहित होनेपर ही उपादान और निमित्तमें
कार्य उत्पन्न करनेकी अमता होनी है, वैसे ही चेतन और अचेतनके
परस्पर सहित होनेपर ही कार्यकी निवृत्तिहो सकती है, यह भी मानना
पड़ेगा। अत हित्यादिकार्योंके प्रति एक (चेतनकर्ता) की निवृत्ति

अपि च सूतपिण्डदण्डादिषु स्वव्यापारे पारतन्त्र्यं तारन्त्रि-
यमेनोपलभ्यते । तदिदं दण्डादित्वमात्रानुग्रहं वा स्यत, अट्टविशेषोपग्रहानुचक्रधं वा, अनैतन्यपात्रानुग्रन्थं वेति निमुणं
निष्पत्ति ।

वर न प्रथमः, वेमादीनां स्वातन्त्र्यप्रसङ्गात् । देवां वेमादि-
त्वमात्रानुचक्रमिति चेत, न, दण्डादीनां स्वातन्त्र्यप्रसङ्गात् । न
चेतत् कार्यनिशेषनियतम्, ग्राम्याजनादौ दण्डादीना स्वातन्त्र्य-
प्रसङ्गात् ।

माननेपर इतर (अचेतन परमाणु आदि) की निष्पत्तिका भी प्रसङ्ग
होने लगेगा ।

परमाणु अट्ट आदिके अधिष्ठाताके रूपमें ईश्वरकी सिद्धि

एव, मट्टीका पिण्ड वथा दण्ड आदि कारण अपने व्यापारमें नियमतः
किसी अन्य (चेतन) के अधीन होते हैं, यह नियमपूर्वक देखा जाए है ।
अर्थात् वे दूसरेसे अधिप्रित होकर ही अपना व्यापार करते हैं । तो
क्या ऐसा दण्डत्वादि-जातिके कारण होता है ? अथवा भोक्ताके अट्ट-
विशेषसे उपगृहीत होनेके कारण दण्डादिका व्यापार पराधीन है ? या
उनकी अचेतनतामात्रके कारण ऐसा है ? इसे भी अच्छी तरह विचारो ।

इनमें प्रथमपक्ष नहीं हो सकता है । क्योंकि दण्डत्वरूपसे यदि
पराधीनता (पराधीनता) हो तो दण्डातिरिक्त वेमा आदिमें स्वातन्त्र्यका
प्रसङ्ग हो जायगा । अर्थात् वेमा आदिमें दण्डत्व जातिके नहीं रहनेसे
वेमा अपने व्यापारमें अधिष्ठाता चेतनकी अपेक्षा नहीं करेगा । यदि
उपकरणोंका व्यापार वेमत्वमात्रप्रयुक्त है, ऐसा मानो तो यह भी नहीं हो
सकता । क्योंकि वब वेमत्वधर्मसे रहित होनेके कारण दण्डादि अपने
व्यापारमें स्वतन्त्र होने लगेगे । अर्थात् दण्डगत व्यापार चेतन
अधिष्ठाताके बिना अपने आप होने लगेगा । यह भी नहीं हो सकता
कि—दण्डादिकी परतन्त्रता घटादि कार्यविद्येयसे ही नियत है । अर्थात्
घटादि बनानेमें ही दण्डादि अपने व्यापारमें पराधीन है—क्योंकि तब
गायके हाँकने आदिर्म दण्ड स्वतन्त्र होने लगेगा ।

न द्वितीयः, तस्य जातिविशेषनियतत्वे घटार्थमपि तेषां कदाचित् स्पातन्त्र्यप्रपन्नात् । तनियतत्वे स एवोच्यताम् । न च घटपटशकुटकाहादिगतं दण्डवेमवामीसन्दंशादिगतं वा सामान्यमिशेषपुपलभामहे । अस्त्यमौ यतः शरीरिकर्तृकत्तगानुमानमिति चेत्, न, घटत्वाद्वरेव तथाभागात् ।

अस्तु वा संस्थानविशेषः, न च स एवात्र निवन्धनम्,

दूसरा पक्ष भी नहीं हो सकता । अर्थात् यह कहना कि—दण्डादिमें अदृष्टविशेषका सम्बन्ध होनेके कारण घटादि उत्पन्न करनेमें दण्डादिक ही किसी चेतनसे अधिष्ठित होते हैं । श्रिति-जलादि उत्पन्न करनेमें तो उनके कारण परमाणु आदि स्वतन्त्र ही हैं । क्योंकि उनमें उस अदृष्टविशेषका सम्बन्ध नहीं रहता—ठीक नहीं है । क्योंकि वह अदृष्टविशेषका उपग्रह यदि जातिविशेषसे नियत न हो तो पृथिवी आदिके समान ही घटादिके लिये भी कभी दण्डादि स्वतन्त्र हो जायगा । अर्थात् यही कारण उसी कार्यमें कभी स्वतन्त्र रहेगा और कभी चेतनापिष्ठित रहेगा । यदि अदृष्टविशेषोपग्रह जातिविशेषसे नियत हो तो उस जातिविशेषको ही चताओ । अर्थात् ऐसी कोई जाति नहीं है । क्योंकि दण्ड आदि एक-एकमें रहनेवाली जाति व्यभिचरित है तथा भट, पट, शकुट (गाढ़ी), कटाह (कड़ाही) आदि कार्यमें पव दण्ड, बेगा, धासी (बँसुला), सन्दर्श (सँडमी) आदि कारणमें सामान रूपसे रहनेवाली किसी विशेषजातिकी उपलब्धि नहीं होती है ।

यदि कहो कि—यह विशेष जाति यही है, जिससे शरीरिकर्तृकत्तव्य का अनुमान होता है । अर्थात् शरीरिकर्तृकत्तव्यका व्याख्यान जाति अवश्य है—तो यह भी नहीं कह सकते । क्योंकि घटत्वादिक ही शरीरिकर्तृकत्तव्यका अनुमापक (व्याख्य) जाति है । अभिप्राय यह है कि भग्नरूप कार्यमें ऐसी कोई जाति नहीं है, जिससे सभी कार्य शरीरिकर्तृक सिद्ध हो सकें । अत पटत्व पटत्व आदि जातियोंरे आधारपर घट-घटादिकार्य ही शरीरिकर्तृक होते और पृथिवी-जलादि कार्य को अशरीरिकर्तृक ही होते ।

अपवा, अपयवोंका सम्बिवेशविशेष ही पद अनुगमक घर्मे रहे, जो

तस्याभावेऽपि जलानलादीना चेतनप्रेर्यत्वदर्शनात् । न च शरीर-
प्रयोज्य यत् तदेव चेतनप्रेर्यमिति नियमः, शरीरस्यैव स्वातन्त्र्य-
प्रमद्भादित्युक्तम् ।

तस्मादचेतन्यमाप्नियन्थनमेवद् दण्डादिषु, तथा च पर-
माणपट्टादिष्पि तस्य भावात् तथाभावा दुर्बारः । तदेतत् कार्य-
कारणपत्तया व्याप्तम्, सा च रिपक्षेऽसंभवन्ती स्वायाप्यमुषोदाय

अकुरादिकोसे व्याधृत तथा केवल घटपटादिमे ही रहने वाला हा और
वही शरीरिक्त्वक्त्वका अनुमापक हेतु होगा । किन्तु यह नहीं हो
सकता कि—उक्त अवयव सञ्चिवेशप्रियोप ही चेतन कर्त्त्वका भी प्रयो
जक हो—क्योंकि जल अग्नि आदिमे घटपटादिके समान अवयव
सघटन के नहीं रहने पर भी जलादिका चेतनद्वारा सञ्चालित होना
देखा जाता है । अत उस दृष्टातसे घटपटादिके तुल्य अवयवसञ्चिवेश
नहीं होनेपर भी क्षिति अकुरादिके चेतन (ईश्वर) द्वारा उत्पादित होनेमे
कोई वाधा नहीं है ।

यह भी नियम नहीं है कि—जिस वस्तुका प्रयोजक शरीर है वही
चेतनद्वारा सञ्चालित होती है—क्योंकि शरीरका भी प्रयोजक कोई
दूसरा शरीर नहीं होता, इसलिये तब शरीर भी चेतनद्वारा सञ्चालित
नहीं होगा और शरीरके सञ्चालनमे स्वयं शरीर ही स्वत न हो जायगा ।
ऐसी स्थितिमे मृतरारीर भी चेतनकी अपेक्षा नहीं रहनेसे अपने आप
सञ्चालित होने लगेगा । यह बात पूर्वमे कही ही जा चुकी है ।

इसलिये दण्डादिमे जो अपना व्यापार करनमे पराधीनता है, यह
केवल उपर्युक्त अचेतनताके कारण है, यह लृतीयपक्ष ही सुसहृत है ।
इसप्रकार परमाणु अवस्था आदिमे भी अचेतनता धर्मके होनेसे उनका
भी व्यापार चेतनपरतात्र ही होगा, यह अनिवाय है । अर्थात् पर-
माणुओंका प्रेरक चेतन ईश्वर ही है, क्योंकि जीवोंम यह सामध्य
नहीं है ।

अत यह सभी कार्य कारणवत्तासे व्याप्त है । अर्थात् जो जो कार्य
है, यह कारणवाला है । तथा यह कारणवत्ता विपक्षभूत अवर्तक
(—हीन) वस्तुमे असंभव होती हुई अपने व्याप्यभूत कार्यत्वके साथ

कर्तव्यो वा ? विषयं या विरोधवाधकाभ्याम् । किं वाधकपु ?
अन्वयव्यतिरेकभूयोदर्शनयाहायकमाचरन्ननुत्तरस्तर्कः ।

स चाऽस्त्मात्रयेतरेतरात्रय वक्रकानवस्थानिष्टप्रसङ्गमेदेन
पञ्चविषोऽपि कश्चिद् व्यभिचारं निराकुर्वणः क्वचित् तत्रि-
वन्धनमुपाधिमव्युन्वन् महायीभवतीति फलतो न कश्चिद् विशेषः ।
तदुदाहरणानि चात्रैव यथायर्थं परिचेषणानीति ।

प्रश्न—उक्त लक्षणवाले उपाधिका ज्ञान कैसे होगा ? अथवा उसका
निराकरण (अभावज्ञान) कैसे होगा ?

उत्तर—विषयं (विष्णु) में अविरोध (वाधकाभाव) होनेसे
उपाधिका ज्ञान होता है तथा विष्णुमें वाधक होनेसे अनौ-
पाधिकत्वका ज्ञान होता है ।

प्रश्न—विष्णुमें जिसके होनेसे हेतुमें अनौपाधिकत्वका ज्ञान होता
है, वह वाधक क्या है ?

उत्तर—अन्वयव्याप्ति और व्यतिरेकवासिमें उपयोगीभूत साध्य-
साधनके अन्वयसहचार और व्यतिरेकसहचारके भूयोदर्शन
(बार वारदर्शन) में सहायक होता हुआ ऐसा तर्क, जिसका
उत्तरवर्ती कोई प्रतिकूल तर्क न हो, वह तर्क ही विष्णुमें
वाधक होता है । वह तर्क आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक,
अनवस्था और अनिष्टप्रसङ्गके भेदसे पाँच प्रकारका होता
हुआ कहीपर व्यभिचार शङ्काको हटाता हुआ तथा कहीं
व्यभिचारशङ्कामें हेतुभूत उपाधिका निराकरण करता हुआ
प्रकृत अनुमानमें सहायक होता है । इन सभी वाधकोंमें
अबान्तर विशेषता होनेपर भी व्यभिचार-निरासहृप इनके
फलमें कोई अन्तर नहीं है । यद्यपि आत्माश्रयादि चार
भी अनिष्टप्रसङ्गरूप ही हैं तथापि गोषलीवर्द्धन्याय-
से अलग-अलग उल्लेख किया जाता है । इन पाँचोंके
उदाहरण भी इसी अन्धमें क्षणिकवाद, अपोहवाद तथा
विज्ञानवादादिमें यथास्थान देतने चाहिये ।

व्यापर्तमाना सपक्षे विश्राम्यतीत्युभयमुखो प्रतिशन्धमिद्दिः ।

व्याप्तिस्वरूपनिरूपण

कः पुनरयं प्रतिशन्धः ? स्वाभाविकः सम्बन्धः । कः स्वाभाविकार्थः ? निश्चयाधित्वम् । कः पुनरुपाधिः ? साध्यप्रयोजकं निमित्तान्तरम् । किमस्य लबणम् ? साधनाध्यापकत्वे सति साध्यव्यापकत्वम् । कथं पुनरेमलबणकोऽर्थः प्रत्येतत्यो निराशी

ही उस विपक्षसे व्यावृत्त होती है । अर्थात् वह कर्तृविद्वीन वस्तु कार्य नहीं होती किन्तु नित्य होती है, जिसका कोई कारण ही नहीं होता । इसलिये वह कारणवत्ता कर्तृविद्वीन नित्य वस्तुरूप विपक्षसे व्यावृत्त होती हुई सकर्तृक वस्तुमें विश्वान्त हो जाती है । इस प्रकार उभयमुखी (अन्वयमुखी और व्यतिरेकमुखी) व्याप्तिकी सिद्धि हो जाती है । अर्थात् जो जो कार्य होता है, वह वह सकर्तृक होता है तथा जो सकर्तृक नहीं होता वह कार्य भी नहीं होता, जैसे नित्य आकाशादि । इस तरह अन्वयव्याप्ति और व्यतिरेकव्याप्तिकी सिद्धि हो जाती है ।

प्रश्न—इच्छरकी सिद्धिमें व्याप्ति ही मूल है, अतः वह व्याप्ति क्या है ?

उत्तर—देहुमें साध्यका स्वाभाविक सम्बन्ध व्याप्ति है ।

प्रश्न—स्वाभाविकका क्या अर्थ है ?

उत्तर—निरुपाधिक अर्थात् उपाधि रहित होना ।

प्रश्न—उपाधि क्या वस्तु है ?

उत्तर—साध्यका प्रयोजक कोई दूसरा निमित्त, जो साध्यका समव्याप्ति हो, यही उपाधि है । जैसे, “धूमदान् वहोः” इस अनुमानमें आदेन्धनसयोग उपाधि है ।

प्रश्न—उपाधिका उपशमण क्या है ?

उत्तर—साधनका अड्यापक होते हुए साध्यका उपापक होना उपाधि का उपशमण है । जैसे, आदेन्धनसयोग उपहिरूप साधनका अड्यापक होते हुए धूमामक साध्यका उपापक होनेसे उपाधि कषाता है ।

कर्तव्यो वा ? विषययथा विरोधवाधकाभ्याम् । किं वाधकपू ?
अन्यव्यतिरेकभूयोदर्शनमाहायकमाचरन्तुतरस्तर्कः ।

स चाऽत्माश्रयेतरेतराश्रय वक्तानवस्थानिट्रप्रसङ्गमेदेन
पञ्चविधोऽपि कर्त्तिद्वयभिवारं निराकुर्वणः क्वचित् तन्नि-
वन्धनमुषाधिमवधुन्वन् महायीभगतीति फलतो न कश्चिद्विशेषः ।
तदुदाहरणानि चाधैव यथायर्थं परिचेयानीति ।

प्रश्न—उक्त लक्षणवाले उपाधिका ज्ञान कैसे होगा ? अधवा उसका
निराकरण (अमावज्ञान) कैसे होगा ?

उत्तर—विषय (विष्णु) में अविरोध (वाधकाभाव) होनेसे
उपाधिका ज्ञान होता है, तथा विष्णुमें वाधक होनेसे अनौ-
पाधिकत्वका ज्ञान होता है ।

प्रश्न—विष्णुमें जिसके होनेसे हेतुमें अनौपाधिकत्वका ज्ञान होता
है, वह वाधक क्या है ?

उत्तर—अन्यव्यत्यापि और व्यतिरेकव्याप्तिमें उपयोगीभूत साध्य-
साधनके अन्यसद्वारा और व्यतिरेकसद्वारके भूयोदर्शन (वार वारदर्शन)
में सहायक होता हुआ ऐसा तर्क, जिसका
उत्तरवर्ती कोई प्रतिकूल तर्क न हो, वह तर्क ही विष्णुमें
वाधक होता है । यह तर्क आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक,
अनपस्था और अनिष्टप्रसङ्गके भेदसे पाँच प्रकारका होता
हुआ कहीपर व्यभिचारशङ्काको हटाता हुआ तथा कही
व्यभिचारशङ्कामें हेतुभूत उपाधिका निराकरण करता हुआ
प्रगृह अनुमानमें सहायक होता है । इन सभी वाधकोंमें
अबन्तर विशेषता होनेपर भी व्यभिचार-निरासरूप इनके
फलमें कोई अन्तर नहीं है । यद्यपि आत्माश्रयादि चार
भी अनिष्टप्रसङ्गरूप ही हैं तथापि गोबलीवर्दन्याय-
से अलग-अलग उल्लेख किया जाता है । इन पाँचोंके
उदाहरण भी इसी प्रन्थमें क्षणिकवाद, अपोद्वाद तथा
विज्ञानयादिमें यथास्थान देखने चाहिये ।

प्रतिवन्दीकरण

अथ न्यायदुर्बलस्य प्रतिवन्दीकरणम्, यदुतैवं शशविपाण-
स्यापि सिद्धिः स्यात्, हृश्यमात्रनियतत्वात् प्रत्यक्षवाधस्य । न च
हृश्यत्वनिवृत्तेरेव विपाणत्वनिवृत्तिः, अव्यापकनिवृत्तावव्याप्य
निवृत्तेर्योगात्, विपाणगतकार्यत्वप्रयुक्तत्वाच्च हृश्यत्वव्याप्तिः ।
तेन तन्निवृत्तावपि नाकार्यस्य शृङ्गस्य निवृत्तिरिति ।

तच्च महार्यसिद्ध्या कुतकृत्यस्य न परिभ्रंशाय, निष्प्रयो-
जनविषयत्वात् । तथापि मम्मावितस्याकीर्तिभिया नोपेकामर्हति

इसके बाद पूर्वोपस्थापित प्रमाणोंसे दुर्बल हुए (उत्तर दे सकते हैं
असमर्थ हुए) प्रतिवक्षीकी तरफसे प्रतिवन्दी उपस्थित की जारही है ।
जैसे—

यदि इस प्रकार अदृश्य चेतन (ईश्वर) सिद्ध हो तो अदृश्य शश-
शृङ्गकी भी सिद्धि हो जाय । यदि कहो कि शशको शृङ्ग प्रत्यक्षवाधित
है तो ऐसा नहीं हो सकता है । क्योंकि प्रत्यक्षवाध हृश्यमात्रसे नियत
है । अर्थात् जो हृश्य है वही प्रत्यक्षद्वारा वापित हो सकता है । अतः
अदृश्य होनेके कारण शशशृङ्गमे प्रत्यक्षवाध नहीं दियाया जा सकता
है । एवं शशशृङ्गमे हृश्यत्वनी निवृत्तिमात्रसे शृङ्गत्वकी निवृत्ति नहीं
हो सकती । क्योंकि अव्यापकभी निवृत्तिसे अव्याप्यकी निवृत्ति नहीं
होती है । अर्थात् न हृश्यत्व शृङ्गत्वम् । व्यापक है और न शृङ्गत्व
हृश्यत्वका व्याप्त्य है । अतः इन दोनोंमें व्याप्त्यव्यापकभाव नहीं होनेसे
हृश्यत्वकी निवृत्तिसे शशशृङ्गमे शृङ्गत्वही निवृत्ति नहीं हो सकती है ।
एष, हृश्यत्वकी व्याप्ति शृङ्गगतकार्यत्वके कारण है । अर्थात् उसी
शृङ्गमें हृश्यत्व होता है, जो कार्य (वरदन) है । इसलिये हृश्यत्वकी
निवृत्ति होनेपर कार्यमूलशृङ्गही भले ही निवृत्ति हो जाय किन्तु अकार्य-
भूत शशशृङ्ग या नरशृङ्गकी निवृत्ति नहीं हो सकती है ।

(प्रतिवन्दिका निराकरण) उक्त प्रतिवन्दि मेरी हानिके लिये नहीं
हो सकती है । क्योंकि ईश्वररूप महान् प्रयोजन के सिद्ध हो चुकने
में मैं शतशत्यहो चुम्हा हूँ । एष प्रतिवन्दिका विषय निष्प्रयोजन भी

प्रतिवन्दिरिति चेत्, तर्हि मा भैषीरियमुन्मोच्यते । तथा श्वर्थतः स्वशिरःशृङ्गसाधनप्रवृत्त इदं प्रष्टव्यः—किं ते विषाण-शब्देनान्यदेव किञ्चिदभिप्रेतं रोमादि ? विषाणजातीयं वा द्रव्यम् ? प्रथमे सिद्धसाधनं लोकविरोधत्वं । लोके तद्विपरीतस्यै-वार्यस्य विषाणशब्देनाभिधानात् ।

द्वितीये त्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां संस्थानविशेषकार्यत्वात् व्यव-हारलदण्डायास्तदभिव्यक्तेः कथं तद्रहितेषु परमाणवादिषु तत्सम्भवः ? सम्भवे वा कथं न तत्र घटत्वादिकमपि ? ओमिति

होता है, क्योंकि उससे न स्वपक्षका साधन होता है और न परपक्षका दूषण ही हो पाता है । फिर भी यदि कहो कि—प्रतिष्ठाको प्राप्त व्यक्ति अपनी अकीर्तिके भयसे प्रतिवन्दिकी उपेक्षा नहीं कर सकता है, किन्तु उसका भी समाधान उसे करना ही पड़ता है—तो भय न करो, प्रति-वन्दिसे इसे भी हटा ही रहा हूँ । जैसे—

वस्तुके रूपमें अपने शिरपर शृङ्ग सिद्ध करनेके लिये तैयार हुए तुमसे यह पूछना है कि—क्या तुझे विषाण (शृङ्ग) शब्दसे रोम आदि कुछ और ही वस्तु अभिप्रेत है ? अथवा विषाणजातिका प्रसिद्ध द्रव्य अभिप्रेत है ? यहाँ प्रथमपक्षमें सिद्धसाधनदोष है और लोकविरोध भी होता है । अर्थात् सिरके बालको ही यदि विषाण समझ कर सिद्ध करते हो तो सिरपर बाल तो सिद्ध ही है, अतः उसका साधन करना व्यर्थ है । इसके अलावे विषाणशब्दसे बाल समझना लोकविरुद्ध भी है । क्योंकि लोकमें रोम आदिसे धिपरीत जो वस्तु है, उसीका विषाण-शब्दसे अभिधान होता है ।

यदि द्वितीयपक्ष लो, अर्थात् विषाणशब्दसे विषाणत्वजातिसे युक्त द्रव्य अभिप्रेत हो तो अन्यथा और व्यतिरेकद्वारा वह विषाणत्वजाति अवयव-सञ्जिवेशविशेषसे ही व्यवस्था होती है तथा उसकी अभिव्यक्तिका ज्ञान व्यवहाररूप लक्षणसे होता है । ऐसी स्थितिमें जहाँ (राश या नरके सिरमें) विशेषप्रकारका अवयव-सञ्जिवेश (संघटन) नहीं है, वहाँ अछोक शाशशृङ्गमें विषाणत्व या शृङ्गत्वजातिकी अभिव्यक्ति कैसे होगी ?

ब्रुयतः कथं न जातिसङ्करप्रसङ्गः ? कारणं विना कार्यसम्भव-
प्रसङ्गो वा । न वान्वयन्ति रेकी कार्यकारणभावे प्रमाणमिति
मयै समाकुलमेवाकुलमतेः । तस्मादतीन्द्रियं नित्यं वा विषाणु-
मेव न भवति, यद्य विषाणुं तत् प्रत्यवयाधितमेव, कुतस्तदनु-
मानात्मकाणाः ।

एवं तेहि नित्यं ज्ञानमित्यपि व्याहृतम्, इन्द्रियादिविकार-
मात्रव्यक्तिमात्रव्यद् गत्वात् ज्ञानत्वसामान्यस्येति चेत्, न, अत-

और उसमें शृङ्खलवका व्यवहार भी कैसे होगा ? यदि उक्त प्रकारके
अवयव-सम्बिन्दितके अभावमें भी शृङ्खलवजातिकी अभिव्यक्ति हो तो घटो-
चित अवयव-सम्बिन्दितसे रहित परमाणुओंमें भी घटत्वादि-जातिकी अभि-
व्यक्ति हा रुधा परमाणुओंमें भी घटडयवहार होते । यदि 'ओम्'शब्दसे
उक्त प्रसङ्गके वारीमें अपनी हीकृति छ्यक्त करो, अर्थात् विशेषप्रकारका
अवयव-सम्बिन्दित नहीं रहनेपर भी जातिकी अभिव्यक्ति जानो तो परस्पर
विरोधी जातियोंका भी एकत्र सङ्कर होने लगेगा । अथवा कारणके
विना भी कार्यकी उत्पत्ति होने लगेगी । इसके अलावे कार्यकारणभाव-
का निश्चय फरजेमें सर्वसम्भव अन्यथ व्यतिरेक भी प्रमाण नहीं हो
सकेगा । इसप्रश्नार तुम्हारे जैसे आकुलमति व्यक्तिका सर्व नियम द्विभ-
मिम हो जायगा ।

इसठिये अठीन्द्रिय (अटरय) या नित्य कोई विषाणु ही नहीं
होता है । और जैसा विषाण ढोकमें देखा जाता है, यह शश (यरहे)
ये या मानवके सिरमें प्रत्यक्ष प्रमाणसे याधित है । अतः शशशृङ्गके
या भरष्टहके अनुमानका अवसर ही कहां है ?

यदि कहो कि—इसप्रकार हो शशविषाणके समान नित्यहान भी
स्वरूप हो गया । क्योंकि शानत्वजाति भी इन्द्रियादि विकारोंसे ही
अधिकार होती हुई हेतु जानो है । अर्थात् इधरमें इन्द्रियादिके नहीं
होनेसे शान ही नहीं होगा । यदि उसमें भी इन्द्रियादि विकार मानें
जाय हो इन्द्रियादिसे अन्य होनेके कारण इधरका शान नित्य नहीं हो
सकेगा—हो यह नहीं यह सकते । कारण, शानत्व न हो नित्यश-

ज्ञानत्वात् अवदाक्षेपकत्वाच् । न हि मारुत्वस्य वन्ध्यात्मवद्
नित्यत्वस्याभावो ज्ञानत्वम्, अचेतनानामपि चेतनत्वप्रमङ्गात् ।

नापि नित्यत्वं ज्ञानत्वाभावमाविपेत्, ज्ञानत्वेनाविरोधाद्,
विरोधमूलस्य विपक्षे बाधकस्याभावात्, दर्शनादशेनयोश्चार्थप्रव-

भावरूप है और न तो नित्यत्वाभावका आक्षेपक (उपस्थापक) है ।
ऐसे ही नित्यत्व भी न तो ज्ञानत्वाभावरूप है और न तो ज्ञानत्वाभावका
आक्षेपक ही है । क्योंकि जिस प्रकार मारुत्व वन्ध्यात्मवका अभावरूप
है, उस प्रकार ज्ञानत्व नित्यत्वका अभावरूप नहीं है । क्योंकि यदि वैक्षणि-
की तो अचेतन वस्तु भी यदि अनित्य हो जैसे घटपटादि, तो उसमें
चेतनत्व (ज्ञानाधिकरणत्व) का प्रसङ्ग हो जायगा । क्योंकि चेतन
होनेके लिये अपेक्षित जो नित्यत्वाभाव, वह उसमें है ।

एवं, नित्यत्व ज्ञानत्वाभावको या ज्ञानत्व नित्यत्वाभावको आक्षित
भी नहीं कर सकता । क्योंकि न तो नित्यत्वको ज्ञानत्वके साथ विरोध
है और न ज्ञानत्वको नित्यत्वके साथ । कारण, विरोधका मूल है विपक्ष-
में बाधक होना, जिसका यहाँ अभाव है । अर्थात् “ज्ञान अनित्य ही
होता है, यह तुम्हारा पक्ष है । किन्तु “नित्य भी हो और ज्ञान भी हो”
इस विपक्षमें कोई बाधक नहीं होनेसे ज्ञानत्व और नित्यत्वमें कोई
विरोध नहीं है ।

यह कहना कि—जो जो ज्ञान होता है, वह सब अनित्य ही देखा
जाता है तथा जो नित्य आकाशादि है, वह ज्ञानस्मक भी नहीं देखा
जाता, इसलिये ज्ञान होना और नित्य होना परस्पर विरोधी है—तो
इसप्रकारका दर्शन और अदर्शन अर्थप्रबणत्व और अर्थप्रबणत्वरूप
उपाधिसे प्रयुक्त है । अर्थात् नित्य ही या अनित्य हो, जो सीधे अर्थ
(विषय) से सम्बद्ध है वह ज्ञान है, और जो सीधे विषयसे सम्बद्ध
नहीं है, वह ज्ञान नहीं है, जैसे इच्छा आदि । क्योंकि इच्छा
सीधे विषयसे सम्बद्ध न होकर ज्ञानके माध्यमसे ही विषयसम्बद्ध
होती है । इसीलिये यद्विपक्षक ज्ञान होता है, तद्विपक्षक ही इच्छा
होती है ।

उक्त उपाधि उसी प्रकार है, जैसे रूपत्व और अनित्यत्वके सम्बन्ध-

गत्वा प्रवणत्वोपाधिग्रस्तत्वात्, रूपत्वानित्यत्वयोश्चक्षुर्मन्त्रिग्राह्य-
व्यक्तित्वयत् ।

न चेन्द्रियादिविकारो ज्ञानत्वाभिव्यक्तिहेतुः, अर्थप्रवण-
व्यक्तिमात्रस्यैव तन्निरपेक्षस्य तथाभावात् । एतदनपेक्षस्य तस्या-
तिप्रसञ्जकत्वादिति ।

अथ क्षुद्रोपद्रवाः—केवलस्य कर्तृत्वे विश्वस्य वैश्वरूप्य-
व्याघातः, सततोत्पत्तिप्रसङ्गश्च । अदृष्टपेक्षायां कल्पनागौरवम्,

मे चक्षुर्मात्रप्राद्यत्वं उपाधि है । अर्थात् अनित्य होनेके कारण रूपत्व-
का व्यवहार नहीं होता किन्तु चक्षुर्मात्रप्राद्य होनेके कारण ही रूपत्वका
व्यवहार होता है । क्योंकि यदि अनित्य ही रूप हो तो नित्य होनेके
कारण जलपरमाणुका रूप भी असिद्ध हो जायगा । अत चक्षुर्मात्रप्राद्य
जो रूपत्वजाति, उससे युक्त होनेके कारण ही जलीयपरमाणुका भी
रूप सिद्ध होता है । उसीप्रकार ज्ञानके धारेमें जानना चाहिये ।

और यह कहना कि—इन्द्रियादिविकार ही ज्ञानत्वकी अभिव्यक्ति-
का हेतु है—ठीक नहीं है । क्योंकि इन्द्रियादिविकारोंसे निरपेक्ष अर्थ-
प्रब्रवणतामात्र (साक्षात् विषयसम्बन्धमात्र) ही ज्ञानत्वाभिव्यक्तिका
हेतु है । इसके विपरीत यदि अर्थप्रब्रवणतासे निरपेक्ष इन्द्रियादिविकारों-
को ही ज्ञानत्वका अभिव्यक्त माना जाय तो सुखादिमें अतिव्याप्ति हो
जायगी । अर्थात् सुख भी मनरूप इन्द्रियसे सम्बद्ध है, अत वह भी
ज्ञान कहलाने लगेगा । ऐसे मतानुसार तो अर्थप्रब्रवणताका अभाव होने
से ही सुखादिमें ज्ञानत्वकी प्रसक्ति नहीं हो सकेगी ।

ईश्वरसम्बन्धी कुछ क्षुद्र शब्दाओंका समाधान

इसके पाद ईश्वरसम्बन्धी कुछ क्षुद्र उपद्रवोंका वर्णन एव उनका
समाधान किया जा रहा है । जैसे, केवल ईश्वरको कर्ता माननेपर
सृष्टिमें विचित्रता नहीं हो सकेगी तथा ईश्वरके नित्य होनेसे प्रत्येक
वस्तुकी सदा उत्तिहास होने लगेगी । अर्थात् ससारकी सदा वस्तु एक जाति-
की हो जायगी तथा वस्तुओंकी उत्तिहासमें कोई व्यग्न नहीं रह सकेगा ।
यदि उच्छ दोषोंके परिहारये लिये कारणके रूपमें अदृष्टकी भी अपेक्षा

तत एव तदुत्पत्तेः । स्वार्थं प्रवृत्तावनीश्वरत्वप्रसङ्गः । परार्थ-
प्रवृत्तावदुःखमयसर्गप्रसङ्गः । एवमेव प्रवृत्तावचैतन्यम् । एकत्वे
प्रमाणाभावः । अनेकत्वे त्वमावैज्ञ्यम्, प्रतिनियतसामग्रीविज्ञ-
त्वादित्येवमादयः ।

तत्र कारणचक्रस्येकमुपादाय शेषवैयर्थ्यं प्रमञ्जने सर्ववैयर्थ्य-
प्रसङ्गः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धकारणभावस्य न वैयर्थ्य-
मिति चेत्, अनुमितकारणभावस्याप्येवम्, प्रमाणसिद्धत्वाविशेषात् ।

की जाय तो ईश्वरकी कल्पना करनेमें गौरव दोष है । क्योंकि उस अद्वृष्ट-
से ही सृष्टिकी उत्पत्ति मान लेनेमें लाघव है । एवं सृष्टि करनेमें ईश्वर-
का अपना कोई प्रयोजन हो तो अपूर्ण होनेके कारण उसका ईश्वरत्व ही
नहीं रह जायगा । अर्थात् वह इम लोगोंके समान संसारी हो जायगा ।
यदि दूसरे दूसरोंकी प्रयोजनसिद्धिके लिये सृष्टिमें ईश्वरकी प्रवृत्ति
हो तो उसे दुःखमय सृष्टि नहीं करनी चाहिये । किन्तु परहितकी
उष्टिसे सबको सुखी ही उत्पन्न करना चाहिये । यदि अपने या
दूसरोंके किसी प्रयोजनके बिना ही सृष्टिमें उसकी प्रवृत्ति हो तो वह
जब या उन्मत्त हो जायगा । एवं उस ईश्वरके एक होनेमें कोई प्रमाण
नहीं है । अर्थात् ईश्वरको सिद्ध करनेवाले प्रमाण उसके एकत्व
को नहीं बताते हैं । अतः यदि ईश्वर अनेक हो तो सबके सब पृथक्
पृथक् नियत सामग्रीके हाता होनेके कारण असर्वज्ञ हो जायेगे । अर्थात्
पृथिवीका निर्माता ईश्वर केवल पृथिवीके ही उपादानोंका हाता होगा
और अद्कुरका निर्माता केवल अद्कुरके ही उपादानोंका हाता होगा ।
इस प्रकार सभी ईश्वर अल्पज्ञ हो जायेगे ।

यहाँ यदि कारणसमूहके अन्तर्गत किसी एक कारणको लेकर शेष-
कारणको ठियर्थ कहा जाय तो उसी न्यायसे सभी कारणोंमें वैयर्थ्यका प्रसङ्ग
हो जायगा । अर्थात् अद्वृष्टको लेकर ईश्वरमें वैयर्थ्यका आपादन यदि
उक्त प्रकारसे किया जाय तो कारणको लेकर कर्ममें और कर्मको लेकर
करणमें तथा इसीप्रकारसे और और कारकोंमें भी वैयर्थ्यका प्रसङ्ग हो
जायगा ।

यच्च यदनुगुणात्मेन कलिपतं तस्य तेनैव पिफलीकरणे सर्वत्रादृष्ट-
मुपादाय दृष्ट्वैकत्यप्रसङ्गः । तथा च तदपि न स्यात्, प्रमाणा-
मावात् । दृष्टेन हृष्टमुश्नीयते ।

परार्थं च प्रवृत्तिः स्वार्थभावात् । न च तुःखस्तुष्टया
कारुण्यापवादः, जनकाध्यापकचिकित्सकादिषु व्यभिचारात् ।

अथ दौर्जन्यादेव किं नैवमिति चेत्, न, दोपभावात् ।

यदि कहो कि—प्रत्यक्ष अन्यथ और व्यतिरेकद्वारा जिसमें कारणत्व सिद्ध है, उसमें वैयर्थ्यका प्रसङ्ग नहीं होगा—तो अनुमानसे जिसमें (ईश्वरमें) कारणता सिद्ध है, उसमें भी इसीप्रकार वैयर्थ्य नहीं होगा । क्योंकि दोनोंमें समानहृपसे कारणता सिद्ध है । एवं, जो जिसके उपजीव्यके रूपमें कलिपत होता है, वह यदि उसीके द्वारा व्यर्थ कर दिया जाय तो सर्वत्र अदृष्टको लेकर हृष्टकारणोंमें वैफल्यका प्रसङ्ग हो जायगा । अन्ततः वह अदृष्ट भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसे सिद्ध करनेयाला कोई प्रमाण नहीं है । कारण, हृष्टसे ही तो अदृष्टकी कल्पना की जाती है । तात्पर्य यह है कि अदृष्ट का अधिष्ठाता-हृपमें ही ईश्वर सिद्ध होता है । अतः उसीपे द्वारा ईश्वरको अन्यथा-सिद्ध नहीं किया जा सकता है । क्योंकि वैसा करनेपर उपजीव्य-विरोध होता है । अदृष्टका अधिष्ठाता होनेके कारण ईश्वर अदृष्टका उपजीव्य है ।

एवं, स्थितें ईश्वरकी प्रवृत्ति परार्थ होती है । क्योंकि पूर्णकाम होनेसे उसे अपना कोई स्वार्थ नहीं है । यहाँ यह नहीं कह सकते कि—तु यमय सुष्टि करनेवे कारण ईश्वरमें कारुण्यसा अभाव हो गया—क्योंकि पिता, अध्यापक और चिकित्सकमें उक्त कथनका व्यभिचार दृष्टा जाता है । अर्थात् पिता आदि अपने पुत्र, शिष्य और राणीके हितके लिये उनमें तादेनादिद्वारा दुःख दत्तना करते ही हैं, फिर भी उनमें कारुण्यसा अभाव कोई नहीं मानता है ।

यदि कहो कि—कुटिलतावरा ही ईश्वरद्वारा तु यमय स्थितिका किया जाना क्यों न माना जाय—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि कुटिलवा का कारण रागद्वेषात्मक दोष है और ईश्वरमें उस दोषका अभाव है ।

तदमावश्च मोहाभावात्, तदमावोऽपि सर्वज्ञत्वादिति ।

एकद्वयगुणकारी च परमाणुमद्यसुपकार्यज्ञगुणकादिभोग-
पर्यन्तं द्रव्यादिपट्कं च जानाति नूनमित्यविवादम्, एषामुपादा-
नादिरूपत्वात् ।

अबच्छेद्यावच्छेदकभावापरिज्ञानेन वोपादानादिपरिज्ञानानु-
पत्तेः । यथ यज्ञातीयमेकं कर्तुं ज्ञातुं वा समर्थः स तज्ञातीयं
सर्वमेवेति नियमः, सामर्थ्यस्य जातिनियतत्वात् । केवलं समर्थो-
तथा दोपका अभाव भी उसमें इसलिए है कि उसमें मोह (अज्ञानता)
का अभाव है । और मोहका अभाव भी उसके सर्वज्ञ होनेके कारण
है । अर्थात् सर्वज्ञ ईश्वरमें अज्ञानता आ कैसे सकती है ?

एवं, एक द्रव्यगुणक वनानेवाला ईश्वर परमाणु, अद्यत वथा द्रव्यगुणक-
से किये जानेवाले व्यगुणकादि-वस्तुओंके भोगपर्यन्त द्रव्य, गुण, कर्म,
सामान्य, विशेष और समवायरूप द्वारा पदार्थोंको निश्चित ही ज्ञानता है,
यह निर्विवाद है । जैसे, कुम्भकार कपाल चक्रादिसे लेकर बनाये जाने
वाले घटके उपभोगतत्कर्त्ता सम्पूर्ण प्रक्रियासे अवगत रहता है । यहाँ
द्रव्यगुणकरूप कार्यके विप्रति परमाणु उपादानरूप है और अद्यतादिक
निमित्त रूप है । अर्थात् उपादान-निमित्तादिके ज्ञानके बिना कोई
कर्ता हो ही नहीं सकता है ।

पट् पदार्थान्तर्गत सामान्य (जाति) का भी ज्ञान इसलिये रहता है
कि व्यक्ति और जातिके पारस्परिक अवच्छेद्यावच्छेदकभावका ज्ञान हुए
यिना “अमुकका उपादान या निमित्त कारण अमुक है” इसका भी परि-
ज्ञान असंभव है । अर्थात् किसी कार्यको करनेवालेके लिये अनुगतरूप
(जाति) से अवच्छिद्यन्न (युक्त) कार्य-कारणका ज्ञान आवश्यक है । इस
प्रकार कार्यतायच्छेदक और कारणतायच्छेदकरूपमें सामान्य (जाति)
का भी ज्ञान रहता है । एवं, जो कर्ता जिस जातिके एक कार्यको करने-
में या जाननेमें समर्थ रहता है, वह उस जातिके समस्त कार्यको ही
करने या जाननेमें समर्थ रहता है, यह नियम है । कर्तुगत सामर्थ्य भी

अपि सहकार्यसन्निधेर्न कुर्यान्न जानीयात् । तत्र प्रथममिष्यते,
कार्यस्य कालदेशनियमोपलभात् ।

द्वितीयस्तु सम्भवेदपि यदि कार्यमस्य ज्ञानं स्यात्, न च
तत्त्वा । कथमिति चेत्, शरीरापाये तदाश्रितानामिन्द्रियादीना-
मपायात् ।

न चान्वयव्यतिरेकसिद्धेतुभावस्याभावेऽपि हेत्वन्तरात्
कार्यजन्म, निहेतुकत्वप्रसङ्गात् । न चाहेतुकं कार्यं नाम ।

जातिनियत होती है । इसलिये एक आत्मामें सब कार्यके करने या
जाननेमें भले ही व्यभिचार हो, फिर भी लाघववश आत्मतत्त्वरूपसे ही
कार्यमात्रको करने या जाननेमें आत्माको चोग्य माना जाता है । अकेले
करने या जाननेमें समर्थ होता हुआ भी सहकारीका सन्निधान नहीं होने-
के कारण ही नहीं करेगा और नहीं जानेगा । यहाँ ईश्वरके सम्बन्धमें
पहली बात तो मानते हैं, क्योंकि किसी कार्यकी उत्पत्तिमें काल और
देशका नियम देखा जाता है । अर्थात् कोई भी कार्य किसी नियत
काल देश (स्थान) में ही उत्पन्न होता है । अतः जबतक यह समय
और स्थान नहीं प्राप्त होगा सबतक समर्थ होता हुआ भी ईश्वर उस
कार्यको नहीं करेगा ।

द्वितीय बात तो संभव भी होती यदि ईश्वरीय ज्ञान कार्य (जन्य)
होता । अर्थात् जन्यज्ञान ही सहकारीके असन्निधानमें नहीं हो सकेगा ।
ईश्वरीयज्ञान तो जन्य है नहीं किन्तु नित्य है । यदि पूछो कि—ईश्वर-
का ज्ञान जन्य क्यों नहीं है ? तो इसलिये कि शरीरके नहीं होनेसे
शरीराश्रित इन्द्रियोंका ईश्वरमें अभाव है और ज्ञान उत्पन्न होनेके द्वेषु
इन्द्रियोंही हैं ।

और यह भी नहीं हो सकता है कि—जिनकी (इन्द्रियोंकी) देतुता
अन्यव्यतिरेकसे सिद्ध है, उनके अभावमें भी अन्य देतुसे कार्यकी
(ज्ञानकी) उत्पत्ति हो जाय—क्योंकि अन्यव्यतिरेकसे सिद्ध देतुके
अभावमें भी कार्यकी उत्पत्ति होनेपर यह ज्ञानादि कार्य निहेतुक हो
जायगा । जब कि संसारमें कोई भी कार्य अहेतुक (विना देतुका)

ततः सिद्धैवास्य ज्ञानचिकीप्रियत्नशक्तिर्दगोचरा तज्जातीय-
समस्तगोचरेति सार्वज्ञसिद्धिः ।

शरीरापाय एव कथमिति चेत्, दृश्यस्य प्रत्यक्षवाधित-
तत्वात्, अदृश्यस्यापि सावयवतया मूर्ततया च निविडतर-
पायाणमध्यवर्तिनि मेकादौ^१ कार्ये कर्तव्ये नाभगतस्य प्रवेशः ।
न च परमाणुरूपं तच्छरीरम्, अनन्तरालत्वेन निर्मनस्करतया
इन्द्रियाश्रयत्वानुपपत्तेः । न च वहिर्वृत्तिं मनो ज्ञानजननोप-
योगि, शरीरवैयर्थ्यप्रसङ्गात् ।

नहीं होता । इसलिये ईश्वरकी ज्ञानशक्ति, चिकीर्णशक्ति और
प्रयत्नशक्ति स्वरूप सिद्ध अर्थात् नित्य ही है । तथा वह ज्ञानादिशक्ति
चाद्यविषयक होती है, वह उस जातिकी समस्त वस्तुओंको विषय करती
है । इस प्रकार ईश्वरमें सर्वज्ञताकी सिद्धि हो जाती है ।

यदि पूछो कि—ईश्वरको शरीराभाव ही क्यों है ?—तो इसलिये कि
ईश्वरमें दृश्य शरीरका होना प्रत्यक्षप्रमाणसे बाधित है । यदि अदृश्य
शरीर हो तो उस शरीरके सावयव और मूर्त होनेके कारण अत्यन्त
सघन पत्थरके भीतर रहनेवाले मेढ़क आदिको पैदा करनेके
ईश्वरका वह अदृश्य शरीर भझ छुए बिना पत्थरमें प्रविष्ट नहीं हो
सकेगा । यह भी नहीं कह सकते कि—परमाणुरूप वह शरीर है,
इसलिये पत्थरमें प्रवेशके लिये उसके भझका प्रसङ्ग नहीं आता—क्योंकि
परमाणुरूप शरीरके निश्छिद्र होनेके कारण उसमें मन नहीं रह सकेगा
तथा शरीरका इन्द्रियाश्रयत्वरूप लक्षण उसमें नहीं मिल सकेगा । यह
भी नहीं हो सकता कि—शरीरके अन्दर बिना रहे ही बाहर ही रहता
हुआ मन ज्ञानादिकार्य करने में उपयोगी होगा—क्योंकि उस स्थितिमें
शरीरका मानना ही व्यर्थ हो जायगा । अर्थात् शरीरकी यही उपयोगिता
है कि मन आदि इन्द्रिया उसमें रहती हुईं कार्य उत्पन्न कर सके ।
अतः शरीरके बाहर मनका रहना माना जाय तो शरीर मानना व्यर्थ
होगा ।

न च दविष्ठ एव सूर्यादिस्त्रत् कुर्यादिति साम्प्रतम् ।
कारकानविष्टानात्, शरीरस्य तदायतनतया प्रयत्नस्थाप्या-
एकत्वात् । तथापि व्यापकत्वे त्वसमवायिकारणाननुरोधेना-
कारणकतया तदेव नित्यत्वम् ।

न चोदेशमात्रसम्बन्धेन कियाहेतुत्वम्, अस्मद्दिप्रयत्न-
स्यापि तथाभावप्रसङ्गात् ।

यह भी नहीं कह सकते कि—ईश्वरीय-शरीरको पापाणान्तर
प्रवेशकी आवश्यकता नहीं है किन्तु अतिदूरवर्ती सूर्यादि शरीरसे ही
बहु पापाण मध्यवर्ती मेढक आदिको उत्पन्न करेगा—योकि तभ वह
मेढकको उत्पन्न करनेवाले कारकोंका अधिष्ठाता नहीं हो सकेगा।
अर्थात् उनमें व्यापारका आघात नहीं कर सकेगा। योकि उन कारकों
का स्थान वह मेढक शरीर है, तथा ईश्वरीय प्रयत्नका स्थान दूरवर्ती
सूर्यादिका शरीर होनेसे ईश्वरीय प्रयत्न अव्यापक है। अर्थात् मेढक-
शरीरको उत्पन्न करनेवाले कारकों तक ईश्वरीय प्रयत्नके नहीं पहुँच
सकनेके कारण सूर्यादिशरीरगत ईश्वरीय प्रयत्नसे पापाणान्तरमें
में व्यापार नहीं हो सकेगा तथा व्यापारके अभावमें पापाणके भीतर
मेढकशरीरकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी।

तथापि यदि ईश्वरीय प्रयत्नका व्यापक यानो अर्थात् सूर्यपदसे
नित्य एव व्यापक प्रयत्नोंसे युक्त ईश्वर ही तो-तो व्यापक होनेके कारण
उस ईश्वरीय प्रयत्नके प्रति कोई (इच्छायोग) असमवायिकारण
घटपेक्षित नहीं होगा। अत असमवायिकारणवे अभावमें सर्वथा कारण
रहित होनेके कारण ही ईश्वरका प्रयत्नादि नित्य सिद्ध हो जाता है।

ऐसा नहीं हो सकता कि—सूर्यादिरूप ईश्वरीय शरीरके दूरवर्ती
होनेपर भी केवल इच्छाका विषय होनेके कारण ही अव्यापक भी
ईश्वरीय प्रयत्न पापाणान्तरात् मेढकको उत्पन्न करनेवाले कारकोंमें किया
उत्पन्न कर देगा—योकि यदि वैसा हो तो हमारा भी प्रयत्न इच्छामात्र
से दूरवर्ती कारकोंमें किया उत्पन्न करने लगेगा। अर्थात् इच्छामात्रसे
दूरवर्ती कुम्भकार भी चक्रादि चलाकर घट उत्पन्न करने लग जायेगा,
जो प्रत्यक्षप्राधित है।

न च संयुक्तसंयोगादधिष्ठानम्, साक्षादधिष्ठानस्य विवक्षितत्वात् । विषापनोदादौ कथमिति^१ चेत्, न, तत्रास्मदादेव्याज्ञिनमात्रं प्रति यत्नस्याविरोधात् । विषापनोदादौ तु तत्रत्यो यत्नः क्रियाहेतुरिति ।

सर्गादौ तु न शरीरगन्धोऽपीति सर्वथा कलेवरविगमाद-कारणतया बुद्धेः सर्वज्ञत्वमनिवार्यं विश्वेषां कर्तुरेकस्येति ।

“संयुक्त-संयोगसे भी ईश्वर पापाणान्तर्गत भेकको उत्पन्न करनेवाले कारकोंका अधिष्ठाता नहीं हो सकता । अर्थात् सूर्यादिरूप ईश्वरीय-शरीरसे संयुक्त आकाश है तथा उस आकाशसे संयुक्त भेकजनक कारकचक्र होगा, इसप्रकार परम्परया ईश्वर उन कारकोंका अधिष्ठाता हो जायगा” यह भी नहीं हो सकता । क्योंकि वस्तुको उत्पन्न करनेके लिये कारकोंका साक्षात् अधिष्ठाता होना ही अपेक्षित है न कि परम्परया । यदि पूछो कि—विषादिको हटानेमें गारुडिक दूरसे ही कैसे अधिष्ठाता हो जाता है ?—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि वहाँ गरुडदेवताके ज्ञानमात्रके प्रति दूरबर्ती हमारे प्रयत्नके कारण होनेमें कोई विरोध नहीं है । अर्थात् वहाँ गारुडिकद्वारा किये गये मन्त्र-पाठादिसे गरुडदेवताको सर्पद्वारा काटे गये व्यक्तिका ज्ञान हो जाता है और वह व्यक्ति जी जाता है । अतः दूरबर्ती प्रयत्नसे दूरबर्तीको ज्ञान होनेमें कोई विरोध नहीं है । किन्तु यिष उत्तरनेमा जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ तो मन्त्रादिपाठके सहकारी अध्यवा मन्त्रादिपाठसे अदृष्ट-के सहकारी किसी अन्यका अर्थात् ईश्वरका ही प्रयत्न, जो विषादतरण स्थलमें ही है, विषके उत्तरनेका हेतु है ।

किन्तु सृष्टिके पूर्वमें तो सूर्यादिशरीरकी गन्ध भी नहीं है कि ईश्वर उसकेद्वारा भी अधिष्ठाता होकर सृष्टि कर सकेगा । इसलिये सर्वथा ही शरीररहित होनेके कारण ईश्वरीयज्ञान किसी हेतुसे उत्पन्न हुआ नहीं सिद्ध होता, अतः विश्वके कर्ता ईश्वरका सर्वज्ञ होना अनिवार्य है । अर्थात् ईश्वर विना शरीरके ही अधिष्ठाता है, यह वात सिद्ध हो जाती है । तथा उसमें ज्ञानका कारण शरीर नहीं होनेसे शरीरके अधीन

१. ‘‘शरीरस्य दूरस्पत्यवादिति भावः’’ इति वलिकातामुद्दिते टिप्पणी ।

अस्तु तावदसौ सर्वज्ञः कर्ता, वक्ता तु कथमिति चेत्, न, बचनशक्ती सत्यां परार्थैकतानत्वात् । यो हिताहितविभागं विद्वान्, परार्थभिग्रायः सन्(स)स्थानकरणपाट्वे सत्यविदुपेऽचक्षयमुपदिशेत्, यथा अन्धाय दक्षिणेन याहि चामेन मा गाः इति पृथग्जनोऽपि, तथा भगवानिति ।

स्थानकरणपाट्वमसिद्धं देहामावात्, तेषां ताल्वादिविष्णु चादिरूपत्वात् । न च तदन्तरेण वर्णनिष्पत्तिः, तदुत्पत्ते रदधारणात् ।

न च तत्कारणान्यनविष्टुतः तत्कर्तृत्वमोश्वरस्यापीति

होनेवाला विषयविदेषका प्रतिबन्ध (नियम) भी हट जाता है । इसप्रकार ईश्वरकी सर्वज्ञता स्वतः सिद्ध हो जाती है ।

ईश्वरमे वेदवक्तुत्वसिद्धि

यदि कहो कि—जगत्का कर्ता सर्वज्ञ भले ही हो, किन्तु वेदका वक्ता वह कैसे है ?—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि ईश्वरमें बचने की शक्ति है तथा वह परार्थमें ही सदा निरत है, इसीलिये वह वेदका उपदेश करता है । क्योंकि जो हित और अहितके विभागको जानता है, तथा जिसके कण्ठ-तालु आदि स्थान एव स्वृत-विवृत आदि प्रयत्न ठीक हैं, वह परोपकारके अभिग्रायसे अज्ञानी व्यक्तिको अवश्य ही उपदेश देगा । जैसे, किसी अन्धे व्यक्तिको “दाहिनेसे जाओ बायेसे मत जाओ” ऐसा पासर जन भी उपदेश देता है । इसीप्रकार भगवान् भी अज्ञानी जनके लिये उपदेश करता है ।

यदि कहो कि—ईश्वरको वेद नहीं होनेसे उसमें स्थान और प्रयत्न की पड़ता असिद्ध है । क्योंकि तालु आदिक ही स्थान है और उसका विवृत आदि होना ही प्रयत्न है, जो ईश्वरमें नहीं है । एव, स्थान-प्रयत्नके अभावमें ककारादिवर्णोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । क्योंकि वर्णोत्पत्ति और तालु आदि स्थानोंमें कार्यकारणमावका निश्चय है ।

वर्णोत्पत्तिके कारणभूत ताल्वादिका अधिष्ठाता हुए विना वर्णोंका ॥

चेत्, न, यस्य कार्यस्य यत् कारणमन्वयव्यतिरेकसिद्धं तत्कारणाधिष्ठानयोः स्थूलसिद्ध्यर्थं तदवयवपरम्पराकारणाधिष्ठानवदवश्यम्भावनियमात् । न च सर्वत्र कायें कायः कारणमिति प्राणुपेक्षितः । पितृत्वाद् वोपदेशानुमानम् ।

तथापि कर्तम् आगमस्तेन प्रणीत इति चेत्, वेदायुवेदादिरित्यरिकरिकर्णज्वरः सिद्धनादः । तथाहि, न तावदयमायुवेदोऽप्रमाणम्, सवादस्य प्रायिकत्तमात् । विसंवादस्य काकतालीयतया कर्तुकर्मसाधनवैगुण्यहेतुकत्वात् । पुनस्तत्रसाद्गुण्ये तत एव फलसिद्धेः । न च निर्मूलस्तथा भवितु-

भी ईश्वर नहीं हो सकता है—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि जिस कायकर जो कारण अन्वय व्यतिरेक द्वारा सिद्ध है, उस कारणकी तथा उसके अधिष्ठाताकी सत्ता ऐसे ही अनिवार्य है, जैसे स्थूल अवयवीकी सिद्धिके लिये उसके अवयवधारारूप कारण एवं उसके अधिष्ठाताकी सत्ता अनिवार्यरूपसे सिद्ध होती है । किन्तु सभी कार्यके प्रति शरीर कारण नहीं होता, इसीलिये पूर्वमें दृश्यणुकादि उत्पन्न करनेमें अथवा अहुकुरादि उत्पन्न करनेमें ईश्वरको शरीरका होना अस्थीकार कर दिया गया है । अथवा जगत्का पिता होनेके कारण लौकिक पिताके समान जीवरूप पुत्रके प्रति ईश्वरीय उपदेशके रूपमें वेदका अनुमान करते हैं । क्योंकि जो पिता होता है, वह अपने पुत्रको हिताद्वितका उपदेश करता ही है, यह व्याप्ति है ।

पिर यदि पूछो कि—ईश्वरने कौनसा आगम बनाया?—तो “वह वेद-आयुवेद आदिक ही आगम है, जिसका ईश्वरने प्रणयन किया” ऐसा रात्रुरूपी हाथीको कर्णज्वर उत्पन्न कर देनेवाला हमारा सिद्धनाद है ।

कारण, यह आयुवेद अप्रमाण नहीं है । क्योंकि आयुवेदकी सफल प्रवृत्तिजनकता प्रायः देखी जाती है । अर्थात् आयुवेदका प्रयोग प्रायः निष्पल नहीं होता । यदि कहीं उसकी निष्पलता देखी भी जाती है, तो वह काकतालीय है तथा कर्ता, कर्म एवं साधनके वैगुण्यके कारण है । पुनः जब ही कर्ता, कर्म एवं साधनमें साद्गुण्य (गुणवत्ता या

कोऽतिशयः ? सर्वदर्शनान्तःपातित्यम् । कस्तैः परि-
ग्रहः ? तदर्थानुष्ठानं, स्वीकृतव्यवहारव्याकरणादिपालनी-
पत्व, स्वीकृतप्रामाण्यायुवेदादिस्वीकृतार्थत्वं च ।

(प्रश्न)—अतिशय क्या है ?

(उत्तर)—सभी दर्शनोंके अन्त पाती होना अतिशय है । अर्थात् न्याय मीमांसा प्रभृति जितने भी दर्शन हैं, उनमें प्रतिपादित स्वर्गीपवर्गीदि सुरथ विषयोंको स्वीकार करनेवाले जन ही अतिशय को प्राप्त हुए महाजन हैं । अथवा न्याय आदि दर्शनोंका ज्ञान ही अतिशय है । सौतादि दर्शनाभास है न कि दर्शन है, अत उनका ज्ञान अतिशय नहीं है ।

(प्रश्न)—अतिशयको प्राप्त न्यायादिके ज्ञाता बहुत जनोद्धारा किया जानवाला परिमह क्या बत्तु है ?

(उत्तर)—निषेक प्रभृति वैदिक अर्थोंका उन सभीवेद्वारा अनुष्ठान किया जाता है, इसलिये वेद महाजन परिगृहीत हुए । वीद्वादि आगमोंमें प्रतिपादित मण्डलीकरण केशोल्लङ्घन प्रभृति अर्थोंका अनुष्ठान उन महाजनोद्धारा नहीं होता है, अत वे आगम महाजन परिगृहीत नहीं हुए । इसीलिये महाजन परिगृहीतव्यहेतुसे वेदको सर्वज्ञ प्रणीत सिद्ध करनेमें वीद्व आगमोंको हेतुकर व्यभिचारदोष नहीं आयगा । और न उन आगमोंका सर्वज्ञ प्रणीत होना सिद्ध होगा । परिमहका यह एक अर्थ है ।

परिमहका दूसरा अर्थ यह है कि जिन पाणि-यादि प्रणीत व्याकरणोंका प्रामाण्य सभी मानते हैं उन व्याकरणोद्धारा हमारे वेदके विशेष विशेष पदाका व्युत्पादन किया गया है । इसलिये भी हमारे वेद महाजनपरिगृहीत हुए । इसप्रकार पाणि-यादि व्याकरणद्वारा तुम्हारे आगमके विशेषपदोंका साधन नहीं किया गया है, इसलिये भी वे महाजन परिगृहीत नहीं हैं ।

एवं, जिस आयुर्वेदशास्त्रका प्रामाण्य सभीने स्वीकार किया है, उस

तथाहि, नास्त्येव तदर्शनं यत्र सांघृतमित्युक्त्वा पि गर्भाधानाद्यन्त्ये एष्यर्यन्तां वैदिकीं क्रिया जनो नानुतिष्ठति, स्पृश्यास्पृश्यादिविभागं वा नानुमनुते, व्यतिक्रमे चाऽऽचमनादिप्रायाश्चेत्तं वा नानुतिष्ठति ।

न सर्वत्र सर्वो जन एवमिति चेत्, मा भूत । न हि सर्वैरोगिभिरायुर्वेदार्थो नानुष्टीयत इति न तस्य महाजनपरिग्रहः, अपि तु सर्वदर्शनान्तःपातिभिरित्येव ।

आयुर्वेदशास्त्रने भी वेदोक्त विषयोंका विधान किया है। जैसे, “शतकृत्वो गायत्रीमध्यस्य नीरुग् भवति” ऐसा आयुर्वेदशास्त्रमें लिखा है। तथा वह गायत्री वेदका ही अंश है न कि बौद्ध आगमोंका। यह परिग्रहका तीसरा अर्थ है।

उक्त तीनों प्रकारके परिग्रहोंमें महाजनोंद्वारा वेदार्थानुष्ठानरूप प्रथम परिग्रह इस प्रकार है—जैसे, ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है, जिसको माननेवाला व्यक्ति वैदिक क्रियाका अनुष्ठान न करता हो। यहाँ तक कि ब्रह्मातिरिक्त सब विषयको अधिदाक्षिण्य कहनेवाले वेदान्ती जन भी गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टि तक वैदिक क्रियाओंको नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। या कोई भी दार्शनिक जन वेदोक्त स्पृश्यास्पृश्यविभागको न स्वीकार करता हो अथवा अस्पृश्यस्पर्शरूप व्यक्तिक्रम हो जानेपर आचमन-स्नान आदि प्रायशिच्चत्त न करता हो, यह बात नहीं है।

यदि कहो कि—सभी दर्शनोंके सभी व्यक्ति तो वैदिक क्रियाओंका अनुष्ठान नहीं करते हैं—तो वैसा भले ही भत हो। क्योंकि सभी रोगी दवाका सेवन नहीं करते इससे वह शास्त्र महाजनपरिगृहीत नहीं है, ऐसा नहीं हो जाता। किन्तु महाजनपरिगृहीत इतने ही से हो जाता है कि सभी दर्शनोंके अधिकांश लोग वेदोक्त अर्थोंका अनुष्ठान करते हैं। “किर भी सभी वैदिक विधानोंका अनुष्ठान तो वे लोग भी नहीं करते” यदि ऐसा कहो तो, भले ही वैसा न हो, उससे कोई क्षति नहीं

मर्हति, अतिप्रसङ्गात् ।

न चात्मयब्यतिरेकमावोऽस्य मूलम्, आवापोद्धापेन योगानामनन्तयाऽर्थाचीनेनाशक्यत्वात् । विषादौ तथाकरणे चहुतरानर्थप्रसङ्गात् । कः प्रेक्षावाननाकलितवस्तुतनः पाटन-प्लोपणच्छेदनक्षारणशिरावेधनलहृनादि योग्यायै^१ कारयेत्, कुर्याद् या ।

न चोपदेशस्योपदेशपारम्पर्यमात्रं मूलम्, अवश्यमुपदेशस्य इत्यचित् प्रमाणे विश्रान्तेरिति हि च्यासेः । न च नित्यागम-निदोषता) आ जाता है, तब ही उस आयुर्वेदिक प्रयोगसे ही आरोग्य-रूप फलकी सिद्धि हो जाती है । इसप्रकार सर्वविदित आयुर्वेदकी प्रमाणता निर्मूल नहीं हो सकती । क्योंकि तब निर्मूल अनाप्तवान्य भी प्रमाण होने लगेंगे ।

अन्य और व्यतिरेकको आयुर्वेदके प्रामाण्यका मूल नहीं कहा जा सकता । क्योंकि जड़ियोंके आवाप (प्रज्ञेप) और उद्घाप (उल्केप) के द्वारा आयुर्वेदिक योगोंके अनन्त प्रकारके हो जानेके कारण हम योगोंके द्वारा रोगोंके प्रति उनके अन्यब्यतिरेकका प्रत्यक्ष करना सर्वथा अशक्य है । साथ ही विषादिके सम्बन्धमें स्वयं प्रत्यक्ष करनेमें प्राणनाश आदि अनेक प्रकारके अनर्थोंकी भी आपत्ति हो जायगी । क्योंकि कीन ऐसा दुद्धिमान् होगा जो वस्तुस्थितिको जाने विना केवल परीक्षाके लिये अपने आपके ऊपर पाटन, प्लोपण, छेदन, क्षारण, शिरोवेधन तथा लक्षण आदि प्रयोगोंको दूसरोंसे करायेगा या स्वयं करेगा ?

यह भी नहीं हो सकता कि—आयुर्वेदिक उपदेशका मूल अन्य-ब्यतिरेक नहीं है किन्तु उपदेशकी पूर्वपरम्परा ही उसका मूल है—क्योंकि अन्ततोगत्वा उस पूर्ववर्ती उपदेशको भी नियमत् किसी प्रमाणमें हो विश्रान्त मानना पड़ेगा । अर्थात् प्राथमिक उपदेशकर्ताके द्वारा किये गये साक्षात्कारको ही परवर्ती उपदेशके प्रामाण्यका मूल मानना पड़ेगा ।

१. योग्यायै=शिकायै इति दीधिति ।

सम्भवो वाक्यत्वात् । तस्मादतीन्द्रियार्थदर्शिष्पूर्वकोऽयमिति परिशेषः । तथा चानेन दृष्टान्तेन महाजनपरिगृहीतत्वाद् चेदा अपि सर्वज्ञपूर्वका इत्युच्चीयते ।

ननु महच्छब्दोऽत्र यदि प्रामाणिकवचनस्तदा सन्दिग्धासिद्धविशेषणो हेतुः । अथ वह्यर्थः ? तदा सुगताद्यागमैरनेकात्तः । तेपामपि वा सर्वज्ञपूर्वकत्वे^१ मिति चेत्, न, बहुत्वातिशयस्य विवक्षितत्वात् ।

यह भी सम्भव नहीं है कि नित्य होनेके कारण आगम किसी मूलकी अपेक्षा किये विना स्वय हो प्रमाण होगा—क्योंकि वाक्य होनेके कारण अन्य वाक्योंकी तरह वह भी अनित्य ही है । इसलिये परिशेषात् यही सिद्ध होता है कि यह आयुर्वेदका योग किसी अतीन्द्रियार्थ दर्शनके द्वारा ही व्यक्त किया गया है । इसप्रकार इस आयुर्वेदके दृष्टान्तसे महाजनद्वारा परिगृहीत होनेके कारण ऋगादिवेद भी सर्वज्ञके ही बनाये हुए हैं, ऐसी कल्पना की जाती है । अर्थात् वेदोंका कर्ता सर्वज्ञ हैश्वर सिद्ध हो जाता है ।

यद्हौं यह विकल्प उठता है कि—‘महाजन’ इस पदमें महत्पद प्रामाणिक अर्थमें है ? अथवा बहुत्वरूप संख्याके अर्थमें है ? यदि यद्हौं महत्पद प्रामाणिकधाचक है तो महाजनपरिगृहीतत्वरूप हेतु सन्दिग्धासिद्ध विशेषणवाला हो जाता है । अर्थात् उक्त हेतुका विशेषण जो महत्त्व है, वही सन्दिग्ध है । क्योंकि महाजनपदसे आप मनु आदिको लेते हैं, किन्तु उनमें प्रामाणिकत्वका सन्देह है । यदि महत्शब्दका दूसरा अर्थ बहुत्वरूप संख्या हो, तब बुद्धादिके आगमोंको लेकर ध्यभिचारदोष हो जायगा । क्योंकि बहुत जनोंके द्वारा स्वीकृत होनेपर भी न्याय उन्हें सर्वज्ञ-प्रणीत नहीं मानता है । अथवा बुद्धादिके आगमोंको भी सर्वज्ञ-प्रणीत मानना होगा—किन्तु उक्त विकल्प हमारे हेतुके सम्बन्धमें नहीं उठ सकता है । क्योंकि यद्हौं महत्पदसे बहुत्वका अतिशय अभिप्रेत है । अर्थात् अतिशयको प्राप्त हुए बहुत जनोंके द्वारा परिगृहीत होनेके कारण वेद सर्वज्ञ प्रणीत है ।

१. ‘सर्वदर्शनरूपिः परिगृहीतत्वमित्यर्थ’ इति कलिकातामुद्दिते टिप्पणी ।

कोऽतिशयः ? सर्वदर्शनान्तःपातित्यम् । कस्तैः परिग्रहः ? तदर्थानुष्ठानं, स्वीकृतव्यवहारव्याकरणादिपालनीयत्वं, स्वीकृतप्रामाण्यायुवेदादिस्वीकृतार्थत्वं च ।

(प्रश्न)—अतिशय क्या है ?

(उत्तर)—सभी दर्शनोंके अन्त पाती होना अतिशय है । अर्थात् न्याय मीमांसा प्रभृति जिन्हें भी दर्शन हैं, उनमें प्रतिपादित स्वतीर्पयणीदि मुरल्य विषयोंको स्वीकार करनेवाले जन ही अतिशय को प्राप्त हुए महाजन हैं । अथवा न्याय आदि दर्शनोंका ज्ञान ही अतिशय है । सौगतादि दर्शनाभास हैं न कि दर्शन हैं, अत उनका ज्ञान अतिशय नहीं है ।

(प्रश्न)—अतिशयको प्राप्त न्यायादिके ज्ञाना बहुत जनोद्धारा किया जानेवाला परिग्रह क्या बन्तु है ?

(उत्तर)—निषेक प्रभृति वैदिक अर्थोंका उन सभीकेंद्रारा अनुष्ठान किया जाता है, इसलिये वेद महाजन परिगृहीत हुए । वौद्धादि-आगमोंमें प्रतिपादित मण्डलीकरण केशोलुक्षन प्रभृति अर्थोंका अनुष्ठान उन महाजनोंद्वारा नहीं होता है, अत वे आगम महाजन परिगृहीत नहीं हुए । इसीलिये महाजन परिगृहीतत्वहेतुसे वेदको सर्वज्ञ-प्रणीत सिद्ध करनेमें वौद्ध आगमोंको लेकर ज्यभिचारदोष नहीं खायगा । और न उन आगमोंका सर्वज्ञ प्रणीत होना चिढ़ होगा । परिग्रहका यह एक अर्थ है ।

परिग्रहका दूसरा अर्थ यह है कि जिन पाणिन्यादि-प्रणीत व्याकरणोंका प्रामाण्य सभी मानते हैं, उन व्याकरणोंद्वारा हमारे वेदके विशेष विशेष पदोंका व्युत्पादन किया गया है । इसलिये भी हमारे वेद महाजनपरिगृहीत हुए । इसप्रकार पाणिन्यादि व्याकरणद्वारा तुम्हारे आगमके विशेषपदोंका साधन नहीं किया गया है, इसलिये भी वे महाजन परिगृहीत नहीं हैं ।

एवं, जिस आयुवेदशास्त्रका प्रामाण्य सभीने स्वीकार किया है, उस

तथाहि, नास्त्येव तदर्शनं यत्र सांशुतमित्युक्त्वा पि गभी-
धानाद्यन्त्येष्टिपर्यन्तां वैदिकीं क्रिया जनो नानुतिष्ठति, सपृश्या-
स्पृश्यादिविभागं वा नानुभन्ते, व्यतिक्रमे चाऽचमनादि-
प्रायश्चेत्तं वा नानुतिष्ठति ।

न सर्वत्र सर्वो जन एवमिति चेत्, मा भूत । न हि सर्वैः
रोगिभिरायुर्वेदार्थो नानुष्मीयत इति न तस्य महाजनपरिग्रहः,
अपि तु सर्वदर्शनान्तःपातिभिरित्येव ।

आयुर्वेदशास्त्रने भी वैदोक्त विषयोंका विधान किया है । जैसे, “शत-
कृत्यो गायत्रीमध्यस्य नीरुग् भवति” ऐसा आयुर्वेदशास्त्रमें लिखा है ।
तथा वह गायत्री वेदका ही अरा है न कि बौद्ध आगमोंका । यह
परिमितका तीसरा अर्थ है ।

उक्त तीनों प्रकारके परिमितोंमें महाजनोंद्वारा वैदार्थीनुष्ठानरूप
प्रथम परिमित हस प्रकार है—जैसे, ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है,
जिसको माननेवाला व्यक्ति वैदिक क्रियाका अनुष्ठान न करता हो ।
यहाँ उक्त कि ब्रह्मातिरिक्त सब विषयको अविद्याकलिपत कहनेवाले
वैदान्ती जन भी गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टि तक वैदिक क्रियाओंको नहीं
करते हैं, ऐसी बात नहीं है । या कोई भी दार्शनिक जन वैदोक्त
सपृश्यासपृश्यविभागको न स्वीकार करता हो अथवा असपृश्यस्पर्शरूप
व्यक्तिकम हो जानेपर आचमन-स्नान आदि प्रायश्चित्त न करता हो,
यह बात नहीं है ।

यदि कहो कि—सभी दर्शनोंके सभी व्यक्ति तो वैदिक क्रियाओंका
अनुष्ठान नहीं करते हैं—तो वैसा भले ही मत हो । क्योंकि सभी रोगी
दवाका सेवन नहीं करते इससे वह शास्त्र महाजनपरिगृहीत नहीं है,
ऐसा नहीं हो जाता । किन्तु महाजनपरिगृहीत इसने ही से हो जाता
है कि सभी दर्शनोंके अधिकाश लोग वैदोक्त अर्थोंका अनुष्ठान करते
हैं । “फिर भी सभी वैदिक विधानोंका अनुष्ठान को वे लोग भी नहीं
करते” यदि ऐसा कहो तो, भले ही वैसा न हो, उससे कोई क्षति नहीं

तथापि न सर्वो वेदार्थं एवमिति चेत्, मा भृत् । न हि सर्वो वैद्यकार्थं एवमपि तु कश्चित् केनापि ।

एवं तर्हि सौगताद्यागमार्थोऽपि कश्चिदहिसादिः सर्वदर्शनान्तःपातिमित्रुष्टोयः । एव केश्चिदिति सोऽपि महाजनपरिगृहीतः स्थात्, न, सन्देशात् । किमयमहिसादिवैदिक एवार्थो विडालत्रतन्यायेन अद्वाऽपादनाय शौद्धोदनिप्रभुतिभिरुपनिगदः । आहो स्वयं दृष्ट एवेति । न तावत् स्वयं दृष्टः, अमणकाद्यागमसाधारणत्वात् । यस्त्वसाधारणो मण्डलीकरणादिः केशोलुब्धनादिर्वा, नासौ सर्वेरुष्टोयते । वैदिकस्तु असाधारण एव निषेकादिस्वयेति ।

है । क्योंकि आयुर्वेदोक्त सभी उपचारोंका अनुष्ठान सभी महाजन नहीं करते किन्तु कोई किसीका ही अनुष्ठान करता है । वैसे ही वैदिक विधानोंमें भी समझना चाहिये ।

यदि कहो कि—ऐसे तो बौद्ध-आगमोंके अहिसा आदि कुछ विषय भी सभी दर्शनोंमें कुछ जनोंके द्वारा अनुष्ठित होते ही हैं, इसलिये वे भी महाजनपरिगृहीत हों—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि अहिसा आदिके बौद्ध आगमोंके होनेमें सन्देह है । कारण, क्या अहिसा आदि चेदोक विषय ही विडालत्रतन्यायसे लोगोंमें अपने प्रति अद्वा उत्तर करनेके लिये बुद्धदेवादिके द्वारा अपने मन्त्रमें कहा गया है? अथवा स्वयं प्रत्यक्ष करके ही कहा गया है? यहों स्वयं प्रत्यक्ष करके बुद्धदेवने अहिसाका प्रतिपादन किया है, यह पक्ष नहीं हो सकता । क्योंकि जिस क्षणक आदिके आगमको स्वयं बुद्धदेवने भी अप्रामाणिक माना है, उसमें भी अहिसाका प्रतिपादन हुआ है । इससे मालूम पड़ता है कि वेदोक्त अहिसाका तत्त्व बुद्धदेवने स्वयं प्रत्यक्ष नहीं किया है । किन्तु वेडालत्रतके समान ही क्षणक आदिकी तरह वेदल दिखानेके लिये उसे अपनाया है । जो तो मण्डलीकरण या केशोलुब्धन आदि बौद्धादि आगमोंका अपना विशेष विषय है, उसका अनुष्ठान सभी नहीं करते । वेदमें कहे हुए निषेक (गर्भाधान) आदि तो वेदके

अपि च वाचकापभ्रंशविभागोऽस्तु न चा, तद्व्यवहार-स्तावत् सर्वेरेव तीर्थिकैरविगानेन स्वीकृतः । तथा शिक्षा-ज्योतिश्छन्दोनिगमनिरुक्ताद्यर्थश्च । तेषां च वेदरक्षैव परमं प्रयोजनमिति ।

स्यादेतत्, व्याकरणादीनि तावत् सर्वेरभ्युपगतार्थानि, वेदा

अपने विशेष विषय हैं, जिनका सभी महाजन अनुष्ठान करते हैं । इसप्रकार महाजनद्वारा वैदिक विधानोंका अनुष्ठान होनेसे वेदोंका सर्वह्य-प्रणीत होना सिद्ध होता है ।

एवं वाचकशब्द और अवभ्रशात्मक शब्दका विभाग भले ही व्याकरण द्वारा न हो सकता हो, क्योंकि “गां गृहाण” इत्यादिमें वाचक-भूत गो-प्रकृति और अमृ-प्रत्यय तथा भ्र-प्रकृति एव सिप-प्रत्यय इनमेंसे कोई भी नहीं है किन्तु विकार या आदेश बन गया है । लोप स्थलमें तो भूलशब्दका पता भी नहीं रहता, फिर भी उन स्थलोंमें व्याकरणद्वारा परिकल्पित प्रकृति-प्रत्यय और आगमादिको व्याकरणद्वारा ही सभी जानते और “गा गृहाण” आदिका अर्थ समझते हैं । इस प्रकार व्याकरणका व्यवहार सभी दार्शनिकोंने अद्वापूर्वक स्वीकार किया है । तथा उस सर्व-स्त्रीकृत व्याकरणने ‘बहुल छन्दसि’ इत्यादि सूत्रोंके द्वारा “भद्र कर्णेभि” इत्यादि वेदोक्त पदोंका ही साधन किया है न कि वौद्वादि-आगमोक्त पदोंका । बल्कि व्याकरणके व्याख्याता महाभाष्य-कारादिने सोगत आगमोंका अप्रमाण ही प्रतिपादित किया है ।

एवं, वेदाङ्गभूत शिक्षा, ज्योतिष, छन्द, निगम और निरुक्तादिद्वारा कथित अर्थका भी सभी तीर्थिकोंन स्वीकृत किया है । तथा प्रकृति-प्रत्ययके व्यवहारको बतानेवाले व्याकरण और वेदोक्त अर्थोंकी स्फुट करनेवाले शिक्षादिका भी मुख्य प्रयोजन वेदोंकी रक्षा ही है । अर्थात् वेदार्थोंका निश्चय करना और उनका अनुष्ठान किया जाना इसी मुख्य प्रयोजनके उद्देश्यसे पाणिन्यादि मुनियोंने व्याकरण शिक्षा आदिकी रचना की है । यदि वेद अप्रमाण होते तो उनके अर्थोंके निर्णयार्थ एवं अनुष्ठानार्थ उन शास्त्रोंकी रचना ही मुनिगण नहीं करते ।

अस्तु, व्याकरणादिके विषय सभीके द्वारा स्वीकृत हों, तथा वेदोंका

अपि तैः पालनीया भवन्तु । त एवेति हुतः १ संसारमोचकागमोऽपि तत्पालनीयः रिङ् स्यादिति चेत्, न, तत्त्वर्त्मिस्तथानभ्युपगमात्, अव्युत्पादनात्, अमाधारणलिङ्गामावात्, विलुप्तलिङ्गपद्मावाच्च । न हि वेदशब्दार्थाविव सुगताद्यागमासाधारणशब्दार्थावनुरुध्य तेषां प्रवृत्तिर्थत एवमुन्नीयेत्, प्रत्युत्तरविरोध एव, तैस्तदग्रामाण्यव्युत्पादनात् । तस्मात् सर्वाभ्युपेतव्यवहारव्याकरणादिपालनीयत्वमपि वेदानामेव नान्येषाम् ।

पालन उन व्याकरणादि शास्त्रोंका मुख्य उद्देश्य भी हो, किर भी वेद ही उनका पालनीय है, यह कैसे माना जाय? संसारमोचकादि आगम भी उनका पालनीय (उद्देश्य) क्यों न होगा?—तो इस प्रकारकी शङ्खा नहीं की जा सकती। क्योंकि व्याकरणादिके रचयिता पाणिनि आदिके द्वारा संसारमोचकागममें प्रतिपादित शब्द एव अर्थका अभ्युपगम नहीं किया गया है। क्योंकि उनके द्वारा जैसे वैदिक पदोंका व्युत्पादन किया गया है, वैसे वौद्वादि आगमोंके पदोंका व्युत्पादन नहीं किया गया है। क्योंकि व्युत्पादित किये जानेका जो असाधारण लिङ्ग है, वह उनमें नहीं है। अर्थात् वैसे पद उन आगमोंमें प्रयुक्त होते जो भाषामें प्रयुक्त नहीं हैं, तब वे पद ही उनके असाधारण लिङ्ग होते और उनका भी व्युत्पादन व्याकरणादिका उद्देश्य माना जाता, किन्तु वैसा है नहीं। वल्कि व्युत्पादनके विरोधी लिङ्ग ही संसारमोचकागमोंमें विद्यमान है। क्योंकि जैसे वेदमें असाधारण शब्द एव अर्थ हैं, वैसे सौगतादि आगमोंमें असाधारण शब्द एव अर्थ नहीं हैं, जिनके अनुरोधसे मुनियोंकी प्रवृत्ति होती और उनके द्वारा व्युत्पादन किये जानेकी कल्पना की जाती। वल्कि अनुरोधकी जगह विरोध ही पाया जाता है। क्योंकि मुनियोंने उन आगमोंके अप्रामाण्यका ही व्युत्पादन किया है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि सर्व स्थीकृत है व्यवहार जिसका, ऐसे व्याकरणादिके द्वारा वेदका ही पालन लड्य है न कि सौगतादि आगमोंका। यह द्वितीय प्रकारका महाजनपरिगृहीतत्त्व है।

सर्वाभ्युपेतप्रामाण्यैरायुर्वेदादिभिः स्वीकृतश्चैपामयं:, प्रतिपदं तदीयशान्तिकपौष्टिकग्रायथित्ततपोजपदानहोपाद्युपदेशात् ।

न चैष भागस्तत्राप्रमाणमेव, तुल्ययोगच्छेष्टत्वात् । एतदेवा-
मिद्धप्, प्रक्षेपस्यापि सम्भवादिति चेत्, न, अध्येत्रध्यापयितु-
संप्रदायाविच्छेदात् ।

“अन्यथाकरणे चास्य चहुभ्यः स्यान्तिवारणम्”

इति न्यायात् ।

तस्मादेवंरूपोऽपि महाजनपरिग्रहो वेदानाभिति । मोऽयमी-
द्वशो महाजनपरिग्रहोऽमर्वज्ञपूर्वकस्त्वेऽमर्यमवन् सर्वज्ञपूर्वकत्वेन
च्याप्यते ।

एवं, सभीने जिसका प्रामाण्य माना है, वैसे आयुर्वेदादिके छारा
भी वैदिक विषय स्वीकृत किया गया है । क्योंकि पद-पदपर वेदोक्त
शान्तिक, पौष्टिक, प्रायथित्त तप, जप, दान और होम आदिका उपदेश
पाया जाता है । यह नहीं हो सकता कि—आयुर्वेदका यह शान्तिक
पौष्टिकादि भाग अप्रमाण ही है—क्योंकि आयुर्वेदके सम्पूर्ण भागों
का समान योगच्छेष्ट है । अर्थात् आयुर्वेदका जैसे औपधबाला भाग
प्रमाण है, वैसे ही शान्तिकादि भाग भी प्रमाण होगा, क्योंकि वह
भी उसीका भाग है । अन्यथा औपधबाला भाग भी प्रमाण नहीं हो
सकेगा ।

यदि कहो कि—आयुर्वेदमें शान्तिकादि भाग प्रक्षिप्त हो सकते हैं,
अतः तुल्य योगच्छेष्ट ही असिद्ध है—तो यह नहीं हो सकता है ।
क्योंकि उसके पदने और पदानेवाले रा सम्प्रदाय कभी दूटा नहीं है,
इसलिये प्रक्षेपकी संमावना ही नहीं है । क्योंकि “अन्यथाकरणे चास्य
चहुभ्यः स्यान्तिवारणम्” इस कुमारिलभट्टोक्त न्यायके अनुसार सर्वत्र
प्रक्षेपकी आशङ्का होने लगेगी । और तुम्हारे आगममें भी तुम्हें प्रक्षेप
मानना पड़ जायगा । इसलिये इस तृतीय प्रकारका महाजनपरिग्रह
भी वेदोंमें है । अतः पूर्वोक्त तीनों ही प्रकारके महाजनपरिग्रह वेदोंके

यथा हि पूर्वविरुद्धापूर्वच्याकरणादिवैद्यकादिपु विगानाद-परिग्रहः, तथा तथापिधे धर्मशास्त्रेऽपि । व्यामोहाद् भवन्नपि कस्थचिदेव न तु सर्वेषाम् । अथ पूर्वविरुद्धं चेत्, तथापि पूर्वस्य पूर्ववदपरिग्रहे केनचित् परिग्रहे वा कथं तन्मूलस्यान्यस्य सर्वैः परिग्रहः ।

न च नासीदेव पूर्वं धर्मशास्त्रम्, मानान्तरस्यात् वस्तुनि

असर्वश्च प्रणीत होनेपर असमय हैं, इसलिये वेदोंमें सर्वज्ञपूर्वकत्वका निश्चय होता है ।

इसमें तकं यह है कि जैसे पूर्ववर्ती व्याकरणादिसे विरुद्ध नवीन व्याकरणादि एव वैद्यक आदिके निनिदित होनेके कारण वे महाजनप्राचा परिगृहीत नहीं होते, वैसे पूर्वसे विरुद्ध नवीन धर्मशास्त्र भी निनिदित होनेसे महाजनपरिगृहीत नहीं होता है । अर्थात् विवादका विषय वेदरूप धर्मशास्त्र यदि सर्वज्ञपूर्वक (ईश्वरप्रणीत) नहीं होता तो वह उक्त वीरों द्वी प्रकारके महाजनपरिग्रहका विषय नहीं होता । जैसे कि आधुनिक व्याकरण वैद्यक आदि सर्वज्ञपूर्वक नहीं होनेके कारण महाजनपरिग्रहका विषय भी नहीं होता है ।

यदि उस पूर्वविरुद्ध सासारमोचकादि धर्मशास्त्रके प्रति अक्षानन्तावश परिग्रह होता भी है तो किसीको ही होता है न कि सबको । अर्थात् वेद सभी महाजनोंद्वारा परिगृहीत है, इसलिये वेदका परिग्रह अक्षान-पूर्वक नहीं हो सकता है । यदि सासारमोचकादिकोंका या सुगतोंका धर्मशास्त्र (आगम) पूर्ववर्ती धर्मशास्त्रसे अविरुद्ध हो तो भी उसका यह पूर्ववर्ती धर्मशास्त्र रूप यदि महाजन परिगृहीत न हो या किसी एकके ही द्वारा परिगृहीत हो तो उन्मूलक सुगतादिका धर्मशास्त्र सबके द्वारा परिगृहीत केसे हो सकेगा । अर्थात् सौगतोंको भी उस पूर्ववर्ती धर्मशास्त्रको अवश्य ही महाजनपरिगृहीत मानना होगा । इस प्रकार वह पूर्ववर्ती धर्मशास्त्र हमारा वेद ही है, जो महाजनपरिगृहीत होनेके कारण सर्वज्ञ पूर्वक (सर्वज्ञप्रणीत) सिद्ध हो जाता है ।

यह नहीं कह सकते कि—वेदरूप कोई पूर्ववर्ती धर्मशास्त्र या ही-

कुण्ठतयाऽनुष्टानाभावप्रसङ्गात् । तथा च धर्माभारे तत्कार्यस्य
सुखस्थाप्यभावे रागानुत्पत्तौ लोकसमीक्षेदेवे लोकोच्छेद-
प्रमद्भः ।

तस्मान्महाजनपरिगृहीतपूर्वपूर्वगमपूर्वकत्वात्, प्रगाहनित्य-
त्वाद् वा, प्रलयपिच्छेदे सर्गादौ सर्वानुविधेयपुरुषधौरेयपूर्वकत्वाद्
वा महाजनपरिग्रहो न तु पूर्वगमानपेक्षार्पचीनपुरुषपशुपूर्वकत्वात्
पूर्वगमप्रामाण्याप्रामाण्ययोरुभयथाऽपि तस्य विप्रलभ्मकत्वात् ।
प्रामाण्ये हि तद्विरुद्धाभिधानं प्रिप्रलभ्म एव । अप्रामाण्येऽप्य-

नहीं—क्योंकि यदि पूर्ववर्ती वेद न होता तो धर्मके विषयमें अर्थात् याग-
दानादिकी इष्टसाधनतामें अन्य प्रमाण कुण्ठित हैं, इसलिये धर्मानुष्टानका
अभाव हो जायगा । ऐसी स्थितिमें धर्मका अभाव हानेपर उससे वस्त्र
होनेवाले सुखका भी अभाव हो जायगा और सुखके अभावमें उसकी
अनुभूति नहीं होनेके कारण पुनः सुखप्राप्तिके प्रति राग नहीं वस्त्र
होगा तथा रागके अभावमें प्रवृत्ति नहीं होनेसे जगत् निश्चेष्ट हो जायगा
और चेष्टाहीन हो जानेसे पुत्रादिकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकेगी । इस
प्रकार जगत् का ही उच्छेद हो जायगा ।

अत महाजनपरिगृहीत जो पूर्व पूर्व आगम, तत्पूर्वक होनेके कारण
या उच्चदृ आगमोंके अनित्य होनेपर भी आगमधाराके नित्य होनेके
कारण अथवा प्रलयके द्वारा आगमधाराका विच्छेद हो जानेपर भी सृष्टि
के आदिने किसी पुरुषविशेषसे निमित होनेके कारण ही कोई आगम
महाजनपरिगृहीत माना जाता है, न कि पूर्व आगमोंकी विना अपेक्षा
किये आधुनिक-जनद्वारा प्रणीत होनेके कारण कोई भी आगम महाजन
परिगृहीत कहा जाता है । इनमें प्रथम पक्षके अनुसार पूर्व आगम जो
वेद, उसका प्रामाण्य मानकर या अप्रामाण्य मानकर, दोनों ही दशाओंमें
संसारमोचकागमोंका प्रयोग आधुनिक पुरुष विप्रलभ्मक (ठगनेवाला)
हो सिद्ध होता है । क्योंकि पूर्ववर्ती आगम वेदको यदि प्रमाण मानता
है तो उसके विरुद्ध कहना ठगना हो है । यदि उस पूर्ववर्ती आगम
चेद्द्वारा अप्रमाण घातता है तो, “गणादिक् स्वर्णप् स्त्रिया चपत्य दै” इस

पायमविद्योऽनुष्टुप्ने तदा (भाव) भासानुष्टुप्ने वाऽसर्वज्ञस्योप-
देशो विग्रहम् एवेति ।

तत्र न प्रथमः, वेदपरम्परानुपलभ्मात्, अर्थाचीनानां पाठ-
पारतत्त्वयात्रेण प्रवाहोपपत्तौ तत्त्वत्वपनायां प्रमाणाभावात् ।
नापि द्वितीयः, वेदहासदर्शनात् । यत् इदानीमश्रूपमाणस्यापि

आतको नहीं जाननेवाले उस भसर्वज्ञ इयकिद्वारा यागादिके अनुष्टुप्न
का उपदेश देना अथवा मण्डलीकरण केशोल्लङ्घन प्रभृति सुखके उपाय-
भासोंके अनुष्टुप्नका उपदेश देना संसारको ठगाना ही है । क्योंकि अर्थ-
निर्णय किये बिना ही स्थकपोलकल्पित वैसा उपदेश दिया गया है ।
अर्थात् उक्तप्रकारका वज्ञानात्मक उपदेश महाजनपरिमहका विषय नहीं
हो सकता है ।

महाजनपरिमहके प्रति सम्भावित पूर्वोक्त तीन हेतुओंमें प्रथम हेतु
नहीं हो सकता है । क्योंकि पूर्वपूर्वाभासपूर्वकत्व-हेतुमें “पूर्वपूर्वागम”
पदसे विजातीय वेदपरम्परा विवक्षित हो तो वैसी वेदपरम्परा प्रत्यक्ष-
प्रमाणसे सिद्ध नहीं है । यदि अनुमानद्वारा वर्तमान वेदके मूलके
रूपमें विजातीय वेदपरम्पराकी कल्पना करी तो यह संभव नहीं है ।
क्योंकि जैसे अर्धाचीन (वर्तमान) वेदोंका प्रधाह गुरु-शिष्यके केवल
क्रमिक पाठके द्वारा सज्जातीय प्रवाह ही चल रहा है, न कि शिष्यद्वारा
पढ़े जानेवाले वेदका मूल गुरुद्वारा पढ़ा जानेवाला कोई विजातीय वेद
होता है । वैसे ही परम्परात् पाठके हाथ सज्जातीय वेद परम्पराको
वर्तमान वेदके मूलके रूपमें कल्पना करना अप्रामाणिक है ।

प्रधाहनित्यत्वरूप द्वितीय पक्ष भी नहीं हो सकता है । अर्थात्
“प्रधाहरूपसे वेद नित्य है, इसलिये यह महाजनपरिगृहीत है” यह
पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि वेदका हास देखे जानेसे वेदप्रधाह नित्य
नहीं हो सकता । कारण, जो वेदभाग इस समय उपलब्ध नहीं है,
उसके विषयका भी अनुष्टुप्न देखा जाता है तथा सतु आदि स्मृतिकारोंने
उस विषयको भी अपनी स्मृतियोंमें निवद्ध किया है । अर्थात् होलाका
(होली) करनी चाहिये—इसका सूचक वेदभाग यद्यपि अनुपलब्ध है,
फिर भी उसका अनुष्टुप्न सर्वजन-प्रसिद्ध है । तथा अष्टकनामक याग

चेदस्याथोऽनुष्टीयते निवद्यते च मन्वादिमिः ।

पुरुषाणामपचीयमानशक्तिकत्वाच् । यथा हृशमेधराजसूया-
चनुष्टानशक्तेरपचयस्तथाऽध्ययनशक्तेरपि । न च पूर्वमपि नानु-
ष्टिता एव राजसूयाद्यः, तदर्थस्य वेदराशेवैर्यर्थंप्रमङ्गात् ।

न च नित्यानुमेयवेदसंभवः, बण्णनां नित्यत्वेऽप्यानुपूर्व्यः
पाठाश्रयत्वात् । न चानुपूर्वीशूल्यवर्णाः पदं नाम, न चाका-

चर्तमान वेदमें नहीं मिलता है, किर भी मनु आदि ऋषियोंने अपनी स्मृतिमें उसका उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि वेदका वह भाग उच्चिद्धन हो चुका है।

एव पुरुषोंकी अध्ययनशक्ति कमशः क्षीण होती देखी जा रही है, इससे भी सिद्ध होता है कि वेदका ह्वास संभव है। अर्थात् एक व्यक्ति वेदकी समस्त शाखाओंका अध्ययन करनेमें असमर्थ है, अत एकके समान दूसरेके ह्वारा भी किसी शाखाका अध्ययन संभव है। इससे वेदिक शाखाके उच्छ्वेदकी सभावना सिद्ध होती है। क्योंकि जैसे चहुट्रूप्य-साध्य अश्वमेध-राजसूय आदि यज्ञोंकी अनुष्टानशक्तिका ह्वास हो गया है; यह नहीं कह सकते कि—पूर्वकालमें भी राजसूय आदि-का अनुष्टान नहीं ही हुआ था—क्योंकि तब उस विषयका प्रतिपादक वेदसमुदाय व्यर्थ हो जायगा।

यह नहीं हो सकता कि—होलाकादि-विषयक वेद कभी भी पाठमें नहीं आये किन्तु पूर्वकालीन स्मृति और आचारके ह्वारा उक वेदभाग का अनुमान करके ही तदनुसार मन्वादि-स्मृति या शिष्टाचार बने हैं। अर्थात् मन्वादिस्मृति या आचारका आधार सीधे वेद नहीं है किन्तु तद्विषयक वेदके अनुमापक पूर्वकालीन अन्य स्मृति या आचार ही हैं। अतः वेद, नित्यानुमेय हैं तथा शाखा-उच्छ्वेदमें कोई प्रमाण नहीं है—क्योंकि वर्ण भले ही नित्य हों, किन्तु वर्णोंकी आनुपूर्वी (गकारोत्तर-अकारोत्तर-णारोत्तर-अत्यवादि) वो पुरुषाधीन पाठ (उच्चचारण) के आश्रित होनेसे अनित्य ही है। क्योंकि आनुपूर्वीरहित वर्ण पद नहीं वहारा। एवं आकाहा-योग्यता-और आसच्चिसे युक्त पदसमूहके अलावे

द्वायुपेतपदकदम्बादन्यद् वाक्यं नामेति गुरुपि लघुरेव ।

तस्मात् उल्पाणामनुष्टानशक्तिवत् अध्ययनशक्तिरपि युग-
मभेषणापचीपते, ततो वेदानां शास्त्रानां च्छेदः, तदर्थानामनुष्टानो-
च्छेदः, धर्माधिमाचारव्यवस्थाविष्लवदनेति ।

अतएव भगवतो व्यामस्य पुरुषागत्यपव्यपेक्ष्य वननानि
“अल्पायुपोऽल्पमन्त्या” इत्यादीनि । वेदोच्छेदमवेद्य “प्रति-
मन्वन्तरं चैषा श्रतिरन्या विधीयते” इत्यादीनि । अनुष्टानो-
त्पादमवेद्य “दानमेकं कलौ युगे” इत्यादीनि । आचारविष्लव-
मवेद्य “प्रजास्तत्र भविष्यन्ति शिश्नोदरपरायणाः” इत्यादीनि ।

तथा च श्रूयमाणा अपि वेदा उच्छेदमुपयास्यन्ति, वेदत्वाद्
वाक्यत्वाद् वा, उच्चित्तशास्त्रावदिति न्यायाद् । यथा चैवत् तथा

वाक्य भी नहीं होता । अतः पूर्वोक्त रीतिसे वेदको नित्यानुमेय
प्रतिपादित करनेवाले गुरु ‘प्रभाकर’ भी घस्तुत लघु ही हैं ।

इसलिये पुरुषोंकी अनुष्टान-शक्तिके समान अध्ययनशक्ति भी युग-
क्रमके अनुसार क्षीण होती है और अध्ययन-शक्तिके क्षीण होनेके कारण
वेदकी शास्त्राओंका उच्छेद, उसके विधियोंके अनुष्टानका उच्छेद तथा
वर्णाचार एवं आश्रमसम्बन्धी आचारोंकी व्यवस्था भी छिन्न-भिन्न हो
जाती है । इसलिये पुरुष-शास्त्रके हासकी दृष्टिसे भगवान् व्यासके
“अल्पायुपोऽल्पसत्त्वाः” इत्यादि वचन हैं । वेद सम्प्रदायके हासकी
दृष्टिसे “प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रतिरन्या विधीयते” इत्यादि वचन हैं ।
अनुष्टान हासकी दृष्टिसे “दानमेकं कलौ युगे” इत्यादि वचन हैं ।
तथा आचारोंके हासकी दृष्टिसे “प्रजास्तत्र भविष्यन्ति शिश्नोदर-
परायणाः” इत्यादि वचन हैं ।

इस प्रकार जो वेद आज श्रयमाण (प्रत्यक्ष) हैं, वे भी उच्चित्तश छो
जायेंगे, वेद होनेके कारण या वाक्य होनेके कारण, पूर्वमें उच्चित्तश
वेदकी शास्त्राओंके समान-यह अनुमान उच्छेदमें प्रमाण है । एवं, जैसे
भविष्यमें वेदोंका उच्चित्तश हो जाना अनुमान-प्रमाण है ।

पर्वता अपि चूर्णभविष्यन्ति, पाथिवत्वात्, घटवत् । समुद्रा अपि शोषमेष्यन्ति, जलाशयत्वात्, स्थलीपल्लवलघुत् । सूर्योऽपि निर्वस्यति, तैजसत्वात् प्रदीपवत् । ब्रह्मापि प्रैष्यति, शरीरित्वात्, अस्मदादिवदित्यागमाविरोधेनानुमीयताम् ।

स्यादेतत्, भविष्यन्तुच्छेदोऽनुमितः । मतु भूतोऽपीति कुत हति चेत्, यत एव^१ उच्छेदानन्तरं पुनः मर्गेण भाव्यम् । अन्यथा संमारिणां कृतहानप्रसङ्गात् । न हि विश्वनिर्माणमन्तरेण मोगज्ञानयोः समयः । न च तेन विना कर्मप्रवाहमरोहः । ततो

ही-पर्वत भी चूर्ण हो जायेगे, पाथिव अर्थात् पृथिवीसमवेत् द्रव्य होनेके कारण, घटके समान । समुद्र भी सूख जायेगे, जलाशय होनेके कारण, पोद्धरोंके समान । सूर्य भी तुक्ष जायगा, तैजस अर्थात् तेजःसमवेत् द्रव्य होनेके कारण, प्रदीपके समान । सथा ब्रह्मा भी मर्गेण, शरीरधारी होनेके कारण, हम लोगोंके समान । इस प्रकार आगमानुसार अनुमान कर लें ।

शङ्खा—अस्तु, पूर्वोक्त हेतुओंसे कार्य जगत्के भावी उच्छेदका अनुमान हुआ । किन्तु भूतकालमें भी उच्छेद था, यह कैसे सिद्ध होगा ? अर्थात् यदप्रवाहके अनादि होनेसे ही वह महाजनपरिगृहीत क्यों न है ? समाधान—इसलिये कि उच्छेदके बाद पुन सृष्टि होनी चाहिये । अन्यथा ससारियोंके लिये कर्मकी हानि अर्थात् निष्फलता हो जायगी । तात्पर्य यह है कि वर्तमान सृष्टिमें जो कर्म प्राणियोंने किये हैं, वे निष्फल हो जायेगे, यदि भविष्यमें सृष्टि न हो । अतः वर्तमान सृष्टिके बाद प्रलय होने पर पुन सृष्टिका होना अनिवार्य है । इसी प्रकार यह वर्तमान सृष्टि भी पूर्वप्रलयके बाद हुई है तथा उस प्रलयके पूर्वकी सृष्टि भी उसके पूर्ववर्ती प्रलयके बाद हुई थी । इस प्रकार यह सृष्टि और प्रलयका प्रबाह अनादि ही सिद्ध है ।

यदि प्रलयके बाद पुन^२ सृष्टि न हो तो कर्मीके फलस्वरूप सुखदुःख-साक्षात्काररूप भोग तथा तत्त्वज्ञान नहीं हो सकेंगे । इस प्रकार कृतहान-दोषकी प्रसक्ति हो जायगी । एव भोग और ज्ञान इन दोनोंके असम्भव

१. अत एव यत इति भवचित् पाठः ।

यथा भविष्यत् विश्वमर्गं उन्नेदपूर्वकस्तथाऽयमपीति । समय-
नियमस्तु प्राणिनां कर्मवैपन्येऽपि वर्षादिनियमबद्धास्तनियमबद्ध-
वा द्रष्टव्यः, कर्मणामैवैस्यमपत्त्वात् । एतदर्थमेव हि पुराणेषु
सृष्टिप्रलययोर्दिवसरात्रिव्यग्हारः ।

तथापि र्मप्राणिनाश्यौगपदे किं प्रमाणमिति चेत्, द्विः-
सप्तमौमध्यवनप्रामादभज्ञेऽपि निर्भया एव ग्रामकुटीहड्डविद्वारिणः ॥

हो जानेसे कर्मप्रवाहका निरोध भी नहीं हो सकेगा । अर्थात् मुक्ति
भी असम्भव हो जायगी । क्योंकि प्रारब्धकर्मोंका भोगद्वारा ही नाश
होगा तथा अन्य कर्मोंका तत्त्वज्ञानसे । अत मोक्षोपयोगी भोग और
तत्त्वज्ञानके साधनके लिये प्रलयोत्तर पुन सृष्टि अनिवार्य है ।

यहाँ प्राणियोंके कर्मोंके विवाकका समय यद्यपि भिन्न भिन्न होता है,
फिर भी ब्रह्माकी आयुके सौ वर्ष काल बीतनेपर प्रलय होनेका जो नियम
है, वह तो वर्षोंकाल आदिके नियमके समान अथवा सूर्योदय सूर्योस्तु
काल (दिन रात) के नियमके समान है, ऐसा जानना चाहिये । अर्थात्
जैसे, वर्षों आदि क्रतुओंके जनक कर्म एक नियत अवधिके बाद ही
वर्षादिकालको उत्पन्न करते हैं, न कि कभी घण्टा प्रहर आदिके बाद
और कभी वर्ष दो वर्ष आदिके बाद । एवं जैसे, दिन और रात नियमत
होती है, जैसे ही सृष्टि और प्रलयके जनक कर्म भी ब्रह्माकी आयुके
हिसायसे सौ सौ वर्ष छीतने पर ही सृष्टि और प्रलयको नियमत उत्पन्न
करते रहते हैं । क्योंकि कर्मोंका ही ऐसा स्वभाव है कि सुधुसि अवस्था
के समान उन सदोंकी वृत्ति एक साथ तिरुद्ध हो जाती है । इसीलिये
पुराणोंमें सृष्टि और प्रलयका दिन और रातके रूपमें व्यवहार किया
गया है ।

यदि कहो कि—कुछ प्राणियोंके कर्मका एकसाथ निरोध और
प्राकट्य भले ही हो किन्तु सभी प्राणियोंका एकसाथ नाश होनेमें क्या
प्रमाण है ? तो चौदह कोठों चाले मुखनरुची महलके घरस्त हो जानेपर
भी गाँवकी कुटिया एवं हड्ड (क्षापडी) में विद्वार करनेवाले शरीरधारी

शरीरिण इति महती प्रेक्षा । तस्मात् सर्गादिमहोजनमन्वादि-
परिग्रहपूर्वकोऽयमध्ययागदसुवर्तत इति नानवमरदोषावकाशोऽ-
पीति पुक्तमुल्पश्यामः ।

तदैवं कथं मन्वादिभिः परिगृह्यन्तां वेदा इति चेत्, आयुर्वेद-
वदासोक्तत्वनिश्चयात् । स एव कुत इति चेत्, अध्यक्षतः, तेषाम-
प्यतीन्द्रियार्थदशित्वात् । तादृशां तेषां तत्परिग्रहेण किं प्रयोजन-
मिति चेत्, अस्मद्द्वयमहारेणास्मदपत्यादि व्युत्पद्यताम्, तथा च
धर्ममंप्रदायः प्रवर्ततामिति भूतदया स्वाधिकारसम्पादनं च ।

जीव निर्भय ही है—यह आपकी अच्छी सूझ है । इसलिये सुष्टिके
आदिमें वेदोंके प्रणयनकालमें ही ईश्वरके द्वारा मनु आदि मानस
महाजन भी उत्पन्न किये गये और उन्हींके द्वारा पहले वेदोंका परिग्रह
हुआ, जो आज्ञतक चला आ रहा है । अतः “महाजनके अभावमें
महाजनद्वारा परिग्रहका अवसर ही कहाँ है !” इस वोपका भी अवकाश
नहीं है । अत इमारा यह विचार युक्त है ।

यदि कहो कि—सुष्टिके आदिकालमें मनुप्रभृति महाजन भले ही हों,
फिर भी उस समय उनके द्वारा परिग्रह कैसे हुआ ?—तो इसलिये कि
जैसे आपोक्तत्वके निश्चयसे आजकल हम लोग आयुर्वेदका परिग्रह
करते हैं, जैसे ही उस समय मनु आदिने वेदोंमें आपोक्तत्वका निश्चय
होनेसे उनका परिग्रह किया । यदि कहो कि—उन्हें वेदोंमें आपोक्तत्व-
का निश्चय ही कैसे हुआ ?—तो यही उत्तर है कि “प्रत्यक्षसे” । क्योंकि
वे भी अतीन्द्रिय विषयोंके द्रष्टा थे । यदि पूछो कि—वेदोंके परिग्रहसे
उनका क्या प्रयोजन था ?—तो यही कि हमारे वेदार्थानुष्ठानरूप
ठ्यवहारसे हमारे पुत्रादि भी परिचित होकर वैसा अनुष्ठान करें और
उनकी देखादेखी अन्य लोग भी वैसा अनुष्ठान करें । इस प्रकार लोकमें
धार्मिक सम्प्रदाय चालू हो-ऐसी भूतानुकर्मा तथा अपने अधिकारका
पालन ही उनका प्रयोजन था । अर्थात् सर्गादिकालमें मन्वादिकने
लोककल्याणकी भावनासे वेदार्थानुष्ठान (वेदपरिग्रह) किया । तथा
इसलिये भी वैसा किया कि ईश्वरने ही वेदोंका निर्माण कर उनके परि-
ग्रहार्थ मनु आदिको अधिकारी बनाया था ।

अथगा सर्गान्तरगृहीतव्याहिप्रादुर्मनि सुसप्रतिउद्धनत् पिण्डते-
नापिप्रलम्भकत्वमुच्चापचभूतनिर्माणदर्शनेन सारंश्यमनुमायाऽ-
सत्त्वनिश्चयस्तस्य तेपाम् ।

यद्यवा भगवानेऽपि सप्रदायप्रपर्वनव्यमनव्यग्रः कायसहस्राणि
व्युत्पाद्यव्युत्पादकभावव्यमस्थितानि निर्मापि तदातन महाजनं
परिग्राहितगान् नठनोपाध्याय इव स्वय नदित्वेति सर्वं सुस्थम् ।
पह्नप्रयेऽप्यत्र पुराणादिसंक्षाऽप्यस्तीति ।

स्यादेतत्, परमेश्वरप्रवत्तितोऽप्यमेऽपि वेदसंप्रदायः सर्गान्तर-

अथवा सोकर उठे हुए व्यक्तिके समान मन्वादि भो पूर्वसृष्टिमें गृहीत
व्याप्तिका स्मरण कर पिलृत्वहेतुसे ईश्वरमें अविप्रलम्भकत्व (अवश्चकत्व)
का अनुमान करते हैं । तथा अनेक प्रकारके प्राणियोंकी रचना देखकर
उसमें सर्वेषात्मका भी अनुमान करते हैं । क्योंकि जो जिसका पिता
होता है, वह उसके प्रति वज्रक नहीं होता है । अत ईश्वर भी सबका
पिता होनेके कारण वज्रक नहीं है । एव सर्वज्ञ ही विविध रचनामें
समर्थ हो सकता है, इसलिये ईश्वर सर्वज्ञ भी है । इस प्रकार अवि
प्रलम्भकत्व और सर्वेषात्मका अनुमान होनेके बाद मन्वादिकों को ईश्वर
में आपत्तवका निश्चय होता है और वे ईश्वर प्रणीत वेदोंका परिग्रह
करते हैं ।

अध्यवा स्वय ईश्वर ही धर्मसम्बद्धायके सञ्चालनरूप व्यसनमें व्यस्त
होकर हजारों शरीरको व्युत्पाद्य और व्युत्पादक (शिष्य शिक्षक) के
रूपमें बनाकर (धारणकर) सर्गादिकालीन मन्वादि महाजनोंको वेदोंका
परिग्रह कराया । जैसे, कोई नाट्यविद्या का आचार्य स्वय नाट्य कर
अन्योंको नाट्यकी शिक्षा देता है । इस प्रकार पूर्वोक्त सम्पूर्ण विषय
सुस्थिर है । इन तीनों ही पक्षोंमें पुराणादिकालीन सत्राद् भी है । अर्थात्
पुराणोद्धारा भी इन तीनों पक्षोंको पुष्टि होती है ।

यदि कहो कि—उक्त रीतियोंसे महाजनद्वारा वेदोंका परिग्रह भले ही
हो, किर भी परमेश्वरद्वारा, सञ्चालित वर्तमान वेद सम्बद्धाय पूर्वसृष्टिगत

वेदापेक्ष एवेति सेश्वरमीमांसापक्षः कपिलपक्षो वा स्यादिति चेत्, किमर्थं पुनरियमपेक्षा पूर्ववेदे जगन्नाथस्य ? न तावद् वेदार्थोपलभ्याय, नित्यमर्वज्ज्ञत्वात् ।

नापि रचनार्थम्, स्वभावतः सर्ववर्त्ततया आदर्शनपेक्षणात् । नापि विरोधपरिहारार्थम्, प्रतिपाद्यानां तदनुसन्धान-

वेदके अनुसार ही सञ्चालित हो तो यह एक नया ही सेश्वर मीमांसापक्ष हो गया, जो ईश्वरको वेदका कर्ता माननेमें सेश्वर हुआ और पूर्व पूर्व वेदोंकी अपेक्षा करनेसे मीमांसा भी हुआ । अथवा कपिलपक्ष हो गया, जिसके अनुसार धर्म, विज्ञान, और ऐश्वर्यसे सम्बन्ध कपिलमुनिने ही सुम-प्रबुद्धके समान पूर्वसृष्टिगत वेदोंका स्मरणकर वर्तमान सृष्टिके प्रारम्भ में वेदोंको प्रकाशित किया—तो बताओ कि परमेश्वरको वर्तमान वेद-सम्बद्धायको सञ्चालित करनेके लिये पूर्ववेदकी क्यों अपेक्षा होगी ? यदि कहो कि—वेदिक विषयोंके ज्ञानके लिये पूर्ववेदकी अपेक्षा है । अर्थात् जिन विषयोंका प्रतिपादन वर्तमान वेदद्वारा परमेश्वरको करना है, उन विषयोंको वह पूर्ववेदसे ही जानता है—तो यह नहीं कह सकते । क्योंकि नित्य-सर्वज्ञ होनेके कारण वह स्वयं सम्पूर्ण वेदार्थका ज्ञान रखता है ।

यदि कहो कि—वर्तमान वेदकी रचनाके लिये आदर्श (नमूना) के रूपमें पूर्ववेदकी अपेक्षा है—तो यह भी नहीं हो सकता । क्योंकि स्वाभाविकरूपसे ही वह सम्पूर्ण वस्तुओंमा कर्ता होनेके कारण किसी आदर्शकी अपेक्षा नहीं करता है । यदि कहो कि—पूर्ववेदसे वर्तमान वेदमें विरोध-परिहारके लिये पूर्ववेदकी अपेक्षा है । कारण, पूर्ववेदसे आजके वेदमें विरोध होनेपर मन्वादिद्वारा परिग्रह होनेमें शिथिलता आ जायगी—तो यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि मनु आदिको पूर्ववेदका अनुसन्धान ही नहीं होता है, जिसके विरोध-परिहारार्थ परमेश्वरको पूर्ववेदकी अपेक्षा हो । यदि सर्वज्ञ होनेके कारण मन्वादिको पूर्ववेदका अनुसन्धान संभव है, इसलिये उसके साथ विरोध-निवारणार्थ पूर्ववेदके अनुसार ही परमेश्वरको वर्तमान वेद बनाना पड़ता है—ऐसा मानो, तो भी सर्वज्ञ होनेसे मनु आदि परमेश्वरकी सर्वज्ञताको भी जानते ही

विधुरत्यात् । अवैयुर्येवा कर्तुः सार्वश्यविज्ञानादेव समस्तविरोध-
विधूननात् ।

तथापि पूर्वासागान्तरवेदव्यवहारोऽपि परमेश्वरस्य गोचर
इति वेत्, कः सन्देहः । यदि चैतदेव वेदस्य प्रवाहनित्यत्वम्,
न केवलमेवस्य, किंतु घटादेवयीति न्याय एव दर्शनम् । अन्यथा
भीमांसेति कव लेखरमीमांसेति । तस्मादुक्तरूपः परिग्रहो
नान्यथा संमवतीति प्रतिवन्धमिद्धिः । तथा चाप्तोक्त्यात्
प्रामाण्यसिद्धिः ।

है, वस्से ही मनु आदिको समस्त विरोधोंका विधूनन हो जाता है ।
अर्थात् परमेश्वरकी सर्वज्ञताके ज्ञानसे ही मनु आदिको परमेश्वरकृत वेद
में विरोध-बुद्धिका उदय नहीं होता है ।

फिर भी यदि कहो कि—वर्तमान वेदके रचयिता परमेश्वरको पूर्व-
सृष्टिगत वेद-न्यवहारका भी ज्ञान रहता ही है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है ।
अत एव यद्युपि सेश्वर भीमांसापक्ष ही आता है—तो इसमें क्या सन्देह
है ? क्योंकि यदि इसे ही (वेदनिर्माता ईश्वरको पूर्ववेदका ज्ञान रहनेको
हो) वेदकी प्रवाह नित्यता कहो तो इस प्रकारका प्रवाह-नित्यत्व न
केवल वेदका ही है किन्तु घटादि वस्तुओंका भी है । अतः यह न्याय-
दर्शन ही हुआ । किन्तु यदि इससे गिर्ज प्रवाह-नित्यत्व कहो, अर्थात्
जो वेद पूर्वस्थितें था वही इस समयमें भी है, यही प्रवाह-नित्यत्व
है—तो यह शुद्ध भीमांसापक्ष होगा, जिसका खण्डन किया जा
सकता है । इसलिये सेश्वरभीमांसानामक अतिरिक्त पक्षका प्रसङ्ग कहाँ
आता है ?

इसलिये मन्वादिकोंद्वारा वेदोंका पूर्वोक्त परिमह वेदोंमें आप्तोक्तत्व-
निश्चयके विना नहीं हो सकता । अतः महाजनपरिमह और आप्तोक्तत्व
में परस्पर व्याप्तिसम्बन्धकी सिद्धि हो जाती है । अर्थात् जो जो महाजन-
परिगृहीत होता है, वह आप्तोक्त होता है । वेद भी मन्वादि महाजनद्वारा
परिगृहीत है, इसलिये वह आप्तोक्त (ईश्वरोक्त) है । तथा आप्तोक्त
होनेके कारण ही वेदोंका प्रामाण्य भी सिद्ध होता है ।

कथं पुनः सुगताद्यागमेषु नादरश्छान्दसानाम् ? वेदविद्वेषि-
दर्शनान्तःपातिपुरुषप्रणीतत्वादिति मा शङ्किष्टाः, जिनेन्द्रजग-
दिन्द्रप्रभृतिप्रणीतेष्व्यादरात्। तत्कस्य हेतोः ? महाजन-
परिणृहीतपूर्वागमाविरुद्धतया तदनुमारित्वात्। कुतस्तर्हि ?
सिद्धप्रामाण्यवेदविरोधात्। कथं तर्हि कतिपयैरपि तत्परिण्यहः ?
अलसभीरुभिर्दुःखमयजात्यर्थविद्वेषत्, उदुम्भरगर्वायतन्तुवाय-

प्रश्न—तो फिर बुद्धादिके आगमोंके प्रति वैदिकोंके अन्दर आदरकी
भावना क्यों नहीं है ?

उत्तर—यहों ऐसी आशङ्का भत करो कि—वेदोंके प्रति द्वेषभाव
रखनेवाले नास्तिक-दर्शनोंकी सीमामें आये हुए पुरुषों
(बुद्धादि) के द्वारा निर्मित होनेके कारण सुगतादि प्रणीत
आगमोंके प्रति वैदिकोंमें आदरभाव नहीं है—क्योंकि
जिनेन्द्र-जगदिन्द्र प्रभृति नास्तिकोंद्वारा प्रणीत आगमोंमें भी
वैदिकोंका आदर देरा जाता है।

प्रश्न—वैसा किस कारण से है ?

उत्तर—वैसा इसलिये है कि महाजनद्वारा परिणृहीत वेदरूप पूर्व-
वर्ती आगमसे अविरुद्ध होनेके कारण जिनेन्द्र-जगदिन्द्र
प्रभृतिका आगम वेदानुसारी है। अर्थात् वेदानुकूल होनेके
कारण ही उक्त आगमोंमें वैदिकोंका आदर है, न कि
नास्तिक या आस्तिक नामधारी किसी पुरुषद्वारा प्रणीत
होनेके कारण।

प्रश्न—तो फिर क्यों बुद्धादिकोंके आगमोंमें भी वैदिकोंके अन्दर¹
आदरभाव नहीं है ?

उत्तर—उक्त आगमोंमें आदरभाव इसलिये नहीं है कि—जिनका
प्रामाण्य सिद्ध हो चुका है, ऐसे वेदोंसे बुद्धादिके आगम
विरुद्ध हैं।

प्रश्न—तो फिर क्यों कुछ लोगोंके द्वारा भी बुद्धादिके आगमोंका
परिप्रह किया गया है ?

चत् । न त्वेवं वेदे, कर्मएयेव निर्मरत्वात् । प्रैर्वर्णिकयहिष्ठृतै-
रनधिकारिभिरनन्यगतिकत्वात् कीर्तिप्रज्ञाकरवत् । न त्वेवं श्रुती,
परैः पूज्यानामप्यत्राप्रवेशात्, इतः पतितानामपि परेष्यादानात् ।

मस्यपेयायद्वैतरुचिभिश्च रागात् सरमादिवत् । न त्वेवमा-
म्नाये, तद्विभागन्यवस्थापरत्वात् कुतर्कम्यासिभिश्च मोहात्
काणाचार्यादिवत् । न त्वेवं व्रक्षणि, आचालभावं प्रवृत्तेः ।

उत्तर—बौद्धादि-आगमोंका प्रहण वे आलसी और भीरु ही करते
हैं, जिन्हें कष्टमय आश्रमीय भद्रकर्मसे द्वेष है । जैसे,
उद्गम्यरगतीनामक देशके निवासी कुविन्दों (जुलाहों) ने
आठस्यवश वेदिककर्मको छोड़कर संसारमोचकागमोंमें
वताये कर्मको गृहीत कर लिया । किन्तु वेदोंके सम्बन्धमें
ऐसी बात नहीं है कि आलसी और भीरु ही उनका प्रहण
किये हों । क्योंकि कष्टमय कर्ममें ही वेदोंका निर्भर है ।
अर्थात् कष्टमय कर्मके ही वे प्रतिपादक हैं ।

अथवा वैवर्णिकोंसे वहिर्भूत होनेके कारण वैदिककर्मके लिये
अनधिकारी होनेसे अनन्यगत्या कुछ लोगोंने सुगतागमोंका परिप्रह
किया । जैसे, कीर्ति-प्रज्ञाकरप्रभृति बौद्धोंने किया था । ऐसी
अनन्यगति वेदोंके सम्बन्धमें नहीं है । क्योंकि जो दूसरोंके पूज्य हैं,
उनका भी वेदोंमें प्रवेरा वर्जित कर दिया गया है । तथा वैदिक सम्प्रदाय
की हष्टिसे जो पतित हो गये हैं, उन्हें भी बौद्धादि-आगमवाले प्रहण
कर लेते हैं ।

अथवा भद्र्याभद्र्य और पेयापेय आदि वस्तुओंके सम्बन्धमें कोई
भेदभाव नहीं चाहनेवाले व्यक्तियोंके द्वारा रागवशात् सौगतादि-आगमों
का प्रहण किया गया है । जैसे, सरभप्रभृति बौद्धोंने किया है । किन्तु
ऐसो वात वेदोंके सम्बन्धमें नहीं है । क्योंकि भद्र्य-पेय आदिवे विभाग
की व्यवस्था वेदको अभिप्रेत है ।

अथवा सत्तर्कोंको छोड़कर जो केवल कुतर्कोंके ही अभ्यस्त हैं, उन्हों-
के द्वारा मोहवश सौगतादि-आगमोंका परिप्रह हुआ है । जैसे, काणा-

अविवेकिभिश पापण्डसंसर्गात् शौण्डिकादिवत् । न त्वेवं प्रकृते, पित्रादिकमेण प्रवर्तनात् । योगाभ्यासाभिमानिभिश्चाव्यग्रताभिसन्धेः सुभूत्यादिवत् । न त्वेवं प्रस्तुते, प्रथमस्य कर्मकाण्ड एव नियोगात् ।

अयोग्यैराजीवनात् सामान्यश्रमणकवत् । न त्वेवं प्रक्रान्ते, आगन्तुकानामनधिकारात् । कुहकपञ्चितैः समीचीनप्रत्ययात् दीपद्वारसुपित्तदशिंशालिशवत् । न त्वेवं प्रकृते, तदभावात् ।

चार्यप्रभृति बौद्धोंके द्वारा हुआ था । ऐसी बात वेदके सम्बन्धमें नहीं है । क्योंकि कुनर्णाभ्याससे पहले ही बालभाव अर्थात् मोहावस्थासे उन्मुक्त होते ही वेदपरिप्रहमे प्रवृत्ति होती है ।

एव, अज्ञानियोंने द्वारा ही पाखण्डियोंका ससर्ग पाकर सौगतादिआगमोंका परिप्रह किया गया है । जैसे, शौण्डिकप्रभृतिने किया था । वेदके सम्बन्धमें यह नात नहीं है । क्याकि पित्रादिपरम्परासे ही वेदमें प्रवृत्ति होता है न कि पाखण्डियोंके ससगवशासे ।

एव, योगाभ्यासका मिथ्या अभिमान रखनेवाले व्यक्तियोंके द्वारा कर्मकाण्डके लिये व्यप्र न होनेके अमिप्रायसे बौद्ध आगमोंका परिप्रह किया गया है । जैसे सुभूतिप्रभृति बौद्धोंने किया था । किंतु वेदके सम्बन्धमें ऐसी बात नहीं है । वैदिक आगमके अनुसार गार्हस्थ्यके बाद ही योगविधि एव उपासनाआका उपदेश किया गया है । इसलिये प्रथम प्रथम अत्यन्त कष्टमय गृहस्थ कर्ममें ही नियुक्त किया जाता है ।

अथवा अपनी जीविकाके सम्बादनमें स्वयं असमर्थ व्यक्तियोंद्वारा जीविकाके रूपमें बौद्धागमोंका परिप्रह किया गया है । जैसे, सामाय नामक भिक्षुको बौद्धान वहुत धन दकर अपने धर्ममें प्रवृत्त करा लिया था । ऐसी बात वेदके सम्बन्धमें नहीं है । क्योंकि आगन्तुकाका अर्थात् पाखण्डियोंका इसमें अधिकार ही नहीं है ।

अथवा एन्द्रजालिकासे ठगे गये व्यक्तियोंन धर्मसे समीचीन (यथार्थ) समक कर सुगतादिकोंके आगमोंका ग्रहण कर लिया । जैस, काठके बने वहुत छिद्रवाले य-प्रतिशेषपम एक ही दीप रखा हुआ रहता है, किंतु

किन्तु महाजनपरिग्रहात् वक्तुप्रामाण्यमनुभाय, आयुर्वेदे नै-
रुज्यकामवदिति ।

किं पुनरमीपां मूलम् १ न हेतावन्तो ग्रन्थराशयः पर-
विग्रलम्भनार्थं प्रणीयन्ते, न च विश्वमेव विग्रलम्भमिति चेत्,
भवतु किञ्चिन्मूलं किमनेन चिन्तितेन १ अतिनिर्वन्धे तु क्षणि-
कनैरात्म्यादिप्रतिपादकानां तर्कम्भ्यासः । प्रतिपादितं च तथा ।

मूर्खोंको उसके अनेक छिद्रोंसे निकलती हुई प्रभाओंमें अनेक दीपोंका धम हो जाता है । किन्तु वेदके सम्बन्धमें ऐसी बात नहीं है । क्योंकि वेदका भूलभूत कोई वश्वक पुरुष नहीं है । अतः सौगतागमोंमें प्रवृत्ति-के यही सब कारण हैं । किन्तु धैदिक यागादिकोंमें प्रवृत्ति तो—महा-
जन-परिगृहीत होनेके कारण वेद प्रामाणिक वक्ताद्वारा निमित है—
ऐसा अनुमान करके ही होती है । जैसे, नीरोगताकी कामना करने वाला व्यक्ति आयुर्वेदमें उसकी प्रामाणिकताका अनुमान करके प्रवृत्ति होता है ।

अस्तु, आलस्यादि कारणवश कुछ व्यक्तियोंद्वारा गृहीत किये गये इन बौद्ध-आगमोंका फिर मूल क्या है ? अर्थात् कोई वस्तु निर्मूल नहीं हुआ करती । अतः इनका भी कोई मूल होना चाहिये और समूल होनेसे ही उन्हें प्रमाण भी मानना उचित है । क्योंकि अत्यन्त कष्ट बठाकर रची गयी इतनी ग्रन्थराशयों के बल दूसरोंको ठगनेके लिए नहीं बनायी गयी हैं । यदि ठगना ही लद्य हो, तो भी सम्पूर्ण विश्व नहीं ठगा जा सकता है । अभिप्राय यह है कि ससारको ठगनेके लिये बौद्ध-आगमोंकी रचना हुई है, ऐसी बात नहीं कही जा सकती—तो इन आगमोंका भले ही कुछ मूल हो, उस चिन्तासे क्या प्रयोजन है ? क्योंकि हमारी इष्टसिद्धि तो हमारे वेदागमोंकी प्रामाण्यसिद्धिसे ही हो चुकी है । फिर भी बौद्धागमोंके मूलज्ञानार्थ हठ करो हो सुनो—

जो आगम क्षणिकवाद और नैरात्म्य (आत्माका अभाव) वादके प्रतिपादक हैं, उनका मूल है कुतकोंका अभ्यास । अर्थात् वस्तु यदि स्थिर होती तो अर्थक्रियामें क्रमयोगपदकी उपपत्ति नहीं हो सकती है, एवं आत्मा यदि हो तो आत्मदर्शी व्यक्ति उस आत्मामें अनुरागवान्

शून्यसाकारादिप्रतिपादकाना तु दुरभ्यासः, योगशास्त्रेष्यभ्य-
स्यतः स्वरूपशून्यमित्र भाव्यमेकमेवेति प्रतिपादनात् ।

चैत्यचीवरादिप्रतिपादकानां तु स्वस्थितिमभिसन्धाय
दर्शनान्तरस्थितिद्वेषः, स्वस्थितौ प्रमाणमनपेक्ष्य परस्थितौ
विगानात् । ब्रह्मचर्यप्रतिपादकाना तु वेदा एव, न्यायावि-
रुद्ध परतन्त्रोक्तमप्यानुकूल्यप्रसिद्धेर्गृह्णत इति विमर्शत् । मन्त्र-
कोपप्रतिपादकानां तु प्रणववीजज्ञातयः सर्वसाधारण्यः, अद्वेय-

होनेके कारण कभी मुक्त नहीं हो सकेगा—इत्यादि कथन कुर्तर्काभ्यास
ही है । इनका कुर्तर्कत्व पूर्व प्रकरणमें सिद्ध किया जा चुका है ।

जो आगम 'शून्यवाद' एव 'बाह्यपदार्थं ज्ञानके ही आकारविशेष हैं'
इत्यादि वादके प्रतिपादक हैं, उनका मूल तो दुरभ्यास (दूषित भावना)
है । क्योंकि योगशास्त्रका अभ्यास करते हुए चित्तको बाह्यवस्तुओंसे
पृथक्कर जगत् शून्यसाको ही एकमात्र अपनी भावनाका विषय बनाते
हुए किसीने शून्यवादका सिद्धान्त बना डाला ।

जो आगम चैत्य (बौद्धधर्मका देवताविशेष) व्यादना एव चीवर-
(वस्त्र) परित्यागके प्रतिपादक हैं, उनका तो मूल दिग्म्बरोंका अपने
सिद्धधान्तके मोहमेअन्यदर्शनके साथ द्वेष ही है । क्योंकि चैत्यवन्दन
एव चीवरपरित्यागके सिद्धाय अन्य कुछ भी मानन योग्य नहीं है—
अपने इस सिद्धधान्तमें तिना कुछ प्रमाण दिये ही दूसरोंके सिद्धधान्तका
केवल निन्दा करते हैं ।

जो आगम ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा आदिके प्रतिपादक हैं, उनका
मल तो वेद ही है । क्योंकि अपने न्यायसे जो विरुद्ध न हो, ऐसा
परंकीय आगममें कहा हुआ भी अपने अनुकूल होनेसे प्राप्त होता है—
ऐसा विचार कर ब्रह्मचर्य आदिका प्रतिपादन किया गया है । अथवा
ब्रह्मचर्यके प्रतिपादनसे एक भागमें विश्वास उत्पन्न कर उसी द्वारान्तसे
बौद्धधारामोंके सभी भागोंके प्रति विश्वास पैदा करनेके लिये सुगतोंने
ब्रह्मचर्य आदिका प्रतिपादन कर दिया ।

बौद्धधर्मके जो आगम मन्त्र समुदायके प्रतिपादक हैं, उनका मल तो

देवतानामाङ्कस्त्वधिकः । श्रद्धापरिगृहीतश्चाकारो देवतेरि
हस्तसमालोचः ।

सत्यतपःशालिनां वचनं मन्त्रो, विषयवत्यां चिन्तायां
चित्तस्थैर्यं प्रयोजनम् । कथमन्यथा महर्षीणां शापानुग्रह-
शमता; कथं वा चतुर्भुजाएषु जायवस्थेति' दुरुहादिति ।

हमारे वैदिक-मन्त्रात प्रणवजातियाँ और उन उन देवताओंके बीज-
मन्त्रासुर ही हैं, जो सर्वत्र एक रूपसे प्रयुक्त हैं । अर्थात् उन्हें ही
देखकर तदनुसार रूप कल्पनाकर या कहीं साक्षात् उन बीजाक्षरोंको ही
बीदूधोंने अपने मन्त्रोंमें प्रक्षिप्त कर लिया है तथा उन्हींके प्रभावसे वीधों
में आदित्यस्तम्भन या प्रतिमाका बोलना आदि शक्ति देखी जाती है ।
अद्वेय देवताओंके सूर्य आदि नामकी जगह चैत्य आदि भिन्न नामोंका
निर्देश ही उनकी अपनी विशेषता है । चैत्य आदि जिस आकारका
अद्वासे ध्यान किया जाय, वही देवता है—यह तो उनकी अपने हाथ
की कल्पनामात्र है । अर्थात् सूर्य आदि देवताजोंका अपना अपना रूप
निश्चित होता है । यह नहीं की ध्याताके ध्यानके अनुसार परिवर्तित
होने आला हो ।

यह वहना कि—सत्य और तपस्यासे युक्त व्यक्तियोंका वचन ही
मन्त्र है न कि आस्तिकोंका वेदभाग मन्त्र है । तथा किसी भी आकार-
का चिन्तन करनेवर जो चित्तमें स्थिरता आती है, वही उन देवताओंके
ध्यानका प्रयोजन है । यदि सत्य और तपस्याशील व्यक्तियोंका
वचन मन्त्र नहीं होता तो महर्षियोंमें शाप और चरदानकी क्षमता किसे
आती । एव ध्यानानुसार यदि देवताका आकार नहीं होता तो चतुर्भुज,
अष्टभुज आदि अवस्थायें देवताकी कैसे होतीं—तो दुरुह (कल्पनातीत)
होनेके कारण यह पक्ष ठीक नहीं है । अर्थात् यदि तपस्वियोंका
वचन ही मन्त्र होता तो अनेक तपस्वियोंके अनेक वचन होनेसे किस
समस्योंका कौन सा वचन मन्त्र है, यह कल्पना कठिन है । एव यदि
चित्तका स्थैर्यमात्र ही चतुर्भुज आदि अवस्थाओंका उपयोग होता तो

१. दुरुह वाऽत् इति शान्तुर्गित्यसम्पतः पाठः ।

एकविग्रलभार्थं वा केनचित् कियदेव प्रणीतं तेनानुष्ठित-
मपैरस्वदनुयायिभिर्गृहीतमनुष्ठितं व्याख्यातं विवर्धितं चेति
किमनुपपन्नम् ? तस्माद् विरुद्धाभ्युदासेन वेदा एवार्वा-
चीनपुरुषपूर्वकत्वशङ्काव्युदासेन परमेश्वरप्रणीतत्वादेव भूतार्थ-
भागस्याप्रामाण्यशङ्काव्युदासेन प्रमाणमेवेति नियमः ।

कथं चरम इति चेत् ? महाजनपरिग्रहस्य तत्साध्यस्य
वा सर्वेऽप्यपूर्वकत्वस्य पुरुषदोपाभावस्य वा प्रामाण्यहेतोभूतमा-
जिस किसी वस्तुकी चिन्तासे ही चित्त स्थिर हो जा सकता है, फिर
मूर्तिविशेषणों देवताके रूपमें कैसे कल्पित कर सकते हैं ?

अथवा यों कहनेमें भी कोई अनुपपत्ति नहीं है कि किसी एकको
ठगनेके लिए किसीने कुछ बना दिया तथा उस बञ्चित व्यक्तिने तदनुसार
अनुष्ठान किया और उसीकी देखावेखी और अनुयायियोंने भी उसे
प्रहृण कर लिया, तदनुसार अनुष्ठान किया, उसकी व्याख्यायें की तथा
लोकमें उसे फैला दिया ।

इसलिये वेदविग्रह आगमोंके परबद्धनार्थ बनाये होनेके कारण
अप्रामाणिक होनेसे उनके खण्डितकर दिये जानेसे ही, एवं वेदोंके
आधुनिक पुरुषद्वारा निर्मित होनेकी शङ्काके खण्डित हो जानेसे
परमेश्वरप्रणीत होनेसे ही, तथा वेदके भूतार्थभाग (साध्यार्थभाग
अर्थात् कियाभाग) के समान भूतार्थभाग (सिद्धार्थभाग) में भी
अप्रामाण्यशङ्काके खण्डित हो जानेसे प्रमाण ही है, ऐसा नियम सिद्ध
हो जाता है । अर्थात् वेद ही प्रमाण है, अन्य नहीं—ऐसा इदेश्यगढ़
नियम, तथा ईश्वरप्रणीत होनेसे ही प्रमाण है, अन्य कारणसे नहीं—
ऐसा हेतुगत नियम, तथा वेद प्रमाण ही है, अप्रमाण नहीं—ऐसा
विधेयगत नियम होकर त्रिविध नियम सिद्ध होते हैं ।

यदि पूछो कि—पूर्वके दो नियम भले ही हो, किन्तु अयोगव्यवच्छेद-
दार्थक एवकारका प्रयोग कर, वेद प्रमाण ही है—यह अन्तिम नियम
कैसे है ?—तो इसका यही उत्तर है कि महाजनद्वारा परिगृहीत होना
अथवा महाजनपरिग्रहसे सिद्ध सर्वेषापूर्वक (सर्वेषाप्रणीत) होना या
पुरुषगत दोपसे रहित होना ही वेदकी प्रामाणिकताका कारण है, जो

व्यार्थभागयोः साधारणत्वात् । किं तस्य फलमिति चेत् ? स्वार्थप्रतिपादनम् । किं तेन प्रयोजनम् ? यथायथमुपादानं हानं मोक्षश्च । तत्रानर्थहेतुनां तत्त्वज्ञानादानमर्थहेतुनामुपादानमात्मनो मोक्ष इति ।

कः पुनरयं मोक्षः ? आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिरात्मनः । किमात्यन्तिकत्वम् ? तज्जातीयात्यन्ताभावविशिष्टत्वम् । तेषा-

वेदके भूतार्थभाग और भव्यार्थभाग दोनों में समानरूपसे है । अतः भव्यार्थभागके समान ही अर्थवादादिरूप भूतार्थभाग भी प्रमाण ही है ।

यदि पूछो कि—भव्यार्थभागका तो प्रवृत्ति या निवृत्ति फल है, किन्तु भूतार्थभाग (अर्थवादादि भाग) का क्या फल है ?—तो यही उत्तर है कि स्वार्थका प्रतिपादन करना भूतार्थभागका साक्षात् फल है । पुनः पूछो कि—स्थार्थप्रतिपादनका प्रयोजन क्या है ?—तो यही कि यथायोग्य कहीं उपादान (ग्रहण) करना, कहीं परित्याग करना और कहीं मोक्षप्राप्ति । उनमें जो अनर्थके हेतु है, उनके तत्त्वज्ञानसे उनका परित्याग करना होगा । जो इषुके साधन हैं, उनके तत्त्वज्ञानसे उनका ग्रहण होगा तथा आत्माके तत्त्वज्ञानसे मोक्ष होगा । अर्थात् अर्थवादभागके भी परम्पराया प्रवृत्ति, निवृत्ति और मोक्ष ही यथायोग्य फल हैं । यैसे, “वायुर्वै लेपिष्ठा देवता” “तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेघेन यजेत्” इत्यादिका वायुयागादिमे प्रवृत्ति प्रयोजन है । “अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये के धात्महनो जनाः” इत्यादिका आत्महत्यासे निवृत्ति कल है । तथा उपनिषद्भागका मोक्ष फल है ।

मोक्षका स्थरूप

प्रश्न—यह मोक्ष क्या बस्तु है ?

उत्तर—आत्ममें दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है ।

प्रश्न—आत्यन्तिक किसे कहते हैं ?

उत्तर—दुःखमात्रका अत्यन्ताभाव होना दुःखकी आत्यन्तिकी निवृत्ति है ।

प्रश्न—दुःखोंका अत्यन्ताभाव कैसे होता है ?

मभावः कथम् ? कारणभावोच्छेदात् । अपुरुषार्थोऽयमिति
चेत्, न, असत्यस्याकाम्यस्याशक्यस्य दुरन्तस्य तथाभावात् ।
न त्वयं तथा । सत्योऽयम्, प्रमाणसिद्धत्वात् सर्वैरम्युपगमात् ।
काम्यश्च, दुःखस्य स्वभावहेयत्वात् । सुखार्थं तद्वानमिति चेत्,
न, अतद्वेतुत्वात् ।

व्याप्तेरिति चेत्, न असिद्धेः । न हि दुःखाभावः सुखेन
व्याप्त्यत इति । सुखं तावत्तेन व्याप्त्यत इति चेत्, तद्विं सुखे
सत्यवश्यं दुःखाभावो भवेदिति सुखप्रार्थनेति विपरीतापत्तिः ।

नावेद्यत्वादसौ काम्य इति चेत्, न, दुःखार्थानां तद-

उत्तर—दुःखके ज्ञितने भी कारण है, उनका उच्छेद हो जानेसे
दुःखोंका अत्यन्ताभाव हो जाता है और वही मोक्ष है ।

यदि कहो कि—दुःखकी निवृत्ति तो पुरुषार्थं नहीं है—तो ऐसा
नहीं कह सकते । क्योंकि जो असत्य है, अकाम्य है, असाध्य है या
जिसका अन्त (परिणाम) दोषमय है, वही अपुरुषार्थं होता है । यह
तो बैसा है नहीं । वलिक यह प्रमाणसिद्ध होनेसे सत्य है । सभीके
द्वारा अभीष्ट होनेसे काम्य भी है । क्योंकि दुःख स्वभावसे ही सभके
लिये त्याज्य है । यदि कहो कि—दुःख स्वरूपतः त्याज्य नहीं है किन्तु
सुखके लिये उसका त्याग होता है । अर्थात् सुखरूपसे सुख ही काम्य
है, दुःखाभाव तो उसका साधन है, इसलिये वह गौणरूपसे काम्य है—
तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि दुःखका त्याग सुखके प्रति हेतु
नहीं है ।

यदि कहो कि—दुःखाभाव और सुखमे परस्पर व्याप्ति होनेसे हेतु
है—तो यह नहीं कह सकते । क्योंकि उनकी परस्पर व्याप्ति ही असिद्ध
है । कारण, दुःखाभाव सुखसे व्याप्त नहीं है । क्योंकि सुपुस्त-अवस्था
में दुःखाभाव रहनेपर भी सुख नहीं रहता है । यदि कहो—दुःखाभाव
सुखसे व्याप्त भले ही न हो किन्तु सुख तो दुःखाभावसे व्याप्त है,
क्योंकि सुख होनेपर दुःखाभाव अवश्य रहता है—तब तो सुख होनेपर
अवश्य ही दुःखाभाव हो जायगा, इसी अभिप्रायसे सुखकी प्रार्थना होगी ।

माघवेदनमनभिसन्धायैव तज्जिहासादर्शनात् । कथमन्यथा
देहमपि ज्ञातुः । अविवेकिनस्त इति चेत्, किमत्र विवेकेन ?
इष्यमाणतामात्रानुयन्धित्यात् पुरुषार्थत्वस्य, गम्यागम्योः
कामवत् । बहुतरानथप्रसक्तिशङ्कथा शास्त्रमनुकूलयन्वत्त
इतरेभ्यो मिथन्ते ?

अपि चैवं कण्टकादिजन्यदुखनिवृत्तिरपि पुरुषार्थो न
स्यात्, अपेक्षत्वात् । प्रथम विद्यते तापदसाविति चेत्,

ऐसी स्थितिमें सुख गौण छान्न्य हो गया और दुखभाव ही सुखरूपसे
अभीष्ट (काम्य) सिद्ध हो गया । इस प्रकार “सुखके लिये दुखका
अभाव होता है” इस तुम्हारे पूर्ववचनके विपरीत ही सिद्ध हो गया ।

यदि कहो, दुखभावका अनुभव नहीं होता है, इसलिये वह काम्य
नहीं होगा—तो एसा नहीं कह सकते । क्योंकि दुखसे पीड़ित द्यकि
दुखभाव प्रतीतिका बिना खयाल किये ही दुखसे छुटकारा पानेकी
इच्छा करता है, ऐसा देखा जाता है । यदि उसे दुखभावकी अनुभू
तिकी भी कामना रहती तो विषादिका भक्षण कर क्यों दैहिको भी लोड
देना चाहता है ? जब कि अनुभूतिके लिये देह अपेक्षित है । यदि
कहो—वे अविवेकी हैं—तो इसमें विवेकका क्या प्रयोजन है ? इष्य-
माणतामात्रसे ही पुरुषार्थका सम्बन्ध है । अर्थात् जो अभीष्ट है, वही
पुरुषार्थ है । जैसे कामनामक पुरुषार्थ गम्य या अगम्याके विवेककी
अपेक्षा नहीं करता । अर्थात् गम्याकी कामना भी काम है और अगम्या
की कामना भी । हाँ विवेकियोंमें अविवेकियोंसे इतना आतंतर है कि
विवेकी लोग अत्यधिक अन्योंकी प्रसक्तिकी आशाहृसे शास्त्रानुकूल ही
आचरण करते हैं । अर्थात् दुखसे छुटकारा पानेकी इच्छासे
विषभक्षणादिद्वारा आत्महत्या या कामशान्तिके लिये अगम्यागमन
नहीं करते हैं ।

एवं अनुभूत्यमानवाकी दरामें ही यदि दुखभाव पुरुषार्थ माना
जाय तो कण्टकादिसे होनेवाले दुखकी निवृत्ति भी पुरुषार्थ नहीं होगा ।
क्योंकि उस दुखनिवृत्तिका सदा अनुभव नहीं होता रहता है ।

तुल्यं मोक्षेऽपि । नाध्यक्षेणेति चेत्, तर्हि दुरितक्षयकामस्य कर्मनुष्टानानर्थक्यप्रसङ्गः, तदभान्तत्कलाभावयोरप्यनध्यक्षत्वात् । उपलब्धियोग्यतापनानिष्टनिवृत्तिरूपत्वादयमदोप-इति चेत्, तुल्यम् ।

दुःखवत् सुखस्याप्युच्छेदादकाम्योऽयमिति चेत्, न, त्रृष्णया दोपतिरस्कारेण प्रवृत्तिवदलंप्रत्ययेन गुणतिरस्कारान्नि-

यदि कही कि—कण्टक निकल जानेपर प्रथम कालमे दुखनिवृत्तिका अनुभव होता है, इसलिये उसके पुरुषार्थ होनेमे कोई वाधा नहीं है । अर्थात् कदाचित् अनुभूयमान होना ही पुरुषार्थका लक्षण है—तो यह बात आत्यन्तिकी दुखनिवृत्तिरूप मोक्षमे भी तुल्य है । अर्थात् शब्द, अनुमान आदि द्वारा मोक्षकालिक दुखनिवृत्ति भी अनुभूयमान ही है । यदि कहो कि—उस दुखनिवृत्तिका शावद्योध या अनुमिति होनेपर भी साक्षात्कार नहीं होता है, अत वह पुरुषार्थ नहीं हो सकता है—तब तो पापनाशकी इच्छासे प्रायश्चित्तादि कर्मोंका अनुष्ठान ही अनर्थक हो जायगा । क्योंकि पापाभाव और पापके फलस्वरूप दुखके अभावका भी साक्षात्कार नहीं होता ।

यदि कहो कि—प्रायश्चित्त-जन्य दुखनिवृत्तिके प्रत्यक्षसे उपलब्ध-मान न होनेपर भी उपलब्धिकी योग्यतासे युक दुखनिवृत्तिरूप होनेसे यहाँ कोई दोप नहीं है । अर्थात् पुरुषार्थ होनेके लिये उपलब्धिअपेक्षित नहीं है, किन्तु उपलब्धिकी योग्यता अपेक्षित है । तथा वह योग्यता प्रायश्चित्त-जन्य दुखप्राप्तभावमे भी है, क्योंकि उसका प्रतियोगी-भूत दुख उपलब्धिके योग्य है—तो ऐसी उपलब्धि-योग्यता आत्यन्तिक दुखनिवृत्तिरूप मोक्षमें भी तुल्य है ।

यदि कहो—दुखके समान सुखका भी इस पक्षमे उच्छेद हो जाने से दुखनिवृत्तिरूप मोक्ष किसीका काम्य नहीं हा सकता—तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि जैसे, अत्युक्त रागवश अगम्यागमनादिमे दोप की उपेक्षा कर उसमे अविवेकियाकी प्रवृत्ति होती है, वैसे ही सुख-साधनों में विवेकियोंको अलबुद्धि (अनपेक्षाबुद्धि) होनेसे उनके गुणोंकी उपेक्षा कर सुख साधनोंसे निवृत्ति भी देखी जाती है । इसमें मधु-

सुखेरपि दर्शनात् । मधुविषसंपृक्तमन्नमत्रोदाहरणम् । सन्ति
च केचनालं प्रत्यवन्तः । न च समत्वम्, दुःखस्यैव प्राञ्जुर्यात्,
दुःखे सुखहेत्वननुपङ्गेऽपि सुखे दुःखहेत्वनुपङ्गनियमात् ।

तथा हि न्यायोपाजितेष्वैव विषयेषु कियती सुखख्यो-
तिका कियन्ति चार्जनरक्षणादिभिर्दुःखदुर्दिनानि । अन्यायो-
पाजितेषु यद् भविष्यति तन्मनसापि चिन्तयितुमशक्यम् ।
विदाङ्गुर्वन्तु च सन्तो यदि कण्टकादिजन्येषु दुःखेषु लेशतोऽपि
-सुखानुपङ्गः । अस्ति च स्वर्गादिसुखेष्वपि बहुलो दुःख-

एवं विषयसे सम्पूर्ण अन्त उदाहरण है । अर्थात् मधुका लोभी व्यक्ति-
विषये होने वाले अनिष्टकी उपेक्षा कर उस अन्नको खा लेता है, तथा
मधुका जो लोभी नहीं है, ऐसा व्यक्ति मधुकी मधुरतागुणकी उपेक्षा कर
विषमित्रित अन्नका परित्याग कर देता है । दुखरूपी दुर्दिनसे डरे हुए
बहुतसे व्यक्ति हैं, जो उस सुखके प्रति भी विरक्त हैं । तात्पर्य यह है
कि सुखका भी उच्छेद हो जायगा, इस कारण दुखनिवृत्तिस्प पुरुषार्थमें
अकाम्यत्वका प्रसङ्ग नहीं आयगा ।

साथ ही दुःख और सुखमें कोई समता भी नहीं है । क्योंकि
संसारमें दुःख ही अधिकमात्रामें है । अतः अधिक दुखोंकी निवृत्ति-
रूप लाभकी मात्रा विशेष है तथा उसके समक्ष इवल्प सुखका उच्छेदरूप
हानिकी मात्रा बहुत थोड़ी है, इसलिये दुःख-निवृत्ति अवश्य काम्य
होगी । क्योंकि दुःखमें सुखहेतुकी अनुशृति नहीं भी रहती है, किन्तु
प्रत्येक सुखमें दुःखका हेतु अवश्य ही अनुवर्तमान रहता है । जैसे कि
न्यायपूर्वक उपाजित विषयोंमें ही कितनी सुखरूपी जुगनू भासित होती
है ? और अर्जन एवं रक्षा आदिको लेकर कितने दुखरूपी दुर्दिनोंका
सामना करना पड़ता है ? अर्थात् न्यायोपाजित विषयोंमें भी सुखसे
अधिक दुःख ही भोगना पड़ता है । किन्तु जो विषय अन्यायसे उपाजित
होंगे, उनमें जो भोगना पड़ेगा, उसकी तो मनसे भी कल्पना नहीं की जा
सकती है । सज्जन ही अनुभव करें, यदि कण्टकादिसे होनेवाले दुखोंमें
लेशमात्र भी सुखका संसर्ग हो । और स्वर्गादि सुखोंमें भी बहुल-

शल्यसम्मेदः । अत एव विवित्य भुज्यतां तु पतण्डुलवदित्य-
शक्यमिति ।

शक्यत्वायं, निवर्त्यत्वात् । स्वन्त्रश्च, अपरावृत्तेरनर्थवा-
सनाननुकूलाभिसन्धित्वाच्चेति ।

नित्यं तु सुखं न सत्यम्, योग्यानुपलभ्यवाधित्वात् ।

मात्रामें दुःखरूपी काटोंका ही सम्मिश्रण है । इसीलिये भूसी और
चावलके न्यायसे दुखरूपी कोटोंको बिलगा बिलगा कर सुखका भोग
किया जाय, यह भी असभव है ।

एव, दुखनिवृत्तिरूप मोक्ष साध्य भी है, अर्थात् असाध्य नहीं है ।
क्योंकि उपायद्वारा उसे किया जा सकता है । अर्थात् दुखात्यन्ताभाव-
रूप मुक्तिके पक्षमें यद्यपि अत्यन्ताभावके नित्य होनेसे वह उत्पाद्य नहीं
हो सकता है, तथापि सम्पूर्ण दुखसाधनोंका ध्वस उत्पाद्य है, अत उसके
साथ दुखात्यन्ताभावका सम्बन्ध भी उत्पाद्य होनेसे वह भी साध्य कोटि
में आ जाता है । यदि विशिष्ट दुखका ध्वसरूप मुक्ति हो तो वह स्वतः
ही साध्य है । यदि दुखका प्रागभाव ही सुक्ति हो तो वह भी दुख-
कारणोंके विघटनके द्वारा साध्य ही है ।

साथ ही यह दुखनिवृत्तिरूप मोक्ष परिणाममें भी अच्छा है ।
अर्थात् तक्षकसर्पके शिरका मणि लेनेके समान दुष्परिणामवाला भी
नहीं है । क्योंकि निवृत्त हुआ दुःख फिर नहीं पैदा होता है ।
तथा किसी अन्य अनर्थकामनाकी प्रयोजिका भी वह दुःखकी आत्य-
न्तिक निवृत्तिकी कामना नहीं है । अर्थात् जैसे, सुखाभिलाषी
व्यक्ति सुखका भोग होनेपर वारवार सुख और उसके साधनकी कामना
करता रहता है । तथा सुखका उचित साधन नहीं मिलनेपर अनुचित
साधनकी भी कामना करता है । जैसे, कामी व्यक्ति अपनी स्त्रीके
नहीं मिलनेपर परस्त्रीकी कामना करने लगता है, किन्तु वह कामना
परिणाममें महान् अनर्थका हेतु है । इस प्रकार सुखकी कामना उत्तरो-
त्तर अनर्थकामनाको ही उद्बुद्ध करनेवाली होती है । किन्तु यह दुःख-
निवृत्तिरूप मोक्षकी कामना वैसी नहीं है ।

नित्य सुख तो कोई सत्य वस्तु है ही नहीं । इसलिये नित्य सुख

श्रुतिस्तत्र मानमिति चेत्, न, योग्यानुपलब्धिवाधिते तदनव-
काशात् अवकाशे'वा ग्रामप्लवनश्रुतेरपि तथाभावप्रसङ्गात् ।

नापि काम्यं, सदारनत्वात् । न हि यद् यस्यास्ति स
तत्कामयते । आन्तेरेवम्, कण्ठस्थचामीकरवदिति चेत्, न
स्वसंवेद्ये तदभावात् ।

मोक्ष है—यह पक्ष नहीं हो सकता । क्योंकि सुख और दुःख नियमत-
प्रत्यक्षयोग्य ही होते हैं । अत यदि नित्य सुख होता तो उसका प्रत्यक्ष
होता । इसलिये प्रत्यक्षयोग्यता होनेपर भी उसकी उपलब्धि नहीं होनेसे
नित्य सुखका होना बाधित है । यदि कहा जाय कि—नित्य सुखका
सत्तामें श्रुति प्रमाण है—तो यह नहीं हो सकता । क्योंकि जो योग्य
होता हुआ भी अनुपलब्धिके कारण बाधित है, उसका वोधक श्रुति भी
नहीं हा सकती है । यदि हो तो ग्रामप्लवन (पत्थरका तैरना) की
प्रतिपादिका श्रुति भी वस्तुगत्या ग्रामप्लवनकी प्रतिपादिका हा जायती ।
अर्थात् "नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म, आनन्द ब्रह्मगो रूप तत्त्वं मोक्षे
प्रतिष्ठितम्" इत्यादि श्रुतियों मोक्षावस्थामें नित्य सुखको नहीं बताती हैं,
किन्तु दुखात्यन्ताभावपरक हैं ।

एव, नित्य सुख काम्य भी नहीं हो सकता है । क्योंकि नित्य होने
से वह सदा है ही, फिर कामना क्यों ? ऐसा नहीं होता कि जो वस्तु
जिसके पास है, उसकी वह कामना करता हो । यदि कहें कि—नित्य
सुखके विद्यमान होनेपर भी उसके अविद्यमान होनेकी भ्रान्तिसे उसकी
कामना होती है । जैसे कण्ठमें ही स्थित स्वर्णभरणको नहीं देखनेसे
भ्रमवशात् उसकी कामना होती है—तो यह नहीं कह सकते । क्योंकि
स्वकण्ठस्थित स्वर्णभरण दूसरेके द्वारा सवेद्य होनेके कारण भ्रमवशात्
भले ही काम्य ही, किन्तु सुख तो सदा स्वसवेद्य है, अर्थात् रहनेपर स्वयं
ही विदित होता रहता है । इसलिये स्वयंप्रकाश सुखमें भ्रम ही ही
नहीं सकता । अत नित्य सुखरूप मोक्ष सदा ग्राम और सदा प्रत्यक्ष
होनेके कारण काम्य नहीं हो सकता है ।

नापि शक्यम्, न हि तन्निर्वत्ये नित्यत्वात् । नापि विकार्यम्, अपरिणामित्वात् । नापि संस्कार्यम्, अनाधेयातिशयत्वात् । न प्राप्यम्, नित्यसम्बन्धवत्त्वात् ।

न ज्ञेयम्, ज्ञानस्यापि नित्यत्वात् । अनित्यत्वे वा शरीरादिकारणापाये तदनुत्पत्तेः । उत्पत्तौ वा तेषामकारणत्वप्रसङ्गात् । तथा च सर्वः सर्वदर्शी स्यात्, आत्ममनःसंयोगादेः सर्वत्राविशेषात् ।

एथ, नित्यसुखरूप मोक्ष शक्य (साध्य) भी नहीं है । क्योंकि शक्यका क्या अर्थ है ? उत्पाद्य या विकार्य या संस्कार्य या प्राप्य अवश्य ज्ञेय । यदि शक्यका अर्थ उत्पाद्य लें तो वह उत्पाद्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह अपरिणामी है । नित्य सुख विकार्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह अपरिणामी है । संस्कार्य (संस्कारद्वारा कुछ अतिशय लानेयोग्य) भी यह नहीं है, जैसा कि “ब्रीहीन् प्रोक्षणद्वारा ब्रीहिका संस्कार होता है—क्योंकि नित्य सुख अनाधेयातिशयरूप है । अत उसमें संस्कारद्वारा किसी प्रकारके अविशयका आधान नहीं किया जा सकता है । नित्यसुखको प्राप्य भी नहीं कह सकते, जैसा कि नित्य भी वेद अध्ययनद्वारा प्राप्त किया जाता है—क्योंकि नित्य होनेसे सदा प्राप्त ही है ।

ऐसे ही नित्य सुखरादी वेदान्तियोंके यहाँ ज्ञान भी नित्य ही होता है । अत ज्ञान और सुख दोनोंके नित्य होनेसे उपासनादि विधियोंसे नित्य सुखरो ज्ञेय कहना भी ठीक नहीं है ।

यदि कहो मि—ज्ञान अनित्य है—तो मुक्तिदशामे शरीरादि ज्ञान साधनोंके अभावमे नित्यसुखरा ज्ञान ही नहीं उत्पन्न हो सकता है । यदि उस कालमें शरीरादि कारणोंके अभावमे भी सुखज्ञानही उत्पत्ति मानो तो ज्ञानोत्पत्तिके प्रति शरीरादि अहेतु हो जायगा । अर्थात् विना शरीरेन्द्रियादिके भी ज्ञान पैदा होने लगेगा । ऐसी स्थितिमें सब सर्वज्ञ हो जायेंगे । क्योंकि ज्ञानका कारण जो आत्मा और मनका सयोग है, वह सबमें समानरूपसे है ।

ज्ञानहेयोनित्यत्वेऽपि तत्सम्बन्धो जन्यते, स च पट्-
पदार्थव्यतिरेकादृत्पन्नोऽपि न निवर्तते घ्वंसनदिति चेत्, न,
भावाभावयोः प्रकारान्वराभावात् ।

तत्र स नाभावः, प्रतियोग्यनुपपत्तेः । भावत्ते त्ववश्यमुत्पन्नो
निवर्तते, उपाध्यन्तराभावात् । अविद्याविघ्नं सनमेव तत्प्राप्ति-
रिति चेत्, अत्र न नो विवादः । न श्वेकविंशतिप्रभेदभिन्न-
दुःखव्यतिरिक्ता अविद्या नाम । तद्विघ्नं सनञ्च पुरुषार्थ
इति प्रतिपादनादिति ।

दुरन्तं च तत्, तदभिसन्धेः सुखस्स्कारसहकारितया
तदुद्ध्रवे विशिष्टसुखाभिलापिणो वैपयिकेऽपि प्रवृत्तिसंभवात् ।

यदि कहो कि—ज्ञान और सुखरूप हेय इन दोनोंके नित्य होनेपर
भी उनका सम्बन्ध उत्पन्न होता है । अतः वह उपासनादि विधियोंके
द्वारा साध्य है । तथा वह सम्बन्ध उत्पत्तिशाली होनेपर भी द्रव्यादि
षट् पदार्थोंसे भिन्न होनेके कारण विनष्ट नहीं होता है । जैसे, ध्वस
उत्पत्तिमान् होनेपर भी विनष्ट नहीं होता—तो ऐसा नहीं हो सकता है ।
क्योंकि भाव और अभावके अतिरिक्त पदार्थोंका कोई दूसरा प्रकार ही
नहीं होता है । उसमें वह सम्बन्ध अभावरूप नहीं है । कारण, निष्प्र-
तियोगिक अभाव होता ही नहीं है । यदि वह सम्बन्ध भावरूप हो तो
उत्पन्न होनेके कारण वह अवश्य विनष्ट हो जायगा । क्योंकि उत्पन्न
चस्तुके विनाशो होनेमें भावत्व ही उपापि है, अन्य नहीं । यदि कहो
कि—अविद्याका ध्वस होना ही नित्यज्ञान और नित्यसुखका सम्बन्ध
है—तो इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है । क्योंकि इक्कीस प्रकारोंमें
विभक्त दुखके अलावे कोई अविद्या नहीं है तथा इन लु खोंका विध्वस
ही पुरुषार्थ (मोक्ष) है, यह न्यायमें प्रतिपादित किया गया है ।
अर्थात् न्यायसम्मत दुखध्वस ही अन्ततोगत्वा मोक्षका स्वरूप सिद्ध
होता है ।

एव, नित्यसुखरूप मोक्ष दुरन्त अर्थात् परिणाममें दोपपूर्ण भी है ।
क्योंकि सुखकी कामनासे पूर्वमें प्राप्त सुखोंके सकारोंकी सहायता पाकर

“अलामे मत्तकाशिन्या ददा तिर्यक्षु कामिता” इत्युदा-
हरणादिति ।

स्यादेतत्, आत्मा तु किं स्वप्रकाशसुखस्वभावोऽन्यथा
चेति पृच्छामः । थादोऽसि चेदुपनिपदः पृच्छ । मध्यस्थोऽसि
चेत्, अनुभवं पृच्छ ।

नैयायिकोऽसि चेत्, न वैपर्यिकसुखज्ञानस्वभाव इति

सुखसंस्कारके उद्युद्ध होनेपर पूर्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट सुखकी अभिलापा
करनेवाले व्यक्तिको उस उत्कृष्ट सुखके नहीं मिलनेपर निम्नकोटिके
वैपर्यिक सुखमें ही प्रवृत्ति होने लगेगी, जो कि मोक्षका विरोधी है ।
क्योंकि “मत्तकाशिनी (सुन्दरी स्त्री) की अप्राप्तिमें तिर्यग्योनियों
के प्रति भी कामग्रासना देखी जाती है” ऐसा उदाहरण है । अर्थात्
मोक्षको सुखस्वरूप माननेमें उत्तरोत्तर बन्धन ही बढ़ता जायगा तथा
मुक्ति असंभव हो जायगी ।

आत्माका स्वरूप

“अस्तु, आत्मा क्या स्वप्रकाश-सुखस्वभाव है ? यह हम पूछते हैं ।
आशय यह है कि आत्मा यदि स्वप्रकाश-सुखस्वभाववाला हो तो
उसमें हुःह्यकी समावना ही कहाँ है कि आत्यन्तिकी हु सनिवृत्ति मोक्ष-
का स्वरूप हो” । इसका उत्तर यह है कि यदि अद्वालुरूपमें पूत्रते हो
तो उपनिपदोंको पूछो । अर्थात् उपनिपदोंमें आत्माका प्रतिपादन ज्ञान
और सुखसे भिन्नरूपमें ही किया गया है । जहाँ कहीं सुखज्ञान-
स्वभावत्वका प्रतिपादन है, उसका दूसरा तात्पर्य बताया जा चुका है ।
यदि मध्यस्थके रूपमें अर्थात् न्याय और आगमका अपक्षयाती होकर
पूछते हो तो अपने अनुभवको पूछो । अर्थात् “अह सुखी, अह जाने”
इत्यादि अनुभवसे आत्मा सुख और ज्ञानसे युक्त प्रतीत होता है न कि
सुख और ज्ञानरूप । यदि वैसा होता तो “अहं ज्ञानम् अहं सुखम्”
ऐसा अनुभव होता ।

यदि नैयायिकके रूपमें अर्थात् आत्माका स्वरूप न्यायद्वारा जानने-
की रुचिसे पूछते हो तो यही निर्णय करो कि आत्मा वैपर्यिक-सुख और

निश्चिन्याः । तदतिरिक्ते तु सुखज्ञानव्यवहारे बीजाभावात्
तदव्यवहाराभावः । अनुग्रहाभिष्वङ्गेन्द्रियप्रसादादिलक्षणं
हि कार्यं तदव्यवहारवीजम्, अर्थप्रवणत्वं स्मृतिसंस्कारादिकार्यं
ज्ञानव्यवहारादिवीजं लोके, तयोश्चाभाव आत्मनीति ।
तस्मात्—

थ्रूतेः श्रुत्वाऽऽत्मानं तदनु समनुक्रान्तवपुषो
विनिश्चित्य न्यायादथ विहतहेयव्यतिकरम् ।

ज्ञानस्वरूप नहीं है । एव वैषयिक सुख और ज्ञानसे अतिरिक्त आत्मा-
में तो सुख और ज्ञानके व्यवहारमें, जैसा कि वेदान्ती मानते हैं, कोई
बीज नहीं है । इसलिये वेदान्तादि सम्मत किसी भिन्न प्रकारके सुख
और ज्ञानका व्यवहार आत्मामें नहीं हो सकता है । क्योंकि अनुग्रह,
अभिष्वङ्ग (सरलेष) तथा इन्द्रियोंकी प्रफुल्लता आदि कार्य ही सुख-
व्यवहारका बीज है । अर्थात् जिससे अनुग्रह आदि कार्य उत्पन्न होते
हैं, वहो सुख है । वेदान्तादिसम्मत सुखसे तो अनुग्रहादिकार्य होता ही
नहीं है, इसलिये उसे सुख नहीं कह सकते । एव अर्थप्रवणता (विषय-
की ओर प्रवृत्ति), स्मृति तथा सस्कार आदि कार्य ज्ञानव्यवहारका बोज
है । अर्थात् जो अर्थाभिमुखी प्रवृत्ति तथा स्मृति सस्कार आदिका
जनक है, वही ज्ञान है । आपका अभिमत ज्ञान ज्ञान नहीं है । एव
मुक्तावस्थामें आत्मामें उन दोनों (सुख और ज्ञान) का अभाव है ।
अर्थात् आगम, अनुभव और न्यायके बलसे यही सिद्ध होता है कि
आत्मा स्वप्रकाश सुख ज्ञानस्वरूप नहीं है । क्योंकि वैषयिक सुख और
ज्ञानके अतिरिक्त अन्य प्रकारका सुख और ज्ञान न्यायविस्तृद्ध होनेसे
है ही नहीं । और मुक्तावस्थ आत्मामें वैषयिक सुख और ज्ञानका
सर्वथा अभाव है । अत दुखका आत्यन्तिक नाश ही मुक्ति है—यह
सिद्धान्त है । इसलिये—

अयि मानवो ! यदि चाहते ससार बन्धन भद्जना,
तो वेदसे होगा प्रथम “आत्मा कीदृश है” जानना ।
वेदानुगामी न्यायसे फिर साधु निश्चित कर उसे,
संसर्ग दसविध-हेयका, विघ्वस्त्र हो, फिर नहि कौसे ।

उपासीत
भवोच्छित्त्ये

थद्वाशमदमविरामैकविभवो
चित्तप्रणिधिविहितैर्योगप्रिधिभिः ॥

उपास्यमाने च तस्मिन् प्रथमं बहिरर्था एव भासन्ते,
यानाश्रित्य कर्ममीमांसोपसंहारः चार्वाकसमुत्थानश्च । तत्रति-

त शमन दम-बैराग्य श्रद्धामात्र धन ले, चित्तकी
स्थिति हेतु योगिक रीतियोंसे कर उपासा आत्मकी ।

अर्थात् श्रुतिद्वारा आत्मतत्त्वका अवण कर वेदायिरुद्ध युक्तियोंसे “आत्मा शरीरेन्द्रियादिसे भिन्न, ज्ञानसुखादि गुणवाला तथा नित्य एव विभु है” ऐसा सम्यक् निश्चयात्मक मनन करे । तदनन्तर जिसमें शरीर इन्द्रिय-विषय बुद्धि मन प्रवृत्ति-दोष-प्रेत्यभाव-फल और दुखरूप दस प्रकारके हेयोंका तादात्म्यादि सम्बन्ध विभवस्त हो चुका है, ऐसे आत्मामें श्रद्धा-शम दम तथा बैराग्यसे युक्त होकर आसन प्राणायाम आदि पातञ्जल-शास्त्रोंके योगविधियोंसे चित्तको स्थिर करते हुए ससार (आवागमन) के आत्यन्तिक नाशरूप भोक्त्रके लिये उसकी उपासना (निदिध्यासन) करे ।

उस आत्माकी उपासना किये जानेकी दशामें प्रथम प्रथम बाह्य पदार्थ ही भासित होते हैं, जिनका आशयण कर जैमिनि प्रणीत कर्म-मीमांसादर्शनका उपसंहार हो जाता है । अर्थात् उद्दैश्यपूर्ण हो जानेसे उसका विराम हो जाता है । आशय यह है कि जब तक भोगकी कामना चर्तमान है, तब तक माम, पशु तथा हिरण्य आदि पदार्थ ही मानवोंको अभिलिपित होते हैं और उत्कट वासनावशा वे ही पहले भासित होते हैं, आत्मा नहीं भासित होता है । इसलिये उन अभिलापाओंकी सिद्धिके लिये “ग्रामकामो यजेत्, चित्रया यजेत् पशुकाम, पुत्रकामः पुत्रेष्या यजेत्” इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार यागादि कर्मोंके प्रतिपादनके उद्दैश्यसे जैमिनिने कर्ममीमांसाका प्रणयन किया । तथा अपना उक्त उद्दैश्य पूर्ण कर कर्ममीमांसा छुतकृत्य हो गयी । यद्यपि मुमुक्षुओंके लिये अन्य श्रुतियोंमें उक्त पदार्थ हेय कहे गये हैं, फिर भी पुरुषेच्छाके अनुरोधसे उन श्रुतियोंका कर्ममीमांसादर्शनमें विचार नहीं किया गया । ऐसा नहीं है कि ब्रह्मकाण्डके प्रति जैमिनि महर्षि

पादनार्थक्षण “पराश्रि सानि” इत्यादि। “तद्वानाय रंप कर्मभ्य” इत्यादि।

अथार्थाकारः, यमाश्रित्य त्रैदण्डिकमतोपसंहारो योगा-चारसमुत्थानक्षण । तत्प्रतिपादनार्थम् “आत्मैवेदं सर्वम्” इत्यादि। तद्वानार्थम् ‘अगन्धमरसम्’, इत्यादि।

उदासीत थे । यहौं उपसहारशब्दसे कर्मकाण्डके विषयमें कर्ममीमांसाका ग्रामाण्य सूचित होता है ।

यहीं से चार्चाकमतका उत्थान भी होता है । अर्थात् वाणिपदार्थोंको ही लेकर बृहस्पतिने भी चार्चाकदर्शनका निर्माण किया और प्रत्यक्षातिरिक्त वस्तुओं अप्रमाण रूप दिया । बृहस्पतिके वैसा प्रतिपादन करनेमें “पराश्रि सानि ध्यत्वृण्त् स्पृष्टम् तस्मान् पराह् पश्यति जान्तरात्मन्” इत्यादि श्रुति मूल है । यहौं उत्थानशब्दसे चार्चाकमतका उत्थान ही भर होता है, उसका उपसहार नहीं हुआ है । अत इसके प्रतिपादक आचार्य बृहस्पतिका भी इसमें अन्तिम सात्वर्य नहीं था । इसलिये चार्चाकशास्त्र अप्रमाण होनेसे शास्त्राभास है—यह बात सूचित होती है । इसीलिये इस मतके निषेधके लिये “कर्मणा मृत्युमृष्ययो निषेदु प्रजावन्तो द्रविणमीहमाना । अथापरे ऋषयो मनीषिण पर कर्मभ्योऽमृतत्वमानशु” इत्यादि श्रुतियों हैं ।

इसके बाद ध्यानक्रमसे अर्थाकार आत्मा भासित होता है और योगाचारमतका समुत्थान होता है । इसके प्रतिपादनमें “आत्मैवेदं सर्वम्” इत्यादिश्रुति मूल है । अर्थात् सज्जा रूपादि पञ्चस्कन्धात्मक यह विश्व आत्मा ही है । यहाँ आत्माशब्दसे ‘विज्ञान’ अर्थ लेकर विज्ञानवादी योगाचार व्यामोहमें पढ़ गया । तथा भास्करमतानुयायी त्रिदण्डियोंके मतमा—सब पदार्थ आत्माका ही आकार है, अत आत्मा ही वस्तुत ध्येय है—ऐसा मानते हुए उपसहार हुआ है । योगाचारमतके निषेधके लिये “अगन्धमरसम्” इत्यादिश्रुति वाक्य है । अर्थात् आत्मा या विज्ञान गन्धमरसादि विषयोंसे मिल वस्तु है । त्रिदण्डिकमतका तो मुख्य अभिप्राय आत्माको वास्तविक ध्येय बतलानेमें है, न कि उसे अर्थाकार बतलानेमें ।

अथार्थभावः, यमाश्रित्य वेदान्तद्वारमात्रोपसंहारः शून्य-
नैरात्म्यसमुत्थानं च । तत्प्रतिपादनार्थम् “असदेवेदमग्र
आसीत्” इत्यादि । तद्वानार्थम् ‘अन्धं तमः प्रविशन्ति
ये के चात्महनो जनाः’ इत्यादि ।

ततो विवेको यमाश्रित्य साङ्गत्यमतोपसंहारः शक्तिसत्त्व-
समुत्थानश्च । तत्प्रतिपादनार्थम् “प्रकृतेः परस्तात्” इत्यादि ।

इसके बाद अर्थका भी अमाव भासित होता है, जिसका आश्रयण
कर वेदान्तके द्वारमात्रका ही उपसहार हुआ । अर्थात् अर्थाभाव सिद्ध
होनेपर ही उसके द्वारा अद्वेतकी सिद्धि होगी, इसलिये वह वेदान्तका
द्वार हुआ । एव अर्थाभावका आश्रयण कर ही शून्यवाद या नैरात्म्य-
वादका समुत्थान हुआ । अर्थात् जगत्प्रपञ्चके मिथ्यात्पञ्चानसे ही
आत्माको भी प्रपञ्चान्तर्गत होनेसे मिथ्या मानते हुए शून्यवादियोंने शून्य
नैरात्म्यवादका सिद्धान्त बना लिया । इन दोनोंका मूल “असदेवेदमग्र
आसीत्” इत्यादि श्रुतिवाक्य है । किन्तु उक्त श्रुति वाक्यका गलत
अभिप्राय लगानेवाले नैरात्म्यवादियोंके नियेधके लिये “अन्धं तमः प्रवि-
शन्ति ये के चात्महनो जनाः” इत्यादि श्रुतिवाक्य है । यहाँ “आत्म-
हन्.” का अर्थ है “आत्माको अस्वीकार करने वाले” । यहाँ भी
बृहस्पतिका अभिप्राय पाख्यण्डियोंका प्रतारणमात्र है, न कि उन्हें वस्तुत
नैरात्म्यवाद अभिप्रेत है ।

उसके बाद ध्यानक्रमसे बाह्य अर्थसे (अनात्मासे) आत्माका विवेक
भासित होता है । अर्थात् सर्वथा आत्मातिरिक्त वस्तुके अभावकी
अवस्था अभी सक नहीं आनेसे बाह्यवस्तुका विना विरोध किये उससे
आत्माका विवेक (भेद) भासित होता है । जिसका आश्रयण कर साङ्गत्य
मतका उपसहार हुआ । अर्थात् प्रकृति पुरुषके विवेकके अभिप्रायसे
ही कपिलमुनिने साङ्गत्यसूत्रोंका प्रणयन किया । एवं उक्त विवेकका आश्र-
यण कर ही शक्ति (प्रकृति) और सत्त्व (महान् या बुद्धि) का समुत्थान
हुआ । अर्थात् साङ्गत्यमतानुयायियोंने आत्माकी निलेपता सिद्ध करनेके
लिये सुखादिके आश्रयके रूपमें महत् या बुद्धितत्त्वको तथा जगत्के मूल
कारणके रूपमें प्रकृतिको स्वीकार किया । इनका मूल “सभी वस्तुओंको

तदानाय “नान्यत् सत्” इत्यादि ।

ततः केवल आत्मा प्रकाशते, यमाधित्यद्वैतमतोपसंहारः । तत्प्रतिपादनार्थम् ‘यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’ इति । तद्वनार्थम् “नाद्वैतं नापि द्वैतम्” इत्यादि । ततः समस्तसंस्काराभिभवात् केवलोऽपि न विकल्प्यते, यमाधित्य चरमवेदान्तोपसंहारः । तत्प्रतिपादनार्थम् “न पश्यतीत्याहु-

उत्पन्न करनेवाली प्रकृति है तथा पुरुष उस प्रकृतिसे परे निलेप एव वूटस्थ नित्य है’ इस अर्थका प्रतिपादन करनेवाली ‘बेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्णं तमस परस्तात्’ इत्यादि श्रुति है । यहाँ ‘तमस’ का अर्थ है ‘प्रकृतिसे’ । उक्त मतके निषेधके लिये “नान्यत् सत्” इत्यादि श्रुति वाक्य है । अर्थात् प्रकृति पुरुषविवेकावस्था भी हेय ही है । क्योंकि ‘प्रकृति से भिन्न पुरुष है’ इस भेदज्ञानमे प्रतियोगि-रूपमें प्रकृति आदि भी भासित होती है, जब कि “नान्यत् सत्” इत्यादि श्रुतिके अन्तरार आत्माकी उपासनावस्थामें किसी अन्यकी सत्ताका मान अभिप्रेत नहीं है ।

उसके बाद प्रकृति विविक्त्यरूप विशेषणका भी परित्याग कर केवल आत्मा ही स्वरूपत भासित होता है । जिसका आशयण कर “एकमेवा द्वितीयम् ब्रह्म” इस अद्वैतमतका उपसहार होता है । इस केवल आत्माके प्रतिपादनका मूल “न पश्यतीत्याहु एकी भवति, न जिद्वती-त्याहु एकीभवति” इत्यादि श्रुतिवाक्य है । इस अवस्थाके भी त्यागके लिए “नाद्वैत भवति नापि द्वैतम्” इत्यादि श्रुतिवचन है । क्योंकि इसमे भी आत्माको अद्वैता आदि कहा है, जो न्यायविरुद्ध है । तथा इसमे भी उपासनाकालमें द्वैताद्वैतका विचार वर्तमान रहता है, जब कि “नाद्वैत नापि द्वैतम्” इत्यादि भूतिको द्वैताद्वैत विचारसे रहित मनसे केवल आत्माका साक्षात्कार अभिप्रेत है ।

इसके बाद ध्यान प्रकर्षकी चरम सीमा पर पहुँचे हुए युद्धान योगीको सम्पूर्ण स्वकारोंका अभिभव हो जानेके कारण अर्थात् उपासना सुहित मिथ्याहानका उन्मूलन हो जानेसे केवल आत्माका भी सविकल्पक भान नहीं होता है । अर्थात् सभी विशेषणोंसे रहित केवल आत्माका

रेकी भवति" इत्यादि । सा चावस्था न हेया, मोक्षनगर-
गोपुरायमाणत्वात् ।

निर्वाणं तु तस्याः स्वयमेव, यमाश्रित्य न्यायदर्शनो-
पसंहारः ।

तत्प्रतिपादनार्थम् 'अथ यो निष्काम आत्मकामः स
ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, तत्रैव

निर्विकल्पकमात्र ही भान होता है । जिसका आश्रयण कर चरम वेदान्तका उपसद्वार होता है । क्योंकि उसमें "स्वप्रकाश चिद्रूप आत्मा ही मुक्ति है" ऐसा प्रतिपादन किया गया है । उस अवस्थाके प्रतिपादनके लिए "यतो चाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" यह श्रुति वाक्य है । अर्थात् वाणीकी प्रवृत्ति तभी तरु है, जब तक ध्यानपरिपाक काष्ठापर नहीं पहुँचा रहता है तथा सधर्मक वस्तुमें ही मनकी भी प्रवृत्ति होनेसे निर्धर्मक आत्माका बोध करानेमें मन भी असर्मर्थ हो जाता है । यह अवस्था पूर्व अवस्थाओंकी तरह हेय नहीं है । क्योंकि वह अवस्था मोक्षरूप नगरमें प्रवेश पानेके लिए द्वारभूत है । अर्थात् वह मोक्षके अत्यन्त निकटको अवस्था है ।

उस निर्विकल्पक भानकी भी अवस्थासे छुटकारा तो अपने आप ही हो जाता है । जैसे इन्धनको नष्ट कर अग्नि भी अपने आप ही नष्ट हो जाती है । अर्थात् आत्मगत सम्पूर्ण वैशेषिक-गुणोंका उच्छेद ही मोक्ष है । इसलिए मुक्तिदशामें निर्विकल्पक भान भी नहीं रहता तथा उसके नाशके लिए किसी अन्य विरोधी गुणकी अपेक्षा नहीं होती है । वल्कि अटष्टनाशविशिष्ट कालसे ही उस निर्विकल्पक भानका नाश हो जाता है । इसी अवस्थाका आश्रयण कर न्यायदर्शनका उपसद्वार होता है । अर्थात् मुक्तिकी इसी अवस्थामें न्यायदर्शनका तात्पर्य है ।

उसके प्रतिपादनके लिये "अथ यो निष्काम आत्मकाम आपकाम, स ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, तत्रैव समवलीयन्ते" इत्यादि वेदवाक्य भूलभूत हैं । यहाँ निष्कामका अर्थ है "विषयोंके प्रति चपेक्षाभग्य रखनेवाला" । आत्मकामशब्दका अर्थ है "आत्म-

समवलीयन्ते” इत्यादीनि ।

तस्मादभ्यासकामोऽप्यपद्माराणि प्रिहाय द्वारैरेव ग्रवि-
शेत्, यतो मार्गविमार्गसंमोहमाशङ्कमानैरुच्यते “लह्येण
घनुपा योग” इति ।

बहुतरपरतन्त्र प्रान्तरस्थान्तसीत-
स्वमितपथिकरक्षासार्थवाहेन यत्नात् ।
तदिदमुदयनेन न्यायलोकागमाना
व्यतिहतिमवधूय व्यजितं वर्त्म मुक्तेः ॥१ ।

विषयक भनन एव साक्षात्मारमे सलग्न’। आपकाम वह है, जिसने आत्मविषयक साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। एसा व्यक्ति “त्रिवैव सन्” अर्थात् ब्रह्मार्थे समान निरक्षण द्वाकर मझैव समभवेति” अर्थात् केवल आत्मा घन जाता है या केवल य प्राप्त कर जाता है। उसके प्राप्त उक्तकरण नहीं करते किन्तु उस आत्मामें ही छीन हो जाते हैं। अर्थात् वह व्यक्ति नीपन मरणसे रहित हो जाता है।

इसलिये भोक्तुत्तरमे प्रवेश पानके लिए अभ्यासकी कामना करनेवाला व्यक्ति भी आर्थिकादि मरहूप अपद्वारोंका परित्यागकर कर्म-मीयानाप्रभृति द्वारोंसे ही प्रवेश कर। क्योंकि मार्ग और विमार्गके सम्बन्धमें द्वारोंदो भ्रम हो जानरी आशङ्का करत हुए आशार्थीन उससे यचनेके लिए कहा है कि लह्यरु साथ घनुपका (घनुरांगका) सदाग वद्विती ही होता है। यदि हाता भी है तो तभी, जबकि लह्य तक पहुँचा सक्नेवाला घनुपका मार्ग टीक हा ॥

परयादहर अनेक सून मार्गमत अक्षात्तक—
अतिचोर तमसे भीत निर्विद्य पा यजनक माणपे—
रकार्य, उद्यन प्रार्गदर्शकने, हटा छ्यापात्तका—
अृतिन्याय लाक्षोरे मुमाया मुकिद शुम प यका ॥१॥

नास्य श्लाघामकलितगुणः पोपयन् प्रीतये नः ,
 कोऽन्धैश्चित्रस्तुतिशतविधौ शिलिपनः स्यात् प्रकर्षः ?
 निन्दामेव प्रथयतु जनः, किन्तु दोषान्निरूप्य ,
 प्रेक्षांस्तथ्यसखलितकथनं प्रीणयेदेव भूयः ॥२॥

इति श्रीमदाचार्योदयनकृत आत्मतत्त्वविवेकः सम्पूर्णः ॥

गुणरहित जनोंसे की गयी भी बड़ाई ,
 नहिं कथमपि होगी प्रीतिदा लेशतोऽपि ।
 शतविध बहुअन्धोंसे स्तुता भी, गुणीकी ,
 सुभग छवि, बढ़ाती कीर्ति क्या स्वरूपतोऽपि ? ॥२॥
 मनुजगण बढ़ावे मात्र निन्दा, परन्तु ,
 तुटि यदि इसमे हो तो उसे, ही दिखाकर ।
 यदि अघगुण सच है, तो बताना बुधोंको—
 अतिशय वह होगा सर्वदा ही सुखाकर ॥३॥

इति न्यायवेदान्तसाङ्कलयोगाचार्य श्रीकेदारनाथत्रिपाठिप्रणीतः
 आत्मतत्त्वविवेकस्य सविवेचनानुवादः

सम्पूर्णः ।

* श्रीकृष्णार्पणमस्तु *



परिशिष्टम्

आत्मतत्त्वविदेकस्थपूर्वपक्षसन्दर्भस्यलालिनि

आत्मतत्त्वविदेक पृ० ४

यत् सत् उत् क्षणिकं यथा जलधरः,
सम्बद्धं भावा इमे,
सत्ता शक्तिरहार्थकर्मणि मितेः,
सिद्धेषु सिद्धां न सा ।
नास्येकेव विधाऽन्यदापि परकृत्—
नेव किया वा भवेत्,
द्वधाऽपि क्षणभङ्गसङ्गतिरतः
साध्ये च विश्राम्यति ॥

ज्ञानश्रीमित्रनिवन्धावली क्षणभङ्गाद्याय, पृ० १ ऐडोक २

सामर्थ्यं हि करणत्वं वा योग्यता वा... व्याख्यतिभेदादयमदोप ।

आ० त० वि० पृ० ६

समर्थव्यवहारयोग्यताजननयोग्यिन्नव्याख्यतिकृतया साध्याविशिष्टत्वं
हेतोरिति दूषणमनवकाशम्

ज्ञा० मि० नि० पृ० १२

आ० त० वि० पृ० १२—कथ करणाकरणे ? ...

कार्याणि हि विलम्बन्ते कारणासन्निधानतः ।

समर्थहेतुसद्भावे क्षेपस्तेषा तु किं कृत ॥

ज्ञा० मि० नि० पृ० १७ तथा तत्त्वसप्तहः पृ० ३९५

आ० त० वि० पृ० १२—उधापि योग्य सद्वकारि

तस्य च भावस्य याहशश्चरमस्थग्नेऽस्तेषुक्रियाधर्मी स्वभावः, तादृश
एव चेत् प्रथमक्षणेऽपि, तदेव गीर्वाणशापशतेनापि नापहस्तयितु
शक्तः ।

ज्ञा० मि० नि० पृ० १९

आ० त० चि० पू० १५७—निथ सम्भजामारा—

परहृष्ट स्वरूपेण

प्र० वा० स्या० अ० प० श्लो० ६८

आ० त० चि० पू० १५८

एकुप्रत्यगमपेस्य हेतुत्वादधीरभेदिनी ।

एकुधीहेतुमावेन व्यक्तीनामध्यभिज्ञता ॥

प्र० चा० स्या० अ० परि० श्लो० १०९

आ० त० चि० पू० १६७

न याति न च तमासीत्

प्र० चा० स्या० अ० परि० श्लो० १५२

आ० त० चि० पू० १७०—तापि ह्वानतो वाधकम्

न तस्मावज्ञातिसिद्धिरध्यशात्

नाप्यतुमानात्

शब्देस्ताव्य-मुख्यमाख्यायतेऽर्थं

ह्वा० मि० नि० अपोहप्रकरणम् पू० २२१-२०३

आ० त० चि० पू० १७४

घर्मस्य कस्यचिदपि वस्तुनि मानसिद्धा ।

ह्वा० मि० नि० पू० ८९

रत्नकीतिनि० पू० ८८

आ० त० चि० पू० १७६—तस्माच्छब्दे कि वाच्यम्

यदा तु शब्दे कि वाच्यमित्यनुयोग तदा ।

ह्वा० मि० नि० अपोहप्रकरणम् पू० २३२

आ० त० चि० पू० १७८—सहोपलम्भनियम्

दर्शनोपाधिरहितस्याप्रहात् तदप्रहे प्रहात् ।

दर्शन सीलनिर्भास नाथो वाहोऽस्ति केवलम् ॥

प्र० वा० प्र० परि० श्लो० ३३५

सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्विचो

ह्वा० मि० नि० पू० ५६९

आ० त० चि० पू० १७९-१८०—वाद्यस्वेव विश्वपृथमांयसाद्भवम्

१० की० नि० चित्राद्वैतप्रकाशवादः पू० १३६

आ० त० वि० पृ० १८६

चित्रैकव्यवहारोऽपि भेदापोद्परो मत् ।

एकानेकवियुक्तो हि प्रदाशः केवलोऽत्र सन् ॥

ज्ञा० मि० नि० अद्वैतविन्दुप्रकरणम् पृ० ३६३

आ० त० वि० पृ० १९१—चित्राकारमिति चेत्

र० की० नि० चित्राद्वैतप्रकाशवादः पृ० १३६

आ० त० वि० पृ० १९२—१९३

यदि स्वरूपमाकाराः

मिथस्तथापि

अल्लीकमन्यत्वैऽपीदम्

ज्ञा० मि० नि० अद्वैतविन्दुप्रकरणम्

आ० त० वि० पृ० १९५—स्वस्य वेदनमिति न्याय व्यापारनिवन्धनः
उत्पादमात्रेऽतिशयान्तरे वा ।

ज्ञा० मि० नि० अद्वैतविन्दुप्रकरणम् पृ० ३५९

आ० त० वि० पृ० १९६—न तत् कस्यचित्, किन्तु वेदनमात्रम्

इयमेवात्मसविच्चित्रस्य याऽजडता

ज्ञा० मि० (साकारसिद्धिशास्त्रम्) पृ० ४७१

आ० त० वि० पृ० १९९—बहिरन्तरुभयथाऽपि***

प्रकाशमानं नीलादि जड वा अजड वा ।

ज्ञा० मि० नि० पृ० ३५०

आ० त० वि० पृ० २०३—अस्तु तद्दिं तृतीया**

वेद्यवेदकयो रूप नियत यदि लक्षितम् ।

तदुपादानपर्येष्टे. सामग्रीशक्तिरुच्यताम् ॥

ज्ञा० मि० नि० अद्वैतविन्दुप्रकरणम् पृ० ३५२

आ० त० वि० पृ० २०७-२०८—न दु स्वमपि विचारासद्मित्यहेयमेव**

हेयहीनस्य का मुक्तिः,

केन वायुपदिश्यते । (बौद्धकारिका)

ज्ञा० ल० वि० पृ० २०९—एवं ज्ञातु निर्विवतुं वा न शक्यते—

बुद्ध्या विविद्यमानानां स्वभावो नावधार्यते । (बौद्धकारिका)

आ० त० वि० पू० २१५—प्रकाशस्य सत्।

ज्ञायते इनेनेति ज्ञानं जानातीति वेति विकल्पज्ञातस्य निरासः कुरुः ।

ज्ञा० मि० नि० अद्वैतविन्दुप्रकरणम् पू० ३४६

आ० त० वि० पू० २१५—सामग्रीशक्तिरेवोचरम्
सामग्रीशक्तिरुचरमिति ।

ज्ञा० मि० नि० अद्वैतविन्दुप्रकरणम् पू० ३५२

आ० त० वि० पू० २१९—वासनावशाद् विशेषा स्फुरन्ति
तस्मात् वासना

ज्ञा० मि० नि० अपोद्द्वप्रकरणम् पू० २२०

आ० त० वि० पू० २२०—न माहारभेदभवधूय
नाकारभेदमवधूय

ज्ञा० मि० नि० साकारसिद्धिशाष्टम् पू० ३८६

आ० त० वि० पू० २३४—नेत्र स्थूलम् (अवयविनिषेध)
अणव एव हि विशिष्टोत्पन्ना द्रव्यद्वय वा सयोगशूल्यं तत्तद्वुद्दि-

साधनम् इति किमवयव्यादिना । तस्मादवयवी सयोगादवश्च
सवृतिसत् इति ।

ज्ञा० मि० नि० क्षणभङ्गाभ्यायः पू० ७

आ० त० वि० पू० २६२—न हि तदेकं रूपम्

ज्ञा० मि० नि० साकारसिद्धिशाष्टम् पू० ४५५

आ० त० वि० पू० २६५—अस्तु तर्हि परमाणुनिवृत्ते सर्वविलोप
न परीक्षाक्षमश्वाणु कुरु कस्य कदा भिदा ।

ज्ञा० मि० नि० साकारसप्रहसूत्रम् पू० ५७१

आ० त० वि० पू० २७०—षट्केन युगपद्योगात्

षट्केन युगपद्योगात्,

परमाणोः पडशता ।

दिवदेशभेदवश्वाया—

वृतिभ्या चापि चाशता ॥

(चौद्दकारिका)

आ० त० वि० पू० ३२६—नाप्यसम एव सहोपलम्भनियमः ...
सहोपलम्भनियमात्,

ज्ञा० मि० नि० पू० ५६९

आ० त० वि० पू० ३३७—अशाब्दत्वात्
शाब्दादिविकल्पा व्याख्यात्तिमात्रविषयतया अवस्तुका भवन्तीति
बौद्धधर्मतम् ।

आ० त० वि० पू० ३४६
अभ्यान्तिसमतैकावसायः प्रकृतिविक्रिये ।
ततो हेतुवलस्योपादानोपादेयलक्षणम् ॥ (बौद्धकारिका)

आ० त० वि० पू० ३९१
हरयश्चेदू व्यतिरेकसिद्धिमनसा
कार्यत्वस्य विपक्षवृच्छिहतये
ज्ञा० मि० नि० पू० २८५

आ० त० वि० पू० ३९७—शारीरस्य च नोपाधित्वम्
कर्तुरपि करादिव्यापारमात्रेण***
ज्ञा० मि० नि० पू० २८८

आ० त० वि० पू० ४२०—एकत्वे प्रामाणाभावः
एकत्वे सिद्धे साध्यमशेषमाकृष्यते, न च तन्निश्चये किञ्चन्
निश्चयनमस्ति ।
ज्ञा० मि० नि० पू० २६९